

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2010-11



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
भारत

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
INDIA**

प्रधान कार्यालय:

तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद-500 004
फोन: +91-40-23381100 / 1300
फैक्स: +91-40-6682 3334

Head Office

3rd Floor, Parishram Bhavan,
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
INDIA
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334

दिल्ली कार्यालय:

प्रथम तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
फोन: +91-11-23747648
फैक्स: +91-11-23747650

Delhi Office

1st Floor, Jeevan Tara, Parliament Street,
New Delhi – 110 001
INDIA
Phone : +91-11-2374 7648
Fax : +91-11-2374 7650

Website/वेबसाइट: www.irda.gov.in
E-mail/ई-मेल: irda@irda.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2010-11



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
भारत

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
INDIA**

प्रधान कार्यालय:

तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद-500 004
फोन: +91-40-23381100 / 1300
फैक्स: +91-40-6682 3334

Head Office

3rd Floor, Parishram Bhavan,
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
INDIA
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334

दिल्ली कार्यालय:

प्रथम तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
फोन: +91-11-23747648
फैक्स: +91-11-23747650

Delhi Office

1st Floor, Jeevan Tara, Parliament Street,
New Delhi – 110 001
INDIA
Phone : +91-11-2374 7648
Fax : +91-11-2374 7650

Website/वेबसाइट: www.irda.gov.in
E-mail/ई-मेल: irda@irda.gov.in

BLANK



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY


पारगमन पत्र

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001

24 नवम्बर, 2011

श्रीमान्,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

(जे हरि नारायण)

LETTER OF TRANSMITTAL

To
The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi – 110 001

24th November, 2011

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2011 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,


(J HARI NARAYAN)

BLANK

विषय सूची

लक्ष्य कथन

बी.वि.वि.प्रा. का दल

परिदृश्य

.. 1

भाग-I

नीतियाँ एवं कार्यक्रम

I.1	सामान्य आर्थिक वातावरण	...	9
I.2	वैश्विक बीमा परिदृश्य	...	9
I.3	भारतीय बीमा बाजार का निर्धारण	...	13
I.4	पुनरीक्षण		
I.4.1	बीमाधारकों के हितों की रक्षा	...	37
I.4.2	बीमाकर्ताओं के संपन्नता लाभ का अनुरक्षण	...	39
I.4.3	पुनर्बीमा की निगरानी	...	40
I.4.4	बीमा पूल	...	42
I.4.5	बीमाकर्ताओं के निवेश की देखभाल	...	45
I.4.6	स्वास्थ्य बीमा	...	47
I.4.7	ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यापार	...	50
I.4.8	वित्तीय रिपोर्टिंग एवं बीमांकिक मानक	...	51
I.4.9	धनविरोधी गतिविधियाँ/आतंकवाद को वित्त पहुँचाने का खण्डन करना	...	53
I.4.10	फसल बीमा	...	53
I.4.11	सूक्ष्म बीमा	...	54
I.4.12	प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश एवं विनियमन	...	60
I.4.13	सूचना का अधिकार अधिनियम	...	60

भाग-II

कार्यों और परिचालनों की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिये विनियमन	...	61
II.2	बीमा व्यवसाय से जुड़े मध्यस्थ	...	62
II.3	पेचीदा मामले, याचिका दायर करना और न्यायालय में अपने शिकायत को व्यक्त करना	...	67
II.4	बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहकारिता	...	70
II.5	लोक शिकायतें	...	71
II.6	बीमा समिति व बीमा परिषद	...	73
II.7	लोकपालों की कार्य प्रणाली	...	76

भाग-III

प्राधिकरण के वैधानिक एवं विकासशील कार्य

III.1	आवेदक को पंजीकरण, नवीनीकरण, बदलाव, वापसी, निलंबन, निरस्तीकरण आदि आवेदन जारी करने से संबंधित	...	77
III.2	निर्दिष्ट पॉलिसी, पालिसीधारक द्वारा नामांकन, बीमित ब्याज, दावे का निपटारा, सर्वेडर करते वक्त पालिसी का मूल्य तथा बीमा अनुबंध से जुड़ी हुई शर्तें	...	78
III.3	बीमा मध्यस्थों और अभिकर्ताओं के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, आचार संहिता तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए शर्तें	...	78
III.4	हानि निर्धारकों और सर्वेक्षकों के लिये निर्धारित अचार संहिता	...	79
III.5	बीमा व्यवसाय करते हुए दक्षता को बढ़ाना	...	80
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े हुए संगठनों को विनियमित करना और बढ़ावा देना	...	80
III.7	अधिनियम के लिए ली गई फीस और अन्य तरह के शुल्क	...	80
III.8	बीमा व्यवसाय से जुड़े बीमाप्रदाता, मध्यस्थ, बीमा मध्यस्थ तथा अन्य संगठनों से जुड़ी सूचनाएं, निरीक्षण, पूछताछ और जांच आडिट के साथ	...	80
III.9	सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई दर, लाभ, नियम और शर्तें बीमा अधिनियम 1938 (4/1938) के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित व विनियमित नहीं	...	81
III.10	लेखा जोखा की किताबे और उनका निर्वहण और लेखा जोखा के किताबे बीमा कंपनियों और अन्य बीमा मध्यस्थों से आयोजित लेखा जोखा उनका निर्वहण किस प्रकार से आयोजित किया गया है उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है	...	81
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश को विनियमित करना	...	82
III.12	बीमा ऋणशोधन क्षमता के रखरखाव का विनियमन	...	82
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों में न्याय निर्णयन	...	83
III.14	प्राशुल्क समाहकार समिति (टीएसी) का अधीक्षण	...	83
III.15	व्यवसाय संगठन को क्लाज-(6) के नियमों का पालन करते हुए बीमा कंपनी के प्रीमियम आय के कितना प्रतिशत है इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है और उपरोक्त आर्थिक प्रयोजन योजनाओं को लागू करके उनको पदोन्नति देने के लिए और व्यवसायिक संगठन के नियमों को क्लाज 6 में प्रस्तावित किया है	...	84
III.16	बीमाकर्ताओं द्वारा ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र में जीवन बीमा व साधारण बीमा में किये जाने वाले व्यवसाय के प्रतिशत को दर्शाना	...	84
III.17	कुछ अन्य शक्तियों का प्रयोग यदि निर्धारित की गई है।	...	85

भाग-IV
संगठन से जुड़े मामले

IV.1	संगठन	..	87
IV.2	प्राधिकरण की बैठकें	..	87
IV.3	मानव संसाधन	..	87
IV.4	राजभाषा को प्रोत्साहन	..	87
IV.5	अनुसंधान और विकास	..	87
IV.6	बी.वि.वि.प्रा. में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति	..	88
IV.7	लेखा	..	90
IV.8	बी.वि.वि.प्रा. पत्रिका	..	90
IV.9	आभार प्रदर्शन	..	90

बॉक्स मर्दे

1.	जीवन बीमा क्षेत्र में दावों का निपटान	..	20
2.	गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में दावों का निपटान	..	30
3.	स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)	..	35
4.	एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस)	..	38
5.	आर्थिक पूँजी	..	52
6.	सूक्ष्म बीमा - पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा और भविष्य की रूपरेखा	..	57

विषय सारणी

I.1	वर्ष 2010 के दौरान प्रीमियम में वास्तविक विकास	..	10
I.2	भारत में बीमा प्रवेश और धनत्व	..	12
I.3	भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता (30 सितम्बर, 2011 तक)	..	13
I.4	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्रीमियम	..	14
I.5	जीवन बीमा का बाजार अंश	..	15
I.6	जारी पॉलिसियों की संख्या: जीवन बीमाकर्ता	..	16
I.7	प्रदत्त पूँजी: जीवन बीमाकर्ता	..	16
I.8	कमीशन व्यय: जीवन बीमाकर्ता	..	17
I.9	कमीशन व्यय अनुपात: जीवन बीमाकर्ता	..	17
I.10	परिचालन व्यय: जीवन बीमाकर्ता	..	17
I.11	प्रायोजक व्यय का अनुपात : जीवन बीमाकर्ता	..	18
I.12	व्यक्तिगत मृत्यु दावा: जीवन बीमाकर्ता	..	18
I.13	सामूहिक मृत्यु दावा: जीवन बीमाकर्ता	..	19
I.14	जीवन बीमा कार्यालयों का संख्या	..	23
I.15	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का विवरण (31 मार्च 2011 तक)	..	24
I.16	भारत में कुल सकल प्रीमियम आय: गैरजीवन बीमाकर्ता	..	25
I.17	भारत में कुल सकल प्रीमियम आय	..	26
I.18	(भारत में) गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त की गई वर्गानुसार प्रीमियम	..	27
I.19	कुल प्रीमियम में भारत से बाहर के प्रीमियम का अनुपात	..	27
I.20	भारत के बाहर हुए व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	..	28
I.21	नई जारी पॉलिसियाँ : गैर जीवन बीमाकर्ता	..	28
I.22	प्रदत्त पूँजी - गैर जीवन बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमाकर्ता (31 मार्च तक)	..	28
I.23	बीमा करने में हानि-गैर जीवन बीमाकर्ता	..	29
I.24	कमीशन व्यय: गैर जीवन बीमाकर्ता	..	29
I.25	संचालन व्यय: गैर जीवन बीमाकर्ताओं का	..	29
I.26	वहन किया गया कुल दावा: गैर जीवन बीमाकर्ता	..	30
I.27	वहन किये गये दावों का अनुपात (वर्गानुसार)	..	30
I.28	निवेश आय: गैर जीवन बीमा कंपनी	..	33
I.29	शुद्ध लाभ/हानि: गैर जीवन बीमाकर्ताओं को	..	33
I.30	प्रदत्त लाभांश: गैर जीवन बीमाकर्ता	..	33

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

I.31	गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	..	33
I.32	भारतीय व्यवसाय का शुद्ध प्रीमियम सीधा सकल प्रीमियम का प्रतिशत (जीआईसी को छोड़कर)	..	40
I.33	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के अंतर्गत पुनर्बीमा मे भारत के अन्दर और भारत के बाहर	..	41
I.34	भारतीय व्यवसाय पर भारत से बाहर अर्पित पुनर्बीमा	..	41
I.35	सदस्य कंपनियों का हिस्सा भारतीय क्षेत्र निकाय में	..	42
I.36	आतंकवादी जोखिम बीमा के लिये प्रीमियम की दर (1 अप्रैल 2010)	..	43
I.37	मोटर बीमा तृतीय पक्षकार दावे	..	44
I.38	पुल सदस्यों का बाजार -हिस्सा	..	45
I.39	बीमा क्षेत्र द्वारा किया गया विनिवेश (31 मार्च 2011 तक)	..	45
I.40	जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा किया गया विनिवेश: नियमानुसार (31 मार्च 2011 तक)	..	46
I.41	जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा किया गया विनिवेश: निधि अनुसार (31 मार्च 2011 तक)	..	46
I.42	विनिवेश का विकास : निधि अनुसार (31 मार्च 2011 तक)	..	47
I.43	गैरजीवन बीमा क्षेत्र द्वारा किया गया विनिवेश: निधि अनुसार (31 मार्च 2011 तक)	..	47
I.44	स्वस्थ बीमा प्रीमियम - 2006-2011	..	48
I.45	टीपीए लाइसेंस का नवीनीकरण 2010-11	..	49
I.46	टीपीए संरचना (2010-11)	..	49
I.47	तृतीय पक्ष प्रशासक - दावा आँकड़े	..	50
I.48	सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियों के तहत वर्ष 2010-11 के लिये नया व्यापार	..	55
I.49	जीवन बीमा कंपनियों के सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता	..	55
I.50	सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो-2010-11 व्यक्तियों की मृत्यु का दावा	..	55
I.51	सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो-2010-11 के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे	..	56
I.52	सूक्ष्म बीमा व्यक्तिगत श्रेणी-2010-11 में मृत्यु के दावों का समय अनुसार निपटारा	..	56
I.53	अवधी अनुसार सूक्ष्म बीमा में मृत्यु दावों का निपटारा - ग्रुप वर्ग 2010-11	..	56
I.54	सीपीआइओ अधिकारियों की सूची	..	60
II.1	जीवन बीमा से जुड़े व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का विवरण	..	62
II.2	जीवन बीमा से जुड़े निगमित अभिकर्ताओं का विवरण	..	63
II.3	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक श्रेणी में नये व्यवसायों मे किया गया प्रदर्शन श्रृंखलाबद्ध	..	63
II.4	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह श्रेणी में नये व्यवसायों में किया गया प्रदर्शन श्रृंखलाबद्ध 2010-11	..	64
II.5	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह श्रेणी में नये व्यवसायों में किया गया प्रदर्शन श्रृंखलाबद्ध 2010-11	..	65
II.6	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक को जारी किये अनुज्ञापत्रों की संख्या	..	66
II.7	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से संबंधित शिकायते	..	67
II.8	दायर किये गये मामलों का विवरण	..	67
II.9	याचिका दायर करना और मामलों का हल करना	..	67
II.10	आईएआइएस की समितियां व उप समितियां	..	71
II.11	शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता	..	71
II.12	शिकायत प्रकोष्ठ में दर्ज शिकायतों का वर्गीकरण	..	72
II.13	शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता - 2010-11 में	..	73
II.14	2010-11 वर्ष में लोकपाल द्वारा फैसला कि गई शिकायतों का विवरण	..	76
III.1	प्राधिकरण द्वारा लगाया गया आर्थिक दंड	..	77
चार्टों की सूची			
I.1	चयनित देशों में बीमा घनत्व-2010	..	10
I.2	चयनित देशों में बीमा अतः प्रवेशन-2010	..	11
I.3	भारत में बीमा घनत्व	..	12
I.4	भारत में बीमा अतः प्रवेशन	..	13
I.5	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम	..	15
I.6	लंबित दावों का अवधिकार विभाजन-व्यक्तिगत पॉलिसियाँ	..	19
I.7	लंबित दावों का अवधिवार विभाजन - सामूहिक पॉलिसियाँ	..	22
I.8	जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	..	24
I.9	जीवन बीमा कार्यालयों का भौगोलिक वितरण	..	24
I.10	गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल सीधी प्रीमियम	..	25

I.11	घटकवार गैर जीवन बीमा प्रीमियम	..	27
I.12	गैर-जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	..	34
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया कारोबार प्रीमियम-चैनलवार	..	64
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया कारोबार प्रीमियम - चैनल वार	..	65
II.3	जीवन बीमाकर्ताओं का नया कारोबार प्रीमियम (व्यक्तिगत और सामूहिक)	..	66

विवरणों की सूची

1.	बीमा प्रवेश की अंतरोष्ट्रीय तुलना	..	93
2.	बीमा धनत्व की अंतराष्ट्रीय तुलना	..	94
3.	प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम	..	95
4.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	..	96
5.	जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया व्यापार निष्पादन - चैनल के अनुसार	..	97
6.	जीवन बीमाकर्ताओं का नया समूह व्यापार निष्पादन - चैनल के अनुसार	..	99
7.	राज्यानुसार व्यक्तिगत नया व्यापार लेखांकन	..	101
8.	राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया ग्रुप नया व्यापार	..	104
9.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - चालू व्यापार - पॉलीसियों की संख्या	..	108
10.	व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) - चालू व्यापार - बीमा राशि	..	109
11.	जीवन बीमाकर्ताओं का लिंकड व नॉन लिंकड प्रीमियम	..	110
12.	जीवन बीमाकर्ताओं का लिंकड व नॉन लिंकड कमीशन	..	112
13.	व्यक्तिगत मृत्यु दावे	..	113
14.	ग्रुप मृत्यु दावे	..	115
15.	समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - व्यक्तिगत श्रेणी	..	117
16.	समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - ग्रुप श्रेणी	..	118
17.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत संपत्तियाँ	..	119
18.	जीवन बीमाकर्ताओं की इकटि शेयर पूँजी	..	122
19.	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात	..	123
20.	जीवन बीमाकर्ता - पालिसीधारक खाता	..	124
21.	जीवन बीमाकर्ता - अंशधारी खाता	..	127
22.	जीवन बीमाकर्ता - तुलन पत्र	..	130
23.	एलआईसी - पॉलिसीधारक खाता (गैर-भागीदारी)	..	133
24.	एलआईसी - अंशधारी खाता (गैर-भागीदारी)	..	134
25.	एलआईसी - तुलन पत्र(गैर-भागीदारी)	..	135
26.	व्यक्तिगत व्यापार - नॉन-लिंकड व्यापार के संदर्भ में समपहरण/व्यक्तिगत पॉलिसियाँ	..	136
27.	जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत अभिकर्ताओं के विवरण	..	137
28.	जीवन बीमाकर्ताओं के निगमित अभिकर्ताओं के विवरण	..	138
29.	जीवन बीमाकर्ताओं के राज्यानुसार वितरण कार्यालय	..	139
30.	जीवन बीमाकर्ताओं के क्षेत्रानुसार वितरण कार्यालय	..	140
31.	व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का राज्यानुसार वितरण	..	141
32.	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यापार	..	142
33.	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत मृत्यु दावे - व्यक्तिगत श्रेणी	..	143
34.	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत मृत्यु दावे - ग्रुप श्रेणी	..	145
35.	सूक्ष्म बीमा दावों के अंतर्गत अवधि अनुसार भुगतान - व्यक्तिगत श्रेणी	..	147
36.	सूक्ष्म बीमा दावों के अंतर्गत अवधि अनुसार भुगतान - ग्रुप श्रेणी	..	148
37.	कंपनी के अनुसार सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की संख्या	..	149
38.	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	..	150
39.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम: गैर जीवन बीमा (भारत तथा भारत के बहार)	..	151
40.	विभाजन अनुसार गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत में)	..	152
41.	विभाजन अनुसार शुद्ध प्रीमियम आय (अर्जित)	..	153
42.	हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंव कवर्ड व्यक्तियों की संख्या - 2010-11	..	154
43.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं की चैनल अनुसार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय	..	156

44.	राज्यानुसार सकल प्रत्य प्रीमियम आय	..	157
45.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के शुद्ध प्रतिधारण	..	158
46.	व्यय क्रिया हुआ दावा अनुपात - सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमाकर्ता	..	159
47.	व्यय क्रिया हुआ दावा अनुपात - निजी क्षेत्र गैर जीवन बीमाकर्ता	..	160
48.	दावा भुगतान एवं उपगत दावों का अनुपात : स्वास्थ्य बीमा	..	161
49.	बीमा लेखन अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का लाभ	..	162
50.	बीमा लेखन अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लाभ	..	163
51.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन संपत्तियाँ	..	165
52.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी	..	166
53.	भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात	..	167
54.	सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता - पॉलिसीधारक लेखा	..	168
55.	अंशधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	..	170
56.	तुलन-पत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	..	171
57.	निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता - पॉलिसीधारक लेखा	..	172
58.	अंशधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	..	177
59.	तुलन-पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता	..	179
60.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता - पॉलिसीधारक खाता	..	181
61.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता - अंशधारक खाता	..	182
62.	स्वास्थ्य बीमाकर्ता - तुलन पत्र:	..	183
63.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड - पॉलिसीधारक खाता	..	184
64.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड - अंशधारक खाता	..	185
65.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड - तुलन-पत्र	..	186
66.	भारतीय कृषि बीमा कंपनी - पॉलिसीधारक खाता	..	187
67.	भारतीय कृषि बीमा कंपनी - अंशधारक खाता	..	188
68.	भारतीय कृषि बीमा कंपनी - तुलन - पत्र	..	189
69.	भारतीय साधारण बीमा निगम - पॉलिसीधारक खाता	..	190
70.	भारतीय साधारण बीमा निगम - अंशधारक खाता	..	191
71.	भारतीय साधारण बीमा निगम - तुलन - पत्र	..	192
72.	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के राज्यानुसार कार्यालय	..	193
73.	तीसरा पक्ष प्रशासक - दावों का डाटा	..	195
74.	शिकायते: जीवन बीमा	..	197
75.	शिकायते - गैर जीवन बीमाकर्ता	..	198
76.	विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर 31 मार्च 2011 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा - (जीवन बीमा)	..	199
77.	विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर 31 मार्च 2011 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा (गैर जीवन बीमा)	..	200
78.	विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर 31 मार्च 2011 की समाप्ति तक शिकायत का निपटारा (जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा संयुक्त)	..	201

संलग्नकों की सूची

1.	भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ	..	205
2.	बीमाकर्ताओं व विभिन्न मध्यस्तों के लिये शुल्क ढाँचा	..	207
3.	(ए) भारतीय जीवन बीमा निगम के निश्चित जीवन मं मृत्यु दर - एलआईसी 94-96 अंतिम	..	208
	(बी) भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक ग्रहियों में मृत्यु दर -	..	209
4.	वित्त वर्ष 2010-11 में निकाले गये जीवन बीमा उत्पाद	..	210
5.	वित्त वर्ष 2010-11 में निकाले गये गैर जीवन बीमा उत्पाद (गैर-प्रशुल्क)	..	216
6.	जीआईसी द्वारा प्राप्त किये गये अनिवार्य सेशन	..	219
7.	पंजीकृत दलाल (राज्य के आधार पर)	..	220
8.	अप्रैल 2010 से प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ	..	221
9.	आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमन	...	226

लक्ष्य कथन

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना एवं उनके प्रति निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के लाभ व अर्थव्यवस्था के त्वरणशील विकास के लिये दीर्घकालिक निधियों को उपलब्ध करवाने हेतु बीमा उद्योग में तीव्र व क्रमबद्ध वृद्धि लाना (वार्षिक व सेवा-निवृत्ति भुगतनों सहित);
- ✓ जिनका वह विनियमन करता है उनमें अखंडता के उच्च स्तर निर्धारित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी निगरानी करना, वित्तीय मजबूती, निष्पक्ष व्यवहार तथा सामर्थ्य की पुष्टि करना;
- ✓ वास्तविक दावों का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित करना, बीमा धोखों व अन्य कुप्रथाओं से बचाव तथा प्रभावकारी शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करना;
- ✓ उन सभी वित्तीय बजारों में जो बीमा का करोबार करते हैं निष्पक्षता, पारदर्शिता व सुव्यवस्थित संचालन का संवर्धन करना तथा बाजार के व्यवसायियों में उच्चस्तरीय वित्तीय मजबूती के प्रवर्तन के लिये एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहाँ इस प्रकार के मान अपर्याप्त है अथवा अप्रभावी रूप से बाध्य किये हुए है, वहाँ कार्यवाही करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकतानुसार उद्योग के दैनिक क्रियाकलापों में अनुकूलतम मात्रा में स्व-विनियमन सम्पादित करना ।

BLANK

आईआरडीए का दल



जे हरि नारायण
अध्यक्ष

सदस्य



के के श्रीनिवासन
(4 सितम्बर 2010 तक)



डॉ आर कन्नन
(1 जून 2011 तक)



जी प्रभाकरा



आर के नायर



एम रामाप्रसाद
(11 अक्टूबर 2010 से)

PART TIME MEMBERS



विजय महाजन
(6 अक्टूबर 2010 तक)



अमरजीत चोपड़ा
(5 फरवरी 2011 तक)



एल एम वास
(17 अगस्त 2011 तक)



इला आर भट्ट



प्राध्यापक वी के गुप्ता
(7 अक्टूबर 2010 से)



जी रामास्वामी
(6 फरवरी 2011 से)



अरविन्द कुमार
(18 अगस्त 2011 से)



प्रबोध चन्द्र
कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन)
(15 नवंबर 2010 तक)



के सुब्रह्मण्यम
कार्यकारी निदेशक (बिमांकन)
(30 जून 2011 तक)



ए गिरिधर
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)



डॉ डी वी एस शास्त्री
महा निदेशक (शोध एवं विकास)
(31 जुलाई 2010 तक)



कुन्नेल प्रेम
सी एस ओ (जीवन)



श्रीराम तरनिकाँति
वित्तीय परामर्शदाता
(24 अगस्त 2011 से)



एन श्रीनिवास राव
एफए एवं सीएओ
(3 मई 2011 तक)

वरिष्ठ संयुक्त निदेशक



सुरेश माथुर



एम पुल्ला राव

संयुक्त निदेशक



डॉ ममता सूरी



रणदीप सिंह जगपाल



मुकेश शर्मा



जे मीना कुमारी

संयुक्त निदेशक



एस एन जयसिंहान



यमप्रिया भरत



ए आर नित्यानंदम



राकेश के बजाज



ए कृष्णन



एस के जैन



रमण राव ए



वी जयंत कुमार



टी एस नायक

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

कर्मचारी का नाम	पद
	लेखा विभाग
राज कुमार शर्मा	उप निदेशक एवं सीएओ
महेश अग्रवाल	वरिष्ठ सहायक निदेशक
श्याम सुन्दर मुहाकुंड	कनिष्ठ अधिकारी
पी. मजुमदार	कनिष्ठ अधिकारी
सनीथा के ए	सहायक
	बिमांकन विभाग
जे. मीना कुमारी	संयुक्त निदेशक
एस पी चक्रबोर्ती	उप निदेशक
प्रभात कुमार मैती	उप निदेशक
जे अनिता	उप निदेशक
ऐ.वी. राव	उप निदेशक
एन.एस.के. प्रभाकर	उप निदेशक
सी. श्रीनिवास कुमार	उप निदेशक
सुजन इटियार	वरिष्ठ सहायक निदेशक
एस. कार्तिकेय शर्मा	सहायक निदेशक
एम बी वी एन मुर्ति	सहायक निदेशक
डी एन के एल एन के चक्रवर्ती	सहायक निदेशक
योगीता रावत	सहायक निदेशक
लक्ष्मी आर. पिल्लई	कनिष्ठ अधिकारी
बी. सोमेश्वर राव	कनिष्ठ अधिकारी
अमित श्रीवास्तव	सहायक
शरत चन्द्रा	सहायक
सुजोय साहा	सहायक
	प्रशासनिक एवं एच आर विभाग
मुकेश शर्मा	संयुक्त निदेशक-(प्रशासन)
जे. मीना कुमारी	संयुक्त निदेशक-(एचआर)
बी राघवन	वरिष्ठ सहायक निदेशक (प्रशासन)
ए. सगीना	सहायक निदेशक - (एचआर)
डी श्रीनिवास मुर्ति	सहायक निदेशक (अध्यक्ष के निजी सचिव)
ए. रामा सुधीर	कनिष्ठ अधिकारी
आर. संगीता	कनिष्ठ अधिकारी (कार्यकारी निदेशक-प्रशासन के निजी सचिव)
वि.एस. नरेन्द्र चन्द्रा	कनिष्ठ अधिकारी (अध्यक्ष के निजी सचिव)
शिव प्रसाद येदु	सहायक - (एच आर)
इन्द्रदिप शाह	सहायक - (प्रशासन)
अनुराग बाजपेई	सहायक
	ऐजेंटों एवं एटीआइ विभाग
संजीव कुमार जैन	संयुक्त निदेशक
गंडी वेंकट रमणा	सहायक
	उपभोक्ता मामले विभाग
यग्नप्रिया भरत	संयुक्त निदेशक
ऐ कृष्णण	संयुक्त निदेशक
टी. वेंकटश्वरा राव	उप निदेशक
के. श्रीनिवास	सहायक निदेशक
मनोज कुमार असीवाल	सहायक निदेशक
कमल चौला	सहायक निदेशक
दोमला रजनीकान्त	सहायक

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

विनय कुमार मतंगी
नीरज मनी त्रिपाठी

सहायक
सहायक

वित्त एवं लेखा विभाग

डॉ. ममता सूरी
राजकुमार शर्मा
के. प्रसाद राव
अम्मु वेंकट रमना
बी पद्मजा
के. आनन्द राव
डॉ. रविन्दर कौर
आकांक्षा गुप्ता
मोहम्मद अयाज
जी. रामबाबु
ए केशव राव
दासिका एस मुरली मोहन
अमीर हसन
बोह्ला बालकृष्णा
त्रिलोकी नाथ

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
कनिष्ठ अधिकारी(सदस्य-वित्त एवं निवेश के निजी सचिव)
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक

वित्त एवं निवेश विभाग

एस.एन. जयसिंहन
आर. कुमार
आर. उमा महेश्वरी
हर्षिता महेश्वरी
रवीन्द्र दास
राकेश सरोदय

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक
सहायक

स्वास्थ्य विभाग

जे. मीना कुमारी
के जी पी एल रमादेवी
एन एम बेहरा
निमिषा श्रीवास्तव
जमुना चौधरी
मुर्ति लक्ष्मी नरसिम्हा दासरी

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक

बीमा सूचना विभाग

एम एस जयाकुमार
एम. मधुसुदन
स्वाती बजाज
मुकेश केवलरमणी
के एल एन राघव कुमार

उप निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक

सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग

ए आर नित्यानंदम
दीपक खन्ना
दीपक गायकवाड
संजय कुमार वर्मा
नरेन्द्र सिंह

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
सहायक

निरीक्षण विभाग

एम. पुल्ला राव
टी एस नायक
जी आर सुर्य कुमार

वरिष्ठ संयुक्त निदेशक
संयुक्त निदेशक
उप निदेशक

सुरेश नायर
नन्दन कुमार
आर. पार्दा सारधी
भास्कर पी कडकभावी
आशीष कुमार भारती
अनिल कुमार थाटीपल्ली
जी शिवरामकृष्णा
निलेश गुप्ता
भास्कर थीतरामण
संतोष कुमार मिश्रा
पी. कान्तश्री

वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेश
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
कनिष्ठ अधिकारी (वरिष्ठ संयुक्त निदेशक निजी सचिव)

मध्यवर्ती विभाग

सुरेश माथुर
रमणा राव अदंकी
के. महीपाल रेड्डी
श्रदुल सुरेश अडमाने
मातंगी सरिता
डी. ज्ञाना प्रसुन्ना
नीतु शाहदादपुरी
राजेश्वर गांगुला
मनीष मिश्रा
वि.वि.एन किरण कुमार शर्मा

वरिष्ठ संयुक्त निदेशक
संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक - कार्पोट एजेन्ट
सहायक निदेशक - कार्पोट एजेन्ट
सहायक

कानून विभाग

मुकेश कुमार
पी. हीमाकिरण
एस. दक्षिनामुर्ति
अलीम आफ़ाक

सहायक निदेशक - आरटीआई
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक

पुस्तकालय

बी.एच. सुर्यनारायण शास्त्री

सहायक

जीवन विभाग

वी. जयंत कुमार
सुदीप्ता भट्टाचार्य
डीवीएस रमेश
एच बाबु योगीश
आर ललिता कुमारी
के. श्रीधर राव
वी चित्रा
बी अरुणा

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
कनिष्ठ अधिकारी

गैर जीवन विभाग

रणदीप सिंह जगपाल
सुधा रामानुजम
पंकज कुमार तीवारी
शिक्षा साहा
ज्योति भागत
सुनिता एन.वी.एस
के. श्रीधर
सी एच बी चन्द्रशेखर राव
विकास जैन
संजय मोहन शर्मा

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक

परमेश्वर एल. राव शीलके
श्रीहरी अल्लमशेट्टी
बी एस वेंकटेश
एम एल सौजन्या
ताटी किरण
आकाश डंगवार

सहायक निदेशक
सहायक निदेशक
कनिष्ठ अधिकारी
कनिष्ठ अधिकारी (सदस्य गैर जीवन बीमा के निजी सचिव)
सहायक
सहायक

राजभाषा विभाग

वि. जयंत कुमार

संयुक्त निदेशक

अनुसंधान एवं विकास विभाग

मुन्शी एम निजामुद्दीन
इश्तियाक आलम

सहायक निदेशक
सहायक

सतर्कता विभाग

मुकेश शर्मा

संयुक्त निदेशक

दिल्ली कार्यालय

राकेश के बजाज
अनिल कुमार अरोडा
मंजु अरोडा
हरि
शुशपाल
शशीपाल

संयुक्त निदेशक
उप निदेशक
वरिष्ठ सहायक निदेशक
कनिष्ठ अधिकारी
सहायक
रिकॉर्ड क्लार्क

प्रतिनियुक्त पर अधिकारी

एच आनंथकृष्णन
डॉ आर के सिन्हा
वी साई कुमार
एस वी हेगड़े
आर श्रीनिवासन
बी वी शास्त्री
राजेश
श्रीनिवास
वी सर्वोत्तमुडु
वी सत्य श्रीनिवास
विकास कुमार
देवेन्द्र कुमार
विकास एस. राने
टी रामबाबु
बी वी सूर्यनारायणा
वि के सिन्हा
चन्द्रशेखर बी
आशीष सोनी

ओएसडी-कानूनी
ओएसडी-आर.एन्डं.डी
ओएसडी-जीवन
ओएसडी-जीवन
ओएसडी-ग्राहक मामले
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-निरीक्षण
ओएसडी-आई आई बी
ओएसडी-आई आई बी
ओएसडी-आई आई बी
ओएसडी-मध्यवर्ती
ओएसडी-आरटीआई
ओएसडी-आई आई बी
पी.एस-सदस्य (जीवन)
ओएसडी

अनुबंध

यू जवाहरलाल

संपादक, आईआरडीए जर्नल

अरुण चटर्जी

आईआरडीए के अधिकारी अन्य संगठनों में प्रति नियुक्त
संयुक्त निदेशक

BLANK

परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनेक चुनौतियों के बावजूद 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की। संवृद्धि की दर 2009-10 में 8.0 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति का उच्च स्तर जो खाद्य और ईंधन की ऊँची कीमतों से प्रेरित था, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा था, 2009-10 के निम्न स्तरों से बढ़कर यह वर्ष 2010-11 की समाप्ति के दौरान द्विअंकीय संख्याओं में उत्कर्ष पर आ गया और वर्ष 2011-12 में निरंतर उच्च बना रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में सात बार वृद्धि (प्रत्येक 25 आधार अंक की) करते हुए अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाया। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार निवेश की गतिविधियों के निम्न स्तरों ने विशेष रूप से वर्ष 2010-11 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला। अमेरिका, जापान और यूरोप में विद्यमान मंदी के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता लगातार एक चिंता बनी रही।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2010-11 में देखा गया अच्छा समुत्थान अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण है। कृषि क्षेत्र, जो पिछले दो वर्षों में गिरावट की स्थिति में रहा, उसमें 2010-11 में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई, जो बड़ी सीमा तक अच्छे मानसून के कारण था। उक्त वर्ष ने एक ही समय एक सामान्य और सुवितरित दक्षिण-पश्चिम मानसून एवं साथ ही एक अतिरिक्त उत्तर-पूर्व मानसून को भी देखा जो पिछले दशक के दौरान नहीं देखा गया था। इसके कारण कृषि क्षेत्र में संवृद्धि दर में 6.6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। तथापि, औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना के उद्योगों में मंदी के कारण पिछले वर्ष के अपने 8.3 प्रतिशत से नीचे गिरकर 2010-11 में 7.8 प्रतिशत रही।

3. घरेलू बचत की वृद्धि 2010-11 में लगातार अवरुद्ध रही। घर-परिवारों की कुल वित्तीय बचत में जीवन बीमा निधियों का अंश 2010-11 में निरंतर बढ़ता रहा। इसका अंश 2009-10 के 22.6 प्रतिशत और 2008-09 के 21.0 प्रतिशत से बढ़कर 24.2 प्रतिशत हो गया। भविष्य और पेंशन निधियों का अंश 2009-10 के अपने 11.5 प्रतिशत के स्तर से घटकर वर्ष 2010-11 में 9.1 प्रतिशत हुआ। जमाराशियों का अंश 47.3 प्रतिशत था जो अधिकांशतः उसी स्तर पर (2009-10 में 47.2 प्रतिशत) रहा।

वैश्विक आर्थिक परिवेश:

4. वैश्विक वित्तीय प्रणाली, जिसने कैलेंडर वर्ष 2008 में एक उल्लेखनीय संकट का साक्षात्कार किया, वर्ष 2010 में समुत्थान के पथ पर निरंतर अग्रसर रही जब विश्व के संबंधित भागों में उच्च मुद्रास्फीति, निम्न संवृद्धि, बेरोजगार आदि के रूप में कई अन्य अनिश्चितताएँ और चिंताएँ विद्यमान रही। ऐसा लगा कि समग्र संवृद्धि और समुत्थान अर्थव्यवस्थाओं के बीच अधिकांशतः असमान थे। मोटे तौर पर यह आभास हुआ कि संवृद्धि विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निम्न रही। विकसित बाजारों की तुलना में उभरते हुए बाजार कमोबेश वित्तीय संकटों के प्रति आघात

सहने की स्थिति में लगातार बने रहे। इसके कारण उभरते देशों में उनकी दृढ़तर प्रारंभिक राजकोषीय और वित्तीय स्थितियों के होते हुए अपेक्षाकृत अधिक यथेष्ट संवृद्धि की संभावनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने निर्यातों और मजबूत घरेलू माँग में अच्छे समुत्थान का भी साक्षात्कार किया।

5. वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2010 में 5.1 प्रतिशत की जीडीपी संवृद्धि दर पर बढ़ी। एक ओर जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ 2010 में 3.1 प्रतिशत पर बढ़ी, वहीं दूसरी ओर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि 7.3 प्रतिशत पर रही। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की वैश्विक आर्थिक संभावना (डब्ल्यूईओ) रिपोर्ट-सितंबर 2011 के अनुसार यह प्रत्याशित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2011 में 4 प्रतिशत पर वृद्धि होगी। उक्त रिपोर्ट के पूर्वानुमानों से अमेरिका में संवृद्धि दर में 2011 में 1.5 प्रतिशत (2010 से 3 प्रतिशत) पर तीव्र गिरावट प्रकट होती है। इसके अलावा, यह अनुमान है कि भूकंप और सुनामी के उत्तरवर्ती प्रभावों के कारण जापान 2011 में ऋणात्मक संवृद्धि (-0.5 प्रतिशत) देखेगा, जो 2010 में 4.0 प्रतिशत पर बढ़ी थी। यूरो क्षेत्र में अधिक असुरक्षित प्रभुसत्ताओं और बैंकों में निरंतर दबाव के लिए उल्लेखनीय आशंकाएँ प्रस्तुत करते हैं जो इस क्षेत्र में कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार बनी हुई दुर्बलता के कारण है।

6. अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने मजबूत सक्रियता और बेरोजगारी के अपेक्षाकृत रूप से निम्न स्तर की पृष्ठभूमि में 2010 के उत्तरार्ध/2011 के प्रारंभ में उच्च मुद्रास्फीतिकारी दबाव का साक्षात्कार किया। तथापि, कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत दिखाना प्रारंभ किया है। इन देशों में संवृद्धि के संबंध में गिरावट देखे जाने की संभावना है (जो 2011 में 6.4 प्रतिशत पर होने का अनुमान है)।

बीमा बाजार:

7. रीड्थ्यूरेंस मेजर स्विस रे द्वारा प्रकाशित विश्व बीमा रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2010 के लिए वैश्विक बीमा प्रीमियम 4,339 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो पिछले कैलेंडर वर्ष 2009 के दौरान सूचित किये गये 4,109 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.7 प्रतिशत अधिक है (मुद्रास्फीति समायोजित)। कुल प्रीमियम संग्रहण में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 58 प्रतिशत था। एक ओर जहाँ जीवन बीमा व्यवसाय ने प्रीमियम के रूप में 2,520 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रहण किया, वहीं दूसरी ओर गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का संगृहीत प्रीमियम 1,818 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2009 के दौरान वैश्विक जीवन बीमा व्यवसाय में प्रीमियम 3.2 प्रतिशत बढ़ा जो उभरते बाजारों में जीवन बीमा प्रीमियम संग्रहण में द्वि-अंकीय वृद्धि के कारण था।

8. उक्त रिपोर्ट 2011 के अनुसार, प्रचलित समष्टि-आर्थिक स्थितियों के कारण बीमा उद्योग के संबंध में उल्लेखनीय रूप में निम्नतर वृद्धि हो सकती है। कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शोधक्षमता II के प्रवर्तन और उच्चतर मुद्रास्फीति का भी प्रभाव बीमा कंपनियों की लाभप्रदता पर पड़ सकता है।

भारतीय बीमा क्षेत्र:

9. बीमा कंपनियों की संख्या 2010-11 के अंत में 48 रही, जिसमें 23 जीवन बीमाकर्ता, 24 गैर-जीवन बीमाकर्ता और एक पुनर्बीमाकर्ता शामिल है। एक नये बीमाकर्ता अर्थात् एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को वर्ष 2011-12 में पंजीकरण प्रदान किया गया जिससे सितंबर 2011 के अंत में बीमा कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई।

10. प्रथम वर्ष का प्रीमियम जो 2010-11 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा रक्षित, हामीदारी प्रदत्त नये व्यवसाय का एक उपाय है, 2009-10 के 1,09,894 करोड़ रुपये की तुलना में, 1,26,381 करोड़ रुपये रहा जिसने 2009-10 के 25.84 प्रतिशत के मुकाबले 15.00 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2010-11 के दौरान सहबद्ध और असहबद्ध व्यवसाय के तौर पर, कुल प्रीमियम के 37.38 प्रतिशत की हामीदारी सहबद्ध खंड में दी गई जबकि व्यवसाय के 62.62 प्रतिशत की हामीदारी असहबद्ध खंड में दी गई (2009-10 में यह क्रमशः 43.52 और 56.48 प्रतिशत था)। वर्ष 2010-11 में जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा हामीदारी प्रदत्त कुल प्रीमियम 2009-10 में दर्ज 2,65,447 करोड़ रुपये की तुलना में 2,91,605 करोड़ रुपये था जो 9.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (यह 2009-10 में 19.69 प्रतिशत था)।

11. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने 2009-10 के 34,620 करोड़ रुपये की तुलना में 2010-11 में 42,576 करोड़ रुपये के प्रीमियम की हामीदारी दी जिससे पिछले वर्ष के 14.06 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 22.98 प्रतिशत की उल्लेखनीय रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। व्यवसाय की गैर-जीवन व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य खंड ने कुल गैर-जीवन प्रीमियम में अपने अंश के तौर पर निरंतर वृद्धि को जारी रखा। स्वास्थ्य खंड का अंश और आगे बढ़कर 2010-11 में 23.25 प्रतिशत हो गया (यह 2009-10 में 21.12 प्रतिशत और 2008-09 में 20.06 प्रतिशत था)।

व्यापन और सघनता:

12. बीमा क्षेत्र की क्षमता और कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सर्वत्र दो मापदंडों, अर्थात् बीमा व्यापन और बीमा सघनता के संदर्भ में किया जाता है। बीमा व्यापन की परिभाषा सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में एक विशिष्ट वर्ष में हामीदारी दिये गये प्रीमियम के अनुपात के रूप में दी गई है। बीमा सघनता कुल जनसंख्या की तुलना में एक विशिष्ट वर्ष में हामीदारी दिये गये प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित की गई है (तुलना की सुविधा के लिए इसका मापन अमेरिकी डॉलर में किया जाता है)। बीमा व्यापन वर्ष 2000 में 2.32 प्रतिशत (जीवन: 1.77 प्रतिशत और गैर-जीवन: 0.55 प्रतिशत) था जब यह क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। यह बढ़ते हुए 2010 में 5.10 प्रतिशत हो गया था (जीवन: 4.40 प्रतिशत और गैर-जीवन: 0.70 प्रतिशत)। बीमा सघनता 2000 में दर्ज 9.9 अमेरिकी डॉलर (जीवन: 7.6 अमेरिकी डॉलर और गैर-जीवन: 2.3 अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2010 में 64.4 अमेरिकी डॉलर हो गई (जीवन: 55.7 अमेरिकी डॉलर और गैर-जीवन: 8.7 अमेरिकी डॉलर)।

सूक्ष्म बीमा:

13. देश में बीमा रक्षा में संतुलित और त्वरित विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास के तौर पर प्राधिकरण ने एक विनियामक रूपरेखा (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व, 2002) बनाई थी। ये विनियम क्रमशः जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में ग्रामीण जनता को पालिसियों के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत को बेचने तथा हामीदारी दिये गये कुल प्रीमियम के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत को हामीदारी देने के लिए एवं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों अथवा कुल पारंपरिक काम-धंधों का अनुसरण करने वाले लोगों के जीवन/उनकी परिसंपत्तियों की एक विनिर्दिष्ट संख्या को रक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ताओं पर दायित्व लागू करते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनों के लिए मौजूदा बीमा योजनाओं की जाँच-पड़ताल हेतु 2003 में एक परामर्शक दल का गठन किया; तथा उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण ने आईआरडीए विनियामावली, 2005 जारी की। इन विनियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप अभिनिर्धारित समूहों की आवश्यकताएँ पूरी करने वाले उत्पादों के अभिकल्पन में क्रमिक वृद्धि रही है। उक्त विनियमों में प्रदत्त लचीलेपन द्वारा संमिश्र रक्षा तथा पेकेज उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए बीमाकर्ताओं को अनुमति दी गई है। अब बीमा कंपनियाँ पहले से अनुमोदित सामान्य उत्पादों को भी प्राधिकरण के अनुमोदन से सूक्ष्म बीमा उत्पादों के रूप में प्रदान कर रही है, यदि बीमाकृत राशि और उत्पाद से संबंधित अन्य विशेषताएँ सूक्ष्म बीमा के लिए निर्धारित दायरे के भीतर है।

14. जीवन बीमा के मामले में इस खंड के अंतर्गत वैयक्तिक नया व्यावसायिक प्रीमियम 2010-11 में 36.51 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत 130 करोड़ रुपये रहा। सामूहिक व्यवसाय के लिए यह 1.52 करोड़ जीवनों के अंतर्गत 155 करोड़ रुपये का प्रीमियम था। जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने 29.51 लाख पालिसियों से वैयक्तिक प्रीमियम का 123 करोड़ रुपये तथा सामूहिक प्रीमियम का 138 करोड़ रुपये संगृहीत करने के द्वारा इस संविभाग में प्राप्त कारोबार के अधिकांश हिस्से का अंशदान किया। गैर-जीवन व्यवसाय के मामले में आबादी के निम्न आय वाले खंड को लक्षित करते हुए गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अनेक उत्पाद (उदा. जनता वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी, ग्रामीण वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी, मवेशी/पशुधन बीमा, आदि) प्रस्तावित किये गये।

अन्य पक्षा दायित्व के लिए प्रावधानीकरण:

15. आईआरडीए विनियामावली के असुनार परिकल्पित की जाने वाली आरक्षित निधियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय मोटर अन्य पक्ष बीमा समूह (आइएमटीपीआईपी) का बीमांकिक मूल्यांकन किया। उक्त बीमांकिक रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि अंतिम हानि अनुपात वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमशः 172.3 प्रतिशत, 181.81 प्रतिशत और 194.15 प्रतिशत है। इस आकलन के अनुसार उक्त समूह ने इन सभी वर्षों के लिए 126 प्रतिशत पर आरक्षित निधियों को बनाये रखा जिसे अपर्याप्त माना गया। अतः प्राधिकरण ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अंतर्गत उन सभी वर्षों के लिए

जिनमें समूह हामीदारी दे रहा था, 153 प्रतिशत से अनधिक अंति हानि अनुपात पर मूल्यांकित की जा रही आइएमटीपीआइपी हानियों के लिए 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं हेतु 130 प्रतिशत से अनधिक शोचक्षमता अनुपात बनाये रखने के लिए गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को निदेश जारी किये। उसने ऐसे किसी भी वर्ष के लिए जिसमें शोचक्षमता अनुपात 150 प्रतिशत से कम सूचित किया गया हो, प्राधिकरण के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के बिना शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा न करने के लिए बीमाकर्ताओं को निदेश दिया। उसने कंपनियों को यह भी निदेश दिया कि वे मार्च 2014 तक उपर्युक्त 3-वर्षीय अवधि के लिए कमी से सुधार लाने के लिए एक कार्य योजना निर्दिष्ट करते हुए दो माह की अवधि के अंदर प्राधिकरण को निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करें।

मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों में संशोधन:

16. पिछले 3 वर्षों में इस खंड में भारी परिचालन हानियों के कारण सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने साधारण बीमा परिषद के माध्यम से मोटर अन्य पक्ष बीमा सुरक्षा हेतु प्रीमियम दरों के ऊर्ध्वमुखी संशोधन के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया। सभी हितधारकों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने 15 अप्रैल 2011 की एक अधिसूचना के द्वारा मोटर अन्य पक्ष बीमा रक्षा के लिए संशोधित प्रीमियम दरों को अधिसूचित किया। संशोधित दरें 25 अप्रैल 2011 से प्रचलित हुईं। यद्यपि उक्त कंपनियों ने वाहनों के सभी खंडों में प्रीमियम दरों में 85 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुरोध किया, तथापि विभिन्न हितधारकों की चिंताओं/अनुरोधों/सुझावों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने उक्त प्रीमियम दरों में दुपहियों और निजी कारों के संबंध में केवल 10 प्रतिशत तक; तथा वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में 68.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने एक वार्षिक आधार पर प्रीमियम दरों के संशोधन के लिए एक फार्मूला भी अधिसूचित किया जिसे उसने लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, औसत दावा राशियों, बारंबारता एवं मोटर टीपी कारोबार संबंधी शोधन से संबद्ध व्ययों के साथ संबद्ध कर दिया।

व्यापार ऋण बीमा:

17. प्राधिकरण ने 2010-11 के दौरान व्यापार ऋण बीमा संबंधी दिशानिर्देश जारी किये जिससे सुदृढ़ बीमा सिद्धांतों पर इस क्षेत्र की क्रमबद्ध वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इस निदेशानिर्देशों में शामिल है व्यापार ऋण बीमा के साथ संबद्ध विभिन्न शब्दों की परिभाषा तथा व्यापार ऋण बीमा नीति के अंतर्गत रक्षा की व्यप्ति। ये दिशानिर्देश एक व्यापार ऋण बीमा उत्पाद की मूलभूत अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें यह सम्मिलित है कि पालिसीधारक को आवश्यक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता होना चाहिए; तथा रक्षा (कवर) के अंतर्गत व्यापार की प्राप्य राशियों के प्राप्त न होने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए।

18. ये दिशानिर्देश बीमाकर्ता के परिप्रेक्ष्य और पालिसीधारक के परिप्रेक्ष्य से व्यापार ऋण बीमा संबंधी शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें यह शामिल है कि यह पालिसी बैंकों/वित्तदाताओं/उधारदाताओं को अथवा जहाँ वे दावे के हिताधिकारी हैं अथवा जहाँ दावे की आगम राशि उन्हें समनुदेशित की गई है वहाँ जारी नहीं की जा सकती। एक व्यापार ऋण बीमा पालिसी किसी विक्रेता को कुल बिक्री के आधार पर बेची जा

सकती है। प्रत्येक खरीदार के लिए बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित ऋण-पूर्व सीमाएँ होंगी तथा पालिसी के अंतर्गत एक समग्र सीमा भी होगी। बीमाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह पालिसीधारक की ऋण-पात्रता का निर्धारण करने के लिए एक ऋण प्रबंध एजेंसी नियुक्त करे जिसका पालिसीधारक के साथ हितों का कोई संघर्ष नहीं होगा। कोई भी कल विशिष्ट व्यापार ऋण बीमा पालिसी किसी संभावित ग्राहक को बेची नहीं जा सकती। व्यापार ऋण बीमा ऐसी क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा जो खरीदार के व्यापार की प्राप्य राशियों के 80 प्रतिशत अथवा पिछले वर्ष के लिए विक्रेता द्वारा किये गये व्यय के 90 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक हो।

19. ऋण बीमा की हामीदारी देने के लिए किसी बीमा कंपनी के लिए विद्यमान पूर्वापेक्षाओं में परिभाषित आंतरिक हामीदारी, जोखिम प्रबंध तथा व्यवसाय की इस श्रेणी की हामीदारी देने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दावा निपटान संबंधी दिशानिर्देश शामिल है। उक्त विनियामक दिशानिर्देश बीमांकिक आधार पर प्रीमियम, दावों, आईबीएनआर और आइबीएनईआर आरक्षित निधियों के निर्माण को भी विनिर्दिष्ट करते हैं। ये दिशानिर्देश यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि व्यापार ऋण बीमा संबंधी कार्य को निपटाने के लिए बीमाकर्ता के पास अर्हताप्राप्त, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। प्राधिकरण ने व्यवसाय की इस व्यवस्था के निष्पादन की निगरानी करने के लिए अतिरिक्त रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ भी विनिर्दिष्ट की हैं।

गैर-जीवन बीमा कंपनियों का समामेलन:

20. बीमा अधिनियम, 1938 में जीवन बीमा कंपनियों के समामेलन के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। इस स्थिति के होते हुए कि गैर-जीवन बीमा कंपनियों के मामले में इसी तरह का प्रावधान उपलब्ध नहीं है, गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में सांविधिक/विनियामक अंतर का समाधान करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक, 2008 में इस असंगति को सुधारने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त संशोधन होने तक प्राधिकरण ने इस संबंध में आवश्यक विनियमों की अधिसूचना के द्वारा गैर-जीवन बीमा कंपनियों के समामेलन के लिए रूपरेखा निर्धारित की है। उक्त विनियामक रूपरेखा निर्धारित करते समय आइआरडीए ने पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता से मार्गदर्शन प्राप्त किया है।

जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम:

21. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए में विनिर्दिष्ट मामलों में परिचालन के प्रारंभ से दस वर्ष के बाद भारतीय प्रवर्तकों द्वारा अतिरिक्त शेयरधारिता को घटाने (डाइवैस्टमेंट) के तरीके की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त धारा में आगे यह भी व्यवस्था है कि इस प्रकार घटने (डाइवैस्टमेंट) के तरीके और उसकी कार्यविधि को प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों से विनिर्दिष्ट किया जाएगा। कटौती (डाइवैस्टमेंट) की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने और इस प्रकार की कटौती (डाइवैस्टमेंट) के तरीके और कार्यविधि को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी के निर्गम के संबंध में विनियम प्रकाशित कर रहा है। ये विनियम जीवन बीमा कंपनियों द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त हित को घटाने (डाइवैस्टमेंट) के लिए तरीके और कार्यविधि एवं सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से निधियाँ जुटाने के लिए आवेदक कंपनियों

की पात्रता हेतुरूपरेखा निर्धारित करते हैं। ये विनियम जीवन बीमा कंपनियों के लिए विशिष्ट प्रकटीकरण भी निर्धारित करते हैं जो प्रस्ताव दस्तावेज का भाग बनेंगे।

22. ये विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ परामर्श की प्रक्रिया के आधार पर तैयार किये गये हैं। प्रकटीकरण और लेखांकन मानकों संबंधी सेबी समिति (स्कोडा) के उप-दल ने अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बीमा कंपनियों के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया था। उक्त उप-दल की रिपोर्ट को स्कोडा द्वारा और तत्पश्चात् सेबी के बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया। ये सिफारिशें अब प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के लिए आधार बनती हैं जो उक्त विनियमों में निर्धारित की गई हैं। प्राधिकरण फिलहाल जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी बाजारों से निधियाँ जुटाते समय पूँजी के निर्गम और विवरण-पत्र के दस्तावेज में प्रकटीकरणों के लिए विनियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।

आर्थिक पूँजी (ईसी):

23. आर्थिक पूँजी (ईसी) के निर्धारण के लिए रूप रेखा बीमा कंपनियों के समूचे जोखिम प्रबंध तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो बीमाकर्ताओं को बीमा कारोबार चलाने में वैयक्तिक बीमाकर्ताओं द्वारा सामना किये जा रहे प्रत्येक जोखिम के प्रति आबंटित की जाने वाली पूँजी की उपयुक्त राशि को निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाती है। आर्थिक पूँजी (ईसी) अलग-अलग कंपनी की विशिष्ट जोखिम पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करती है; तथा सामान्य तौर पर प्रत्येक जोखिम के प्रति आबंटित की जानेवाली इष्टतम पूँजी का परिमाण-निर्धारण कंपनी-विशिष्ट आंतरिक मॉडलों पर निर्भर है।

24. बीमा क्षेत्र में 'आर्थिक पूँजी' के निर्धारण के महत्व और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आईआरडीए ने दोनों, जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों, के लिए यह अनिवार्य कर दिया है, कि वे वार्षिक तौर पर आर्थिक पूँजी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संगणन जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा, परिचालन, बाजार, चलनिधि और ऋण जोखिमों; एवं गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए हामीदारी, बाजार, व्यय, परिचालन और चलनिधि जोखिमों के रूप में श्रेणीबद्ध जोखिमों के साथ 99.50 प्रतिशत के जोखिम-मूल्य (वीएआर) पर अशांकित एक वर्ष समय-सीमा पर आधारित है। बीमाकर्ताओं को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे विविधीकरण लागू करने की सीमा तक कुल आर्थिक पूँजी आवश्यकता को कम करें जिसके संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए आर्थिक पूँजी के 30 प्रतिशत की उच्चतम सीमा रखी गई है। प्राधिकरण के इस कदम को वर्तमान नियम उपादान आधारित फार्मूला दृष्टिकोण से जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता के प्रति सभी बीमाकर्ताओं को सुग्राही बनाने का पहला कदम माना जा सकता है।

गैर-जीवन कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट:

25. गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे निर्धारित फार्मेट में उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2011 से प्रभावी रूप में वार्षिक तौर पर वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर)

प्रस्तुत करें। उक्त वित्तीय स्थिति रिपोर्ट का उद्देश्य मूल्यांकन की तारीख को व्यवसाय के वर्तमान खंड के विश्लेषण को सुसाध्य बनाना है जिससे उन चुनौतियों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जा सके जिनका सामना बीमाकर्ता अपनी शोधक्षमता की आवश्यकताएँ पूरी करने, अपनी लाभप्रदता और अन्य जोखिमों अर्थात् रूग्णता, चलनिधि, ऋण और व्यय, निवेश प्रतिलाभ, आस्ति-देयता असंतुलन, आदि के रूप में करते हैं। यह अनुभव अगले एक वर्ष के लिए इन मानदंडों पर बीमाकर्ता की स्थिति को भी निर्दिष्ट करेगा। इस पहल के साथ प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों से आगे इस प्रकार की रिपोर्टिंग के दायरे में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को भी लाने के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट की प्रस्तुति के संबंध में अपने अधिदेश का विस्तार किया है।

आईएफआरएस के कार्यान्वयन संबंधी पहल:

26. कंपनी कार्य मंत्रालय ने आईएफआरएस के प्रति भारतीय लेखांकन मानकों के अभिसरण के लिए अपनीरूपरेखा में यह विनिर्दिष्ट किया है कि सभी बीमा कंपनियाँ उक्त मानकों का अनुपालन करते हुए 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार अपने प्रारंभिक तुलन-पत्र को रूपांतरित करेंगी। कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा यह प्रितिबद्धता उपयुक्त तारीख तक आईएफ आरएस के प्रति अभिसरण के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गये वायदे के आधार पर व्यक्त की गई थी। तथापि, प्राधिकरण की यह सिफारिश इस आधार पर थी कि अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा विशेष रूप से बीमा संविदाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यांकन (आईएफआरएस-9) के संबंध में जारी किये गये विभिन्न मानकों को आईएएसबी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उन्हें 2012-13 के प्रारंभ से काफी पहले ही प्रचलित किया जाएगा।

27. प्राधिकरण की यह धारणा है कि अल्प और दीर्घ अवधि में इस प्रकार के विभिन्न मुद्दों के आशय की उपयुक्त समझ के अभाव में आईएफआरएस मानकों के प्रति अंतरण करना अधिक जल्दबाजी होगा जिसके लिए वायदा पूर्व में आईआरडीए द्वारा किया गया था। बीमा संविदाओं के संबंध में एक्सपोजर के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए जून 2011 की समय-सीमा का पालन करना आईएएसबी के लिए संभव नहीं हुआ था। इसके अलावा, आईएएसबी बीमा संविदाओं के संबंध में एक सीमित संशोधित एक्सपोजर का प्रारूप प्रस्तुत करने जा रहा है। अंततः उसे अंतिम रूप देने के बाद भी आईएएसबी उसके कार्यान्वयन के लिए 18 महीने की समयावधि की व्यवस्था करने वाला है। इसका अर्थ यह है कि बीमा संविदा के संबंध में मान का कार्यान्वयन हेतु सितंबर 2013 तक तैयार रहेगा।

28. उपयुक्त परिस्थितियों में प्राधिकरण ने कंपनी कार्य मंत्रालय को लिखा है कि वे आईएफआरएस मानक का अनुपालन बीमा क्षेत्र के लिए करने के लिए नियत 2012 की तारीख की समीक्षा करें तथा इसे तब तक स्थगित करें जब तक आईएएसबी बीमा संविदाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में संशोधित मानक प्रस्तुत नहीं करता।

डाटा वेयरहाउस:

29. बीमा कंपनियों के प्रभावी कार्यसंचालन के लिए और साथ ही पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए लेनदेन संबंधी विश्वसनीय, सामयिक और सही डाटा संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसारण आवश्यक है, बीमा सूचना केंद्र (आइआइबी), जो आइआरडीए द्वारा गठित एक परामर्शदात्री निकाय है, बीमाकर्ताओं से लेनदेन स्तर के आंकड़ों का संग्रहण करता है। आइआइबी सूमचे उद्योग के आंकड़ों के लिए अधिकारिक संदर्भ के एकल स्थान के रूप में कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि तत्काल निर्णय लेने के लिए बाजार के विभिन्न खिलाड़ियों, अनुसंधानकर्ताओं, पालिसीधारकों और आम जनता को आंकड़े उपलब्ध हो। आइआइबी मोटर, स्वास्थ्य और व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

30. वित्तीय वर्ष 2010-11 से आइआइबी ने सभी बीमाकर्ताओं से लेनदेन संबंधी आंकड़े (मोटर, स्वास्थ्य, अग्नि, समुद्री और इंजीनियरिंग) ऑनलाइन माड से संगृहीत करना प्रारंभ किया है। ऑनलाइन आंकड़ों का संग्रहण मासिक आधार पर वेबासाइट: www.iib.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। बीमाकर्ता अपनी कंपनी और उद्योग से संबंधित समग्र रिपोर्टों का अवलोकन आंकड़ों की प्रस्तुति के स्तर तक कर सकते हैं। बीमाकर्ता किसी वाहन की दावा पूर्ववृत्त रिपोर्ट भी रजिस्ट्रेशन संख्या/चैसिस संख्या/इंजन संख्या के आधार पर निर्मित कर सकते हैं जो किसी मोटर वाहन की हामीदारी सावधानी से देने में उनकी सहायता करती है।

31. हाल ही में आइआइबी ने चोरी के वाहनों की पुनः प्राप्ति सूचना प्रणाली (एसवीआरआइएस) नाम की एक कॉल सेंटर सुविधा स्थापित की है जिससे चुराये गये और बाद में पुनः प्राप्त किये गये वाहनों के बीमाकर्ता की पहचान करने में पुलिस की सहायता की जा सके। एसवीआरआइएस में कोई भी पुलिस स्टेशन जिसने किसी चोरी के वाहन को प्राप्त किया है और उक्त वाहन के बीमाकर्ता का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, टोल फ्री नंबर 1800 425 4734 (संक्षिप्त कोड 155266) के माध्यम से आइआइबी से संपर्क कर सकता है। आइआइबी अपने डाटाबेस में वाहन के बीमाकर्ता का पता लगाने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी से रजिस्ट्रेशन संख्या, इंजन संख्या, चैसिस संख्या आदि जैसी मूलभूत सूचना प्राप्त करेगा। पुलिस स्टेशन भी पुनः प्राप्त वाहन का ब्योरा ई-मेल vehiclesrecovered@iib.gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं। प्राप्ति-सूचना रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आइडी को भेजी जाएगी। आइआइबी के डाटाबेस में वाहन के विवरण की खोज की जाएगी। और यदि पाया जाता है तो वाहन की पुनः प्राप्ति और उस पुलिस स्टेशन का ब्योरा जहाँ वाहन मौजूद है, की सूचना देते हुए बीमाकर्ता को ई-मेल भेजा जाएगा। इससे बीमाकर्ता अगली कार्रवाई के लिए उक्त पुलिस स्टेशन से संपर्क करने में समर्थ होगा।

संप्रेषण-डाटाबेस का आदान-प्रदान:

32. विभिन्न संस्थाओं के साथ बीमा कंपनियों द्वारा की गई संप्रेषण की व्यवस्थाओं की प्रक्रियों को सरल और कारगर बनाने के लिए बीमा

उत्पाद विनियामावली 2010 के वितरण हेतु डाटाबेस के आदान-प्रदान को प्राधिकरण द्वारा 1 जुलाई, 2010 को अधिसूचित किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत कंपनियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक जो कारपोरेट एजेंसी ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं है, अब संप्रेषण (रिफरल) कंपनी के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र है। एक संप्रेषण कंपनी के अनुमोदन की माँग करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संप्रेषण कंपनियों को केवल उनके ग्राहकों की पूर्व सहमति के साथ ही उनके डाटाबेस का आदान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

33. प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को सभी मौजूदा संप्रेषण व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए भी सूचित किया है जो आइआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण विनियमावली, 2000) के विनियम 2(सी) के उपबंधों एवं विनियम 10(1)(4) के दूसरे परंतुक के आधार पर की गई है जिन्हे छोड़ दिया गया है। बीमा कंपनियों को आगे यह भी सूचित किया गया है कि वे उन सभी वर्तमान संप्रेषण (रिफरल) व्यवस्थाएँ समाप्त करें जो बीमा उत्पाद वितरण के लिए डाटाबेस आदान-प्रदान विनियमावली, 2010 के अनुरूप नहीं थी।

शिकायत निवारण:

34. आइआरडीए का उपभोक्ता कार्य विभाग बीमा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने के अतिरिक्त पालिसीधारकों की शिकायतों संबंधी कार्य को सँभालता है। यह कक्षा जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के विरुद्ध पालिसीधारकों से प्राप्त शिकायतों की जाँच-पड़ताल करता है। संभावित ग्राहकों और पालिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी शिकायतें पहले संबंधित बीमा कंपनियों के पास दायर करें। शिकायतों के संबंध में कंपनी के साथ संपर्क करने के द्वारा शिकायत कक्ष उन शिकायतों के निवारण को सुसाध्य बनाता है। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आइआरडीए द्वारा अन्वेषण और जाँच-पड़ताल का संचालन किया जाता है। उक्त आइजीसीसी एक टोल फ्री संख्या के माध्यम से शिकायतें प्राप्त कर उनका पंजीयन करता है। शिकायतकर्ता भी आइजीसीसी के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों से की गई इस अपेक्षा ने कि उनके पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण की नीतियाँ होनी चाहिए; शिकायत निवारण के लिए विशेष रूप से पहले लिये गये निर्णयों को बदलने (टर्नआरउंड) अवसरों के रूप में आइआरडीए के दिशानिर्देशों में संबंधित अनुपालन की अपेक्षाओं; एवं कंपनी अभिशासन (कारपोरेट गवर्नेंस) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत एक अधिदेशात्मक समिति के रूप में पालिसीधारक रक्षा समिति के होने की अपेक्षा ने एक बड़ी सीमा तक बेहतर ढंग से पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की है। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी तथा प्रणालीगत और नीति से संबंधित मुद्दों को पहचानने के लिए शिकायतों के मूल कारण के विश्लेषण हेतु एक साधन के रूप में आइजीएमएस के प्रयोग ने पालिसीधारकों की चिंताओं की पहचान करने और सुधारक कार्रवाई प्रारंभ करने में प्राधिकरण की सहायता की है।

पालिसीधारक की सुरक्षा के प्रति पहले:

35. पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आइआरडीए ने अपेक पहले की है। दूरस्थ विपणन से संबंधित दिशानिर्देश आइआरडीए द्वारा जारी किये गये हैं जो दूरस्थ विपणन की विधि, प्रौद्योगिकी में उन्नति के एक परिणाम, का प्रयोग करते हुए गलत विक्रय करने संबंधी चुनौतियों का समाधान करते हैं। एक ओर जहाँ नई और तीव्रतर सरणियों के होने के लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा निर्मित किये गये बचाव के रास्तों को बंद कर देना जरूरी है और ठीक यही इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य है। आइआरडीए ने जीवन बीमा पालिसियों के सातत्य के लिए एजेंटों को दिशानिर्देश जारी किये हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंटों द्वारा पालिसियों के संबंध में सेवा बनी रहे; तथा यह पालिसीधारक की सहायता करने के दीर्घ कालिक लक्ष्य में युक्त हो, और मात्र बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित न हो।

36. पालिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए आइआरडीए ने पहल की है। पालिसीधारकों को यह प्रत्याश करने का अधिकार है कि बीमा कंपनियों अपने किये हुए वायदे निभाएँ। जब ऐसी कोई भूल-चूक होती है जो प्रत्याशित अथवा परिभाषित सेवा स्तरों के अनुरूप नहीं है, तब सेवा में कमी रह जाती है जो शिकायत के लिए गुंजाइश छोड़ती है। बीमा कंपनियों द्वारा प्रभावी शिकायत निवारण को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने समेकित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) प्रारंभ की है जो एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके द्वारा न केवल ऑनलाइन पंजीयन संभव है, शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और आवधिक रिपोर्ट निर्मित की जा सकती है, बल्कि यह सभी बीमा कंपनियों के बीच शिकायतों का एक केंद्रीय भंडार का निर्माण करती है। इससे आइआरडीए बाजार व्यवहार के मुद्दों की निगरानी करने एवं पालिसीधारकों की बेहतर रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में समर्थ हो जाता है। प्राधिकरण विभिन्न मीडिया के माध्यम से बीमा शिकायत निवारण प्रणालियों, पालिसीधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूकता निर्मित करने के लिए एक सतत अभियान चलाता रहा है।

दावा निपटान और धोखाधड़ी:

37. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करें कि दावों के अस्वीकरण की घटनाएँ बिलकुल न्यूनतम सीमा तक कम कर दी जाएँ। इसे संभव बनाने के लिए वे पार्टियों को पहले ही यह स्पष्ट करने के लिए उपाय करें कि सही तौर पर बीमा सुरक्षा और अपवर्जन क्या है। यदि कोई दावा तब भी अस्वीकृत किया जाना हो तो उन्हें वे परिस्थितियाँ पालिसीधारक को समानुभूति के साथ स्पष्ट कर देनी चाहिए जिनके अंतर्गत दावा पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकार करना होगा, ताकि किसी विवाद से बचा जा सके। इसके अलावा, उन्हें एसी प्रणालियाँ स्थापित कर देनी चाहिए जो संभावित ग्राहक को अर्थभेद स्पष्ट करने के बाद संविदाओं का निष्पादन सुनिश्चित करें। सिक्के का दूसरा पहलू अवश्य जानबूझकर की जानेवाली धोखाधड़ियों के विषय में सख्ती के साथ कार्रवाई करना है तथा संविदा की शर्तों में किसी भी तरह के मंदन को न होने देना स्वस्थ दावा अनुपातों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का दूसरा तरीका है। प्राधिकरण वर्तमान में बीमा संबंधी धोखाधड़ियों

की पहचान, वर्गीकरण, न्यूनीकरण और रिपोर्टिंग के लिए व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने में प्रयासरत है। यह रूपरेखा धोखाधड़ियों के संबंध में अपने डाटा और अनुभव का आदान-प्रदान करने में उद्योग के लिए संदर्भ स्थलों के रूप में प्रयुक्त होने के लिए डाटाबेसों के निर्माण हेतु जीवन और गैर-जीवन बीमा परिषदों को भी प्रोत्साहित करेगी। बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की धोखाधड़ी के प्रयासों को निकाल देने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था कायम की जाए ताकि दावा अनुपात अधिक स्वस्थ रूप में रहे।

जारी विज्ञापनों में पारदर्शिता:

38. जीवन बीमा विज्ञापनों की पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण ने 16 अगस्त, 2010 के अपने परिपत्र आइआरडीए/लाइफ/एमआइएससी/सीआइआर/129/08/2010 द्वारा सभी बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि सभी बीमा विज्ञापन स्पष्ट रूप से उत्पाद की पहचान एक बीमा उत्पाद के रूप में करें एवं जीवन बीमा सुरक्षा की उपलब्धता बताएँ। विज्ञापनों में जहाँ गारंटी के लाभ पर विशेष बल दिया गया हो, वहाँ बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे उन शर्तों को प्रकट करें जिनके अंतर्गत उक्त गारंटी परिचालित है। यूनिट-सहबद्ध बीमा योजनाओं के संबंध में बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कम से कम छमाही आधार पर अपने संबंधित वेब पोर्टलों पर विभिन्न अंतर्निहित निधियों की वास्तविक मिश्रित परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण करें ताकि संभावित ग्राहकों को स्पष्ट, वास्तविक और सामयिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

एजेंट का प्रशिक्षण/अर्हता:

39. जीवन बीमा व्यवसाय की भावी सफलता सबसे ज्यादा उन लोगों के ज्ञान और उनकी ईमानदारी पर निर्भर है जो ग्राहकों को सूचना देते हैं -तथा उनका पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपर्क - बिन्दु है। आइआरडीए के स्तर पर विनियामक का लक्ष्य यह देखना है कि जीवन बीमाकर्ता बाकी लोगों को आकर्षित करने, प्रेरित करने और प्रतिधारित रखने में अधिकाधिक समर्थ हो, वित्तीय सलाह के प्रति एक 'आवश्यकता-आधारित' दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हों।

40. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आइआरडीए ने मौजूदा जीवन बीमा एजेंट लाइसेंसिकरण अर्हता की एक गहन समीक्षा संचालित की। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बीमा संस्थान (आइआइआइ) द्वारा संचालित जीवन बीमा एजेंटों के लिए भर्ती-पूर्वी परीक्षा हेतु अर्हता मौजूदा आइसी-33 "प्रोक्टिस करने के लिए लाइसेंस" को बढ़ाने में चार्टर्ड इंश्योरेंस इन्स्टिट्यूट (सीआइआइ), लंदन की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए। सभी मुख्य हितधारकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकसाथ कार्य किया। संशोधित आइसी-33 पाठ्यक्रम आइआरडीए/आइआइआइ की वेबसाइट पर डाल दिया गया है जो निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। संशोधित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण 1 अक्टूबर, 2011 से प्रारंभ हो गया है।

41. यह नवीन पाठ्यक्रम और संशोधित अर्हता जिसका उपयोग अब एजेंट करेंगे, प्राधिकरण की कार्यनीति का एक अत्यावश्यक अंग है। आइआरडीए ने एक ऐसे पाठ्यक्रम को विकसित किया है जो अपनी

व्याप्ति और गहराई में चुनौतीपूर्ण है। यह न केवल एजेंटों को तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए मात्र प्रोत्साहित करता है, बल्कि उनके ज्ञान, समझ एवं व्यावहारिक वास्तविक जीवन की स्थितियों के व्यापक दायरे में उनका उपयोग करने की तथा उनकी कुशलता की भी परीक्षा लेता है।

प्रत्यक्ष निरीक्षणों का सुदृढीकरण:

42. वर्ष 2010-11 के दौरान नौ जीवन और दस गैर-जीवन बीमा कंपनियों का व्यापक तौर पर निरीक्षण किया गया (जबकि वर्ष 2009-10 में किसी का निरीक्षण नहीं किया गया था) और साथ ही 14 मध्यवर्तियों/दलालों/कारपोरेट एजेंटों और 5 टीपीए; एवं आरक्षित निधियों की पर्याप्तता, निवेश परिचालन, आदि जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्य निरीक्षण किये गये। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में वचन दिया गया था, संवर्धित पर्यवेक्षी संसाधनों के साथ निरीक्षण विभाग को मजबूत बनाया गया है जिससे पर्यवेक्षी प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है जिसका लक्ष्य उन सभी कंपनियों का निरीक्षण करना है जिसका निरीक्षण पूर्व में नहीं किया गया है और जिन्हें पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंध, अभिशासन (गवर्नेन्स) और प्रीमियम के आकार के मानदंडों के आधार पर कमजोर समझा गया है। प्राधिकरण के लिए अविलंब निकट भविष्य में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है, तथा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के माध्यम से जोखिम प्रबंध की प्रथाओं का निर्धारण इस दिशा में इस प्रकार का एक कदम होगा।

वित्तीय स्थिरता:

43. 2010-11 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुसार वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना दिसंबर 2010 में की गई। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रमुख और वित्त मंत्रालय के मुख्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह वित्तीय स्थिरता, अंतर-विनियामक समन्वय, वित्तीय क्षेत्र विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य करती है। इस परिषद की स्थापना से लेकर अब तक इसकी तीन बैठकें हुई हैं तथा इनमें विभिन्न संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, एफएसडीसी की एक उप समिति का भी गठन किया गया। इस उप समिति ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की वित्तीय बाजारों संबंधी वर्तमान उच्चस्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) का स्थान लिया है। इस उप समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर हैं। उक्त उप समिति के अधिदेश में शामिल हैं वित्तीय बाजारों की निगरानी करना और वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतों की पहचान करना; प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण के आकलन की समीक्षा करना और इसके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना; प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण के आकलन की समीक्षा करना और इसके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना; अंतर-विनियामक समन्वय के लिए एक मंच उपलब्ध कराना और विभिन्न विनियामकों के बीच सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाना; तथा प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय

समूहों की पहचान करना और उनसे संबंधित चिंताओं और मुद्दों का समाधान करना।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी):

44. वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है जो 1990 के बाद के दशक में मेक्सिको, रूस और पूर्वी एशिया में आए वित्तीय संकटों की पृष्ठभूमि में 1999 में प्रारंभ हुआ। सदस्य देशों द्वारा एफएसएपी में सहभागिता स्वैच्छिक है, तथा इसका लक्ष्य सदस्य देशों में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और आघात-सहनीयता का आकलन करना है। एफएसएपी के अनुष्ठान में तनाव परीक्षण और स्थिति का निर्धारण तथा निर्धारित क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों का कार्यन्वयन शामिल है।

45. बीमा क्षेत्र में एफएसएपी का अनुष्ठान अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आर्सएआइएस) द्वारा बीमा संबंधी मुख्य सिद्धांतों (आइसीपीएस) के आधार पर रसंचालित किया जाता है जो मुख्य अधिकार-क्षेत्रों के बीच बीमा क्षेत्र के विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख वैश्विक मानक हैं।

46. भारत को हाल ही में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा आगे और मूल्यांकन के लिए अधिकार-क्षेत्र के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। विशिष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया गया था कि भारत द्वारा आइएआइएस मुख्य सिद्धांतों के पालन के संबंध में एफएसबी के पास अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। एफएसबी द्वारा दिये गये श्रेणीकरण में सुधार लाने में समर्थ होने और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की वित्तीय क्षमता के दृष्टिकोण से एक सुधारित मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वयंपूर्ण एफएसएपी को अपनी सहमति प्रस्तुत करने की सूचना दी, जिसे आइएमएफ-विश्व बैंक द्वारा 2011 में कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। आइएमएफ-विश्व बैंक की एक टीम ने जनवरी 2011 में प्रारंभिक बैठक के लिए अपने आगमन और प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों और उद्योग के सहभागियों के साथ बैठकें की थीं। जून 2011 के दौरान बीमा क्षेत्र में आइएआइएस के विभिन्न मुख्य सिद्धांतों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद अक्तूबर 2011 में एक और दौर की बैठक हुई।

बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू):

47. वित्तीय बाजारों के अधिकाधिक एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय तौर पर सक्रिय बीमा कंपनियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही बीमा उद्योग के पर्यवेक्षकों के बीच परस्पर सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की आवश्यकता बढ़ गई है अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आइएआइएस) ने अपने सदस्यों के अधिकार-क्षेत्रों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2007 में दुबाई में आयोजित अपनी बैठक में उक्त बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) को अंगीकृत किया था।

48. सहयोग और सूचना के विनियम संबंधी इस ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारियों ने यह स्वीकार करते हुए इस ज्ञापन में सहमति अभिव्यक्त की है कि विभिन्न देशों के बीच सहयोग और सूचना के विनियम से संबंधित व्यावहारिक व्यवस्थाएँ न केवल संकट की स्थितियों में, बल्कि अधिकार-क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के दैनंदिन कारोबार में भी आवश्यक है, तथा सूचना का आदान-प्रदान करने और सहायता प्रदान करने की क्षमता के लिए गोपनीयता की सुरक्षा का एक उच्च मानक अपेक्षित है।

49. उक्त एमएमओयू का उद्देश्य बीमा कंपनियों के पर्यवेक्षण के संबंध में हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारियों के बीच सहयोग और सूचना के विनियम के लिए एक औपचारिक आधार स्थापित करना है जहाँ सीमा पार पहलू उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत लाइसेंसकरण, निरंतर पर्यवेक्षण और समापन की प्रक्रियाओं जैसे बीमा कंपनियों के पर्यवेक्षण से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल करते हुए पर्यवेक्षित बीमा कंपनियों के परिचालनों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध करना और उसे उपलब्ध कराना सम्मिलित है। उक्त एमएमओयू बीमा मध्यवर्तियों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण, और एमएल/सीएफटी मामलों पर भी लागू है। तथापि, उक्त एमएमओयू के प्रावधानों का उद्देश्य कोई कानूनी तौर पर बाध्यकारी दायित्व निर्मित करना अथवा किसी आधिकारिक कानून का संशोधन या अधिक्रमण करना नहीं है, और न ही ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

50. आइआरडीए ने हाल ही में यक्त एमएमओयू का एक हस्ताक्षरकर्ता बनने के लिए आइएआइएस के सचिवालय को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है जो मूल्यांकन के स्तर पर है। एक बार आइएआइएस द्वारा अनुमोदित होने पर आइआरडीए अन्य सदस्यों के अधिकार-क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना तक बृहत्तर पहुँच रखेगा।

एमएल/एफएटीएफ पर पहले:

51. भारत के संबंध में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) की 40+9 सिफारिशों के अनुपालनों का पूर्ण रूप से निर्धारण/मूल्यांकन करने के बाद जून 2010 प्लिनरी में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) में भारत को सदस्यता प्रदान की गई थी। एफएटीएफ में सदस्यता से संबंधित मुद्दों पर समन्वयकारी निकाय के रूप में गठित एमएमएल/सीएफटी (आइएमसीसी) संबंधी अंतर-मंत्रालयीन समन्वय समिति का आइआरडीए एक सक्रिय सदस्य था। बीमा क्षेत्र में उक्त एमएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में प्राधिकरण द्वारा की गई विभिन्न पहलों के भाग के रूप में एमएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के एकल स्थान पर संदर्भ के रूप में एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया। बीमा कंपनियों के स्टाफ के लिए जनसाधारण तक पहुँचने के (आऊटरीच) कार्यक्रम आयोजित किये गये। एमएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आइआरडीए मंत्रालय के विभिन्न विभागों/एजेंसियों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करता है। एफएटीएफ को वचन दिये गये आइआरडीए के अल्पावधि कार्यबिन्दुओं को पूरा किया गया है। आइआरडीए फिलहाल मध्यावधि कार्य-योजना पूरी करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

2011-12 की पहली तिमाही में कार्यनिष्पादन:

52. जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान ₹18,283 करोड़ के नये कारोबार को हामीदारी दी जबकि यह 2010-11 में तदनुसूची पहली तिमाही में 25,522 करोड़ रुपये था जिससे 28.36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होती है। हामीदारी दिये गये नये कारोबार प्रीमियम में से जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का योगदान 13,342 करोड़ रुपये (72.98 प्रतिशत बाजार अंश) रहा तथा निजी बीमाकर्ताओं का योगदान 4,941 करोड़ रुपये (27.02 प्रतिशत बाजार अंश) था। 2010-11 की तदनुसूची अवधि में इन बीमाकर्ताओं का बाजार अंश क्रमशः 73.43 प्रतिशत और 26.57 प्रतिशत था। जीवन बीमा उद्योग ने यूलिप्स में 2010-11 की पहली तिमाही के 13,916 करोड़ रुपये के मुकाबले 2011-12 की पहली तिमाही के लिए 4,897 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया जो 64.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है। उद्योग ने पारंपरिक व्यवसाय में जून 2010 को समाप्त तिमाही के लिए दर्ज 11,606 करोड़ रुपये की तुलना में जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए 13,386 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया जो 15.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

53. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 14,046 करोड़ रुपये के प्रीमियम को हामीदारी दी तथा इस प्रकार उन्होंने 2010-11 की इसी अवधि में हामीदारी दिये गये 11,480 करोड़ रुपये की तुलना में 22.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने अप्रैल-जून 2010 के 4,725 करोड़ रुपये के मुकाबले अप्रैल-जून 2011 में 6,020 करोड़ रुपये के प्रीमियम को हामीदारी दी जिससे 27.40 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने 8,026 करोड़ रुपये के प्रीमियम को हामीदार दी जो 18.82 प्रतिशत अधिक था (2010-11 की पहली तिमाही में 6,754 करोड़ रुपये था)। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित सरकारी और निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश तिमाही के अंत में क्रमशः 57.14 और 42.86 प्रतिशत रहा (जून 2010 के अंत में यह 58.81 और 41.19 था)।

54. एकल (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का योगदान 2011-12 में 496 करोड़ रुपये रहा (2010-11 में यह 364 करोड़ रुपये था) जो 36.26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करता है। विशेषीकृत कंपनियों ईसीजीसी और भारतीय एआइसी का अंशदान 2011-12 की पहली तिमाही में 376 करोड़ रुपये (2010-11 में 357 करोड़ रुपये) था जिसने 5.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

भाग-1

नितियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिदृश्य

I.1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2010-11 में आगे और सुधार दिखाया और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत दर्ज की जबकि 2009-10 में यह दर 8.0 प्रतिशत तथा 2008-09 में 6.8 प्रतिशत थी। 2008-09 की मंदी के बाद यह लगातार दूसरा वर्ष था जबकि अर्थव्यवस्था ने जीडीपी में वृद्धि दिखाई। वर्ष 2008-09 में गति मुख्यतः धीमी इसलिए रही थी क्योंकि समूचे विश्व में वित्तीय संकट छाया हुआ था। विश्व की अन्य नई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की गति जल्दी और काफी अच्छी रही। 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए सुधार की मुख्य वजय रही, कृषि क्षेत्र में वृद्धि। कृषि क्षेत्र पिछले दो वर्षों से काफी धीमा चल रहा था परंतु मुख्यतः अच्छे मानसून के कारण 2010-11 में इसमें काफी तेजी आई। इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून न केवल सामान्य रहा बल्कि इसका वितरण भी अच्छा रहा। उत्तर-पूर्वी मानसून की वर्षा तो सामान्य से भी अधिक रही जो कि गत दशक में नहीं देखी गई थी। तदनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, उछल कर 6.6 प्रतिशत हो गई जोकि गत दो वर्षों में नगण्य सी थी (2008-09 में, 0.1 प्रतिशत तथा 2009-10 में 0.4 प्रतिशत थी)।

I.1.2 महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों में मंदी के कारण, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर, गत वर्ष के 8.3 प्रतिशत से गिर कर 2010-11 में 7.8 प्रतिशत रह गई। कोयला उत्पादन में कमी आने और थर्मल बिजली का उत्पादन कम होने से, खनन और बिजली उद्योगों में गत वर्ष के स्तर के मुकाबले 2010-11 में गिरावट आई, जोकि चिंता का विषय बनी, क्योंकि निचले स्तर की माँग में काफी अधिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र भी 2010-11 में गिरावट का शिकार हुआ और 2009-10 के 9.7 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रह गई। ऐसा मुख्यतः सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में गिरावट आने के कारण हुआ। तथापि बाह्य माँग पर आधारित सेवाओं, जैसे-सैलानियों के आगमन, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर आए यात्री, निर्यात और आयात माल में, 2010-11 में बेहतर वृद्धि हुई।

I.1.3 2010-11 में घरेलू बचतें स्थिर बनी रही तथापि परिवारों की कुल वित्तीय बचतों में, जीवन बीमा निधियों का हिस्सा 2010-11 में काफी बढ़ा और बढ़कर 24.2 प्रतिशत हो गया जबकि 2009-10 में यह 22.6 प्रतिशत था और 2008-09 में 21.0 प्रतिशत था। तथापि, 2010-11 में भविष्य निधि और पेंशन निधि के हिस्से में गिरावट आई और यह 2009-10 के 11.5 प्रतिशत के स्तर से गिरकर वर्ष 2010-11 में 9.1 प्रतिशत रह गई।

I.1.4 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) में उतार चढ़ाव द्वारा मापी जाने वाली वर्ष दर-वर्ष आधार पर, मुद्रा स्फीति, गत वर्ष (10.2 प्रतिशत) के मुकाबले मार्च अंत 2011 को कम स्तर पर, अर्थात् 9 प्रतिशत थी। वर्ष 2010-11 में औसत मुद्रास्फीति दर 9.4 प्रतिशत रही। भारतीय वित्तीय बाजारों में समग्र अस्थिरता (वोलेटिलिटी) (रिज़र्व बैंक द्वारा 'गार्च मॉडल' द्वारा मापा) मई 2010 में उच्च अस्थिरता की एक छोटी सी अवधि को छोड़ कर, गतवर्ष के मुकाबले, समूचे वर्ष 2010-11 में काफी कम रही। मुद्रा बाजार दरें, वर्ष के शुरुआती, भाग (अप्रैल-जून 2010) में थोड़ी सी बढ़ी और वर्ष के बाद के हिस्से में और ज्यादा बढ़ी। अप्रैल-जून 2010 में 'औसत दैनिक माँग मुद्रा दरें' 32 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ी और वर्ष के बाद के महीनों में ये 3 प्रतिशत बिंदु बढ़ी। वर्ष के दौरान पूँजी बाजार कमोवेश सीमाबद्ध (रेंजबाउंड) ही रहा। शेयर बाजार सूचकांक वर्ष के दौरान बढ़ा, हालांकि 2010-11 के आखिरी महीनों में करेक्शन के कारण, इसमें थोड़ी गिरावट आई। बी एस सी सेन्सेक्स ने नवंबर 2010 में, 21,000 का स्तर छुआ था, मगर मार्च 2011 के अन्त में 19,445 के स्तर पर आ गया, जो कि गत वर्ष के अंत के मुकाबले 10.9 प्रतिशत अधिक था।

I.1.5 वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात बढ़ने से 2010-11 में भुगतान संतुलन में सुधार आया। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई और यह मार्च अंत 2010 के 279.06 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले, मार्च अंत 2011 में 304.82 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य

I.2.1 विश्व के प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता स्विस रे के द्वारा प्रकाशित विश्व बीमा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 के कैलेण्डर वर्ष के अनुसार विश्व बीमा प्रीमियम 4339 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो कि गत कैलेण्डर वर्ष 2009 में दर्ज 4109 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2.7 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) अधिक था।

I.2.2 कुल प्रीमियम वसूली में जीवन-बीमा-कारोबार का हिस्सा 58 प्रतिशत था। जहाँ जीवन बीमा कारोबार ने, प्रीमियम रूप में 2520 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार वसूला वहीं गैर-जीवन बीमा कारोबार के लिए यह राशि 1818 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। उभरते बाजार में जीवन बीमा प्रीमियम में 13 प्रतिशत वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप, वर्ष 2010 के दौरान, विश्व जीवन बीमा कारोबार के प्रीमियम में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका I.1
वर्ष 2010 के दौरान प्रीमियम में वास्तविक (रीयल) वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर जीवन	कुल
औद्योगिक देश	1.8	1.0	1.4
उभरते बाजार	13.0	8.5	11.0
एशिया	4.2	6.1	4.7
भारत**	4.2	8.1	4.9
विश्व	3.2	2.1	2.7

स्रोत: स्विस रे सिम्मा नं. 3/2011, टिप्पणी: कैलेण्डर वर्ष
** वित्तीय वर्ष 2010-11

I.2.3 वर्ष 2010 के दौरान, विश्व में गैर जीवन-बीमा प्रीमियमों में, 2.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एशिया तथा क्षेत्र के नए औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान ने जहाँ गैर जीवन बीमा क्षेत्र में वृद्धि को आगे बढ़ाया वहीं, कारोबार की कुछ चयनित पंक्तियों में, कुछ चयनित देशों को छोड़कर, यूरोप तथा अमरीका में कम मूल्यन के कारण, वृद्धि की गति धीमी रही। परिणामस्वरूप 'औसत-प्राकृतिक-स्थिति-क्षतियों' तथा निरंतर प्रारक्षित निधियाँ जारी करने के बावजूद, 2010 में जोखिम अंकन परिणामों में और भी अधिक गिरावट आई। चूँकि निवेशित परिसंपत्तियों पर पूँजीगत लाभों ने, कम निवेश प्राप्तियों को केवल आंशिक रूप से ही प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) किया, अतः कुल लाभप्रदता कम ही रही।

I.2.4 विश्वभर के शेयर बाजारों में रिकवरी जारी रही। परिणामस्वरूप बीमाकर्ताओं की पूँजी स्थितियों और निवेश प्रतिफल में सुधार आया यूनिट युक्त जीवन बीमा उत्पाद की माँग भी बढ़ी। तथापि कुछ यूरोपीय


देशों में प्रभुसत्ता-कर्ज (सोवरीन डैट) तथा आर्थिक पुनरुत्थान की मजबूती के बारे में चिंताएँ प्रकट किए जाने के कारण, शेयर बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव बना रहा। बिक्री में सुधार, कम चूकों तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों पर उच्च पूँजी लाभ से, परिचालन मार्जिनों को काफी मदद मिली तथापि प्रतिकूल ब्याज दरों की वजह से, लाभप्रदता काफी कम बनी रही।

I.2.5 2011 में, आर्थिक पुनरुत्थान जारी रहने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक देशों और उभरते बाजारों में जीवन और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के प्रीमियमों में बढ़ोतरी होने की आशा है। ब्याज दरों में शनैः शनैः वृद्धि होने से, दोनों क्षेत्रों में लाभप्रदता कम बनी रहेगी। जापान और न्यूजीलैंड में आए विनाशकारी भूकंपों से, इन देशों में, कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी और विश्वभर में, दरें नरम होने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी।

I.2.6 कुल मिलाकर, बीमा उद्योग इस संकट से काफी अच्छी तरह उबरा है। आगामी वर्षों में, उभरते बाजारों में, बीमे की माँग, काफी तेजी से बढ़ते रहने की उम्मीद है। बड़ी आयु वाला समाज जीवन बीमाकर्ताओं को काफी असुविधा प्रदान करेगा। तथापि बीमाकर्ताओं के आगे अभी भी काफी चुनौतियाँ हैं जैसे कि हो सकता है यूरोपीय संप्रभुता कर्ज में वृद्धि के कारण आर्थिक पुनः सुदृढ़ता की प्रक्रिया पटरी से उतर जाए या तेल की कीमतें आर्थिक स्थिति को प्रभावित करें। शोधक्षमता-2 जैसे विनियामक सुधारों से अत्यधिक कड़ी पूँजी अपेक्षाएँ निर्धारित हो सकती हैं, जिनसे लाभ प्रदता में कभी आ सकती है और अंततः बीमाकर्ताओं के सामने एक चुनौती खड़ी हो सकती है। सरकारी कर्ज संकट में वृद्धि होने से बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियों का क्षरण भी हो सकता है क्योंकि बीमाकर्ताओं के पास संप्रभुता कर्ज (सोवरीन डैट) तथा बैंकों द्वारा जारी बाँड हैं। आमतौर पर यह अपेक्षा की जा रही है कि लाभप्रदता कुछ समय तक, संकट-पूर्व स्तरों से नीचे बनी रहेगी।


चार्ट I.1

चयनित देशों में बीमा घनत्व-2010



स्रोत: स्विसरे, सिगम सं. 3/2011 आँकड़े अमरीकी डॉलरों में

चार्ट I.2



स्रोत: स्विसरे, सिगम सं. 3/2011 आँकड़े अमरीकी डॉलरों में

विश्व परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.7 स्विस रे द्वारा जिन देशों के आँकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, उन 156 देशों में से बीमा कारोबार में भारत का नौवां स्थान है। वर्ष 2010-11 में, भारत में औसत जीवन बीमा प्रीमियम 4.2 प्रतिशत बढ़ा (मुद्रास्फीति समायोजित) तथापि इसी अवधि में, वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम 3.2 प्रतिशत बढ़ा। विश्व बाजार में, 'भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र का हिस्सा, 2010 में 2.69 प्रतिशत था जबकि 2009 में यह 2.45 प्रतिशत था।

I.2.8 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने, 2010 के दौरान, 8.1 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। वैश्विक गैर जीवन बीमा प्रीमियम की तुलना में यह वृद्धि बहुत बेहतर रही, क्योंकि उसकी वृद्धि केवल 2.1 प्रतिशत रही। वैश्विक गैर जीवन बीमा प्रीमियम में भारतीय गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी और यह 0.58 प्रतिशत हो गयी जिससे विश्व में इसका स्थान 19वाँ हो गया, जबकि गत वर्ष 26वाँ था।

भारत में बीमा अंतः प्रवेशन तथा घनत्व

I.2.9 किसी देश में बीमा अंतः प्रवेशन और घनत्व का माप उस देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाता है। बीमा अंतः प्रवेशन को "बीमा प्रीमियम का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से अनुपात" के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। तथा बीमा घनत्व को "बीमा प्रीमियम का जनसंख्या से अनुपात" (प्रतिव्यक्ति प्रीमियम) के रूप में मापा जाता है। भारतीय बीमा क्षेत्र को प्राइवेट सहभागिता के लिए खोलने के बाद से, भारत ने, बीमा घनत्व में वृद्धि दर्ज की है, तथापि, बीमा अंतः प्रवेशन 2009 तक को लगातार बढ़ता रहा, परंतु भारतीय अर्थ व्यवस्था में वृद्धि दर की तुलना में जीवन बीमा प्रीमियम वृद्धि दर धीमी हो जाने से पहली बार 2010 में इसमें गिरावट आई।

I.2.10 जीवन बीमा क्षेत्र में घनत्व 2001 में 9.1 अमरीकी डॉलर था जो बढ़कर 2010 में 55.7 अमरीकी डॉलर हो गया। इसी प्रकार, बीमा अंतः प्रवेशन, 2001 के 2.15 प्रतिशत से बढ़ कर 2009 में 4.60 प्रतिशत हो गया, हालांकि 2010 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 4.40 प्रतिशत तक आ गया।

तालिका I.2
भारत में बीमा अंतः प्रवेशन (पीनिट्रेशन) तथा घनत्व

वर्ष	जीवन		गैर जीवन		उद्योग	
	धनत्व (अमरीकी डॉलर)	अंतः प्रवेशन (%)	धनत्व (अमरीकी डॉलर)	अंतः प्रवेशन (%)	धनत्व (अमरीकी डॉलर)	अंतः प्रवेशन (%)
2001	9.1	2.15	2.4	0.56	11.5	2.71
2002	11.7	2.59	3.0	0.67	14.7	3.26
2003	12.9	2.26	3.5	0.62	16.4	2.88
2004	15.7	2.53	4.0	0.64	19.7	3.17
2005	18.3	2.53	4.4	0.61	22.7	3.14
2006	33.2	4.10	5.2	0.60	38.4	4.80
2007	40.4	4.00	6.2	0.60	46.6	4.70
2008	41.2	4.00	6.2	0.60	47.4	4.60
2009	47.7	4.60	6.7	0.60	54.3	5.20
2010	55.7	4.40	8.7	0.71	64.4	5.10


* बीमा घनत्व को प्रीमियम (अमरीकी डॉलर में) का जनसंख्या से अनुपात के रूप में मापा जाता है ।

* बीमा अंतःप्रवेश को प्रीमियम (अमरीकी डॉलर में) का जीडीपी (अमरीकी डॉलरमें) से अनुपात के रूप में मापा जाता है.


* बीमा अंतः प्रवेशन के आँकड़े 2006 से, दशमलव के बाद एक डिजिट में राउंड-आफ करके उपलब्ध है.

स्रोत: स्विसरे विभिन्न मुद्दे

चार्ट I.3



चार्ट I.4



I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

I.3.1 सितंबर 2011 के अंत तक भारत में 49 बीमा कंपनियाँ परिचालनरत हैं जिनमें से 24 जीवन बीमा कारोबार में हैं तथा अन्य 24 साधारण बीमा कारोबार में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जी आइ सी एक मात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है।

I.3.2 इस समय परिचालनरत 49 कंपनियों में से 8 सरकारी क्षेत्र में हैं, ईसीजीसी तथा ए आइ सी – ये दो विशेषीकृत बीमाकर्ता हैं, एक जीवन बीमा में है, 4 साधारण बीमा में हैं तथा एक पुनर्बीमा में है। शेष 41 कंपनियाँ प्राइवेट क्षेत्र में हैं।

तालिका I.3
भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता
(30 सितंबर, 2011 को)

कारोबार का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	23***	24***
साधारण बीमा	6*	18**	24
पुनर्बीमा	1	0	1
कुल	8	41	49

* इनमें विशेषीकृत बीमा कंपनियाँ – ईसीजीसी तथा ए आइ सी शामिल हैं।

** इनमें तीन स्टैण्ड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों – स्टार हेल्थ एंड एलाइड इन्श्योरेंस कंपनी, अपोलो म्यूनिख हेल्थ इन्श्योरेंस कं. तथा मैक्स ब्यूपा हेल्थ इन्श्योरेंस कं. शामिल हैं।

*** इससे एडेलवीज टोकियो लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि. शामिल है।

एडेलवीज टोकियो लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि. को 2011-12 में पंजीकरण प्रदान किया गया।

जीवन बीमा

प्रीमियम

I.3.3 जीवन बीमा उद्योग ने गत वित्तीय वर्ष के 2,65,447 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2010-11 में 2,91,605 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय अर्जित की जिससे 9.85 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई। जहाँ प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम आय में 11.04 प्रतिशत (गतवर्ष 23.06 प्रतिशत) की वृद्धि की, वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम ने 9.35 प्रतिशत (गतवर्ष में 18.30 प्रतिशत) वृद्धि दर्ज की।

I.3.4 जहाँ बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम में, नवीकरण प्रीमियम का हिस्सा, 56.66 प्रतिशत (2009-10 में 58.60 प्रतिशत) रहा, वहीं प्रथम वर्ष प्रीमियम ने, शेष 43.34 प्रतिशत (2009-10 में 41.40 प्रतिशत) हिस्से का योगदान दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में वृद्धि 6.22 प्रतिशत (2009-10 में 15.69 प्रतिशत) रही। तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 2010-11 के दौरान प्रथम वर्ष प्रीमियम में वृद्धि अधिक अर्थात् 15.00 प्रतिशत रही। परंतु गत वर्ष के ऑकड़ों (2009-10 में 25.84 प्रतिशत) की तुलना में काफी गिरावट प्रदर्शित हुई।

I.3.5 प्रथम वर्ष के प्रीमियम के ऑकड़ों के और आगे विभाजन से प्रकट होता है कि वर्ष 2010-11 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय में 26.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2009-10 में 31.05 प्रतिशत)। एकल प्रीमियम उत्पादों में जीवन बीमा निगम के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखा और जीवन बीमा निगम की कुल प्रीमियम आय में 24.94 प्रतिशत का योगदान दिया (2009-10 में 24.36 प्रतिशत)। इसकी तुलना में कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय को योगदान, वर्ष 2010-11 में प्राइवेट बीमाकर्ता कंपनियों के लिए 13.28 प्रतिशत हो गया है (2009-10 में 4.84 प्रतिशत)।

I.3.6 2010-11 में नियमित प्रीमियम में वृद्धि केवल 5.3 प्रतिशत रही जबकि 2009-10 में यह 21.91 प्रतिशत थी। प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने तो ऋणात्मक (नेगेटिव) वृद्धि (-19.88 प्रतिशत) दर्ज की। जीवन बीमा निगम ने, नियमित प्रीमियम में, उच्च वृद्धि बनाए रखी। 2010-11 में यह 38.50 प्रतिशत रही (2009-10 में 36.80 प्रतिशत)।


I.3.7 यूनिट-संयुक्त-उत्पादों (यूलिप) की प्रीमियम आय में 5.64 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 2009-10 की 1,15,521 करोड़ रुपये में घट कर 2010-11 में 1,09,002 करोड़ रुपये रह गई। दूसरी ओर पारंपरिक उत्पादों की प्रीमियम आय में 21.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रीमियम आय 2009-10 की 1,49,926 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1,82,603 करोड़ रुपये हो गई। तदनुसार कुल प्रीमियम में, यूनिट-संयुक्त-उत्पादों का हिस्सा, 2010 में काफी घटा और 37.38 प्रतिशत रह गया जबकि 2009-10 में यह 43.52 प्रतिशत था (स्टेटमेंट संख्या 11)।

तालिका I.4
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	26184.48 (36.80)	36265.36 (38.50)
प्राइवेट क्षेत्र	34529.67 (12.61)	27664.19 (-19.88)
कुल	60714.15 (21.91)	63929.55 (5.30)
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	45337.42 (33.19)	50746.99 (11.93)
प्राइवेट क्षेत्र	3842.34 (10.13)	11704.46 (204.62)
कुल	49179.76 (31.05)	62451.45 (26.99)
प्रथम वर्ष का प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	71521.90 (34.49)	87012.35 (21.66)
प्राइवेट क्षेत्र	38372.01 (12.36)	39368.65 (2.60)
कुल	109893.91 (25.84)	126381.00 (15.00)
नवीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	114555.41 (10.03)	116461.05 (1.66)
प्राइवेट क्षेत्र	40997.93 (35.10)	48762.94 (18.94)
कुल	155553.34 (15.69)	165223.99 (6.22)
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	186077.31 (18.30)	203473.40 (9.35)
प्राइवेट क्षेत्र	79369.94 (23.06)	88131.60 (11.04)
कुल	265447.25 (19.69)	291604.99 (9.85)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए ऑकड़े वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

चार्ट I.5



बाजार हिस्सा

I.3.8 कुल प्रीमियम आय के आधार पर, भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार हिस्सा, 2009-10 के 70.10 प्रतिशत से थोड़ा गिर कर 2010-11 में 69.78 प्रतिशत रहा। तदनुसार प्राइवेट बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा 2009-10 के 29.90 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ कर 2010-11 में 30.22 प्रतिशत हो गया।

I.3.9 2010-11 में प्राइवेट बीमाकर्ताओं का 'प्रथम वर्ष प्रीमियम' में बाजार हिस्सा 31.15 प्रतिशत रहा (2009-10 में 34.92 प्रतिशत)। जीवन बीमा निगम के लिए यह प्रतिशत 68.85 रहा (2009-10 में 65.08 प्रतिशत)। तथापि, नवीकरण प्रीमियम में, जीवन बीमा निगम का हिस्सा अधिक अर्थात् 70.49 प्रतिशत (2009-10 में 73.64 प्रतिशत) रहा जबकि इसकी तुलना में प्राइवेट बीमाकर्ताओं का हिस्सा कम अर्थात् 29.51 प्रतिशत रहा (2009-10 में 26.36 प्रतिशत)।

तालिका I.5
जीवन बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	43.13	56.73
प्राइवेट क्षेत्र	56.87	43.27
कुल	100.00	100.00
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	92.19	81.26
प्राइवेट क्षेत्र	7.81	18.74
कुल	100.00	100.00
प्रथम वर्ष प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	65.08	68.85
प्राइवेट क्षेत्र	34.92	31.15
कुल	100.00	100.00
नवीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	73.64	70.49
प्राइवेट क्षेत्र	26.36	29.51
कुल	100.00	100.00
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	70.10	69.78
प्राइवेट क्षेत्र	29.90	30.22
कुल	100.00	100.00

नई पॉलिसियाँ

I.3.10 2010-11 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने, कुल 481 लाख नई पॉलिसियाँ जारी कीं, जिनमें से 370 लाख पॉलिसियाँ (कुल जारी पॉलिसियों का 76.91 प्रतिशत) जीवन बीमा निगम ने जारी की और प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने 111 लाख पॉलिसियाँ (23.09 प्रतिशत) जारी कीं। जहाँ जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में, गत वर्ष के मुकाबले, जीवन बीमा निगम ने 4.70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, वहीं जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में, प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने, 22.61 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की (2009-10 में 4.32 प्रतिशत की गिरावट)।

I.3.11 कुल मिलाकर उद्योग ने, जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में 9.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की (2009-10 में 4.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी)

तालिका I.6
जारी की गई नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता
(लाख)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
जीवन बीमा निगम	388.63 (8.21)	370.38 (-4.70)
प्राइवेट क्षेत्र	143.62 (-4.32)	111.14 (-22.61)
कुल	532.25 (4.52)	481.52 (-9.53)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं (प्रतिशत में)

चुकता-पूँजी :

I.3.12 31 मार्च 2011 को जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी 23,622 करोड़ रुपए थी 2010-11 के दौरान 2,462 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी, उद्योग द्वारा लाई गई। वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धिशील पूँजी, प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा लाई गई क्योंकि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी की पूँजी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

तालिका I.7
चुकता-पूँजी: जीवन बीमाकर्ता*

(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2010	2010-11 में लाई गई अतिरिक्त पूँजी	31 मार्च 2011
जीवन बीमा निगम	5.00	0.00	5.00
प्राइवेट क्षेत्र	21014.99	2641.86	23656.85
कुल	21019.99	2641.86	23661.85

टिप्पणी: *इंक्रिटी शेयर पूँजी जारी करने का प्रमियमल इसमें शामिल नहीं है. अधिक विवरण स्टेटमेंट सं. 18.

जीवन बीमाकर्ताओं के खर्च

I.3.13 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 40 बी के अनुसार कोई भी जीवन बीमाकर्ता, किसी एक वर्ष में, बीमा विनियम, 1939 के नियम 17डी के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक राशि, प्रबंधन व्ययों के रूप में खर्च नहीं कर सकता। इन खर्चों की सीमा निर्धारित करते समय, नियम 17डी में, बीमाकर्ता के आकार और वह कब से कार्य कर

रहा है, इसका ध्यान रखा गया है। बीमा अधिनियम के परिच्छेद 64एफ के अंतर्गत गठित "जीवन बीमा परिषद" की सिफारिशों पर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, किसी वर्ष में ये सीमाएँ बढ़ा सकता है। प्रबंधन खर्चों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपगत सभी प्रभार (चार्ज) सभी प्रकार के कमीशन-भुगतान, परिचालन खर्चें तथा पूँजीकृत व्यय शामिल हैं।

तालिका I.8
जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन खर्च
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	6100.48	6839.06
प्राइवेट क्षेत्र	4863.22	3705.29
कुल	10963.70	10544.35
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	526.38	552.19
प्राइवेट क्षेत्र	48.41	144.46
कुल	574.79	696.66
प्रथम वर्ष प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	6626.85	7391.25
प्राइवेट क्षेत्र	4911.64	3849.75
कुल	11538.49	11241.00
नवीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	5505.71	5956.04
प्राइवेट क्षेत्र	1030.42	1132.28
कुल	6536.13	7088.32
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	12132.56	13347.29
प्राइवेट क्षेत्र	5942.06	4982.03
कुल	18074.62	18329.32

I.3.14 बीमाकर्ताओं द्वारा 2010-11 में एकत्रित किए गए सकल प्रीमियम में वृद्धि की तुलना में खर्चों में हुई वृद्धि कम थी। अतः कमीशन खर्च अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन खर्च) 2009-10 के 6.81 प्रतिशत से थोड़ा घट कर 2010-11 में 6.29 प्रतिशत हो गया। कुल मिला कर जहाँ नियमित प्रीमियम के मामले में, कमीशन खर्चें बढ़े वहीं एकल तथा नवीकरण प्रीमियम उत्पादों के लिए भुगतान किए गए कमीशन में गिरावट आई। तथापि प्राइवेट बीमाकर्ताओं और जीवन बीमा निगम के बीच तुलना करने पर उनकी स्थिति में कुछ विभिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं, जैसा कि तालिका I.9 से परिलक्षित होता है, जिसमें कि प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं, दोनों कि लिए अलग अलग आँकड़े दिए गए हैं।

तालिका I.9
कमीशन खर्च अनुपात: जीवन बीमाकर्ता
(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नियमित प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	23.30	18.86
प्राइवेट क्षेत्र	14.08	13.39
कुल	18.06	16.49
एकल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	1.16	1.09
प्राइवेट क्षेत्र	1.26	1.23
कुल	1.17	1.12
प्रथम वर्ष प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	9.27	8.49
प्राइवेट क्षेत्र	12.80	9.78
कुल	10.50	8.89
नवीकरण प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	4.81	5.11
प्राइवेट क्षेत्र	2.51	2.32
कुल	4.20	4.29
कुल प्रीमियम		
जीवन बीमा निगम	6.52	6.56
प्राइवेट क्षेत्र	7.48	5.65
कुल	6.81	6.29

टिप्पणी: कमीशन खर्च अनुपात, कमीशन खर्चों और जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम, के बीच का अनुपात है।

I.3.15 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन खर्चें 2010-11 में 14.04 प्रतिशत बढ़े (2009-10 में 11.84 प्रतिशत)। जीवन बीमा कारोबार के परिचालन खर्चें, 2010-11 में 32,942 करोड़ रुपए थे, जबकि 2009-10 में ये 28,888 करोड़ रुपए थे।

तालिका I.10
बीमाकर्ताओं के परिचालन खर्चें
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
जीवन बीमा निगम	12245.82	16980.28
प्राइवेट क्षेत्र	1664.181	15962.02
कुल	28887.63	32942.30

I.3.16 जोखिम अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में जीवन बीमा निगम के परिचालन खर्चें 2009-10 के 6.58 प्रतिशत से बढ़ कर 2010-11 में 8.34 प्रतिशत हो गए। तथापि बीमाकर्ताओं के खर्चों में थोड़ी कमी आई और ये 2009-10 के 20.97 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 18.11 प्रतिशत रहा गया। पूरे उद्योग का परिचालन व्यय अनुपात 2009-10 के 10.88 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़ कर 2010-11 में 11.30 प्रतिशत हो गया।

तालिका I.11
परिचालन व्यय अनुपात: जीवन बीमाकर्ता
(प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
जीवन बीमा निगम	6.58	8.34
प्राइवेट क्षेत्र	20.97	18.11
कुल	10.88	11.30

टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम से परिचालन खर्चों का अनुपात 'अनुपालन व्यय अनुपात' है।

I.3.17 चूंकि किसी भी बीमा कंपनी द्वारा उपगत प्रारंभिक स्थापना लागतें काफी अधिक होती हैं इसलिए प्राधिकरण ने नियम 17डी के तहत 22 प्राइवेट बीमाकर्ताओं को उनके कारोबार परिचालनों के प्रारंभिक पांच वर्षों के लिए सीमाओं से छूट प्रदान कर दी है।

I.3.18 वर्ष 2010-11 में 23 जीवन बीमा कंपनियों (एक सरकारी क्षेत्र उद्यम सहित) में से 9 कंपनियाँ छूट अवधि में थीं। शेष में से 12 कंपनियाँ (1 सरकारी क्षेत्र उद्यम सहित) नियम 17डी के अंतर्गत सीमाओं/प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही थीं।

भुगतान किए गए लाभ

I.3.19 जीवन बीमा उद्योग ने 2010-11 में, उच्चतर सकल लाभ के रूप में 1,42,524 करोड़ रुपए का भुगतान किया (2009-10 में 95,820 करोड़ रुपए) जोकि जोखिम अंकित सकल प्रीमियम का 48.88 प्रतिशत (2009-10 में 36.10 प्रतिशत) बनते हैं। प्राइवेट बीमाकर्ताओं द्वारा 31,251 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए (2009-10 में 16,658 करोड़ रुपए) जिनमें 87.60 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है, और जो जोखिम अंकित प्रीमियम का 35.46 प्रतिशत बनते हैं (2009-10 में 20.99 प्रतिशत)। भारतीय जीवन

बीमा निगम में 2010-11 में 1,11,273 करोड़ रुपए के लाभों का भुगतान किया जो जोखिम अंकित प्रीमियम का 54.69 प्रतिशत बनते थे (2009-10 में 79,162 करोड़ रुपए, कुल जोखिम अंकित प्रीमियम का 42.54 प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा, पुनर्बीमा की राशि घटा कर कुल 1,42,916 करोड़ रुपए (2009-10 में 95,565 करोड़ रुपए) के लाभों का भुगतान किया गया। अभ्यर्पण/विद्‌ड्रॉवल के कारण, भुगतान किए गए लाभों की राशि में काफी वृद्धि हुई। यह राशि 76,712 करोड़ रुपए थी जिसमें से भारतीय जीवन बीमा निगम का हिस्सा 49,774 करोड़ रुपए था तथा प्राइवेट क्षेत्र का हिस्सा 26,938 करोड़ रुपए था। गत वर्ष के तुलनात्मक आँकड़े 36,225 करोड़ रुपए के थे, जिसमें से भारतीय जीवन बीमा निगम का हिस्सा 22,395 करोड़ रुपए तथा प्राइवेट क्षेत्र का हिस्सा 13,830 करोड़ रुपए था। भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में अभ्यर्पणों (सरेन्डर) की 49,774 करोड़ रुपए की राशि में से, यूलिप पॉलिसियों से संबंधित राशि, 40,761 करोड़ रुपए (82 प्रतिशत) थी जबकि 2009-10 में यह राशि 11,125 करोड़ रुपए (50 प्रतिशत) थी। प्राइवेट बीमा उद्योग के मामले में यूलिप में वर्ष 2010-11 के लिए सरेन्डर्स की राशि 26,207 करोड़ रुपए थी (97 प्रतिशत) जबकि 2009-10 में यह राशि 12,959 करोड़ रुपए (94 प्रतिशत) थी।

मृत्यु दावों का विश्लेषण

व्यक्तिगत मृत्यु दावे


I.3.20 वर्ष 2010-11 में जीवन बीमा कंपनियों ने, व्यक्तिगत पॉलिसियों के 8.13 लाख दावों का निपटान कर 7,595 करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया। 17,350 दावे अस्वीकार कर दिए गए जिनकी राशि 336 करोड़ रुपए बनती थी। वर्ष के अंत में 16,415 दावे लंबित थे, जिनमें 306 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं। इन दावों में से, 1930 दावे एक वर्ष से अधिक से लंबित हैं जबकि 14,485 दावे एक वर्ष तक की अवधि से लंबित हैं।

तालिका I.12
व्यक्तिगत मृत्यु दावे: जीवन बीमाकर्ता (2010-11)

(आँकड़े पॉलिसी के प्रतिशत में हैं)

बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत किए दावे	प्रति-लेखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का ब्रेक आफ -अवधिवार (पॉलिसियाँ)			
						≤ 3 माह	> 3 से ≤ 6 माह	> 6 से ≤ 12 माह	> 12 माह
प्राइवेट	100	86.04	8.90	0.05	5.01	77.30	9.57	4.54	8.59
जीवन बीमा निगम	100	97.03	1.00	0.51	1.46	36.60	25.14	24.85	13.40
कुल	100	95.58	2.04	0.45	1.93	50.51	19.82	17.91	11.76

चार्ट I.6



I.3.21 प्राइवेट जीवन बीमाकर्ताओं की तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम का 'दावा-निपटान-अनुपात' बेहतर था। भारतीय जीवन बीमा निगम का दावा निपटान अनुपात वर्ष 2010-11 में बढ़ कर 97.03 प्रतिशत हो गया जबकि गत वर्ष के दौरान यह 96.54 प्रतिशत था। अस्वीकरण का प्रतिशत गत वर्ष के 1.21 प्रतिशत से घट कर 2010-11 में 1.00 प्रतिशत हो गया। इसी तरह प्राइवेट बीमाकर्ताओं का निपटान-अनुपात गत वर्ष के 84.87 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 86.04 प्रतिशत हो गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की तुलना में, प्राइवेट बीमाकर्ताओं द्वारा अस्वीकार किए गए दावों की संख्या ज्यादा थी। अस्वीकृत दावों का प्रतिशत 2009-10 के 7.61 प्रतिशत से बढ़ कर 2010-11 में 8.90 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर उद्योग के निपटान अनुपात में थोड़ा सुधार आया है और यह 2009-10 उद्योग के निपटान अनुपात में थोड़ा सुधार आया है और यह 2009-10 के

95.24 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 95.58 प्रतिशत हो गया। अस्वीकरण (रेप्युडिएशन) अनुपात भी थोड़ा बढ़ा है और 2009-10 के 1.93 प्रतिशत से बढ़ कर 2.04 प्रतिशत हो गया है। तथापि प्रतिलेखित (रिर्टन बैक) दावों के अनुपात में गिरावट आई है और यह गत वर्ष के 0.75 प्रतिशत से घट कर 0.45 प्रतिशत पर आ गया।

सामूहिक मृत्यु दावे

I.3.22 जीवन बीमाकर्ताओं को सूचित किए गए 4,36,201 दावों में से कुल 4,21,930 सामूहिक दावों का निपटान किया गया। इनमें से वर्ष के दौरान अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या 2,404 थी जो कि सूचित दावों का 0.55 प्रतिशत बनती थी (स्टेटमेंट संख्या 14)।

तालिका I.13
सामूहिक मृत्यु दावे: जीवन बीमाकर्ता (2010-11)

(ऑकड़े जीवन बीमा के % के रूप में शामिल हैं)

बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकार किए गए दावे	प्रतिलेखित दावें	वर्ष के अंतमें लंबित दावे	लंबित दावों का विभाजन अवधिवार (पॉलिसियाँ)			
						≤ 3 माह	> 3 से ≤ 6 माह	> 6 से ≤ 12 माह	> 12 माह
प्राइवेट क्षेत्र	100	93.33	1.18	0.13	5.36	41.71	57.16	0.38	0.76
भारतीय जीवन बीमा	100	99.66	0.01	0.00	0.33	75.39	13.09	9.69	1.83
कुल	100	96.73	0.55	0.06	2.66	43.93	54.25	0.99	0.83

जीवन बीमा क्षेत्र में दावों का निपटान

बीमा कारोबार में, दावों का समय पर निपटान, एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए किसी बीमाकर्ता के दावों के निपटान का रिकॉर्ड ही, उसके कार्य निष्पादन की कसौटी होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बीमा कर्ता, अपने सभी दावे तत्परतासे निपटाने की स्थिति में है, बीमाकर्ता को जोखिम अंकित संविदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और तदनुसार अपने प्रीमियमों का मूल्य निर्धारित करना होगा। जोखिम अंकन में विशेषज्ञता ही वह कारक है, जो प्रायः किसी एक बीमाकर्ता के कार्य निष्पादन को, दूसरे से भिन्न बनाता है, और यदि कोई बीमा कर्ता दावों का सही अनुमान नहीं लगा पाता है तो उसे पूँजीक्षरण, शोधक्षमता तथा नकदी जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। सर्विसिंग और बाजार आचरण की दृष्टि से बीमाकर्ताओं को एक मजबूत दावा प्रोसेसिंग तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो तेज गतिवाला हो और पॉलिसीधारक के प्रति मित्रवत् हो दावों के निपटान में जरूरत से ज्यादा देरी लगने और अस्वीकृत दावों का प्रतिशत अधिक होने से बीमाकर्ता की छवि इस दृष्टि से खराब होती है कि अपने कारोबार और पॉलिसीधारकों के प्रति उसका दृष्टिकोण सही नहीं है।

अक्सर यह कहा जाता है कि, जीवन बीमा, दो अ-समान पक्षों के बीच में एक करार है – एक ओर तो ऐसी मजबूत संस्था, जो कानून का विशेषज्ञ है और सब तरह के संसाधन उसके हाथ में है तथा दूसरी ओर बेचारा पॉलिसी धारक जिसे न तो कानून की ससझ है और न ही बीमाकर्ता तथा अन्यो से मुकाबला करने के लिए उसके पास जरूरी संसाधन है। इसी तथ्य को देखते हुए प्राथमिक कानूनों तथा साथ ही अधीनस्थ कानूनों में बहुत से ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। जिनका आशय पॉलिसीधारकों/दावेदारों के हितों की सुरक्षा करना है। इन प्रावधानों पर नीचे चर्चा की गई है और इनसे, जायज दावों को तत्परता से निपटान को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली है।

- बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 45 में यह निर्धारित किया गया है कि पॉलिसी के प्रारंभ से दो वर्ष के बाद, तथ्यों की गलत बयानी के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि बीमाकर्ता यह नहीं दिखाता कि कथन महत्वपूर्ण विषय से संबंधित था और कथन देने के समय पॉलिसी धारक जानता था कि कथन झूठा है अथवा उसने उन तथ्यों को दबाया, जो प्रकट करने जरूरी थे.
- बीमा विनियामक विकास प्रधिकरण (पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002 के परंतुक 8 में, जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित दावों की प्रक्रिया के बारे में, दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- जीवन बीमा पॉलिसी में, उन प्रारंभिक दस्तावेजों का उल्लेख किया जाएगा। जिन्हें कि दावे के समर्थन में, दावेदार द्वारा, सामान्यतः प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- कोई भी प्रश्न, अथवा अतिरिक्त दस्तावेजी की माँग, तथा संभव, टुकड़ों में न होकर, एक ही बार में दावेकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर की जाएगी।
- सभी संबंधित कागज और स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर दावे का भुगतान किया जाएगा अथवा सभी संबंधित कारण बता कर उसे विवादित माना जाएगा, केवल उस स्थिति को छोड़ कर, कि बीमाकर्ता की राय में इसकी जाँच की जानी चाहिए।
- जहाँ जाँच की जानी हो, वहाँ बीमाकर्ता, दावा प्राप्त होने की तारीख से, 6 महीने के भीतर यह जाँच पूरी करेगा।
- यदि बीमाकर्ता, दावे की प्रोसेसिंग में देरी करता है जो जीवन बीमाकर्ता, प्रचलित बैंक दर से 2% अधिक दर पर, दावा राशि पर ब्याज अदा करेगा।
- जन शिकायत निवारण निमयावली 1998 में, पॉलिसी धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए बीमा लोकपाल (ओम्बड्समैन) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियमों के परंतुक 12 में निर्धारित की गई लोकपाल की शक्तियों में, किसी बीमाकर्ता द्वारा दावों के आंशिक अथवा पूर्ण अस्वीकार और दावों के निपटान में हुई देरी से संबंधित अभ्यवेदन प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

प्राधिकरण, बीमाकर्ताओं का, आवधिक स्थलीय निरीक्षण भी करता है, जिनमें संबंधी प्रावधानों के प्रति, बीमाकर्ताओं के अनुपालन का, सत्यापन किया जाता है। कानूनों/विनियमों का उल्लंघन करने वाले बीमाकर्ता, विनियामक कारवाई के भागी होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रवाली (आईजीएमएस) नामक एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है। वेबसाइट पर डाली गई शिकायतों पर समेकित रूप में पहुँच प्रदान करता है। सभी शिकायतें, जिनमें दावों में संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, आईजी एम एस द्वारा देखी जाती हैं और उनके निपटान का तरीका और समयवधि जानने के लिए, प्राधिकरण द्वारा ट्रैक की जाती है। बीमाकर्ताओं के अपने भी आंतरिक "दावा समीक्षा तंत्र/प्रक्रियाएँ" होती हैं, जिनके द्वारा वे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि दावों का निपटान तत्परता से किया जाए, और यह भी, कि कोई भी दावा, तुच्छ आधार पर अथवा बिना पर्याप्त दस्तावेजी साबूत के, अस्वीकृत न किया जाए।

जीवन बीमा दावों का निपटान – तथ्य एवं आँकड़े

मृत्यु दावे – व्यक्तिगत पॉलिसियाँ
(पॉलिसियों की संख्या)

वर्ष	कुल सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत दावे	प्रतिलिखित दावे	वर्ष के दौरान लंबित दावे
2006-07	627032	604178	10869	0	11985
2007-08	577322	553408	9027	339	14548
2008-09	640620	605128	12781	5796	16915
2009-10	762435	726109	14693	5741	15892
2010-11	851534	813932	17350	3837	16415

मृत्यु दावे-सामूहिक पॉलिसियाँ
जीवनों की संख्या

वर्ष	कुल सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	अस्वीकृत दावे	प्रतिलिखित दावे	वर्ष के दौरान लंबित दावे
2006-07	147764	144119	1299	0	2346
2007-08	162837	159333	1241	34	2229
2008-09	264138	260507	1412	71	2148
2009-10	309151	305739	1520	20	1872
2010-11	436201	421930	2404	266	11601

गत पाँच वर्षों में से प्रत्येक में कुल सूचित व्यक्तिगत मृत्यु दावों में से 95 प्रतिशत से अधिक दावों का भुगतान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किया जा चुका है। गत पाँच वर्षों में से प्रत्येक के अंत में, जहाँ 2 प्रतिशत दावे अस्वीकृत किए गए, वहीं अन्य 2 प्रतिशत दावे निपटान हेतु लंबित थे। जैसा कि तालिका में दिए गए आँकड़ों से देखा जा सकता है, सामूहिक मृत्युदावों के संदर्भ में दावा निपटान अनुपात अधिक है।


मृत्यु दावों में समयांतर (टाइम लैग)

2010-11 में व्यक्तिगत पॉलिसियों के संबंध में निपटाए गए दावों में से 77 प्रतिशत दावे, दावा सूचित किए जाने के 30 दिन के भीतर निपटाए गए, 19 प्रतिशत सूचना के 31 से 180 दिनों के बीच निपटाए गए तथा शेष 4.5 प्रतिशत 180 दिन के बाद निपटाए गए। सामूहिक पॉलिसियों के संबंध में 94.8 प्रतिशत दावे, सूचना के 30 दिनों के भीतर निपटाए गए और लगभग 5 प्रतिशत सूचना के 31 से 180 दिनों के बीच निपटाए गए, मात्र 0.3 प्रतिशत दावे ही 180 दिनों के बाद निपटाए गए।

परिपक्वता और उत्तरजीविता लाभ:

जीवन बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2010-11 के दौरान, लगभग 50 लाख परिपक्वता दावों का निपटान किया और कुल 32,345 करोड़ रुपए का भुगतान किया तथा वर्ष के दौरान उत्तरजीविता लाभों का भुगतान किए जाने वालों की संख्या 1.35 करोड़ थी जिन्हें 19816 करोड़ रुपए अदा किए गए। उपयुक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है कि परिपक्वता लाभों की राशि, मृत्यु दावों के अंतर्गत भुगतान की गई राशि से, काफी अधिक रही। इससे ज्ञात होता है कि भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में, बचत-युक्त पॉलिसियों का प्राधान्य है। इसके अतिरिक्त, बचत युक्त उत्पादों में भी, मनी-बैंक पॉलिसियों का हिस्सा काफी ज्यादा है। जिनमें कि पॉलिसी की अवधि के दौरान, बीच-बीच में/आवधिक लाभ देय होते हैं और यह प्रत्येक वर्ष उत्तरजीविता लाभों की राशियों और संख्या से भी इंगित होता है।

तालिका I.7



I.3.23 इसी प्रकार सामूहिक दावों के अंतर्गत, भारतीय जीवन बीमा निगम का 'दावा-निपटान-अनुपात' प्राइवेट जीवन बीमाकर्ताओं के अनुपात से अधिक था। गत वर्ष से तुलना करने पर हम पाएँगे कि 2011 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के निपटान के अनुपात में थोड़ी सी गिरावट आई है और यह 99.66 प्रतिशत हो गया है जबकि गत वर्ष में यह 99.80 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के दौरान अस्वीकरण का प्रतिशत स्थिर रहा, जो कि 0.01 प्रतिशत था। प्राइवेट बीमाकर्ताओं के मामले में भी वर्ष 2010-11 के दौरान निपटान अनुपात में गिरावट आई और यह 2009-10 के 96.80 प्रतिशत से घट कर 93.33 प्रतिशत रह गया। प्राइवेट बीमाकर्ताओं के मामले में अस्वीकरण का प्रतिशत थोड़ा सा घट कर 2010-11 में 1.18 प्रतिशत हो गया, जबकि 2009-10 में यह 1.61 प्रतिशत था। इस प्रकार उद्योग का निपटान अनुपात, थोड़ा सा घटा है और 2009-10 के 98.90 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 96.73 प्रतिशत रह गया है। अस्वीकरण अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और यह 2009-10 के 0.49 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़ कर 2010-11 में 0.55 प्रतिशत हो गया है।

निवेश आय

I.3.24 ज्यों-ज्यों जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन में स्थायित्व आता जाता है, उनका निवेश आधार मजबूत होता जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनकी निवेश आय इनकी कुल आय का बड़ा हिस्सा बन जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में पूँजीगत लाभों सहित, उनकी निवेश आय 2010-11 में 95,867 करोड़ रुपए थी जबकि

2009-10 में यह आय 12,425 करोड़ रुपए थी। कुल आय के प्रतिशत के रूप में, यह 2010-11 में 32.03 प्रतिशत थी जबकि फेयर वैल्यू में परिवर्तन पर अंतरण/लाभ शामिल है। प्राइवेट बीमाकर्ताओं के मामले में पूँजीगत लाभ सही निवेश आय 2010-11 में, 25,479 करोड़ रुपए थी जबकि वर्ष 2009-10 में यह 42,826 करोड़ रुपए थी। कुल आय के प्रतिशत के रूप में यह आय 2010-11 में 22.43 प्रतिशत थी। निवेशों से होने वाली आय में गिरावट, शेयर बाजारों की वर्तमान स्थिति को परिलक्षित करती है।

धारण-अनुपात

I.3.25 भारतीय जीवन बीमा निगम परंपरागत रूप से ही अपने कारोबार के छोटे से घटक का ही पुनर्बीमा करती है। वर्ष 2010-11 में केवल 119 करोड़ रुपये की राशि ही पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में दी गई (2009-10 में 95 करोड़ रुपये)। इसी प्रकार प्राइवेट बीमाकर्ताओं के मामले में भी एक छोटे से घटक का पुनर्बीमा करवाया गया जबकि सामूहिक कारोबार ही पुनर्बीमा अर्पणों (रीइन्शोरेंस सेशनज) का प्रमुख घटक रहा। प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में 506 करोड़ रुपए दिए (2009-10 में 407 करोड़ रुपए) इससे इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखना बड़ा दिलचस्प होगा की यूलिप बीमा उत्पादों के निवेश घटक से संबंधित जोखिमों का वहन पॉलिसी धारकों को ही करना पड़ता है। वर्ष 2010-11 के दौरान नजर आया यूलिप्स को आवश्यकतः सुरक्षा कवर के एक विनिर्दिष्ट घटक की पेशकश करनी ही चाहिए।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.3.26 जीवन बीमा उद्योग एक पूँजी प्रधान उद्योग है। बीमकर्ताओं को नए कारोबार में पैसा डालने और बुनियादी सुविधाओं के आधार को बढ़ाने तथा साथ ही शुरुआती परिचालनों पर आने वाले खर्च, वितरण चैनलों के विकास पर आने वाली प्रशिक्षण लागतों को पूरा करने, सुरक्षित बाजार तैयार करने तथा स्थायित्व के उचित स्तर निर्मित करने के लिए, नियमित अंतरालों पर इसमें पूँजी डालने की जरूरत होती है। विश्वभर के बीमा बाजारों से यह अनुभव हुआ है कि कंपनियों को 'हानिलाभ समस्थिति' (ब्रेक ईवन) आने में 7 से 10 वर्ष लगते हैं।

I.3.27 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जीवन बीमा उद्योग ने, 2,657 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि 2009-10 में 989 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 2010-11 में परिचालनरत 23 कंपनियों में से, 12 ने लाभ कमाया। ये कंपनियां हैं - भारतीय जीवन बीमा निगम, आइ.सी.आइ.सी.आइ प्रुडेंशियल, बिरला सनलाइफ, मैक्स न्यूयॉर्क, बजाज अलियांज, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिन्द्रा, टाटा ए आइ जी, मैटलाइफ, अवीवा, सहारा इंडिया तथा श्रीराम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1172 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जो 2009-10, 106 करोड़ रुपए के मुकाबले 10.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। लगातार 8 वर्ष हानि सहने के बाद देश के सबसे बड़े प्राइवेट क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता आइसीआइसीआई प्रुडेंशियल ने लगातार दूसरे वर्ष लाभ दिखाया जो 808 करोड़ रुपए था (2009-10 में बिरला सनलाइफ 258 करोड़ रुपए, मैक्स न्यूयॉर्क तथा टाटा ए आइ जी ने क्रमशः 305 करोड़ रुपए, 194 करोड़ रुपए तथा 52 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया। बजाज अलियांज ने लगातार दूसरे वर्ष लाभ कमाया जो कि 1057 करोड़ रुपए था (2009-10 में 2008-09 को छोड़कर गत 6 वर्षों में से 5 में लाभ कमाया है। कोटक महिन्द्रा ने लगातार तीसरे वर्ष लाभ दिखाया और वर्तमान वर्ष में यह 102 करोड़ रुपए रहा (2009-10 में 69 करोड़ रुपए)। अवीवा ने पहली बार चालू वर्ष में 29 करोड़ रुपए का लाभ दर्शाया। सहारा इंडिया ने 28 करोड़ रुपए का लाभ प्रदर्शित किया जबकि 2009-10 में इसने 36 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। सहारा इंडिया ने पहली बार 2007-08 में लाभ प्रदर्शित किया था। श्रीराम लाइफ ने लगातार 4 वर्ष तक लाभ दिखाने

के बाद 2009-10 में 18 करोड़ रुपए की हानि दर्शायी। वर्तमान वर्ष 2010-11 में कंपनी ने 17 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया है। मैट लाइफ ने 25 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया है, इस प्रकार यह गत 4 वित्तीय वर्षों से निरंतर लाभ प्रदर्शित कर रही है तथापि मैट लाइफ 2007-08 से 2010-11 तक पॉलिसी धारकों के खातों में घाटा डाल रही थी। 2010-11 वर्ष के लिए कंपनी की संचयी क्षतियाँ 1733 करोड़ रुपए थी।

I.3.28 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बीमाकर्ताओं की कुल संचयी क्षतियाँ 1,498 करोड़ रुपए थी जबकि 2009-10 में ये 3,261 करोड़ रुपए थी। हानि अनुवृद्धि (लॉस एक्रिशन) की दर में काफी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त कुछ बीमाकर्ताओं के संदर्भ में, राजस्व खाते में, वर्ष 2010-11 के लिए कुल 627 करोड़ रुपए का घाटा रहा जबकि 2009-10 में 1,004 करोड़ रुपए का घाटा था। जीवन बीमा उद्योग की संचयी हानियाँ 31 मार्च, 2011 को 20,569 करोड़ रुपए थी (2009-10 में 20,143 करोड़ रुपए)।

शेयरधारकों का प्रतिफल (रिटर्न)

I.3.29 2010-11 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को 1,138 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया। यह वर्ष के दौरान प्राप्त लाभ का 97 प्रतिशत बनता है। यह 2009-10 के बराबर ही है, जब भारतीय जीवन बीमा निगम ने लाभांश के रूप में सरकारी खजाने को कुलनिवल लाभ की 97 प्रतिशत राशि (1031 करोड़ रुपए) दी थी।

कार्यालयों का विस्तार

I.3.30 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत में, जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या में कमी आई। जहाँ प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने 593 कार्यालय बंद किए वहीं सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम ने 121 नए कार्यालय खोले। इस प्रकार जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या में कमी आई और ये 31 मार्च, 2010 की स्थिति के 12,018 से घटकर 31 मार्च, 2011 को 11,546 रह गए, (स्टेटमेंट संख्या 29)।

तालिका I.14
जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति)

बीमाकर्ता	2007	2008	2009	2010	2011
प्राइवेट कुल	3072	6391	8785	8768	8175
जीवन बीमा निगम	2301	2522	3030	3250	3371
उद्योग कुल	5373	8913	11815	12018	11546

* प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर खोले गए कार्यालय.


टिप्पणी: 1) एक विशेष विवरणी (रिटर्न) के माध्यम से जीवन बीमा कर्ताओं से प्राप्त किए गए आँकड़े.
2) कार्यालय जैसा कि बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद, 64वीं सी में परिभाषित किया गया है.

तालिका I.15
31 मार्च, 2011 की स्थिति में जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का विभाजन


बीमाकर्ता	मेट्रो	शहरी	अर्धशहरी	अन्य	कुल
प्राइवेट कुल	769	1428	3715	2263	8175
जीवन बीमा निगम	363	560	953	1495	3371
कुल	1132	1988	4668	3758	11546

* प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात खोले गए कार्यालय
टिप्पणी: 1) एक विशेष विवरण के माध्यम से जीवन बीमा कर्ताओं से प्राप्त किए गए आंकड़े
2) स्थानों के एच आर ए वर्गीकरण के आधार पर, वित्त मंत्रालय
मेट्रो: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, हैदराबाद और बंगलुरु
शहरी: ए, बी-1 तथा बी-2 क्षेत्रों के शहर (एचआरए वर्गीकरण के अनुसार)
अर्धशहरी: एचआरए वर्गीकरण के अनुसार 'सी' श्रेणी के शहर
अन्य: जो स्थान एचआरए वर्गीकरण में सूचित नहीं हैं।

चार्ट I.8



चार्ट I.9



I.3.31 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय या तो अर्द्धशहरी इलाकों में या छोटे कस्बों में स्थित है, जो कि वित्त मंत्रालय के एचआएए वर्गीकरणों की सूची में नहीं है। लगभग 70 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय इन छोटे कस्बों में ही स्थित है। प्राइवेट क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों के जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों के वितरण का यही ढाँचा हर जगह है (स्टेटमेंट सं. 30)।

गैर जीवन बीमा

I.3.32 31 मार्च 2011 की स्थिति में 24 साधारण बीमा कंपनियों को देश में गैर जीवन बीमा कारोबार चलाने के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया। इनमें से 6 सरकारी क्षेत्र में हैं तथा शेष प्राइवेट क्षेत्र में हैं। प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से तीन को स्वास्थ्य घटक के परिचालन करने का पंजीकरण प्रदान किया गया है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में से जहाँ चार बीमा कंपनियाँ बहु-पंक्ति-परिचालन करती हैं, वहीं दो विशेषीकृत कंपनियाँ हैं। एक क्रेडिक बीमा के लिए (ईसीजीसी) और दूसरी फसल बीमा के लिए (एआइसी)। प्राइवेट क्षेत्र की 18 कंपनियों में से एक एलएंडटी जनरल को 2010-11 के दौरान लाइसेंस प्रदान किया गया है।

प्रीमियम


I.3.33 गैर जीवन बीमा उद्योग ने 2009-10 के 34,620 करोड़ रुपये के मुकाबले 2010-11 में 42,576 करोड़ रुपये के कुल प्रीमियम का जोखिम अंकन किया, जिससे 22.98 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज हुई जबकि गतवर्षीय वृद्धि केवल 14.06 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2010-11 में 21.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि गतवर्षीय वृद्धि दर 14.49 प्रतिशत थी। प्राइवेट साधारण बीमाकर्ताओं ने 24.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जोकि गत वर्ष के दौरान प्राप्त 13.44 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

तालिका I.16
भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल सीधी प्रीमियम आय

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी	20643.45 (14.49)	25151.83 (21.84)
प्राइवेट	13977.00 (13.44)	17424.63 (24.67)
कुल	34620.45 (14.06)	42576.45 (22.98)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

चार्ट I.10



वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

I.3.34 2010-11 में 15 प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (विशेषतः स्वास्थ्य बीमा कारोबार करने वाले बीमाकर्ताओं को छोड़ कर अन्य) द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम 17,425 करोड़ रुपए था जबकि 2009-10 में यह राशि 13,977 करोड़ रुपए थी। आइ सी आइ सी आइ लोम्बार्ड ने प्राइवेट क्षेत्र की सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी का दर्जा बरकरार रखा जिसका बाजार हिस्सा 9.99 प्रतिशत था। इसने 2009-10 के अपने 9.52 प्रतिशत बाजार हिस्से में इस वर्ष में आंशिक वृद्धि दर्ज की। प्राइवेट क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज, जिसने कुल 2,870 करोड़ रुपए प्रीमियम का जोखिम अंकन किया, उसने 2009-10 के अपने 7.17 प्रतिशत बाजार हिस्से में गिरावट का सामना किया और यह समीक्षाधीन वर्ष में घट कर 6.74 प्रतिशत रह गया। 15 प्राइवेट बीमाकर्ताओं में से 12 ने, जोखिम अंकित प्रीमियम में, वृद्धि दर्ज कराई और एक बीमाकर्ता रिलायंस जनरल ने प्रीमियम जोखिम अंकन में काफी गिरावट दिखाई (जिसने

16.38 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई)। अन्य दो बीमाकर्ताओं ने अपने परिचालन 2010-11 में शुरू किए हैं।

I.3.35 सरकारी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में सभी चारों कंपनियों ने अपने कारोबार का विस्तार किया और संबंधित प्रीमियम संग्रहणों में वृद्धि दर्ज की तथापि नेशनल को छोड़ कर इन कंपनियों के बाजार हिस्से में गत वर्ष के संबंधित स्तरों के मुकाबले गिरावट आई। नेशनल ने गत वर्ष के 4,625 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2010-11 में 6,221 करोड़ रुपए के प्रीमियम का जोखिम अंकन किया जिससे इसे अपने बाजार हिस्से में सुधार लाने में मदद मिली और यह 2010-11 में 14.61 प्रतिशत हो गया (गत वर्ष 13.36 प्रतिशत)। इसने 34.50 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जो कि वर्ष 2010-11 के लिए उद्योग औसत से अधिक थी। 7,097 करोड़ रुपए के बीमा प्रीमियम के साथ न्यू इंडिया, भारत की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी बनी हुई है जिसका बाजार हिस्सा 16.67 प्रतिशत है।

तालिका I.17
भारत में सकल सीधी प्रीमियम आय

बीमा कर्ता	कुल प्रीमियम (करोड़ रुपए)		बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
नेशनल	4625.18	6220.70	13.36	14.61
न्यू इंडिया	6042.51	7097.14	17.45	16.67
ओरिएंटल	4736.71	5457.33	13.68	12.82
युनाइटेड	5239.05	6376.66	15.13	14.98
सरकारी जोड़	20643.45	25151.83	59.63	59.07
रॉयल संदुरम	913.11	1144.00	2.64	2.69
रिलायंस	1979.65	1655.43	5.72	3.89
इफको टोकियो	1457.84	1783.18	4.21	4.19
टाटा ए आइ जी	853.80	1173.09	2.47	2.76
आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड	3295.06	4251.87	9.52	9.99
बजाज आलियांज	2482.33	2869.96	7.17	6.74
चोला मंडलम्	784.85	968.00	2.27	2.27
एचडी एफसी इरगो	915.40	1279.91	2.64	3.01
फ्यूचर जनराली	376.61	600.16	1.09	1.41
युनिवर्सल सॉपो	189.28	299.10	0.55	0.70
श्रीराम	416.93	780.89	1.20	1.83
भारती एक्सा	310.82	553.90	0.90	1.30
रहेजा क्यूबीई	1.32	4.90	0.00	0.01
एसबीआई	-	43.02	-	0.10
एलएंडटी	-	17.24	-	0.04
प्राइवेट जोड़	13977.00	17424.63	40.37	40.93
कुल जोड़	34620.45	42576.45	100.00	100.00

टिप्पणी: - दर्शाता है कि परिचालन में नहीं है.

घटकवार प्रीमियम


I.3.36 मोटर कारोबार, गैर जीवन बीमा क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक बना रहा जिसका हिस्सा 42.70 प्रतिशत था (2009-10 में 43.46 प्रतिशत)। इसने 20.82 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाई (2009-10 में 12.83 प्रतिशत)। स्वास्थ्य घटक ने प्रीमियम वसूलों में अच्छी छल्लाँग लगाई और यह 2009-10 की 7,311 करोड़ रुपए के मुकाबले 9,944 करोड़ रुपए हो गई और इस प्रकार इसने 36.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इससे कुल प्रीमियम में, 2010-11 में स्वास्थ्य घटक के हिस्से में, 23.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2009-10 में 21.12 प्रतिशत)। स्वास्थ्य घटक की वृद्धि ने समूचे गैर जीवन बीमा उद्योग द्वारा प्राप्त की गई वृद्धि दर को भी पछाड़ दिया। अग्नि, और समुद्री घटकों में प्रीमियम वसूली 2009-10 में तो स्थिर रही परंतु 2010-11 में इन घटकों में क्रमशः 17.72 प्रतिशत तथा 16.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका I.18
गैर जीवन बीमाकर्ताओं (भारत में) द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम: घटकवार
(करोड़ रुपए)

विभाग	2009-10	2010-11
अग्नि	3869.27 (11.18)	4555.12 (10.70)
समुद्री	2167.59 (6.26)	2518.77 (5.92)
मोटर	15047.00 (43.46)	18180.52 (42.70)
स्वास्थ्य	7311.37 (21.12)	9944.03 (23.35)
अन्य	6225.22 (17.98)	7378.01 (17.33)
कुल प्रीमियम	34620.45 (100.00)	42576.45 (100.00)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े घटकवार प्रीमियम का हिस्सा दर्शाते हैं. (प्रतिशत)

चार्ट I.11



भारत से बाहर जोखिम अंकित प्रीमियम

I.3.37 सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता (युनाइटेड इंडिया को छोड़ कर) भारत के बाहर भी गैर जीवन बीमा कारोबार का जोखिम अंकन करते हैं। युनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर अपने परिचालन 2003-04 में ही खत्म कर दिए थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम अंकित कुल प्रीमियम, 2009-10 के 1,195 करोड़ रुपए के मुकाबले 2010-11 में 1,265 करोड़ रुपए रहा जो कि 5.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (गत वर्ष 11.04 प्रतिशत)। भारत के बाहर जोखिम अंकित प्रीमियम, कुल जोखिम अंकित प्रीमियम का 2.89 प्रतिशत था।

तालिका I.19
कुल प्रीमियम से भारत के बाहर के प्रीमियम का अनुपात
(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नेशनल	0.45	0.39
न्यू इंडिया	14.88	13.71
ओरिएंटल	2.43	2.02
युनाइटेड*	-	-

* वर्ष 2003-04 से परिचालन बंद

I.3.38 न्यू इंडिया भारत के बाहर प्रीमियम जोखिम अंकित करने वाला सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बीमाकर्ता बना रहा और उसने 2010-11 जो कुल प्रीमियम, जोखिम अंकित किया था, उसमें से भारत के बाहर जोखिम अंकित प्रीमियम 13.72 प्रतिशत था। ओरिएंटल ने 2010-11 में भारत के बाहर जो प्रीमियम जोखिम अंकित किया, वह कुल प्रीमियम का 2.02 प्रतिशत था। जो कि 2009-10 के 2.43 प्रतिशत से थोड़ा सा कम था। नेशनल इन्श्योरेंस ने 2010-11 में भारत के बाहर बहुत थोड़ा अर्थात् 0.39 प्रतिशत कारोबार किया और वह भी 2009-10 में किए गए 0.45 प्रतिशत के कारोबार से थोड़ा सा ही कम था।

तालिका I.20
भारत के बाहर के कारोबार से सकल सीधा प्रीमियम:
गैर जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नेशनल	20.81 (30.49)	24.47 (17.56)
न्यू इंडिया	1056.63 (11.58)	1128.37 (6.79)
ओरिएंटल	117.97 (3.81)	112.55 (-4.60)
कुल	1195.41 (11.04)	1265.39 (5.85)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं: युनाइटेड इंडिया ने 2003-04 से अपने विदेशी परिचालन बंद कर दिए।

I.3.39 2010-11 में भारत के बाहर अंकित कुल 1,265 करोड़ के प्रीमियम में से न्यू इंडिया ने, 1,128 करोड़ रुपए का उच्च प्रीमियम अंकित किया। (2009-10 में 1,056 करोड़ रुपए) जिससे 2009-10 के 88.39 प्रतिशत के मुकाबले सरकारी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर अंकित कुल प्रीमियम में, इसका बाजार हिस्सा बढ़ कर 89.17 प्रतिशत हो गया। नेशनल ने 24.47 करोड़ रुपए का प्रीमियम अंकित किया (2009-10 में 20.81 करोड़ रुपए)। ओरिएंटल इन्श्योरेंस द्वारा, भारत के बाहर जोखिम अंकित प्रीमियम 113 करोड़ रुपए था जो कि गत वर्ष के 118 करोड़ रुपए की तुलना में कम था, जिससे 4.60 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित हुई।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या

I.3.40 गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने 2009-10 की 674.88 लाख पॉलिसियों की तुलना में वर्ष 2010-11 में 793.41 लाख पॉलिसियाँ जोखिम अंकित की, जो कि, 2009-10 की तुलना में 17.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सरकारी क्षेत्र की बीमाकर्ताओं ने जारी पॉलिसियों की संख्या की दृष्टि से एक प्रमुख वृद्धि प्रदर्शित की। वर्ष 2010-11 के दौरान इसने 2009-10 की तुलना में, 16.52 प्रतिशत पॉलिसियाँ अधिक जारी की (2009-10 में 3.84 प्रतिशत की ऋणत्वम वृद्धि हुई) इसी प्रकार प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने भी, जारी पॉलिसियों की संख्या में 19.44 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई (2009-10 में 9.86 प्रतिशत)

तालिका I.21
भारत के बाहर के कारोबार सकल सीधा प्रीमियम:
गैर जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
नेशनल	434.04 (-3.84)	505.76 (16.52)
न्यू इंडिया	240.84 (9.86)	287.652 (19.44)
कुल	674.88 (0.64)	793.41 (17.56)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं: युनाइटेड इंडिया ने 2003-04 से अपने विदेशी परिचालन बंद कर दिए।

चुकता पूँजी

I.3.41 31 मार्च 2010 को, गैर जीवन बीमाकर्ताओं की कुल चुकता पूँजी 5684 करोड़ रुपए थी। 2010-11 के दौरान, गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने इकट्टी पूँजी आधार में 1,021 करोड़ रुपए और बढ़ाए (सभी प्राइवेट क्षेत्रों में), इसके गैर-जीवन बीमा-क्षेत्र की कुल चुकता पूँजी 31 मार्च 2011 को 6,706 करोड़ रुपए हो गई। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की चुकता पूँजी 2010-11 में 550 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रही। (स्टेटमेंट संख्या 52)

तालिका I.22
चुकता पूँजी: गैर जीवन बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता**
(31 मार्च की स्थिति)

बीमाकर्ता	2010	2011
बहु व्यवस्थाय बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	550	550
प्राइवेट क्षेत्र	3160	3956
बिशेषकृत बीमाकर्ता		
ईजीसीजी	900	900
एआइसी	200	200
स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
स्टार हैल्थ	164	203
अपोलो म्यूनिख	129	196
मैक्स ब्यूपा	151	271
पुनर्बीमाकर्ता		
जीआइसी	430	430
कुल	5684	6706

टिप्पणी * इनमें विशेषीकृत संस्थाएँ शामिल हैं।

● इसमें इकट्टी शेयर पूँजी जारी करने पर का प्रीमियम शामिल नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

जोखिम अंकन अनुभव

I.3.42 गैर जीवन बीमा कंपनियों की जोखिम अंकन हानियाँ गत वर्ष की 5,944 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 9,969 करोड़ रुपए हो गई। हानियाँ 67.72 प्रतिशत हो जाने से अंकन क्षतियों में भारी उछल दिखा (2009-10 में 11.64 प्रतिशत)। जोखिम अंकनों में ये हानियाँ सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, दोनों के लिए हर स्तर पर हुई, जिसका प्रमुख कारण मोटर तृतीय पक्ष देयता घटक में, प्रावधानन की अपेक्षाएँ थी।

तालिका I.23
जोखिम अंकन क्षतियाँ : गैर-जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र	4541.18 (7.43)	7549.50 (66.24)
प्राइवेट क्षेत्र	1402.48 (27.86)	2419.45 (72.51)
कुल	5943.66 (11.64)	9968.95 (67.72)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े, गतवर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं

तालिका I.24
कमीशन खर्च : गैर जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए)

घटक	प्राइवेट क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		कुल	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
अग्नि	60.79	74.86	239.86	267.79	300.65	342.65
समुद्री	40.51	52.88	123.26	141.57	163.77	194.45
मोटर	288.14	307.32	553.64	576.03	841.77	883.35
स्वास्थ्य	140.58	189.58	486.17	525.18	626.75	714.76
अन्य	146.88	169.56	422.87	432.77	569.76	602.33
कुल	676.90	794.21	1825.81	1943.34	2502.71	2737.55

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के खर्च

I.3.43 2010-11 सरकारी और प्राइवेट गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन खर्च क्रमशः 1,943 करोड़ रुपए तथा 794 करोड़ रुपए रहे। जिससे गैर जीवन बीमा उद्योग के लिए संचयी रुप से कमीशन खर्च 2,737 करोड़ रुपए रहे। सर्वाधिक कमीशन खर्च मोटर घटक के लिए रहे जो 883 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 576 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र तथा 307 करोड़ रुपए गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के थे।

I.3.44 कमीशन खर्च तथा परिचालन खर्च, कुल खर्चों, का बहुत बड़ा भाग होता है। 2009-10 के 8,392 करोड़ रुपए की तुलना में गैर जीवन बीमा कंपनियों के परिचालन खर्च 2010-11 में 10,620 करोड़ रुपए थे, जिससे कुल मिलाकर 26.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। परिचालन व्ययों में यह बढ़ोतरी सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं (27.10 प्रतिशत) तथा प्राइवेट बीमाकर्ताओं (25.63 प्रतिशत) में लगभग एक समान ही दिखी।

तालिका I.25
परिचालन खर्च : गैर जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र	5262.59	6688.60
प्राइवेट क्षेत्र	3129.61	3931.88
कुल	8392.20	10620.48

टिप्पणी: सरकारी क्षेत्र में ईसीजीसी, एआइसी तथा जी आइ सी शामिल नहीं है।

I.3.45 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 40सी के अनुसार कोई भी बीमाकर्ता, किसी भी एक वर्ष में बीमा नियमावली, 1939 के नियम 17ई के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक राशि, प्रबंधन व्ययों के रुप में खर्च नहीं कर सकता। इन खर्चों की सीमाएँ निर्धारित करते समय नियम 17ई बीमाकर्ता के आकार तथा कार्य के वर्षों का ध्यान में रखता है। परिच्छेद 64 एफ के तहत, गठित साधारण बीमा परिषद की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण, किसी भी वर्ष को सीमाओं में वृद्धि कर सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

I.3.46 प्राधिकरण ने 15 प्राइवेट बीमाकर्ताओं को, उनके कारोबार परिचालनों के प्रारंभिक पाँच वर्षों में, नियम 17ई के अंतर्गत, सीमाओं में छूट प्रदान की।

I.3.47 वर्ष 2010-11 में 24 गैर जीवन बीमा कंपनियों में से (जिनमें सरकारी क्षेत्र के 4 उद्यम तथा दो विशेषीकृत संस्थाएँ शामिल हैं) 10 कंपनियों छूट अवधि में चल रही हैं। शेष में से 5, नियम 17ई के अंतर्गत आने वाली सीमाओं का अनुपालन कर रही थी।

तालिका I.26

गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे
(करोड़ रुपए)

बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र	14967.23 (9.75)	19599.14 (30.95)
प्राइवेट क्षेत्र	7307.25 (20.20)	9937.31 (35.99)
कुल	22274.48 (12.97)	29536.45 (32.60)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े, संबंधित क्षेत्र की वृद्धि-दर, प्रतिशत में दर्शाते हैं।

उपगत दावा अनुपात

I.3.48 2009-10 के 22,274 करोड़ रुपए की तुलना में, गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे, वर्ष 2010-11 में 29,536

करोड़ रुपए के थे। उपगत दावों ने वर्ष 2010-11 के दौरान 32.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। जहाँ सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में 30.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए यह वृद्धि 35.99 प्रतिशत थी, तथापि कुल मिलाकर वर्ष 2010-11 में उपगत दावों में हुई 32.60 प्रतिशत की यह वृद्धि, गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई जोकि 12.97 प्रतिशत की वृद्धि से काफी ऊँची और महत्वपूर्ण थी।

I.3.49 वर्ष 2010-11 के दौरान गैर जीवन-बीमा उद्योग का उपगत-दावा अनुपात (निवल प्रीमियम से निवल उपगत दावे) 93.37 प्रतिशत था, जो कि, गत वर्ष के 85.50 प्रतिशत से अधिक था। प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का 'उपगत-दावा-अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है जो 97.03 प्रतिशत है (2009-10 में 88.27 प्रतिशत)। प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए यह अनुपात 86.90 प्रतिशत था (2009-10 में 80.30 प्रतिशत)।

I.3.50 विभिन्न घटकों में से, मोटर बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा का 'उपगत अनुपात' अधिक था, जो कि, क्रमशः 102.69 प्रतिशत तथा 100.08 प्रतिशत था। गत वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य बीमे को छोड़ कर शेष सभी घटकों के उपगत-दावा-अनुपात में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य घटक में, उपगत दावा अनुपात में काफी गिरावट आई और यह 2009-10 के 111.13 प्रतिशत के मुकाबले 2010-11 में घट कर 100.88 प्रतिशत रहा।

तालिका I.27
उपगत दावा अनुपात

(प्रतिशत)

घटक	सरकारी क्षेत्र		प्राइवेट क्षेत्र		कुल	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
अग्नि	81.10	87.86	72.79	75.16	79.91	86.07
समुद्री	75.50	92.89	86.40	82.12	78.08	90.18
मोटर	87.84	111.10	80.42	93.70	84.51	102.69
स्वास्थ्य	119.85	106.31	92.22	85.15	111.13	100.08
अन्य	56.59	58.11	56.81	49.76	56.64	56.13
कुल	88.27	97.03	80.79	86.90	85.50	93.37

गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में दावों का निपटान

बीमा कारोबार में दावों का निपटान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जोखिम अंकन तथा दावों का निपटान, किसी भी बीमा कंपनी के कार्यों के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। किसी भी बीमा संविदा से ग्राहक को निम्नलिखित अपेक्षाएँ होती हैं:

- सही कीमत पर, उपयुक्त बीमा सुरक्षा, जिससे जरूरत पड़ने पर वह कठिनाई में न आ जाए।
- संबंधित पृष्ठांकनो/वारंटीज/शर्तों/दिशा निर्देशों के साथ, त्रुटिहीन पॉलिसी दस्तावेजों की, समय पर सुपुर्दगी।
- दावा प्रस्तुत करने पर दावे का जल्दी निपटान।

गैर जीवन बीमा क्षेत्र में अनुमानतः 15 प्रतिशत पॉलिसियों के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। चूँकि गैर जीवन बीमा दावों के निपटानों की अपनी विशेषताएँ हैं, इसलिए उन्हें सही तरह से व्यवहृत किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए किसी बीमाकर्ता के, दावों के निपटान का रिकॉर्ड हो, उसके कार्य निष्पादन की कसौटी होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कोई बीमाकर्ता अपने सभी दावे तत्परता से निपटाने की स्थिति में है, बीमाकर्ता को जोखिम अंकि संविदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और तदनुसार अपने प्रीमियमों का मूल्य निर्धारित करना होगा। जोखिम अंकन में विशेषज्ञ ही वह कारक है, जो प्रायः किसी एक बीमाकर्ता के कार्य निष्पादन को, दूसरे से भिन्न बताता है, और यदि कोई बीमाकर्ता दावों का सही अनुमान नहीं लगा पाता है तो उसे पूँजी क्षरण शोधक्षमता तथा नकदी जैसे जोखिमों का माना करना पड़ सकता है। सर्विसिंग और बाजार आचरण की दृष्टि से बीमाकर्ताओं को, एक मजबूत दावा प्रोसेसिंग तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो तेज गति वाला हो और पॉलिसीधारक के प्रति मित्रवत् हो। दावों के निपटान में जरूरत से ज्यादा देरी लगने और अस्वीकृत दावों का प्रतिशत अधिक होने से बीमाकर्ता की छवि इस दृष्टि से खराब होती है कि, अपने कारोबार और पॉलिसीधारकों के प्रति, उसका दृष्टिकोण सही नहीं है।

दावों के निपटान से संबंधित सांविधिक और विनियामक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

1. बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 14 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता एक रजिस्टर रखेगा अथवा दावों का रिकॉर्ड रखेगा जिसमें हर दावा दर्ज किया जाएगा और उसके साथ दावे के तारीख, दावेदार का नाम और अस्वीकार किया गया है तो अस्वीकरण की तिथि, और अस्वीकरण के कारण दिए जाएंगे।
2. बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64 यू एम में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी बीमा पॉलिसी से संबंधित किसी भी दावे का निपटान, जिसकी हानि 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो, बीमाकर्ता द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि, जो हानि हुई है, उसके बारे में रिपोर्ट, वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर लेता, जिसके पास सर्वेयर या हानि आकलनकर्ता का लाइसेंस है।
3. बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002 के विनियम 8 में गैर-जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में, दावा प्रक्रिया के बारे में दिशा निर्देश, निम्न प्रकार से दिए गए हैं:
 - कोई बीमित व्यक्ति अथवा दावेदार, बीमा की संविदा के अंतर्गत हुई हानि की सूचना, बीमाकर्ता को, शीघ्रतापूर्वक देगा। इस प्रकार का संदेश प्राप्त होने पर साधारण बीमाकर्ता, तत्काल इसका प्रत्युत्तर देगा और बीमित व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि उसे क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है। यदि किसी मामले में हानि/दावे के आकलन के लिए किसी सर्वेयर की नियुक्ति की जानी हो, तो ऐसी नियुक्ति, बीमित व्यक्ति से सूचना पाने के, 72 घंटों के भीतर की जाएगी।
 - यदि बीमित व्यक्ति, सर्वेयर द्वारा माँगे गए सभी विवरण भेजने में असमर्थ रहता है या सर्वेयर को बीमित व्यक्ति से पूरा सहयोग नहीं मिलता तो बीमाकर्ता अथवा सर्वेयर, बीमित व्यक्ति को, लिखित रूप से, देरी के बारे में सूचित करेगा कि उसे दावे की एसेसमेंट में देरी लग सकती है। सर्वेयर अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर बीमाकर्ता को अपने निष्कर्ष सूचित करेगा और यदि बीमित व्यक्ति चाहता है तो रिपोर्ट की प्रति उसको भी भेजेगा। मामले की विशेष और क्लिष्ट प्रकृति के कारण सर्वेयर विशास परिस्थिति में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीमाकर्ता से और समय माँग सकता है जिसकी जानकारी उसे बीमित व्यक्ति को भी देनी होगी। किसी भी स्थिति में कोई भी सर्वेयर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में, अपनी नियुक्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक समय नहीं लेगा।
 - यदि सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता यह पाता है कि रिपोर्ट किसी तरह से अपूर्ण है तो वह सर्वेयर को, कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, अरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा, और इस संबंध में बीमित व्यक्तियों को भी सूचित करेगा बीमाकर्ता इस प्रकार का अनुरोध, मूल सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करेगा, बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा, अतिरिक्त रिपोर्ट मंगाने की इस सुविधा का उपयोग, एक दावे के लिए एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा।
 - संदेश प्राप्त होने पर, सर्वेयर, बीमाकर्ता से संदेश प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर, अरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 - सर्वे-रिपोर्ट 'अथवा' अतिरिक्त सर्वे रिपोर्ट, प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता, 30 दिनों के भीतर, दावे का निपटान बीमित व्यक्ति को कर देगा। यदि बीमाकर्ता, किन्हीं कारणों से, जिन्हें लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा और बीमित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, पॉलिसी के अंतर्गत दावे को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है तो, उसे ऐसा, सर्वे रिपोर्ट अथवा अतिरिक्त सर्वे रिपोर्ट, जैसा भी प्रकरण हो, की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर करना होगा।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

- उपविनियम (5) में कहे गए अनुसार, बीमित व्यक्ति द्वारा निपटान की पेशकश स्वीकार कर लेने के बाद, देय राशि का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा पेशकश स्वीकार करने की तारीख से 7 दिन के भीतर किया जाएगा. भुगतान में देरी होने पर जिस वित्तीय वर्ष में दावे की समीक्षा की गई है, उसके शुरु में. प्रचलित बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक दर पर, बीमाकर्ता ब्याज अदा करेगा।

- जन शिकायत निवारण नियमावली, 1998 में, पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए, बीमा लोकपाल (ओम्बड्समैन) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियमों के परंतुक 12 में निर्धारित की गई लोकपाल की शक्तियों में, किसी बीमकर्ता द्वारा, दावों के आंशिक अथवा पूर्ण अस्वीकरण और दावों के निपटान में हुई देरी से संबंधित अभ्यवेदन प्राप्त करने, तथा उन पर विचार करने, की शक्ति प्रदान की गई है।

प्राधिकरण, बीमाकर्ताओं का आवधिक स्थलीय निरीक्षण भी करता है, जिनमें संबंधित प्रावधानों के प्रति, बीमाकर्ताओं के अनुपालन का सत्यापन किया जाता है. कानूनों/विनियमों का उल्लंघन करने वाले बीमाकर्ता, विनियामक कार्यवाई के भागी होते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने, 'एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आइजीएमएस) नामक एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है, जो बीमाकर्ताओं के पास दर्ज की गई और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाली गई शिकायतों पर समेकित रूप से पहुँच प्रदान करता है। सभी शिकायतें, जिनमें दावों से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, आइजीएमएस द्वारा देखी जाती हैं और उनके निपटान की तरीका और समयावधि जानने के लिए प्राधिकरण द्वारा ट्रैक की जाती है।

बीमाकर्ताओं की अपनी भी आंतरिक 'दावा समीक्षा तंत्र/प्रक्रियाएँ' होती हैं, जिनके द्वारा वे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि दावों का निपटान तत्परता से किया जाए, और यह भी कि कोई दावा, तुच्छ आधार पर अथवा बिना पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के, अस्वीकृत न किया जाए।

गैर-जीवन बीमा दावों का निपटान - तथ्य और आँकड़े

वर्ष	1 अप्रैल 2010 को बकाया	वर्ष 2010-11 के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान प्रोसेस किए गए कुल दावे	वर्ष 2010-11 में निपटाए गए दावों की संख्या	निपटान का % निपटाए गए दावे/ प्रोसेस किए गए कुल दावे	प्रोसेस किए गए अस्वीकार दावों की संख्या	अस्वीकरण का % अस्वीकृत/ कुल दावे
2010-11	33,31,724	2,65,98,505	2,99,30,229	2,55,35,978	85.3	7,79,645	2.6

आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने, दावा निपटान प्रक्रियाओं में निम्नलिखित पैटर्न देखा है.

- साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा दावों को अस्वीकार करने के मुख्य कारण इस प्रकार रहे

क्रम संख्याव्यापक वर्गीकरण

अ) पॉलिसी की शर्तें

दावे की सूचना में देरी के कारण
बीमित व्यक्ति द्वारा दावा संबंधी दस्तावेजों की प्रस्तुति में देरी के कारण
वारंटों के उल्लंघन के कारण दावा अस्वीकार किया गया
धोखा घड़ी, मिथ्याकथन, अ-प्रकटन
विशिष्ट-दावा-दस्तावेजीकरण का अनुपालन न करण
दावेदार का असहयोग
जोखिम में बदलाव की सूचना बीमा कंपनी को न देना
बीमाकर्ता को, स्वामित्व में परिवर्तन की जानकारी न देने के कारण मोटर बीमा दावे को अस्वीकार करना
अनुस्थापन अधिकारों/वसूली अधिकारों की सुरक्षा न करना
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

आ. प्रस्ताव/जोखिम अंकन संबंधी

प्रीमियम विवाद के कारण दावा अस्वीकार करना
आपदाओं को शामिल न करना
पॉलिसी में अपवर्जन के कारण
बीमा हित का अभाव
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

इ. उत्पाद संबंधी

निर्धारित प्रतीक्षा अवधि के कारण स्वास्थ्य बीमा दावों का अपवर्जन
पूर्व-विद्यमान अपवर्जन खंड के कारण दावा अस्वीकार किया गया
व्यवकलनीय (डिडक्टिबल) के अंतर्गत आने के कारण
अन्य

ई. अन्य

- गैर-जीवन बीमाकर्ता द्वारा वर्ष के दौरान प्रोसेस किए गए दावों की कुल संख्या से, उद्योग स्तर पर अस्वीकार किए गए दावों का प्रतिशत, केवल 2.6 है.
- इसके समक्ष, कुल दावों में से, उद्योग ने 85.3 प्रतिशत दावों का निपटान किया तथा शेष 12.1 प्रतिशत, वर्ष के अंत में बकाया थे।
- अस्वीकृत दावों की संख्या बढ़ रही है, यह वृद्धि इस कारण है क्योंकि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और कारोबार की मात्रा बढ़ रही है. गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसियों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है. यह संख्या 2010-11 में 7.93 करोड़ थी (वर्ष 2006-07 में यह केवल 4.67 करोड़ थी). तदनुसार, दावा सूचनाओं की संख्या भी बढ़ेगी और इसीलिए अंकों की दृष्टि से, दावों के अस्वीकरण की संख्या भी बढ़ेगी.

निवेश आय: गैर जीवन बीमा कर्ता

I.3.51 वर्ष 2010-11 के दौरान सभी गैर बीमाकर्ताओं की निवेश आय 9,382 करोड़ रुपए (2009-10 में 7,682 करोड़ रुपए) थी जिससे 22.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्र, दोनों के बीमाकर्ताओं की निवेश आय में वृद्धि हुई जो कि क्रमशः 15.39 प्रतिशत तथा 23.55 प्रतिशत थी।

तालिका I.28 निवेश आय (करोड़ रुपए)		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र	6347.27 (32.24)	7842.20 (23.55)
प्राइवेट क्षेत्र	1334.29 (22.28)	1539.63 (15.39)
कुल	7681.56 (30.39)	9381.83 (22.13)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।

गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवल लाभ

I.3.52 वर्ष 2010-11 के दौरान 'गैर-जीवन बीमाकर्ता क्षेत्र' की निवल हानियाँ 1,019 करोड़ रुपए थी। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की निवल हानियाँ 162 करोड़ रुपए रही, जबकि प्राइवेट क्षेत्र की सभी कंपनियों की मिलाकर हानियाँ, 857 करोड़ रुपए थी।

I.3.53 न्यू इंडिया को छोड़ कर सरकारी क्षेत्र की अन्य सभी कंपनियों ने 2010-11 में निवल लाभ दिखाया। युनाइटेड इंडिया ने 2010-11 के दौरान 131 करोड़ रुपये का निवल लाभ (2009-10 में 708 करोड़ रुपए) कमाया, जोकि, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में, सर्वाधिक था। सरकारी क्षेत्र की अन्य कंपनियों, जिन्होंने निवल लाभ प्रदर्शित किया, वे थी नेशनल तथा ओरिएंटल जिन्होंने क्रमशः 75 करोड़ रुपए तथा 55 करोड़ रुपए का निवल लाभ बताया। न्यूइंडिया ने 422 करोड़ रुपए की निवल हानि बताया (स्टेटमेंट सं. 55)।

I.3.54 2010-11 में 15 प्राइवेट कंपनियों में से जहाँ 2 कंपनियों ने लाभ दिखाया वहीं शेष 13 को निवल हानियाँ हुई। बजाज आलियांज का 2010-11 में निवल लाभ, 43 करोड़ रुपए था (2009-10 के 121 करोड़ रुपए की तुलना में)। श्रीराम ने 13 करोड़ रुपये का निवल लाभ (2009-10 में 16 करोड़ रुपए) प्रदर्शित किया। जिन 13 बीमाकर्ताओं ने हानियाँ दर्ज की वे थे - रिलायंस, एच डी एफसी एरगो, फ्यूचर जनरली, युनिवर्सल सॉपो भारती एएक्सए, रहेजा क्यू बी ई, आइ सी आइ सी आइ लोम्बार्ड, रॉयल सुंदरम, टाटा ए आइ जी, इफको टोकियो, चोलामंडलम, एसबीआइ जनरल तथा एल एंड टी जनरली (स्टेटमेंट सं. 58)।

तालिका I.29 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवल लाभ/हानियाँ (करोड़ रुपए)		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र	1293.07	-161.51
प्राइवेट क्षेत्र	-88.56	-857.43
कुल	1204.51	-1018.94

शेयर धारकों को प्रतिफल (रिटर्न)

I.3.55 सरकारी क्षेत्र की 4 गैर जीवन बीमा कंपनियों में से केवल युनाइटेड इंडिया ने ही राजकोष में, वर्ष 2009-10 के 142 करोड़ रुपए के मुकाबले 2010-11 में 30 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों में से केवल आइ सी आइ सी आइ लोम्बार्ड ने ही वर्ष के दौरान 56.59 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया (2009-10 में 64.52 करोड़ रुपए)।

I.3.56 कृषि बीमा कंपनी ने 2010-11 में, 20 करोड़ रुपए, लाभांश के रुप में घोषित किए। इ सी जीसी ने वर्ष में 26.10 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया जो गत वर्ष भुगतान किए गए 10.75 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। जी आई सी द्वारा किया गया लाभांश भुगतान 2009-10 के 353 करोड़ रुपए के मुकाबले घट कर 2010-11 में 206 करोड़ रुपए रह गया।

तालिका I.30 भुगतान किया गया लाभांश : गैर जीवन बीमाकर्ता (करोड़ रुपए)		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
गैर जीवन		
सरकारी क्षेत्र	270.98	30.00
प्राइवेट क्षेत्र	71.93	56.59
विशेषीकृत संस्थाएँ		
ईसीजीसी	10.75	26.10
एआइसी	0	20.00
पुनर्बीमा		
जी आइ सी	352.60	206.40
कुल	706.26	339.09


कार्यालयों की संख्या

I.3.57 31 मार्च 2011 की स्थिति में, गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ, 6,660 कार्यालयों से पूरे देश में परिचालन कार्य कर रही थी। इनमें से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की 4911 शाखाएँ तथा प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों की 1749 शाखाएँ थी (स्टेटमेंट सं. 72)।

तालिका I.31 गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या (31 मार्च की स्थिति)		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11
सरकारी क्षेत्र*	4771	4911
प्राइवेट क्षेत्र	1646	1749
कुल	6417	6660

टिप्पणी: *इनमें विशेषीकृत बीमाकर्ता एआइसी तथा ईसीजीसी शामिल हैं।

चार्ट I.12



* इसमें विशेषीकृत बीमाकर्ता ए आइ सी तथा ई सी जी भी शामिल हैं ।

विशेषीकृत संस्थाएँ

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम

I.3.58 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है, जो निर्यात ऋण बीमा के कारोबार का जोखिम अंकन करता है। कंपनी ने 2010-11 के दौरान 885 करोड़ रुपए के सकल सीधे प्रीमियम का जोखिम अंकन किया जिससे 2009-10 में जोखिम अंकित 813 करोड़ रुपए के मुकाबले 8.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। निवल आधार पर बीमाकर्ता ने 675 करोड़ रुपए का प्रीमियम अर्जित किया। जबकि गत वर्ष यह राशि 576 करोड़ रुपए थी। बीमाकर्ता ने 2010-11 में 225 करोड़ रुपए की जोखिम अंकित हानि दर्ज की (2009-10 में 171 करोड़ रुपए की हानि)। कंपनी का निवल लाभ, गत वर्ष के 53.73 करोड़ रुपए से बढ़ कर 85.66 करोड़ रुपए हो गया। बीमाकर्ता ने 2010-11 में '112.24' उपगत-दावा-अनुपात रिपोर्ट किया (2009-10 में 117.22)।

I.3.59 ट्रांसफर गारंटियों को मिलाकर निगम के पास, 2010-11 में 13,093 अल्पाविधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ चालू थी (2009-10 में 13,429)। वर्ष के दौरान अल्पाविधि पॉलिसियों पर अर्जित प्रीमियम आय, 333 करोड़ रुपए थी (2009-10 में 289 करोड़ रुपए) जिससे समीक्षाधीन वर्ष में 14.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जबकि गत वर्ष 37.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई थी। 2009-10 के 36.90 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 के दौरान मध्याविधि तथा दीर्घवधि कारोबार से हुई प्रीमियम आय 41.23 करोड़ रुपए थी जिससे 11.73 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

I.3.60 निगम के, प्राधिकरण के विनियामक ढांचे के अधीन आने के परिणाम स्वरूप, संगत विनियामक प्रावधानों के अनुरूप बैंक जमा राशियों से निवेश अवसरों की ओर, धीरे-धीरे शिफ्ट होने के, प्रबन्ध प्रयास किए जा रहे हैं। 2009-10 के 2,620 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2010-11 में निवेश वृद्धि 3,164 करोड़ रुपए अर्थात् 21 प्रतिशत थी और कंपनी की कुल संपत्तियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 2009-10 की 1,959 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2010-11 में 2,062 करोड़ रुपए हो गई।

कृषि बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

I.3.61 भारतीय कृषि बीमा कंपनी एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है, जो कृषि बीमे के कारोबार का जोखिम अंकन करती है। कंपनी ने 2010-11 के दौरान 1,950 करोड़ रुपए के सकल सीधे प्रीमियम का जोखिम अंकन किया जिससे 2009-10 में जोखिम अंकित 1,520 करोड़ रुपए के मुकाबले, 28.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। निवल आधार पर बीमाकर्ता ने 1275 करोड़ रुपए का निवल प्रीमियम अर्जित किया, जबकि गत वर्ष यह राशि, 1,023 करोड़ रुपए थी। बीमाकर्ता ने 412 करोड़ रुपए का जोखिम-अंकन-लाभ सूचित (रिपोर्ट) किया (2009-10 में 143 करोड़ रुपए की हानि)। कंपनी का निवल लाभ गत वर्ष के 33.40 करोड़ रुपए से बढ़ कर 380 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी का 'उपगत-दावा-अनुपात' 74.47 था। (2009-10 में 116.30)।

स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ

I.3.62 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अनन्य रूप से बीमा कारोबार घटक में परिचालन करने के लिए, तीन बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। इन कंपनियों का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है।

स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी

I.3.63 स्टार हेल्थ ऐसी पहली कंपनी थी जिसे 2006-07 में, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत-दुर्घटना तथा यात्रा बीमा घटकों में अनन्य रूप से जोखिम अंकन के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया। अपने परिचालन के पाँचवें वर्ष में, बीमाकर्ता ने, 2010-11 में 1,228 करोड़ रुपए का 'सकल-सीधा-प्रीमियम' जोखिम अंकित किया जो कि 2009-10 में अंकित 962 करोड़ रुपए के मुकाबले 27.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। निवल आधार पर बीमाकर्ता ने 831 करोड़ रुपए का निवल, प्रीमियम कमाया जबकि गत वर्ष यह राशि 610 करोड़ रुपये थी। बीमाकर्ता ने 2010-11 में 8.68 करोड़ रुपए की "जोखिम अंकन हानि" रिपोर्ट की (2009-10 में 1.74 करोड़ रुपए की हानि)। वित्तीय वर्ष 2010-11 में गतवर्ष के 5.26 करोड़ रुपए के मुकाबले में बीमाकर्ता ने 7.39 करोड़ रुपए का निवल लाभ बताया। वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी का 'उपगत-दावा-अनुपात' 91.19 था (2009-10 में 87.11)।

अपोलो म्यूनिख हेल्थ इन्शोरेंस

I.3.64 अपोलो म्यूनिख ऐसी दूसरी कंपनी थी जिसे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, तथा यात्रा बीमा घटकों में अनन्य रूप से, जोखिम अंकन के

लिए पंजीकरण मिला, अपने परिचालन के चौथे वर्ष में कंपनी ने 2009-10 के 115 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 में 283 करोड़ रुपए के सकल सीधे प्रीमियम का जोखिम अंकन किया, जिससे 146.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कंपनी द्वारा अर्जित, 'जोखिम-अंकित-निवल-प्रीमियम' 2009-10 के 69.96 करोड़ रुपए से बढ़ कर 148.74 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने 2010-11 में 94.42 करोड़ रुपए की "जोखिम-अंकन-हानि" (2009-10 में 98.65 करोड़ रुपए की हानि, तथा 79.44 करोड़ रुपए की उपगत निवल हानि (2009-10 में 89.70 करोड़ रुपए की, निवल हानि) प्रदर्शित की। 2010-11 में बीमाकर्ता का 'उपगत-दावा-अनुपात', 61.96 प्रतिशत था (2009-10 में 85.39 प्रतिशत)।

मैक्स बुपा हेल्थ इन्शोरेंस

I.3.65 मैक्स बुपा हेल्थ इन्शोरेंस, अनन्य रूप से स्वास्थ्य बीमा कारोबार करने वाली तीसरी कंपनी है जिसे 2009-10 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था। कंपनी ने 2010-11 में 25 करोड़ रुपए का 'सकल सीधा प्रीमियम' जोखिम अंकित किया जबकि गत वर्ष में 0.13 करोड़ रुपए ही अंकित किए गए थे क्योंकि इसने अपने परिचालन मार्च 2010 में ही शुरू किए थे। 2010-11 में कंपनी द्वारा जोखिम अंकित, 'अर्जित-निवल-प्रीमियम' 8.07 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 2010-11 में 124 करोड़ रुपए की जोखिम अंकित हानि रिपोर्ट की। कंपनी ने गत वर्ष के 36.60 करोड़ रुपए के मुकाबले 2010-11 में 116.25 करोड़ रुपए की निवल हानि संसूचित की। 2010-11 के लिए इसका "उपगत-दावा-अनुपात" 50.31 प्रतिशत था।

बॉक्स मद-3

स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राधिकरण ने एक आँकड़ा संग्रहक (डिपोजिटरी) की स्थापना की ताकि बीमाकर्ताओं को, स्वास्थ्य बीमा पर, प्रामाणिक, मजबूत और स्पष्ट आँकड़े प्राप्त हो सकें। इस संबंध में आगे, एक और कदम के रूप में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण तथा उद्योग ने, स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता के मुद्दे पर काफी गहन चर्चा की। परिणामस्वरूप साधारण बीमा परिषद् (जी आई सी) ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी तैयार की जो सभी बीमाकर्ताओं के लिए एक मानक का काम कर सके और कुछ हदतक पॉलिसी धारकों को भी स्वतंत्रता मिल सके कि वे प्राप्त बोनस राशि रखते हुए भी बीमा प्रदायकों को बदल सकें।

जी आई सी द्वारा अनुशंसित मानक उत्पाद की जाँच करते समय प्राधिकरण ने पाया कि आयु तथा बीमित राशि से संबंधित सीमाओं के कारण, यह प्रस्तावित मानक उत्पाद शीघ्र ही अप्रचलित हो जाएगा। उदाहरणार्थ, अधिकतम बीमित राशि केवल 2 लाख रुपए रखी गई है, जो कि मेडिकल स्फूर्ति के कारण, पाँच वर्षों में, निरर्थक हो जाएगी। इस मानक उत्पाद को तमाम संचार साधनों के जरिए उल्लेखित किया गया और विभिन्न संसदीय प्रश्नों के माध्यम से ये मुद्दे संसद में भी उठाए गए और प्राधिकरण ने संसद को आश्वस्त, किया कि इन चिंताओं का उचित समाधान निकाला जाएगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी बीमाकर्ताओं को प्राप्त, प्रतिकूल दावा अनुपातों के परिणामस्वरूप, तथा सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा प्रीमियम बढ़ाने के ऊर्मि प्रभाव के कारण, पॉलिसीधारकों को सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियमों में तेज वृद्धि का सामना करना पड़ा। इससे बीमित व्यक्ति के क्रेडिट का संज्ञान न लेने के संबंध में पॉलिसीधारकों की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई, विशेषकर जब भी पॉलिसी धारक बीमा कंपनी बदलता है तो पहले से मौजूद बीमारियों कवरेज आदि के लिए प्रतीक्षा अवधि के संबंध में बहुत शिकायतें मिली। उद्योग में इस विषय पर काफी-चर्चा और विचार विमर्श के का पश्चात्, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समस्त बीमित व्यक्तियों को, पूरे उद्योग में, बीमा अवधि के लिए, क्रेडिट प्रदान किया जाए और यह केवल किसी विशिष्ट बीमा कंपनी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

इससे पॉलिसी धारक को कैसे लाभ होगा:

स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता शुरू होने से, पॉलिसी धारक ही निर्णयकर्ता हो जाएगा, और स्वास्थ्य बीमा "परिस्थिति की तंत्र" में ध्यानाकर्षण का केन्द्र बन जाएगा। बजाय इसके कि बीमित व्यक्ति को, स्वास्थ्य रक्षा हेतु, बीमा तंत्र को ही अमान्य करना पड़े अब बीमित व्यक्ति के पास, एक बीमा कंपनी से दूसरे बीमा कंपनी में जाने का विकल्प मौजूद है। नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को, इस विकल्प से, अपना बीमा आगे ले जाना, और आसान

सकता है, अपनी बीमा प्लान को व्यक्तिगत प्लान में बदलने की राह खुल जाएगी। जहाँ तक बीमाकर्ताओं का प्रश्न है, इसे उनमें प्रतियोगिता और कड़ी हो जाएगी और यदि वे स्वयं को ग्राहकों की आशाओं के अनुरूप ढाल कर अपने पॉलिसी धारकों को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पेशकशों, मूल्यों और सेवाओं के स्तरों में सुधार लाना पड़ेगा। इस नए उपाय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह है कि, बीमा उद्योग पर दबाव डाला जाए कि वह उपचागर पर आई लागतों के मानकीकरण की दिशा में कारवाई करें, क्योंकि अब न तो बीमाकर्ता और न ही अस्पताल, लागतों के प्रति उत्तरदायित्व और पारदर्शिता से बच सकते हैं। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने, स्वास्थ्य बीमा की सुवाह्यता विषय पर 2 परिपत्र जारी किए गए हैं।

1. दिनांक 10 फरवरी 2011 का परिपत्र:

- बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को सूचित किया है कि जब कोई पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी, एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में परिवर्तित करता है या एक प्लान से दूसरी प्लान में जाता है, तो प्रतीक्षा अवधि के संदर्भ में, पॉलिसी धारकों को, पहले से मौजूद स्थितियों में प्राप्त क्रेडिट को, आगे ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए, बशर्ते कि, पिछली पॉलिसी को बिना ब्रेक के जारी रखा गया है।
- जिन पॉलिसियों के लिए पॉलिसीधारकों ने सुवाह्यता का विकल्प चुना है, उनसे संबंधित कंपनियों के समस्त आँकड़े और दावों के विवरण, यदि प्रतिस्थायी (काउंटरपार्ट) कंपनी ने माँगे हैं तो, अनुरोध प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर, उस प्रतिस्थायी कंपनी को भिजवाए जाने होंगे। विनियामक ने, सुवाह्यता आवेदन-पत्रों की पावती के लिए 3 दिन की समयवधि प्रदान की है।
- आशा है कि इस सुधार से, समूचे बीमा उद्योग में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उद्योग से जुड़े लोगों ने इस प्रयास का स्वागत किया है। स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता से, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीच, प्रतियोगिता की भावना और बढ़ेगी क्योंकि उन्हें अपने वर्तमान ग्राहकों बनाए रखना है।

इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इस दिशा में निरंतर अभिनव प्रयास होते हैं और क्षमता मानदंडों और सेवाओं में भी सुधार होता है।

2. दिनांक 9 सितंबर 2011 का परिपत्र:

- यह आवश्यक समझा गया कि स्वास्थ्य बीमा के इतिहास से संबंधित आँकड़े एकत्र करने, तथा पोर्टिंग पॉलिसीधारक के रिकॉर्डों के अंतरण पर निगरानी रखने के लिए, एफ प्रणाली शुरी की जाए। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाह्यता का कार्य, 1 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ होना आदेशित किया जाए।
- स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता संबंधी विस्तृत प्रक्रियाएँ, निर्धारित/घोषित कर दी गई हैं।
- 'सुवाह्यता' और 'पॉलिसी में ब्रेक' की परिभाषा:
- **सुवाह्यता:** सुवाह्यता से तात्पर्य, किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक (परिवार बीमा सहित) को यह अधिकार प्रदान करने से है, कि जब वह अपनी पॉलिसी एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में परिवर्तित करता है या एक ही बीमाकर्ता की एक प्लान से दूसरी प्लान में जाता है, तो वह पहले की स्थिति में प्राप्त तथा समय बद्ध अपवर्जनों में प्राप्त, क्रेडिट को, अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि पिछली पॉलिसी, बिना ब्रेक के जारी रखी गई हो।
- **पॉलिसी में ब्रेक:** पॉलिसी में ब्रेक तब पड़ता है जब किसी पॉलिसी का बकाया प्रीमियम, प्रीमियम नवीकरण तिथि को या उससे पूर्व या उसके 30 दिनों के भीतर, जमा नहीं करवाया जाता है।
- आगे से, छूट अवधि बढ़ा कर 30 दिन कर दी गई है
- स्वास्थ्य बीमे के सुवाह्यता पर पोर्टल

भारतीय साधारण बीमा निगम (जी आइ सी)

I.3.66 जी आइ सी अकेली ऐसी राष्ट्रीय बीमाकर्ता कंपनी है जो भारत की सीधे कारोबार करने वाली साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा प्रदान करती है। कंपनी को पुनर्बीमा कार्यक्रम अधिकतम कारोबार, देश में ही रखने, एक्सपोजर के लिए समुचित कवरेज सुनिश्चित करने तथा घरेलू बाजार के भीतर पर्याप्त क्षमताएँ करने के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। यह 'तृतीय पक्षकार मोटर पूल' का भी प्रबंधक है जीआईसी, घरेलू बीमाकर्ताओं द्वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी पर सांविधिक अर्पण (सेशन) प्राप्त करती है जो कि कुछ सीमाओं, लीड्स ट्रीटी तथा इन कंपनियों के ऐच्छिक कार्यक्रमों के अधीन होती है।

I.3.67 जीआईसी द्वारा जोखिम अंकित कुल निवल प्रीमियम, 2009-10 के 8,777 करोड़ रुपए से 19.78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2010-11 में 10,513 करोड़ रुपए हो गया। पुनर्बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम असमाप्त जोखिमों हेतु (प्रारक्षित निधियों के समायोजन के पश्चात निवल प्रीमियम) काफी (18.17 प्रतिशत) बढ़ा और 2009-10 के 8,076 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 9,544 करोड़ रुपए हो गया। जी आइ सी का 'निवल-उपगत-दावा-अनुपात' 2010-11 में 8,626 करोड़ रुपए पर 90.38 प्रतिशत था जबकि 2009-10 में यह राशि 6,856 करोड़ रुपए और अनुपात 84.89 प्रतिशत था। कंपनी ने गतवर्ष के 1,775 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष के दौरान 1,033 करोड़ रुपए का निवल लाभ (टैक्स के बाद) बुक किया जो कि गत वर्ष की तुलना में 41.77 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है।

I.4. समीक्षा

I.4.1 पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा

I.4.1.1 पॉलिसी धारकों की सुरक्षा सफल मानी जाती है यदि कुछ आधारभूत पैरामीटरों को प्राप्त किया जाए जिनमें से प्रमुख हैं - पारदर्शिता। भावी बीमाकर्ताओं, शर्तों और जोखिमों के बारे में, पूर्ण, स्पष्ट, पर्याप्त और तुलनात्मक जानकारी दी जानी चाहिए। बिक्री और प्रमोशन के वक्त सर्वोच्च पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि पॉलिसी धारक विश्वस्त हो जाए कि उसे उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी दी जा रही है। बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारकों को सही ट्रीटमेंट दी गई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादों के बारे में स्पष्ट और पूर्ण जानकारी देना, न केवल मूलभूत अपेक्षा है बल्कि एक आवश्यकता भी है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002, न केवल बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों की बाध्यताओं को ही पारिभाषित करता है बल्कि विभिन्न 'पॉलिसीधारकों सर्विसिंग पैरामीटरों' के अनुपालन के लिए समय सीमा भी निर्धारित करता है, जिसमें बिक्री सर्विसिंग, दावा-सर्विसिंग तक का बीमा उत्पाद का पूर्ण जीवन चक्र आता है। मध्यस्थों/एजेंटों कॉर्पोरेट एजेंटों तथा ब्रोकरों से संबंधित विनियम, अन्य बातों के साथ साथ विक्रय बिंदु समेत, सब स्तरों के लिए आचार-संहिता निर्धारित करते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम, 2000 विक्रय स्तर पर विज्ञापन तथा प्रकटन संबंधी अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं। अन्य पैरामीटरों के अलावा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की 'फाईल एंड यूज प्रक्रिया' उत्पाद की सरलता और उसकी समझ की दृष्टि से भी एक अभ्यास डिल है।

I.4.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि संभावित ग्राहकों/पॉलिसीधारकों को उन्हें समझ में आने वाली भाषा में उत्पादों की जानकारी मिल सके, प्राधिकरण ने सरल भाषा में एक 'प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज' आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। 'प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज' यह भी सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ताओं ने उत्पाद संबंधी सभी जानकारियाँ दस्तावेज में दे दी हैं, जैसे-प्रीमियम के विवरण भुगतान की विधि, विभिन्न प्रभार, शामिल-जोखिम, पॉलिसी जारी न रखी तो क्या होगा, इत्यादि। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 'प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज' के संबंध में दिशानिर्देशों के एक्सपोजर ड्राफ्ट पर, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त जानकारी की जाँच कर रहा है।

I.4.1.3 पॉलिसीधारकों की सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि बीमाकर्ता तथा मध्यस्थ, पॉलिसी बेचते वक्त जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक 'दुर्बिक्री' (मिस सेल) नहीं करेंगे। बीमा सुरक्षा विनियामवली तथा मध्यस्थों के लिए तैयार किए गए विनियमों में इन मुद्दों का पूरा ध्यान रखा गया है। तथापि कुछ उत्पादों की क्लिष्टता को देखते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में

विशिष्टता 'यूनिट-संयुक्त बीमा उत्पादों' की दुर्बिक्री के संबंध में और विशिष्ट उपायों की जरूरत महसूस की है। यूलिप के संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि बीमाकर्ता, प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में विभिन्न प्रभारों के प्रति काटी जाने वाली राशि के बारे में, सभी प्रकार की संबंधित जानकारी संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक को अवश्य प्रदान करें ताकि संभावित ग्राहक सोच समझ कर निर्णय ले सकें। इसके अलावा, बीमाकर्ता 'लाभों के, उदाहरण भी दे जिसमें 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के दो वर्ग बनाएँ। संभावित ग्राहक को पॉलिसी प्रस्ताव के साथ-साथ इन लाभ-निर्देशों पर भी हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे।

I.4.1.4 अभी हाल ही में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने विशिष्ट विनियमों/वर्तमान विनियमों में संशोधनों के रूप में कुछ नई पहल की है। इनमें कुछ वितरण संबंधी संशोधन भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा उत्पादों की बिक्री में बिना लाइसेंस वाले लोग/संस्थाएँ भाग न ले सकें। जहाँ पॉलिसी की बिक्री हो गई है वहाँ कमीशन के अलावा किसी और किस्म का पारिश्रमिक देने का भी कोई स्कोप नहीं रह गया है। इनसे बीमाकर्ताओं के खर्च घटेंगे और परिणाम स्वरूप पॉलिसीधारक को भी कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पादों के वितरण हेतु आँकड़ा आधार को शेष्य करना) विनियम, 2010 बना कर, प्राधिकरण ने, 'रेफरल्स' के मुद्दे का भी हल निकाल दिया है और इस से प्रणाली के दुरुपयोग का कोई स्कोप ही नहीं रहा।

I.4.1.5 गलत सलाह और दुर्बिक्री पर अंकुश लगाने की दिशा में 'आवश्यकता विश्लेषण' एक अन्य नया प्रयास है, जिसे प्राधिकरण ने पहचाना है। बीमाकर्ता को 'प्रोस्पेक्ट-प्रॉडक्ट-मैट्रिक्स' रखना होगा, जो कि, किए गए आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर 'उत्पाद' को जरूरत से मैच करवाएगा। इस प्रयास के संबंध में स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक प्राप्त हो गया है और 'प्रारूप दिशानिर्देश' तैयार किए जा रहे हैं। 'दूर विपणन' संबंधी दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जिसमें दूर-विपणन, जो कि उक्त प्रौद्योगिकी का ही एक परिणामकारी कारक है, के प्रयोग द्वारा, दुर्बिक्री करने से पैदा हुई चुनौतियों से निपटा गया है। माना कि नए और तेज चैनलों के लाभ लिए जाने चाहिए मगर उनसे जिन लूप होल्ड का निर्माण होता है उन्हें भी बंद करने की जरूरत है, और संक्षेप में यही इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भी है।

I.4.1.6 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा पॉलिसियों को बनाए रखने (परसिस्टेन्सी) के लिए एजेंटों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंट्स, पॉलिसियों को सर्विस प्रदान करते रहे, जिससे पॉलिसीधारकों को दीर्घावधि रूप से सर्विस प्रदान करने का उद्देश्य भी पूरा हो सके, न कि सिर्फ बिक्री बढ़ाने का।

एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस)

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002, के अंतर्गत, बीमाकर्ता कंपनियों को, पॉलिसीधारकों के लिए एफ प्रभावी और द्रुत गति वाली शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करनी है। इसके अतिरिक्त, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी, शिकायत निवारण संबंधी दिशानिर्देशों में, जवाब, संकल्प, इत्यादि के लिए विशिष्ट "समय सीमाएँ और टर्न एराउंड टाइम्स" (टीएटी) निर्धारित किए गए हैं, इन पर प्रभावी निगरानी रखने तथा पूरे बीमा उद्योग की शिकायतों से संबंधी आँकड़ों को रखने के लिए एक केंद्रीत संग्राहक बनाने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2011 से एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) कार्यान्वित की है। आइ जी एम एस, पॉलिसी धारकों को पहले बीमा कंपनियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज करने का प्रावधान करता है और बाद में, जरूरत पड़ने पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के शिकायत कीर्तियों में भी, ये शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस प्रणाली में वेब इंटरफेस का प्रयोग होता है। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ये सभी स्थानों पर शीघ्र समय में दर्ज की जा सके। यह यंत्र आवाज से प्राप्त शिकायतें भी दर्ज कर सकता है (बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण शिकायत कॉल सेंटर-आईजीसीसी के माध्यम से) जो कि भौतिक और साथी ही, इ-मेल से भी हो सकता है।

वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में, आइ जी एम एस के जरिए, कुल 73,419 शिकायतें दर्ज हुईं जिनमें से 68,994 पर कारवाई हुई यदि किसी शिकायत पर बीमा कंपनी 15 दिन के भीतर कारवाई नहीं करती है तो शिकायत, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण में चली जाती है।

इस समय, 25, बीमा कंपनियों की शिकायत प्रबंधन प्रणालियाँ, "क्षतचिन्हरहित (सीमलेस) रीति से आइ जी एम एस के साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ शिकायतों के ब्यौरो का अंतरण तत्काल हो जाता है। शेष बीमाकर्ता, वर्तमान में, दैनिक आधार पर, बैच मोड में सूचनाएँ अपलोड/डाउनलोड करते हैं और इन कंपनियों के लिए सीमलेस रीति शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमएस और आइ जी सी सी से न केवल, वेब इंटरफेस और पारंपरिक विधियों के जरिए, शिकायतों का निवारण ही हुआ है बल्कि इनसे बीमा कंपनियों की, शिकायत निवारण प्रणालियों की निगरानी और इनके दस्तावेजीकरण का कार्य भी सुगम हुआ है।

आइजीएमएस में बहुत सी रिपोर्टें और प्रश्नों का समावेश है जिनसे "मूलकारण विश्लेषण" करने में मदद मिलती है ताकि, आवश्यक कारवाई हेतु, प्रणाली और नीति से जुड़े मुद्दों की पहचान की जा सके। उदाहरणार्थ एक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि एक कंपनी के पास "पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त न होने" संबंधी बहुत सी शिकायतें आ रही थीं जबकि कंपनी के पास निर्धारित समयावधि के भीतर दस्तावेज जारी करने की प्रणाली विद्यमान थी। यह बात प्रकाश में आई कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में, बीमा पॉलिसियों की डिलीवरी में कुछ समस्याएँ आ रही थी, बाद में बीमा कर्ताओं ने इन समस्याओं का हल खोज लिया। आइजीएमएस से, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, बीमा के विभिन्न घटकों, शिकायत के विभिन्न प्रकारों तथा न केवल कंपनियों, बल्कि उनके विभिन्न कार्यालयों के बीच विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। शिकायतों के प्रत्यक्ष पैटर्न से, न केवल बीमा कंपनी, बल्कि विनियामक को भी मूल कारण की जाँच करने और समाधान खोजने की दृष्टि से, विवरणों की और अधिक गहराई में जाने में मदद मिलती है।

ग्राहक शिक्षा

I.4.1.7 ग्राहक शिक्षा और ग्राहक सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ग्राहक शिक्षा केवल व्यक्तियों को उत्पादों और जोखिमों को बेहतर रूप से समझने में ही मदद नहीं करती बल्कि यह बाजार दक्षता के लिए भी एक जरूरत है, क्योंकि यह बीमा सेवा प्रदाताओं को और अधिक पारदर्शी तथा "प्रतियोग-व्यवहार-विधियाँ" अपनाने में भी योगदान करती है। इससे बेहतर रूप से शिक्षित-नागरिकों का निर्माण होता है, जो अपने स्वयं के निर्णयों के माध्यम से, बाजारों पर निगरानी रख सकते हैं। प्राधिकरण पॉलिसी धारकों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे पॉलिसीधारकों के अधिकार और उत्तरदायित्व, विशकयत निवारण चैनलों से संबंधित जानकारी बीमा उत्पादों की विशेषताओं के क्षेत्र में, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले विनियमों आदि पर, मीडिया, समाचारपत्रों, रेडियो, टेलिविजन आदि के माध्यम से अपने विभिन्न 'ग्राहक जागरूकता' प्रयास करता आ रहा है।

I.4.1.8 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमे पर सेमिनार आयोजित करने में, उपभोक्ता संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है और उनकी मदद भी करता है, ताकि न केवल ग्राहकों को शिक्षित किया जा सके बल्कि ऐसे सेमिनारों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से, ग्राहक आमने सामने चर्चा भी कर सके।

I.4.1.9 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण स्वयं भी, विभिन्न बीमा संबंधी विषयों और साथ ही ग्राहक संबंधी विषयों पर, राष्ट्रीय स्तर के कई सेमिनार आयोजित करता है, उनमें भाग लेता है, उनके लिए मदद करता है, जिनके माध्यम से जनता तक इसकी पहुँच बढ़ती है। "पॉलिसी-धारक-सुरक्षा-और-कल्याण" विषय पर वार्षिक सेमिनार नई दिल्ली में 3 जून 2011 को आयोजित किया गया जिसमें पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए 'एकीकृत शिकायत-प्रबंधन-प्रणाली' का शुभारंभ किया गया।

I.4.1.10 इनके अलावा वर्तमान तथा संभावित पॉलिसीधारकों में बीमे संबंधी सामान्य जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने, मोटर-बीमा, स्वास्थ्य-बीमा, यात्रा-बीमा, संपत्ति बीमा, जीवन बीमा, एवं मध्यस्थ, आदि विषयों पर पॉलिसीधारक शिक्षा हैंडबुक भी निकाली है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बच्चों के लाभ के लिए, 3 खंडों में जारी की जाने वाली कॉमिक सीरीज का पहला खंड "रंजन एंड हिज ट्राइस्ट विंथ इन्श्योरेंस" नाम से जारी किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मानना है कि बच्चों में छोटी उम्र से ही वित्तीय साक्षरता लाना बहुत जरूरी है।

1.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षम मार्जिनों का रखरखाव

1.4.2.1 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64 वीए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को एक 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' रखना होता है। प्रत्येक बीमाकर्ता, देयताओं की राशि से अधिक परिसंपत्तियों के मूल्य की अधिक राशि बना कर रखेगा, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि जिसे 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' कहा जाता है, से कम नहीं होने चाहिए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियों, देयताएँ तथा शोधक्षम मार्जिन) विनियम, 2000 में 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' की गणना की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

1.4.2.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन, वह राशि है जो 50 करोड़ रुपए (पुनर्बीमा कर्ता के मामले में 100 करोड़ रुपए) अथवा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में दिए गए फार्मूले के आधार पर निकाली गई राशि, दोनों में से जो भी अधिक राशि है।

1.4.2.3 'गैर-जीवन-बीमाकर्ताओं' के मामले में अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन 50 करोड़ रुपए (पुनर्बीमाकर्ताओं के मामले में 100 करोड़ रुपए) अथवा निम्नासुर आगणित आरएसएम-1 तथा आरएसएम-2 में से जो भी अधिक राशि हो, जो नीचे है:

1. आरएसएम-1 विनियमों पर आधारित 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' है जिसका निर्धारण इस प्रकार होता है - सकल प्रीमियमों में से अधिक राशि का 20 प्रतिशत और एक फैक्टर का गुणा तथा निवल प्रीमियम। आरएसएम-1 की गणना के प्रयोजन से, क्रमिक आधार पर, गत 12 माह का प्रीमियम लिया जाएगा।
2. आरएसएम-2 निवल अगत दावों पर आधारित 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' है जो कि सकल उपगत दावों में से जो भी उच्चतर राशि होगी, उसके 30 प्रतिशत से एक फैक्टर का गुणा तथा निवल उपगत दावों से निर्धारित की जाएगी।

1.4.2.4 प्रारक्षित निधियों की पर्याप्तता का आकलन करने की दृष्टि से, जिनकी गणना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों के आधार पर की जानी है, प्राधिकरण ने, बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत 'भारतीय मोटर तृतीय पक्षकार बीमा पूल' (आईएमटीपीआसपी) के 'बीमांकिक मूल्यांकन' की जाँच की थी। श्री के.पी. शर्मा, परामर्शदाता, बीमा अंकक की रिपोर्ट के आधार पर तथा साधारण 'बीमा परिषद द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने, मोटर तृतीय पक्षकार पूरा प्रारक्षित निधियों तथा 'एकाउंट-प्रारक्षित-निधियों पर बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 64 वी ए के साथ पठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के परिच्छेद 14 के अंतर्गत दिनांक 12 मार्च 2011 का आदेश सं.आई आरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/046/03/2011 पारित किया। यह आदेश जी आइ सी रेसमेत सभी साधारण बीमाकर्ताओं पर लागू है और इसमें बीमाकर्ताओं

को अधिदेश दिया गया है कि वे 2007-08 से मोटर टी पी पूल देयता के लिए 153 प्रतिशत के दर से प्रावधान करें। प्राधिकरण ने 150 प्रतिशत की शोधक्षम अपेक्षा की छूट दी है, और अधिदेश दिया है कि सभी बीमाकर्ता सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 के बाद क्रमशः 137 प्रतिशत, 145 प्रतिशत तथा 150 प्रतिशत से कम का 'शोधक्षम अनुपात नहीं रखेंगे'।

1.4.2.5 बीमाकर्ताओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे प्राधिकरण की विशिष्ट पूर्वानुमति के बिना, किसी भी प्रमुख प्रबंधक कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, नियुक्त बीमांकको, बोर्ड के पूर्णकालिक निर्देशकों अथवा किसी भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की, बोनस कार्यनिष्पादन इन्सेन्टिव आदि, चाहे भुगतान किसी भी नाम से क्यों न किए जाते हों, वितरित नहीं करेंगे।

1.4.2.6 प्राधिकरण ने स्वास्थ्य-बीमा-योजना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यह छूट प्रदान की है कि यदि शोधक्षम अनुपात 1.50 के विनिर्धारित स्तर से नीचे आ जाता है तो छः महीने (दो तिमाहियाँ) तक उसे अनदेखा किया जाएगा बशर्ते कि शोधक्षमता में यह गिरावट, केवल केन्द्र/राज्य सरकार से 'प्राप्त प्रीमियम' के कारण आई हो।

1.4.2.7 बीमा अंतः प्रवेशन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है - 'शोधक्षम मार्जिन' के अंतर्गत पूंजी आवश्यकता विशुद्ध सावधि-उत्पाद केवल सीधी जीवन बीमा सुरक्षा देते हैं और यह विश्वास किया जाता है कि कंपनियाँ ऐसे उत्पाद भी विकसित कर सकती हैं जिनके द्वारा वे लोगों की बीमा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जनसंख्या के विभिन्न घटकों तक पहुँच सकती हैं और बीमे की पहुँच दूर अंदर तक बना सकती हैं। इस उद्देश्य के अनुरूप प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं को इस बात की अनुमति प्रदान कर दी है कि वे शेष उत्पादों की फैक्टर लोडिंग में परिवर्तन किए बिना ही, विशुद्ध सावधि उत्पादों की पूंजी अपेक्षाओं को संशोधित कर सकती हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 2008-09 में जारी कर दिए गए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि विशुद्ध सावधि उत्पादों हेतु शोधक्षमता का स्तर कम करने से व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के उत्पादों के अंतर्गत जीवन बीमाकर्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इससे बीमाकर्ताओं को उचित दरों पर पर्याप्त लंबी अवधियों के लिए और अधिक अवधि उत्पाद आरंभ करने में मदद मिलेगी।

जीवन बीमाकर्ता

1.4.2.8 मार्च अंत 2011 की स्थिति में सभी जीवन-बीमाकर्ता 1.5 शोधक्षम अनुपात रखने की, सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन कर रहे थे। भारतीय जीवन बीमा निगम का शोधक्षमता अनुपात 1.54 था जो मार्च 2010 के बराबर ही था। यद्यपि समीक्षाधीन वर्ष में 22 में से 14 प्राइवेट जीवन बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता अनुपात में गिरावट आई फिर भी सभी जीवन बीमा कंपनियों, अधिदेशित शोधक्षमता अपेक्षाओं का पालन कर रही थी (स्टेटमेंट सं. 19)।

गैर जीवन बीमाकर्ता

I.4.2.9 मार्च 2011 के अंत की स्थिति में 20 गैर जीवन बीमाकर्ता (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को मिलाकर) निर्धारित शोक्षमता अनुपात का पालन कर रहे थे जबकि 2 कंपनियों ने शोक्षमता मार्जिन अनुपात की न्यूनतम अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया (स्टेटमेंट सं. 53)।

I.4.2.10 विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात ए आइ सी तथा ई सीजीसी ने 31 मार्च 2011 को क्रमशः 3.71 तथा 9.05 का शोक्षम अनुपात दिखाया जबकि 31 मार्च 2010 को यह अनुपात 2.07 तथा 14.17 था।

पुनर्बीमाकर्ता

I.4.2.11 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च 2011 को 3.35 शोक्षम अनुपात दर्ज किया (31 मार्च 2010 को 3.71)।

I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी (मॉनीटरिंग)

I.4.3.1 पुनर्बीमा के संबंध में प्राधिकरण को जो अधिदेश दिए गए हैं वे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 14(1) तथा 14(2) उप-परिच्छेद (एफ), तथा साथ ही, बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 34 एफ, 101ए, 101बी, तथा 101सी के प्रावधानों में निहित हैं। इनके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने जीवन तथा गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, दोनों से संबंधित विनियम भी बनाए हैं जिनमें पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा के लिए आधारभूत नियम निर्धारित किए गए हैं। बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय साधारण बीमा निगम को, 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता पदनामित किया गया जिससे इसे हक मिलता है कि वह सभी "सीधे-गैर-जीवन-बीमाकर्ताओं से 10 प्रतिशत का "बाध्यकारी अर्पण (सेशनज)" प्राप्त करें। सीमाएँ 'पुनर्बीमा परामर्श समिति' के परामर्श से निर्धारित की गई हैं।

तालिका I.32
सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारतीय कारोबार पर रखा गया निवल प्रीमियम (जीआइसी को छोड़ कर)

वर्ग	2009-10		2010-11		(प्रतिशत)	
	सार्वजनिक क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	कुल सार्वजनिक क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	कुल	
अग्नि	70.35	30.81	56.84	58.39	29.47	47.84
समुद्री मादल	82.73	48.38	69.69	75.24	50.39	65.26
समुद्री अन्य	12.93	9.00	12.18	12.93	9.00	12.18
मोटर	93.35	86.04	89.82	88.18	88.26	88.22
इंजीनियरिंग	58.67	22.24	45.25	60.66	21.08	46.63
उड्डयन	11.95	18.87	14.6	32.49	14.12	23.04
अन्य विविधि	88.16	72.08	79.97	87.85	69.44	78.12
कुल	82.75	71.39	77.49	79.14	71.62	75.40

I.4.3.2 प्रत्येक बीमाकर्ता को एक व्यापाक और सक्षम पुनर्बीमा कार्यक्रम की जरूरत होती है, ताकि वह अपनी वित्तीय मजबूती की सीमाओं में परिचालन कर सके। यह बीमाकर्ता की शोक्षमता को बनाए रखने तथा जरूरत पड़ने पर दावों के खंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा। विनियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अगले वित्तीय वर्ष का पुनर्बीमा का कार्यक्रम शुरु होने के कम से कम 45 दिन पहले, प्राधिकरण के पास फाइल करेगा। बीमाकर्ताओं से आगे यह भी अपेक्षा की गई है कि वे पुनर्बीमा व्यवस्थाओं से संबंधित अपनी 'ट्रीटी स्लिप्स' अथवा कवर-नोट्स', वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के भीतर प्राधिकरण के पास फाइल करें। ये उपाय बतलाते हैं कि किस बीमा कंपनी के पास, पर्याप्त और कुशल बीमा व्यवस्थाएँ होने के महत्त्व पर कितना बल दिया जा रहा है। यहाँ यह स्मरणीय है कि किसी भी कंपनी की शोक्षम स्थिति का आकलन 'नेट ऑफ इन्श्योरेंस' के आधार पर किया जाता है।

I.4.3.3 विनियमों में यह भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी वित्तीय स्थिति और कारोबार की मात्रा के हिसाब से अधिकाधिक संख्या में पॉलिसियों को अपने पास बनाए रखेगा। पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं।

- देश के भीतर अधिकाधिक धारणों को बनाए रखना
- पर्याप्त क्षमता का विकास
- उपगत पुनर्बीमा लागतों के लिए सर्वोत्तम संभव सुरक्षा निश्चित करना तथा
- कारोबार के प्रबन्धन को सरल बनाना

I.4.3.4 साधारण बीमा निगम के विशेष संदर्भ में, विनियमों में भारतीय पुनर्बीमा कर्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वे सभी बीमाकर्ताओं से सलाह मशविरा करके, पुनर्बीमा अधिशेष राशियों के लिए घरेलू पूल बनाए। यह स्मरणीय है कि 2001 में न्यूयॉर्क सिटी में 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद जब अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजारों ने कवर वापस ले लिया था तब गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने आपस में मिलकर आतंकीवादी जोखिमों के लिए एक पूल बनाया था। 2007 में, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने 'सभी वाणिज्यिक वाहन तृतीय पक्षकार बीमा' के लिए एक और पूल बनाया था।

तालिका I.33
भारत में सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत के बाहर और भारत के अंदर किया गया पुनर्बीमा

(प्रतिशत)

वर्ग	2009-10		2010-11	
	भारत में किया गया	भारत के बाहर किया गया	भारत में किया गया	भारत के बाहर किया गया
अग्नि	32.43	21.19	38.68	22.77
समुद्री माल	18.16	15.09	19.59	15.95
समुद्री अन्य	43.26	52.63	33.52	65.13
मोटर	28.78	0.11	30.92	0.10
उड़डयन	42.17	53.17	33.12	62.62
इंजीनियरिंग	43.33	23.06	44.04	23.41
अन्य विविध	15.26	6.00	15.57	7.79
कुल	24.63	7.78	25.68	8.92

तालिका I.34
भारतीय कारोबार पर भारत के बाहर दिया गया पुनर्बीमा

(करोड़ रुपए)

वर्ग	2009-10		2010-11	
	दिया गया प्रीमियम	निवल दिए गए लाभ	दिया गया प्रीमियम	निवल दिए गए लाभ
अग्नि	782.90	201.75	976.82	210.72
समुद्री माल	181.22	-35.09	218.17	25.39
समुद्रीय अन्य	427.41	268.92	579.35	-429.59
मोटर	15.49	7.74	15.97	18.30
उड़डयन	207.89	84.84	263.37	-101.05
इंजीनियरिंग	364.26	130.27	403.87	121.71
अन्य विविध	850.30	40.10	1362.11	420.96
कुल	2829.47	698.53	3819.66	266.46

पुनर्बीमा सलाहकार समिति

I.4.3.5 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 101ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी की बीमित राशि के उतने प्रतिशत तक का पुनर्बीमा भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ करवाएगा, जितना कि पुनर्बीमा सलाहकार समिति के परामर्श के बाद, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसे 'बाध्यताकारी अर्पण (सेशनज)' अथवा 'सांविधिक अर्पण (सेशनज)' भी कहा जाता है।

I.4.3.6 इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा (क) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता से पुनर्बीमित की जाने वाली प्रत्येक पॉलिसी की बीमित राशि, के प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा बीमे के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिशत, उक्त पॉलिसी की बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा (ख) 'वह' समानुपात विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसमें कि उक्त प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं में बाँटा जाना है।

I.4.3.7 पुनर्बीमा सलाहकार समिति ने, फरवरी 2007 में आयोजित बैठक में, प्राधिकरण को सिफारिश की कि 'बाध्यकारी अर्पण (ऑब्लिगेटरी

सेशनज) वर्तमान के 20 प्रतिशत से घटाकर 2007-09 में 15 प्रतिशत तथा बाद के वर्षों में अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में 10 प्रतिशत कर दिए जाएँ। प्राधिकरण ने सिफारिश स्वीकार कर ली, तथा भारत सरकार के परामर्श से गेजेट अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें संशोधित 'बाध्यताकारी-अर्पण' विनिर्दिष्ट किए गए। वर्ष 2010-11 में प्राधिकरण ने 'बाध्यताकारी अर्पण' के अंतर्गत, विभिन्न वर्गों के लिए बीमित राशि में अर्पणों की सीमाओं की शुरुआत की।

I.4.3.8 2007-08 में, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में, साधारण बीमा निगम ने प्राधिकरण को अभ्यवेदन दिया कि प्रशुल्क दरों को हटा देने के परिणाम स्वरूप, बदलती बाजार स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, सांविधिक अर्पणों (सेशनज) पर लागू कमीशन, और 'लाभ-कमीशन' की शर्तों की समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई है। दूसरी ओर बीमाकर्ताओं ने यह अभ्यवेदन दिया कि कमीशन की शर्तों में कोई बदलान नहीं किया जाना चाहिए जोकि संभवतः इस शंका पर आधारित था कि अधिनियम के परिच्छेद 101ए(4) के अंतर्गत सांविधिक अर्पणों के लिए अलग कमीशन शर्तें निर्धारित करने से, उस स्तर पर, आगामी वर्ष के लिए पुनर्बीमा संबंध बातचीतों के संबंध में, उनकी स्थिति 'पूर्वाग्रह-ग्रस्त' हो जाएगी। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों पर विचार करने के बाद यह निर्णय

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

दिया कि वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक अर्पणों की शर्तों, प्रत्येक बीमाकर्ता तथा भारतीय पूर्णबीमाकर्ता के बीच आपस में तय की जाएँगी। यदि दोनों पक्ष बातचीत के बाद किसी सहमति पर नहीं पहुँचते हैं तो मामला प्राधिकरण को सूचित किया जाए। यह स्थिति बाद के वर्षों में भी बनी रही और 2010-11 में भी जारी रही।

साधारण बीमा निगम द्वारा प्राप्त बाध्यताकारी अर्पण (ऑब्लिगेटरी शेशनज)

I.4.3.9 वर्ष 2011-12 के लिए 'बाध्यताकारी अर्पण' 10 प्रतिशत ही रखे गए जैसा कि वर्ष 2010-11 के लिए लागू थे। विभिन्न प्रकार के कारोबार के लिए बीमित राशि के संबंध में 'अर्पण सीमा' वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित सीमा जितनी ही बनी रही। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के लिए कमीशन तथा लाभ-कमीशन, प्रत्येक बीमाकर्ता तथा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा आपसी सहमति से ही तय किए जाने हैं।

I.4.4. बीमा पूल

आंतकवाद पूल

I.4.4.1 वर्ष 2010-11 के दौरान पूल को दिया गया कुल प्रीमियम 389 करोड़ रुपए था तथा भुगतान किए गए दावे 76.18 करोड़ रुपए के थे। गत वर्ष 2009-10 में पूल प्रीमियम 306 करोड़ रुपए था, भुगतान किए गए दावे 214 करोड़ रुपये थे। 2010-11 के लिए भुगतान किए दावों की 76.18 करोड़ रुपए की राशि में, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से उत्पन्न हानियों का भुगतान भी शामिल है। इस घटना से पूल को हुई कुल अनुमानित हानि 500 करोड़ रुपए से घटकर 400 करोड़ रुपए रह गई है। होटल ओबेरॉय तथा होटल ट्रीडेंट की हानियों का पूर्णतः निपटान किया जा चुका है। केवल ताज होट को हुई हानि को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परंतु काफी मात्रा में ऑन-एकाउंट-भुगतान पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वर्ष के दौरान पूल को कोई बड़ी हानि नहीं हुई है।

तालिका I.35
भारतीय आंतकवादी पूल में सदस्य कंपनियों का हिस्सा

बीमाकर्ता	2010-11		2011-12	
	प्रति जोखिम क्षमता (करोड़ रुपए)	हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रति जोखिम क्षमता (करोड़ रुपए)	हिस्सा (प्रतिशत में)
जीआइसी	147.08	19.61	145.50	19.40
नेशनल	88.89	11.85	87.00	11.60
न्यू इंडिया	147.08	19.61	145.50	19.40
ओरिएंटल	87.00	11.60	87.00	11.60
युनाइटेड इंडिया	96.45	12.86	96.45	12.86
बजाज आलियांज	35.63	4.75	35.63	4.75
चोलामंडलम एमएस	12.00	1.60	12.00	1.60
फ्यूचर जनरली जनरल	5.00	0.67	5.00	0.67
सरकारी बीमा निधि, गुजरात	7.50	1.00	7.50	1.00
एचडीएफसी एरगो	3.38	0.45	3.38	0.45
आइसीआइसीआई लोम्बार्ड	60.00	8.00	60.00	8.00
इफको टोकियो	22.50	3.00	22.50	3.00
रिलायंस जनरल	13.50	1.80	13.50	1.80
रॉयल सुंदरम	6.00	0.80	6.00	0.80
टाटा एआइजी जनरल	12.08	1.61	12.08	1.61
युनिवर्सल सॉपो	0.66	0.09	0.68	0.09
श्रीराम जनरल	3.00	0.40	1.50	0.20
भारती एक्सो जनरल	1.50	0.20	5.78	0.77
रहेजा क्यू बी ई जनरल	0.75	0.10	0.75	0.10
एसबीआई जनरल	-	-	1.50	0.20
एलएंडटी जनरल	-	-	0.75	0.10
कुल	750.00	100.00	750.00	100.00

तालिका I.36
आतंकवादी जोखिम बीमे के लिए प्रीमियम की दरें
(1 अप्रैल 2010 से)

प्रतिस्थल कुल बीमित राशि (एमडी+एलओपी)	जोखिम वर्ग	दर (प्रति मीली)
1 750 करोड़ रुपए तक	औद्योगिक जोखिम गैर औद्योगिक जोखिम आवासीय जोखिम	0.30 0.20 0.10
2 750 करोड़ से अधिक परंतु 2,000 करोड़ रुपए से कम	उपर्युक्त (1) के अनुसार प्रथम 750 करोड़ रुपए जमा निम्न अनुसार शेष बीमित राशि: औद्योगिक जोखिम गैर औद्योगिक जोखिम	0.25 0.15
3 2,000 करोड़ रुपए से अधिक	उपर्युक्त (2) के अनुसार प्रथम 2,000 करोड़ रुपए जमा निम्न अनुसार शेष बीमित राशि: औद्योगिक जोखिम गैर औद्योगिक जोखिम	0.20 0.12

* एम-डी-अधिकतम क्षति; एलओपी - लाभ की हानि

भारतीय मोटर तृतीय पक्षकार बीमा पूल (आइएमटीपीआइपी)

I.4.4.2 1 जनवरी 2007 से गैर जीवन बीमा बाजार से प्रशुल्क हटा लिए गये थे। तथापि, तृतीय पक्ष मोटर बीमे की अधिकेशातक प्रकृति को देखते हुए प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. 034/आइआरडीए/डीटैरिफ/दिसम्बर/06 जिसे बाद में 23 जनवरी 2007 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया, द्वारा 1 जनवरी 2007 से इस घटक में प्रीमियम दरों को विनियमित करने का निर्णय लिया। बाद में खासकर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर तृतीय पक्ष बीमा उपलब्ध न होने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए प्राधिकरण ने, बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 110 जी के अंतर्गत गठित समिति के परामर्श से बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 34 के अंतर्गत, 4 दिसंबर 2006 के अपने परिपत्र सं. 035/मोटर टीपी/दिसंबर-06 द्वारा भारतीय मोटर तृतीय पक्षकार बीमा पूल (आइएमटीपीआइपी) का गठन किया।

I.4.4.3 1 अप्रैल 2007 से पूल, परिचालन में आ गया और यह केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए था। मोटर कारोबार सहित गैर-जीवन बीमा कारोबार करने के लिए पंजीकृत सभी बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों पर कवर प्रदान करने के लिए पूलिंग व्यवस्था में स्वतः ही भागीदार होना अपेक्षित है। जोखिम अंकक बीमाकर्ता तथा सभी अन्य पंजीकृत गैर-जीवन बीमाकर्ताओं तथा पुनर्बीमाकर्ताओं के बीच एक बहुस्तरीय पुनर्बीमा व्यवस्था के जरिए, इस तंत्र के अंतर्गत, कारोबार की पूलिंग की जाती है।

I.4.4.4 पूल ने, 2010-11 में अपने परिचालन के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आइ एम टी पी आइ पी ने मार्च 2010 से फरवरी 2011 की अवधि के दौरान जारी 97.31 लाख पॉलिसियों से 3613 करोड़ रुपए के कुल प्रीमियम की पूलिंग की। इस अवधि के लिए पूल के उपगत दावे

7,111 करोड़ रुपए के थे जिसके कारण 3,165 करोड़ रुपए की 'परिचालन हानि' हुई। इसके मुकाबले, मार्च 2009 से फरवरी 2010 की अवधि का प्रीमियम, 3,160 करोड़ रुपए था और उपगत दावे 3,791 करोड़ रुपए के थे जिससे 674 करोड़ रुपए की 'निवल परिचालन हानि' हुई।

I.4.4.5 प्रारक्षित निधियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए, जिनकी गणना बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों और विशेषकर इसके परिपत्र सं. 11/आईआरडीए/एसीटीएल/आइबीएनआर/2005-06 के आधार पर की जानी होती है, प्राधिकरण ने आइ एम टी पी आइ पी के 'बीमांकक-मूल्यांकनों' की जाँच की और रिपोर्ट ने इंगित किया कि वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए 'अंतिम-हानि-अनुपात' क्रमशः 172.30 प्रतिशत, 181.81 प्रतिशत तथा 194.15 प्रतिशत थे। इस अनुमान की तुलना में पूल ने इन सभी वर्षों में 126 प्रतिशत प्रारक्षित निधियाँ बनाए रखी थी, जिन्हें कि अपर्याप्त माना गया। तदनुसार, प्राधिकरण ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 64 वी ए के साथ पठित, परिच्छेद 14 के अंतर्गत, अपने 12 मार्च 2011 के आदेश सं. आइआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/046/03/2011 द्वारा कुछ निर्देश जारी किए, जिन में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से अपेक्षा की गई है, जो निम्न हैं।

- 31 मार्च 2011 को, सभी प्रकार के कारोबारों के लिए कम से कम 130 प्रतिशत का शोधक्षन अणुपात बना कर रखें, जिन वर्षों में पूल, जोखिम अंकन कर रहा था, उन सभी वर्षों के लिए कम से कम 153 प्रतिशत 'अंतिम हानि' अनुपात पर आइ एम टी पी आइ जी क्षतियाँ मूल्यांकित की जाएंगी। यह अनुपात 2013-14 तक चरणबद्ध रूप में 150 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

- तत्पश्चात् (31 मार्च 2014 से) हर समय शोधक्षन अनुपात 150 प्रतिशत ही बनाए रखना होगा।
- यदि किसी वर्ष या वर्ष के हिस्से में "शोधक्षन अनुपात" 150 प्रतिशत से नीचे गिरता है तो प्राधिकरण की विशिष्ट पूर्वानुमति के बिना शेयरधारकों को लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।
- बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64वीए (2ए) के अनुसार निर्देशक-मंडल से तथा अनुमोदित वित्तीय योजना, 2 महीने के भीतर प्राधिकरण को भिजवानी होगी जिसमें, मार्च 2014 तक की उक्त 3 वर्ष की अवधि हेतु कमियाँ दूर करने की एक 'कार्रवाई योजना' इंगित की गई हो। इसके अतिरिक्त 2011-12 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी से पहले निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक योजना की छमाही समीक्षा रिपोर्ट, 15 अगस्त 2011 से प्रारंभ करके, 30 वर्षों में से प्रत्येक में, 15 अगस्त से पहले-पहले भिजवानी होगी।
- वे, यथापेक्षा, बीमा अंकक विभाग को मजबूत बनाने के लिए पूर्णकालिक योग्यता प्राप्त और अनुभवी, 'संपत्ति-और-आपात बीमांककों की नियुक्ति करेंगे। यदि भारतीय बीमांकन संस्था (आईएआइ) से आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले बीमांकक न मिले तो बीमाकर्ताओं को कैजुएल्टी एक्चूरियल सोसायटी, यूएसए तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्चूररीज, यू.के. तथा ऑस्ट्रेलिया से योग्यता प्राप्त बीमांककों की सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति है।
- कि वे प्राधिकरण की विशिष्ट पूर्वानुमति के बिना, किसी भी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, नियुक्त बीमांककों, बोर्ड के पूर्णकालिक निर्देशकों अथवा किसी भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बोनस, कार्य निष्पादन इन्सेटिव आदि चाहे ये भुगतान किसी भी नाम से क्यों न दिए जाते हो, वितरित नहीं करेंगे।
- यह सुनिश्चित करेंगे कि डिस्काउन्ट्स सहित उत्पादों का मूल्यन, जोखिम अंकन सिद्धांतों के अनुसार है तथा 'फाईल एंड यूज'

दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए उत्पाद के अनुरूप है; तथा

- किसी भी स्थिति में बीमा नियमावली 1939 के नियम 17ई के अंतर्गत प्रबंधन के खर्चों के लिए नियत सीमाओं का उल्लंघन न किया जाए।

I.4.4.6 गत वर्षों में इस घटक में हुई भारी परिचालन हानियों के कारण सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने, साधारण बीमा परिषद के माध्यम से, प्राधिकरण से अनुरोध किया कि 'मोटर तृतीय पक्षकार बीमा कवर' के लिए प्रीमियम दरें बढ़ाई जाएँ। सभी जोखिमधारकों से कई दौर की चर्चा के बाद प्राधिकरण ने, 15 अप्रैल 2011 की अपनी अधिसूचना के द्वारा, मोटर तृतीय पक्षकार बीमा कवर की प्रीमियम दरों में संशोधन कर, उन्हे। अधिसूचित किया। संशोधित दरें, 25 अप्रैल 2011 से लागू हुई। हालांकि कंपनियों ने सभी वर्गों के वाहनों की प्रीमियम दरों में, 85 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया था, मगर विभिन्न स्टेक होल्डरों की चिंताओं/अनुरोधों/सुझावों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने, दुपहिया वाहनों तथा प्राइवेट कारों के संबंध में केवल 10 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में 68.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह निर्णय बीमा सूचना ब्यूरो (आइआइबी) के पास 'अप-लोड' किए गए सभी बीमा कंपनियों के 'लेनदेन स्तरीय आंकड़ों' पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। अधिसूचना में प्रीमियम दरों के वार्षिक संशोधन का फार्मूला भी दिया गया है जो कि मुद्रास्फीति सूचकांक, औसत दावा आकार तथा मोटर टी पी कारोबार की सर्विसिंग में आने वाली फ्रीकेंसी और व्यय से जुड़ा हुआ है।

I.4.4.7 वर्ष 2010-11 में, पूल आंकड़ा आधार पर, सदस्य कंपनियों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष के मुकाबले पॉलिसियों की संख्या में 11 प्रतिशत तथा जोखिम अंकित प्रीमियम में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

I.4.4.8 फरवरी 2011 के अंत में लंबित दावों की संख्या 3,38,680 थी तथा बकाया दावों की राशि 5,729 करोड़ रुपए थी।

तालिका I.37
मोटर बीमा तृतीय पक्षकार दावे

वर्ष (मार्च से फरवरी)	वर्ष के दौरान सूचित दावे		वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे		वर्ष के दौरान बकाया दावे	
	संख्या	करोड़ रुपए	संख्या	करोड़ रुपए	संख्या	करोड़ रुपए
2007-08	43936	561.56	56479	713.71	117134	1788.50
2008-09	88415	1382.52	63485	682.36	119661	2066.27
2009-10	120549	1923.54	30711	253.46	89390	1664.92
2010-11	17001	287.53	1946	10.85	12495	208.84

बाजार हिस्सा

I.4.4.9 वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 का, पूल सदस्यों का बाजार हिस्सा (जी आई सी के हिस्से के समायोजन से पूर्व) नीचे दिया गया है।

तालिका I.38
पूल सदस्यों का बाजार-हिस्सा
(प्रतिशत में)

पूल सदस्य	बाजार हिस्सा 2009-10	बाजार हिस्सा 2010-11
रॉयल सुंदरम्	2.67	2.71
रिलायंस जनरल	6.04	3.98
इफको टोकियो	4.22	4.18
टाटा एआइजी जनरल	2.53	2.79
बजाज आलियांज जनरल	7.25	6.79
आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड	9.81	10.2
चोला एमएस जनरल	2.37	2.31
एचडीएफसी इरगो	2.69	3.35
फ्यूचर जनरली	1.10	1.45
यूनीवर्सल सोंपो	0.51	0.68
श्रीराम जनरल	1.18	1.81
भारती एक्सा जनरल	0.08	1.29
रहेजा क्यूबीई	-	0.01
एसबीआइ जनरल	-	0.08
एलएंडटी जनरल	-	0.02
युनाइटेड इंडिया	14.88	14.96
ओरिएंटल इश्यूरेस	13.53	12.48
नेशनल इश्यूरेस	13.41	14.15
न्यू इंडिया इश्यूरेस	17.74	16.75
कुल	100.00	100.00

I.4.5 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की मॉनिटरिंग

I.4.5.1 सभी बीमाकर्ताओं को, निवेश विनियमों के अंतर्गत निर्धारित निवेशों के पैटर्न का अनुपालन करना होता है। जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा धारित "प्रबंधन अंतर्गत परिसंपत्तियों" (ए यू एम) के निवेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

बीमा क्षेत्र में कुल निवेश

I.4.5.2 31 मार्च 2001 को, बीमा क्षेत्र की कुल संचयी निवेश राशियाँ 15,12,638 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान 'ए यू एम' में 18.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योग द्वारा धारित कुल निवेशों में सबसे बड़ा हिस्सा, जीवन बीमाकर्ताओं का ही बना हुआ है जोकि 95 प्रतिशत है। इसी प्रकार कुल निवेशों में, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का हिस्सा सबसे बड़ा (80 प्रतिशत) बना हुआ है। फिर भी 'यूनिट संयुक्त बीमा उत्पादों' (यूलिप) की बिक्री की पृष्ठ भूमि में, प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा धारित यूएएम का हिस्सा भी हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.5.3 जीवन बीमाकर्ताओं के पास निवेश के लिए उपलब्ध निधियों के विभिन्न श्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। (1) पारंपरिक उत्पादों से प्राप्त निधियाँ तथा (2) यूलिप उत्पादों से प्राप्त निधियाँ। 31 मार्च 2011 के जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशित कुल निधियाँ 14,30,118 करोड़ रुपए थी जिनमें से 3,99,116 करोड़ रुपए (कुल निधियों का 27.91 प्रतिशत) यूलिप निधियों का अंशदान था। शेष 10,31,002 करोड़ रुपए (72.09 प्रतिशत) पारंपरिक उत्पादों का अंशदान था। कुल निवेशों में यूलिप निधियों का अंशदान हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अंशदान, हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पारंपरिक निधियों में, निवेशों की कुल वृद्धि में 72 प्रतिशत अर्थात् 1,56,084 करोड़ रुपए का योगदान दिया जबकि यूलिप उत्पादों ने 61,576 करोड़ रुपए का योगदान दिया।

तालिका I.39
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
31 मार्च 2011 की स्थिति

बीमाकर्ता	जीवन		गैरजीवन		कुल	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
सरकारी	992331 (24.10)	1148589 (15.75)	51687 (8.17)	61235 (18.47)	1044018 (23.21)	1209824 (15.88)
प्राइवेट	220127 (88.51)	281528 (27.89)	14685 (32.16)	21285 (44.94)	234811 (83.61)	302813 (28.96)
कुल	1212458 (32.31)	1430118 (17.95)	66372 (12.70)	82520 (24.33)	1278830 (31.13)	1512638 (18.28)

टिप्पणी: 1. 2010-11 के आंकड़े बी.वि.वि प्राधिकरण के पास फाइल किए गए अस्थायी रिटर्न्स पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े, गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

I.4.5.4 31 मार्च 2010 की स्थिति से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेशों का पैटर्न 31 मार्च 2011 में भी वैसा ही रहा। केन्द्रीय सरकारी में प्रतिभूतियाँ और अनुमोदित निवेश, जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेशों के प्रमुख साधन बने रहे।

I.4.5.5 निधि-आधार पर विभाजन से यह प्रकट हुआ कि कुल निवेशों में से जीवन निधि ने 8,41,075 करोड़ रुपए (58.81 प्रतिशत) पेंशन तथा साधारण एंनुइटी एंड ग्रुप निधि ने 1,89,927 करोड़ (13.28

प्रतिशत) तथा यूलिप निधि ने 3,99,116 करोड़ रुपए 27.91 प्रतिशत) का योगदान दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल निवेश में पेंशन/एनुइटी निधियों का हिस्सा 11.85 प्रतिशत से बढ़कर 13.28 प्रतिशत हो गया। तदनुसारी आधार पर जीवन निधियों के हिस्से में गिरावट आई। 2009-10 में कुल निवेशों में, जीवन निधि ने 7,31,291 करोड़ रुपए (60.31 प्रतिशत) पेंशन तथा जनरल एनुइटी और ग्रुप निधि ने 1,43,627 करोड़ रुपए (11.85 प्रतिशत) तथा यूलिप निधि ने 3,37,540 करोड़ रुपए (27.84 प्रतिशत) का योगदान दिया था।

तालिका I.40
जीवन बीमाकर्ताओं का कुल निवेश: नियमानुसार
(31 मार्च की स्थिति)

निवेशों के पैटर्न	2010		2011	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परांपरिक उत्पाद				
1 केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	360447	41.20	420952	40.83
2 राज्य सरकारों और अन्यो की अनुमोदित प्रतिभूतियों	137236	15.69	173733	16.85
3 आवास और इन्फ्रास्ट्रक्चर	85675	9.79	89181	8.65
4 अनुमोदित निवेश	257084	29.38	304977	29.58
5 अन्य निवेश	34477	3.94	42159	4.09
अ. कुल (1+2+3+4+5)	874918	100.00	1031002	100.00
यूलिप निधियाँ				
6 अनुमोदित निवेश	311669	92.34	371899	93.18
7 अन्य निवेश	25871	7.66	27217	6.82
ब. जोड़ (6+7)	337540	100.00	399116	100.00
कुल जोड़ (अ+ब)	1212458		1430118	

टिप्पणी : 1. 2001-11 के आंकड़े, बी.वि.वि. प्राधिकरण के पास फाइल की गई अस्थायी विवरणियों पर आधारित है।

तालिका I.41
जीवन बीमाकर्ता के निवेश : निधि अनुसार
(31 मार्च की स्थिति)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन एंड जनरल एनुइटी और ग्रुप निधि		यूलिप निधि		सब निधियों का जोड़	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
भा.जी.बी.निगम	698153	798291	133588	173282	160589	177016	992331	1148589
प्राइवेट	33137	42784	10038	16646	176951	222099	220127	281528
जोड़	731291	841075	143627	189927	337540	399116	1212458	1430118
	(60.31)	(58.81)	(11.85)	(13.28)	(27.84)	(27.91)	(100.00)	(100.00)

टिप्पणी: 1. 2010-11 के आंकड़े बी.वि.वि. प्राधिकरण के पास फाइल की गई अस्थायी विवरणियों पर आधारित है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित निधियों का कुल निधियों से प्रतिशत है।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

तालिका I.42
निवेशों में वृद्धि : निधिअनुसार (31 मार्च को स्थिति)

(करोड़ रुपए)

निधि	2010		2011	
	कुल	वृद्धि प्रतिशत में	कुल	वृद्धि प्रतिशत में
जीवन	731291	16.14	841075	15.01
पेंशन तथा जनरल एनुईटी तथा ग्रुप निधि	143627	26.04	189927	32.24
परंपरागत (अ)	874918	17.66	1031002	17.84
यूनिट संयुक्त निधि (इ)	337540	95.38	399116	18.24
कुल (अ+इ)	1212458	32.31	1430118	17.95

टिप्पणी: 2010-11 के आंकड़े बी.वि.वि. प्राधिकरण के पास फाइल की गई अस्थायी विवरणियों पर आधारित हैं।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.5.6 गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने बीमा उद्योग द्वारा धारित कुल निवेशों में, केवल 5 प्रतिशत का ही योगदान दिया। 31 मार्च 2011 को इस सेक्टर के कुल निवेश 82,520 करोड़ रुपए था। वर्ष 2010-11 के दौरान, निवेशों में निवल वृद्धि 16,148 करोड़ रुपए (गत वर्ष के

मुकाबले 24.33 प्रतिशत की वृद्धि) रही। वर्ष 2009-10 में 66,372 करोड़ रुपए के निवेश किए गए थे।

I.4.5.7 निवेश का पैटर्न वैसा ही रहा जैसा गत वर्ष था। 31 मार्च 2011 की स्थिति में गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने अनुमोदित निवेशों और केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में क्रमशः 31,769 करोड़ (38.50 प्रतिशत) तथा 19,865 करोड़ रुपए (24.07 प्रतिशत) निवेश किए थे।

तालिका I.43
गैरजीवन बीमाकर्ताओं का कुल निवेश: नियमानुसार
(31 मार्च की स्थिति)

(करोड़ रुपए)

निवेशों का पैटर्न	2010		2011	
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	16038	24.16	19865	24.07
राज्य सरकारों की और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	6971	10.50	8191	9.93
आवास तथा हाऊसिंग और एफ एफ ई के लिए	4790	7.22	6973	8.45
राज्य सरकारों को ऋण				
इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश	10373	15.63	12216	14.80
अनुमोदित निवेश	24256	36.55	31769	38.50
अन्य निवेश	3944	5.94	3506	4.25
कुल	66372	100.00	82520	100.00

टिप्पणी: 1. 2010-11 के आंकड़े बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के पास फाइल की गई अस्थायी विवरणियों पर आधारित हैं।

2. इसमें से एचएनएच बी एसोसिएशन, ईसीजीसी, एआइसी ऑफ इंडिया के निवेश शामिल नहीं किया गए हैं।

3. एफएफई : आग बुझाने वाला यंत्र

I.4.6 स्वास्थ्य बीमा

I.4.6.1 स्वास्थ्य बीमा भारत के बीमा उद्योग के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में से एक बना हुआ है। 2010-11 में इसने 11,480 करोड़ रुपए के प्रीमियम का जोखिम अंकन किया है जिससे कि 2009-10 (8305 करोड़ रुपए) में लिखित प्रीमियम की तुलना में 38.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

I.4.6.2 'बहुकारोबारी गैर जीवन बीमाकर्ताओं के अलावा अपोलो म्यूनिख हैल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी लि. स्टार हैल्थ एंड एलाइड इन्श्योरेंस कंपनी

लि. मैजर्स मैक्स ब्यूपा हैल्थ इन्श्योरेंस कं.लि. ने स्वास्थ्य बीमा कारोबार में योगदान दिया। स्टैंडएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2010-11 में कुल 1,536 करोड़ रुपए के प्रीमियम का जोखिम अंकन किया (2009-10 में 1,072 करोड़ रुपए)।

I.4.6.3 बढ़ती हुई चिकित्सा लागतों, खासतौर पर शहरों में, तथा लोकप्रिय सरकारी योजनाओं (जिनमें आरोग्य श्री, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे बीमा तंत्र भी शामिल हैं) के कारण, स्वास्थ्य बीमा के लाभों के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता से, स्वास्थ्य बीमों के बारे में आम

तालिका I.44
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2006-2011

बीमाकर्ता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
गैरजीवन प्राइवेट	1224.00	1832.50	2266.30	2349.80	3031.48
गैर जीवन सरकारी	1973.60	3136.50	3824.00	4883.30	6912.55
स्टैंड एलोन हेल्थ बीमा कर्ता	11.16	155.94	535.09	1072.10	1535.70
कुल	3208.70	5125.00	6625.50	8305.20	11479.70

जनता की शिकायतें भी बढ़ी हैं और सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से जानकारी मंगाने के प्रकरण भी बढ़े हैं। इसे देखते हुए विनियामक ने, स्वास्थ्य बीमे के पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सेक्टर के समुचित वृद्धि के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं।

I.4.6.4 प्राधिकरण ने कई नए मुद्दे भी हाथ में लिए हैं और नए प्रयास शुरू किए हैं, जिनमें 'स्वास्थ्य बीमा फोरम' की स्थापना तथा दावा फार्मेटों और अन्य दस्तावेजों का मानकीकरण भी शामिल है। 'स्वास्थ्य बीमा फोरम, स्वास्थ्य बीमा परिस्थिति की (ईको सिस्टम) के सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक सांझा मंच उपलब्ध करवाता है।

सरकारों द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाएँ

I.4.6.5 सरकारी योजनाओं के लिए बोली लगाने वाले बीमाकर्ताओं के लिए कुछ नियम निर्धारित करने की दृष्टि से बीमाकर्ताओं को अनुदेशित किया जाता है कि वे 'फाइल एंड यूज' प्रक्रिया के साथ-साथ कुछ विशिष्ट शर्तों का भी अनुपालन करें। इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित भी शामिल है :

- बीमाकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्ते
 - प्रस्तावित बीमा योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित हो, तथा
 - बीमाकर्ता को परिच्छेद 64 वी बी के प्रावधान का अनुपालन करना होगा।
- यदि किसी निर्दिष्ट पोर्टफोलियों के लिए 'दावा अनुभव' (निवल दावा अनुपात) लगातार 4 छमाहियों के लिए 90 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो बीमाकर्ता को, कम से कम दो साल तक, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसियों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)

I.4.6.6 प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा प्लान की सुवाह्यता से जुड़े विभिन्न मुद्दों की काफी गहन जांच की और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाह्यता को लागू करने के लिए, 2010-11 में एक परिपत्र जारी किया कि जब कोई पॉलिसी धारक, अपनी पॉलिसी, एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में परिवर्तित करता है या एक प्लान से दूसरी प्लान में जाता है तो 'प्रतीक्षा-अवधि' के संदर्भ में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ जारी करने वाले सभी गैर-जीवन बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों को, पहली

स्थितियों में प्राप्त क्रेडिट को, आगे ले जाने की अनुमति प्रदान करेंगे, बशर्ते कि पिछली पॉलिसी को बिना ब्रेक जारी रखा गया हो।

I.4.6.7 सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- पूर्व विद्यमेन बीमारी (पीईडी) को छोड़ कर, बीती अवधि का क्रेडिट नए बीमाकर्ता के पास आगे ले जाया जाएगा।
- नया स्वीकार करने वाला बीमाकर्ता कम से कम पिछली बीमा पॉलिसी की बीमित राशि तक का कवर प्रदान करेगा।
- पॉलिसी की पोर्टिंग के अनुरोध को पूरा करने का कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियमों तथा दिशा निर्देशों में बताई गई समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
- क्रेडिट (प्रतीक्षा अवधि के संदर्भ में) पिछली पॉलिसी के अंतर्गत बीमित राशि (बोनस सहित) तक सीमित रहेगा।

I.4.6.8 प्राधिकरण, वर्तमान में, उद्योग के साथ चर्चा कर रहा है और स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता के कार्यान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया जारी करने वाला है ताकि पॉलिसी स्तर पर स्वास्थ्य बीमे के इतिहास संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने की प्रणाली शुरू की जा सके और पोर्टिंग - पॉलिसीधारक के रिकॉर्डों के अंतरण की निगरानी की जा सके।

व्यापारिक निकायों के जरिए प्रयास

I.4.6.9 प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री (फिक्की) तथा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) द्वारा बनाए गए 'कार्यसमूह' (वर्किंग ग्रुप्स) की गतिविधियों को लगातार समर्थ देता आ रहा है। दोनों उद्योग संस्थाएँ वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सम्मेलन करवाती हैं और अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं जिनमें कार्यदलों की सिफारिशें शामिल होती हैं। वर्तमान में बहु-जोखिम धारक समूह, मुख्यतः इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सामूहिक उत्पाद मूल्यन (प्राइसिंग) के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेम वर्क; विनियामक संस्थाओं के एकजुट प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमे के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना; अस्पतालों और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाताओं के लिए नेशनल एक्केडिटेशन बोर्ड (एनबीएएच); बीमा कंपनियाँ और प्रदाता, बिलिंग फॉर्मेट्स का मानकीकरण, टीपीए का मानकीकरण/बीमाकर्ता तथा टीपीए/अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट्स, वरिष्ठ नागरिक इत्यादि है।

तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए)

I.4.6.10 2010-11 के दौरान प्राधिकरण ने, स्पूर्थी मेडिकेटेक टीपीए सोल्यूशन्ज प्रा.लि. को तृतीय पक्ष प्रशासक के रूप में परिचालन करने का लाइसेंस प्रदान किया इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा 2010-11 में, निम्नलिखित दो लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया

I.4.6.11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा घट ने, काफी मजबूत वृद्धि दिखाई और स्वास्थ्य बीमा डिलीवरी श्रृंखला के सहभागियों के रूप में, टीपीए ने भी इसी प्रकार की मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की। वर्ष के दौरान टी पी ए ने पॉलिसीधारकों के उपचार के लिए 'पात्र-अस्पतालों' के नेटवर्क का आगे और अधिक विस्तार किया।

तालिका I.45

2010-11 के दौरान नवीनीकरण किए गए टीपीए लाइसेंस

क्रम संख्या	टीपीए का नाम
1.	मैसर्ज पार्क मेडिकलेम टीपीए प्राइवेट लि.
2.	मैसर्ज रॉथशील्ड हेल्थकेयर (टीपीए) सर्विसेज लि.

I.4.6.12 2010-11 में टीपीए द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर में की गई और वृद्धि का विवरण, नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका I.46

तृतीय-पक्ष प्रशासक (टीपीए) इन्फ्रास्ट्रक्चर (2010-11)

क्रम सं.	टीपीए का नाम	नेटवर्क में जोड़े गए अस्पतालों की संख्या	नेटवर्क में अस्पतालों की कुल संख्या	नई खाली गई शाखाओं की संख्या	प्रोफेशनल्स सहित जोड़ी गई मानव शक्ति (मैन पावर)
1	पार्क मेडिकलेम	182	1686	2	20
2	विपुल मेडिकल कोरपोरेशन	0	3985	1	65
3	अलंकित हेल्थ केयर	423	3818	1	12
4	आइकेयर हेल्थ मैनेजमेंट	137	3166	2	29
5	डडीकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज	852	3816	2	86
6	मेडीकेयर सर्विसेज	234	3651	0	30
7	एमडी इंडिया हेल्थकेयर सर्विसेज	212	4973	4	302
8	हेरीटेज हेल्थ	126	2876	1	25
9	जीनियस इंडिया	286	2956	0	0
10	रॉथशील्ड हेल्थकेयर सर्विसेज	229	2560	0	90
11	ई मेडिकेटेक सर्विसेज	758	4231	28	119
12	युनाइटेड हेल्थ केयर पारिख हेल्थ मैनेजमेंट	114	3392	0	46
13	सेफवे सर्विसेज	353	3070	3	22
14	मेडसेव हेल्थ केयर	247	3623	44	537
15	गुड हेल्थ प्लान	236	3965	2	31
16	हेल्थ इंडिया सर्विसेज	733	3637	0	109
17	मेडी असिस्ट इंडिया	449	4827	0	170
18	अनमोल मेडीकेयर	69	1026	2	10
19	रक्षा	233	3657	1	72
20	फैमिली हेल्थ प्लान	131	3904	2	219
21	टीटीके हेल्थकेयर	260	5597	0	237
22	ग्रैंड हेल्थ केयर सर्विसेज	40	880	0	6
23	पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज	155	3074	4	71
24	अन्युता मेडीनेट सर्विसेज	1315	1965	3	22
25	ईस्ट वेस्ट असिस्ट	38	3776	2	30
26	फोकस हेल्थ केयर	0	996	0	0
27	श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेज	17	2953	0	0
28	स्पूर्थी मेडीटेक	109	109	0	15
29	यूनिवर्सल मेडी-एड-सर्विसेज	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
	कुल			104	2375

पा.नं. प्राप्त नहीं।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

I.4.6.13 देश में स्वास्थ्य बीमा सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में और सुधार लाने के लिए प्राधिकरण ने इस उद्योग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और स्टेकहोल्डर्स के साथ सम्पर्क जारी रखा। वर्ष के दौरान तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) तथा बीमाकर्ताओं के बीच सेवा संविदा (सर्विस कॉन्ट्रैक्ट) के फॉर्मेट तथा अस्पतालों द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'बिलिंग और डिस्चार्ज सारांश' के फॉर्मेट पर गहन चर्चा हुआ और सही निर्दिष्ट रूप प्रदान किया गया। विभिन्न जोखिमधारकों (स्टेक होल्डर्स) की सक्रिय सहभागिता से इनका प्रायोगिक परीक्षण भी किया गया। इन मानक दस्तावेजों को अपनाने से प्रोसेसिंग सुगम होगी और विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों में सुधार आएगा। प्राधिकरण ने अस्पतालों के नेटवर्क

तथा साथ ही पॉलिसियों की सर्विसिंग करने वाले टी.पी.ए. में परिवर्तन के कारण पॉलिसीधारकों के रिकॉर्ड को अद्यतन करने से संबंधित दिशानिर्देश भी जारी किए।

I.4.6.14 पॉलिसीधारकों, बीमाप्रदाताओं तथा जोखिम धारकों (स्टेकहोल्डर्स) से, तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर विचार के लिए प्राधिकरण ने एक अलग प्रणाली बना रखी है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राधिकरण को 335 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 332 का निपटान कर दिया गया और 31 मार्च 2011 को 3 शिकायतें लंबित/बकाया थीं।

तालिका I.47
तृतीय पक्ष प्रशासक* - दावों संबंधी आंकड़े

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	दावे निपटाए गए				बकाया दावे
		एक माह के भीतर	एक से तीन माह के भीतर	3-6 माह के भीतर	6 माह से अधिक समय में	
2009-10	3365940	2348147 (69.76)	597408 (17.75)	121485 (3.61)	29362 (0.87)	299381 (8.89)
2010-11	3641585	2745661 (74.97)	517069 (14.19)	135808 (3.79)	39859 (1.11)	313013 (8.59)

टिप्पणी: कोष्ठों में दिए गए आंकड़े निपटाए गए दावों का, कुल प्राप्त दावों से प्रतिशत में अनुपात दर्शाते हैं।

I.4.7 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में कारोबार

I.4.7.1 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं के संबंध में प्राधिकरण ने विनियम बनाए हैं, उनमें बीमाकर्ताओं द्वारा वार्षिक आधार पर पूरी की जाने वाली बाध्यताओं को भी विनिर्दिष्ट किया गया है। विनियमों में कहा गया है कि बीमाकर्ता, जिस वर्ष में उन्होंने परिचालन शुरू किए हैं, उसके अनुसार इन घटकों में कारोबार 'जोखिम अंकित' करें। इन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए विनियमों में आगे बताया गया है कि यदि किसी बीमा कंपनी ने वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में भी परिचालन प्रारंभ किए हैं और वह संबंधित वित्तीय वर्ष में, 31 मार्च को, 6 से भी कम महीनों से परिचालनरत है, तो उस पर (i) उक्त अवधि के लिए कोई भी ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र 'बाध्यताएँ लागू नहीं होंगी, तथा (ii) विनियमों में इंगित वार्षिक बाध्यताएँ आगामी वित्तीय वर्ष से शुरू मानी जाएंगी जिसे कि अनुपालन के प्रयोजन से, प्रथम परिचालन वर्ष माना जाएगा। यदि किसी बीमा कंपनी ने अपने परिचालन, वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में शुरू किए हैं तो, प्रथम वर्ष के लिए लागू बाध्यताएँ, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं का 50 प्रतिशत होगी।

जीवन बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ:

ग्रामीण क्षेत्र की बाध्यताएँ

I.4.7.2 वर्ष 2010-11 के दौरान भारती एक्सा को छोड़ कर 22 प्राइवेट क्षेत्र जीवन बीमा कंपनियों में से, 21 ने, अपनी ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताओं को पूरा किया। वर्ष 2010-11 में जोखिम अंकित कुल पॉलिसियों के प्रतिशत के रूप में, ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा जोखिम अंकित पॉलिसियों की संख्या, उन पर लागू बाध्यताओं के अनुसार थी।

I.4.7.3 भारती एक्सा ए इंडिया ने 16.00 प्रतिशत की बाध्यता की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में, 15.98 प्रतिशत पॉलिसियाँ दी, जिससे वित्तीय वर्ष 2010-11 में वह ग्रामीण क्षेत्र की अपनी बाध्यताओं की अनुपालन कर्ता नहीं रही।

I.4.7.4 सरकारी क्षेत्र की एकमात्र बीमाकर्ता कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र की अपनी बाध्यताओं को पूरा किया, और 2010-11 के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक प्रतिशत में, पॉलिसियाँ जोखिम अंकित की।

सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताएँ

I.4.7.5 वर्ष 2010-11 के दौरान सभी 22 प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों ने अपनी सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं को पूरा किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जीवन बीमा पॉलिसियाँ, उनके निर्धारित प्रतिशत से अधिक थी।

I.4.7.6 भारतीय जीवन बीमा निगम ने सामाजिक क्षेत्र की अपनी बाध्यताओं को पूरा किया। वर्ष 2010-11 में उनकी बाध्यता 20 लाख जीवन, पॉलिसियाँ थी, जिसकी तुलना में उसने अधिक संख्या में जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी की:

गैर जीवन बीमाकर्ताओं की बाध्यता :

ग्रामीण क्षेत्र संबंधी बाध्यताएँ

I.4.7.7 वर्ष के दौरान सभी 18 प्राइवेट बीमा कंपनियों ने (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को मिलाकर) ग्रामीण क्षेत्र संबंधी अपने बाध्यताओं का अनुपालन किया। 2010-11 में जोखिम अंकित कुल प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में उनके द्वारा उक्त सेक्टर में जोखिम अंकित संकल सीधा प्रीमियम, निर्धारित प्रतिशत से अधिक था।

I.4.7.8 सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने भी 2010-11 में अपनी ग्रामीण क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया। सरकारी क्षेत्र की बीमाकर्ताओं के संबंध में उनकी बाध्यताएँ 2010-11 में, उनके द्वारा जोखिम अंकित बीमा का 7 प्रतिशत थी।

सामाजिक क्षेत्र संबंधित बाध्यताएँ

I.4.7.9 वर्ष 2010-11 के दौरान सभी 18 प्राइवेट बीमा कंपनियों ने, सामाजिक क्षेत्र संबंधी अपनी बाध्यताओं को पूरा किया। उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में किए गए जीवन बीमा की संख्या उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक थी।

I.4.7.10 सरकारी क्षेत्र के 4 बीमाकर्ताओं ने 2010-11 के लिए अपनी सामाजिक क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया। जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का संबंध है, सामाजिक क्षेत्र में, संबंधित बीमाकर्ता द्वारा किए गए जीवन बीमों की संख्या के संदर्भ में, 2009-10 में जो संख्या उन पर लागू थी वही अथवा 5.50 लाख, जो भी अधिक हो, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं पर लागू थी।

I.4.8 वित्तीय रिपोर्टिंग तथा बीमा अंकन मानदंड

वित्तीय रिपोर्टिंग

I.4.8.1 कंपनी मामले के मंत्रालय ने भारतीय लेखाकार मानकों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आइ एफ आर एस) में तालमेल बिठाने के लिए तैयार की गई रूप रेखा में विनिर्दिष्ट किया है कि मानकों के अनुपालन में, सभी बीमा कंपनियाँ अपने प्रारंभिक तुलन-पत्र, 1 अप्रैल 2012 की स्थिति से तैयार करेंगी। कंपनी मामले के मंत्रालय

द्वारा यह विनिर्देशन प्राधिकरण द्वारा किए गए इस वादे पर आधारित था कि वह उक्त तिथि तक आइ एफ आर एस के साथ एकरूपता (कन्वर्जेंस) कर लेगा, तथापि प्राधिकरण मानक बोर्ड (आइएएसबी) द्वारा जारी विभिन्न मानकों, खासकर बीमा संविदाओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के वैल्यूएशन संबंधी मानकों (आइ एफ आर एस-9) को आइ ए एस बी द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा और वे 2012-13 की शुरुआत से पहले ही लागू कर दिए जाएँगे।

I.4.8.2 आइ एफ आरएस-4 एक अंतरिम मानक है जो मुख्यतः बीमा संविदाओं के प्रकट और वर्गीकरण पर केन्द्रित है। यह एक बीमा संविदा की परिभाषा की शुरुआत करता है जो कि ऐसी संविदा पर आधारित है जिसमें महत्वपूर्ण बीमा जोखिम निहित है। इसमें बीमा संविदाओं और विस्तृत प्रकटनों की वर्तमान लेखाकरण विधियों में केवल सीमित परिवर्तन करने की ही आवश्यकता है। आइएफआरएस-4 से कारोबार के बुनियादी तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसमें लेन-देन और वास्तविक-नकद-प्रवाह (रीयल कैश फ्लो) में कोई बदलाव नहीं आता। तथापि आइ एफ आरएस-4 से कारोबार की रिपोर्टिंग में बुनियादी बदलाव जरूर आएगा, जिसे कि बीमा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऐसे कारोबार में पेन्शन कारोबार भी शामिल हो सकता है। मंत्रालय ने आइएफआरएस-4 के निहितार्थ को अध्ययन करने के लिए एक समिति का गहन किया था। समिति ने अपना रिपोर्ट जून 2009 में प्रस्तुत कर दी थी।

I.4.8.3 आइ ए एस बी ने अंततः बीमा संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) पर 'उद्भासन प्रारूप' (एक्सपोजर ड्राफ्ट) जारी कर दिया और आम जनता तथा स्टेकहोल्डर्स से उनके विचार माँगे। प्राधिकरण ने, बीमा संविदाओं के उद्भासन प्रारूप के प्रावधानों के अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया, जिसे 'आइएफआरएस में समवाय पर कार्यदल' कहा जाता है। कार्यदल ने उद्भासन प्रारूप की विस्तृत जाँच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर, बीमा संविदा के 'उद्भासन प्रारूप' पर अपनी टिप्पणियाँ आइएएसबी को भिजवा दी है। इस बीमा भारतीय सनदी लेखाकार संस्तान (आइ सी ए आइ) ने 'इंडिया ए एस 104' को अधिसूचित कर दिया है जो कि आइ एफ आर एस बीमा संविदाओं का अंगीकरण है, तथापि इसके स्थापन की तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

I.4.8.4 प्राधिकरण की यह राय है कि इस प्रकार के विभिन्न मुद्दों के निकट और दूरगामी प्रभावों को ठीक से समझे बगैर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पहले किए गए वादे के अनुसार आइएफआरएस मानकों में माइग्रेट करना जल्दबाजी होगी। आइ ए एस बी के लिए भी संभव नहीं हो पाया ता कि वह बीमा संविदाओं के उद्भासन प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य जून 2011 से पूर्व कर पाता। आइ ए एस बी बीमासंविदाओं का एक सीमित संशोधित प्रारूप भी लाने जा रहा है, उसे भी अंततः अंति रूप देने के बाद आ ए एस बी उसके कार्यान्वयन के लिए 18 माह की अवधि प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि बीमा संविदाओं से संबंधित मानक, सितंबर 2013 से पहले कार्यान्वित नहीं किए जा सकेंगे।

I.4.8.5 उपर्युक्त स्थितियों में, प्राधिकरण ने कंपनी के मामले के मंत्रालय को लिखा है कि वह बीमा क्षेत्र में आइ एफ आर एस मानकों के अनुपालन के लिए 2012 की तारीख पर पुनर्विचार करें, और आइ ए एस बी द्वारा बीमा संविदाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में संशोधित मानक लाने तक इसे स्थगित रखें ।

नियुक्त बीमा अंकक (एक्चुररी) प्रणाली

I.4.8.6 भारतीय बीमा उद्योग में, 'नियुक्त-बीमा-अंकक-प्रणाली' एक दशक से अधिक से चल रही है। जब से यह प्रणाली प्रारंभ हुई है तब से अब तक इसकी भूमिका में, बीमा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि के अनुरूप काफी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वैल्यूएशन, प्रोडक्ट डिजाइन तथा मूल्यांकन के अलावा आज बीमाअंक, 'हर समय पर' कम्पनी की शोधक्षमता को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सक्षम बनाने के लिए एक और व्यापक भूमिका निभाने लगा है।

I.4.8.7 जीवन बीमाकर्ता के संबंध में, नियुक्त बीमा अंकक, कंपनी की तकनीकी प्रारक्षित निधियों, शोधक्षमता तथा प्रीमियम दरों की औचित्यता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त "नियुक्त-बीमा-अंकक" को पूँजी पर्याप्तता और पूँजी सक्षमता में समुचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए 'आर्थिक पूँजी' की गणना भी अवश्य करनी चाहिए।

I.4.8.8 गैर जीवन बीमाकर्ता के संबंध में शोधक्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ, नियुक्त-बीमा-अंकक को, आइबीएनआर (अपगत मगर रिपोर्ट नहीं किए गए) तथा आई बी एन ई आर (उपगत मगर काफी रिपोर्ट नहीं किए गए) दावों से संबंधित बकाया दावा प्रावधानों का प्रमाणन भी करना आवश्यक होता है। बीमाकर्ताओं को, अपनी शोधक्षम अपेक्षाएँ तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने, अन्य पैरामीटरों को पूरा करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें सामने लाने के लिए नियुक्त बीमा अंकक को 'वित्तीय-स्थिति-रिपोर्ट' भी तैयार करनी होती है। इसके अलावा पूँजी सक्षमता बढ़ाने के लिए बीमा अंकक को, आर्थिक पूँजी संबंधी गणनाएँ भी करनी होती है।

बॉक्स मद-5

आर्थिक पूँजी

हाल ही में, विश्व भर में हुई बृहत् आर्थिक घटनाओं को देखते हुए, इन दिनों, बीमा उद्योग में आर्थिक पूँजी के बढ़ते महत्व और इस संबंध में फैली चिंता, दोनों के दृष्टिगत, आर्थिक पूँजी का महत्व काफी बढ़ गया है। आर्थिक पूँजी को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसे बीमा कंपनियाँ, अनापेक्षित हानियों को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल में लाती हैं। एक दम आधार स्तर पर, संभावित हानियों को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त अधिशेष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक पूँजी गणनाएँ, प्रायः, जोखिम कारकों से बनी होती हैं, जैसे बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, बीमा अथवा बीमा लेखन जोखिम परिचालनात्मक जोखिम तथा नकदी जोखिम, आर्थिक पूँजी की गणना के समय कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाने होते हैं और इसमें जो दृष्टिकोण अपनाया जाना होता है उसमें कंपनी के जोखिमों की प्रकृति और साथ ही प्रबंधन की जोखिम सहनशीलता और उद्देश्य परिलक्षित होने चाहिए।

आर्थिक पूँजी विश्लेषण से, किसी बीमा कंपनी को, दो स्थितियों के बीच उपयुक्त संतुलन लाने में मदद मिलती है - "बहुत अधिक पूँजी" जिससे बीमा की लागत अत्यधिक हो सकती है तथा "नाकाफी पूँजी" जिससे शोधक्षमता का अस्वीकार्य जोखिम पैदा हो सकता है। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं तथा गैर-जीवन-बीमाकर्ताओं, दोनों को आदेश दिया है कि वे आर्थिक पूँजी गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करें इससे बीमा कर्ताओं को, अपनी वित्तीय सद्दृढ़ता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का एक व्यापक परिदृश्य मिलेगा। तदनुसार, आर्थिक पूँजी के आकलन का, फ्रेमवर्क, बीमा कंपनियों के समूचे जोखिम प्रबंधन तंत्र में, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसे बीमा कर्ताओं को, बीमा कारोबार चलाने में होने वाले प्रत्येक जोखिम के लिए सही पूँजी मात्रा निर्धारित करने में मदद मिलती है। आर्थिक पूँजी किसी कंपनी की अपनी जोखिम प्रोफाइल को परिलक्षित करती है और सामान्यतः प्रत्येक जोखिम के लिए निर्धारित की जाने वाली पूँजी की अधिकतम मात्रा, कंपनी के अपने आंतरिक मॉडलों पर निर्धारित होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आर्थिक पूँजी की कोई एक परिभाषा नहीं है, फिर भी तीन ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर आर्थिक पूँजी की गणना, आधारित होती है, ये सिद्धांत इस प्रकार हैं

- प्रतिकूल परिणामों की भरपाई के लिए पर्याप्त अधिशेष, जैसे कि, सांभाक्ति ऋणात्मक नकद प्रवाह, परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आना अथवा देयताओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाना।
- एक विशिष्ट जोखिम सहनशीलता स्तर
- एक विनिर्धारित समय सीमा।

बीमा क्षेत्र में आर्थिक पूँजी के आकलन के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे विशिष्ट दिशानिर्देशों के अंतर्गत, आर्थिक पूँजी की गणना करें, और तदनुसार वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें, गणना 99.50 प्रतिशत के जोखिम पर मूल्य स्तर पर आंशिक होती है और एक वर्ष की समयावधि पर आधारित होती है जिसमें जोखिमों का वर्गीकरण, जीवन बीमाकर्ताओं के लिए परिचालन, बाजार, नकदी तथा क्रेडिट जोखिम के रूप में, एवं गैर-जीवन-बीमाकर्ताओं के लिए, जोखिम-अंकन, बाजार, खर्चों, परिचालन तथा नकदी जोखिम के रूप में किया जाता है। बीमाकर्ताओं को, कुल आर्थिक पूँजी आवश्यकताओं को, विविधकरण प्रभाव की सीमा तक कम करने की अनुमति है, जो कि, जीवन बीमाकर्ताओं के इस प्रयास को, इस समय के "फिक्सड फैंक्टर फार्मुला दृष्टिकोण से" जोखिम आधारित पूँजी दृष्टिकोण की ओर जाने, तथा अंततः शोधक्षमता की अतिशयता-11 की ओर अग्रसर होने की जरूरत के प्रति, बीमाकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए, एक शुरुआती कदम के रूप में देखा जा सकता है।

1.4.9 काले धन को वैध बनने से रोकना (एंटीमनी लॉड्रिंग)/ आतंकवाद के वित्तपोषण को प्रतिकार (एएमएल/सीएफटी) का कार्यक्रम:

1.4.9.1 वित्तीय कार्यवाई कार्यदल (एफएटीएफ) में भारत की सदस्यता की प्रक्रिया के दौरान, बीमा सेक्टर को जारी, एएमएल/सीएफटी दिशा निर्देशों का विस्तृत आकलन/मूल्यांकन किया था। जून 2010 के सत्र में भारत को सदस्यता मिली। इस प्रक्रिया में भारत ने, एफएटीएफ को, एक समय बद्ध कार्यवाई-योजना की वचनबद्धता दी।

1.4.9.2 एफएटीएफ में सदस्यता से संबंधित मुद्दों पर समन्वयकर्ता की भूमिका निभाने के लिए स्थापित की गई एएमएल/सीएफटी पर 'अंत-मंत्रालय-समन्वय समिति' ने विविध कार्य बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें देने के लिए कई उपसमितियों का गठन किया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इन में से दो समितियाँ ('ए एम एल/सीएफटी विनियामक फ्रेमवर्क आकलन समिति' तथा 'राष्ट्रीय जोखिम आकलन समिति') का सक्रिय सदस्य था।

1.4.9.3 बीमा क्षेत्र में, ए एमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के एक अंश के रूप में, 31 जुलाई 2010 तक इस विषय पर जारी विभिन्न परिपत्रों का एक 'मास्टर परिपत्र' जारी किया गया। दिशानिर्देशों के संबंध में बीमा कंपनियों के अनुपालन पर निरंतर, स्थलीय आर स्थलेतर निगरानी रखी जाती है। चूंकि बीमा क्षेत्र एएमएल/सीएफटी के प्रभावी कार्यान्वयन के छठे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, अतः उपयुक्त संशोधनों के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है ताकि, कार्यान्वयन के प्रति एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

1.4.9.4 वर्ष के दौरान, बीमा परिषदों के सहयोग से, बीमा कंपनियों के स्टाफ को जारी एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों पर जागरूकता लाने के लिए वर्क शोप/बैठक आयोजित की गयी। बीमाकर्ताओं की समझ में सुधार लाने और एफआइयू-आइएनडी द्वारा प्रसारित रिपोर्टों पर प्रभावी कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने, वित्तीय इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआइयू-आइएनडी) के साथ भी काफी निकटता से कार्य किया। यू आइडी के प्रयोग की विधियों पर कार्य करने तथा/भारत में बीमा क्षेत्र के लोगों को यू आइडी जारी करने में सुविधा प्रदान करने जैसे मुद्दों पर कार्य करने के लिए 'यूआइडीएआइ' द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा जीवन और गैर जीवन बीमा उद्योग का एक 'संयुक्त-कार्यदल' गठित किया गया।

1.4.9.5 एफएटीएफ को दी गई अल्पावधि कार्यवाई बिंदुओं की चयन बद्धता के एक भाग के रूप में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने, बीमा क्षेत्र को अनुदेश जारी किए हैं जिनमें कानूनी व्यक्तियों के मामले में, "अपने-ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों की अपेक्षा, को, निर्धारित किया गया है। बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों/प्रोद्योगिकियों

तथा प्रबंधन से जुड़े जोखिमों के आने से जो खतरे सामने आए हैं, उन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। राजनीति से जुड़े लोगों (पीईपी) पर विशेष ध्यान दिया जाना है और उनके संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है। सवधि जीवन बीमा-संविदाएँ, जो कि अब तक एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त थी, उन्हें भी अब दिशानिर्देशों की परिधि में लाया गया है। हालांकि इनमें ड्यू डिलिजेंस की शर्तें कम स्तर पर रखी गई हैं। किसी ग्राहक की पहचान और/अथवा उसके पते को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में और दस्तावेजों को जोड़ा गया जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) द्वारा जारी किया जाने वाला 'जॉब कार्ड' तथा 'यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी पत्र आदि। ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग नियमों में किए गए संशोधनों के अधीन किया गया है जिनमें इन्हे आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना गया है।

1.4.9.6 भारत ने अल्पावधि कार्यवाई बिंदुओं का अनुपालन कर लिया है और एफएटीएफ प्लेनरी को अक्टूबर 2010 में अनुपालन रिपोर्ट भिजवा दी है और अब मध्यावधि कार्यवाई योजना पर काम चल रहा है। इन मध्यावधि कार्यवाई बिंदुओं में से कुछ को पूरा करने के लिए प्राधिकरण वित्तीय सेवाएँ विभाग के बीमा प्रभाग के साथ काफी निकटता से कार्य कर रहा है।

1.4.10 फसल बीमा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आइ एस)

1.4.10.1 रबी 1999-2000 से व्यापक फसल बीमा योजना की जगह, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआइएस) शुरी की गई। प्रारंभ में केवल 9 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने ही इस योजना का विकल्प चुना गया दिसंबर 2002 में बनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. ने, एन ए आइ एस के कार्यान्वयन का जिम्मा लिया। खरीफ 2010 तथा रबी 2010-11 के दौरान भारतीय कृषि बीमा कंपनी से 24 राज्यों (रास्थान को छोड़कर जिसने एएआईएस के स्थान पर 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' चलाई) दो संघशासित प्रदेशों ने एन ए आइ एस चलाई, जिसमें प्रत्येक सीजन में लगभग 35 विभिन्न फसलों को शामिल किया गया जिसका सकल प्रीमियम 1,012 करोड़ रुपए रहा। एनएआइएस के अंतर्गत शामिल "प्रतिफसलित-एकड़-बीमित-राशि औसतन 7,000 रुपए थी। रबी 1999-2000 से खरीफ 2010 (10 जून 2011 तक) के गत 22 सीजनों में 17.13 करोड़ किसानों को 2,10,524 करोड़ रुपए की राशि का बीमा दिया गया जिसके अंतर्गत 26.26 करोड़ हेक्टर खेती क्षेत्र शामिल किया गया, 323 प्रतिशत दावा अनुपात पर दावों की कुल 21,034 करोड़ रुपए की राशि रिपोर्ट की गई, जिससे, योजना के अंतर्गत, 4.62 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचा। एनएआइएस के अंतर्गत सरकार, कंपनी की पूर्व-परिभाषित देयता के अलावा, स्टॉप लॉस सुरक्षा भी प्रदान करती है। 2009-10 के 94.4 प्रतिशत के मुकाबले एनएआइएस योजना का सकल उपगत दावा अनुपात 2010-11 के दौरान 73.2 प्रतिशत था।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआइएस)

I.4.10.2 रबी 2010-11 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआइएस) 50 जिल्लों में, प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई। रबी 2010-11 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने 12 राज्यों के 32 जिलों में संशोधित रा.कृ.बी. योजना कार्यान्वित की जिसके अंतर्गत 3,45,001 किसानों को 692 करोड़ रुपए की बीमित राशि के लिए 45.20 करोड़ रुपए के प्रीमियम के समक्ष बीमा प्रदान किया गया। रा.कृ.बी. योजना की तुलना में संशोधित रा.कृ. बीमा योजना में निम्न लिखित प्रमुख सुधार किए गए हैं :

- संशोधित रा.कृ. बीमा योजना के अंतर्गत प्रभारित प्रीमियम दरें बीमा अंकित हैं। और इनके प्रीमियम में सरकार द्वारा 'अप-फ्रंट सब्सिडी' दी गई है। बीमाकर्ता, दावों की देयता राशि के लिए उत्तरदायी होगी और उसके साथ यह प्रावधान है कि यदि दावा अनुपात 500 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो सरकार 'अंतिम-सहारा-पुनर्बीमाकर्ता' की भूमिका निभाएगी।
- प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई, ग्राम/ग्राम पंचायत अथवा कोई अन्य समकक्ष इकाई होगी।
- मना की गई बुवाई/पौधारोपण जोखिमों, तथा फसलोत्तर क्षतियों को भी कवर किया जाएगा।
- ओला वृष्टि तथा भू-स्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के मामले में हानियों का व्यक्तिगत फार्म स्तरीय आकलन किया जाता है।
- भारी आपदाओं के मामले में किसानों को, तत्काल राहत देने के लिए संभावित दावे की 25 प्रतिशत राशि का, ऑन-एकाउंट भुगतान, अग्रिम के रूप में किया जाता है।
- नई उपज, गत सात वर्षों की औसत उपज पर आधारित होती है, जिसमें से 2 वर्ष तक कम किए जा सकते हैं बशर्ते कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा घोषित की हो, तथा।
- 70 प्रतिशत का न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर उपलब्ध है (रा.कृ. बीमा योजना में उपलब्ध 60 प्रतिशत की तुलना में)

I.4.10.3 रबी 2010-11 के दौरान, संशोधित रा.कृ. बीमा योजना ने 3.45 लाख किसानों द्वारा 3.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई गई फसलों का बीमा किया जिसमें बीमित राशि 692 करोड़ रुपये थी तथा 45.20 करोड़ रुपए का प्रीमियम, 'जोरिखम अंकित' किया गया था। दावों की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ज्ञात होने की आशा है। भारत सरकार ने खरीफ 2011 के दौरान प्रायोगिक आधार पर संशोधित रा. कृ. बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

I.4.10.4 मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू बी सी आइ एस) का उद्देश्य बारिश तापमान, कोहरे, नमी जैसे मौसम के पैरामीटरों की प्रतिकूल स्थितियों के कारण, फसलों को हुई हानि के परिणामस्वरूप, किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान के कारण, बीमित किसानों को होने वाली तकलीफों को कम करना है। इसे समूचे भारत में रा.कृ.बीमा योजना के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कृषि बीमा कंपनी ने मौ.आ. फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन खरीफ 2010 में 16 राज्यों में किया तथा रबी 2010-11 में 14 राज्यों में किया, जिनमें 35 से अधिक भिन्न भिन्न फसलें थी। मौ.आ.फ. बीमा योजना का उद्देश्य, प्रतिकूल मौसम स्थितियों के लिए, किसानों को, बीमा सुरक्षा प्रदान करना है जैसे कि कम या, ज्यादा वर्षा, लंबी अवधि तक सूखा पड़ना, न्यूनतम और/अथवा अधिकतम तापमानों में उतार चढ़ाव, सापेक्षित आर्द्रता, हवा की गति आदि, जो कि फसल उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस योजना से यह लाभ है कि मौसम की प्रतिकूल घटनाएँ होने के थोड़े ही समय के भीतर दावों की प्रोसेसिंग कर दी जाती है। मौ.आ.फ. बीमा योजना, प्रीमियम की बीमांकिक दरों पर आधारित है परंतु योजना को आकर्षक बनाने के लिए खाद्य और तिलहन फसलों के संबंध में, किसानों से वास्तव में वसूल किया जाने वाला प्रीमियम, एन ए आइ एस के 'समतुल्य' रखा जाता है, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागबानी फसलों के लिए यह 6 प्रतिशत रखा जाता है। कृषि बीमा निगम ने 38.98 लाख किसानों की लगभग 61.20 लाख हेक्टेयर 'खेती-भूमि' का बीमा किया, जिसकी बीमित राशि 4,381 करोड़ रुपए थी और जिससे खरीफ-2010 में 455 करोड़ रुपए का प्रीमियम अर्जित हुआ। रबी 2011 के दौरान 28.25 लाख किसानों की 35.52 लाख हेक्टेयर खेती भूमि का बीमा किया गया, जिसकी बीमित राशि 5,254 करोड़ रुपए थी और प्रीमियम 428 करोड़ रुपए था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना ने 2010-11 के दौरान 1,950 करोड़ रुपए के, एआइसी सकल प्रीमियम के 45 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त किया।

I.4.11 सूक्ष्म बीमा

I.4.11.1 सूक्ष्म बीमा को, कम आय वाले तबकों तक ले जाने के लिए, बीमा विनियमाक और विकास प्राधिकरण ने सूक्ष्म बीमा विनियम बनाए हैं। सूक्ष्म बीमा विनियम 2005 ऐसे बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्हें ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्ति, आसानी से ले सकते हैं, और इससे सूक्ष्म बीमा को, देश की वृहत् बीमा प्रणाली का अविभाज्य अंग बनने में भी मदद मिलती है।

I.4.11.2 सूक्ष्म बीमा विनियमों का मुख्य कार्य आसानी से लेने योग्य बीमा उत्पादों के द्वारा, कम आय वाले लोगों को, सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे एक निश्चित बीमा राशि स्तर, प्रीमियम और लाभ मानकों वाले, कुछ मानकीकृत लोकप्रिय बीमा उत्पादों की मदद से, स्वयं को, जोखिमों से उबार सकें। इन विनियमों ने न केवल गैर-सरकारी-संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विपणन में बीमा कंपनियों

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

के एजेंट की भूमिका निभाने में मदद की है बल्कि जीवन और गैर जीवन बीमाकर्ताओं को, 'कोम्बी-माइक्रो' बीमा उत्पादों को प्रोत्साहित करने में भी मदद दी है।

जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.11.3 वर्ष के दौरान, जहाँ व्यक्तिगत नया कारोबार प्रीमियम 36.51 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत, 130 करोड़ रुपए था, वहीं सामूहिक बीमा कारोबार 1.52 करोड़ जीवन बीमों के अंतर्गत 155 करोड़ रुपए प्रीमियम था। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस पोर्टफोलियों में सर्वाधिक कारोबार

किया और 29.5 लाख जीवन बीमों से 123 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत प्रीमियम कमाया जबकि 1.33 करोड़ जीवन बीमों से 138 करोड़ रुपए का सामूहिक प्रीमियम कमाया।

I.4.11.4 मार्च 2010 के अंत की स्थिति में सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 10,482 थी, जिनमें से 9,724 भारतीय जीवन बीमा निगम के थे, तथा शेष प्राइवेट क्षेत्र के कंपनियों के प्रतिनिधि थे। अब तक 14 जीवन बीमाकर्ताओं ने 28 सूक्ष्म बीमा उत्पाद प्रारंभ किए हैं, इनमें से 16 व्यक्तिगत उत्पाद हैं, तथा 12 सामूहिक उत्पाद हैं।

तालिका I.48
2010-11 के लिए सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियों के अंतर्गत नया कारोबार

(प्रीमियम लाख रुपए)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत		योजनाएँ	सामूहिक	
	पॉलिसियाँ	प्रीमियम		कवर किए गए जीवन	प्रीमियम
प्राइवेट	699733	735.09	23	1983537	1719.14
जी.बी. निगम	2951235	12305.76	5446	13275464	13803.67
कुल	3650968	13040.85	5469	15259001	15522.81

टिप्पणी: नए कारोबार प्रीमियम में, पहले वर्ष का तथा एकल प्रीमियम शामिल है।

तालिका I.49
जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट्स

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2010 के स्थिति	जोड़े गए	घटाए गए	31 मार्च 2011, की स्थिति
प्राइवेट	770	139	151	758
जी.बी. निगम	7906	2171	353	9724
कुल	8676	2310	504	10482

तालिका I.50
सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियों के अंतर्गत व्यक्तिगत मृत्यु दावे - 2010-11

(लाभ राशि लाख रुपए)

बीमाकर्ता	कुल देय दावे		भुगतान किए गए दावे		अस्वीकृत दावे		31 मार्च 2011 को लंबित, दावे	
	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि
प्राइवेट	4071	514.59	4039 (99.21)	505.23 (98.18)	28 (0.69)	9.01 (1.75)	4 (0.10)	0.35 (0.07)
जीबी निगम	7320	1190.17	7244 (98.96)	1174.12 (98.65)	60 (0.82)	13.41 (1.13)	16 (0.22)	2.64 (0.22)
कुल	11391	1704.76	11283 (99.05)	1679.35 (98.51)	88 (0.77)	22.42 (1.32)	20 (0.18)	2.99 (0.17)

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

तालिका I.51
सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियों के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे 2010-11

(लाभ राशि लाख रुपए में)

बीमाकर्ता	कुल देय दावे		भुगतान किए गए दावे		अस्वीकृत दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि
प्राइवेट	4499	1097.25	4285 (95.24)	1028.07 (93.69)	128 (2.85)	42.90 (3.91)	86 (1.91)	26.29 (2.40)
जी.बी. निगम	46306	19746.19	45965 (99.26)	19607.62 (99.30)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	341 (0.74)	138.57 (0.70)
कुल	50805	20843.44	50250 (98.91)	20635.69 (99.00)	128 (0.25)	42.90 (0.21)	427 (0.84)	164.86 (0.79)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

I.4.11.5 प्राधिकरण द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम 2005, अधिसूचित किए जाने के बाद, गरीबों की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों के डिजाइन में, शनैःशनैः वृद्धि दिखाई दी है। विनियमों में प्रावधानित लचीलेपन से बीमाकर्ताओं को 'संयुक्त कवर' अथवा 'पैकेज उत्पाद' बनाने की अनुमति मिली है। प्राधिकरण के अनुमोदन से बीमा कंपनियाँ, पहले से ही अनुमोदित

साधारण उत्पादों की पेशकश, सूक्ष्म बीमा उत्पादों के रूप में कर रही है बशर्ते कि उत्पाद की बीमित राशि तथा अन्य फीचर्स, सूक्ष्म बीमे के लिए निर्धारित रेंज में आते हैं।

I.4.11.6 व्यक्तिगत और सामूहिक वर्ग के लिए मृत्युदावों का अवधि-वार निपटान निम्न लिखित तालिकाओं में दिया गया है।

तालिका I.52
सूक्ष्म बीमे में निपटाए गए मृत्युदावों का विवरण-व्यक्तिगत वर्ग, 2010-11

(पॉलिसियों की संख्या)

बीमाकर्ता	अवधि						कुल निपटान गए दावे
	सूचना के 30 दिन के भीतर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से एक वर्ष	1 वर्ष से अधिक		
प्राइवेट	3972 (98.34)	53 (1.31)	13 (0.32)	1 (0.02)	0 (0.00)	4039	
जी.बी. निगम	7242 (99.97)	2 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7244	
कुल	11214 (99.39)	55 (0.49)	13 (0.12)	1 (0.01)	0 (0.00)	11283	

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, कुल निपटाए गए दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका I.53
सूक्ष्मबीमे में मृत्यु दावों का अवधि वार निपटान-सामूहिक वर्ग, 2010-11

(पॉलिसियों की संख्या)

बीमाकर्ता	अवधि						कुल निपटान गए दावे
	सूचना के 30 दिन के भीतर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से एक वर्ष	1 वर्ष से अधिक		
प्राइवेट	4080 95.22	172 4.01	31 0.72	2 0.05	0 0.00	4285	
जी.बी. निगम	45366 98.70	599 1.30	0 0.00	0 0.00	0 0.00	45965	
कुल	49446 98.40	771 1.53	31 0.06	2 0.00	0 0.00	50250	

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निपटाए गए दावों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

गैर जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.11.7 सभी पंजीकृत बीमा कंपनियों के ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो कम-आय वर्ग वाले लोगों की ओर लक्षित हैं, जैसे 'जनता-व्यक्तिगत-दुर्घटना पॉलिसी' ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, दुंधारू पशु/लाइव स्टॉक बीमा, आदि इनके अलावा इन घटकों के लाभ के लिए प्राइवेट और सरकारी बीमाकर्ताओं द्वारा कई टेलर मेड सामूहिक सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की पेशकश भी की जाती है। चूंकि सूक्ष्म बीमा एक कम कीमत वाला और अधिक मात्रावाला कारोबार है, इसलिए इसकी सफलता

और स्थिरता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी 'लेन-देन-लागते' कम रखी जाएँ।

I.4.11.8 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 32(बी) तथा 32(सी) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएँ) विनियमों ने ग्रामीण क्षेत्र के जरूरत को निर्धारित की है, जिनसे भी, भारत में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विकास और प्रोत्साहन को बढ़ावा मिला है।

बॉक्स मद-6

सूक्ष्म बीमा - पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा और भविष्य की रूपरेखा

पृष्ठभूमि

देश में बीमा के फैलाव को संतुलित और द्रुत गति से विस्तार को सुनिश्चित करने के एक प्रयास के रूप में प्राधिकरण ने, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिबाध्यता) विनियम, 2002 बनाए। इन विनियमों ने बीमाकर्ताओं पर यह बाध्यता लागू की, वे एक विनिर्धारित प्रतिशत में पॉलिसियाँ, ग्रामीण जनता को बेचें, तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों, अथवा जो लॉग कुछ पारंपरिक व्यवसाय करते हैं, उनके जीवन/परिसम्पत्तियों को एक विनिर्धारित संख्या में कवर करें। यह बाध्यता ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में फैलाव को बढ़ाने के लिए काफी प्रभावोत्पादक रही है, जहाँ कि बीमों की संख्या बहुत ही कम थी।

गत दशक में काफी वृद्धि के बावजूद क्षमता को देखते हुए, कवरेज, विशेषकर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में, काफी अपर्याप्त रही है, बाध्यताओं की शुरुआत के तत्काल बाद ही, यह भी समझा जा चुका था, कि हालांकि, जिन क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया था उनमें बीमाकर्ताओं को कार्य करने के लिए बाध्य करने में तो वे समर्थ रही है, तथापि, इस संबंध में जितना कार्य किए जाने की जरूरत है वह केवल बाध्यता से ही संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा महसूस किया गया था कि ग्रामीण और कम आय वाले घटकों के बीच, बीमा का प्रचार-प्रसार करने में बीमाकर्ताओं को, वास्तव में कुछ कठिनाईयाँ सामने आ रही हैं। और इनमें से कुछ का समाधान, विनियामक प्रावधानों/नियमों में शिथिलताओं, द्वारा किया जा सकता है। निर्धन ग्रामीणों की वर्तमान बीमा योजनाओं की जाँच के लिए भारत सरकार ने 2003 में एक परामर्श दल का गठन किया था। इस दल की सीफारिशों के आधार पर प्राधिकरण ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 जारी किए। दल ने अपने कार्य के दौरान, यह सुझाव भी दिया था कि वर्तमान परिपेक्ष्य में एकल/सूक्ष्म बीमा संस्थाएं, व्यवहारिक नहीं रह पाएँगी

सूक्ष्म बीमा विनियमों का सार - तत्व

- 'भागीदार-एजेंट मॉडल' अपनाना, जिसके द्वारा बीमाकर्ता, जोखिम अंकन के रूप में, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा जबकि एजेंट, समुदायों के बीच, नेटवर्क, पहुँच तथा भरोसा लाएगा।
- 'सूक्ष्म बीमा एजेंटों' के नाम से, वितरकों का एक नया वर्ग निर्मित किया गया, जिसके द्वारा, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एम एफ आई) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सूक्ष्म बीमा उत्पादों को वितरण का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
- इन पॉलिसियों के छोटे आकार और इनमें शामिल अतिरिक्त सेवा जिम्मेदारियों को देखते हुए सूक्ष्म बीमा, एजेंटों को विभेदक कमीशन दरों की अनुमति प्रदान की गई है। विनियमों ने, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा और लाइसेंसिंग से संबंधित अपेक्षाओं में तो छूट प्रदान की है, परंतु बीमा कर्ताओं द्वारा बीमा एजेंटों के कर्मचारियों, को, 25 घंटे का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है।
- मिश्रित उत्पाद, जिनके द्वारा एक आय वाले परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना, आवास, पशु, औजार और उपकरणों से जुड़े, विविध जोखिमों को, जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के बीच तालमेल से, एक-एकल पॉलिसी के अंतर्गत लाया जा सकता है।
- 'सूक्ष्म-बीमा' में आने की पात्रता हेतु, उत्पादों की बीमित राशि को, परिभाषित किया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि, उत्पाद, विशिष्ट: सूक्ष्म बीमा घटक की जरूरतों को पूर करते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

सूक्ष्म बीमा विनियम – कार्य निष्पादन की समीक्षा

1. जीवन बीमा:

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए सूक्ष्म बीमा एजेंटों, जोखिम अंकित पॉलिसियों की संख्या तथा अदा किए गए दावों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं।

सूक्ष्म बीमा (एम आई) एजेंटों (जीवन) की संख्या

वर्ष (31 मार्च तक)	संख्या
2008	4584
2009	7250
2010	8676
2011	10482

नया कारोबार प्रीमियम (जीवन)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	व्यक्तिगत			सामूहिक	
	पॉलिसियों	प्रीमियम	योजनाएँ	जीवन	प्रीमियम
2007-08	937768	18.23	7598	12242027	201.27
2008-09	2152069	36.56	6897	12551809	205.95
2009-10	2983954	158.22	5207	16842070	234.81
2010-11	3650968	130.40	5469	15259001	155.23

सूक्ष्म बीमा दावे (जीवन)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	व्यक्तिगत		सामूहिक	
	अदा किए गए दावों की संख्या	अदा किए गए दावे	अदा किए गए दावों की संख्या	अदा किए गए दावे
2007-08	439 (87.80)	0.62 (88.38)	43688 (99.86)	120.88 (99.91)
2008-09	2527 (95.83)	3.31 (86.03)	50338 (99.64)	154.62 (99.71)
2009-10	7508 (99.13)	8.19 (95.55)	43463 (98.74)	177.68 (99.09)
2010-11	11283 (99.05)	16.79 (98.51)	50250 (98.91)	206.35 (99.00)

टिप्पणी: कोष्टकों में दिए गया प्रतिशत सूचित दावों से, अदा किए गए दावों का, प्रतिशत है। जैसा कि उक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है, सूक्ष्म बीमा ने शुरुआत तो एक अत्यंत छोटे रूप में की थी मगर गत कुछ वर्षों में इसने काफी मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की है।

अलग-अलग आँकड़े देखने से ज्ञात होता है कि यद्यपि सामूहिक बीमे का काफी बड़भाग, सरकार द्वारा प्रायोजित, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है। तथापि 3.6 मिलियन व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियाँ, अधिकांशतः स्वपोषित हैं, जिससे इंगित होता है कि लक्ष्यवर्ग, के लोग बीमा करवाने के इच्छुक हैं, बशर्ते उनके हिसाब से, सही प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ उपलब्ध हो।

सूक्ष्म बीमे के अंतर्गत, नवीकरण प्रीमियम (जीवन) में, राशि के हिसाब से, काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 में व्यक्तिगत नवीनीकरण प्रीमियम 181 करोड़ रुपए था जबकि सामूहिक सूक्ष्म बीमा नवीनीकरण प्रीमियम 682 करोड़ रुपए था।

II. गैर-जीवन बीमा

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम तथा अदा किए दावों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

गैर जीवन बीमा-प्रीमियम और दावे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल लिखित प्रीमियम	सकल उपगत दावे	सकल उपगत दावा अनुपात
2009-10	193.14	126.65	65.57
2010-11	393.38	309.90	78.78

31 मार्च 2011 की स्थितियों में, जीवन बीमाकर्ताओं के पास, 16 व्यक्तिगत और 12 सामूहिक सूक्ष्म बीमा उत्पाद थे जबकि साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल 66 उत्पाद प्रारंभ किए। इस बात को काफी महसूस किया जा रहा है कि किफायती लागत, बेहतर सेवा प्रदान करने तथा बेहतर दायित्व के कारण, सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, बीमाकर्ताओं के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह चलाई जा सकती है। इसलिए कम-आय/सूक्ष्म बीमा घटकों को लक्ष्यत, भारत सरकार की तीन अग्रणी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ - 'आम आदमी बीमा योजना (ए ए बी वाय), 'जन श्री बीमा योजना' तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएस बी वाय), प्रशासन हेतु, बीमा कर्ताओं को सौंप दी गई है।

भावी रूप रेखा

एक छोटी सी शुरुआत के बाद, विनियमों के जारी करने के पश्चात्, पाँच वर्ष की अवधि में, सूक्ष्म-बीमा-कारोबार ने एक सम्मानजनक आकार को छू लिया है। वर्ष 2010-11 में, जीवन और गैर-जीवन सूक्ष्म बीमा सांविभागों के अंतर्गत, दोनों को मिला कर, कुल 1542.62 करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्रित किया गया। जिसमें से जीवन बीमा प्रीमियम 1149.24 करोड़ रुपए था तथा गैर जीवन बीमा प्रीमियम 393.38 करोड़ रुपए था। तथापि, कम आय वाले और ग्रामीण घटकों में, बीमा की जरूरत को देखते हुए अब तक जितना कार्य हुआ है, वह न के बारबर ही है। इन वर्गों के केवल बहुत ही छोटे हिस्से को अब तक किसी प्रकार की बीमा सुरक्षा मिल पाई है, और इस वर्ग के विशाल अभीमाकृत जनसमुदाय को, तत्काल बीमित किए जाने की परम आवश्यकता है। सूक्ष्म बीमे के विस्तार में गति लाने के लिए, निम्नलिखित कदम सहायक हो सकते हैं:

1. चूँकि सूक्ष्म बीमा का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए मुख्यधारा के बीमा पर लागू प्रति पॉलिसी लागत इनमें काम नहीं आ सकती अतः बीमा कर्ताओं के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वे इन्हें घटनों के लिए नए-नए तरीके खोजें, व्यक्तिगत बीमे की तुलना में सामूहिक बीमे में बहुत ही कम लागत आती है जिसका कारण, वितरण की कम लागत, पूरे समूह के लिए एक ही पॉलिसी जारी करने के कारण उपरिशीर्ष लागतें बहुत ही कम आना, जोखिम अंकन के सरल मानदंड तथा प्रीमियम प्रेषण और दावे प्रस्तुत करने में नोडल एजेंसी का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। इसके अलावा, सूक्ष्म बीमा समूह के लागे, आपस में जुड़े, सामाजिक और आर्थिक समुदायों के रूप में रहते हैं, अतः सामुदायिक नेतृत्व के जरिए उन तक आसानी से पहुँचा भी जा सकता है। सामुदायिक नेतृत्व के सहयोग के कारण, बीमाकर्ताओं पर, जारुकता निर्मित करने का दबाव भी कम हो जाता है।
2. नवीनतम प्रौद्योगिकी ने, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वित्तीय क्षेत्री द्वारा चलाए जाने वाले, परिचालनों के तरीके में, एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। अपने परिचालनों का विस्तार करने और उन्हें किफायती बनाने के लिए बीमाकर्ता भी, इन नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं., जैसे इंटरनेट के जरिए, हाथ से चलने वाले उपकरणों से प्रीमियम राशि इकट्ठी करना, मोबाईल फोन से अदायगियों और सेवा के अनुरोध, नेट पर प्रस्तावों को लॉग-इन करना, दावों को आप-लोड करना तथा सर्विसिंग के लिए अनुरोध करना आदि। सर्विसिंग देने तथा भुगतान देने और लेने के लिए, बीमाकर्ता, ऐसे अन्य कारोबारियों/संस्थाओं के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क/बुनियादी सुविधाओं को भी किराया, पर लेने का विचार कर सकते हैं, जिनके पास, ग्रामीण क्षेत्र में, इस प्रकार की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
3. सूक्ष्म बीमा एजेंट बनने की पात्रता, अब केवल सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एम एफ आई) स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) तथा गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) तक ही सीमित है। चूँकि ऐसी संस्थाएँ देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय नहीं हैं, अतः देश में सूक्ष्म बीमा के, संतुलित और द्रुत गति से विकास के लिए सूक्ष्म बीमा एजेंसी के स्कोप में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। कुछ देशों में तो पसारियों/गली के नुक़ड के स्टॉर्ज में भी, सूक्ष्म बीमा उत्पादों की बिक्री, सफलतापूर्वक शुरु की जा चुकी है। ग्राहक, स्टोर एक वाउचर खरीदता है और अपने विवरण दुकान में छोड़ देता है जिसके बाद बीमाकर्ता का एजेंट/प्रतिनिधि, एक सप्ताह के भीतर कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसके घर जाता है और पॉलिसी जारी कर देता है, बशर्ते कि, जोखिम अंकन-आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। ग्रामीण/कम आयवाले समुदायों द्वारा आमतौर पर खरीदी जाने वाली विभिन्न मर्दों, जैसे फार्म उपकरण, बीज, उर्वरक/कीटनाशक, टेलीविजन, मोबाईल फोन/सेवाओं, मोटर/पंप, ऋण, जमाराशियों तथा बंधको (मोर्टेग) के साथ भी बीमा को जोड़ा जा सकता है।

I.4.12 प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश और विनियम

I.4.12.1 प्राधिकरण ने 2010-11 के दौरान बहुत से परिपत्र, निर्देश और आदेश जारी किए, इन सभी परिपत्रों, निर्देशों और आदेशों की सूची अनुबंध 8 में दी गई है। अनुबंध 8 में 30 सितंबर 2011 तक जारी इन सभी परिपत्रों निर्देशों और आदेशों को शामिल किया गया है। इनके अलावा प्राधिकरण द्वारा 30 सितंबर 2011 तक अधिसूचित सभी विनियमों का विवरण अनुबंध 9 में दिया गया है।

I.4.13 सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम, 2005

I.4.13.1 2010-11 के दौरान प्राधिकरण ने आर टी आइ अधिनियम, 2005 के परिच्छेद 5(1) के अनुसरण में निम्नांकित अधिकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआइओ) के रूप में नामित किया:

I.4.13.2 इसी अवधि में, प्राधिकरण ने, आरटीआई अधिनियम, 2005 के परिच्छेद 5(2) के अनुसरण में, आरटीआई अधिनियम, 2005 के उक्त सेक्शन के अनुसार सौंपे गए कार्यों का निवाह करने के लिए, श्री राकेश बजाज को, अपने दिल्ली कार्यालय के लिए सहायक केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नामित किया।

I.4.13.3 इनके अतिरिक्त, उस समय के सदस्य (एकचुरी) डॉ. आर कण्णन को आरटीआई अधिनियम, 2005 के परिच्छेद 19(2) के अनुसार 'अपीलीय प्राधिकारी' नामित किया गया और 1 जून 2011 को प्राधिकरण के कार्यालय से पदत्याग करने के परिणामस्वरूप, उनके स्थान पर, श्री एच. अनन्तकृष्णन, ओएसडी (विधि) को 'अपीलीय प्राधिकारी' नामित किया गया।

तालिका I.54
सीपीआईओ अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम	विभाग	कार्यक्षेत्र
1.	श्री एस पी चक्रवर्ती	एक्यूरियल	बीमांकिक विवरणियाँ, नियुक्त बीमांकक प्रणाली, जीवन बीमा उत्पादों का 'फाईल एंड यूज तथा बीमांकक संबंधी अन्य विषय
2.	श्री डी वी एस रमेश	जीवन	जीवनबीमा विवरणियाँ, बाजार आचरण संबंधी विषय, सूक्ष्म बीमा, एजेन्सी, कार्पोरेट एजेन्सी एटीआइ (एजेन्ट प्रशिक्षण संस्थाएँ) तथा रेफरलज् बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का अनुमोदन आदि।
3.	श्री एन एम बेहेरा	गैर जीवन	स्वास्थ्य बीमा संबंधी विषय।
4.	श्री के श्रीधर	गैर जीवन	पुनर्बीमा, फाइल एण्ड यूज उत्पाद सर्वेक्षक, बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का अनुमोदन, तथा साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ता(ओं) से जुड़े अन्य मामले।
5.	श्री के महीपाल रेड्डी	गैर जीवन	ब्रोकर्स तथा तृतीय पक्ष प्रशासन (टीपीए)।
6.	श्री महेश अग्रवाल	वित्त और निवेश	बीमाकर्ताओं का लेखा और निवेश तथा साथ ही बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का अनुमोदन, नियुक्ति और पारिश्रमिक, इत्यादि
7.	श्री ए कृष्णन	उपभोक्ता मामले	पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, जीवन और गैर-जीवन दोनों (शिकायत, विज्ञापन, लोकपाल आदि)
8.	श्री बी राघवन	प्रशासन	मानव संसाधन, भती और प्रशिक्षण, पदोन्नती, सतर्कता इत्यादि तथा कार्यालय सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय मामले, आंतरिक लेखा रक्षा और कानूनी मामले तथा अन्य शेष कार्य।

भाग-II

कार्यों और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन:

II.1.1 व्यापारिक उधार बीमा पर दिशा निर्देश जारी

व्यापारिक उधार बीमा के बारे में दिशानिर्देश जारी करना, व्यापारिक उधार बीमा, प्रचलित अर्थव्यवस्था के काफी निकटता से जुड़ा होता है, जिससे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुगमता होती है। जब खरीदार वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने में असफल रहता है तो यह पॉलिसीधारकों को क्षतिपूर्ति करता है। इस क्षेत्र में समुचित वृद्धि को सुरक्षित करने के लिए, प्राधिकरण ने व्यापारिक उधार बीमा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- दिशा निर्देशों में व्यापारिक उधार बीमा से जुड़े विभिन्न मदों, जैसे खरीदार, अधिकतम दायित्व, उधार सीमा, दिवालियापन, फेक्टरिंग आदि को पारिभाषित किया गया है। इसमें व्यापारिक उधार बीमा पॉलिसी के अंतर्गत, सुरक्षा का प्रसार (स्कोप) भी बताया गया है।
- बीमा कर्ता द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी "व्यापारिक उधार बीमा पॉलिसी" फाइल एंड यूज तथा उधार बीमा दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
- दिशा-निर्देशों में व्यापारिक उधार बीमा उत्पाद की आधारभूत आवश्यकताएँ विनिर्दिष्ट की गई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि पॉलिसी धारक, अनिवार्यतः वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसकी हानि, व्यापार से मिलने वाली राशियाँ न मिलने से हुई।
- दिशानिर्देशों में बीमाकर्ता के परिपेक्ष्य में तथा पॉलिसी धारक के परिपेक्ष्य से व्यापारिक उधार बीमा की शर्तें भी विनिर्दिष्ट की गई हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:
 - पॉलिसी बैंकों/वित्तप्रदाताओं/उधार देने वालों को, अथवा जहाँ वे दावे के एक लाभार्थी हो, अथवा जहाँ दावे की रकम उन्हें समनुदेशित की जाती है, जारी नहीं की जा सकती।
 - व्यापारिक उधार बीमा पॉलिसी किसी विक्रेता को, "पूर्ण टर्न ओवर आधार पर ही बेची जा सकती है, प्रत्येक खरीदार के लिए बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित" पूर्व-उधार-सीमाएँ होंगी।
 - बीमाकर्ता, अनिवार्यतः उन खरीदारों की उधार जोखिम का आकलन भी करेगा, जिनका कुल टर्न ओवर में, 2 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।
 - प्रत्येक "व्यापारिक उधार की साख योग्यता आकलित करने के लिए एक साख प्रबंधन एजेंसी नियुक्त करेगा।

- पॉलिसी धारक के 'क्रेडिट परदीनेस' को आँकने के लिए, बीमाकर्ता एक क्रेडिट प्रबंधन एजेंसी नियुक्त करेगा। एजेंसी का पॉलिसीधारक के साथ कोई हित विरोध नहीं होगा।
- संभावित पॉलिसी धारक को कोई एक एकल विशिष्ट व्यापारिक उधार बीमा-पॉलिसी नहीं बेची जाएगी।
- कोई भी व्यापारिक उधार बीमा, खरीदार द्वारा प्राप्य व्यापार राशि के 80 प्रतिशत से अथवा विक्रेता द्वारा गतवर्ष वहन की गई लागत के 90 प्रतिशत से इनमें से जो भी कम हो, से अधिक क्षतिपूर्ति की पेशकश नहीं करेगा।
- इस वर्ग के कारोबार के अंकन के लिए बीमाकर्ता के पास, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, सुपरिभाषित आंतरिक जोखिम अंकन, जोखिम प्रबंधक तथा दावा निपटान संबंधी दिशा-निर्देश होने चाहिए।
- इन दिशा निर्देशों में प्रीमियम दावों, आइ बी एन आर तथा आइ बी एन ई आर प्रारक्षित निधियों का निर्माण, बीमांकन आधार पर विनिर्दिष्ट होना चाहिए।
- व्यापार उधार के लिए बीमा कर्ता का निवल प्रतिधारण, उसकी निवल संपत्तियों से, 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- दिशा निर्देशों में अपेक्षा की गई है कि व्यापार उधार बीमा का कार्य करने के लिए बीमाकर्ता के पास योग्यता प्राप्त, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए।
- इस कारोबार के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकरण ने रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ भी विनिर्दिष्ट की हैं।

नए फ्रेमवर्क में अपेक्षा की गई है, कि बीमाकर्ता, संशोधित उत्पादों को 'फाइल एंड यूज' दिशा निर्देशों तथा व्यापार उधार दिशानिर्देशों के अनुसार फाइल करें

II.1.2 एक जनवरी 2009 से प्रभावी पूर्ववर्ती प्रशुल्क कवरेज की शर्तों में छूट:

साधारण बीमा उद्योग के अप्रशुल्कीकरण के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा लिया गया, एक अन्य प्रमुख निर्णय है - पूर्ववर्ती प्रशुल्क उत्पादों में छूट की अनुमति देना. उत्पादों में अभिनवता को प्रोत्साहित करने और बीमे के फैलाव को और बढ़ाने के अपने प्रयासों की श्रृंखला में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने 6 नवंबर 2010 के अपने परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित फार्सल करने की अनुमति प्रदान की है:

- प्रशुल्कों में निर्धारित व्यवकलनीयों (डिडक्टिबल्स) में विभिन्नताएँ

- पूर्ववर्ती प्रशुल्क कवर्स की सीमाओं से अधिक नए एंड-ऑन कवर्स ।
- चल/पोर्टेबल उपकरणों के लिए इंजीनीयरिंग बीमा कवरेज का विस्तार ।
- औद्योगिक सर्व जोखिम (आईएआर) पॉलिसियों के लिए 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम कुल बीमित राशि सीमा हटाना और साथ ही पेट्रो रसायन उद्योग के लिए भी, आईएआर कवर की अनुमति प्रदान की गई है ।

वर्तमान प्रशुल्कों के अंतर्गतमान कवर्स के स्कोप को, विभिन्न वर्गों में अनुमत विकल्पों से परे और संक्षिप्त नहीं किया जा सकता और ऐसा कोई भी प्रस्तावित नया कवर एफ एंड यू' दिशानिर्देशों के अंतर्गत बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के पास फाइल करने के अधीन होगा। मानदंडों में इन छूटों से, न केवल ग्राहकों को लाभ होगा, बल्कि साथ ही कंपनियों को अपनी पेशकशों का, और अधिक व्यापक बनाने की अनुमति मिलेगी, विभिन्न ग्राहकों को उनकी माँग के अनुसार उत्पाद तैयार कर पेश करने में सुविधा होगा और जोखिम/उद्योग विशिष्ट कवर डिजाइन करने में मदद मिलेगी। आज तक बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने विभिन्न बीमाकर्ताओं के अग्नि, इंजीनीयरिंग तथा मोटर घटकों के अंतर्गत आनेवाले 75 से अधिक उत्पादों के लिए नए "एड-ऑन-कवर्स" के लिए अनुमति प्रदान की है ।

II.1.3 ऐच्छिक पुनर्बीमा स्थाननों (प्लेसमेंट्स) के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2008-09 के लिए कंपनियों के पुनर्बीमा की समीक्षा कर के, प्राधिकरण ने, सभी गैर-जीवन-बीमा कंपनियों को सूचित किया कि वे अ-स्थानित पुनर्बीमा, पहले अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तावित करें, और उसके बाद ही विदेश में प्रस्तावित करें इसके अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए, प्राधिकरण ने, कंपनियों से छमाही रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कंपनियों द्वारा ऐच्छिक स्थाननों के विवरण दिए जाने हैं ।

II.2. बीमा कारोबार के साथ जुड़े मध्यवर्ती लोग बीमा एजेंट

बीमा एजेंट

II.2.1 वर्ष 2010-11 के दौरान, व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या 11.37 प्रतिशत घटी । 31 मार्च 2010 को इनकी संख्या 29.78 लाख थी जो 31 मार्च 2011 को घट कर 26.39 लाख रह गई। जहाँ प्राइवेट बीमाकर्ताओं में 17.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम में 4.69 प्रतिशत की रिवाट दर्ज की गई । भारतीय जीवन बीमाकर्ताओं के कुल व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या से भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या अधिक है. वर्ष के अंत में एल आई सी के एजेंटों की संख्या 13.37 लाख थी जबकि प्राइवेट क्षेत्र में बीमाकर्ताओं के एजेंटों की संख्या 13.02 लाख थी ।

तालिका II.1

व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	2010-11 के दौरान और जुड़े	वर्ष 2010-11 के दौरान घटे	31 मार्च 2011 की स्थिति
प्राइवेट	1575476	395467	668615	1302328
एलआईसी	1402807	306296	372039	1337064
उद्योग	2978283	701763	1040654	2639392

II.2.2 आँकड़ों को देखने से चिंता का जो मुद्दा उभरा है वह है - एजेंटों के टर्न ओवर का उच्च प्रतिशत । वर्ष 2010-11 में जहाँ नियुक्त किए गए एजेंटों की संख्या 7.02 लाख थी वहीं हटाये गये एजेंटों की संख्या 10.40 लाख थी, जीवन बीमा निगम की तुलना में प्राइवेट बीमाकर्ताओं की हालत और भी खराब थी, प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने 3.95 लाख एजेंट नियुक्त किए और 6.68 लाख एजेंटों की सेवाएँ समाप्त की दूसरी ओर भारतीय जीवन बीमा निगम ने 3.72 लाख एजेंटों की सेवाएँ समाप्त की जबकि 3.06 लाख एजेंट नियुक्त किए । इस बड़ी संख्या से काफी नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं ।

II.2.3 सर्वप्रथम तो यह 'जीवन-बीमाकर्ताओं' की वित्तीय स्थिति पर बोई डालने वाला कारक है, क्योंकि उन्हें एजेंटों की खोज, नियुक्ति और प्रशिक्षण पर भारी पैसा खर्च करना पड़ता है, दूसरे इन एजेंटों की सेवा समाप्ति पर, इनके द्वारा लाई गई पॉलिसियाँ अनाथ हो जाती हैं और इन पॉलिसियों को कोई सर्विस न मिलने के कारण अकसर ये लैप्स हो जाती हैं। तीसरे, एजेंसी व्यवसाय की छवि भी खराब होती है क्योंकि आम जनता तथा विशेषकर भावी एजेंट इसे अस्थिरता का सूचक मानने लगते हैं और इसी वजह से बीमाकर्ताओं को अच्छे एजेंट खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, यह सभी स्टैक होल्डर्स के हित में ही होगा कि वे एजेंटों के टर्न ओवर को घटाने की दिशा में कार्य करें।

तालिका II.2
कॉरपोरेट एजेंटों का विवरण : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2010 की स्थिति	2010-11 के दौरान और जुड़े	वर्ष 2010-11 के दौरान घटे	31 मार्च 2011 की स्थिति
प्राइवेट	2420	1919	2469	1870
एलआइसी	510	16	231	295
कुल	2930	1935	2700	2165

II.2.4 31 मार्च 2011 को 2,165 कॉरपोरेट एजेंट थे। जहाँ 2010-11 के दौरान 1,935 नए एजेंट जोड़े गए वहीं 2700 कॉरपोरेट एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जीवन बीमा निगम ने 231 कॉरपोरेट एजेंटों की सेवाएँ समाप्त की और उसकी तुलना में 16 नई भर्तियाँ कीं निजी बीमाकर्ताओं ने 2,469 एजेंटों की सेवा समाप्त की, जबकि 1,919 नए कॉरपोरेट एजेंटों की भरती कीं।

चैनल वार नए कारोबार का कार्य निष्पादन

व्यक्तिगत नया कारोबार

II.2.5 हाल के वर्षों में, व्यक्तिगत एजेंसी चैनल के कार्य की मात्रा कुछ घटी है। व्यक्तिगत एजेंटों के माध्यम से प्राप्त किया गया नया कारोबार प्रीमियम वर्ष 2010-11 में घट कर 78.95 प्रतिशत रह गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 79.61 प्रतिशत था। कॉरपोरेट एजेंटों का हिस्सा जो कि 2008-09 के दौरान, 14.55 प्रतिशत था और 2009-10 के दौरान 14.87 प्रतिशत था, वह वर्ष 2010-11 के

दौरान बढ़ कर, 16.86 प्रतिशत हो गया। विभिन्न कॉरपोरेट चैनलों में से, कुछ नए कारोबार जोखिम अंकन में, बैंकों का हिस्सा 2009-10 के 10.60 प्रतिशत से बढ़ कर 2010-11 में 13.30 प्रतिशत हो गया।

II.2.6 व्यक्तिगत नए कारोबार में सीधी बिक्री के हिस्से में गिरावट आई है। इसका हिस्सा 2009-10 के 4.13 प्रतिशत से घट कर 2010-11 से 2.42 प्रतिशत रह गया है। जहाँ प्राइवेट बीमाकर्ताओं ने सीधी बिक्री के जरिए 6.43 प्रतिशत नया कारोबार किया, वहीं जीवन बीमा निगम ने, इस माध्यम के जरिए केवल 0.11 प्रतिशत कारोबार किया।

II.2.7 निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए गए नए कारोबार प्रीमियम में, कॉरपोरेट एजेंटों का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण रहा और यह 2009-10 के 35.14 प्रतिशत की तुलना में, 2010-11 में 41.61 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर जीवन बीमा निगम का 97.45 प्रतिशत नया कारोबार प्रीमियम व्यक्तिगत एजेंटों से आया।

तालिका II.3
वर्ष 2010-11 हेतु जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत नए कारोबार का निष्पादन - चैनल वार

(आँकड़े प्रतिशत में)


बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	कारपोरेट एजेंट		ब्रोकर्स	सीधी बिक्री	कुल व्यक्तिगत नया कारोबार	मार्गदर्शक (रेफरल्स)
		बैंक	अन्य**				
प्राइवेट	46.89	33.21	8.70	4.77	6.43	100.00	2.34
एलआइसी #	97.45	1.81	0.59	0.04	0.11	100.00	0.23
कुल	78.95	13.30	3.56	1.77	2.42	100.00	1.01

*बैंकों को छोड़ अन्य संस्था, परंतु जिसे कॉरपोरेट एजेंट का लाइसेंस मिला है।

इसमें इसका विदेशी नया कारोबार प्रीमियम शामिल नहीं है टिप्पणी:

- 1) नए कारोबार प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
- 2) मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स के संबंधित चैनलों में शामिल किया गया है।

चार्ट II.1



इसमें इसका विदेशी नया कारोबार प्रीमियम शामिल नहीं है।

सामूहिक नया कारोबार

II.2.8 सामूहिक कारोबार के लिए सीधी बिक्री, वितरण का प्रमुख चैनल रहा और 2010-11 में इसका हिस्सा 82.26 प्रतिशत रहा जबकि गतवर्ष में इसका तदनुरूपी हिस्सा 89.34 प्रतिशत था। जहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम ने सामूहिक कारोबार का 6.84 प्रतिशत हिस्सा अपनी पारंपरिक व्यक्तिगत एजेंसियों के माध्यम से किया वहीं

प्राइवेट बीमा कंपनियों ने, इस चैनल के माध्यम से केवल 0.96 प्रतिशत का कारोबार किया। प्राइवेट बीमा कर्ताओं का अन्य महत्वपूर्ण चैनल बैंक था, वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक एश्योरेंस ने, प्राइवेट बीमाकर्ताओं के कुल सामूहिक कारोबार में 11.51 प्रतिशत का योगदान दिया। कुल सामूहिक कारोबार में बैंक एश्योरेंस का हिस्सा बढ़ कर 11.51 प्रतिशत हो गया, जो कि पिछले वर्ष 8.67 प्रतिशत था।

तालिका II.4

वर्ष 2010-11 हेतु जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक नए कारोबार का कार्य निष्पादन: चैनलवार (ऑकड़े प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	कारपोरेट एजेंट बैंक	कारपोरेट एजेंट अन्य*	ब्रोकर्स	सीधी बिक्री	कुल व्यक्तिगत नया कारोबार	मार्गदर्शक रेफरल्स
प्राइवेट	0.96	11.51	2.91	2.36	82.26	100.00	0.44
एलआईसी #	6.84	0.88	0.18	0.01	92.09	100.00	0.00
कुल	5.63	3.08	0.74	0.49	90.06	100.00	0.09

*बैंकों को छोड़ कर अन्य संस्था, परंतु जिसे कॉरपोरेट एजेंट का लाइसेंस मिला है।


इसमें इसका विदेशी नया कारोबार प्रीमियम शामिल नहीं है।

टिप्पणी:

1) नए कारोबार प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।

2) मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स को, संबंधित चैनलों में शामिल किया गया है।

चार्ट II.2



इसमें इसका विदेशी नया कारोबार प्रीमियम शामिल नहीं हैं

व्यक्तिगत और सामूहिक कारोबार का योग

II.2.9 व्यक्तिगत एजेंट, नया बीमा कारोबार प्राप्त करने में, एक प्रमुख भूमिका निभाते आ रहे हैं. कुल मिला कर (व्यक्तिगत और सामूहिक कारोबार को मिला कर) एजेंटों ने कुल नए कारोबार में, 53.90 प्रतिशत का योगदान दिया, तथापि 2009-10 के 60.90 प्रतिशत से इसमें

गिरावट आई। गत वर्ष की तुलना में जिस चैनल ने प्रमुख वृद्धि दर्ज की वह था - 'सीधी बिक्री'। इस माध्यम ने, 2010-11 में हुए कुल नए कारोबार में, 32.36 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि 2009-10 में, यह प्रतिशत 25.73 था।

तालिका II.5
वर्ष 2010-11 हेतु जीवन बीमाकर्ताओं के नए कारोबार प्रीमियम (व्यक्तिगत और सामूहिक) का कार्य निष्पादन - चैनलवार

(ऑकड़े प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	कारपोरेट एजेंट बैंक	कारपोरेट एजेंट अन्य*	ब्रोकर्स	सीधी बिक्री	कुल व्यक्तिगत नया कारोबार	मार्गदर्शक रेफरल्स
प्राइवेट	36.48	28.29	7.39	4.22	23.62	100.00	1.91
एलआइसी #	61.79	1.44	0.42	0.03	36.32	100.00	0.14
कुल	53.90	9.81	2.59	1.33	32.36	100.00	0.69

*बैंकों को छोड़ कर अन्य संस्था, परंतु जिसे कॉरपोरेट एजेंट का लाइसेंस मिला है.


इसमें इसका विदेशी नया कारोबार प्रीमियम शामिल नहीं है.

टिप्पणी:

1) नए कारोबार प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है.

2) मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स को, संबंधित चैनलों में शामिल किया गया है.

चार्ट II.3



इसमें इसका विदेशी नया कारेबार प्रीमियम शामिल नहीं है

सर्वेक्षक और क्षति-निर्धारक

II.2.10 प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64यू एम के अनुसार, सर्वेक्षकों और क्षति निर्धारकों को, लाइसेंस जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी, अथवा फर्म सर्वेक्षक अथवा क्षति-निर्धारक बनना चाहता है तो उसे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फॉर्मेट में, प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। बीमा सर्वेक्षक और क्षति-निर्धारक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियामन 2000 में दिए गए अनुज्ञाप्ति, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति और परिषद के कोड के नियमावली के अनुसार अनुज्ञाप्ति को प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकते हैं।

II.2.11 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्राधिकरण ने, 636 आवेदनकर्ताओं को प्रशिक्षु सर्वेक्षकों के रूप में नामांकित किया और व्याहारिक प्रशिक्षण पूरा करने तथा अपेक्षित परीक्षाएँ पास करने पर, प्रशिक्षु सर्वेक्षकों को 253 नवीन लाइसेंस जारी किए, प्राधिकरण ने, सभी विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, 1,371 लाइसेंसों का नवीकरण किया इसके अतिरिक्त, 2011-12 की प्रथम तिमाही में 403 नवीकरण जारी किए गए हैं।

**तालिका II.6
सर्वेक्षकों और क्षतिनिर्धारकों को जारी लाइसेंसों की संख्या**

	अप्रैल 2010 से	अप्रैल 2011 से
	मार्च 2011 तक	जून 2011 तक
नए लाइसेंस		
व्यक्तिगत	253	34
कारपोरेट	34	7
नवीकरण		
व्यक्तिगत	1371	403
कारपोरेट	67	8
प्रशिक्षु नामांकन	636	168

II.2.12 बीमा सर्वेक्षक और क्षतिनिर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ तथा आचरण सहित) विनियम, 2000 के विनियम 11 के अनुसरण में, प्राधिकरण ने 20 सितंबर 2011 के अपने आदेश द्वारा एक "सर्वेक्षक और क्षति निर्धारक समिति" का गठन किया है। इस समिति में प्राधिकरण गैर जीवन बीमा उद्योग, सर्वेक्षकों, तथा पॉलिसीधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

II.2.13 समिति की समयावधि, अपने गठन की तारीख से तीन वर्ष है और यह "बीमा सर्वेक्षक और क्षतिनिर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ तथा आचरण संहिता) विनियम 2000 के विनियम, 12 में संदर्भित कार्यों का प्रयोग करेगी तथा प्राधिकरण को, विभागों के प्रतिबंधों को हटाने के कार्यान्वयन, तथा लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों के वर्गों को अपग्रेड करने, से संबंधित परामर्श देगी ।

II.2.14 वर्ष 2010-11 में, प्राधिकरण को, सर्वेक्षकों और क्षति निर्धारकों से संबंधित शिकायतों के, 112 मामले प्राप्त हुए जिनमें से 108 मामलों पर कार्रवाई की गई ।

तालिका II.7 सर्वेक्षकों और क्षतिनिर्धारकों से संबंधित शिकायतें		
निम्नलिखित अवधि के लिए	प्राप्त	कार्रवाई की गई
अप्रैल 2010-मार्च 2011	112	108
अप्रैल 2011-जून 2011	20	18

II.2.15 लाइसेंस (नए और नवीकरण) प्रदान करने हेतु, आवेदन पत्रों की प्रस्तुति में ऑन लाइन सुविधा प्रदान करने तथा लाइसेंस देने की प्रक्रिया में लगने वाले, समय में कमी लाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण, "एकीकृत सर्वेक्षक लाइसेंसीकरण प्रबंधन प्रणाली (आई एस एल एम एस)" नामक एक सॉफ्ट वेयर के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है ।

II.3 मुकदमे, अपील तथा न्यायालयों के फैसले

II.3.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों दीवानी अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यून (एमएसीटी), तथा लोक अदालत के समक्ष, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि में फाईल प्रकरणों से संबंधित मुकद्दों तथा इस अवधि में निपटाए गए/खारिज किए गए प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है ।

तालिका II.8 फाईल किए गए प्रकरणों का विवरण	
विवरण	प्रकरणों की संख्या
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाईल प्रकरण	2
- माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाईल समादेश (रिट) याचिकाएँ	37
- माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल की गई समादेश अपीलें/ लैटर्स पेटेंट अपीले	2
- माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल की गई समीक्षा/पुनः स्थापन याचिकाएँ	0
- माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाईल की गई अवमानना याचिकाएँ	2
- फाइल किए गए उपभोक्ता प्रकरण	17
- फाइल किए गए दीवानी मामले	4
- फाईल किए गए लोक अदालत प्रकरण	4
कुल	65

एलपीए: लैटर्स पेटेंट अपील

II.3.2 निम्नलिखित तालिका में, वर्ष 2010-11 के दौरान निपटाई गई/खारिज, याचिकाओं/प्रकरणों का विवरण दिया गया है:

तालिका II.9 याचिकाएँ/प्रकरण निपटाए गए/खारिज किए गए		
	बी.वि.वि.प्रार.* को निर्देश के साथ	बी.वि.वि.प्रा.को निर्देश के बिना
विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी)	0	1
निपटाई गई/खारिज की गई समादेश याचिकाएँ	6	26
निपटाई गई/खारिज की गई समादेश अपीलें/लैटर्स पेटेंट अपीलें	0	0
निपटाई गई/खारिज की गई सीमक्षा/पुनः स्थापन याचिकाएँ	0	0
निपटाई गई/खारिज की गई अवमानना याचिकाएँ	0	2
निपटाई गई/खारिज की गई उपभोक्ता मामले	0	0
निपटाई गई/खारिज की गई दीवानी मामले	0	0
निपटाए गई/खारिज किए गए एमएसीटी/एमआर टीपी/लोक अदालत प्रकरण	0	0
कुल:	6	29

II.3.3 दो समादेश याचिकाओं में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि दो सदस्यों की एक समिति बना कर, 'ब्रोकर लाइसेंस नवीकरण के मामले को फिर से देखें। एक समादेश याचिका में, न्यायालय ने, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह उसके समक्ष फाईल किए गए अभ्यवेदनों का निपटान करे । दो समादेश याचिकाओं में, न्यायालय ने, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह, विधि के अनुसार, ब्रोकर के खिलाफ आगे कार्रवाई करे । नकदरहित (कैशलेस) सुविधाओं से संबंधित एक अन्य मामले में, न्यायालय ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा की जाती है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किए गए महत्वपूर्ण आदेश

II.3.4 अन्य कई प्रकरणों के साथ माननीय केरल उच्च न्यायालय में फाईल की गई समादेश याचिका (सी) सं. 13288/2011 तथा अन्य कई प्रकरणों के साथ माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में फाईल की गई समादेश याचिका सं. 10908/2011

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की दिनांक 15 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. आईआरडीए/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/066/04/2011 को चुनौती देते हुए माननीय केरल तथा मद्रास उच्च न्यायालयों के समक्ष समादेश याचिकाएँ दायर की गई प्राधिकरण ने, उक्त अधिसूचना, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 14(2) के अंतर्गत दी गई शक्तियों के प्रयोग में जारी की थी और इसके द्वारा, दिनांक 25, अप्रैल 2011 से, मोटर तृतीय पक्षकार बीमा प्रीमियम में संशोधन किया गया था ।

आदेश: माननीय मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों ने क्रमशः दिनांक 14 जून 2011 तथा 22 जून 2011 के अपने आदेशों में, याचिकाओं को खारिज कर दिया और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की अधिसूचना को बहाल रखा। मद्रास उच्च न्यायालय में दाखिल समादेश अपीलों को भी, डिबीजन बेंच ने, दिनांक 14 जुलाई 2011 के अपने आदेश द्वारा, खारिज कर दिया। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने, अब अधिसूचित दरों की, औचित्यता और धारणीयता को देखा। प्रथमतः इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इस संबंध में, एक "विशेषज्ञ" निकाय है जिसने कि चर्चाओं के कई दौरों के बाद/संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई आपत्तियों/दिगये सुझाव और अनुशांसाओं पर विचार करके, वास्तविक तथ्यों और आँकड़ों के संदर्भ में, एक संबंध में "प्राधिकरण" की "सांवैधानिक बैधता" अथवा उसकी 'विशेषज्ञता' के प्रत्यय पत्र (क्रीडेन्शियल्ज) को कोई चुनौती नहीं है, दरें स्पष्टतः संगत पैरामीटर पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्ति अंतिम संशोधन 2007 में किया गया था और अब लागतें, प्रायः हर क्षेत्र में काफी बढ़ चुकी हैं, जिनमें बीमा का क्षेत्र भी शामिल है। इसी प्रकार तृतीय पक्षकार दावों में, बीमाकर्ताओं पर डाले गए दायित्व की सीमा में बढ़ोतरी, उच्चतर गुणक (मल्टीप्लीकेंड) अपनाते, के कारण जिनकी वजह से मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों द्वारा उच्चतर निर्णय दिए गए, तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपीलों में सुनाए गए फैसलों में तथा उपयुक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी राशि में वृद्धि प्रदान करने के कारण की गई।

अंततः माननीय केरल उच्च न्यायालय में 22 जून 2011 के अपने आदेश में अधिसूचना को बरकरार रखा और समादेश याचिकाओं को खारिज कर दिया और यह टिप्पणी की कि मोटर तृतीय पक्षकार बीमा प्रीमियम में वृद्धि की सीमा तय करने का काम, विशुद्ध रूप में, विशेषज्ञ संस्था का है जिसने कि, इसे अंतिम रूप देने से पहले, सब प्रकार की संबंधित सामग्री और विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त आपत्तियों/सिफारिशों पर काफी गहन विचार किया इसे एक "नीतिगत निर्णय" माना जाना है जिसका अतिक्रमण यह न्यायालय नहीं कर सकता।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 14 जून 2011 के अपने आदेश में समादेश याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना, तार्किक वगीकरण पर आधारित है, विवेक सम्मत है तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करके तैयार की गई है।

II.3.5 समादेश याचिक सं. 7948/2008 – ध्रुव कुमार बनाम बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण तथा अन्य-आनरेबल हाइकोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एक इलाहाबाद लखनऊ बेंच के सम्मुख

याचिकाकर्ता श्री ध्रुव कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय में, मोटर वाहनों के 'स्वामी-ड्राइवर' को प्रदत्त, अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा में नामांकन सुविधा उपलब्ध न होने के आधार, पर एक जन-हित मुकद्दमा दायर किया। उन्होंने पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 39 के प्रावधानों तथा पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 14(2)बी का हवाला दिया। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने अनिवार्य मोटर तृतीय पक्षकार

बीमा (केवल देयता पॉलिसी) के प्रस्ताव फार्म में संशोधन करते समय, दिनांक 28 जून 2010 के अपने परिपत्र सं. आईआरडीए/एनएल/एफएंडयू/सीआईआर/एमआईएससी/101/06/2010 द्वारा "केवल देयता पॉलिसी के मानक प्रस्तावना फॉर्म के पैरा 28 (अनिवार्य स्वामी ड्राइवर-व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा) तथा पैरा 29, (जिनके नाम हैं उनके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा) में नामांकन का प्रावधान किया। याचिका कर्ता ने इस परिपत्र का हवाला दिया जिसमें नामांकन का प्रावधान किया गया है।

आदेश: माननीय उच्च न्यायालय ने, बीमा विनियामक, विकास प्राधिकरण के दिनांक 28 जून 2010 के परिपत्र सं.आईआर.डी.ए/एन,एल/एफएंडयू/सीआईआर/एमआईएससी/101/06/2010 का संज्ञान लेते हुए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि "केवल देयता" पॉलिसी में उपलब्ध नामांकन का प्रावधान मोटर पैकेज पॉलिसी में भी प्रदान किया जाए।

II 3.6 विशेष अवकाश याचिका (सी) सं. 14326/11-बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण तथा अन्य बनाम विलिस इंडिया इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. तथा अन्य-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख:

बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस लेने/लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन करते समय, आवेदक को, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर्स) विनियामवली के विनियमों 6,9, तथा 13 के साथ पठित फॉर्म 'ए' की मद सं. 5.1 के अनुसार, महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटन करना जरूरी होता है। विलिस इंडिया इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. (विलिस) को पहले, 3 अप्रैल 2003 को तीन वर्ष की अवधि के लिए 'संपुटित ब्रोकर लाइसेंस' जारी किया गया। बाद में लाइसेंस, 3 और वर्ष की अवधि (4 अप्रैल 2006 से 3 अप्रैल 2009) के लिए नवीकृत किया गया। तथापि, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा बीएसीएसपीएल (विलिस के शेयर धारक) के बीच, किसी राशि की गैर-अदायगी के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका प्रकटन 2006 में आवेदन पत्र के नवीकरण के समय, प्राधिकरण को नहीं किया गया था।

तदनुसार बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (ब्रोकर्स) विनियामवली, 2002 के विनियम 14(1) के साथ पठित, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम के परिच्छेद 14 में निहित शक्तियों के अधीन 2009 में नवीकरण आवेदन पर विचार करते समय, महत्वपूर्ण तथ्यों के अ-प्रकटन को देखते हुए प्राधिकरण ने, लाइसेंस का नवीकरण मना कर दिया।

इस आदेश के समक्ष, विलिस, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के पास गई तथा न्यायालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के अपने आदेश में, प्राधिकरण को यह निर्देश दिया कि वह, विलिस के नवीकरण आवेदन पत्र पर निर्णय लेने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के 2 पूर्ण कालिक सदस्यों की एक समिति गठित करे।

प्राधिकरण द्वारा गठित, 2 सदस्यीय समिति ने, विलिस के प्रतिनिधियों की सुनवाई करने के बाद 26 नवंबर 2010 को आदेश पारित किया

जिसमें लाइसेंस के नवीनीकरण की मनाही के प्राधिकरण के निर्णय की पुष्टि की गई जिसका आधार यह था कि विलिस इंडिया ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर्स) विनियमावली के विनियमों 6,9 तथा 13 के साथ पठित फार्म 'ए' की मदन सं. 5.1 में माँगी गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की, जिसमें कि प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा, निपटाए गए विवादों का भी प्रकटन किया जाना होता है। समिति ने टिप्पणी दी कि प्राधिकरण को, ईसीजीसी के साथ हुए विवाद के तथ्यों से वंचित रखा गया, अन्यथा आवेदन पत्र पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ब्रोकर्स विनियमावली के विनियम 9(1) तथा बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 42 डी के आधार पर विचार किया जाता।

दो सदस्यीय समिति के इस आदेश के खिलाफ, विलिस ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक नई समादेश याचिका दाखिल की और न्यायालय ने 7 मार्च 2011 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया कि बीएसीएसपीएल (विलिस के शेयरधारक) तथा ईसीजीसी के बीच विवाद के अ-प्रकटन के आधार पर, नवीकरण आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देना, कोई संगत पहलू नहीं था और इस पर, नवीकरण-आवेदन पत्र पर विचार करते समय, विचार किया जाना चाहिया था। न्यायालय ने दो सदस्यीय समिति को निर्देश दिया कि वह विधि के अनुसार नवीकरण आवेदन-पत्र पर फिर से निर्णय लें, साथ ही न्यायालय ने यह भी सपष्ट किया कि यदि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के पास कोई अन्य आधार उपलब्ध है और यदि नवीकरण के आदेश को पारित करने में कोई अन्य कानूनी रुकावट है तो ऐसी रुकावट की जानकारी, विलिस के ध्यान में लाने के बाद, इस पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि न्यायालय ने निर्देश दिया कि बीएसीएसपीएल तथा ईसीजी के बीच विवाद का अ-प्रकटन (नॉन-डिस्कलोजर) कोई संगत पहलू नहीं है और नवीकरण आवेदन पत्र पर फिर से निर्णय लेते समय, इस पहलू को ध्यान में न रखा जाए। तत्पश्चात् न्यायालय के आदेशानुसार, दो सदस्यीय समिति ने विलिस के नवीकरण आवेदन पत्र पर फिर से निर्णय लिया और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा प्रोकर्स) विनियमावली के विनियम 23 के उल्लंघन के आसार पर, नवीकरण की मनाही को बहाल रखा।

तत्पश्चात बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने, पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, माननीय मुंबई हाइकोर्ट ऑफ जूडिकेचर द्वारा पारित 7 मार्च 2011 के उपर्युक्त अंतिम आदेश/निर्णय में, अ-प्रकटन के संबंध में की गई आब्जरवेशन के खिलाफ विशेष याचिका दायर कर दी क्योंकि प्राधिकरण हितों को बहुत क्षति पहुँचेगी, क्योंकि फिर शेयरधारकों के पूर्ववृत्तों का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। भावी आवेदन कर्ता भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे जिससे लाइसेंस प्रदान करने हेतु उनके आवेदन पत्र प्रभावित होंगे।

आदेश: सर्वोच्च न्यायालय ने, 5 जुलाई 2011 के आदेश में टिप्पणी दी कि चूँकि प्राधिकरण में, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है, अतः वह उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने, विशेष अवकाश याचिका में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विधि संबंधी प्रश्न को खुला छोड़ दिया।

II.3.7 समादेश याचिका सं. 23161/10-स्ट्रैटेजिक इन्श्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्रा.लि. बनाम बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण तथा अन्य आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में

विषय याचिका (सब्जेक्ट पटीशन) में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. तथा लैन्को अमरकंटक प्रावर प्रा.लि. को प्रतिवादी सं. 1 से 3 बनाया गया।

स्ट्रैटेजिक इन्श्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्रा.लि. (ब्रोकर) ने अन्य बातों के साथ-साथ लैकों अमरकंटक पावर प्रा.लि. द्वारा उक्त बीमाकर्ता से ली गई पॉलिसी के नवीकरण के लिए नवीकरण कमीशन न देने के इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. के कृत्य को चुनौती दी।

ब्रोकर का दावा था कि लैको अमरकंटक पावर प्रा.लि. ने, अपनी 300 एमवीयूनिट-1 बिलजी परियोजना का बीमा करवाने के लिए ब्रोकर की सेवाएँ लेकर इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. से बीमा पॉलिसी खरीदी परंतु वर्ष 2009 हेतु, उक्त पॉलिसी के नवीकरण के समय, उसका प्रीमियम कंपनी को अदा कर दिया, जिसके कारण नवीकरण कमीशन, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. द्वारा ब्रोकर को नहीं मिला।

ब्रोकर ने आरोप लगाया कि लैको अमरकंटक पावर प्रा.लि. से सीधे प्रीमियम लेकर और नवीकरण कमीशन न देकर, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देशों और विनियमों का उल्लंघन किया है।

ब्रोकर ने यह भी दावा किया कि जब वह विवाद को सुलझाने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के पास इस आधार से गया कि यह "मध्यवर्ती और बीमाकर्ता" के बीच का मामल है तब बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने 26 अगस्त 2010 के अपने पत्र द्वारा ब्रोकर को सूचित किया कि उसके पास "मध्यवर्ती और पॉलिसी धारक" के बीच, विवाद के अधिनिर्णयन (एडजुडिकेट) की शक्ति नहीं है क्योंकि यह इसकी विनियामक परिधि के भीतर नहीं आती है, प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को आगे यह परामर्श भी दिया कि वे विवाद सुलझाने के लिए उपयुक्त "विधि-फोरम" से संपर्क करें।

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर ब्रोकर ने एक विषय (सब्जेक्ट) याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 26 अगस्त 2010 के बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र को मसूख (क्वैश) करने की प्रार्थना की गई तथा साथ ही यह प्रार्थना भी की गई कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किए जाएँ कि वह, योग्यता आधार पर, उनके और बीमाकर्ता के बीच विवाद का अधिनिर्णयन करे।

आदेश: माननीय उच्च न्यायालय ने, दिनांक 22 मार्च 2011 के अपने आदेश द्वारा याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी दी कि इस प्रकरण में ब्रोकर तथा इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. अर्थात् बीमाकर्ता के बीच कोई विवाद नहीं है। बल्कि इसमें ब्रोकर और बीमि के बीच विवाद है और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को दिए गए क्षेत्राधिकार में यह विवाद नहीं आता है।

II.3.8 सीसीसं.5/2010-विजय मित्तल तथा अन्य बनाम सवेरा चैरीटेबल ट्रस्टर तथा अन्य – जिला उपभोक्ता फोरम, भटिंडा, पंजाब के समक्ष दाखिल

इस आधार पर कि रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी जारी नहीं की, सवेरा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, उनके द्वारा प्रस्तुत दावे के अस्वीकरण को चुनौती देने के लिए, उनके द्वारा यह शिकायत दाखिल की गई। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने जिसे एक पक्षकार बनाया गया था, यह दलील दी, कि यह बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत, सांविधिक, कर्तव्यों का निर्वाह करती है और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत, राशि लेकर सेवा प्रदान नहीं करती है और यह उक्त कार्रवाई में न तो उचित और न ही आवश्यक पक्ष है, अतः उक्त आधार पर, विभिन्न पक्षकारों में से उसका नाम हटा दिया गया।

आदेश: माननीय फोरम ने, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की दलील स्वीकार की और यह टिप्पणी दी कि संसद को अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय होने के कारण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अपने द्वारा निर्वाहित कार्यों के लिए न तो कोई शुल्क प्रभावित करती है, न ही राशि लेती है, इसलिए यह शिकायत 'उपभोक्ता-विरुद्ध-बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण नहीं है। अतः तत्पश्चात् फोरम ने दिनांक 31 जनवरी 2011 के अपने आदेश द्वारा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत खारिज कर दी।

II.4 बीमा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआइएस)

II.4.1 अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ की स्थापना 1994 में एक "वैश्विक-मानक स्थापनकर्ता-निकाय" के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और लाभ के लिए एक सही, सुरक्षित और स्थिर बीमा बाजार विकसित करने तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान देने के लिए बीमा उद्योग हेतु, एक प्रभावी और विश्व संगत, विनियमन और पर्यवेक्षण, तंत्र को प्रोत्साहित करना है। इन वर्षों में इसकी सदस्यता, जिनमें बीमा विनियामक और पर्यवेक्षक आते हैं, लगभग 190 अधिकार क्षेत्रों में फैल गई है जिनके अंतर्गत लगभग 140 देश आते हैं। आइ ए आइ एस में 120 से अधिक संस्थाएँ और व्यक्ति शामिल हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक संघों, बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, परामर्शदाताओं तथा प्रेक्षकों के रूप में अन्य व्यावसायिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस व्यापक परिदृश्य से बीमा बाजारों की बढ़ती वैश्विक प्रकृति परिलक्षित होती है और संग/स्थिर पर्यवेक्षकीय मानदंडों और रीतियों की आवश्यकता भी उजागर होती है। इसके अलावा, एक सुदृढ़ पर्यवेक्षण, कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह भी प्रकट होता है और इसे संबंधिक क्षेत्राधिकारें तथा बाजारों दोनों में कैसे स्थायित्व आता है। यह भी पता चलता है।

आईएआईएस नीति निर्माताओं और उसके पालनकर्ताओं, दोनों का अपनी-अपनी विशेषताओं, अनुभवों तथा समझ के आदान-प्रदान के अवसर दे कर, मान-स्थापनाओं तथा कार्यान्वयन गति विधियों के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करवाता है।

II.4.2 आइ एमइ एस की गतिविधियाँ इसकी कार्यपालक समिति के सक्रिय मार्गदर्शन में चलाई जाती हैं इस समिति में 15 वोटिंग सदस्य होते हैं जो विश्व के विभिन्न अंचलों से चुन कर आते हैं, साथ ही बजट समिति का अध्यक्ष भी सदस्य होता है जो पदेन तथा गैर-वोटिंग सदस्य होता है। तकनीकी समिति, कर्तव्यनियम समिति तथा बजट समिति तथा इनके साथ इनकी वर्किंग पार्टियाँ, इनके पूरक के रूप में होती हैं। आइ ए आइ एस का दैनिक कारोबार तथा कार्य, इसके सचिवालय द्वारा चलाया जाता है, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स, बेसल, स्विटजरलैंड में स्थित है।

II.4.3 आइ ए आइ एस, प्रभावी बीमा पर्यवेक्षण व्यवस्था बनाने के लिए सिद्धांतों, मानदंडों तथा दिशा निर्देश तैयार करता है। ऐसा करते समय, यह, पालिसीधारकों की सुरक्षा और लाभ के लिए समुचित और कार्यक्षम बीमा बाजारों की स्थापना और अनुरक्षण करने में, एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाता है। आइ ए आइ एस 'इश्यू पेपर्स' भी तैयार करता है जो बीमा पर्यवेक्षकों के विशिष्ट रुचित क्षेत्र के लिए भूमिका का काम करते हैं। अपनी हाल की बैठक में आइ ए आइ एस ने, आइ ए आइ एस मूल बीमा सिद्धांतों, मानदंडों, दिशानिर्देशों तथा मूल्यांकन विधि (आइ सी पी) में संशोधन को अपनाने की घोषणा की। आइ सी पी, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के अंतर्गत पर्यवेक्षणीय व्यवस्थाओं में मूल्यांकन में किया जाने वाला, विश्व भर में मान्य फ्रेमवर्क है। संशोधित मूल बीमा सिद्धांतों (आइ सी पी) को, एफ एस ए पी मूल्यांकनों से प्राप्त अनुभव, तथा जी-20 वित्त मंत्रियों, सेंट्रल बैंक गवर्नरों तथा वित्तीय स्थायित्वता बोर्ड (एफ एस बी) द्वारा जारी सिफारिशों पर आधारित किया गया है। मूल बीमा सिद्धांत, जिनमें वृद्धत् विवेक सम्मत निगरानी के क्षेत्र में एक नया "सिद्धांत भावी कार्य" शामिल है विश्वभर में, बीमा पर्यवेक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, एक मजबूत आधार पर करते आ रहे हैं।

II 4.4 विश्वभर में वित्तीय प्रणालियों को संवारने में योगदान देने और उनमें सह भागिता करने के लिए आईएआईएस अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय संघों, तथा विनियामकों से काफी निकटता से संपर्क बना कर रखता है। आइ ए आइ एस, संयुक्त फोरम की घटक संस्थाओं में से भी एक है और इसके कार्यदलों की गतिविधियों में भाग लेता है। आई ए आइ एस, वित्तीय स्थायित्वता फोरम में भी प्रतिनिधित्व करता है। आइ ए आइ एस अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानदंड बोर्ड को, इसके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों (आइ एफ आर एस) से संबंधित कार्य के लिए सुझाव प्रदान करता है, ये सुझाव, खास तौर पर

बीमा क्षेत्र से संबंधित मानदंडों के लिए दिए जाते हैं। आइ ए आइ एस, आइ ए एस बी की 'मानदंड सलाहकार परिषद' का भी सदस्य है, और साथ ही इसके 'बीमा कार्यदल' तथा 'फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेंट्स वर्किंग ग्रुप' का भी सदस्य है। यह वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है। यह कार्यदल, काले धन को वैध बनाने से रोकने तथा आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाया गया है।

II.4.5 प्राधिकरण के अध्यक्ष, आइ ए आइ एस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, तथा इसके सदस्य बीमा संविदाओं, लेखा पहलुओं, बीमा कानूनों पुनर्बीमा, वित्तीय कंपनियों, शोधक्षमता, धोखाधड़ी इत्यादि पर बनी आइ ए आइ एस की विभिन्न समितियों के सदस्य है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, आइ ए आइ एस की कार्यान्वयन समिति के भी अध्यक्ष है। जिन समितियों/उपसमितियों में, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व है, उनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका II.10 आइ ए आइ एस की समितियाँ/उपसमितियाँ	
-	कार्यान्वयन समिति उपसमितियाँ
-	शिक्षा उप-समिति
-	मानदंड अनुपालन उप-समिति
-	पर्यवेक्षण सहयोग उप-समिति
-	बीमा समूहों तथा सेक्टरों के बीच मुद्दों पर उप-समिति
-	गवर्नेन्स तथा अनुपालन उप-समिति
-	पुनर्बीमा तथा जोखिम अंतरण के अन्य स्वरूपों पर उप-समिति/ पुनर्बीमा परस्पर मान्यता उप-दल
-	बीमा धोखाधड़ी उप-समिति
-	शोधक्षमता उप-समिति
-	बीमा संविदा उप-समिति
-	पेन्शन समन्वय दल
-	बाजार आचरण उप-समिति
-	सूक्ष्म बीमा संयुक्त कार्यदल (सीजीएपी)

II.4.6 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप, आइ ए आइ एस की बहुत सी समितियाँ विशेष मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं जिनमें से प्रमुख है: बीमाकार्यों के गुण वाइड पर्यवेक्षण पर, पर्यवेक्षकीय पेपरों के, बृहत् और सुगठित सेट के विकास और अनुरक्षण से जुड़े मुद्दे, सेक्टरों के बीच आपसी मुद्दे तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण से जुड़े मुद्दे इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं – प्रकटन तथा पॉलिसीधारकों को दी जाने वाली जानकारी में पारदर्शिता, उपभोक्ता सुरक्षा, बीमाकर्ताओं तथा मध्यवर्तियों के बाजार-आचरण संबंधी विभिन्न पहलुओं से जुड़ी अन्य संस्थाओं तथा पर्यवेक्षकों के बीच तालमेल।

II.5 जनता से प्राप्त शिकायतें

जीवन बीमाकर्ता

II.5.1 प्राधिकरण के शिकायत कक्ष को बीमा कंपनियों के खिलाफ लोगों से शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। ये शिकायतें कंपनियों को, उनके स्तर पर निपटान के लिए अग्रेषित कर दी जाती हैं। बीमा कंपनियों से अपेक्षित है कि वे संबंधित शिकायतों की स्थिति के बारे में, प्राधिकरण के शिकायत कक्ष को, अवगत, करवाती रहें और यह भी कि शिकायतों का निपटान कर दिया गया है अथवा नहीं। 31 मार्च 2011, की स्थिति में प्राधिकरण के पास दर्ज 254 शिकायतें थीं जिन्हें जीवन बीमा कंपनियों द्वारा निपटाया जाना बाकी था। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राधिकरण को 9,656 शिकायतें (2009-10 में 2,449) प्राप्त हुईं जिनमें से 2,588 जीवन बीमा निगम से संबंधित थीं (2009-10 में 606) तथा 7,068 प्राइवेट क्षेत्र के बीमाकर्ताओं से संबंधित थीं (2009-10 में 1,843)।

II.5.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, बीमा कंपनियों ने 97.47 प्रतिशत शिकायतों का निपटान किया (2009-10 में 86.41 प्रतिशत)। बीमा कंपनियों के खिलाफ प्राधिकरण के पास दर्ज शिकायतों में से जहाँ प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों ने 97.42 प्रतिशत का निपटान किया (2009-10 में 88.4 प्रतिशत), वहीं एल आइ सी ने 97.58 प्रतिशत का निपटान किया (2009-10 में 81.0 प्रतिशत) 31 मार्च 2011 को, बीमा कंपनियों के पास 254 शिकायतें लंबित थीं जिनमें से 188 प्राइवेट क्षेत्र की थीं तथा 66 जीवन बीमा निगम से संबंधित थीं।

तालिका II.11 शिकायतों की स्थिति: जीवन बीमाकर्ता				
बीमाकर्ता	31-03-2010 को बकाया	2010-11 में दर्ज की गई शिकायतें	2010-11 में निपटाई गई शिकायतें	31-03-2011 को बकाया
एलआइसी	150	2588	2672	66
प्राइवेट	245	7068	7125	188
कुल	395	9656	9797	254

तालिका II.12

वर्ष 2010-11 में शिकायत कक्ष के पास दर्ज की गई शिकायतों का शिकायतों की प्रकृति के अनुसार विवरण (जीवन बीमा)

क्रम.सं.	शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या	प्रतिशत में
1	बिक्री संबंधी	2301	23.83
2	प्रस्तावित जमा राशि वापस न दिया जाना	105	1.09
3	पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त न होना	819	8.48
4	फ्रीलुक रिफंड	508	5.26
5	पॉलिसी का रद्द करण	850	8.80
6	पॉलिसी शिड्यूल में त्रुटि	94	0.97
7	डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करना	108	1.12
8	प्रीमियम का समायोजन	166	1.72
9	पॉलिसी में बदलाव	212	2.20
10	व्यपगत (लैप्स) पॉलिसियाँ फिर से चालू करने संबंधी रिकॉर्ड	258	2.67
11	पॉलिसियों का समनुदेशन	116	1.20
12	पॉलिसी अभिलेखां का अंतरण	57	0.59
13	लेखा स्टेटमेंट/बोनस प्राप्त न होना	57	0.59
14	आंशिक आहरण से संबंधित	45	0.47
15	अभ्यर्पण मूल्य/दावे/परिष्कृता लाभ/उत्तर जीविता लाभ/वार्षिकी का भुगतान न किया जाना,	2096	21.71
16	सही अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान न होना	205	2.12
17	दंडात्मक ब्याज का भुगतान न होना	107	1.11
18	दावा अस्वीकार किया जाना	72	0.75
19	स्वास्थ्य बीमा से संबंधित	41	0.42
20	एनएवी से संबंधित	101	1.05
21	अन्य	1338	13.86
	कुल	9656	100.00

II.5.3 2010-11 में, जीवन बीमा शिकायत कक्ष के पास दर्ज की गई शिकायतों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि पॉलिसी धारकों की शिकायतों के तीन मुख्य कारण हैं - बिक्री से संबंधित (23.83 प्रतिशत), अभ्यर्पण मूल्य, दावों, परिष्कृता लाभ उत्तर जीविता लाभ/वार्षिकी का भुगतान न किए जाने से संबंधित (21.71 प्रतिशत), पॉलिसी के निरस्तीकरण (कैंसेलेशन) से संबंधित (8.80 प्रतिशत)।

गैर जीवन बीमाकर्ता

II.5.4 वर्ष के दौरान प्राप्त और बकाया शिकायतों में से, गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनियों ने 75.49 प्रतिशत का निपटान किया। प्राइवेट गैर जीवन बीमा कंपनियों ने कुल दाखिल शिकायतों में से 89.91 प्रतिशत का निपटान किया जबकि गैर जीवन बीमा कंपनियों ने, प्राधिकरण के

पास उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों में से 64.20 प्रतिशत का निपटान किया 31 मार्च 2011 को बीमा कंपनियों के पास 1,44,229 शिकायतें निपटान किया 31 मार्च 2011 को बीमा कंपनियों के पास 1429 शिकायतें निपटान हेतु लंबित थीं, जिनमें से 258 प्राइवेट क्षेत्र से तथा 1171 सरकारी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों से संबंधित थी।

II.5.5 31 मार्च 2011 को गैर जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ 1,429 शिकायतें बकाया थी। लंबित शिकायतों में से 22.56 प्रतिशत, पॉलिसी संबंधी मामलों से जुड़ी है, 51.08 प्रतिशत शिकायतों का निपटान न किए जाने /निपटान में देरी से संबंधित है तथा 23.23 प्रतिशत दावों को अस्वीकार करने/दावों के आंशिक निपटान से संबंधित है।

तालिका II.13

वर्ष 2010-11 के दौरान शिकायतों की स्थिति-गैर-जीवन बीमकर्ता

बीमाकर्ता	31-03-2010		2010-11 के		2010-11 में		31-03-2011		प्रकृति के हिसाब से बकाया शिकायतों का बंटवारा
	को बकाया	दौरान रिपोर्ट की गई शिकयते	दौरान रिपोर्ट की गई शिकयते	निपटाई गई शिकायतें	को बकाया	निपटाई गई शिकायतें	को बकाया	निपटाई गई शिकायतें	
सरकारी	427	2844	2100	1171	237	606	291	37	
प्राइवेट	129	2430	2301	258	85	124	41	8	
कुल	556	5274	4401	1429	332	730	332	45	
			(64.20)						
			(89.91)						
			(75.49)		(22.56)	(51.08)	(23.23)	(3.15)	

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े, वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत
 ए) पॉलिसी संबंधित मामले
 बी) दावों का निपटान न होना/निपटान में देरी होना
 सी) दावा अस्वीकरण/आंशिक निपटान
 डी) अन्य कारण

II.6 बीमा असोसिएशन (संघ) तथा बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद

II.6.1 जीवन बीमा परिषद, बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 64 सी के अंतर्गत स्थापित एक निकाय है। सभी पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियाँ इसकी सदस्य हैं और इनके मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस परिषद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के दो नामिती हैं जिनमें से एक परिषद के अध्यक्ष है। महासचिव, परिषद के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान परिषद की पाँच बैठके हुई, परिषद की कई स्थायी उपसमितियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर, कार्यदलों की बैठकों में, कार्य-विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की जाती है ये कार्यदल, समय-समय पर उभरते मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किए गए हैं। अधिकांश उपसमितियों में, सदस्यगण, अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुन लेता है। 'समिति-आधारित-दृष्टिकोण से जीवन बीमे के अत्यंत विविधकृत क्षेत्रों से लिए गए वरिष्ठ कार्य पालकों की, सहभागिता, और उनके अमूल्य योगदान, सुनिश्चित होते हैं।

जीवन बीमा परिषद की, वर्ष 2010-11 के दौरान चलाई गई गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

II.6.2 वर्ष के दौरान मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) की उपसमिति की दो बार बैठक हुई। उनकी बैठकों सर्विस टैक्स संशोधनों, वस्तुओं और सेवाकर (जीएसटी), बजट 2011 पूर्व और पश्चात् के ज्ञापनों से संबंधित मुद्दों पर, केंद्रित थी। तथापि मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) की उप-समिति ने कई बैठके की और उनमें जीवन बीमा उद्योग हेतु जी सी टी के अभ्यवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पर

चर्चा की समिति ने, वस्तु और सेवा कर (जीसीटी) पर उद्योग के अभ्यवेदन को अंतिम रूप देने के लिए अरनेस्ट एंड यंग (ईएंडवाय) के साथ निरंतर सक्रिय सह-कार्य किया।

II.6.3 मानव संसाधन और प्रशासन (एचआर एंड एडमिन) समिति की वर्ष में एक बैठक हुई। समिति ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, उनमें से कुछ थे एजेन्टों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधारस्तरीय साझा बीमा पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम की अवधि, एक से कई महीने तक हो सकती है, और, एक संभावित कैरियर अवसर के रूप में बीमा-उद्योग की ब्रांडिंग का महत्त्व। समिति ऐसे विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की, जिन्हें अपनाने से जीवन बीमा कंपनियों की अच्छी कार्यशैलियों को, जीवन परिषद के मानव संसाधन और प्रशासन समिति के सदस्यों द्वारा, आपस में बाँटा जा सकता है।

II 6.4 सांख्यिकीय आँकड़ा उपसमिति की वर्ष में एक बैठक हुई। उपसमिति ने, जीवन परिषद द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ों की पृष्ठ भूमि में, प्राधिकरण द्वारा जारी प्रकटन 'विनियमों' की समीक्षा की उपसमिति ने निर्णय लिया कि निम्नलिखित अतिरिक्त आँकड़े, मासिक आधार पर, परिषद् को उपलब्ध करवाए जाएँ:

- मृत्यु दावे, संख्या में, चूँकि मूल्य, परिषद को पहले ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- बीमा कंपनी द्वारा किए गए अभ्यर्षण भुगतान, पारंपरिक और यूलिप पॉलिसियों, दोनों के लिए अलग-अलग से।
- प्राप्त किया गया कारोबार-चैनलवार-व्यक्तिगत और सामूहिक कारोबार दोनों के लिए पॉलिसियों की संख्या तथा राशि।

II.6.5 विधि और अनुपालन उप-समिति की बैठक, वर्ष 2010-11 में, दो बार हुई। समिति ने दूर-विपणन (डिस्टेंस मार्केटिंग) प्रमुख विशेषताएँ (की फीचर्स) दस्तावेज, जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, उन पर चर्चा की और उनपर सिफारिशों दी। समिति ने भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को, उनके हाल ही के, ग्राहक प्राथमिकता विनियमों पर एक अभ्यवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) दिया, जिससे बीमा उद्योग प्रभावित हुआ। समिति ने, जुर्माने/दंड/नामांकन/समनुदेशन पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण समिति को भी अपनी अनुशंसाएँ की हैं।

II.6.6 जीवन बीमा जागरूकता उप-समिति ने, जीवन बीमा के महत्त्व के बारे में जागरूकता का निर्माण करने के लिए दो प्रैस बैठकें आयोजित की - जून 2010 में कोलकाता में तथा दिसंबर 2010 में कोच्ची में। ये बैठकें सफल साबित हुईं और द्वितीय स्तर के शहरों के प्रैस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इन्हें काफी कवर किया गया।

II.6.7 वर्ष के दौरान, जीवन परिषद् ने 'प्रोस्पेक्ट-प्रॉडक्ट-मैट्रिक्स के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए, एक कोर-ग्रुप बनाया। जीवन परिषद् द्वारा बनाए गए बीमांकन दल ने, एक विस्तृत पेपर तैयार किया, और उसे बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया।

II.6.8 जीवन परिषद् ने, 2010-11 की अवधि के दौरान, जीवन बीमा उद्योग के लिए 'जीएसडीरोड मैप' तैयार करने के संबंध में कई बैठकें आयोजित की। जीवन बीमा परिषद् ने, इस कार्य में, अरनेस्ट एंड यंग के साथ सक्रिय योगदान दिया और जीवन बीमा उद्योग हेतु, जीएसटी पर सुझाए गए मॉडल पर दिए जाने वाले अभ्यवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) को अंतिम रूप प्रदान किया।

II.6.9 जीवन परिषद् ने, म्यूचुअल फंड्स से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक 'कोर ग्रुप' गठित किया था। कोर ग्रुप ने म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने, और उसे सुलझाने के लिए इन्फोटेक के साथ कई बैठकें की।

II.6.10 क्रिसिल बाँड मूल्यांकन टूल' के संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए भी जीवन परिषद् ने एक 'कोर-दल' गठित किया था। कोर-दल ने क्रिसिल के सक्रिय सहयोग से, सभी बीमाकर्ताओं के लिए एक 'एक समान' प्रशुल्क दर तैयार की।

II.6.11 परिषद् की वेबसाइट ने बीमा उद्योग से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़ों, नवीनतम समाचारों तथा अन्य जानकारियों को प्रदान करना जारी रखा। तिमाही-सांख्यिकीय-आँकड़ों की, मीडिया तथा उद्योग दोनों ने प्रशंसा की है। इसके डिजाइन को अपग्रेड करने तथा इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा कार्यपालक (ओम्बड्समैन) और सभी जीवन बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों से जोड़ने के पश्चात इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिट्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके प्रतिसूचना (फीडबैक)/प्रश्न/शिकायत प्रेषण तंत्र को संशोधित किया गया और इसका प्रबंधन, परिषद् के सचिवालय द्वारा किया जाना, जारी रहा।

साधारण बीमा परिषद्

II.6.12 वर्ष 2010-11 के दौरान 'एल एंड टी जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.' के शामिल होने से, परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। 2010-11 में परिषद् की कार्यकारिणी समिति की 6 बैठकें हुईं।

II.6.13 इसके अतिरिक्त परिषद् ने, समय-समय पर, विभिन्न विभागों के, 'जोखिम-अंकन-प्रधानों' मुख्य वित्तीय अधिकारियों तथा सदस्य कंपनियों के वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकें, आयोजित की। इन बैठकों की गतिविधियों का उपयोग, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यपालकों के बीच तालमेल और सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिनका प्रमुख उद्देश्य, ग्राहक सेवा मानदंडों को बढ़ाना, बाजार अनुशासन बनाए रखना तथा देश के गैर-जीवन-बीमा बाजार का स्वस्थ विकास करना है।

II.6.14 उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त, महासचिव ने, एफ आइ सी सी आई, बी सी सी आई, सी आई आई, एसोचेम, प्रैस बैठकों तथा विभिन्न नगरों की विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों तथा बैठकों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में, गैर-जीवन बीमा उद्योग का प्रतिनिधित्व किया।

II.6.15 महासचिव ने, वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग), परिवहन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग), जैसे मंत्रालयों, तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर उद्योग का नजरिया और राय देने के लिए भी उद्योग का प्रतिनिधित्व किया।

II.6.16 परिषद् ने, उद्योग और उसके ग्राहकों के लाभ के लिए विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। विभिन्न संस्थाओं और व्यापारिक निकायों के लिए 'एक बिंदु संपर्क' के रूप में कार्य करते हुए इसने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सदस्य-कंपनियों तथा अन्य द्वारा संदर्भित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और समाधानों पर कार्यवाई की।

II.6.17 ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खदे उतरने, वृद्धि, लाभप्रदता तथा विनियामक अपेक्षाओं को समर्थन देने की दृष्टि से, मोटर तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र ने, उद्योग का ध्यान आकर्षित करता रहा।

II.6.18 स्वास्थ्य

- सुवाह्यता (पोर्टोबिलिटी) के विवादित मुद्दे पर, बार-बार चर्चा हुई है। परिषद् इस सहमति पर पहुँची है कि सुवाह्यता, साध्य है। अर्थात् 'फाइल एंड यूज' दिशानिर्देशों के अनुसार नए बीमाकर्ता द्वारा जोखिम अंकन करने पर पोर्टिंग बीमित को, पीईडी स्थिति/अपवर्जन तथा प्रतीक्षा अवधि का लाभ मिलेगा। सदस्य कंपनियों के साथ परामर्श करके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 'सूक्ष्म-प्रक्रियात्मक विवरणों' पर कार्य कर रहा है।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से, मंत्रालय से प्राप्त, निम्नलिखित संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में, काफी विचार विमर्श के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक कंपनी अपने स्तर पर इसकी जाँच करे और निर्णय ले कि इनके लिए क्या सर्वोत्तम करवेज दिया जा सकता है।

- बीमारियों का गैर-एलोपैथिक उपचार, तथा

- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति

- भारत सरकार की जन-योजनाओं के कवरेज तथा शोधक्षमता अनुपात के आँकलन की विधि पर पड़ने वाले इसके परिणामकारी प्रभाव से संबंधित मुद्दे, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अभ्यवेदित किए गए और उनके अनुकूल हल निकाले गए।
- विभिन्न सरकारों तथा अन्यों द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा-योजनाओं, बीमा कंपनियों के हस्तक्षेप बिना इन योजनाओं की सर्विसिंग के लिए टी पी ए से बोलियाँ आमंत्रित करने, से संबंधित मुद्दे, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को लक्षित किए गए। मुद्दों की जाँच कर ली गई है और उद्योग के अनुरोध के अनुसार, इन्हें सुलझा लिया गया है।
- अस्पतलों को किए जाने वाले 'नकदी-रहित-भुगतानों' पर सर्विस टैक्स के मुद्दे को भी सुलझा लिया गया है।

II.6.19 मोटर

- विभिन्न ट्रान्सपोर्टर्स एसोसिएशनों से बातचीत अंततः पूरी हो गई और सभी वाहनों के लिए मोटर-टीपी प्रीमियम में संशोधन, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा, 25 अप्रैल 2011 को अधिसूचित किया गया।
- आँकड़ा आधार पर, वाहनों की पंजीकरण संख्या को 30 दिनों में अपडेट करने का अनुरोध, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को किया गया।
- मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों से संबंधित 'सुंदर कमेटी की रिपोर्ट' पर उद्योग की टिप्पणियाँ, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा मंत्रालय, दोनों को संसूचित कर दी गई।

II.6.20 भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा पूल (आईएमटीपीआईपी)

- पूल निधियों, प्रत्येक कंपनी के पास रुके रहने के, परिषद के अनुरोध को, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अनुमति प्रदान कर दी। पूल प्रशासक के पास इक्वटी हुई निधियों को भी, वापस संबंधित कंपनियों को अंतरित कर दिया गया।
- लेखा और कराधान समिति की सिफारिशों की जांच की गई और जून 2011 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उनका जवाब भेज दिया गया।

II.6.21 समुद्री

- अंतस्थलीय नौकाओं (वेसल्ज) में किराया देने तथा न देने वाले यात्रियों के लिए 'देयता-सुरक्षा-बीमा' जारी करने के मुद्दे पर परिषद् में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुसार केवल सीमित देयता सुरक्षा (बीमा) प्रदान किया जाए।
- संस्थान कार्गो क्लाजेज (आइसीसी) में संशोधन होने पर, उद्योग ने संस्थान व्यापार क्लाजेज (आइसीसी) का मुद्दा उठाया और

संशोधित क्लाजेज के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

- सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर, परिषद् ने, समुद्री दावों में प्रयुक्त होने वाले, अनुस्थापन-पत्र में, संशोधन का कार्य हाथ में लिया है।

II.6.22 संपत्ति

- टैरिज्म पूल से संबंधित मुद्दे, जैसे-समूह (पूल) क्षमता का अधिकतम उपयोग आदि पर चर्चा की गई और परिषद में एक आम सहमति बनाई गई।
- संपत्ति कारोबार में साझे हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जोखिम अंकनकर्ता, आपस में बैठके करते हैं।

II 6.23 लेखा और कराधान

- प्रत्यक्षकराधान संहिता (डीटीसी) पर उद्योग का दृष्टिकोण और टिप्पणियाँ, सरकार, स्थायी वित्त समिति तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अभ्यवेदित की गई।
- पुनर्बीमा प्रीमियम पर टी डी एस से संबंधित अभ्यवेदन, वित्त मंत्रालय तथा कर अधिकारियों को प्रेषित किए गए।
- वित्तीय स्थिति रिपोर्टिंग बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गई।
- बीमा नियमावली 1939 के नियम 17ई के साथ पठित, बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 40-सी के संबंधित अभ्यवेदन, समय समय पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को भेजे जाते रहे।
- शोधक्षमता अनुपात की गणना के लिए वर्तमान विधि से जुड़े मुद्दे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को, विचारार्थ के लिए भिजवाए गए।

II.6.24 सामान्य

निम्नलिखित पर उद्योग की राय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को संसूचित कर दी गई है:

- एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली।
- साधारण बीमा पॉलिसियों में 'युनीक पहचान संख्या (यूआइएन) शामिल करना।
- आउटसोर्सिंग कार्यों पर एक्सपोजर प्रारूप।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित, बीमा सूचना ब्यूरो' (आइआइबी) शुरु हो गया है और इसमें सदस्य कंपनियों का आँकड़ों की ऑन-लाइन अपलोडिंग' और कारोबार-वार रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता प्रदान की जा रही है।

II.6.25 विपणन (मार्केटिंग)

- दूर-विपणन हेतु दिशा निर्देशों पर उद्योग की राय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को संसूचित कर दी गई।
- कंपनियों के सुझाव और भारतीय बीमा संस्थान (आइ आइ आइ) के अनुरोध पर अधिकारियों की एक समिति ने एजेंटों के परीक्षा आँकड़ा आधार में 450 प्रश्न और जोड़े।
- एजेंटों की परीक्षा हेतु सिलेबस में संशोधन पर राय भी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को संसूचित की गई।

II.7 लोकपाल (ओम्बड्समैन) द्वारा किए गए कार्य

II.7.1 2010-11 के दौरान, भारत में फैले बारह लोकपाल केंद्रों में, कुल 21,065 शिकायते प्राप्त हुईं जहाँ 11,017 शिकायते (52

प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थी, वहीं शेष 10,048 (48 प्रतिशत) गैर जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थी। ये मार्च 2010 के अंत में, लोकपालों के विभिन्न कार्यालयों में लंबित 2,269 शिकायतों के अतिरिक्त थी। लोकपालों के कार्यालयों ने वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 23,334 शिकायतों पर कार्रवाई की।

II.7.2 2010-11 में लोकपालों ने 17,239 शिकायते निपटाईं। इनमें से, लोकपालों ने 71 प्रतिशत शिकायते, अस्वीकार्य/विचार न करने योग्य घोषित की, कुल शिकायतों में से 15 प्रतिशत के लिए अवार्ड्स/सिफारिशें जारी की गईं। इनके अतिरिक्त 7 प्रतिशत शिकायतें वापस ले ली गईं जबकि अन्य 7 प्रतिशत को खारिज कर दिया गया।

II.7.3 मार्च 2011 के अंत में, लोकपालों के पास, 6,095 प्रकरण, निर्णय हेतु अभी भी लंबित हैं।

तालिका II.14
वर्ष 2010-11 में लोकपाल (ओम्बड्समैन) द्वारा शिकायतों का निपटान

बीमाकर्ता	31-03-2010 को बकाया शिकायतें	2010-11 के दौरान प्राप्त शिकायतें	कुल	2010-11 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	निम्नलिखित के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या				31-03-2011 को बकाया शिकायतें
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
जीवन	888	11017	11905	9551	846 (8.86)	586 (6.14)	627 (6.56)	7492 (78.44)	2354
गैर-जीवन	1381	10048	11429	7688	1717 (22.33)	681 (8.86)	568 (7.39)	4722 (61.42)	3741
कुल	2269	21065	23334	17239	2563 (14.87)	1267 (7.35)	1195 (6.93)	12214 (70.86)	6095

टिप्पणी:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| i) सिफारिशें/अवार्ड्स | iii) खारिज |
| ii) वापस लेना/निपटान | iv) अ-स्वीकरण/विचार योग्य नहीं |
- कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े, संबंधित निपटाई गई शिकायतों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

भाग-III

प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 14 (बीविविप्रा अधिनियम) में प्राधिकरण के कार्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं - बीमा और पुनर्बीमा कारोबार का विनियमन, प्रोत्साहन तथा इन कारोबारों की वृद्धि सुनिश्चित करना। ने उपर्युक्त परिच्छेद के उप-परिच्छेद (2) में प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण ने दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2010-11 में, अपने जिन कार्यों का निर्वाह किया उनका वर्णन अध्याय-III में किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना तथा ऐसे पंजीकरण का नवीनीकरण, संशोधन, वापस लेना, निलंबित करना तथा रद्द करना

III.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान, प्राधिकरण ने एल एंड टी जनरल इश्योरेंस कं.लि. को साधारण बीमा कारोबार के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र

प्रदान किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राधिकरण ने एडलवीस टोकियो लाइफ इश्योरेंस कं.लि. को जीवन बीमा कारोबार के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया। इन कंपनियों के पंजीकरण के साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत जीवन बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 24 तक पहुँच गई है। साधारण बीमाकर्ताओं की कुल संख्या भी 30 सितंबर 2011 को 24 ही थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है। बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 3'ए' के अनुसार वर्तमान जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों को पहले जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कर दिया गया है।

III 1.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, प्राधिकरण ने विभिन्न विनियामक अनुबंधों (स्टिपुलेशनज) का अनुपालन न करने के कारण आठ साधारण बीमा कंपनियों, पाँच जीवन बीमाकर्ता, एक पुनर्बीमाकर्ता तथा एक वाणिज्य बैंक (कारपोरेट एजेंट) पर दंड लगाया है।

तालिका III.1

प्राधिकरण द्वारा लगाया गया आर्थिक दंड (1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011)

क्रम संख्या	बीमा कंपनी/कोर्पोरेट एजेन्ट का नाम	आर्थिक दंड की राशि	आर्थिक दंड का दिनांक	उल्लंघन का संक्षिप्त कारण
1	चोलामंडलम जनरल	5 लाख रुपये	20-7-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली का पालन करने में असफल
2.	एसबीआई लाइफ	10 लाख रुपये	11-8-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली का पालन करने में असफल
3.	टाटा एआइजी जनरल	5 लाख रुपये	23-8-2010	2006-07 में सामाजिक क्षेत्र के लिए जरूरी शर्त पुरा करने में असफल
4.	नेशनल इश्योरेंस	10 लाख रुपये	26-8-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली तथा आइआरडीए अधिनियम, 2010 के अनुच्छेद 3(2) (जनरल इश्योरेंस-पुनर्बीमा) को पालन करने में असफल
5.	जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन	5 लाख रुपये	14-9-2010	विनिवेश अधिनियम का पालन करने में असफल
6.	यूनाइटेड इण्डिया	5 लाख रुपये	16-9-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली का पालन करने में असफल
7.	इफको टोकियो जनरल	5 लाख रुपये	23-9-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली का पालन करने में असफल
8.	ओरियंटल इश्योरेंस	5 लाख रुपये	23-9-2010	फाइल अण्ड यूज नियमावली का पालन करने में असफल

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

9.	भारती एक्सा लाइफ	10 लाख रुपये	27-9-2010	आइआरडीए अधिनियम, 2010 2(जी)(1) (भारतीय बीमा कंपनी नामांकन) का उल्लंघन
10.	भारती एक्सा जनरल	10 लाख रुपये	27-9-2010	आइआरडीए अधिनियम, 2010 2(जी)(1) (भारतीय बीमा कंपनी नामांकन) का उल्लंघन
11.	रिलायंस लाइफ	10 लाख रुपये	29-10-2010	फाइल अण्ड यूज नियामवली तथा दिनांक 14-2-03 के रेफरल परिपत्र का पालन करने में असफल
12.	टाटा एआइजी लाइफ	5 लाख रुपये	14-12-2010	बीमा अधिनियम 1938, के परिच्छेद 40बी के साथ बीमा के नियम 17डी, 1939 का पालन करने में असफल
13.	चोलामंडलम जनरल	5 लाख रुपये	23-02-2011	कारपोरेट एजेंट लाइसेंस गाइडलाइन का पालन करने में असफल
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5 लाख रुपये	24-02-2011	कारपोरेट एजेंट लाइसेंस गाइडलाइन तथा नियम तथा आइआरडीए अधिनियम, 2010 के 10(I)(vi)(ii) (बीमा प्रचार तथा परकटीकरण) का पालन करने में असफल
15.	बजाज अलियांज लाइफ	10 लाख रुपये	18-03-2011	फाइल अण्ड यूज नियामवली तथा यूलिप गार्ड लाइन का पालन करने में असफल

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमाहित, बीमादावे का निपटान, पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य तथा बीमा की संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा

III.2.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ऐसे विनियम बनाए हैं, जिनमें यह प्रावधान किया गया है कि बीमाकर्ता तथा मध्यवर्ती, बिक्री और दावे के समय 'क्या करे', 'क्या न करे'। इन विनियमों के अंतर्गत, पॉलिसीधारकों को सेवा प्रदान करने हेतु समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त विनियमों में बीमाकर्ताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपने यहाँ एक प्रभावी तंत्र स्थापित करें। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों के लिए एक 'शिकायत कक्ष' स्थापित किया है तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक चैनल बनाया है जिसमें वे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर, बीमाकर्ताओं से, पॉलिसीधारकों की शिकायतों का निवारण करवाने में एक "सुविधा प्रदायक" की भूमिका निभाने के अतिरिक्त, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, उन मुद्दों की भी लगातार जाँच पड़ताल करता रहा है, जिनके कारण शिकायतें उत्पन्न होती हैं, साथ ही प्राधिकरण, इनमें से प्रणालीगत मुद्दों में सुधार की कार्यवाही भी करता रहता है।

III.3 बीमा मध्यस्थों और एजेंटों के लिए, अपेक्षित योग्यताओं का आचार संहिता, और व्यावहारिक प्रशिक्षण का विनिर्धारण

III.3.1 बीमा सर्वेक्षक और हानि-आकलनकर्ता (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएँ तथा आचार संहिता) विनियम, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर्स) विनियम 2002, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करना) विनियम, 2000 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नैगमिक अभिकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करना) विनियम 2002 द्वारा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में, बीमा कारोबार में सभी मध्यस्थों के लिए लाइसेंसिंग और आचार संहिता को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है।

III.3.2 प्राधिकरण ने 3 जुलाई 2009 के अपने परिपत्र सं.आईआरडीए/एजेंट्स/ओआरडी/17/जुलाई 2009 के द्वारा नैगमिक बीमा कार्यपालकों तथा एजेंटों की प्रशिक्षण संस्थाओं (एटीआइ) की फ़ैकल्टी की योग्यताओं के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई 2005 के परिपत्र सं. 017/आईआरडीए/सुर्कलर (परिपत्र)/सीए गाइडलाइन्स/2005 के द्वारा कारपोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

III.3.3 संदर्भाधीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने परिपत्र जारी किए तथा विनियमों में निम्नानुसार संशोधन किए:

- कारपोरेट एजेंटों के लिए निर्धारित, विनियामक फ्रेमवर्क का अनुपालन न करने वालों के लिए दंड-प्रावधानों को शामिल करने हेतु, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंस) (संशोधन) विनियम, 2010 ।
- बीमाकर्ताओं और परामर्शदाता कंपनियों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पादों के वितरण हेतु आँकड़ा आधार का आदान-प्रदान) विनियम, 2010। विनियमों में परामर्शदात्री संस्थाओं को देय पारिश्रमिक की सीमा भी निर्धारित की गई है, वह फ्रेमवर्क भी निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत, परामर्श संस्थाओं और बीमाकर्ताओं को बीमा कारोबार करना है।
- एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में कारपोरेट एजेंटों के अंतरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए 7 जून, 2010 का परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/092/06/2010 ।
- बीमाकर्ताओं द्वारा नैगमिक एजेंटों के निरीक्षण के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/093/2010 ।
- 14 मई 2010 के परिपत्र द्वारा मान अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित किए जाने वाले/ऑन-लाइन एजेंट प्रशिक्षण संस्थाओं (पोर्टलज) के अनुमोदन/नवीकरण हेतु लागू है।
- आदेश संख्या आईआरडीए/एजीटीएस/ओआरडी/टीआरएनजी/109/07/2010. जिसके द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं कि 31 मार्च 2011 के बाद बीमा एजेंटों की "भर्ती-पूर्व-परीक्षा" के सभी केंद्रों पर परीक्षाएँ ऑनलाइन ही ली जाती हैं। बीमा एजेंटों की भर्ती पूर्व-परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से कितना परीक्षा शुल्क लिया जाए तथा उक्त भर्ती पूर्व परीक्षा आयोजित करने के लिए भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) तथा एन एसई-आइटी के बीच व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने संबंधी मुद्दों पर सिफारिशों देने के लिए, प्राधिकरण ने एक समिति का भी गठन किया।
- 28 जून, 2010 को परिपत्र सं.आईआरडीए/सीएजीटीएस/जीटीएल/एलसीई/106/06/2010 जारी किया गया जिसमें कारपोरेट एजेंसी लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.
- 2 मार्च, 2010 का परिपत्र सं.आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/039/03/2010, जिसके द्वारा कारपोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जो ऐसे ग्रुप से संबंधित हैं, जो पहले से ही कारपोरेट एजेंटों/ब्रोकरों के रूप में कार्यरत हैं।

III.4 सर्वेक्षकों और क्षति-निर्धारकों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षकों और हानि-आकलनकर्ताओं से, अपना व्यावसायिक कार्य करने में जो व्यावसायिक और आचार संबंधी अपेक्षाएँ हैं, उनके बारे में एक आचार संहिता "सर्वेक्षकों और हानि आकलनकर्ताओं के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2000" के अध्याय-VI में, विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम 15 में "संहिता की विस्तृत" व्याख्या है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सर्वेक्षक अथवा हानि. आकलनकर्ता, अपने व्यावसायिक कार्यों में आचार पूर्वक तथा सत्यनिष्ठ से व्यवहार करेगा, व्यवसायिक और कारोबारी निर्णय में वस्तुनिष्ठा रखेगा. जब वह किसी पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में उसी बीमाकर्ता के अनुदेश पर कार्य कर रहा हो, जिसने कि पॉलिसी जारी की थी, तो भी वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और अपने कार्य के दौरान जिन लोगों से भी उसका संबंध पड़ेगा उन सबके प्रति वह विनम्रता आर सम्मान का भाव रखेगा। आचार संहिता में यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षक:

- कोई ऐसा कार्य, स्वीकार या निष्पादित नहीं करेगा, जिसे करने के लिए वह सक्षम नहीं है।
- अपना व्यावसायिक कार्य पूरे विवेक, सावधानी तथा कुशलता से करेगा और तकनीकी तथा व्यावसायिक विधियों के प्रयोग से करेगा।
- अपने किए गए कार्य का अभिलेख हर समय बनाए रखेगा तथा संबंधित कानूनों का पालन करेगा।
- अपने सहयोगियों को व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने में मदद करेगा और प्रोत्साहित करेगा और इस संबंध में 12 महीने के लिए मुफ्त आर्टिकलशिप और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- प्रावधान किए गए अनुसार सर्वेक्षण कार्य का रजिस्टर रखेगा।
- अपनी नियुक्ति की बात सभी पक्षों के सामने प्रकट करेगा जहाँ कि इस प्रकार के कार्यग्रहण के स्वीकार्य या उसमें बने रहने से, काफी पूर्वाग्रह पैदा हो या किसी भी संबद्ध पक्ष के हितों को गंभीरता से प्रभावित करता हो।
- अपने व्यावसायिक कामकाज के दौरान ग्राहक अथवा नियोजक अथवा पॉलिसीधारक के बारे में प्राप्त किसी भी जानकारी को, आवश्यक सहमति के बगैर, किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को बताएगा नहीं।
- तथा अपने कामकाज के दौरान प्राप्त या ली गई किसी भी गोपनीय जानकारी,को, अपने या किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए न तो उपयोग में लाएगा, न उपयोग में लाता दिखेगा।

III.4.2 बीमा क्षेत्र में और आगे सुधारों के रूप में सर्वेक्षकों के बीच व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार के अधिदेशानुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने “भारतीय बीमा सर्वेक्षक और क्षतिनिर्धारक संस्थान” की स्थापना को प्रोत्साहित किया।

III.4.3 प्राधिकरण ने 2010-11 में निम्नलिखित परिपत्र जारी किए:

- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 5 अगस्त 2010 के पत्र द्वारा लाइसेंसीकृत सर्वेक्षकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नामतः वर्गों का अपग्रेडेशन लाइसेंसीकृत सर्वेक्षकों को आबंटित विभागों में प्रतिबंध हटाना, सर्वेक्षकों को, आबंटित वर्ग के अपग्रेडेशन के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अपने निर्णयों को सूचित किया।
- केवल लाइसेंस में विनिर्दिष्ट कारोबार वर्ग के लिए ही सर्वेक्षकों और क्षतिनिर्धारकों की नियुक्ति के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का दिनांक 27 अगस्त 2010 का परिपत्र।
- सर्वेक्षकों और क्षतिनिर्धारकों की समिति के गठन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का 20 सितंबर 2011 का आदेश।

III.5 बीमा कारोबार चलाने में क्षमता को प्रोत्साहन

III.5.1 प्राधिकरण ने बीमा कारोबार चलाने में दक्षता को बढ़ाने के लिए कई नए प्रयास किए।

III.5.2 चोरी हुए और बाद में खोज लिए गए वाहनों के बीमाकर्ताओं की पहचान के लिए पुलिस की सहायता के लिए प्राधिकरण ने “चोरी हुए वाहनों की वसूली सूचना प्रणाली” नामक एक नई प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा एस एम एस आधारित वाहन बीमा स्थिति सूचना प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है और सॉफ्टवेयर जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा कारोबार के साथ जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित और विनियमित करना।

III.6.1 बीमा उद्योग के सुचारु विकास के लिए जीवन बीमा परिषद तथा साधारण बीमा परिषद् से, उद्योग के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, उद्योग को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में काफी मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदत्त ब्रोकरों का, आवश्यकतः भारतीय बीमा ब्रोकर एसोसिएशन (आई बी ए आई) का सदस्य बनना जरूरी है।

III.6.2 बीमा कंपनियों के सुचारु कार्यचालन तथा पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने विश्वसनीय समय बद्ध और सही आँकड़ों की जरूरत को पहचानना है। विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए उपलब्ध आँकड़ों को प्रोसेस करने तथा उन्हें प्रसारित करने के लिए प्राधिकरण ने, 15 अक्टूबर 2009 को एक परामर्श बोर्ड के रूप में बीमा – सूचना- ब्यूरो का गठन किया।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए शुल्क (फीस) तथा अन्य तरह के प्रशुल्क लगाना

III.7.1 बीमा अधिनियम के परिच्छेद 3 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार बीमाकर्ताओं तथा बीमा कारोबार से जुड़े अन्य मध्यस्थों से, प्राधिकरण, पंजीकरण और नवीकरण शुल्क लेता है। तथापि 50,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय वसूल किया जाता है और उसके बाद नहीं लिया जाता। बीमा कंपनियों के लिए भारत में हुए सकल प्रत्यक्ष कारोबार के प्रतिशत के दसवें हिस्से अथवा 50,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो पंजीकरण के नवीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है। यह राशि 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, यह शुल्क, पुनर्बीमाकर्ता द्वारा भारत में किए गए वैकल्पिक कारोबार के आधार पर प्रभारित किया जाता है। ऐसा बीमा सलाहकार परिषद के अनुमोदन के उपरांत फरवरी 2003 में जारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 20 के परिणामस्वरूप किया गया है। फरवरी 2003 में संशोधन के पश्चात इन शुल्कों में कोई संशोधन नहीं किया गया।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों तथा बीमा कारोबार से जुड़ी अन्य संस्थाओं से जानकारी मंगाना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच तथा इन्क्वायरी करना तथा साथ ही उनकी लेखा-परीक्षा करना।

III.8.1 इस क्षेत्र के खुलने के बाद बीमा कंपनियों के परिचालन का यह ग्यारहवाँ वर्ष था। वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्राधिकरण ने व्यापक स्थलीय-निरीक्षण प्रारंभ किए। वर्ष 2010-11 के दौरान 9 जीवन और 10 गैर जीवन बीमा कंपनियों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 14 मध्यस्थों/ब्रोकरों/कॉरपोरेट एजेंटों का निरीक्षण किया गया तथा 5 टी पी ए की गईं। प्राधिकरण ने प्रारक्षित निधियों की पर्याप्तता, निवेश परिचालनों जैसे विशिष्ट प्रयोजनों हेतु भी निरीक्षण किए। जैसा कि गत रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धिशील पर्यवेक्षकीय संसाधनों से निरीक्षण विभाग को मजबूत बनाया गया है, जिससे निरीक्षणों की संख्या बढ़ी है और इससे उन कंपनियों का भी निरीक्षण संभव हो पाया है जिनका निरीक्षण पहले नहीं किया गया था और साथ ही उन कंपनियों की भी जो पूँजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन गवर्नेंस तथा प्रीमियम आकार के हिसाब से कमजोर मानी जाती है।

III.9 उप साधारण बीमा कारोबार के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली दरें, लाभ, नियम और शर्तें जो बीमा अधिनियम 1938 (4/1938) के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित व विनियमित नहीं है

III.9.1 मोटर तृतीय पक्षकार कवर को छोड़ कर प्रशुल्क कारोबार की सभी श्रेणियों के लिए 1 जनवरी, 2007 से गैर-जीवन उद्योग के लिए प्रशुल्क हटाने के साथ ही, उत्पादों के मूल्यनिर्धारण से बीमा कंपनियों की स्वतंत्रता का रास्ता खुल गया। मोटर तृतीय पक्षकार कवर के लिए जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित एक सांविधिक बीमा कवर है, प्राधिकरण ने दरें तथा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति अपने पास रखी है।

III.9.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि तृतीय पक्षकार मोटर बीमा, जिसे 'केवल देयता कवर' भी कहा जाता है, मुख्यतः वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। प्राधिकरण ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक 'भारतीय मोटर तृतीय पक्षकार बीमा पूल' का गठन किया है। इस मोटर पूल की स्थापना से मोटर तृतीय पक्षकार जोखिमों के लेखन और प्रबंधन में सभी बीमाकर्ताओं का सहभागीत्व सुनिश्चित हुआ है। पूल का प्रबंधन साधारण बीमा निगम द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर किया जाता है। तृतीय पक्षकार मोटर बीमा कवर के लिए संशोधित दरें प्राधिकरण ने 15 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित की और नई दरें 21 अप्रैल, 2011 से प्रभावी हो चुकी हैं।

III.9.3 अतः मोटर तृतीय पक्ष जोखिमों को छोड़ कर, 1 जनवरी, 2007 को या उसके बाद से प्रभावी, अन्य नए बीमों तथा नवीकरणों के मामले में संबंधित बीमाकर्ता, प्राधिकरण के पास फाइल की गई दर अनुसूचियों तथा दरों से संबंधित दिशानिर्देशों के असुनार, प्रीमियम की दरें कोट करने के लिए स्वतंत्र है। 28 सितंबर, 2006 के परिपत्र सं. 021/आईआरडीए/एफएंडयू/सिं.06 के पैराग्राफ 19(वि) के अंतर्गत आने वाले बड़े जोखिमों के रूप में पात्र, जोखिमों को, उन्ही दरों और शर्तों पर बीमित किया जाना है जैसा कि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इसमें कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए।

III.9.4 इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2009 से, प्राधिकरण ने, अग्नि, इंजीनियरिंग, औद्योगिक सभी जोखिम (आइएआर) तथा मोटर (स्वयंक्षति) में कारोबार की पूर्ववर्ती प्रशुल्क श्रेणियों के, कवरेज की शर्तों में, छूट की अनुमति दी है। उपर्युक्त छूट के कारण, प्राधिकरण को नई कवर्स के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जो कि कवरेज को बढ़ाने के लिए उपर्युक्त कारोबार श्रेणियों में 'एड ऑन कवर्स' के रूप में हैं। बीमाकर्ताओं को, मानक कवर्स के स्कोप को पूर्ववर्ती प्रशुल्कों में विनिर्धारित विकल्पों से परे, पूर्ववर्ती प्रशुल्कों के अंतर्गत उपलब्ध मानक कवर्स से, संक्षिप्त करने की अनुमति नहीं है। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में बीमे

की विभिन्न श्रेणियों में, प्राधिकरण द्वारा लगभग 250 'एड-ऑन-कवर्स' अनुमोदित किए गए।

III.10 बीमाकर्ताओं तथा अन्य द्वारा, लेखा पुस्तकें कैसे रखी जाएँ और लेखा विवरण कैसे प्रस्तुत किए जाएँ, उसका स्वरूप तथा रीति निर्धारित करना

III.10.1 प्राधिकरण पारदर्शिता तथा प्रकटनों में सुधार लाने के लिए काफी उपाय अधिदेशित किए हैं। इन निर्धारणों में वे निर्धारण भी शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटनों तथा जन-क्षेत्रों (पब्लिक डोमेन) से संबंधित है। जनक्षेत्रों में वे प्रकटन भी शामिल हैं जो बीमा कंपनियों की संबंधित वेबसाइटों तथा आवधिक आधार पर समाचार पत्रों में दिए जाते हैं।

III.10.2 2009-10 से सभी बीमाकर्ताओं को तिमाही और वार्षिक आधार पर प्रकटों की स्थिति का अनुपालन करना आवश्यक है। अनुपालनों की पृष्ठ पर आधारित प्रमाणन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया कि वे संबंधित तिमाही की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर, अनुपालन प्रमाण-पत्र फाईल करें।

III.10.3 पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए तथा वित्तीय विवरणों में प्रकट संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने, बीमाकर्ताओं को अधिदेशित करते हुए परिपत्र जारी किया है कि वे पॉलिसी धारकों से संबंधित 'अ-दावित राशियों' को बट्टे खाते में न डालें तथा प्रकटन हेतु, अनुसूची 13 के अंतर्गत एक अलग 'लाइन आइटम' का भी प्रावधान किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त इनका 'अवधि-वार-ब्रेक-अप' वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में दी जाने वाली टिप्पणियों में भी दिया जाना अपेक्षित है।

III.10.4 बीमा नियमावली, 1939 के नियम 17ई में गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में, प्रबंधन के अनुमत खर्चों की गणना की रीति, निर्धारित की गई है। इन खर्चों के विवरण, प्राधिकरण को रिपोर्ट किए जाने आवश्यक है। रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने अनुमत खर्चों की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्दों को पारिभाषित किया है और वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग के लिए फार्मेट भी विनिर्दिष्ट किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि जीवन बीमा कंपनियों के लिए, इस तरह का रिपोर्टिंग फार्मेट पहले से ही बना हुआ है।

III.10.5 सरकारी क्षेत्र के उद्यम सभी गैर-जीवन-बीमाकर्ताओं ने, वर्ष 2010-11 हेतु, वेतन संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी, ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी है। उद्योग से प्राप्त अभ्यवेदन के आधार पर प्राधिकरण ने, बीमाकर्ताओं को, ग्रेच्यूटी के कारण बढ़ी

वेदयता को पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते, कि इस आशय का समुचित प्रकटन, लेखों की टिप्पणियों में किया जाता है।

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) पर प्रकटन

III.10.6 बीमा क्षेत्र हेतु निगमित शासन (नि.शा.) पर दिशा निर्देश, वर्ष 2009-10 से बीमा क्षेत्र के लिए लागू कर दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड की विभिन्न समितियों के गठन उनकी संरचना तथा उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों संबंधी अधिदेश दिए गए हैं। नि.शा. दिशानिर्देशों में यह भी सिफारिश की गई है कि बीमाकर्ता अपने कार्यालयों में 'व्हिसल ब्लोइंग' नीति भी स्थापित करे। निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, अतिरिक्त प्रकटन भी विनिर्धारित किए गए हैं। प्रकटन अपेक्षाओं को संक्षेप में, नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- वित्तीय वर्ष में, दिशा निर्देशों में, अधिदेशित, निदेशक-मंडल और समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या;
- निदेशक मंडलों और समितियों की संरचना का विवरण जिसमें नाम, योग्यता, विशेषज्ञता क्षेत्र, निदेशत्व के दर्जे इत्यादि का विवरण हो;
- निदेशकों तथा संबंधित समितियों के सदस्यों ने जितनी बैठकों में भाग लिया उनकी संख्या;
- स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो तो, विवरण सहित।

III.10.7 निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निगरानी रखने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने, 2010-11 से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, बीमाकर्ताओं द्वारा अनुपालन जाँच सूची फाईल करने की प्रथा शुरू की है।

मध्यस्तों को भुगतान का प्रकटन

III.10.8 परिच्छेद 31बी (1) के अंतर्गत बनाए गए बीमा कानून में, प्राधिकरण को, कमीशन अथवा अन्य विधि द्वारा, किसी व्यक्ति को, अत्यधिक पारिश्रमिक देने पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की है। इस पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 2 जून, 2010 के परिपत्र संदर्भ आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/डाटा/091/06/2010 के अंतर्गत, सभी बीमाकर्ता कंपनियों को सूचित किया है कि वे मध्यवर्तियों को किए गए भुगतानों का विवरण, वार्षिक आधार पर प्रेषित करें, बैंक एश्योरेंस चैनल के अंतर्गत इसी प्रकार के विवरण अर्द्ध वार्षिक आधार पर मंगवाए जाते हैं। इस प्रकार से प्राप्त विवरण, भुगतानों की अधिकतम सीमा संबंधी विभिन्न शर्तों की अनुपालन जांच के अधीन होते हैं। इन सत्यापनों में सामने आए गैर-अनुपालन, उपर्युक्त कार्रवाई के लिए, जांच के अधीन होते हैं।

इक्रिटी धारित प्रकटन

III.10.9 बीमाकर्ताओं के बीमा कंपनी तथा प्रोमोटर्स की इक्रिटी धारिता पर निर्मित भार, गिरवी, प्रभार अथवा निर्मित अन्य किसी चार्ज की जानकारी प्रेषित करनी आवश्यक होती है। ये प्रकटन, तिमाही आधार पर प्राधिकरण के पास फाइल किए जाने अपेक्षित होते हैं।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों में किए जाने वाले निवेश के संबंध में विनियमन

III.11.1 प्राधिकरण ने गत वर्ष 2009-10 में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमावली के अंतर्गत, बीमा कंपनियों द्वारा निधियों में निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए वर्ष 2010-11 में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

III.12 'शोधक्षमता मार्जिन' के रख रखाव का विनियमन

III.12.1 बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64 वी ए के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता को एक अपेक्षित, शोधक्षम मार्जिन बनाए रखना होता है। प्राधिकरण समय-समय पर, विभिन्न कारोबार क्षेत्र के लिए, "शोधक्षम मार्जिन अपेक्षाओं की समीक्षा करता है, तथा जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ इनमें परिवर्तन करता है। प्राधिकरण ने टर्म उत्पादों के लिए ऋणशोधन क्षमता रखने की आवश्यकता के विचार पर ध्यान दे रही है। ताकि बीमाप्रदाता नये लिंकड व्यवसाय के क्षेत्र में ऋणशोधन क्षमता की आवश्यकता पर विचार किया है और इस संबंध में कुछ कारक सुजाये है जो 31 दिसंबर 2008 से प्रभावी हो गये हैं। इसके साथ ही, जीवन बीमा प्रदाताओं को निवेश संबंधी स्क्रिपाइज जानकारी देने के साथ ही 31 मार्च 2009 तक की बीमांकिक मूल्यांकन संबंधी विवरण देने होंगे। उसके बाद विनियामन में कोई संशोधन नहीं किया गया।

III.12.2 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के लिए प्राधिकरण ने, 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन (आरएसएम) की गणना' में परिवर्तन किए हैं जो कि अधिकतम पचास करोड़ होगा (पुनर्बीमामाकर्ता के लिए एक सौ करोड़ रुपए) अथवा आगणित आर एस एम-1 और आर एस एम-2 में जो भी अधिक हो। आर एस एम-1 निवल प्रीमियमों पर आधारित 'अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन' है जिसका निर्धारण इस प्रकार होता है - सकल प्रीमियमों का बीमा प्रतिशत और एक फैक्टर से गुणा तथा निवल प्रीमियम से जो अधिक राशि हो। आर एस एस-1 की गणना के प्रयोजन से क्रमिक आधार पर, गत 12 माह का प्रीमियम लिया जाएगा। आर एस एस-2, निवल उपचित दावों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षम मार्जिन है जो कि सकल उपचित दावों में से जो भी उच्चतर राशि होगी उसके तीस प्रतिशत से एक फैक्टर से गुणा कर तथा निवल उपचित दावों से निर्धारित की जाएगी।

II.12.3 स्वास्थ्य बीमा कारोबार को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य बीमा कारोबार की अल्पावधि प्रकृति को देखते हुए प्राधिकरण ने, साधारण बीमाकर्ताओं को, अपने स्वास्थ्य बीमा कारोबार हेतु शोधक्षमता की गणना के संबंध में निम्नलिखित छूटें प्रदान की हैं:

- स्वास्थ्य घटक अथवा समाप्त जोखिम हेतु प्रारक्षित निधियों की गणना के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64(1)(2) (बी) की आवश्यकता में तीन वर्षों, अर्थात् 2012-13 तक की छूट प्रदान की गई है। यह छूट शुरु में, 2008-09 में प्रारंभ की गई थी।
- सरकारी प्राप्य राशियों के परिपेक्ष्य में, परिसंपत्तियों की ग्राह्यता के संबंध में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षम मार्जिन) विनियमावली 2000 के विनियम 2(1)(ए) के प्रावधानों में अधिकतम 180 दिन की छूट प्रदान की गई है।

III.12.4 मोटर टी.पी. पूल के संबंध में शोधक्षम मार्जिन के आकलन की रीति में एकरूपता लाने की दृष्टि से प्राधिकरण ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि मोटर टीपी पूल के संबंध में सकल प्रीमियम की परिभाषा यह होगी 'मोटर टी पी पूल से प्राप्त पुनर्बीमा (वापसी) तथा उपचित सकल दावे को पुनः पुनर्बीमा के उपचित दावे के रूप में माना/लिया जाएगा'।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन

III.13.1 बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2002 के विनियम 4(2) के अनुसार, बीमा ब्रोकर के रूप में कार्य संलग्न होने के समय या अन्य प्रकार से किसी बीमा ब्रोकर तथा बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके बारे में प्रभावित व्यक्ति, प्राधिकरण को शिकायत करें, और शिकायत अथवा अभ्यवेदन मिलने पर प्राधिकरण, शिकायत की जाँच करे और यदि जरूरत समझी जाए तो इन विनियमों के अनुसार इन्क्यायरी, निरीक्षण अथवा जाँच करें।

III.13.2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 के परिच्छेद 14 (एम) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं और बीमा ब्रोकारों के बीच हुए निम्नलिखित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन कार्रवाई शुरु की :

पी.आरएमएएन रिइन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. बनाम द ओरियेंटल इन्श्योरेंस कं.लि.

पुनर्बीमाकर्ता मैसर्स कोन्टेगो अंडरराइटिंग (जिन्हे पहले मेफलावर इंजीनियरिंग कन्सोर्टियम कहा जाता था) लंदन, तथा मैसर्स टी एस एम

एजेंसीज लंदन से भारी वसूली के एक दावे के संबंध में, द ओरियेंटल इन्श्योरेंस कं.लि. से एक शिकायत प्राप्त हुई। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की सुनवाई 5 मार्च, 2010 को रखी। सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ पेश कर दी गईं मामले की जाँच जारी है।

मेगाटॉप इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. बनाम कृषि बीमा कं.लि.

(एमआईबीएल) के खिलाफ भारतीय कृषि बीमा कं.लि. के 'अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक' से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में एम आइ बी एल ने, विभिन्न प्रकार की गंभीर अनियमितताएँ की हैं। प्राधिकरण ने एम आइ बी एल का लाइसेंस निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ इन्क्यायरी शुरु कर दी जिसकर जाँच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट की एक-एक प्रति उत्तरों की जाँच की जा रही है।

की इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. बनाम द ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी प्रा.लि.

की इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि. के खिलाफ द ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी प्रा.लि. से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मैसर्स वैभव पैकेंजिंग की स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए लगभग 4 लाख रुपए की धोखा धड़ी के दावे में ब्रोकर की मिलीभगत होने का आरोप लगाया था। यह पॉलिसी ब्रोकर द्वारा ओ आइ सी एल, शाखा कार्यालय गाज़ियाबाद से दिलवाई गई थी। प्राधिकरण ने बीमाकर्ता से प्राप्त शिकायत की जाँच की। जाँच रिपोर्ट और ब्रोकर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ने एक 'कारण बताओं' नोटिस जारी किया तथा ब्रोकर को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति प्रदान की। अभी मामले की जाँच जारी है।

III.14 प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी) के कार्यों का पर्यवेक्षण

III.14.1 1 जनवरी, 2007 से साधारण बीमा कारोबार का अ-प्रशुल्कन (डी-टैरिफिंग) होने के बाद, गैर-जीवन-बीमा क्षेत्र में दरों, शर्तों आदि को नियंत्रित करने की प्रशुल्क सलाहकार समिति की, विनियामक और प्रशासनिक भूमिका अब विद्यमान नहीं रही। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि स्टाफ के पुनर्परिनियोजन (रिडिप्लॉयमेंट) के बारे में केन्द्र सरकार तथा प्राधिकरण शीघ्र और स्पष्ट कोई निर्णय ले। अतः केन्द्र सरकार ने टी ए सी के वर्तमान कर्मचारियों, उनकी और सेवा निवृत्त कर्मचारियों की देयताओं और अधिशेष को साधारण बीमा कंपनियों में बाँटने, तथा अन्य कोई कार्य बचा हो तो, उसे करने के लिए, एक समिति का गठन किया। केन्द्र सरकार के आदेश में, शेष बचे कार्यों तथा प्रशुल्क सलाहकार समिति के न्यायलाय प्रकरणों का कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंपा गया।

III.14.2 बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 64यू बी (5) के अनुसार प्रशुल्क सलाहकार समिति बीमा विनियामक विकास और प्राधिकरण के अध्यक्ष के सीधे प्रभार में है। बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 64यू एच (1) के अनुसार, प्रशुल्क सलाहकार समिति के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को वे बदल सकते हैं। अतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 14(2), बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64 यूबी(5) तथा 64 यूएच(1) तथा केन्द्र सरकार के 10 फरवरी, 2011 के आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने, प्रशुल्क सलाहकार समिति के सभी वर्तमान कर्मचारियों के न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि., युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं.लि., नेशनल इन्श्योरेंस कं.लि. ओरिएंटल इन्श्योरेंस कं.लि., साधारण बीमा निगम लि. तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अवशोषण (एब्जॉर्प्शन) आधार पर पुनर्परिनियोजन (रीडिप्लॉयमेंट) के आदेश जारी कर दिए। प्रशुल्क सलाहकार समिति के अधिकारियों और स्टाफ के विभिन्न संस्थाओं में आबंटन पर सैद्धांतिक रूप से निर्णय हो चुका है।

III.15 खंड (6) में संदर्भित व्यावसायिक संगठनों को प्रोत्साहित और विनियमित करने की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना

III.15.1 प्राधिकरण ने खंड (6) में संदर्भित व्यावसायिक संगठनों को प्रोत्साहित और विनियमित करने की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय का कोई प्रतिशत विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

III.16 बीमाकर्ताओं द्वारा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में चलाए जाने वाले जीवन बीमा कारोबार तथा साधारण बीमा कारोबार का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना

III.16.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ) विनियम 2002 में निर्धारित की गई बाध्यताएँ, बीमाकर्ताओं द्वारा, अपने परिचालन के प्रथम पाँच वर्षों में अनुपालित की जाने वाली आवश्यकताओं को परिनिर्धारित करती है। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए ये बाध्यताएँ, इन क्षेत्रों में, वर्ष 2001-02 के इनके कार्य निष्पादन से जोड़ी गई है। संशोधनों के पश्चात्, जो कि 2007-08 में अधिसूचित किए गए, प्राइवेट बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ, उनके परिचालनों के, 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ सरकारी, क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं पर भी पुनर्विचार किया गया। प्राइवेट बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ इस प्रकार है :

III.16.2 ग्रामीण क्षेत्र

- जीवन बीमाकर्ता के संबंध में: प्रथम वित्तीय वर्ष में, कुल सीधी लिखी पॉलिसियों के साथ सात प्रतिशत से प्रारंभ करके इसके दसवें वित्तीय वर्ष में 20 प्रतिशत।

- गैर जीवन बीमाकर्ता के संबंध में : प्रथम वित्तीय वर्ष में कुल सीधी लिखी सकल प्रीमियम आय के 2 प्रतिशत से प्रारंभ करके, नौवें वित्तीय वर्ष से आगे सात प्रतिशत।

III.16.3 सामाजिक क्षेत्र

बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रथम वित्तीय वर्ष में पाँच हजार जीवनो से प्रारंभ करके दसवें वित्तीय वर्ष में 55 हजार जीवन, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के प्रारंभ की तारीख से, सभी वर्तमान बीमाकर्ताओं के लिए (गैर जीवन बीमाकर्ताओं तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए) विनियमों में यह प्रावधान किया गया कि ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किए जाने वाले बीमा कारोबार की मात्रा उससे कम नहीं होगी, जो कि उन्होंने 31 मार्च, 2002 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए दर्ज की थी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित, संशोधित विनियमों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति इन बीमाकर्ताओं की बाध्यताएँ निम्नानुसार हैं:

III.16.4 भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आइ सी)

(क) ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताएँ:

- वित्तीय वर्ष 2007-08 : 24 प्रतिशत और
 - वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 : 25 प्रतिशत
- उस वर्ष में सीधी लिखित कुल पॉलिसियों।

2009-10 के लिए लागू बाध्यताएँ, उसके बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए भी लागू रहेंगी।

(ख) सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएँ

वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि में 20 लाख जीवन बीमे किए जाने चाहिए।

वर्ष 2009-10 के लिए बाध्यताएँ, बाद के सभी वित्तीयवर्षों के लिए लागू होंगी।

III.16.5 गैर-जीवन बीमाकर्ता:

क) ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताएँ

- वित्तीय वर्ष 2007-08: 6 प्रतिशत
- वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2009-10 : 7 प्रतिशत

वर्ष में सीधी लिखी कुल सकल प्रीमियम आय का।

2009-10 के लिए लागू बाध्यताएँ, उसके बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए भी लागू रहेंगी।

ख) सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएँ

वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए:

- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2004-05 में सामाजिक क्षेत्र में संबंधित बीमाकर्ता द्वारा किए गए जीवन बीमों की संख्या का औसत।
- 5.50 लाख जीवन, इनमें से जो भी अधिक हो।

बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं में, वित्तीय वर्ष 2007-08 में वास्तव में बीमित किए गए व्यक्तियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 में से प्रत्येक में, 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है ।

2009-10 के लिए लागू बाधताएँ, बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए भी लागू रहेंगी ।

III 16.6 इसके अतिरिक्त सूक्ष्म बीमे को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीणी और सामाजिक क्षेत्रों की बाध्यताओं को पुरा करने के लिए, कमप्याईस के तरीके को, सूक्ष्म बीमा विनियमों से जोड़ा गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को अपने परिचालन स्थापित करने का समय देने के लिए विनियमों से संशोधन किए गए हैं ताकि वे ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के

प्रति अपनी बाध्यताओं का अनुपालन कर सके। यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बीमा कंपनी ने, वित्तीय वर्ष की दूसरी छ:माही में परिचालन प्रारंभ किए हैं और वह संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को 6 से भी कम महीनों से कार्यपरिचालन है तो:

- उक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएँ लागू नहीं होंगी, और
- विनियमों में इंगित वार्षिक बाध्यताएँ आगामी वित्तीय वर्ष से शुरू मानी जाएँगी, जिसे कि अनुपालन के प्रयोजन से, प्रथम परिचालन वर्ष माना जाएगा ।

यदि किसी बीमा कंपनी ने, अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में शुरू किया है तो प्रथम वर्ष के लिए लागू बाध्यताएँ, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं का 50 प्रतिशत होगी ।

III.17 निर्धारित की जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग

III.17.1 केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकरण को कोई शक्ति प्रदान नहीं की और परिणामतः प्राधिकरण ने किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया ।

भाग-IV संगठनात्मक मामले

IV.1 संगठन

IV.1.1 वर्ष के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण श्री जे. हरिनारायण की अध्यक्षता और मार्गनिर्देशन में सफलता की ऊँचाईयों को छूता रहा। श्री के.के. श्रीनिवासन सदस्य (गैर जीवन), 4 सितंबर 2010 को अपनी सेवा अवधि पूरी कर सेवा निवृत्त हुए। श्री एम रामप्रसाद, 11 अक्टूबर 2010 को सदस्य (गैर जीवन) के रूप में प्राधिकरण में शामिल हुए। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में आने से पूर्व श्री एम रामप्रसाद भारतीय साधारण बीमा निगम में महा प्रबंधक थे। डॉ. आर कण्णन, श्री जी प्रभाकर तथा श्री आर के नायर वर्ष के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य बने रहे।

IV.1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के प्रधान श्री जी रामा स्वामी 6 फरवरी 2011 से अंशकालिक सदस्य है। बेसिक्स ग्रुप के अध्यक्ष श्री विजय महाजन के स्थान पर मैनेजमेंट डिवेलपमेंट इन्स्टीट्यूट गुडगांव के निर्देशक प्रो.वी.के. गुप्ता को अंशकालिक सदस्य नामित किया गया। "सेवा" (सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोडिएशन) की संस्थापक श्रीमती इला आर भट्ट तथा वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव श्रीमती एल एम वास, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अंशकालिक सदस्य बनी रही।

IV.1.3 श्री अमरजीत चोपड़ा 11 फरवरी 2010 से 5 फरवरी 2011 तक अंशकालिक सदस्य रहे। बेसिक्स ग्रुप के अध्यक्ष श्री विजय महाजन 7 अक्टूबर, 2005 से 6 अक्टूबर, 2010 तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य रहे।

IV.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.2.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्राधिकरण की 5 बैठकें आयोजित की गईं। समीक्षमाधीन वर्ष के दौरान बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा परामर्श समिति (आई ए सी) की भी दो बैठकें आयोजित की।

IV.3 मानव संसाधन

IV.3.1 प्राधिकरण समय समय पर उपलब्ध क्षमता तथा अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की भी नियमित रूप से समीक्षा करता है। इस प्रक्रिया में प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 के दौरान चार सहायक निर्देशकों की भरती की है, तथा सहायक निर्देशक, उपनिर्देशक, संयुक्त निर्देशक तथा वरिष्ठ संयुक्त निर्देशक के विभिन्न स्तरों में भरती अभियान अधिसूचित किया है।

IV.3.2 प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से 2002 में हैदराबाद में बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (आई आई आर एम) की स्थापना की। आई आई आर एम के कार्यों का संवीक्षण निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसकी प्रधानता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

IV.4 राजभाषा को प्रोत्साहन

IV.4.1 राजभाषा के सांवैधानिक, प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने। तथा मुख्यालय और साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अलग से एक राजभाषा कार्यान्वयन विभाग की स्थापना की गई है जो समुचित रूप से कार्य कर रहा है। कार्यालय के काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2010-11 के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मर्दों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की आवधिक समीक्षा की गई। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक मासिक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें हिन्दी का विभाग भी होता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएँ द्विभाषिक रूप में होती हैं।

IV.5 अनुसंधान और विकास

IV.5.1 2008 में हैंडबुक ऑन इंडियन इन्शुरेंस के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, अनुसंधान और विकास विभाग ने, उद्योग के विभिन्न स्टेक होल्डर्स की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकाशन में और व्यापक विस्तार करना जारी रखा। इस हैंड बुक का तीसरा संस्करण फरवरी 2011 में प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नवीन "समय श्रृंखला आँकड़ा सैटो" को समाहित किया गया। बीमा धारक के विभिन्न कार्यालयों और कारोबार संबंधी राज्यवार जीवन बीमा संबंधी आँकड़ों, व्यक्तियों और निगम एजेंटों संबंधी आँकड़ों, तथा चैनल वार नए कारोबार से संबंधी जानकारी शामिल करके इसके कवरेज को और अधिक व्यापक बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रबंधों के अंतर्गत परिसंपत्तियों संबंधित आँकड़े और शिकायतों के निवारण संबंधित स्थिति, जीवन और गैर जीवन-दो घटकों के लिए इसमें शामिल की गईं। इसके अतिरिक्त इस हैंड बुक में आँकड़ा श्रृंखलाओं में वृद्धि की गई और विशिष्टीकृत संस्थाओं जैसे साधारण बीमा निगम, कृषि बीमा कंपनी, निर्यात ऋण गारंटी निगम तथा स्वास्थ्य बीमा कर्ताओं का वित्तीय कार्य निष्पादन भी शामिल किया गया है। विभाग इस हैंड बुक के चौथे संस्करण में जो कि जनवरी 2012 में जारी किए जाने की आशा है, कवरेज तथा विषय वस्तु में और सुधार लाने में निरंतर प्रयत्न कर रहा है। यह विभाग प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट के संकलन के लिए नोडल बिंदु की भूमिका निभाता आ रहा है।

IV.5.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने विभिन्न नवोन्मेषों के एक अंश के रूप में, एक संचालन समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य, उन महत्वपूर्ण सेक्टरों की पहचान करना है जिनके संबंध में विभिन्न सेक्टर-विशिष्ट सांख्यिकीय संकेतकों पर मैनुअल तैयार किए जा सकें। उक्त संचालन समिति ने इस प्रयोजन हेतु 'बीमा' की

पहचान एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है। इस पृष्ठ भूमि में, प्राधिकरण ने "बीमा सांख्यिकी मैनुअल" संकलित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा शिक्षा जगत और बीमा कंपनियों से लिए गए विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल हैं। "बीमा सांख्यिकी मैनुअल में बीमा और अन्य संबंधित विषयों पर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई सांख्यिकी से संबंधित सभी पहलू शामिल होंगे। मैनुअल तैयार करने की रीति पर विचार करने के लिए मार्च 2011 में समिति की पहली बैठक आयोजित की गई।

IV.5.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी परामर्श समिति ने बीमा क्षेत्र के संबंध में, भारत में सेवा उत्पादन सूचकांक (आई.एस.पी.) के संकलन के लिए एक उपसमिति गठित करने की सिफारिश की थी। प्राधिकरण ने इसके संकलन हेतु प्रविधि विकसित करने के लिए पहल की है, जिससे उपसमिति को वांछित सूचकांक तैयार करने में सुगमता होगी। समिति से अपेक्षा है कि वह संभावित आँकड़ा स्रोतों की पहचान और जाँच करेगी और सेवा उत्पादन सूचकांक के संकलन हेतु, आँकड़ों की नियमित उपलब्धता के लिए इन मुद्दों से जुड़ाव रखेगी, उपसमिति सूचकांक के व्यापन, आधार वर्ष के चयन, भारिता मानदंड परिवर्तन कारकों की पहचान, अवस्फीति कारकों आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों की भी जाँच करेगी। अनुसंधान और विकास विभाग, बीमा क्षेत्र के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक के संकलन के क्षेत्र में, वर्तमान आम प्रथाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की भी जाँच कर रहा है जो कि भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए सूचकांक तैयार करने के लिए एक आधार का काम करेगा।

IV.5.4 अनुसंधान और विकास विभाग ने विभिन्न सम्मेलनों/सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया और बीमा से संबंधित विषयों पर पेपर्स प्रस्तुत किए। विभाग ने प्राधिकरण के विभिन्न विभागों को सांख्यिकीय सहायता भी प्रदान की और बैंक एश्योरेंस मॉडल तथा "अर्लीवार्निंग सिस्टम" जैसे विभिन्न अध्ययनों में भी सहभागिता की।

IV.6 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

IV.6.1 एक प्रभावी अनुप्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की दृष्टि से, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन तथा परिचालन विभागों को समुचित विश्लेषणात्मक/रिपोर्टिंग उपकरणों से सुगम बनाना, प्राधिकरण का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। इस प्रकार के कार्यान्वयन से, प्राधिकरण के अधिकारी अपना श्रेष्ठ समय आँकड़ों के विश्लेषण में लगाने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त उत्पाद तुलनाक एवं एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली जैसे ग्राहक केंद्रित उपकरणों से पॉलिसी धारकों/भावी पॉलिसी धारकों को, सही बीमा उत्पाद चुनने एवं अपनी शिकायतों

को केन्द्रीकृत प्रणाली में दर्ज करवाने में काफी मदद मिलेगी। उपर्युक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कई नई पहल की है। इन नव प्रयासों की स्थिति निम्नलिखित है :

कारोबार विश्लेषण समाधान (बी.ए.एस)

IV.6.2 "स्वचालन और कारोबार विश्लेषण के द्वारा बेहतर विनियामक और पर्यवेक्षण के लिए "प्राधिकरण ने कारोबार विश्लेषण प्रणाली को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रस्तावित प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय स्टेटमेंटों, निवेश अनुसूचियों बीमांकक रिपोर्टों, पुनर्बीमा रिपोर्टों के रूप में, बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त आँकड़ों और सूचनाओं का सक्षम प्रबंधन।
- बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों स्टेटमेंटों तथा रिपोर्टों हेतु एक समान तथा मानक फार्मेट्स डिजाइन करना और विकसित करना।
- बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों द्वारा विवरणियाँ, स्टेटमेंटें तथा रिपोर्टें ऑन-लाइन भरने की प्रणाली आरंभ करना।
- मासिक, तिमाही तथा वार्षिक (जिसमें अन्य आवधिकता भी शामिल है) कारोबार विश्लेषण रिपोर्टें तैयार करने तथा उनके प्रकाशन में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की क्षमताओं में वृद्धि करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं
 - सूचना का स्वचालित बिकाल
 - सहकार्य (कोलेबोरेशन)
 - विषय वस्तु प्रबंधन
- निम्नांकित के लिए कारोबार विश्लेषण प्रणाली (बी ए एस) का डिजाइन तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना
 - प्रभावी पर्यवेक्षण तथा विनियमन, अनुपालन सहित
 - बीमा उद्योग में अनुप्रवर्तन (मॉनिटरिंग) प्रवृत्तियाँ
 - बीमा कर्ताओं के कार्य का जोखिम आधारित आकलन
 - पूर्व चेतावनी सिग्नल प्रदान करना
 - सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना
 - स्थलीय निरीक्षण का आरंभ
 - पुराने आँकड़ों, सूचनाओं एवं दस्तावेजों को पुरालेख संग्रह में रखने की प्रणाली स्थापित करना।

आवश्यकताओं के एकत्रण, अंतर विश्लेषण "टू-बी" रिपोर्ट तैयार करने कार्य आवश्यकता-विनिर्देश-दस्तावेज/(एफ आर एस)/प्रस्ताव-हेतु अनुरोध (आर एफ पी) तैयार करने, अंतिम रूप प्रदान करने तथा

विविदाकरण इत्यादि से संबंधित परियोजना के चरण-1 की गतिविधियाँ वर्ष 2009-10 के दौरान संपन्न की गई तथा कारोबार विश्लेषण प्रणाली के लिए कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चरण-2 के कार्य अर्थात् कारोबार विश्लेषण समाधान (बी ए एस) के डिजाइन और कार्यान्वयन का कार्य, चयनित कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के साथ प्रारंभ कर दिया गया है।

उपक्रम संसाधन आयोजन (ई आर पी) प्रणाली का कार्यान्वयन

IV.6.3 वर्ष 2009-10 में प्राधिकरण ने विचार किया था कि एक मजबूत ई आर पी सॉफ्टवेयर के जरिए, प्रशासन विभाग के कार्यों को स्वचालित किया जाए। समुचित निविदाकरण प्रणाली का अनुपालन कर, कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। चयनित कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी के साथ औपचारिक करार किया गया और डिजाइन/विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। अब प्राधिकरण, इस प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आई जी एम एस)

IV.6.4 आई जी एम एस एक ऐसा सर्वसमावेशी समाधान है जो न केवल पॉलिसी धारकों को एक केन्द्रीकृत और ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने में समर्थ है बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले शिकायत निपटान पर निगरानी रखने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को भी पूर्ण पहुँच और नियंत्रण प्रदान करता है। आई जी एम एस, परिचालन विभाग को भी विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जिससे इसे पॉलिसी धारक के चिंता के विषयों के आधार पर विभिन्न शिकायत प्रकारों को वर्गीकृत करने की भी क्षमता है। यह प्रणाली, अनन्य शिकायत पहचान संख्या बनाने, स्टोर करने तथा उसकी ट्रैकिंग में भी मदद करती है तथा कार्यगति के अंदर ही विभिन्न जोखिम धारकों (स्टेकहोल्डर्स) को आवश्यकतानुसार जानकारी प्रदान करती है। यह प्रणाली लक्ष्य टर्नएराउंड टाइम्स (टी ए टी) को पारिभाषित करने और सभी शिकायतों के वास्तविक टी ए टी को मापने में समर्थता प्रदान करती है। यह प्रणाली निर्धारित टी ए टी के नजदीक आने पर लंबित कार्यों के लिए चेतावनी देती है। इस प्रकार नियम आधारित कार्यगति के माध्यम से, यह प्रणाली स्वचालित रूप से गतिविधियों को सही समय पर परिचालित करवा देती है।

IV.6.5 आई जी एम एस, पॉलिसीधारकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए सभी बीमाकर्ताओं को एक मानक मंच उपलब्ध करवाता है और साथ ही, जोखिमधारकों की, शिकायतों के आँकड़ों के विश्लेषण। तथा जहाँ कहीं जरूरी हो, वहाँ प्रणालीगत बदलाव लाने में मदद करती है। आई जी एम एस का विकासात्मक अभ्यास 2010-11 में पूरा कर लिया गया और 2 जून 2011 से प्रणाली का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया गया।

चुराए गए वाहनों की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) सूचना प्रणाली (एस वी आर आई एस)

IV.6.6 बीमा सूचना ब्यूरो (आई आई बी), वाहनों के मोटर बीमे के लेन-देन स्तरीय आँकड़े, गैर जीवन बीमा-कंपनियों से इकट्ठे करता है। चुराए गए और बाद में ढूँढ लिए गए वाहनों के बीमाकर्ताओं की पहचान में

पुलिस को मदद देने के लिए बीमा सूचना ब्यूरो ने एक कॉलसेंटर सुविधा शुरू की है जिसे "चुराए गए वाहनों की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) सूचना प्रणाली" कहा जाता है।

एस वी आर आई एस की कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

- कोई भी पुलिस स्टेशन, जिसने कोई चोरी हुआ वाहन खोज निकाला है और वह बीमाकर्ता को खोजने की कोशिश कर रहा है वह टॉल फ्री नं. 18004254734 (शॉट कोड 155266) पर फोन करके आई आई बी कॉल सेंटर से संपर्क कर सकता है।
- आई आई बी के आँकड़ों के आधार से वाहन के बीमाकर्ता को ढूँढने के लिए, आई आई बी रिपोर्टिंग अधिकारी से इंजन संख्या, चेसिस संख्या जैसी आधारभूत जानकारी प्राप्त करेगा।
- रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रदान की गई ई-मेल आई डी पर पावती भेजी जाएगी।
- वाहन के विवरण आई आई बी के आँकड़ों के आधार से खोजे जाएंगे। वाहन के विवरण खोज लिए जाने पर बीमाकर्ता को ई-मेल भेजा जाएगा कि वाहन खोज लिया गया है और अमुक पुलिस थाने में पड़ा है। इसे बीमाकर्ता को पुलिस थाने जाने और आगेकी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

IV.6.7 पुलिस थाना भी चुराए गए वाहन के बारे में विवरण ई-मेल द्वारा भेज सकता है जिसकी प्रोसेसिंग भी उपर्युक्त रूप से की जाएगी।

IV.6.8 एस एम एस आधारित वाहन बीमा स्थिति सूचना प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और यह सॉफ्टवेयर शीघ्र ही परिचालन में आ जाएगा।

उत्पादों और दरों की तुलना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

IV.6.9 ग्राहकों/भावी ग्राहकों को एक ऐसा तंत्र प्रदान करने, जिससे कि वे मोबाइलों के जरिए बीमा उत्पादों की विशेषताओं की तुलना करके, ज्ञानाधारित निर्णय ले सकें एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। यह एप्लीकेशन सभी प्रचलित मोबाइल प्लैटफॉर्मों पर कार्य करता है। प्रयोग कर्ता भी ऐसे किसी भी मोबाइल के जरिए, जिस तक इंटरनेट की पहुँच हो, यह सूचना हासिल कर सकते हैं।

IV.6.10 इस एप्लीकेशन से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संग्राहक (रिपोजिटरी) जिसमें उत्पादों के विवरण होते हैं, से तत्काल मोबाइल आधारित पहुँच मिल जाएगी। इसमें प्रयोग कर्ता, प्रीमियम लाभ, दरों आदि की तुलना कर पाएँगे। तीन विकल्पों, अर्थात् कंपनी की दृष्टि से खोज, पॉलिसी के प्रकार की दृष्टि से खोज, तथा "की वर्ड्स" की दृष्टि से खोज द्वारा प्रयोगकर्ता, तुलना करने की दृष्टि से इसी प्रकार के अन्य उत्पादों का चयन कर पाएँगे।

IV.6.11 जैसा कि ऊपर बताया गया है, एप्लीकेशन के लॉन्च स्क्रीन पर तीन विकल्प होंगे। कंपनी के आधार पर खोज में ऐसी कंपनियाँ सूचीकृत होंगी जो संबंधित उत्पाद बनाती है, जिनमें से प्रयोगकर्ता मनपसंद

कंपनी चुन कर उसके उत्पाद देख सकता है। उपलब्ध उत्पाद प्रदर्शित हो जाएँगे और प्रयोगकर्ता के पास तुलना के लिए तीन उत्पाद प्रदर्शित हो जाएँगे और प्रयोगकर्ता के पास तुलना के लिए तीन उत्पादों के चयन का विकल्प रहेगा। इसके बाद चयनित उत्पादों के विवरण प्रदर्शित हो जाएँगे। 'पॉलिसी के प्रकार के आधार पर खोज' विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों को सूचीकृत करेगी, जिसमें से प्रयोगकर्ता, अपनी आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी का चयन कर सकेगा और प्रणाली में उत्पाद प्रदर्शित हो जाएँगे। प्रयोगकर्ता, तुलना के लिए तीन उत्पादों का चयन कर सकेगा। प्रणाली चयनित उत्पादों के तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित करेगी। 'की वर्ड के आधार पर खोज' के माध्य से प्रयोगकर्ता की वर्ड एंटर करके पॉलिसी प्रकार अथवा कंपनी प्रकार में से किसी एक द्वारा खोज कर सकता है। चयनित उत्पाद की जानकारी 'पॉप-आप-विडो' में प्रदर्शित हो जाएगी।

IV.6.12 उपयुक्त एप्लीकेशन विकसित करने का काम पूरा हो चुका है, और एप्लीकेशन का आरंभ शीघ्र ही किया जाने वाला है।

साधारण बीमा उत्पादों के लिए 'उत्पाद तुलना एप्लीकेशन' का विकास

IV.6.13 बीमाकर्ताओं के विभिन्न साधारण बीमा उत्पादों (मोटर, आग, स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अथवा औद्योगिक सभी जोखिम) की विशेषताओं के बीच तुलना करने के लिए, प्राधिकरण एक एप्लीकेशन विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह एप्लीकेशन वेब आधारित होगी और इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी :

- यह वेबसाइट सभी विजिटर्स को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वर्तमान वेबसाइट (एच टी टी पी: // डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई आर डी ए. जी ओ वी. आइ एन) के लिंक के रूप में उपलब्ध होगी।
- कारोबार की लाइनों (एल ओ बी) तथा चयनित 'उप-एल ओ बी' के आधार पर उपयोगकर्ता को ऐसी बीमा कंपनियों की सूची प्रदान की जाएगी जिनके लिए बाजार में, अनुमोदित उत्पाद है।
- उत्पादों की तुलना के लिए उपयोगकर्ता अधिकतम चार अनुमोदित उत्पादों का चयन कर सकता है। विभिन्न कंपनियों के चयनित उत्पादों की उत्पाद-तुलना व्यापन, अपवर्जन, छूट (डिस्काउन्ट्स) व्यवकलनीय राशि बीमा जैसे विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर की जा सकती है।
- प्रदान की गई तुलना 'हाँ या ना फार्मेट' में होगी। यह इंगित करेगी कि कोई विशिष्ट कवरेज (व्यापन) लागू है अथवा नहीं। पाठ की दृष्टि से तुलना नहीं होगी, अर्थात् शब्दों में विभिन्नताओं का उल्लेख नहीं किया जाएगा।
- तुलना पाठ्य आँकड़ों के रूप में प्रदान की जाएगी उदा: प्रीमियम रेटिंग साथ साथ प्रदर्शित की जाएगी।

उक्त एप्लीकेशन विकसित करने हेतु आवश्यक एजेंसी को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और विकसित करने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

IV.7 लेखा

IV.7.1 प्राधिकरण के वर्ष 2010-11 के लेखों की लेखा-परीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 17के प्रावधानों के अनुसरण में लेखा परीक्षित लेखे और उनके साथ लेखा परीक्षण रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में रखने हेतु, भारत सरकार को अग्रपिठ करना होता है।

IV.8 आई आर डी ए जर्नल (पत्रिका)

IV.8.1 प्राधिकरण की मासिक पत्रिका 'द आई आर डी ए जर्नल' ने अपने नवंबर 2010 अंक के साथ ही अपने सार्थक अस्तित्व के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने गुणवत्तापरक योगदान के लिए मान्यता प्राप्त करना जारी रखे हुए है। पत्रिका में गत वर्ष शुरु की गई अरिक्त सांख्यिकीय सूचनाएँ, उद्योग की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करती आ रही है, और विभिन्न जोखिम धारकों (स्टेकहोल्डर्स) ने इनका अच्छा स्वागत किया है। बीमाकर्ताओं विशेषतः गैर जीवन क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने, पत्रिका में दी गई सांख्यिकीय जानकारी को व्यापक रूप से उपयोगी पाया है। पत्रिका में लेखों-अनुसंधान पत्रों आदि के रूप में लेखकीय योगदान देने वालों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और कई नए लेखकों ने पत्रिका में लिखने के लिए गहरी रुचि दिखाई है। जो कि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार की विस्तृत राय का एक अच्छा स्रोत साबित हो रहा है। पत्रिका की प्रतियों की माँग, सदा की भाँति बढ़ती जा रही है जिससे ज्ञात होता है कि इस पत्रिका में विभिन्न जोखिम धारकों की कितनी गहरी रुचि है और यह सिद्ध होता है कि यह अपने प्रयोजन में सफल रही है। पत्रिका की वेब प्रति, वृद्धिशील संख्या में, पाठकों के लिए जानकारी का स्रोत साबित हो रही है।

IV.8.2 वर्ष 2010-11 के दौरान कई समसामयि और संबंधित मुद्दे पत्रिका का केंद्र बिंदु बने रहे। इस अवधि में शामिल, विभिन्न अंकों के केंद्र बिंदु मुद्दे इस प्रकार थे: बीमा क्षेत्र में उत्पाद विकास, बीमा क्षेत्र में जोखिम अंकन का महत्व, दावा प्रबंधन में कार्य क्षमताएँ, लोक प्रकटन और कारोबार विश्लेषक, आपदा प्रबंधन और बीमा की भूमिका, बीमा सेवाओं में प्रौद्योगिकी समर्थन, नैगमि सामाजिक दायित्व तथा बीमा उद्योग तथा बीमाकर्ताओं के लिए जोखिम प्रबंधन विषय की महत्ता तथा पाठकों की उन पर प्रतिक्रिया को देखते हुए कुछ ध्यान केंद्रित विषयों को, वर्ष के दौरान, दोबारा भी शामिल किया गया।

IV.9 आभार प्रदर्शन

IV.9.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा परामर्श समिति, पुनर्बीमा परामर्श समिति, वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) सभी बीमाकर्ताओं तथा मध्यवर्तियों का प्राधिकरण के समुचित कार्य संचालन में सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने। तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के सक्षम दल को अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वाह के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनकी सराहना कर इसे अभिलेखित करते हैं। प्राधिकरण आम जनता के सदस्यों, प्रेस, बीमा व्यवसाय से जुड़ी सभी व्यावसायिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षण संघ, (आई ए आई एस) भी शामिल है, का, समय-समय पर उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए, विशेष आभार प्रकट करती है।

विवरण

बीमा अंतः प्रवेशन की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

प्रतिशत में

देश	2009**			2010**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	6.4	3.4	3.0	5.9	3.1	2.8
ब्राजील	3.1	1.6	1.5	3.1	1.6	1.5
फ्रांस	10.3	7.2	3.1	10.5	7.4	3.1
जर्मनी	7.0	3.3	3.7	7.2	3.5	3.7
रूस	2.5	0.0	2.5	2.3	0.0	2.3
दक्षिण अफ्रीका	12.9	10.0	2.9	14.8	12.0	2.8
स्विटजरलैंड	9.8	5.4	4.5	9.9	5.5	4.4
ग्रेट ब्रिटेन	12.9	10.0	3.0	12.4	9.5	2.9
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	8.0	3.5	4.5	8.0	3.5	4.5
एशियाई देश						
बांगलादेश	0.9	0.7	0.2	0.9	0.7	0.2
हांगकांग	11.0	9.6	1.4	11.4	10.1	1.4
भारत#	5.2	4.6	0.6	5.1	4.4	0.7
जापान	9.9	7.8	2.1	10.1	8.0	2.1
मलेशिया	4.4	2.9	1.6	4.8	3.2	1.6
पाकिस्तान	0.7	0.3	0.4	0.7	0.3	0.3
चीन	3.4	2.3	1.1	3.8	2.5	1.3
सिंगापुर	6.8	5.1	1.7	6.1	4.6	1.6
दक्षिण कोरिया	10.4	6.5	3.9	11.2	7.0	4.2
श्रीलंका	1.4	0.6	0.9	1.4	0.6	0.9
ताइवान	16.8	13.8	3.0	18.4	15.4	3.0
थाईलैंड	4.0	2.4	1.6	4.3	2.6	1.7
विश्व	7.0	4.0	3.0	6.9	4.0	2.9

श्रोत: स्विस सी, सिग्मा, अंक 3/2010 एवं 2/2011

*बीमा धनत्व को किशत पर अनुपात के जीडीपी के रूप में अनुपात को मापा जायेगा

**डाटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है ।

डाटा वित्तियवर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से संबंधित है ।

बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

अमरीकी डॉलर में

देश	कुल	2009**		कुल	2010**	
		जीवन	गैर जीवन		जीवन	गैर जीवन
आस्ट्रेलिया	2832.7	1524.8	1307.9	3369.2	1766.3	1603.0
ब्राजील	251.7	127.9	123.8	327.6	169.9	157.7
फ्रांस	4269.1	2979.8	1289.4	4186.6	2937.6	1249.0
जर्मनी	2878.4	1359.7	1518.7	2903.8	1402.2	1501.6
रूस	280.9	4.5	276.4	296.8	6.4	290.4
दक्षिण अफ्रीका	738.1	574.2	163.9	1054.7	854.6	200.1
स्विटजरलैंड	6257.6	3405.6	2852.1	6633.7	3666.8	2966.9
ग्रेट ब्रिटेन	4578.8	3527.6	1051.2	4496.6	3436.3	1060.2
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	3710.0	1602.6	2107.3	3758.9	1631.8	2127.2
एशियाई देश						
बांगलादेश	5.2	3.9	1.3	5.8	4.4	1.4
हांगकांग	3304.0	2886.6	417.5	3635.5	3197.3	438.2
भारत#	54.3	47.7	6.7	64.4	55.7	8.7
जापान	3979.0	3138.7	840.4	4390.2	3472.8	917.4
मलेशिया	321.8	206.9	115.0	421.1	282.8	138.3
पाकिस्तान	6.6	3.0	3.6	6.1	3.2	2.9
चीन	121.2	81.1	40.0	158.4	105.5	52.9
सिंगापुर	2557.6	1912.0	645.6	2823.4	2101.4	722.1
दक्षिण कोरिया	1890.3	1180.6	709.7	2339.4	1454.3	885.1
श्रीलंका	29.5	11.8	17.7	34.2	13.7	20.6
ताइवान	2752.1	2257.3	494.8	3296.2	2756.8	539.3
थाईलैंड	154.4	91.7	62.7	199.4	121.9	77.5
विश्व	595.1	341.2	253.9	627.3	364.3	263.0

श्रोत: स्विस री, सिग्मा, अंक 3/2010 एवं 2/2011

*बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या के प्रीमियम के अनुपात (यूएस डॉलर में) मापा गया है ।

**डाटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है ।

डाटा वित्तीयवर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से संबंधित है ।

प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम को मिलाकर) जीवन बीमा प्रीमियम

(₹. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35
आईएनजी वैश्या	—	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33
बिरलासन लाइफ	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30
आईसीआईसीआई प्रू	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6334.03	7862.14
कोटक लाइफ	—	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14
टाटा एआईजी	—	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21
एसबीआई लाइफ	—	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7572.39
बजाज अलायंज	—	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82
मेक्स न्यू यॉर्क	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39
मेट लाइफ	—	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22
रिलायंस लाइफ	—	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94
अविवा	—	—	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39
सहारा	—	—	—	—	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83
श्रीराम लाइफ	—	—	—	—	—	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99
भारती एक्सा	—	—	—	—	—	—	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78
पर्यटन जनरली	—	—	—	—	—	—	—	2.49	149.97	486.08	448.61
आईडीबीआई फेड्रल	—	—	—	—	—	—	—	11.90	316.78	400.56	444.95
केनरा एचएसबीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	296.41	622.62	817.29
एगोन रेलिगियर	—	—	—	—	—	—	—	—	31.21	150.37	274.87
डीएलएफ प्रामोरिका	—	—	—	—	—	—	—	—	3.37	37.38	74.15
स्टार यूनिशन वाइची	—	—	—	—	—	—	—	—	50.19	519.87	758.69
इण्डिया फर्स्ट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201.59	704.77
निजी क्षेत्र	6.45	268.51	965.69	2440.71	5564.57	10269.67	19425.65	33715.95	34152.00	38372.01	39368.65
		(4061.70)	(259.65)	(152.74)	(127.99)	(84.55)	(88.84)	(73.56)	(1.29)	(12.36)	(2.60)
कुल	9707.43	19857.28	16942.45	19788.32	26217.64	38785.54	75649.21	93712.52	87331.08	109893.91	126381.00
		(104.56)	(-14.68)	(16.80)	(32.49)	(47.94)	(94.96)	(23.88)	(-6.81)	(25.84)	(15.00)

टिप्पणी: 1) कोषक में आंकड़ें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं
2) - व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(₹. करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40
आईएनजी वैश्या	—	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17
बीरला सन लाइफ	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07
आईसीआईसीआई प्रू	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63
कोटक महेंद्रा	—	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51
टाटा एआईजी	—	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22
एसबीआई लाइफ	—	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12911.64
बजाज अलायंज	—	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95
मेक्स न्यू यॉर्क	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63
मेट लाइफ	—	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17
रिलायंस लाइफ	—	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15
अविवा	—	—	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17
सहारा	—	—	—	—	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41
श्रीराम लाइफ	—	—	—	—	—	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52
भारती एक्स	—	—	—	—	—	—	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02
फ्यूचर जनरली	—	—	—	—	—	—	—	2.49	152.60	541.51	726.16
आईडीबीआई फेड्रल	—	—	—	—	—	—	—	11.90	318.97	571.12	811.00
केनरा एचएसबीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	296.41	842.45	1531.86
एगोन रेलिगियर	—	—	—	—	—	—	—	—	31.21	165.65	388.61
डीएलाएफ प्रामेरिका	—	—	—	—	—	—	—	—	3.37	38.44	95.04
स्टार यूनिजन वाइची	—	—	—	—	—	—	—	—	50.19	530.37	933.31
इण्डिया फर्स्ट	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201.60	798.43
निजी क्षेत्र	6.45	272.55	1119.06	3120.33	7727.51	15083.54	28253.00	51561.42	64497.43	79369.94	88131.60
		(4124.31)	(310.59)	(178.83)	(147.65)	(95.19)	(87.31)	(82.50)	(25.09)	(23.06)	(11.04)
कुल	34898.47	50094.46	55747.55	66653.75	82854.80	105875.76	156075.84	201351.41	221785.47	265447.25	291604.99
		(43.54)	(11.28)	(19.56)	(24.31)	(27.78)	(47.41)	(29.01)	(10.15)	(19.69)	(9.85)

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं
2) - व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत नये व्यापार का निष्पादन - चैनल अनुसार

(पॉलिसियों की संख्या)

(प्रीमियम करोड़ ₹ में)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत अभिकर्ता		निगमित अभिकर्ता		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय		व्यक्तिगत योग		नये व्यापार का निर्विष्ट		
	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम		पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	पॉलिसियां	प्रीमियम	
एगोन रेलीगेयर	35681 (38.29)	93.88 (36.14)	0 (0.00)	6809 (7.31)	13093 (14.05)	25.08 (9.65)	37600 (40.35)	102.15 (39.32)	93183 (100.00)	259.78 (100.00)	161 (0.17)	3.45 (1.33)
अविवा**	78765 (41.24)	292.52 (43.93)	33810 (17.70)	16505 (8.64)	19864 (10.40)	38.11 (5.72)	42059 (22.02)	166.87 (25.06)	191003 (100.00)	665.92 (100.00)	41218 (21.58)	163.43 (24.54)
बजाज अलायंज	693357 (44.96)	1423.81 (54.93)	15586 (1.01)	703053 (45.59)	8309 (0.54)	14.35 (0.55)	121700 (7.89)	438.78 (16.93)	1542005 (100.00)	2591.92 (100.00)	12666 (0.82)	179.91 (6.94)
भारती एक्सा	97271 (57.79)	166.68 (51.01)	4177 (2.48)	3105 (1.84)	22706 (13.49)	57.98 (17.74)	41048 (24.39)	72.40 (22.16)	168307 (100.00)	326.74 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
बिरला सन लाइफ	527091 (52.49)	1106.14 (67.41)	33418 (3.33)	365059 (36.36)	40552 (4.04)	86.31 (5.26)	37973 (3.78)	57.92 (3.53)	1004093 (100.00)	1640.85 (100.00)	2988 (0.30)	1.11 (0.07)
केनरा एचएसबीसी	0 (0.00)	0.00 (0.00)	111071 (99.80)	221 (0.20)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	6 (0.01)	0.03 (0.00)	111298 (100.00)	697.91 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
डीएलएफ प्रोमेरिका	17946 (48.65)	44.92 (60.69)	0 (0.00)	5673 (15.38)	2054 (5.57)	3.51 (4.74)	11217 (30.41)	15.77 (21.31)	36890 (100.00)	74.01 (100.00)	82 (0.22)	0.13 (0.17)
फ्यूचर जनरली	94174 (30.00)	188.59 (45.91)	0 (0.00)	183032 (58.30)	1783 (0.57)	3.86 (0.94)	34965 (11.14)	54.86 (13.35)	313954 (100.00)	410.83 (100.00)	7 (0.00)	0.02 (0.01)
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	451434 (54.35)	1075.26 (30.82)	332931 (40.09)	1416 (0.17)	10965 (1.32)	75.39 (2.16)	33786 (4.07)	109.14 (3.13)	830532 (100.00)	3488.45 (100.00)	824 (0.10)	2.31 (0.07)
आईसीआईसीआई ग्रू	614751 (45.52)	2306.83 (42.55)	192550 (14.26)	51550 (3.82)	71468 (5.29)	377.34 (6.96)	420175 (31.11)	340.85 (6.29)	1350494 (100.00)	5421.44 (100.00)	380862 (28.20)	182.06 (3.36)
आईडीबीआई फेड्रल	33816 (31.20)	103.00 (23.78)	55653 (51.35)	4 (0.00)	667 (0.62)	1.75 (0.40)	18250 (16.84)	28.63 (6.61)	108390 (100.00)	433.23 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
इंडिया फर्स्ट	662 (0.59)	5.46 (1.06)	111167 (99.39)	1 (0.00)	1 (0.00)	0.01 (0.00)	19 (0.02)	0.01 (0.00)	111850 (100.00)	513.61 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)

टिप्पणी: 1. कोष्टक में दिये गये आंकड़े उपयुक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये व्यक्तिगत व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।

2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

3. निर्विष्ट व्यवस्थाओं द्वारा एकीकृत किये गये आंकड़े उपयुक्त चैनलों में जोड़े गये हैं।

बीमाकर्ता ने जानकारी दी है की चालू वित्त वर्ष में कुल पॉलिसियों की संख्या में से रुढ़ की गयी पॉलिसियों को निकाल दिया गया है।

* बैंक के अलावा, निगमित अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत कोई अन्य संस्था

** विदेशी व्यापार को नहीं मिलाया गया है।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत नये व्यापार का निष्पादन - चैनल अनुसार
(प्रीमियम करोड़ ₹ में)

(पॉलिसियों की संख्या)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत अभिकर्ता		निगमित अभिकर्ता		दलाल		प्रत्यक्ष विक्रय		व्यक्तिगत योग		नये व्यापार का निर्दिष्ट	
	पॉलिसीयां	प्रीमियम	पॉलिसीयां	प्रीमियम	पॉलिसीयां	प्रीमियम	पॉलिसीयां	प्रीमियम	पॉलिसीयां	प्रीमियम	पॉलिसीयां	प्रीमियम
आइएनजी वैश्या	187048 (68.17)	403.03 (61.71)	48967 (17.85)	155.73 (23.84)	14177 (5.17)	3370 (1.23)	11.39 (1.74)	20839 (7.59)	274401 (100.00)	53.58 (8.20)	20839 (7.59)	53.58 (8.20)
कोटक महेंद्रा	122105 (47.18)	394.85 (40.90)	28755 (11.11)	290.09 (30.05)	29431 (11.37)	39051 (15.09)	126.12 (13.06)	39441 (15.24)	258783 (100.00)	82.10 (8.50)	775 (0.30)	1.72 (0.18)
मैक्स न्यू यॉर्क	432043 (52.93)	1040.76 (53.76)	116796 (14.31)	433.11 (22.37)	225341 (27.61)	31033 (3.80)	43.99 (2.27)	11046 (1.35)	816259 (100.00)	38.40 (1.98)	5413 (0.66)	9.40 (0.49)
मेट लाइफ	123760 (62.13)	375.97 (59.11)	46573 (23.28)	183.30 (28.82)	10834 (5.44)	6340 (3.18)	20.96 (3.30)	11704 (5.88)	199211 (100.00)	26.43 (4.16)	7093 (3.56)	25.04 (3.94)
रिलायंस लाइफ	739711 (38.88)	1559.08 (58.64)	40 (0.00)	0.15 (0.01)	936137 (49.20)	92940 (4.88)	164.32 (6.18)	133857 (7.04)	1902685 (100.00)	281.57 (10.59)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
सहारा	66767 (96.02)	89.58 (97.58)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2765 (3.98)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	69532 (100.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
एसबीआई लाइफ	558682 (59.44)	2574.84 (53.76)	330767 (35.19)	2051.03 (42.82)	23157 (2.46)	27372 (2.91)	101.64 (2.12)	0 (0.00)	939978 (100.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
श्रीराम	45074 (37.37)	235.98 (49.19)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	12048 (9.99)	40685 (33.73)	151.53 (31.58)	22803 (18.91)	120610 (100.00)	65.42 (13.64)	13879 (11.51)	57.44 (11.97)
स्टार यूनिवर्सिटी दाइजी	278 (0.28)	0.36 (0.06)	97452 (99.72)	589.80 (99.94)	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	97730 (100.00)	0.00 (0.00)	2491 (2.55)	9.10 (1.54)
टाटा एआइजी	366404 (66.23)	793.96 (71.07)	44722 (8.08)	107.12 (9.59)	42824 (7.74)	71820 (12.98)	148.42 (13.29)	27433 (4.96)	553203 (100.00)	20.64 (1.85)	8995 (1.63)	24.57 (2.20)
निजी योग	5286820 (47.65)	14275.50 (46.89)	1604435 (14.46)	10109.61 (33.21)	2633142 (23.73)	504073 (4.54)	1452.04 (4.77)	1065921 (9.61)	11094391 (100.00)	1955.54 (6.42)	30441.94 (4.49)	713.26 (2.34)
एलआइसी #	36294991 (98.06)	51390.02 (97.45)	332127 (0.90)	953.02 (1.81)	355339 (0.96)	7315 (0.02)	19.76 (0.04)	22505 (0.06)	37012277 (100.00)	60.78 (0.12)	50479 (0.14)	122.65 (0.23)
उद्योग कुल	41581811 (86.44)	65665.52 (78.95)	1936562 (4.03)	11062.63 (13.30)	2988481 (6.21)	511388 (1.06)	1471.80 (1.77)	1088426 (2.26)	48106668 (100.00)	2016.32 (2.42)	83174.03 (1.14)	548772 (1.01)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े उपयुक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये व्यक्तिगत व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।

2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

3. निर्दिष्ट व्यवस्थाओं द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े उपयुक्त चैनलों में जोड़े गये हैं।

बीमाकर्ता ने जानकारी दी है की बालू वित्त वर्ष में कुल पॉलिसियों की संख्या में से स्टार की गयी पॉलिसियों को निकाल दिया गया है।

* बैंक के अलावा, निगमित अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत कोई अन्य संस्था

** विदेशी व्यापार को नहीं मिलाया गया है।

विवरण 6
जीवन बीमाकर्ताओं का गुण नये व्यापार में कार्य निष्पादन - चैनल अनुसार
(प्रीमियम करोड़ ₹ में) (योजनाओं व जीवनो की संख्या)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत मध्यस्थ		बैंक		निगमित मध्यस्थ		अन्य		दलाल		प्रत्यक्ष विक्रय		गुण नये व्यापार का योग		निर्दिष्ट		
	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	योजना	जीवन प्रीमियम सुरक्षित	
एगोन रेलीगेयर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	11	15.09	0	0.00	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
अविवा	14	1.31	4	0.48	812	3	8.09	135410	31	2.28	39165	100	66.92	152	79.08	1	0.07
	(9.21)	(1.66)	(2.63)	(0.60)	(0.06)	(1.97)	(10.23)	(9.51)	(20.39)	(2.89)	(2.75)	(65.79)	(84.63)	(106.45)	(100.00)	(0.66)	(0.08)
बजाज अलायंस	308	7.78	9	117.87	24331	413	177.96	6602636	92	26.00	103616	676	544.28	1498	873.90	1	14.93
	(20.56)	(0.89)	(0.23)	(0.60)	(0.12)	(27.57)	(20.36)	(32.84)	(6.14)	(2.98)	(0.52)	(45.13)	(62.28)	(66.29)	(100.00)	(0.07)	(1.71)
भारती एक्सा	0	0.00	0	4.35	2276	6	15.74	15392	0	0.00	0	0	0.00	0	20.09	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(21.95)	(12.88)	(100.00)	(78.35)	(87.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
बिरला सन लाइफ	19	15.71	3	6.30	1205	5	0.52	4006	49	10.45	48206	170	403.30	246	436.28	0	0.02
	(7.72)	(3.60)	(1.22)	(1.44)	(0.16)	(2.03)	(0.12)	(0.54)	(19.92)	(2.40)	(6.20)	(69.11)	(92.44)	(84.85)	(100.00)	(0.00)	(0.01)
केनरा एक्सबीसी	0	0.00	4	20.27	8428	0	0.00	0	0	0.00	0	5	104.57	9	124.84	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(44.44)	(16.24)	(8.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(55.56)	(83.76)	(91.91)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
डीएलएफ प्रोमेरिका	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.01	1	0.01	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
फ्यूचर जनरली	1	0.04	0	0.00	0	1	0.04	124	61	23.05	2137157	47	14.89	110	38.02	0	0.00
	(0.91)	(0.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.91)	(0.11)	(0.01)	(55.45)	(60.63)	(98.72)	(42.73)	(39.15)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
एचडीएफसी स्टैडर्ड	7	33.20	0	0.00	0	0	0.00	0	51	11.03	33873	232	526.65	290	570.88	0	0.00
	(2.41)	(5.82)	(6.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(17.59)	(1.93)	(4.71)	(80.00)	(92.25)	(88.56)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
आईसीआईसी यू	7	1.84	0	0.00	0	2	1.47	98	11	12.09	49828	210	2424.15	230	2439.54	0	0.00
	(3.04)	(0.08)	(0.23)	(0.00)	(0.00)	(0.87)	(0.06)	(0.00)	(4.78)	(0.50)	(1.59)	(91.30)	(99.37)	(98.18)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
आइडीबीआई फेडरल	0	0.00	5	9.96	53130	0	0.00	0	0	0.00	0	4	1.76	9	11.72	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(55.56)	(85.01)	(7.63)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(44.44)	(14.99)	(92.37)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
इन्डिया फर्स्ट	0	0.00	11	35.98	733109	0	0.00	0	2	0.61	521853	25	154.56	38	191.15	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(28.95)	(18.82)	(56.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.26)	(0.32)	(40.24)	(65.79)	(80.86)	(3.23)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
आइएनजी वैश्या	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	7.34	0	7.34	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)

टिप्पणी: 1. कोष्टक में दिये गये आंकड़े उपयुक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये गुण व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।

2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

3. निर्दिष्ट व्यवस्थाओं द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े उपयुक्त चैनलों में जोड़े गये हैं।

* बैंक के अलावा, निर्गमित अधिकर्ता के रूप में पंजीकृत कोई अन्य संस्था

जीवन बीमाकर्ताओं का ग्रुप नये व्यापार में कार्य निष्पादन - चैनल अनुसार

(प्रीमियम करोड़ ₹ में) (योजनाओं व जीवनो की संख्या)

बीमाकर्ता	व्यक्तिगत मध्यस्थ		निगमित मध्यस्थ		दलाल		प्रत्यक्ष विक्रय		ग्रुप नये व्यापार का योग		निर्दिष्ट						
	योजना	जीवन	योजना	जीवन	योजना	जीवन	योजना	जीवन	योजना	जीवन	योजना	जीवन					
	प्रीमियम	सुरक्षित	प्रीमियम	सुरक्षित	प्रीमियम	सुरक्षित	प्रीमियम	सुरक्षित	प्रीमियम	सुरक्षित	प्रीमियम	सुरक्षित					
कोटक महेंद्र	0	0	0	0	270	74.79	525767	381	213.02	1432801	661	287.81	1958568	0	0.00	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(40.85)	(25.98)	(26.84)	(59.15)	(74.01)	(73.16)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
मैक्स न्यू यॉर्क	0	0	0	0	389	7.49	181075	343	118.05	8407751	712	125.54	8588826	0	0.00	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(51.83)	(5.96)	(2.11)	(48.17)	(94.04)	(97.89)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
मेट लाइफ	13	2.88	12394	0	9.33	9156	2	0.07	1559	170	28.78	815049	122	29.09	1590514	307	70.15
	(4.23)	(4.10)	(0.51)	(0.00)	(13.30)	(0.38)	(0.65)	(0.11)	(0.06)	(55.37)	(41.03)	(33.56)	(39.74)	(41.47)	(65.49)	(100.00)	(0.00)
रीलायंस लाइफ	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	42	3.73	131373	340	372.62	706485	382	376.35
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.99)	(0.99)	(15.68)	(89.01)	(99.01)	(84.32)	(100.00)	(0.00)
सहारा	1	0.00	69	0	0	0.00	0	0.00	0	7	0.02	1039	8	0.02	1108	0	0.00
	(12.50)	(3.38)	(6.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(87.50)	(96.62)	(93.77)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)
एसबीआई लाइफ	2	17.09	17161	53	853.31	942571	2	8.52	7939	1	0.03	104	186	2104.08	537553	244	2783.02
	(0.82)	(0.61)	(1.14)	(21.72)	(23.47)	(62.62)	(0.82)	(0.31)	(0.53)	(0.41)	(0.00)	(0.01)	(76.23)	(75.60)	(35.71)	(100.00)	(0.00)
श्रीराम	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	4	0.34	31564	7	55.26	602361	12	92.23
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(33.33)	(0.37)	(4.10)	(58.33)	(59.92)	(78.28)	(100.00)	(0.00)
स्टार यूनिवर्स वइची	0	0.00	0	72	168.52	353994	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	72	168.52
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(0.00)
टाटा एआइजी	14	6.26	9910	2	1.42	2434	1	9.52	22470	12	10.16	19116	60	187.68	627779	89	215.04
	(15.73)	(2.91)	(1.45)	(2.25)	(0.66)	(0.36)	(1.12)	(4.43)	(3.30)	(13.48)	(4.72)	(2.80)	(67.42)	(87.28)	(92.09)	(100.00)	(0.00)
निजी योग	386	86.11	207236	163	1027.80	2131446	436	258.55	6654388	1165	210.83	4635746	2937	7343.35	33943030	5087	8926.63
	(7.59)	(0.96)	(0.44)	(3.20)	(11.51)	(4.48)	(8.57)	(2.90)	(13.99)	(22.90)	(2.36)	(9.74)	(57.74)	(82.26)	(71.35)	(100.00)	(0.06)
एलआइसी	4726	2342.28	3228396	1671	300.61	2520154	235	60.37	80986	101	2.71	21671	18776	31526.40	29808992	25509	34232.58
	(18.53)	(6.84)	(9.05)	(6.55)	(0.88)	(7.07)	(0.92)	(0.18)	(0.23)	(0.40)	(0.01)	(0.06)	(73.51)	(92.09)	(83.59)	(100.00)	(0.00)
उद्योग कुल	5112	2428.39	3435632	1834	1328.61	4651800	671	318.92	6735374	1266	213.54	4657417	21713	38868.75	63752022	30596	43159.21
	(16.71)	(5.63)	(4.13)	(5.99)	(3.08)	(5.59)	(2.19)	(0.74)	(8.09)	(4.14)	(0.49)	(5.60)	(70.97)	(90.06)	(76.60)	(100.00)	(0.01)

टिप्पणी: 1. कोषक में दिये गये आंकड़े उपर्युक्त चैनल द्वारा अर्जित किये गये नये ग्रुप व्यापार के कुल को दर्शाते हैं।

2. नया व्यवसाय प्रीमियम प्रथम वर्ष के प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

3. बताये गये संपर्क के द्वारा उपर्युक्त चैनल में जोड़े गये हैं।

* बैंक के अलावा, निगमित अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत कोई अन्य संख्या

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया व्यक्तिगत नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एनएनएल पॉलिसियों की संख्या	एनएनएल प्रीमियम	अविवा पॉलिसियों की संख्या	अविवा प्रीमियम	बजाल अलायंस पॉलिसियों की संख्या	बजाल अलायंस प्रीमियम	भारती एसा पॉलिसियों की संख्या	भारती एसा प्रीमियम	बिला सनाइफ़ पॉलिसियों की संख्या	बिला सनाइफ़ प्रीमियम	केना एएएबीसी पॉलिसियों की संख्या	केना एएएबीसी प्रीमियम	डीएलएफ़ प्रोमोसि पॉलिसियों की संख्या	डीएलएफ़ प्रोमोसि प्रीमियम	एचएसएल पॉलिसियों की संख्या	एचएसएल प्रीमियम	एचएसएल पॉलिसियों की संख्या	एचएसएल प्रीमियम
आंध्र प्रदेश	3460	11.54	17410	30.45	145196	189.65	10837	21.55	83418	97.86	6707	41.09	212	0.49	16575	25.28	42942	187.47
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	422	1.87	1187	3.09	0	0.000	337	2.11	11	0.03	2	0.00	0	0.00	0	0.00
असम	2009	3.43	4504	12.22	55564	75.65	825	3.627	32770	34.51	987	4.26	1533	1.50	2231	3.29	8663	35.64
बिहार	297	0.84	6390	12.03	151619	191.98	2242	3.21	66054	71.17	2583	13.07	2678	3.09	26825	25.73	6510	23.53
छत्तीसगढ़	922	3.73	3168	6.01	17375	35.14	3758	7.41	12410	18.88	699	3.21	125	0.15	967	1.89	5780	19.82
गोवा	893	2.39	460	3.34	1754	8.21	491	2.282	2675	9.62	555	4.30	0	0.00	648	1.07	3802	29.07
गुजरात	5410	15.87	8927	39.83	54048	139.80	10786	22.95	46944	89.52	2485	19.29	2329	5.54	13748	18.66	51246	250.10
हरियाणा	1530	5.34	7894	39.79	22245	41.80	1256	1.64	15967	48.77	7508	42.17	2587	7.15	5769	10.38	33323	202.19
हिमाचल प्रदेश	310	0.64	723	2.27	13342	20.74	503	0.92	3106	6.04	523	2.06	357	1.01	3363	4.41	3277	12.30
जम्मू और कश्मीर	207	0.39	855	2.19	12960	33.44	1007	1.661	1121	2.238	2	0.030	73	0.12	976	2.10	3133	14.57
झारखंड	988	4.81	3517	10.08	59065	96.83	4647	8.55	15142	23.15	1528	6.15	132	0.17	8849	12.52	6293	30.15
कर्नाटक	3678	13.98	7516	31.30	101629	133.51	11210	29.12	55446	137.22	15298	79.11	483	1.90	14000	17.90	70039	267.54
केरल	2424	7.86	3913	21.91	39258	138.67	8429	15.38	21874	63.76	3888	31.23	835	2.43	15847	23.39	39232	221.23
मध्य प्रदेश	4037	6.96	8612	19.45	34320	63.05	3165	4.98	67188	55.13	1502	8.47	382	0.49	5243	8.89	23945	83.10
महाराष्ट्र	27640	54.72	21249	110.46	98785	276.40	19056	51.06	124739	303.72	9694	135.60	1031	0.72	38413	55.82	244414	813.18
मणिपुर	0	0.00	50	0.43	12632	12.62	0	0.00	46453	4.01	1	0.01	5	0.00	0	0.00	0	0.00
मेघालय	0	0.00	259	0.74	1100	2.54	123	0.11	2268	5.38	100	0.41	5	0.00	0	0.00	652	1.78
मिजोरम	0	0.00	2	0.09	797	5.20	0	0.00	240	2.717	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	0	0.00	93	0.43	733	1.19	0	0.00	1330	4.55	4	0.04	2	0.00	0	0.00	5	0.00
उड़ीसा	2038	3.61	7418	22.09	93395	132.94	3910	7.06	39507	44.09	1278	5.29	2444	3.03	11506	14.90	14234	48.58
पंजाब	4287	11.15	12993	44.73	32977	82.66	7790	14.00	21103	38.91	13159	52.69	10458	26.14	9861	15.09	33641	142.31
राजस्थान	2530	6.50	16486	28.91	31893	49.86	6378	10.47	45329	58.13	5305	15.80	1458	2.75	11606	13.64	22580	78.37
सिक्किम	115	0.44	368	1.10	1122	4.91	295	0.61	673	1.674	70	0.608	0	0.00	0	0.00	538	2.80
तमिलनाडु	6248	21.12	11068	45.77	153859	189.10	14474	28.66	65091	97.47	7632	55.84	1086	1.61	26443	28.92	48806	280.43
त्रिपुरा	0	0.00	1804	3.15	11023	11.93	0	0.000	1133	1.04	124	0.63	1	0.00	0	0.00	3087	7.74
उत्तर प्रदेश	8370	29.20	13640	38.10	174644	263.29	27256	29.91	123083	148.23	16390	58.26	2366	3.91	38391	54.64	56602	207.82
उत्तराखंड	664	1.53	3590	9.29	23824	33.22	2089	2.54	7699	8.05	1697	5.09	80	0.11	1359	1.87	3408	13.33
पश्चिम बंगाल	4829	17.42	14129	55.77	169959	254.78	14055	21.33	58399	110.81	5276	47.42	3018	3.23	47236	47.99	44143	209.12
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	13	0.048	813	0.50	0	0.00	0	0.00	16	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
चंडीगढ़	2190	7.22	781	3.45	1943	5.25	3583	7.48	5676	17.95	530	4.68	757	2.44	972	1.82	10778	55.34
दादर तथा नगर हवेली	0	0.00	55	0.13	444	0.82	0	0.00	126	0.00	35	0.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
दमन और दीव	0	0.00	8	0.04	0	0.00	0	5.08	0	0.00	6	0.03	6	0.02	0	0.00	0	0.00
दिल्ली	8107	29.08	12451	67.86	19415	90.00	10142	25.13	35089	131.45	5620	60.16	2444	5.99	13126	20.59	47114	244.29
लक्षद्वीप	0	0.00	3	0	40	0.09	0	0.00	0	0.00	6	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पुडुचेरी	0	0.00	252	0.59	3045	3.06	0	0.00	1703	2.69	79	0.49	1	0.01	0	0.00	1345	6.67
कंपनी कुल	93183	259.78	191003	665.92	1542005	2591.92	168307	326.74	1004093	1640.85	111298	697.91	36890	74.01	313954	410.83	830532	3488.45

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया व्यक्तिगत नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आइसीआइसीआई प्रु. पॉलिसियों की संख्या	आइसीआइसीआई फेडरल पॉलिसियों की संख्या	इंडिया फास्ट पॉलिसियों की संख्या	आइएनजी वैश्य पॉलिसियों की संख्या	कोटक महेंद्रा पॉलिसियों की संख्या	मैक्स नू यार्क पॉलिसियों की संख्या	मेट लाइफ पॉलिसियों की संख्या	रिलायंस लाइफ पॉलिसियों की संख्या	सहारा पॉलिसियों की संख्या									
आंध्र प्रदेश	93954	321.54	8241	22.29	22990	67.09	59744	132.49	8098	29.70	64750	132.13	13556	39.12	94125	164.20	2192	2.74
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	64	0.78	14	0.04	4	0.01	0	0.00	103	0.53	58	0.07	939.00	4.33	0	0.00
असम	20979	71.57	1621	6.84	270	1.16	1534	3.03	3680	14.23	9356	24.84	3792	10.59	28780	51.98	779	1.01
बिहार	44043	116.58	2491	6.01	2079	8.43	867	1.74	490	3.09	17305	28.78	3057	3.41	76602	98.57	17199	18.44
छत्तीसगढ़	11607	38.21	526	2.13	878	4.02	988	2.31	745	2.46	8299	18.88	2196	7.32	9112	27.46	450	0.83
गोवा	2090	21.91	1058	5.05	1004	5.95	1353	3.78	317	6.82	6628	19.20	480	1.85	1481	15.479	0	0.00
गुजरात	73867	408.31	4737	18.42	15287	143.04	12091	40.46	38292	144.31	66966	171.83	7979	21.79	60494	185.89	2902	3.82
हरियाणा	16452	57.09	2706	8.88	1346	4.77	5295	13.11	17755	40.56	35185	79.82	5553	11.52	22707	48.45	963	1.03
हिमाचल प्रदेश	24777	36.34	228	0.70	160	1.09	1116	3.17	0	0.00	5257	8.05	558	1.25	6822	27.46	0	0.00
जम्मू और कश्मीर	8965	30.04	56	0.27	17	0.10	1408	3.80	542	1.62	4665	10.07	32659	95.38	7686	19.93	0	0.00
झारखंड	20674	78.83	1541	4.36	907	4.65	1372	2.89	3403	10.90	8981	19.44	2847	6.08	36365	72.65	2536	3.85
कर्नाटक	113598	295.54	7002	23.95	1850	12.30	45585	111.37	15702	56.12	31391	95.68	21167	84.15	35804	76.53	496	0.98
केरल	57754	365.70	15385	139.43	767	4.97	14267	36.54	6019	25.27	23695	57.31	16431	75.52	22515	69.18	0	0.00
मध्य प्रदेश	26698	102.92	3663	9.00	3496	11.81	6309	11.49	5349	19.50	18165	37.53	2233	5.24	44356	102.03	2240	2.66
महाराष्ट्र	260235	1124.09	19104	67.28	9726	52.72	14194	36.12	54794	258.36	112408	313.05	14425	78.45	82899	225.12	744	1.22
मणिपुर	553	1.60	84	0.45	152	0.82	6	0.03	0	0.00	3894	7.88	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
मेघालय	363	1.22	76	1.35	120	0.56	14	0.02	0	0.00	418	1.59	0	0.00	1535	4.35	0	0.00
मिजोरम	451	3.92	93	0.58	0	0.01	2	0.00	0	0.00	76	0.38	0	0.00	814	3.03	0	0.00
नागालैंड	0	0.00	86	0.62	78	2.74	7	0.01	0	0.00	441	4.65	0	0.00	399	4.99	0	0.00
उड़ीसा	43357	113.28	5928	2.83	2702	10.00	10164	23.25	948	3.03	24253	45.58	5976	11.09	48924	65.88	1791	2.49
पंजाब	56066	299.18	3058	12.52	801	6.44	6514	18.17	14559	38.90	34803	88.45	7808	18.78	21197	62.74	208	0.25
राजस्थान	54639	195.64	5187	13.83	13219	48.01	12083	22.15	5666	16.80	35774	71.62	4886	8.64	33756	63.71	7189	11.32
सिक्किम	359	1.67	45	0.14	230	0.48	27	0.17	0	0.00	358	1.47	0	0.00	334	0.78	0	0.00
तमिलनाडु	80090	450.93	5205	18.22	4014	17.19	43558	95.98	15686	55.36	59720	152.72	10557	28.85	60178	121.88	501	0.72
त्रिपुरा	2911	8.63	40	0.21	26	0.34	17	0.02	0	0.00	2431	5.14	309	0.55	7143	9.92	0	0.00
उत्तर प्रदेश	162446	363.98	8574	25.63	21227	66.36	15708	34.56	12495	42.99	69682	135.45	16610	34.52	144453	253.93	24134	32.29
उत्तराखंड	20780	37.37	822	2.11	3197	8.95	3078	6.71	1041	3.50	13711	31.98	1428	4.73	17914	34.09	627	0.86
पश्चिम बंगाल	71343	304.74	5871	17.54	3007	16.82	7956	20.97	18639	48.76	89231	169.71	13128	41.30	979824	704.87	3301	5.86
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	217	0.73	4	0.01	13	0.04	0	0.00	0	0.00	499	1.41	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	460	1.93	84	0.33	656	2.34	1680	4.96	7265	16.76	1523	4.43	2522	7.58	360	0.51
दादर तथा नगर हवेली	0	0.00	28	0.08	140	1.05	65	0.10	288	0.79	27	0.12	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
दमन और दीव	0	0.00	15	0.08	67	0.34	27	0.06	0	0.00	56	0.14	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
दिल्ली	81226	569.89	4332	19.73	1949	10.90	7628	24.70	32476	136.38	59490	181.53	9761	41.17	51917	129.08	920	0.93
लक्षद्वीप	0	0.00	1	0.00	0	0.00	97	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
पुडुचेरी	0	0.00	58	0.19	33	0.10	687	1.37	219	0.91	977	2.14	134	0.27	1088	2.48	0	0.00
कंपनी कुल	1350494	5421.44	108390	433.23	111850	513.61	274401	653.15	258783	965.32	816259	1935.85	199211	636.07	1902685	2658.59	69532	91.80

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया व्यक्तिगत नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	एफबीआई लाइफ		श्रीराम		स्टार यूनिवर्स लाइफी		टाटा एआइसी		राज्य कुल (मिली)		एलआई सी#		राज्य कुल (रुपयों)	
	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम
आंध्र प्रदेश	115748	576.87	53452	234.03	4649	21.26	23877	40.49	892133	2389.34	3242852	3546.59	4134985	5935.93
अरुणाचल प्रदेश	1962	11.47	1	0.01	2	0.00	0	0.00	5106	24.36	9144	15.15	14250	39.51
असम	36441	87.99	9	0.02	1164	3.87	35458	70.48	252949	521.73	760118	857.69	1013067	1379.42
बिहार	42041	168.69	522	0.72	4001	15.26	15555	33.01	491450	847.38	2049721	1611.78	2541171	2459.16
छत्तीसगढ़	26508	111.64	975	4.02	1194	7.12	9876	10.72	118528	333.36	610361	416.18	728889	749.54
गोवा	4069	26.83	49	0.16	331	3.53	899	2.63	31037	173.47	112899	259.93	143937	433.40
गुजरात	37654	280.79	2710	6.32	6566	53.93	30614	67.40	556082	2147.86	1908101	3475.31	2464183	5623.17
हरियाणा	21211	111.07	1719	1.93	1720	9.76	13523	29.53	244213	816.55	558208	818.25	802421	1634.80
हिमाचल प्रदेश	8771	64.04	221	0.509	220	1.156	2204	7.89	75838	202.05	343550	677.70	419388	879.75
जम्मू और कश्मीर	3751	21.87	2	0.01	178	1.60	0	0.00	80263	241.42	166485	379.51	246749	620.93
झारखंड	23413	103.52	1072	2.16	7224	46.62	17260	36.14	227756	584.49	644904	901.91	872659	1486.40
कर्नाटक	46790	243.13	6350	22.56	2682	18.27	17150	32.17	624866	1784.31	2561092	3034.40	3185958	4818.71
केरल	50929	315.12	3292	7.32	2642	21.30	20331	61.11	369727	1704.62	1824109	2941.19	2193836	4645.81
मध्य प्रदेश	57150	244.40	3133	7.57	13216	58.50	5969	11.70	340372	874.89	1626337	2325.38	1966708	3200.27
महाराष्ट्र	86145	454.19	4936	18.84	17345	116.09	87736	199.38	1349713	4746.58	4278404	7824.37	5628117	12570.95
मणिपुर	2205	5.40	2	0.00	1	0.00	0	0.00	66038	33.25	25966	76.41	92004	109.66
मेघालय	2411	14.17	2	0.00	75	0.47	81	0.39	9602	35.08	17409	54.28	27011	89.36
मिजोरम	630	3.45	1	0.01	0	0.00	173	0.79	3279	20.17	3342	17.57	6620	37.74
नागालैंड	1644	6.42	1	0.00	1	0.00	0	0.00	4824	25.64	14884	29.21	19707	54.85
उड़ीसा	46967	184.08	617	1.80	2400	12.58	43867	49.06	413624	806.55	1198091	1214.83	1611715	2021.38
पंजाब	23497	136.25	1611	2.16	3486	38.03	6020	14.36	325897	1163.92	812330	1283.26	1138228	2447.18
राजस्थान	60649	237.08	2160	3.93	1946	14.48	24136	33.39	404955	1005.02	1846547	2290.09	2251502	3295.11
सिक्किम	526	4.66	1	0.003	76	0.351	0	0.00	5127	21.87	12491	26.56	17618	48.43
तमिलनाडु	80242	476.64	31958	147.67	3896	18.80	52787	79.47	784099	2413.37	2645872	4155.10	3429971	6568.47
त्रिपुरा	1423	5.45	20	0.05	27	0.34	4471	8.55	35990	63.69	96027	175.19	132017	238.88
उत्तर प्रदेश	73483	417.93	2279	7.20	13552	70.45	27421	54.50	1052806	2373.15	4079654	5312.16	5132460	7685.31
उत्तराखंड	11890	71.76	608	1.29	596	1.94	1549	3.22	121951	283.54	455125	680.23	576776	963.77
पश्चिम बंगाल	47011	247.30	362	1.04	5615	33.15	85454	199.72	1691685	2579.66	3775698	5082.61	5467384	7662.28
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	199	1.23	3	0.01	2	0.00	0	0.00	1779	4.14	15687	27.76	17466	31.90
चंडीगढ़	2239	13.39	157	0.33	238	1.20	3195	7.95	47589	167.34	151364	556.38	198953	723.72
दादर तथा नगर हवेली	109	0.65	1	0.000	10	0.095	0	0.00	1328	4.05	828	0.89	2156	4.94
दमन और दीव	276	3.49	46	0.27	5	0.06	0	0.000	512	9.61	4386	18.42	4897	28.03
दिल्ली	19832	122.79	1865	3.66	2592	19.23	23597	63.12	451093	1997.66	1114700	2563.65	1565792	4561.31
लक्षद्वीप	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.000	149	0.38	98	0.178	247	0.56
पुडुचेरी	2161	15.60	472	4.15	78	0.72	0	0.00	12332	41.44	45492	81.97	57825	123.41
कंपनी कुल	939978	4789.37	120610	479.75	97730	590.17	553203	1117.18	11094391	30441.94	37012277	52732.09	48106668	83174.03

इनके विदेशी नये व्यापार प्रीमियम इनमें नीहित नहीं है।

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया ग्रुप नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	एगोन रेलीगेयर		अविवा		ब्याज अलायंज		भारती एक्सा		बिस्वा सनलाइफ		केनरा एक्सबीसी		डीएलएफ प्रोमैरिक्वा					
	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	योजनाओं की संख्या			
आंध्र प्रदेश	0	0.00	18	21.15	127.54	15637230	0	0.33	284	22	28.28	66206	0	0.00	0	0.00	0	
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	
असम	0	0.00	0	0.00	2	3.16	17733	0	0.001	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
बिहार	0	0.00	0	0.00	17	4.57	2410	0	0.05	71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	8	0.60	2598	0	0.56	261	0	0.01	349	0	0.00	0	0.00	
गोवा	0	0.00	0	0.00	2	0.08	1430	0	0.346	129	1	0.93	200	0	0.00	0	0.00	
गुजरात	0	0.00	9	3.81	1370	55	13.00	37225	0	4.48	2724	3	23.40	29341	0	0.00	0	
हरियाणा	0	0.00	39	6.16	50886	10	8.33	15312	0	0.02	1234	30	17.39	31301	1	1.00	499	
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	2	1.06	1813	0	0.00	2	5	2.19	1437	1	5.00	62	0.00	
जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	1	0.82	1688	0	0.000	0	1	0.002	53	0	0.00	0	0.00	
झारखंड	0	0.00	0	0.00	8	1.34	2975	0	0.03	51	1	0.01	17	0	0.00	0	0.00	
कर्नाटक	0	0.00	12	5.03	12569	64	40.49	573987	0	0.51	844	42	81.66	272881	4	59.29	56388	
केरल	0	0.00	0	0.00	19	131.22	23601	0	0.23	199	0	0.00	7	0	0.00	0	0.00	
मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	13	4.61	36941	0	0.97	813	9	0.05	6041	0	0.00	0	0.00	
महाराष्ट्र	11	15.09	22679	32.99	34464	168	384.62	947204	6	5.90	2196	59	147.74	135070	2	53.50	43189	
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
उड़ीसा	0	0.00	0	0.00	8	1.02	4962	0	0.12	34	2	20.06	7106	0	0.00	0	0.00	
पंजाब	0	0.00	0	0.00	-12	11	14.01	25921	0	0.25	3116	1	0.06	2106	0	0.00	0	
राजस्थान	0	0.00	0	0.00	4	36.05	87086	0	1.01	2529	15	5.17	110801	0	0.00	0	0.00	
सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
तमिलनाडु	0	0.00	3	2.48	2733	692	14.05	2187583	0	0.92	1085	7	26.58	9948	0	0.00	0	
त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	1	0.01	120	0	0.0000	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00	36	33.39	331512	0	0.20	967	16	1.28	14649	0	0.00	0	0.00	
उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	3	0.58	1314	0	0.15	97	1	0.00	75	0	0.00	0	0.00	
पश्चिम बंगाल	0	0.00	16	1.62	34760	45	27.28	67756	0	0.95	307	16	59.51	40730	0	0.00	1	
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	2	2.83	925	0	0.04	1	2	0.16	3685	0	0.00	0	0.00	
दादर तथा नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
दिल्ली	0	0.00	27	5.83	15355	62	23.26	97858	0	3.01	718	13	21.81	13539	1	6.05	4033	
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
कंपनी कुल	11	15.09	22679	79.08	1423737	1498	873.90	20107084	6	20.09	17688	246	436.28	745652	9	124.84	104151	1
																		0.01

इनके विदेशी नये व्यापार प्रीमियम इसमें नीहित नहीं है।

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया ग्रुप नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्युवर जनराली योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	एचडीएफसी स्टैंडर्ड योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	आइडीबीआई प्रोडल योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	इंफिडिया फर्स्ट योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	आइएनपी वैश्य योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	कोटक महेंद्रा योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	1	3.11	13000	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	41	
असम	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	3	0.05	9361	0	
बिहार	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	5	3.02	744	7	1.08	13957	0	0.00	0	0.00	0	1	0.00	106	0	
गोवा	0	0.00	0	5	4.10	7380	9	17.68	14689	1	0.14	41840	2	100.02	16291	0	2.17	27333	
गुजरात	0	0.00	0	2	13.30	2342	1	2.54	85	0	0.00	0	0.00	0	44	10.24	116741	0	
हरियाणा	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.03	13	0	0.00	0	1	0.00	251	
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0	0.00	840	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	2	0.04	14589	0	
झारखंड	23	9.29	2106071	31	76.12	60343	41	134.40	942306	0	0.05	14906	2	0.01	2561	180	54.08	367152	
कर्नाटक	0	0.00	0	1	0.00	13	0	0.00	0	3	1.64	51616	0	0.00	0	0	0.92	503	
केरल	0	0.00	0	0	0.03	0	0	0.00	0	0	0.06	33762	1	0.00	60	3	0.00	374	
मध्य प्रदेश	36	12.63	19912	110	247.83	234280	80	1313.07	1126792	1	8.01	16813	13	8.42	20446	138	208	161.00	800638
महाराष्ट्र	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
मणिपुर	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
मेघालय	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
मिजोरम	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
नागालैंड	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
उड़ीसा	0	0.00	0	4	16.06	14060	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	3	0.16	41963	0	
पंजाब	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
राजस्थान	0	0.00	0	0	0.52	0	1	5.33	6	1	0.03	5660	0	0.00	0	2	0.04	270	
सिक्किम	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
तमिलनाडु	0	0.00	0	53	9.64	77856	24	42.10	172860	0	0.00	0	0.00	0	35	17.89	128652	0	
त्रिपुरा	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0	7.02	0	0	0.01	1	0	0.04	11830	0	0.00	0	18	2.51	139188	
उत्तराखंड	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.06	4	0	0.00	0	0.00	0	2	0.12	6623	0	
पश्चिम बंगाल	6	0.09	323	17	55.38	37997	13	60.00	195746	0	0.00	0	0.00	0	16	5.96	31498	0	
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
चंडीगढ़	0	0.00	0	1	0.53	290	1	0.30	24	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
दादर तथा नगर हवेली	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	1	0.00	61	0	
दमन और दीव	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
दिल्ली	45	16.01	38469	51	131.63	269335	45	851.10	646377	3	1.75	519878	1	0.00	83	28.87	65969	0	
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
पुडुचेरी	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	
कंपनी कुल	110	38.02	2164775	290	570.88	719353	230	2439.54	3136447	9	11.72	696305	38	191.15	1296914	0	7.34	1509	661 287.81 1956568

इनके विदेशी नये व्यापार प्रीमियम इनमें नीहित नहीं है।

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया ग्रुप नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मैक्स न्यूयॉर्क		मेट लाइफ		रिलियांस लाइफ		सहारा		एस बी आई लाइफ		श्रीराम		स्टार यूनिफाईड									
	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या	प्रीमियम	जीवन योजनाओं की संख्या							
आंध्र प्रदेश	73	53.80	7824039	88	10.24	918251	30	3.52	179749	0	0.00	0	25	211.86	200938	0	0.00	0	12	0.15	6013	
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.10	1	0	0.00	0	0	0.80	3931	0	0.00	0	0	0	0.00	0
असम	0	0.00	0	3	1.90	15246	1	0.10	156	0	0.00	0	1	92.42	44087	0	0.00	0	1	0.36	1	0
बिहार	0	0.00	0	1	0.09	75	2	0.02	206	2	0.01	540	2	11.53	85141	0	0.00	0	2	0.01	118	0
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	1	0.02	63	0	0.56	10	0	0.00	0	3	10.46	14493	0	0.00	0	0	0.00	0	0
गोवा	0	0.00	0	0	0.02	246	0	-0.90	0	0	0.00	0	0	2.47	4058	0	0.00	0	0	0.00	0	0
गुजरात	37	0.38	20782	16	1.62	70843	28	3.95	21471	1	0.00	56	20	87.48	109935	0	0.00	0	1	0.01	111	0
हरियाणा	103	16.66	102569	8	6.02	27267	0	0.49	19	0	0.00	0	9	68.60	18378	0	0.00	0	0	0.00	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0	0.00	1	0	-0.01	0	0	0.00	0	1	3.80	7424	0	0.00	0	0	0.00	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	1	4.92	9293	0	0.10	2	0	0.00	0	0	1.30	7045	0	0.00	0	0	0.00	0	0
झारखंड	1	0.00	844	0	0.03	22	0	0.04	12	0	0.00	0	0	10.86	32265	0	0.00	0	1	10.00	804	0
कर्नाटक	82	2.11	40717	39	8.20	469783	34	3.33	14249	0	0.00	0	13	205.81	98492	3	3.43	357563	2	0.42	7	0
केरल	2	0.19	62870	2	0.24	8982	0	0.00	0	0	0.00	0	6	160.97	33381	0	0.00	0	0	0.01	2718	0
मध्य प्रदेश	2	0.02	1160	2	1.41	74201	89	18.63	1623	0	0.00	0	3	24.46	58149	0	0.00	0	0	0.00	0	0
महाराष्ट्र	267	48.03	422809	82	11.30	524166	3	0.38	311239	0	0.00	0	69	760.02	234293	1	88.27	352022	20	126.51	120329	0
मणिपुर	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.55	2607	0	0.00	0	0	0.00	0	0
मेघालय	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.03	2	0	0.00	0	2	3.91	7020	0	0.00	0	0	0.00	0	0
मिजोरम	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.02	1	0	0.00	0	1	1.64	2367	0	0.00	0	0	0.00	0	0
नागालैंड	0	0.00	0	0	0.00	0	0	1.01	3	0	0.00	0	0	0.75	4244	0	0.00	0	0	0.00	0	0
उड़ीसा	0	0.00	0	2	0.13	236	21	0.92	14610	0	0.00	0	4	34.18	62632	0	0.00	0	2	5.52	1037	0
पंजाब	2	0.00	42	0	0.20	18	0	0.76	8	0	0.00	0	2	15.18	27695	0	0.00	0	1	0.00	52	0
राजस्थान	0	0.00	0	4	5.16	32196	0	-0.01	20	1	0.00	77	1	35.07	39857	0	0.00	0	3	0.01	1180	0
सिक्किम	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.01	1	0	0.00	0	0	0.53	1410	0	0.00	0	0	0.00	0	0
तमिलनाडु	24	0.72	10060	16	8.82	160764	116	313.72	122716	0	0.00	0	25	272.65	82972	8	0.53	58914	21	2.31	197769	0
त्रिपुरा	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.69	3487	0	0.00	0	0	0.00	0	0
उत्तर प्रदेश	31	0.28	10528	15	0.71	24404	0	0.10	6	4	0.01	435	12	71.65	141838	0	0.00	0	2	22.27	2233	0
उत्तराखंड	0	0.00	0	7	0.12	34738	0	0.01	0	0	0.00	0	1	15.73	17845	0	0.00	0	0	0.00	0	0
पश्चिम बंगाल	6	0.03	2195	4	0.42	2987	0	1.39	34406	0	0.00	0	13	404.16	49307	0	0.00	0	0	0.00	0	0
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.59	598	0	0.00	0	0	0.00	0	0
चंडीगढ़	1	0.00	182	0	0.02	10	0	0.10	6	0	0.00	0	9	43.88	6454	0	0.00	0	0	0.00	0	0
दादर तथा नगर हवेली	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.05	87	0	0.00	0	0	0.00	0	0
दमन और दीव	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.55	251	0	0.00	0	0	0.00	0	0
दिल्ली	81	3.31	90029	16	8.58	54055	58	27.09	137341	0	0.00	0	22	227.08	101359	0	0.00	0	4	0.94	21632	0
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	5	0	0.00	0	0	0.00	0	0
पुडुचेरी	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00	0	0	0.00	0	0	1.35	1583	0	0.00	0	0	0.00	0	0
कंपनी कुल	712	125.54	8588826	307	70.15	2428672	382	376.35	837858	8	0.02	1108	244	2783.02	1505328	12	92.23	769499	72	168.52	353994	0

इनके विदेशी नये व्यापार प्रीमियम इनमें नीहित नहीं है।

राज्यानुसार बीमा लेखन किया गया ग्रुप नया व्यापार

(प्रीमियम करोड ₹ में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	टाटा एआईजी प्रीमियम	टाटा एआईजी योजनाओं की संख्या	स्टेट कुल (मिजी) प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	योजनाओं की संख्या	स्टेट कुल (मिजी) प्रीमियम	जीवन सुरक्षित	एलआईसी # प्रीमियम	योजनाओं की संख्या	जीवन सुरक्षित	स्टेट कुल (रुपय) प्रीमियम	जीवन सुरक्षित
आंध्र प्रदेश	38.51	3	596.19	12144	606	27605464	1685	2179.52	1685	12246823	2775.71	39851287
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.90	0	0	3932	0	0.00	0	0	0.90	3932
असम	0.34	0	101.41	3382	9	93652	1047	161.76	1047	196813	263.17	290465
बिहार	0.28	0	16.61	442	29	98384	589	67.26	589	1021787	83.86	1120171
छत्तीसगढ़	1.30	0	13.52	2722	12	20496	526	401.66	526	218918	415.19	239414
गोवा	0.05	0	7.96	20	16	20890	91	70.73	91	40154	78.70	61044
गुजरात	1.10	1	263.33	5701	210	407092	982	867.36	982	1052315	1130.69	1459407
हरियाणा	7.67	5	158.41	11170	252	377803	171	37.09	171	51496	195.50	429299
हिमाचल प्रदेश	0.08	0	12.16	181	11	11184	601	27.27	601	43393	39.43	54577
जम्मू और कश्मीर	0.06	0	7.20	70	3	18151	112	175.85	112	37600	183.05	55751
झारखंड	1.34	1	23.67	1208	14	53637	329	315.12	329	38032	338.79	91669
कर्नाटक	15.49	11	706.85	228435	583	5620705	1903	5504.79	1903	2175943	6211.63	7796648
केरल	0.45	0	295.86	2049	33	185839	1205	566.72	1205	733728	862.58	919667
मध्य प्रदेश	1.67	0	51.91	2521	122	215545	2052	207.07	2052	1676047	258.98	1891592
महाराष्ट्र	98.24	35	3523.64	323141	1199	5681820	2369	9960.64	2369	3253381	13484.27	8945201
मणिपुर	0.11	0	0.65	104	0	2711	12	0.60	12	1660	1.25	4371
मेघालय	0.04	0	3.97	144	2	7166	4	0.58	4	340	4.55	7506
मिजोरम	0.00	0	1.66	2	1	2370	1	0.21	1	180	1.87	2550
नागालैंड	0.00	0	1.77	0	0	4247	1	0.10	1	12	1.87	4259
उड़ीसा	1.45	0	79.83	6046	46	152886	800	299.42	800	111957	379.05	264643
पंजाब	1.53	0	31.99	3580	17	62526	405	71.95	405	260019	103.95	322545
राजस्थान	7.07	2	95.46	11374	34	290756	1074	246.33	1074	1973091	343.79	2263847
सिक्किम	0.02	0	0.56	31	0	1442	1	0.55	1	54	1.11	1496
तमिलनाडु	2.29	3	714.70	18646	1027	3230748	2945	1701.89	2945	2978056	2416.60	6208804
त्रिपुरा	0.04	0	0.73	69	1	3677	66	12.33	66	32712	13.06	36389
उत्तर प्रदेश	4.28	0	143.73	2847	134	680438	2478	408.28	2478	1035255	552.01	1715693
उत्तराखंड	0.76	0	17.54	597	15	61293	307	80.58	307	100788	98.12	162081
पश्चिम बंगाल	25.34	12	642.14	34157	165	542179	2885	1981.85	2885	5584063	2623.99	6126242
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.59	0	0	598	0	0.00	0	0	0.59	598
चंडीगढ़	0.00	0	47.85	11587	16	11587	239	171.92	239	119322	219.78	130909
दादर तथा नगर हवेली	0.00	0	0.17	0	2	308	0	0.00	0	0	0.17	308
दमन और दीव	0.00	0	0.55	1074	0	1074	0	0.00	0	0	0.55	1074
दिल्ली	5.51	16	1361.95	13712	528	2089742	603	8702.19	603	631846	10064.14	2721588
लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0	0	5	0	0.00	0	0	0.00	5
पुडुचेरी	0.00	0	1.36	14	0	1599	26	8.95	26	46414	10.31	47013
कंपनी कुल	215.04	89	8926.63	681709	5087	47571846	25509	34232.58	25509	35660199	43159.21	83232045

इनके विदेशी नये व्यापार प्रीमियम इनमें नीहित नहीं है ।

विवरण 9

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) लागू व्यापार (पॉलिसियों की संख्या)

(पॉलिसि हजार में)

बीमाकर्ता	जीवन व्यापार		सामान्य एयुटी तथा सेवानिवृत्ति व्यापार		नान-लिकड स्वास्थ्य व्यापार		लिकड स्वास्थ्य व्यापार		कुल
	01-04-2010 को लागू व्यापार	अतिरिक्त* हटायी गयी**	31-03-2011 को लागू व्यापार	01-04-2010 को लागू व्यापार	अतिरिक्त* हटायी गयी**	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	
बजाज अलायंस	940.70	1036.46	156.83	1820.33	1.27	0.40	6689.62	0.00	8586.82
रिलायंस	600.21	1546.93	207.85	1939.29	14.59	0.72	3261.82	46.44	5279.22
अविवा	61.64	124.19	33.92	151.91	0.72	0.03	711.01	0.00	863.89
बिरला सन लाइफ	993.18	649.26	790.46	851.98	0.94	1.00	2130.42	7.42	2996.95
एचडीएफसी स्टार्डर्ड	1497.30	313.84	213.61	1597.52	9.25	8.00	1893.61	0.00	3587.76
आइसीआईसी यू	971.50	619.78	501.55	1089.73	3.27	1.77	4944.66	91.83	6251.47
आइएनजी वेश्या	432.07	225.62	82.85	574.84	24.26	5.03	631.16	0.00	1314.43
मैक्स न्यू यॉर्क	1342.27	583.91	210.71	1715.47	0.24	0.65	1613.53	0.00	3359.26
मेटलाइफ	230.13	117.89	77.65	270.37	0.14	0.06	578.26	0.00	852.88
कोटक महिन्द्रा	162.71	134.56	32.08	265.20	1.02	0.42	878.33	0.00	1150.03
एसबीआई लाइफ	578.74	289.49	78.78	789.45	15.36	9.80	3548.98	0.00	4477.35
टाटा एआईसी	740.49	313.56	235.17	818.89	1.06	0.72	999.69	16.57	1933.40
सहारा	116.27	54.72	21.19	149.80	0.06	0.01	167.49	0.00	317.65
श्रीराम	39.80	42.02	9.41	72.41	0.01	0.00	248.43	0.00	320.86
भारती एक्सा लाइफ	44.79	93.94	20.65	118.08	0.34	0.03	266.35	0.00	393.02
फ्यूचर जनरली	178.47	257.18	69.14	366.51	1.70	0.15	178.75	0.00	550.76
आईडीबीआई फेडरल	47.45	76.52	4.47	119.50	0.47	0.00	129.07	0.00	249.61
केनरा एक्सबीसी	0.81	14.72	0.22	15.31	0.00	0.00	200.02	0.00	215.34
पोन सेलियर	14.83	42.12	2.77	54.18	0.37	0.00	11.85	0.00	138.61
डीएलएफ प्रीमरिका	1.40	22.29	2.86	20.83	0.00	0.00	33.11	0.00	53.94
स्टार यूनिफन वरल्डी	12.23	29.30	4.55	36.99	0.10	0.00	150.93	0.00	188.02
इण्डिया फर्स्ट	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	168.66	0.00	169.36
कुल	9006.99	6589.00	2756.71	12839.28	75.17	27.88	29496.11	162.26	43250.62
एलआईसी	226057.89	35392.04	21068.70	240381.23	255.81	286.39	42461.91	343.81	285936.21
कुल	235064.88	41981.04	23825.41	253220.51	330.98	314.27	71958.02	506.07	329186.83

*नयी पॉलिसियों को मिलाकर, बहाल की गई / पुनर्विलोकित की गई
 **मृत्यु के कारण, परिपक्वता लेस, समर्पित तथा रद्द की गई पॉलिसियों को मिलाकर
 # स्वास्थ्य लिबड ब्यलसाय को हटाकर (यदि है)
 डाटा का स्रोत: बीमाकर्ता रिपोर्ट तथा निचोड दिनांक 31/03/2011 पर

विवरण 10
(₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत व्यापार (भारत में) लागू व्यापार (बीमा राशी)

बीमाकर्ता	जीवन व्यापार		सामान्य एयुटी तथा सेवानिवृत्ति व्यापार		नान-लिकड स्वास्थ्य व्यापार		लिकड स्वास्थ्य व्यापार		कुल			
	01-04-2010 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	01-04-2010 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार	31-03-2011 को लागू व्यापार				
बाजाज अलायंज	19098.07	23556.07	4599.52	38054.62	219.15	16.54	225.12	2822.22	164151.46	0.00	205253.41	
रिलायंस	8722.92	16074.80	2748.07	22049.65	0.00	0.00	0.00	384.79	38235.54	969.83	61639.81	
अविवा	3146.38	8332.02	1280.41	10197.99	1.89	0.41	15.57	0.00	26458.59	0.00	36672.14	
बिरला सन लाईफ	6543.55	10843.29	2332.70	15054.14	0.07	0.00	1.23	704.37	113593.80	741.60	130095.15	
एचडीएफसी स्टार्ड	29563.37	9024.05	3211.77	35375.65	1579.75	433.64	183.01	376.69	73239.17	0.00	110821.90	
आइसीआईसी यू	27346.81	16213.74	7282.22	36278.33	1551.87	97.03	83.83	11585.16	127584.04	175.56	177188.15	
आइएमजी कैशा	8198.31	4434.63	1494.12	11138.82	359.89	261.00	21.53	599.36	0.00	11252.72	0.00	22990.91
मैक्स न्यू यॉर्क	41554.02	16478.34	8736.97	49295.39	133.34	4.70	13.10	459.77	48743.36	0.00	98623.45	
मेटलाईफ	9336.34	4803.10	2190.90	11948.54	15.37	5.43	1.31	23.22	35064.46	0.00	47055.71	
कोटक महिन्द्रा	8738.16	13249.97	2256.58	19731.54	223.80	52.66	17.08	259.38	0.00	27294.68	0.00	47285.60
एसबीआई लाइफ	18017.96	14914.44	3207.66	29724.73	816.43	42.99	19.45	839.98	56779.09	0.00	87348.79	
टाटा एआईवी	14845.86	5908.21	2097.29	18656.78	433.89	28.51	14.26	448.13	33626.02	2939.84	60813.27	
सहारा	1700.11	855.42	399.19	2156.34	7.41	2.63	0.53	9.52	2712.42	0.00	4878.28	
श्रीराम	989.07	1190.87	294.06	1885.88	0.12	0.07	0.04	0.16	6019.73	0.00	7905.77	
भारती एरसा लाइफ	1411.51	3566.01	1163.75	3813.76	0.00	28.17	2.34	146.85	6071.22	0.00	10057.66	
फ्यूचर जनरली	4179.38	12942.93	1627.50	15494.81	1.23	0.28	0.00	0.00	4707.65	0.00	20203.97	
आईडीबीआई फेडरल	5062.76	6310.15	252.04	11120.87	0.00	0.00	0.00	0.20	3248.85	0.00	14369.93	
केनरा एएसबीसी	366.27	722.80	59.00	1030.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12373.72	0.00	13403.80	
एोम रेलीगेयर	3287.37	7273.53	664.44	9896.46	0.00	9.36	0.00	491.76	2964.96	0.00	13362.53	
डीएलएफ प्रोमेरिका	113.73	572.32	163.73	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.19	0.00	1772.51	
स्टार यूनिफन वरल्डी	230.12	582.28	79.50	732.90	0.67	8.01	0.00	8.68	2931.25	0.00	3672.84	
इण्डिया फर्स्ट	0.00	111.41	0.08	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2722.10	0.00	2833.44	
कुल	212452.07	177960.38	46141.49	344270.96	5344.89	1012.23	373.41	22142.52	801025.02	4826.83	1178249.04	
एलआईसी	2061033.71	566582.84	192220.72	2435395.83	46926.56	11195.96	6525.20	51597.32	178478.63	12497.82	2677969.60	
कुल	2273485.78	744543.22	238362.21	2779666.79	52271.46	12208.20	57581.03	22142.52	979503.65	17324.65	3856218.64	

*नयी पॉलिसियों को मिलाकर, बहाल की गई / पुनर्विलोकित की गई
 **मृत्यु के कारण, परिपक्वता लेम्प, समाप्ति तथा रद्द की गई पॉलिसियों को मिलाकर
 # स्वास्थ्य लिकड व्यवसाय को हटाकर (यदि है)
 डाटा का स्रोत: बीमांकक रिपोर्ट तथा निचोड़ लिंक 31/03/2011 पर

लिंकड एवं नॉन लिंकड प्रीमियम - जीवन बीमा - 2010-11

(प्रीमियम करोड ₹ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम			लिंकड प्रीमियम			नॉन-लिंकड प्रीमियम								
	सेयुलर	सिंगल	कुल	सेयुलर	सिंगल	कुल	सेयुलर	सिंगल	कुल						
एलआईसी	36265.36	50746.99	87012.35	116461.05	203473.40	3103.62	23398.56	26502.19	12694.60	39196.78	33161.73	27348.43	60510.16	103766.45	164276.61
आइएनजी वैशा	634.13	26.35	660.49	1048.46	1708.95	126.29	19.06	145.35	702.12	847.47	507.84	7.29	515.13	346.34	861.47
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	3339.05	720.28	4059.33	4944.85	9004.17	2937.32	556.22	3493.54	3898.47	7392.01	401.73	164.05	565.79	1046.37	1612.16
बिरला सम लाईफ	2029.27	51.04	2080.30	3596.76	5677.07	1726.41	23.29	1749.70	3550.68	5300.38	302.86	27.75	330.60	46.08	376.68
आइसीआईसी प्रू	5692.69	2169.45	7862.14	10018.49	17880.63	4178.18	1904.66	6082.84	9564.93	15647.77	1514.51	264.79	1779.30	453.56	2232.86
कोटक महिंद्रा	856.98	396.16	1253.14	1722.37	2975.51	605.42	277.44	882.87	1603.25	2486.11	251.55	118.72	370.27	119.12	489.40
टाटा एआईजी	1107.71	224.50	1332.21	2653.01	3985.22	712.79	162.54	875.34	1985.75	2861.09	394.92	61.96	456.87	667.26	1124.13
एसबीआई लाइफ	3374.19	4198.21	7572.39	5339.25	12911.64	2502.60	1963.38	4465.98	4583.52	9049.49	871.59	2234.83	3106.41	755.74	3862.15
बजाज अलायंस	2312.09	1153.73	3465.82	6144.13	9609.95	1295.01	1141.26	2436.27	5543.65	7979.93	1017.08	12.47	1029.55	600.48	1630.02
मैक्स स्टू योर्क	1774.99	286.40	2061.39	3751.24	5812.63	763.33	94.55	857.88	2662.68	3520.56	1011.66	191.85	1203.51	1088.56	2292.07
मेटलाइफ	553.81	152.40	706.22	1801.95	2508.17	339.62	139.58	479.20	1446.71	1925.91	214.20	12.82	227.02	355.24	582.26
रिलायंस	2284.63	750.31	3034.94	3536.21	6571.15	1012.40	719.62	1732.02	3326.71	5058.73	1272.22	30.70	1302.92	209.50	1512.42
अविवा	655.74	89.65	745.39	1599.79	2345.17	431.54	88.32	519.86	1567.21	2087.07	224.20	1.33	225.53	32.57	258.10
सहारा	48.30	43.52	91.83	151.58	243.41	18.34	43.52	61.86	90.13	151.99	29.97	0.00	29.97	61.45	91.42
श्रीराम	159.43	412.55	571.99	249.54	821.52	113.05	322.91	435.96	223.58	659.53	46.38	89.65	136.03	25.96	161.99
भारती एक्स लाइफ	321.76	26.03	347.78	444.23	792.02	250.81	4.61	255.42	437.95	693.37	70.95	21.42	92.36	6.28	98.65
फ्यूचर जनरली	366.86	81.75	448.61	277.55	726.16	91.07	79.47	170.54	200.36	370.90	275.79	2.28	278.06	77.20	355.26
आईडीबीआई फेडरल	263.58	181.37	444.95	366.05	811.00	113.22	173.44	286.66	283.52	570.18	150.35	7.93	158.28	82.53	240.82
केनरा एक्सबीसी	796.71	20.57	817.29	714.57	1531.86	644.82	5.28	650.10	713.36	1363.46	151.89	15.29	167.19	1.21	168.40
पोन सेलियर	251.14	23.73	274.87	113.74	388.61	176.01	21.79	197.80	105.58	303.38	75.14	1.93	77.07	8.16	85.23
डीएलएफ प्रामोरिका	69.15	5.00	74.15	20.89	95.04	46.28	5.00	51.28	20.75	72.03	22.87	0.00	22.87	0.14	23.01
स्टार यूनिफियन दाहकी	343.79	414.90	758.69	174.62	933.31	189.58	353.50	543.09	160.26	703.35	154.21	61.39	215.60	14.36	229.96
इण्डिया फर्स्ट	428.21	276.56	704.77	93.66	798.43	405.34	261.57	666.91	93.66	760.57	22.87	14.98	37.86	0.00	37.86
निजी कुल	27664.19	11704.46	39368.65	48762.94	88131.60	18679.43	8361.02	27040.46	42764.83	69805.28	8984.76	3343.43	12328.19	5998.12	18326.31
उद्योग कुल	63929.55	62451.45	126381.00	165223.99	291604.99	21783.06	31759.59	53542.64	55459.42	109002.07	42146.49	30691.86	72838.36	109764.57	182602.93

लिंकड एवं नॉन लिंकड प्रीमियम - जीवन बीमा - 2009-10

(प्रीमियम करोड ₹ मे)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम			लिंकड प्रीमियम			नॉन-लिंकड प्रीमियम								
	सेच्युलर	सिंगल	पहला वर्ष	सेच्युलर	सिंगल	पहला वर्ष	सेच्युलर	सिंगल	पहला वर्ष	सेच्युलर	सिंगल	पहला वर्ष	कुल		
एलआईसी	26184.48	45337.42	71521.90	114555.41	186077.31	4840.47	23245.78	28086.26	19175.90	47262.15	21344.01	22091.64	43435.65	95379.51	138815.16
आइएनजी वैशा	626.66	15.77	642.43	1000.22	1642.65	311.88	6.87	318.74	732.00	1050.75	314.79	8.90	323.69	268.21	591.90
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	2983.89	273.62	3257.51	3747.60	7005.10	2476.44	216.00	2692.44	3081.19	5773.63	507.45	57.61	565.06	666.41	1231.47
बिरला सन लाइफ	2917.26	42.75	2960.01	2545.65	5505.66	2887.42	40.92	2928.34	2514.84	5443.18	29.85	1.82	31.67	30.80	62.47
आइसीआइसी ग्रु	6058.43	275.49	6333.92	10194.83	16528.75	5960.48	113.15	6073.63	9746.75	15820.38	97.95	162.34	260.29	448.08	708.37
कोटक महिन्द्रा	1083.77	250.22	1333.98	1534.07	2868.05	1014.41	187.63	1202.03	1416.02	2618.06	69.36	62.59	131.95	118.04	249.99
टाटा एआईसी	1273.62	48.39	1322.01	2171.76	3493.78	1093.95	19.42	1113.37	1543.58	2656.95	179.67	28.97	208.64	628.19	836.83
एसबीआई लाइफ	6281.82	758.93	7040.74	3063.28	10104.03	3820.70	535.30	4356.00	2444.60	6800.60	2461.12	223.63	2884.75	618.68	3303.43
बजाज अलायंस	3571.35	879.75	4451.10	6968.61	11419.71	2952.65	796.19	3748.84	6536.42	10285.27	618.70	83.56	702.26	432.19	1134.45
मैक्स स्टू योर्क	1647.47	201.60	1849.08	3011.46	4860.54	1208.31	81.54	1289.86	2107.71	3397.56	439.16	120.06	559.22	903.76	1462.98
मेटलाइफ	987.31	74.54	1061.85	1474.16	2536.01	757.86	30.48	788.34	1282.61	2070.95	229.45	44.06	273.51	191.55	465.06
रिलायंस	3630.15	290.62	3920.78	2684.12	6604.90	3323.31	265.57	3588.88	2567.85	6156.72	306.84	25.06	331.90	116.27	448.17
अविवा	744.28	54.10	798.37	1579.64	2378.01	698.14	54.04	732.18	1570.66	2322.84	46.14	0.06	46.20	8.98	55.18
सहारा	82.53	42.29	124.83	125.77	250.59	41.95	42.29	84.24	77.44	161.68	40.59	0.00	40.59	48.33	88.91
श्रीराम	269.00	150.50	419.50	191.77	611.27	261.80	112.82	374.62	168.88	543.51	7.20	37.68	44.88	22.89	67.76
भारती एक्स लाइफ	405.09	32.35	437.43	232.30	669.73	398.96	3.82	402.77	228.36	631.13	6.13	28.53	34.66	3.94	38.60
फ्यूचर जनरली	476.93	9.15	486.08	55.44	541.51	306.67	8.74	315.41	35.43	350.84	170.26	0.41	170.67	20.01	190.68
आईडीबीआई फेडरल	285.53	115.02	400.56	170.56	571.12	233.72	109.98	343.70	120.70	464.40	51.81	5.04	56.85	49.87	106.72
केनरा एक्सबीसी	604.17	18.45	622.62	219.83	842.45	602.87	11.91	614.78	219.65	834.42	1.30	6.54	7.84	0.19	8.03
गोम रेलीगेयर	146.42	3.95	150.37	15.28	165.65	138.06	3.50	141.57	13.73	155.30	8.36	0.45	8.80	1.55	10.36
डीएलएफ प्रोमोरेला	36.00	1.38	37.38	1.07	38.44	35.62	1.38	37.00	1.04	38.05	0.38	0.00	0.38	0.02	0.40
स्टार यूनिवर्सल	255.24	264.63	519.87	10.50	530.37	233.20	237.67	470.87	10.12	480.99	22.04	26.96	49.00	0.38	49.38
इण्डिया फर्स्ट	162.74	38.85	201.59	0.01	201.60	162.74	38.85	201.59	0.01	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निजी कुल	34529.67	3842.34	38372.01	40997.93	79369.94	28921.13	2918.06	31839.19	36419.61	68258.80	5608.54	924.28	6532.82	4578.32	11111.14
उद्योग कुल	60714.15	49179.76	109893.91	155553.34	265447.25	33761.61	26163.84	59925.45	55595.51	115520.96	26952.54	23015.92	49968.46	99957.83	149926.29

लिंकड एवं नॉन लिंकड कमीशन - जीवन बीमा

(कमीशन ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	2010-11										2009-10									
	कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये	% कुल कमीशन के लिये	कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये	% कुल कमीशन के लिये	कुल कमीशन का कुल प्रीमियम के लिये	कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये	% कुल कमीशन के लिये	कुल कमीशन	कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये	% कुल कमीशन के लिये	कुल कमीशन	कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये	% कुल कमीशन के लिये	कुल कमीशन	% कुल प्रीमियम के लिये
एलआईसी	1017.55	2.60	7.65	12291.13	7.48	92.35	13308.68	6.54	1481.14	3.13	12.23	10629.17	7.66	87.77	12110.31	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
आइएनजी वैशा	19.56	2.31	14.98	111.01	12.86	85.02	130.58	7.95	57.46	5.47	47.58	63.30	10.69	52.42	120.76	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35
एचडीएफसी स्टैंडर्ड्स	327.33	4.43	68.65	149.48	9.27	31.35	476.81	5.30	337.33	5.84	64.19	188.17	15.28	35.81	525.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
बिरला सम लार्ड्स	299.62	5.65	78.73	80.96	21.49	21.27	380.58	6.70	510.61	9.38	98.92	5.59	8.94	1.08	516.20	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
आइसीआईसी प्रू	411.24	2.63	73.35	149.44	6.69	26.65	560.68	3.14	561.91	3.55	93.19	41.06	5.77	6.81	602.97	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
कोटक महिन्द्रा	83.71	3.37	64.31	46.45	9.49	35.69	130.17	4.37	160.83	6.14	95.78	7.09	2.84	4.22	167.92	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
टाटा एआईसी	138.77	4.85	56.35	107.51	9.56	43.65	246.28	6.18	230.69	8.68	82.14	50.16	5.99	17.86	280.85	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04
एसबीआई लाइफ	402.87	4.45	60.03	288.19	6.94	39.97	671.05	5.20	534.39	7.86	80.22	131.78	3.99	19.78	666.17	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59
बजाज अलायंस	284.50	3.57	46.15	331.98	20.37	53.85	616.47	6.41	803.43	7.81	83.47	159.13	14.03	16.53	962.57	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43
मैक्स न्यू योर्क	205.70	5.84	38.10	334.20	14.58	61.90	539.90	9.29	273.42	8.05	64.91	147.79	10.10	35.09	421.21	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67
मेटलाइफ	44.11	2.29	50.52	43.21	7.42	49.48	87.32	3.48	231.96	11.20	79.30	60.55	13.02	20.70	292.51	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53
रिलायंस	141.31	2.79	27.45	373.49	24.69	72.55	514.80	7.83	542.50	8.81	86.41	85.36	19.05	13.59	627.85	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51
अविवा	63.49	3.04	62.84	37.55	14.55	37.16	101.04	4.31	151.38	6.52	95.63	6.91	12.53	4.37	158.29	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
सहारा	8.25	5.43	37.37	13.83	15.13	62.63	22.08	9.07	12.83	7.93	54.16	10.86	12.21	45.84	23.68	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
श्रीराम	28.41	4.31	68.52	13.05	8.06	31.48	41.46	5.05	62.35	11.47	93.78	4.14	6.11	6.22	66.49	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
भारती एक्सा लाइफ	29.83	4.30	75.64	9.61	9.74	24.36	39.43	4.98	62.12	9.84	98.20	1.14	2.95	1.80	63.26	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
फ़्यूचर जनरली	11.67	3.15	12.18	84.11	23.68	87.82	95.78	13.19	72.02	20.53	55.63	57.44	30.12	44.37	129.45	23.91	23.91	23.91	23.91	23.91
आईडीबीआई फ़ेडरल	16.51	2.90	24.78	50.12	20.81	75.22	66.63	8.22	22.73	4.89	51.43	21.46	20.11	48.57	44.19	7.74	7.74	7.74	7.74	7.74
केनरा एक्सबीसी	141.63	10.39	93.30	10.17	6.04	6.70	151.80	9.91	203.10	24.34	99.87	0.26	3.27	0.13	203.37	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
पोल स्ट्रीट	11.46	3.78	52.32	10.44	12.25	47.68	21.91	5.64	11.73	7.55	94.87	0.63	6.12	5.13	12.36	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
डीएलएफ़ प्रानोरिका	4.93	6.84	50.70	4.79	20.83	49.30	9.72	10.23	4.24	11.14	98.86	0.05	12.28	1.14	4.29	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
स्टार यूनिक्स वइजी	29.27	4.16	72.84	10.92	4.75	27.16	40.19	4.31	33.82	7.03	86.09	5.46	11.06	13.91	39.28	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41
इण्डिया फ़र्स्ट	26.23	3.45	97.45	0.69	1.81	2.55	26.92	3.37	14.56	7.22	100.00	0.00	0.00	0.00	14.56	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
निजी कुल	2730.42	3.91	54.92	2241.20	12.23	45.08	4971.61	5.64	4895.41	7.17	82.36	1048.31	9.43	17.64	5943.72	7.49	7.49	7.49	7.49	7.49
उद्योग कुल	3747.96	3.44	20.50	14532.33	7.96	79.50	18280.29	6.27	6376.55	5.52	35.32	11677.48	7.79	64.68	18054.03	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80

विवरण 13

व्यक्तिगत मृत्यु दावे

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरु से विद्यार्थीन दावे		सूचित/ बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित किये गये दावे		वर्ष के अंत में विद्यार्थीन दावे		विद्यार्थीन दावों का अलगअलग विवरण-अवधि के अनुसार			कुल				
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	पॉलिसियों की संख्या	हित राशी	<3 महीने	3-<6 महीने	6-<12 महीने		>12 महीने			
एगोन रेलीगेयर	4	0.38	126	7.12	130	7.50	68	4.05	58	3.17	0	0.00	4	0.28	4	0.00	0	0	4	0.00
अविवा	59	1.77	2206	44.42	2265	46.19	1906	36.08	277	7.37	0	0.00	82	2.74	27	7	20	28	82	34.15
बजाज अलायंस	1527	32.39	25511	363.61	27038	396.00	23980	326.84	1913	46.26	0	0.00	1145	22.91	892	90	41	122	1145	110.66
भारती एक्स लाइफ	0	0.00	787	14.51	787	14.51	686	11.52	99	2.73	0	0.00	2	0.27	2	0	0	0	2	0.00
बिरला सन लाइफ	14	0.67	9818	212.36	9832	213.03	9307	185.96	491	25.11	0	0.00	34	1.96	6	8	8	12	34	35.29
केनरा एक्सबीसी	42	3.12	241	8.75	283	11.88	201	9.07	47	1.85	0	0.00	35	0.96	25	6	1	3	35	8.57
डीएलएफ प्रामेरिका	5	0.21	77	1.47	82	1.68	42	0.49	16	0.55	0	0.00	24	0.64	19	5	0	0	24	0.00
षूबर जन्तली	144	4.07	1101	21.03	1245	25.10	629	10.92	288	6.36	0	0.00	348	7.82	235	71	27	15	348	4.31
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	161	7.28	4418	81.03	4579	88.32	4369	80.58	182	6.35	0	0.00	28	1.39	21	1	3	3	28	10.71
आइसीआईसी मू	1053	19.50	14971	199.27	16024	218.77	15160	201.68	503	9.95	0	0.00	361	7.14	205	65	13	78	361	21.61
आईडीबीआई फेड्रल	56	4.37	363	9.50	419	13.87	272	5.59	88	5.59	0	0.00	59	2.69	52	5	1	1	59	1.69
इण्डिया फर्स्ट	5	0.10	184	2.54	189	2.64	155	2.23	34	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
आइएनजी वैशा	112	2.88	2181	30.92	2293	33.80	2075	28.41	81	2.15	18	0.44	119	2.80	96	21	2	0	119	1.68

जारी विवरण 13

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

व्यक्तिगत मृत्यु दावे

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरु से विचारधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रस्त दावे		खंडित किये गये दावे		लौटये गये दावे		वर्ष के अंत में विचारधीन दावे		विचारधीन दावों का अलगअलग विलयन-अवधि के अनुसार		कुल		
	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	पॉलिसियों की संख्या	हिट राशी	3-<6 महीने	6-<12 महीने		>12 महीने	
कोटक महिन्द्रा	197	8.45	2503	59.58	2700	68.03	2411	57.49	105	5.17	0	0.00	184	5.37	138	16	12	18	184
					(100.00)	(100.00)	(89.30)	(84.51)	(3.89)	(7.59)	(0.00)	(0.00)	(6.81)	(7.89)	(75.00)	(8.70)	(6.52)	(9.78)	(100.00)
मैक्स न्यू यॉर्क	1335	30.32	7686	173.58	9021	203.90	7033	148.04	1344	37.36	0	0.00	644	18.50	629	9	0	6	644
					(100.00)	(100.00)	(77.96)	(72.60)	(14.90)	(18.32)	(0.00)	(0.00)	(7.14)	(9.08)	(87.67)	(1.40)	(0.00)	(0.93)	(100.00)
मेटलाइफ	152	17.54	1680	50.26	1832	67.80	1565	54.51	111	4.19	4	0.07	152	9.03	117	30	5	0	152
					(100.00)	(100.00)	(85.43)	(80.39)	(6.06)	(6.19)	(0.22)	(0.10)	(8.30)	(13.32)	(76.97)	(19.74)	(3.29)	(0.00)	(100.00)
रिलायंस	334	8.02	15956	167.01	16290	175.03	13254	119.46	1410	28.14	21	0.40	1605	27.03	1389	43	2	171	1605
					(100.00)	(100.00)	(81.36)	(88.25)	(8.66)	(16.08)	(0.13)	(0.23)	(9.85)	(15.44)	(86.54)	(2.68)	(0.12)	(10.65)	(100.00)
सहारा	220	2.13	725	7.20	945	9.33	503	4.49	136	1.57	7	0.07	299	3.20	169	69	51	10	299
					(100.00)	(100.00)	(63.23)	(48.12)	(14.39)	(16.83)	(0.74)	(0.75)	(31.64)	(34.30)	(66.52)	(23.08)	(17.06)	(3.34)	(100.00)
एसबीआई लाइफ	142	4.88	9889	144.55	10031	149.53	8249	138.84	1678	5.37	1	0.01	103	5.32	79	6	8	10	103
					(100.00)	(100.00)	(82.24)	(92.85)	(16.73)	(3.59)	(0.01)	(0.00)	(1.03)	(3.56)	(76.70)	(5.83)	(7.77)	(9.71)	(100.00)
श्रीराम	475	7.85	1098	17.39	1573	25.24	876	11.63	407	7.45	0	0.00	290	6.15	162	67	56	5	290
					(100.00)	(100.00)	(55.69)	(46.09)	(25.87)	(29.53)	(0.00)	(0.00)	(18.44)	(24.38)	(55.86)	(23.10)	(19.31)	(1.72)	(100.00)
स्वार यूनिफन वाइचि	22	0.30	268	3.75	290	4.05	234	2.86	4	0.16	0	0.00	52	1.03	42	7	3	0	52
					(100.00)	(100.00)	(80.69)	(70.72)	(1.38)	(3.91)	(0.00)	(0.00)	(17.93)	(25.36)	(80.77)	(13.46)	(5.77)	(0.00)	(100.00)
टाटा एआईजी	306	11.53	3878	71.27	4184	82.80	3428	61.36	714	19.59	0	0.00	42	1.85	29	11	2	0	42
					(100.00)	(100.00)	(81.93)	(74.11)	(17.07)	(23.66)	(0.00)	(0.00)	(1.00)	(2.23)	(69.05)	(26.19)	(4.76)	(0.00)	(100.00)
निजी कुल	6365	167.87	105667	1691.12	112032	1858.99	96403	1502.10	9966	226.83	51	0.98	5612	129.08	4338	537	255	482	5612
					(100.00)	(100.00)	(86.05)	(80.80)	(8.90)	(12.20)	(0.05)	(0.05)	(5.01)	(6.94)	(77.30)	(9.57)	(4.54)	(8.59)	(100.00)
एलआईसी	9527	118.45	729975	6308.96	739502	6427.41	717529	6093.14	7384	109.41	3786	47.54	10803	177.32	3954	2716	2685	1448	10803
					(100.00)	(100.00)	(97.03)	(94.80)	(1.00)	(1.70)	(0.51)	(0.74)	(1.46)	(2.76)	(36.60)	(25.14)	(24.85)	(13.40)	(100.00)
उद्योग कुल	15892	286.32	835642	8000.08	851534	8286.40	813932	7595.24	17350	336.24	3837	48.52	16415	306.40	8292	3253	2940	1930	16415
					(100.00)	(100.00)	(95.58)	(91.66)	(2.04)	(4.06)	(0.45)	(0.59)	(1.93)	(3.70)	(60.51)	(19.82)	(17.91)	(11.76)	(100.00)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

विवरण 14

ग्रुप मृत्यु दावे

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरु से विद्यमान दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रस्तुत दावे		खंडित किये गये दावे		लौटये गये दावे		वर्ष के अंत में विद्यमान दावे		विद्यमान दावों का अलगअलग विवरण-अवधि के अनुसार					
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल	
पेनो रेलीगेयर	0	0.00	2	0.08	2	0.08	2	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
अयिवा	4	0.01	10531	25.92	10535	25.93	10502	25.79	29	0.06	0	0.00	0	0.00	4	0.08	4	0	0	4
बजाज अलायंज	373	2.06	97869	150.99	98242	153.05	98040	150.73	34	0.64	0	0.00	0	0.00	168	1.68	118	36	5	9
भारती एक्स लाइफ	0	0.00	64	0.78	64	0.78	59	0.51	5	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
बिरला सन लाइफ	0	0.00	1254	16.17	1254	16.17	1247	15.87	6	0.28	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0	0	1
केनरा एक्सबीसी	0	0.00	30	0.68	30	0.68	18	0.18	6	0.11	0	0.00	0	0.00	6	0.39	4	2	0	6
डीएलएफ प्रोमोसिका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
फ्यूचर जनरली	67	1.74	17507	27.88	17574	29.62	7618	16.72	2	0.01	0	0.00	0	0.00	9954	12.89	3796	6113	9	36
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	1	0.10	284	2.78	285	2.88	283	2.78	0	0.00	2	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
आइसीआईआइ प्रू	41	2.27	4210	46.84	4251	49.11	3976	45.06	67	1.15	33	0.16	175	2.74	149	19	6	1	1	175
आईडीबीआई फेडरल	0	0.00	987	1.01	987	1.01	918	0.79	19	0.02	0	0.00	50	0.20	50	0	0	0	0	50

नोट: कोषक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल को प्रतिशत दर्शाते हैं।

गुप मृत्यु दावे

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरु से		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित किये गये दावे		वर्ष के अंत में विवाराधीन दावों		विवाराधीन दावों का अलगअलग		कुल	
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	3-6 महीने	6-12 महीने		>12 महीने
इण्डिया फर्स्ट	0	0.00	321	1.96	321	1.96	307	1.73	12	0.21	0	0.00	2	0	0	2
आइएनजी वैश्या	8	0.26	204	2.00	212	2.26	166	1.52	1	0.00	0	0.00	45	10	2	45
कोटक महिन्द्रा	98	2.88	2564	48.80	2662	51.68	2426	44.88	47	1.56	0	0.00	189	11	3	189
मेक्स न्यू यॉर्क	647	1.66	45841	74.85	46488	76.51	45084	73.42	1299	2.21	0	0.00	105	0	1	105
मेटलाइफ	54	0.78	2760	46.86	2814	47.64	2551	46.28	46	0.79	213	0.24	4	1	0	4
रिलायंस	34	0.67	1148	27.28	1182	27.96	1145	26.36	9	0.25	5	0.10	23	0	0	23
सहारा	0	0.00	17	0.05	17	0.05	17	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
एसबीआई लाइफ	34	1.16	12766	190.25	12800	191.41	11936	178.54	767	10.37	0	0.00	97	6	3	97
श्रीराम	12	0.22	1222	19.83	1234	20.05	1232	20.03	2	0.02	0	0.00	0	0	0	0
स्टार यूनिफन दाहली	0	0.00	220	3.00	220	3.00	202	1.79	9	0.87	0	0.00	9	0	2	9
टाटा एआईजी	96	2.21	1023	12.11	1119	14.32	1069	13.20	32	1.00	13	0.01	5	0	2	5
निजी कुल	1469	16.03	200824	700.13	202293	716.16	188798	666.31	2392	19.82	266	0.61	10837	41	82	10837
एलआईसी	403	6.53	233505	1395.32	233908	1401.85	233132	1393.51	12	0.04	0	0.00	764	100	14	764
उद्योग कुल	1872	22.56	434329	2095.45	436201	2118.01	421930	2059.82	2404	19.87	266	0.61	11601	115	96	11601

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल को प्रतिशत दर्शाते हैं।

विवरण 15

समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - व्यक्तिगत वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	सूचना के 30 दिनों के अंदर		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		अवधि 181 से 1 वर्ष		1 वर्ष के ज्यादा		निपटारे गये कुल दावे	
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि
एगोन रेलीगियर	32	1.96	24	0.76	8	1.17	4	0.16	0	0.00	68	4.05
अविवा	1614	28.25	219	5.76	32	0.95	16	0.25	25	0.87	1906	36.08
बजाज अलायंस	15469	188.09	6717	103.56	1388	26.52	345	7.65	61	1.02	23980	326.84
भारती एक्स लाइफ	348	3.51	218	4.79	101	2.67	19	0.55	0	0.00	686	11.52
बिरला सन लाइफ	9086	168.09	204	17.31	15	0.48	1	0.03	1	0.05	9307	185.96
केनरा एचएफबीसी	54	2.26	77	2.92	49	2.04	18	1.74	3	0.12	201	9.07
डीएलएफ प्रमेरिका	16	0.20	18	0.18	6	0.10	2	0.02	0	0.00	42	0.49
फ्लूवर जन्वली	73	0.83	238	3.61	210	3.53	101	2.48	7	0.47	629	10.92
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	3384	48.92	720	20.38	211	8.17	39	1.16	15	1.95	4369	80.58
आईसीआईसी मू	12170	117.85	1637	31.96	765	23.81	280	19.63	308	8.43	15160	201.68
आईडीबीआई फेडरल	270	5.51	0	0.00	0	0.00	2	0.08	0	0.00	272	5.59
इण्डिया फर्स्ट	155	2.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	155	2.23
आइएनजी वेश्या	1344	16.53	525	7.08	177	3.66	27	1.07	2	0.06	2075	28.41
कोटक महिन्द्रा	1357	23.09	596	19.77	443	13.08	10	0.89	5	0.67	2411	57.49
मैक्स न्यू यॉर्क	4093	77.09	2585	61.94	235	6.03	68	1.73	52	1.25	7033	148.04
मेटलाइफ	956	26.08	446	15.59	148	12.57	14	0.25	1	0.02	1565	54.51
रिलायंस	10326	78.90	2685	33.97	229	6.15	5	0.24	9	0.20	13254	119.46
सहारा	35	0.42	155	1.31	165	1.37	79	0.78	69	0.61	503	4.49
एसबीआई लाइफ	6572	94.90	1528	38.80	139	4.58	8	0.27	2	0.29	8249	138.84
श्रीराम	195	1.86	365	5.06	240	3.51	66	0.94	10	0.27	876	11.63
स्टार यूनिफन वइची	58	0.44	122	1.47	48	0.88	6	0.08	0	0.00	234	2.86
टाटा एआईजी	2639	40.49	674	15.37	106	5.06	7	0.40	2	0.04	3428	61.36
निजी कुल	70246	927.48	19753	391.60	4715	126.32	1117	40.40	572	16.30	96403	1502.10
एलआईसी	553197	4708.08	84312	709.46	45041	378.43	26954	228.67	8025	68.50	717529	6093.14
उद्योग कुल	623443	5635.56	104065	1101.06	49756	504.75	28071	269.07	8597	84.80	813932	7595.24

विवरण 16

समयानुसार मृत्यु दावों का निपटारा - गुण वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	सूचना के 30 दिनों के अंदर		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		181 से 1 वर्ष		1 वर्ष के ज्यादा		निपटारे गये कुल दावे	
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि
पेपेन रेलीमेयर	1	0.03	1	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.08
अविवा	10435	25.64	46	0.10	10	0.02	4	0.01	7	0.02	10502	25.79
बजाज अलायंस	88273	132.71	7882	14.66	1767	2.75	75	0.45	43	0.16	98040	150.73
भारती एक्स लाइफ	21	0.05	26	0.18	9	0.26	3	0.02	0	0.00	59	0.51
बिरला सन लाइफ	1234	15.80	12	0.07	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1247	15.87
केनरा एक्सबीसी	10	0.02	3	0.14	4	0.01	1	0.00	0	0.00	18	0.18
डीएलएफ प्रोमेरिका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
फ्यूचर जनरली	7565	14.45	23	1.10	17	1.06	11	0.10	2	0.01	7618	16.72
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	279	2.77	3	0.02	0	0.00	0	0	1	0.00	283	2.78
आईसीआईसी प्रू	2896	30.34	943	11.90	125	1.88	11	0.95	1	0.00	3976	45.06
आईडीबीआई फेडरल	918	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	918	0.79
इण्डिया फर्स्ट	302	1.67	5	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	307	1.73
आइएनजी वैशा	67	0.87	70	0.48	27	0.16	1	0.00	1	0.01	166	1.52
कोटक महिन्द्रा	2031	31.87	270	10.63	118	2.28	1	0.03	6	0.07	2426	44.88
मैक्स न्यू यॉर्क	41169	66.12	2411	5.22	1127	1.57	352	0.47	25	0.04	45084	73.42
मेटलाइफ	2392	45.28	40	0.66	111	0.29	8	0.05	0	0.00	2551	46.28
रिलायंस	1102	24.65	42	1.71	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1145	26.36
सहारा	14	0.05	3	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	0.05
एसबीआई लाइफ	10928	148.65	906	24.49	86	3.53	8	0.46	8	1.41	11936	178.54
श्रीराम	1150	19.79	82	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1232	20.03
स्टार थ्रुनिथन दाइजी	158	0.60	19	0.20	16	0.66	9	0.33	0	0.00	202	1.79
टाटा एआईजी	895	8.91	95	3.03	59	0.82	20	0.44	0	0.00	1069	13.20
निजी कुल	171840	571.04	12882	74.94	3477	15.30	504	3.30	95	1.74	188798	666.31
एलआईसी	228129	1364.47	2909	19.84	1445	5.59	601	3.31	48	0.30	233132	1393.51
उद्योग कुल	399969	1935.51	15791	94.78	4922	20.89	1105	6.61	143	2.04	421930	2059.82

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन

बीमाकर्ता	जीवन फंड											
	सी जी सेक्युरिटीज	एसजी एवं अन्य अनुमोदित सेक्युरिटीज	आधारभूत सुविधा निवेश	अनुमोदित निवेश	अन्य निवेश	कुल (जीवन फंड)						
	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11						
एलआईसी	292901.34	334092.91	109629.03	136929.55	78991.01	80491.49	182643.05	205050.46	33989.06	41726.63	698153.49	798291.03
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	292901.34	334092.91	109629.03	136929.55	78991.01	80491.49	182643.05	205050.46	33989.06	41726.63	698153.49	798291.03
एवडीएफसी स्टैंडर्ड	2042.86	2276.66	139.86	456.77	843.82	1301.75	1326.27	1274.23	98.28	50.72	4451.08	5360.12
मैक्स न्यू यॉर्क	1683.17	2517.25	462.58	521.02	765.19	1131.22	575.69	709.36	1.30	1.33	3487.93	4880.19
आइसीआईसी प्रू	1797.86	2619.75	598.96	813.75	688.31	1080.84	1126.00	1934.78	115.16	113.26	4326.29	6562.38
बिरला सम लाईफ	758.78	1138.02	0.00	0.00	414.21	535.32	268.53	501.89	11.25	2.66	1452.77	2177.89
टाटा एआईजी	1533.89	2146.83	337.10	360.08	489.14	603.50	448.66	418.74	23.68	20.85	2832.47	3550.00
कोटक महिंद्रा	574.08	682.46	145.13	163.03	284.07	370.86	211.52	331.08	1.52	1.85	1216.32	1549.28
एसबीआई लाईफ	2040.46	2161.51	429.36	319.30	775.20	746.50	1542.24	1377.42	13.37	109.39	4800.63	4714.12
बजाज अलायंस	1278.47	2125.63	1193.44	890.25	1045.11	1081.98	1062.53	1553.22	2.79	57.68	4582.34	5708.76
मेटलाईफ	462.72	784.60	119.96	120.21	316.58	357.06	119.98	112.49	11.27	0.00	1030.52	1374.36
रिलायंस	287.69	476.80	139.19	171.28	169.44	253.20	281.46	403.82	9.13	4.67	886.92	1309.77
आइएनजी कैशा	411.99	575.01	149.09	152.28	262.98	335.53	174.99	315.42	117.31	45.82	1116.36	1424.06
अविवा	277.50	338.81	6.58	137.66	99.62	178.79	113.01	178.01	0.00	0.00	496.71	833.28
सहारा	127.17	191.93	73.11	63.03	98.47	123.94	68.92	80.86	12.72	3.01	380.40	462.77
श्रीराम	90.43	107.09	29.89	25.46	70.16	63.27	41.18	62.81	5.76	1.29	237.43	259.92
भारती एक्स लाईफ	67.72	90.84	10.11	10.06	29.06	31.99	27.88	66.52	2.66	1.91	137.43	201.32
आईडीबीआई फेडरल	90.67	150.32	43.18	54.84	73.69	83.86	76.56	261.27	4.44	8.08	288.55	558.38
फूडर जनरली	99.05	185.11	61.59	60.56	59.74	130.53	58.20	73.06	0.72	0.65	279.30	449.90
केनरा एएसबीसी	128.78	134.25	15.47	24.76	37.78	75.23	47.68	44.36	4.30	0.00	234.01	278.60
स्टार यूनिफन वइंची	172.38	195.42	51.50	53.71	70.46	70.00	69.52	77.84	4.25	7.38	368.11	404.35
डीएलएफ प्रोमोशंस	51.18	80.59	0.00	0.00	28.14	34.37	5.87	26.12	0.08	1.95	85.26	143.02
पोम स्लीपेर	66.52	113.61	9.34	17.85	23.67	40.43	7.83	59.64	10.21	0.00	117.56	231.53
इण्डिया फर्स्ट	150.85	190.66	0.00	12.21	38.69	59.08	101.41	87.56	38.03	0.00	328.98	349.50
कुल निजी क्षेत्र	14194.22	19283.14	4015.44	4428.11	6683.53	8689.26	7755.94	9950.52	488.24	432.49	33137.37	42783.52
उद्योग कुल	307095.57	353376.05	113644.46	141357.66	85674.54	89180.75	190398.99	215000.98	34477.30	42159.12	731290.86	841074.55

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	सी जी सेक्युरिटीज		सेवानिवृत्ति एवं साधारण अनुमोदित सेक्युरिटीज		सेवानिवृत्ति एवं साधारण वार्षिकी निधि अनुमोदित निवेश		कुल (सेवानिवृत्ति एवं साधारण भत्ता तथा ग्रुप फंड) निवेश	
	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11
एलआईसी	49941.31	62177.96	22117.86	30275.44	61529.31	80828.36	133588.49	173281.76
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	49941.31	62177.96	22117.86	30275.44	61529.31	80828.36	133588.49	173281.76
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	282.43	378.85	81.70	105.25	290.89	330.68	655.02	814.79
मैक्स न्यू यॉर्क	36.23	61.36	4.87	4.89	13.99	20.42	55.09	86.68
आईसीआईसी प्रू	648.57	1097.48	71.75	93.04	447.21	1133.45	1167.53	2323.97
बिरला सम लार्डफ	39.93	44.21	7.65	7.68	62.12	70.83	109.69	122.73
टाटा एआईसी	162.00	184.25	59.61	72.72	180.12	211.22	401.73	468.19
कोटक महिन्द्रा	22.18	28.09	8.59	7.01	17.08	21.20	47.85	56.30
एसबीआई लाइफ	1824.85	2893.43	1126.22	1652.89	3737.58	6317.71	6688.65	10864.03
बजाज अलायंस	202.79	288.98	45.28	44.34	190.23	418.44	438.30	751.76
मेटलाइफ	44.48	69.61	5.02	5.03	18.17	15.54	67.67	90.18
रिलायंस	0.00	19.00	0.00	3.03	0.00	28.78	0.00	50.82
आईएमजी वैशा	117.23	181.47	52.14	56.99	180.24	310.37	349.61	548.83
अविवा	0.64	0.71	0.37	0.38	0.23	0.86	1.24	1.94
सहारा	0.50	1.98	0.06	0.06	0.36	0.41	0.92	2.46
श्रीराम	0.03	25.34	0.00	11.09	0.00	52.33	0.03	88.76
भारती एक्सा लाइफ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
आईडीबीआई फेडरल	0.06	14.25	0.01	2.88	0.03	1.97	0.10	19.10
फ्यूचर जनरली	15.38	16.55	6.87	11.22	5.32	23.64	27.57	51.41
केनरा एक्सबीसी	5.70	54.22	0.00	9.68	0.64	70.54	6.34	134.44
स्टार यूनिफन लइजी	6.90	37.90	3.15	11.69	11.05	119.07	21.10	168.66
डीएलएफ प्रोमोशिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पोपन सेवीयर	0.00	0.09	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.44
इण्डिया फर्स्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निजी क्षेत्र	3409.89	5397.79	1473.30	2100.25	5155.26	9147.47	10038.45	16645.50
उद्योग कुल	53351.21	67575.74	23591.16	32375.68	66684.57	89975.83	143626.93	189927.26

जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	यूनिट लिक्विड फंड							
	अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधियाँ)		कुल (सभी निधियाँ)	
	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11	31-मार्च-10	31-मार्च-11
भारतीय जीवन बीमा निगम	148828.93	161936.66	11760.36	15079.74	160589.29	177016.39	992331.27	1148589.18
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	148828.93	161936.66	11760.36	15079.74	160589.29	177016.39	992331.27	1148589.18
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	14402.53	19914.30	902.83	408.59	15305.36	20322.89	20411.47	26497.80
नेक्स न्यू यॉर्क	5919.28	8429.17	658.66	440.39	6577.94	8869.56	10120.96	13836.42
आइसीआईसी यू	46900.16	54926.50	4569.09	3900.04	51469.25	58826.54	56963.07	67712.89
बिरला सम लार्जफ	12760.23	16286.86	1415.61	1068.28	14175.84	17355.14	15738.31	19655.76
टाटा एआईजी	5602.53	8243.88	549.20	299.76	6151.73	8543.64	9385.93	12561.83
कोटक महिन्द्रा	5276.72	6766.83	169.13	219.52	5445.85	6986.35	6710.01	8591.93
एसबीआई लाइफ	15891.14	23535.65	1196.16	993.43	17,087.31	24529.08	28576.58	40107.23
बजाज अलायज	26497.09	30409.31	1917.53	2474.86	28414.62	32884.17	33435.26	39344.69
मेटलाइफ	4416.25	6093.96	436.16	292.76	4852.42	6386.72	5950.60	7851.27
रिलायंस	11886.06	15712.62	879.00	773.78	12765.06	16486.40	13651.98	17846.99
आइएमजी वैशा	2671.61	3404.88	532.44	292.88	3204.05	3697.76	4670.02	5670.65
अविवा	5564.85	6407.39	473.71	412.32	6038.56	6819.72	6536.50	7654.93
सहारा	426.42	531.16	48.23	53.76	474.65	584.91	855.97	1050.15
श्रीराम	1089.98	1514.29	94.14	131.88	1184.12	1646.17	1421.58	1994.85
भारती एक्स लाइफ	714.08	1231.74	78.22	107.48	792.30	1339.22	929.73	1540.55
आईडीबीआई फेडरल	762.92	1325.61	51.10	74.48	814.02	1400.09	1102.67	1977.57
फ्यूचर जनरली	273.96	603.45	26.32	42.65	300.28	646.10	607.15	1147.41
केनरा एक्सबीसी	1008.49	2243.85	67.95	82.63	1076.44	2326.48	1316.79	2739.52
स्टार यूथियम दाह्यी	466.87	1158.15	17.87	15.54	484.74	1173.70	873.95	1746.71
डीएलएफ प्रामोखिा	27.94	72.06	2.87	8.80	30.81	80.87	116.07	223.89
पोलिस रेलीयर	120.77	377.35	11.25	35.05	132.02	412.40	249.58	644.37
इन्डिया फर्स्ट	159.90	772.95	13.59	8.51	173.49	781.47	502.47	1130.97
कुल निजी क्षेत्र	162839.78	209961.97	14111.07	12137.39	176950.85	222099.36	220126.66	281528.38
उद्योग कुल	311668.71	371898.63	25871.42	27217.13	337540.14	399115.76	1212457.93	1430117.56

जीवन बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड में)

बीमाकर्ता का नाम	31 मार्च 2010 पर	वर्ष के दौरान जोडा गया	31 मार्च 2011 पर	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	एफडीआई (प्रतिशत में)
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1968.00	26.88	1994.88	518.67	1476.21	26.00
आइसीआइसीआई प्रू	1428.14	0.32	1428.46	370.78	1057.68	25.96
मैक्स न्यू यॉर्क	1838.82	2.18	1841.00	478.63	1362.37	26.00
कोटक महिन्द्रा	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00
बिरला सन लाइफ	1969.50	0.00	1969.50	512.07	1457.43	26.00
टाटा एआईजी	1920.50	33.00	1953.50	507.91	1445.59	26.00
एसबीआई लाइफ	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00
आइएनजी वैश्या	1019.15	445.73	1464.88	380.87	1084.01	26.00
मेटलाइफ	1774.79	194.79	1969.57	512.09	1457.48	26.00
बजाज अलायंज	150.71	0.00	150.71	39.18	111.52	26.00
रिलायंस	1164.65	1.19	1165.84	0.00	1165.84	0.00
अविवा	1888.80	116.10	2004.90	521.27	1483.63	26.00
सहारा	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
श्रीराम	125.00	50.00	175.00	45.50	129.50	26.00
भारती एक्सा लाइफ	1131.35	394.00	1525.35	338.97	1186.39	22.22
फ्यूचर जनरली	702.00	350.00	1052.00	268.26	783.74	25.50
आईडीबीआई फेड्रल	450.00	250.00	700.00	182.00	518.00	26.00
केनरा एचएसबीसी	500.00	200.00	700.00	182.00	518.00	26.00
डीएलएफ प्रामेरिका	570.00	380.00	950.00	247.00	703.00	26.00
ऐगोन रेलीगेयर	221.30	72.66	293.96	76.43	217.53	26.00
स्टार यूनिनन दाइची	250.00	0.00	250.00	65.00	185.00	26.00
इण्डिया फर्स्ट	200.00	125.00	325.00	84.50	240.50	26.00
कुल योग (निजी क्षेत्र)	21015.00	2641.85	23656.85	5723.81	17933.03	24.20
एल आइ सी	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
कुल - (जीवन)	21020.00	2641.85	23661.85	5723.81	17938.03	24.19

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

बीमाकर्ता	मार्च 2010	जून 2010	सितम्बर 2010	दिसम्बर 2010	मार्च 2011
निजी बीमाकर्ता					
एगोन रेलीगेयर	2.66	3.55	4.18	2.74	3.22
अविवा	5.12	4.26	3.44	4.13	5.40
बजाज अलायंज	2.68	2.86	2.99	3.37	2.86
भारती एक्सा लाइफ	1.68	3.78	4.39	2.91	2.14
बिरला सन लाइफ	2.11	2.23	2.24	2.50	2.89
केनरा एचएसबीसी	2.58	3.38	2.62	4.00	3.07
डीएलएफ प्रामेरिका	1.67	1.92	1.88	1.63	2.53
फ्यूचर जनरली	2.34	1.80	2.76	2.19	2.21
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1.80	2.02	1.92	1.80	1.72
आइसीआइसीआइ प्रू.	2.90	3.09	3.05	3.24	3.27
आइडीबीआई फेड्रल	4.05	3.64	3.04	2.45	6.60
इण्डिया फर्स्ट	5.27	5.01	7.43	6.90	6.36
आइएनजी वेश्या	1.79	3.11	3.37	3.26	3.00
मैक्स न्यू यॉर्क	3.22	3.04	2.82	3.06	3.65
मेटलाइफ	1.65	1.69	1.67	1.63	1.69
कोटक महिन्द्रा	2.79	2.75	2.69	2.61	2.67
रिलायंस	1.86	1.58	1.55	1.59	1.66
सहारा	4.50	4.70	4.87	5.06	4.82
एसबीआई लाइफ	2.17	2.25	2.22	2.16	2.04
श्रीराम	2.69	2.38	2.52	3.63	3.96
स्टार यूनिशन दाइची	7.46	7.36	7.47	7.07	6.70
टाटा एआईजी	2.11	1.97	1.79	1.87	2.16
सार्वजनिक बीमाकर्ता					
भारतीय जीवन बीमा निगम	1.54	1.62	1.66	1.58	1.54

स्रोत: बीमांकक रिपोर्ट 31-03-2010 व 31-03-2011 तथा संबंधित तिमाही ऋणशोधन विवरण

जीवन बीमाकर्ता: पॉलिसीधारक लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	बिस्वा सम लाइफ	आईआईसीआई यु.	आईएनपी श्रेया	एलआईसी	एडीएससी स्टैंडर्ड	सेक्स यू ग्रुप	रिलायंस लाइफ	बजाज अलांज						
	2010-11	2009-10	2010-11	2010-11	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10						
अर्जित प्रीमियम-शुद्ध	567707	1788063	1652875	170895	164265	20647340	18607731	900417	700510	581263	486054	660490	960995	1141971
(क) प्रीमियम	(8250)	(6365)	(5292)	(366)	(409)	(11936)	(9492)	(4946)	(4947)	(7642)	(5968)	(1656)	(3477)	(2835)
(ख) पुनर्बीमा खर्च							401							
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार किये निवेशों में आय							352							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल	77156	52157	136165	22618	15559	776669	6719788	92041	62142	45051	32384	40119	24497	83783
(ख) किराया/निवेशों में मोशन	159985	241291	393183	22252	39112	1842358	1017242	187150	94552	71058	72233	94777	67713	348772
(ग) स्थानांतरण/पुनर्मुल्यांकन/निवेश को छुड़ाना	(38949)	(34109)	(695719)	(7157)	(6751)	(234862)	(192374)	(13780)	(16419)	(13582)	(9806)	(28397)	(18375)	(38265)
(घ) स्थानांतरण/पुनर्मुल्यांकन पर लाभ/	(47785)	141402		199	54139	209195	3694853	(57712)	428328	(3885)	102913	40737	270262	(14053)
(ङ) निवेश पर परिशोधन में प्रीमियम/कूट	(1194)	(426)					905	905	(458)	(195)	1241	4506	1316	
(च) खातों में निविद्योग/स्वामित्वहण का समायोजन							(3021)		4136	434				
अग्रिम लाभ/हानि														
अन्य आय	2388	1435	1028	735	1499	8098	34053	1730	1890	243	46	5205	864	2816
शेयरधारक के खाते में अंतरण	6198	47975	13590	11496	14630			20057	35594	1183	5862	16581	30534	6945
यूनिट लिखत वसूलियाँ														
कुल (₹)	717217	992261	2419469	3458864	220116	282045	29827263	1122841	1305330	674128	684959	827313	1035645	1352790
कमीशन	38058	51620	56068	60297	13058	12076	1330868	1211031	47681	53990	42121	51480	62785	61647
बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचलन खर्च	120348	132675	218739	256915	49441	46727	1680828	1224582	149521	149766	150439	156270	163673	160658
संबंधित स्वयं चार्जों के लिए प्रावधान							(44141)			315	22			177163
गत वर्ष से संबंधित														
इकत चार्ज की गती	(59)	9219	(305)			397318	362529			8	20			19239
कर के लिये प्रावधान						35345	50455							6531
(क) निवेशों के मूल्य में कमी (शुद्ध)														
(ख) अन्य														
कुल (सी)	158347	184295	284026	316807	58803	3410550	2756624	197202	202316	198356	192602	207750	226459	241544
मुताबान किये गये लाभ (शुद्ध)	193437	113878	105917	720999	58627	24544	11124119	7913066	283091	123679	58817	201159	69342	498467
मुताबान किये गये अंतरिम बोनास			56	5	11	7	110533	100354	51			9	5	196
जीवन पॉलिसियों के संबन्ध में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन														
(क) सकल*	316927	663250	1015510	2291183	96866	196597	14595689	11722395	639046	310190	419620	408773	731162	81533
(ख) पुनर्बीमा के किया गया खर्च	(321)	(7599)		21	104			(3246)	(2546)	10	(1050)			122952
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि	64													
(घ) जुड़ी हुई निधि में अंतरण														
कुल (सी)	510108	789529	2074882	3012187	155525	221251	26402951	27012738	918942	433879	477487	609942	800509	1027151
ज्यादा / (कमी) (डी) = (ए) - (सी) - (सी)	48762	18438	60760	129770	2092	1991	113762	103092	6698	41892	14868	9621	8677	84095
पूर्व अवधि की नदे														
वर्ष के शुरूआत में कमी														
लिकविड फंड में स्थानांतरण (कालित पालिसियों)														
ज्यादा मूल्यांकनों के लिये उपलब्ध														
मूल्यांकन														
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	32907	1491	86782	78262	2395	113762	103092	4463	4729	32986	10335	405	83551	52448
अन्य आरक्षणों में अंतरित														
पालिसीधारकों के मतिव्य भित्तिभोग खाता में														
शेय	15855	16947	(26021)	51508	(303)	1991	14903	4271	9036	15136	6229	9216	8677	11837
शेयरधारकों के मतिव्य भित्तिभोग खाता में शेष														
बचा हुआ तुलन पत्र में अंतरित														
कुल (डी)	48762	18438	184002	201503	4744	2653	113762	103092	6698	48122	16564	19886	10264	105388

नोट: * बोनास देने के बाद के पालिसी रिजर्व को दर्शाता है। कोष्ठक में अंक नकारात्मक रूप से बताते हैं।

जीवन बीमाकर्ता: पॉलिसीधारक खाता

विवरण	व्यय जनरली		आईडीबीआई फंडल		प्लान रेलीयर		केनरा एक्सपेंसिस्		डीएलएफ प्रॉमोर्स		स्टार यूनिक्स इंडिजी		इन्डिया फर्स्ट		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अतिरिक्त प्रीमियम-शुद्ध																
(क) प्रीमियम	72616	54151	81100	57112	38861	16565	153166	84245	9504	3944	93331	53037	79843	20160	29160499	26544725
(ख) पुनर्बीमा सौंपे	(1013)	(667)	(452)	(210)	(363)	(86)	(621)	(254)	(80)	(4)	(75)	(28)	(62)	(0)	(62580)	(50208)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार किये															401	352
निवेशों में आय																
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल	3214	1325	5977	2995	615	136	5205	1873	176	44	3197	721	1065	33	8614767	7283288
(ख) बिक्री सेलाप/निवेशों में मोवन	4160	1100	6483	6256	1394	864	10907	4207	156	43	2692	1066	1593	55	4491836	2619346
(ग) स्थानांतरण/पुनर्मुल्यांकन/निवेश को छुड़ाना	(543)	(131)	(1641)	(1140)	(774)	(191)	(2633)	(258)	(31)	(19)	(1554)	(183)	(99)	(4)	(1189526)	(466521)
(घ) स्थानांतरण/पुनर्मुल्यांकन पर लाभ/	(1858)	2890	(1876)	3011	1181	490	(2608)	16645	105	186			1141	413	131719	6029502
(ङ) निवेश पर परिशोधन में प्रीमियम/शुद्ध			303	59	116	39			(0)	0			349		4789	1771
(च) खातों में विनियोग/स्वामित्वहण का समायोजन			99	127	69	29	288	230	14	9	98	87			(6723)	6897
अग्रिम लाभ/हानि											2409	1476			(168828)	1434747
अन्य आय	146	207	13	0					0		455		72	18	24967	48341
शेयरधारक के खाते में अंतरण	32778	36837	13511	12299	2974		19760	26114	11450	9794			8823	5095	195107	370356
यूनिट लिक्विड वसूलियाँ															(666)	(1566)
कुल (₹)	109499	95712	103517	80508	44073	17846	183465	132800	21345	13896	100553	56166	92825	25769	41196764	43821032
कमीशन	9578	11044	6663	4419	2191	1293	15180	20337	972	429	4019	3928	2692	1456	1828029	1803959
बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचलन खर्च	41108	46047	20997	14650	40631	27825	26045	19235	14788	10571	10641	6635	13090	6822	3294230	2890628
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान															(48535)	(103867)
गत वर्ष से संबंधित															(21)	(21)
डूबते ऋण की माफ़ी															12	20
कर के लिये प्रावधान															428613	369950
(प्रावधान) कर को छोड़कर															35345	50455
(क) निवेशों के मूल्य में कमी (शुद्ध)															0	(14396)
(ख) अन्य															(6868)	12256
कुल (बी)	50686	57091	27660	19269	42834	29118	41225	38571	15761	11000	14559	10563	15782	8278	5535826	5086584
मुताबान किये गये लाभ (शुद्ध)	4005	1388	765	351	199	50	609	433	93	(25)	709	132	388	17	14215045	9556491
मुताबान किये गये अतिरिक्त बोनास															110958	100589
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन																
(क) सकल	54968	37223	76506	61166	31468	12633	141690	92818	5491	2921	21333	3879	76131	17472	19424423	19434755
(ख) पुनर्बीमा के किया गया खर्च	(159)	(0)	(413)	(278)	(779)	(289)	(59)	(23)			(281)	(28)	(8244)		(64)	(13185)
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि															64	64
(घ) जुड़ी हुई निधि में अंतरण															1538451	9456020
कुल (सी)	58813	38621	75858	61239	30888	12394	142240	93229	5584	2896	90655	49009	76520	17488	35280696	38534671
पूर्व अवधि की मदे															2	380242
वर्ष के शुरुआत में कमी															(10587)	(48615)
लिक्विड फंड में स्थानांतरण (कालित पालिसियों)															15050	14870
ज्यादा मूल्यांकनों के लिये उपलब्ध															364705	244032
मूल्यांकन																
शेयरधारकों के खाते में अंतरण															404881	227754
अन्य आशंका में अतिरिक्त															522	15425
पॉलिसीधारकों के भविष्य विनियोग खाता में					194	121									40247	126607
शेयरधारकों के भविष्य विनियोग खाता में शेष															136158	73892
बचा हुआ तुलन पत्र में अतिरिक्त															(212006)	(189641)
कुल (डी)															364705	244032

नोट: * बोनास देने के बाद के गणितीय रिजर्व को दर्शाता है। कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं।

विवरण 21
(₹ लाखों में)

सभी जीवन बीमाकर्ता : अंशधारक खाता

विवरण	बिस्वा सम लाइफ 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11	आईसीआईआईई वु. 2009-10	आईसीआईआईई वु. 2010-11
पालिसीधारकों के खाते से हस्तांतरित राशियाँ (तकनीकी खात)	32907	1491	73192	25712	2741	113762	103092	4463	4729	32986	10335	405	93551
निवेशों से आय:													
(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	3663	3039	9288	2233	1427	984	3323	2923	3999	7453	3241	2658	17591
(ख) बिक्री पर लाभ/निवेशों की बूट	334	177	1353	940	655	177	69	65	3999	752	710	729	961
(ग) बिक्री पर हानि/निवेशों की बूट	(3)		(54)	(49)			(16)	(9)	(17)	(2)	(99)	(241)	(314)
(घ) सही दाम के पुनर्मूल्यम/परिवर्तन पर हस्तांतरण/लाभ	(156)	(203)					40	0	(30)	354	129	234	136
(ङ) प्रीमियम में परिशोधन/निवेशों में घूट										1	3		
अन्य आय													
कुल (र)	36745	4505	83778	28836	4823	1161	117178	106072	10250	41543	14319	3786	2574
अन्य खर्च जो बीमा ब्यापार के सीधे संबंधित नहीं है	48	80	528	783	333	202	(2)	0	94	20954	10781	134	419
गतित ऋण की हानि													455
प्रावधान (कर निर्धारण के अलावा)													
(क) निवेश मूल्य में कमी (शुद्ध)													
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान													
(ग) अन्य													
पालिसीधारकों के खाते में अंशदान	6198	47975			11496	14630		20057	35594	1183	5862	16581	30534
कुल (सी)	6246	48055	528	783	11829	14832	(2)	0	20151	22137	16411	16715	30953
लाभ/(नुकसान) कर से पूर्व	30500	(43550)	83250	28053	(7006)	(13671)	117180	106072	(9900)	(27518)	19406	(12929)	(28379)
पूर्व अवधि खच													
*कर निर्धारण के प्रावधान			2488	2256	2	5							2463
लाभ/(नुकसान) कर के पश्चात	30500	(43550)	80762	25797	(7008)	(13676)	117180	106072	(9900)	(27518)	19406	(12929)	(28379)
बिनिचोग													
(क) वर्षारंभ में शेष	(202750)	(159201)	(351849)	(377646)	(104892)	(91215)			(146650)	(119131)	(102367)	(267387)	(239008)
(ख) वर्ष के दौरान दिये जाने वाले अंतरिम लाभांश													(1830)
(ग) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश													
(घ) घर पर लाभांश विवरण													
(ङ) रिजर्व/अन्य खातों में अंतरित													
कुल घन को ले जाया गया लाभ	(172251)	(202750)	(271087)	(351849)	(111899)	(104892)			(156550)	(146650)	(82961)	(102367)	(267387)
नोट : कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं ।													

जारी विवरण 21
(₹ लाखों में)

सभी जीवन बीमाकर्ता : अंशधारक खाता

विवरण	एसबीआई लाइफ		कोटक महेंद्रा		टाटा एआईजी		मेटलाइफ		अवीवा		सहारा		श्रीराम		भारती एक्सा	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
पालिसीधारकों के खाते से हस्तांतरित राशियाँ (तकनीकी खाता)	33552	17775	8951	7085	4989	3403	112	74	20495	51	1347	919	143	28343	(47729)	
निवेशों से आय:																
(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	5469	6065	2186	1761	2422	1163	2205	1967	3159	2059	1696	1432	1019	1078	951	621
(ख) बिक्री पर लाभ/निवेशों की बूट	1683	2697	76	282	4	15	244	465	161	312	87	1106	112	198	177	187
(ग) बिक्री पर हानि/निवेशों की छूट	(251)	(3548)	(1)	(0)	(25)	(9)	(9)	(0)	(16)	(0)	(3)	(6)	(91)	(22)	(48)	
(घ) सही दाम के पुनर्मूल्यम/परिवर्तन पर हस्तांतरण/लाभ											(74)	1379				
(ङ) प्रीमियम में परिशोधन/निवेशों में छूट																
अन्य आय	408										5	4	273	133		
कुल (र)	40860	22889	11212	9127	7391	4581	2552	2506	23799	2422	3058	3915	2233	1551	(27237)	(46869)
अन्य खर्च जो बीमा व्यापार के सीधे संबंधित नहीं है	302	39	83	435	460	243	24	794	892	892	75	35	27	34	141	152
गलत ऋण की हानि																
प्रावधान (कर निर्धारण के अलावा)	(29)	(4789)														
(क) निवेश मूल्य में कमी (शुद्ध)																
(ख) संदेहस्पद ऋणों के लिये प्रावधान																
(ग) अन्य																
पालिसीधारकों के खाते में अंशदान	3542		882	1770	1752	44339			20129	36002			474	3324	6661	695
कुल (सी)	3815	(4761)	965	2205	2212	44582	24	20924	36893	75	35	35	502	3358	6801	848
लाभ/(नुकसान) कर से पूर्व	37045	27749	10247	6922	5179	(40001)	2528	2506	2875	(34472)	2983	3880	1731	(1806)	(34039)	(47817)
पूर्व अवधि खर्च																
कर निर्धारण के प्रावधान	411	103									188	259	0			
लाभ/(नुकसान) कर के पश्चात	36634	27646	10247	6922	5179	(40001)	2528	2506	2875	(34472)	2795	3621	1731	(1806)	(34039)	(47817)
बिनिर्वाण																
(क) वर्षरिम में शेष	25487	(2158)	(25512)	(32434)	(160986)	(120985)	(10462)	(12968)	(150726)	(116255)	747	(2874)	730	2536	(121807)	(73890)
(ख) वर्ष के दौरान लिये जाने वाले अंतरिम लाभांश																
(ग) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश																
(घ) घर पर लाभांश वितरण																
(ङ) रिजर्व/अन्य खातों में अंतरिम																
उत्पन्न पत्र को ले जाया गया लाभ	62122	25487	(15264)	(25512)	(155607)	(160986)	(7934)	(10462)	(147851)	(150726)	3542	747	2461	730	(155846)	(121807)

नोट : कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं।

जारी विवरण 21
(₹ लाखों में)

सभी जीवन बीमाकर्ता : अंशधारक खाता

विवरण	फ्यूचर जनरली		आईडीबीआई फंड्स		एनोम सेलियर		केनरा एक्सबीएस		डीएलएफ प्रोमेरिका		स्टार यूनिफन वरची		इन्डिया फर्स्ट		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
पालिसीधारकों के खाते से हस्तांतरित राशियाँ (तकनीकी खाता)																
निवेशों से आय:																
(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	744	765	1184	1810	609	382	893	1124	697	615	2603	2000	1095	511	76334	50490
(ख) बिक्री पर लाभ/निवेशों की बूट	200	544	188	310	99	53	158	530	79	91	377	697	669	241	11002	12275
(ग) बिक्री पर हानि/निवेशों की छूट	(29)	(18)	(121)	(159)	(1)	(2)	(73)	(35)	(0)	(0)	(72)	(125)	(114)	(0)	(1473)	(4634)
(घ) सही दाम के पुनर्मूल्यन/परिवर्तन पर हस्तांतरण/लाभ			215	(3)	461	81			(51)	(70)		890	(50)		(74)	1379
(ङ) प्रीमियम में परिशोधन/निवेशों में घूट	0	0	4	0			1	2			54	0			1915	(6)
अन्य आय															787	177
कुल (र)	915	1291	1470	1959	1168	515	979	1620	725	636	(1429)	(833)	2540	703	480129	234886
अन्य खर्च जो बीमा ब्यापार के सीधे संबंधित नहीं है	150	139	137	154	567	133	356	122	231	171	1365	1173	92	2	27349	16677
गलत ऋण की हानि																
प्रावधान (कर निर्धारण के अलावा)																
(क) निवेश मूल्य में कमी (शुद्ध)																
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान																
(ग) अन्य	0	0	0	1											0	1
पालिसीधारकों के खाते में अंशदान	32778	38637	13511	12299			19760	26114	11450	9794			8923	5095	178543	317806
कुल (सी)	32928	36976	13649	12453	3541	133	20117	26236	11681	9965	1365	1173	9015	5182	208837	329537
लाभ/(नुकसान) कर से पूर्व	(32012)	(35685)	(12178)	(10495)	(2373)	382	(19138)	(24616)	(10956)	(9329)	(2794)	(2006)	(6475)	(4479)	271291	(94652)
पूर्व अवधि खर्च											35	134			35	134
कर निर्धारण के प्रावधान	0	2		0											5552	4096
लाभ/(नुकसान) कर के पश्चात	(32012)	(35686)	(12178)	(10495)	(2373)	382	(19138)	(24616)	(10956)	(9329)	(2829)	(2140)	(6475)	(4479)	265704	(98882)
दिनियोग																
(क) ब्यरिफ में शेष	(64642)	(28955)	(24071)	(13576)	(1997)	(2379)	(47703)	(23087)	(13775)	(4446)	(4106)	(1965)	(5204)	(725)	(1781750)	(1576796)
(ख) वर्ष के दौरान लिये जाने वाले अंतरिम लाभांश																
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश															113762	103092
(घ) घर पर लाभांश वितरण																
(ङ) रिजर्व/अन्य खातों में अंतरित																
कुलम पर को ले जाया गया लाभ	(96654)	(64642)	(36249)	(24071)	(4369)	(1997)	(66841)	(47703)	(24731)	(13775)	(6935)	(4106)	(11679)	(5204)	(1633226)	(1781750)

नोट : कोष्ठक में अंक नकारात्मक मूल्य बताते हैं ।

सभी जीवन बीमाकर्ता : तुलन पत्र
(31 मार्च पर)

(₹ लाखों में)

विवरण	फरवरी 2010	अप्रैल 2010	जुलाई 2010	ऑक्टोबर 2010	नवंबर 2010	दिसंबर 2010	जनवरी 2011	फरवरी 2011	मार्च 2011	अप्रैल 2011	जुलाई 2011	अक्टोबर 2011	नवंबर 2011	दिसंबर 2011	जनवरी 2012	कुल
शेयरधारकों की निधियाँ																
शेयर पूंजी	105200	70200	68995	44924	95000	57000	70000	50000	29396	22130	25000	20000	2366119	2101923	42990	7356
शेयर पूंजी अग्रिम शेयर आवेदन शुल्क	5000	6258											7995	7908		7995
कर्मचारी स्टॉक विकल्प बकाया																
बकाया एवं शेष	(52)	(6)	(135)	7	0	1	12500	12500	8126	0	17000	13000	1004143	818302		1004143
ऋण/(वाटु) सही मूल्य खाता बदलिये	110148	76452	69789	44930	95000	57001	82500	62500	37522	22131	41993	45506	3388412	2974883	1609	3388412
कुल योग																
उधार	0	0	(389)	1	40918	13076	(24)				0					12523892
पालिसीधारकों की निधियाँ																
ऋण/(वाटु) सही मूल्य खाता बदलिये	39017	18884	26263	9778	4168	1323	26286	9659	584	99	25400	3549	102836340	86986116	6689	6689
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित - निवेश संपत्ति	55349	27838	140009	81402	232848	107644	8087	3081	117569	48474	90054	17347	38666368	33959599	605452	366985
पालिसी दायित्व	94386	46721	165883	91181	45086	14399	258910	117303	8671	3180	142769	93603	154640349	132404265	17472	154640349
बीमा रिजर्व	9354	2190			322	126					524	2	335939	308257		335939
जुड़े हुए दायित्व के लिये प्रावधान	213888	125363	235683	136111	140408	71526	341410	179803	46193	25311	184762	139633	158364690	135687405	50518	158364690
अस्थगित कर दायित्व																
भविष्य के लिये निधियाँ																
कुल योग																
निधि का उपयोग																
निवेश	11104	10202	32187	19492	18931	10357	15523	14502	13737	8354	34394	30860	1291451	954251		1291451
शेयरधारक	38047	19019	25067	9381	4235	1364	27782	9534	491	165	22913	4844	101754780	86732230	125	101754780
पालिसीधारक	64610	30028	140009	81402	41240	13202	232648	107644	8087	3081	117370	90577	40256381	34799690	17349	40256381
जुड़े हुए दायित्व के लिये संपत्तियाँ																
ऋण	383	753	1703	1721	2160	4521	2994	5843	374	604	1767	3313	8410128	8315986	2908	8410128
स्थाई संपत्तियाँ																
बदली हुई कर संपत्तियाँ																
अस्थगित कर संपत्ति																
वर्तमान संपत्तियाँ	3769	5254	7810	10853	4848	2526	8576	4954	1051	743	13224	23134	2699647	1763961	1533	2699647
नाइ एवं बैंक शेष	8919	6437	11570	8451	7715	4871	7834	3878	2845	1741	5543	3871	4228997	3856425	665	4228997
अग्रिम एवं अन्य संपत्तियाँ	12688	11681	19380	19304	12563	7397	16410	8832	3696	2485	18768	15067	6928645	5620386	2199	6928645
कुल योग (₹)																
वर्तमान दायित्व	9217	10694	18709	19123	11917	6172	18598	14138	4746	3034	17542	28436	1152769	1649027	10704	1152769
प्रावधान	412	278	174	136	235	359	191	117	177	118	12	182	10	29		1634991
कुल योग (बी)	9629	10972	18882	19259	12152	6531	18789	14255	4922	3153	17654	28446	2787760	3270421	10132	2787760
शुद्ध वर्तमान संपत्तियाँ (सी)=(₹-बी)	3060	719	488	45	411	866	(2379)	(5423)	(1226)	(688)	1114	1225	(1440)	(7934)	4140885	2349965
विविध खर्च (समायोजित या माफ नहीं किया गया)																
लाभ व हानि खाते में नाम शेष																
(अंशधारी खाता)	96654	64642	36249	24071	4369	1997	66841	47703	24731	13775	6935	4106	1805225	1808714	5204	1805225
पालिसीधारक के खाते में नाम शेष																
कुल	213888	125363	235683	136111	140408	71526	341410	179803	46193	25311	184762	139633	158364690	135687405	50518	158364690

भारतीय जीवन बीमा निगम: पॉलिसीधारकों का खाता
(गैर-भागीदारी)

(₹ लाखों में)

	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	781	778
निवेशों को बेचने/विनिवेश में लाभ-हानि	(27)	(27)
पालिसी दायित्वों में परिवर्तन	(1325)	(1283)
अन्य		
निवेशों पर ब्याज,	5	0
ब्याज लाभांश और किराया (सकल)	1416	1283
कुल (ए)	850	751
उपगत दावे (शुद्ध)	717	762
कमीशन	13	14
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च	60	59
अन्य	0	0
परिशोध, माफी एवं प्रावधान	6	(0)
कर के लिये प्रावधान	17	0
कुल (बी)	812	834
प्रचलन लाभ/(हानि) सी=(ए-बी)	38	(83)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण		
अन्य रिजर्व में अंतरण		
कुल (सी)	38	(83)

टिप्पणा: कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकारात्मकता को दर्शाते हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम: अंशधारियों का खाता
(गैर-भागीदारी)

(₹ लाखों में)

	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ/(हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) विविध बीमा	38	(83)
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)		
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ घटायें: निवेश की बिक्री में हानि		
अन्य आय		
कुल (ए)	38	(83)
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)		
(क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये		
(ग) अन्य		
अन्य खर्च		
(क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
(ख) गलत ऋण की माफी		
(ग) अन्य		
कुल (बी)		
कर से पूर्व लाभ	38	(83)
कर के लिये प्रावधान		
कर के पश्चात लाभ	38	(83)
विनियोग		
क) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
ख) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश		
ग) लाभांश वितरण कर		
घ) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरिम		
ड) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित		
च) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
छ) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	38	(83)

टिप्पणा: कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकारात्मकता को दर्शाते हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम: तुलन पत्र
(गैर-भागीदारी)
(मार्च 31 तक)

(₹ लाखों में)

	2011	2010
निधियों के स्रोत		
शेयर पूंजी		
पालिसी दायित्व	18573	17247
रिजर्व एवं ज्यादा	36	36
सही मूल्य परिवर्तन खाता	21	28
ऋण		
कुल	18629	17311
निधियों का उपयोग		
निवेश	18125	16964
ऋण		
स्थायी संपत्तियाँ		
वर्तमान संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	186	209
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	572	591
कुल वर्तमान संपत्तियाँ (ए)	758	800
वर्तमान दायित्व	199	453
प्रावधान	55	0
कुल वर्तमान दायित्व (बी)	254	453
शुद्ध वर्तमान संपत्ति (सी)=(ए-बी)	504	346
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
शेष को लाभ-हानि खाते में डालें		
कुल	18629	17311

टिप्पणा: कोष्ठक में दिये गये आंकड़ें नकारात्मकता को दर्शाते हैं ।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का विवरण

बीमाकर्ता	1 अप्रैल, 2010 को	परिवर्धन 2010-11	हटाये गये 2010-11	31 मार्च, 2011
एगोन रेलिगेयर	7617	6383	3139	10861
अविवा	32728	10004	19513	23219
बजाज अलायंज	167741	22215	289	189667
भारती एक्सा	32661	8938	26389	15210
बिरला सन लाइफ	168124	36247	59798	144573
केनरा एचएसबीसी	0	0	0	0
डी एल एफ प्रामेरिका	2115	3339	255	5199
फ्यूचर जनरली	42613	10501	448	52666
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	198879	17042	79912	136009
आईसीआईसीआई प्रू	241830	44547	95970	190407
आईडीबीआई फेड्रल	7737	3105	2960	7882
इण्डिया फर्स्ट	0	296	0	296
आईएनजी वैश्या	53273	26014	44330	34957
कोटक महेन्द्रा	35897	13089	10717	38269
मैक्स न्यू यॉर्क	72828	34156	63442	43542
मेटलाइफ	63300	16066	50526	28840
रिलायंस लाइफ	195565	49164	55296	189433
सहारा	13856	570	246	14180
एसबीआई लाइफ	65532	43311	29215	79628
श्रीराम	21554	285	11700	10139
स्टार यूनिनयन दाइची	69	66	7	128
टाटा एआईजी	151557	50129	114463	87223
निजी योग	1575476	395467	668615	1302328
एलआईसी	1402807	306296	372039	1337064
उद्योग योग	2978283	701763	1040654	2639392

नोट: इंडेलविस टोकियो जीवन बीमा क.लि. को मार्च 31, 2011 के बाद पंजीकरण दिया गया ।

जीवन बीमाकर्ताओं के निगमित अभिकर्ताओं का विवरण

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2010 को	परिवर्धन 2010-11	घटाये गये 2010-11	31 मार्च, 2011 पर
एगोन रेलिगेयर	10	0	6	4
अविवा	15	5	9	11
बजाज अलायंज	864	6	581	289
भारती एक्सा	13	0	0	13
बिरला सन लाईफ	380	12	228	164
केनरा एचएसबीसी	5	2	0	7
डी एल एफ प्रामेरिका	11	0	4	7
फ्यूचर जनरली	9	5	2	12
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	374	0	366	8
आईसीआईसीआई प्रू	22	3	10	15
आईडीबीआई फेड्रल	8	0	2	6
इण्डिया फर्स्ट	2	4	0	6
आईएनजी वैश्या	58	1829	860	1027
कोटक महेन्द्रा	95	3	73	25
मैक्स न्यू यॉर्क	81	14	40	55
मेटलाईफ	29	4	21	12
रिलायंस	225	6	164	67
सहारा	9	0	1	8
एसबीआई लाईफ	127	15	42	100
श्रीराम	9	1	3	7
स्टार यूनियन दाइची	2	7	0	9
टाटा एआईजी	72	3	57	18
निजी योग	2420	1919	2469	1870
एलआईसी	510	16	231	295
उद्योग योग	2930	1935	2700	2165

क्षेत्रानुसार जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण* - 2010-11

बीमाकर्ता	महानगर	नगर	उपनगर	कुल	कंपनी कुल
एगोन रेलीगेयर	32	66	27	3	128
अविवा	28	45	56	13	142
बजाज अलियांज	64	149	438	441	1092
भारती एक्सा	26	60	86	9	181
बिरला सनलाईफ	54	89	370	104	617
केनरा एचएसबीसी	10	17	6	0	33
डीएलएफ प्रामेरिका	6	11	23	1	41
फ्यूचर जनरली	12	49	66	58	185
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	59	83	285	71	498
आईसीआईसीआई प्रु.	79	114	494	715	1402
आईडीबीआई फेड्रल	12	30	17	1	60
इण्डिया फर्स्ट	8	5	0	0	13
आईएनजी वैश्या	22	57	153	15	247
कोटक महेन्द्रा	38	64	92	9	203
माक्स न्यू यॉर्क	72	99	227	106	504
मेट लाईफ	30	61	145	34	270
रीलायंस	90	120	570	468	1248
सहारा	6	35	73	21	135
एसबीआई लाईफ	34	124	334	137	629
श्रीराम	25	49	85	3	162
स्टार यूनियन दाइची	7	14	0	1	22
टाटा एआईजी	55	87	168	53	363
निजी कुल	769	1428	3715	2263	8175
एलआईसी	363	560	953	1495	3371
उद्योग कुल	1133	1988	4668	3757	11546

*प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद खुले कार्यालय

- नोट: 1) विशेष रिटर्न के माध्यम से बीमा प्रदाता द्वारा जुटाये गये आंकड़े.
2) वित्त मंत्रालय द्वारा किये गये स्थलों के एचआरए वर्गीकरण पर आधारित
- महानगर: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता, हैदराबाद एवं बंगलौर
शहर: ए.बी-1, बी-2, वर्ग के शहरों के लिए एचआरए वर्गीकरण पर आधारित
अर्धशहरीय: एचआरए वर्गीकरण पर आधारित सी वर्ग के शहर
अन्य: एचआरए के वर्गीकरण सूची में शामिल नहीं होने वाले स्थल:

व्यक्तिगत अभिकर्ताओं का राज्यानुसार विस्तार 2010-11

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	जीवन बीमाकाल														कुल (राज्यानुसार)										
	प्लान नंबर	अवधि	आयुष्य आवधिक	भारती पत्र	मिाल समाक	केप प्राप्तिका	एक जमली	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड	एकीकृत रिड											
आंध्र प्रदेश	558	1101	15834	904	16545	-	6119	9986	13538	821	4	6233	1035	2751	2749	22229	790	8289	6602	3715	119943	111629	231572		
अरुणाचल प्रदेश	-	154	135	-	262	-	-	-	21	-	-	-	-	-	40	589	-	144	-	35	1390	623	2013		
असम	64	1256	9421	118	8759	-	700	2982	6282	343	-	238	946	82	722	10478	347	1285	-	14	7096	51133	34600		
बिहार	33	1365	17963	299	10045	-	847	10877	197	7	-	33	385	320	11295	2344	2808	22	45	4000	65042	68912	133954		
छत्तीसगढ	178	313	3917	213	2426	-	246	1467	1689	5	-	19	371	520	1926	101	2800	192	1	880	17074	17167	34241		
गोवा	112	156	91	42	725	-	286	297	265	116	-	138	429	76	386	-	369	1	-	86	3555	3906	7461		
गुजरात	866	1191	8436	1223	6433	-	603	2722	7491	469	2	1071	8049	4688	1409	10191	583	3183	20	2	6823	77605	61431	139036	
हरियाणा	515	1250	2377	253	4781	-	831	3015	4248	218	8	550	3636	2916	833	4891	154	2227	4	1	4043	40579	21194	61773	
हिमाचल प्रदेश	73	239	2114	142	791	-	30	797	683	250	25	126	433	82	1589	-	851	-	-	768	11308	11900	23208		
जम्मू और कश्मीर	52	85	2588	119	397	-	886	866	2728	3	-	296	5	312	1263	1891	-	316	-	5	11232	6660	17892		
झारखंड	286	358	8484	582	3241	-	2264	1451	4500	270	3	229	288	561	443	5659	819	1909	145	8	2552	34052	24063	58115	
कर्नाटक	693	855	7642	888	7833	-	4	1283	7574	6049	404	23	4522	1739	1384	1977	6822	175	5121	490	-	1725	57303	85659	142962
केरल	633	813	9043	628	5387	-	2388	10745	15518	698	27	2491	820	1705	3847	5476	-	6819	100	-	5988	73036	69416	142452	
मध्यप्रदेश	576	1377	9104	357	5250	-	2228	6141	6016	221	15	1161	861	1286	426	10406	588	4834	957	22	1921	53757	55517	108274	
महाराष्ट्र	1195	1915	11944	1717	14245	-	6136	24296	19857	820	34	1975	7409	7840	2298	12350	272	8651	413	12	7679	131058	169072	300070	
मणिपुर	4	19	145	-	587	-	-	-	12	34	-	-	-	-	7	-	-	97	-	-	189	1094	1603	2687	
मेघालय	7	62	345	-	874	-	-	-	238	135	1	-	-	24	1	769	-	74	-	67	2598	588	3186		
मिजोरम	-	28	220	-	209	-	-	-	196	7	-	-	-	-	-	189	-	111	-	-	151	1111	336	1447	
नागालैंड	119	16	123	-	1060	-	-	-	33	33	-	-	-	-	23	189	-	110	-	-	321	1894	810	2804	
उड़ीसा	298	2366	15456	380	6631	-	2773	4088	9720	20	2	1310	84	813	922	10678	539	4333	49	2	5434	65908	44916	110824	
पंजाब	895	667	7545	790	5304	-	2459	1697	4811	1101	286	1	1171	2654	2908	1572	4895	41	1501	1	1703	51803	36820	88723	
राजस्थान	338	1040	5356	663	6861	-	2763	4919	11374	746	52	2231	1167	1918	627	7340	1645	3284	7	1	4647	57009	69486	128495	
सिक्किम	30	93	356	49	200	-	-	-	150	173	1	-	-	-	1	107	-	50	-	29	1239	581	1820		
तमिलनाडु	1108	661	9220	1126	7460	-	3157	7887	9089	424	10	6638	1518	1936	1962	12306	44	8663	1072	1	5712	79974	109362	189336	
त्रिपुरा	-	428	1125	-	173	-	-	-	1149	910	2	-	-	42	80	1534	-	86	-	-	1236	6765	3736	10501	
उत्तर प्रदेश	1000	2146	21174	1830	13387	-	114	6436	12401	17402	828	52	1929	1912	4066	2361	25152	4281	6005	17	14	5929	128436	150978	279314
उत्तराखंड	110	88	504	259	348	-	5	440	1128	1071	98	-	153	16	960	262	3211	182	786	6	390	10018	14228	24246	
पश्चिम बंगाल	537	1442	14788	1397	9866	-	4	2972	8732	11865	329	9	880	1418	1280	10740	844	3698	-	3	11958	84763	115529	200692	
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	5	-	-	79	-	-	-	171	17	-	-	-	-	15	-	-	16	-	4	307	758	1085		
चंडीगढ	43	73	563	342	481	-	521	557	1131	878	54	-	195	570	466	169	258	77	167	1	134	6700	3638	10338	
वाकर तथा नगर हवेली	-	2	116	-	42	-	-	-	-	-	-	-	124	-	2	-	-	-	-	-	11	297	5	302	
दमन और दीव	-	1	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	27	98	125	
दिल्ली	538	1608	3303	859	3502	-	628	1964	9009	10766	338	40	1252	3950	3899	1792	5653	344	1045	15	1	1844	52470	39652	92122
लक्षद्वीप	-	45	118	-	284	-	-	-	172	218	3	1	108	16	66	36	224	-	206	25	-	224	1746	1849	3595
पुडुचेरी	-	23219	189667	15210	144573	-	5199	52666	136009	190407	7882	296	34957	38269	43342	28840	189433	14180	79628	10139	128	87223	1302328	1337064	2639392
कंपनी कुल	10861	23219	189667	15210	144573	-	5199	52666	136009	190407	7882	296	34957	38269	43342	28840	189433	14180	79628	10139	128	87223	1302328	1337064	2639392

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत नया व्यापार (जीवन बीमा) – 2010-11

(प्रीमियम ₹ लाखों में)

बीमाकर्ता	पॉलिसी	व्यक्तिगत प्रीमियम	योजना	ग्रुप बीमित किये गये जीवन	प्रीमियम
एगोन रेलीगेयर	-	-	-	-	-
अविवा	11222	58.87	1	896377	1118.30
बजाज अलियांज	-	-	-	-	-
भारती एक्सा	-	-	-	-	-
बिरला सनलाईफ	290395	186.00	-	-	-
केनरा एचएसबीसी	-	-	-	-	-
डीएलएफ प्रामेरिका	-	-	1	10010	1.00
फ्यूचर जनरली	-	-	-	-	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	-	-	-	-	-
आईसीआईसीआई प्रु.	324889	256.08	-	-	-
आईडीबीआई फेड्रल	-	-	05	648835	178.41
इण्डिया फर्स्ट	-	-	-	-	-
आईएनजी वैश्या	-	-	-	-	-
कोटक महेन्द्रा	-	-	-	-	-
मैक्स न्यू यॉर्क	-	-	-	-	-
मेट लाईफ	3501	4.21	-	-	-
रीलायंस	-	-	-	-	-
सहारा	1483	12.24	1	69	
एसबीआई लाईफ	-	-	12	70683	78.23
श्रीराम	-	-	3	357563	343.20
स्टार यूनियन दाइची	-	-	-	-	-
टाटा एआईजी	68243	217.69	-	-	-
निजी कुल	699733	735.09	23	1983537	1719.14
एलआईसी	2951235	12305.76	5446	13275464	13803.67
उद्योग कुल	3650968	13040.85	5469	15259001	15522.81

टिप्पणी: नये व्यवसाय का प्रीमियम प्रथम वर्ष का प्रीमियम तथा एकल प्रीमियम को मिलाकर

विवरण 33

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत मृत्यु दावे 2010-11 – व्यक्तिगत वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचारणीय दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित किये गये दावे		लौटाये गये दावे		वर्ष के अंत में विचारणीय		विचारणीय दावों का अलग अलग विवरण-अवधि के अनुसार			कुल
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	> 12 महीने		
एगोन रेलीगेयर	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
अविद्या	0 (0.00)	0 (0.00)	11 (0.00)	2.30 (0.00)	11 (100.00)	2.30 (100.00)	10 (90.91)	2.10 (91.30)	1 (9.09)	0.20 (8.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
बजाज अलियांज	0 (0.00)	0 (0.00)	21 (0.00)	3.18 (0.00)	21 (100.00)	3.18 (100.00)	20 (95.24)	2.98 (93.71)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (100.00)	0 (0.00)
भारती एक्सा	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
बिरला सनलाईफ	0 (0.00)	0 (0.00)	2210 (0.00)	316.51 (0.00)	2210 (100.00)	316.51 (100.00)	2209 (99.96)	316.44 (99.98)	1 (0.05)	0.07 (0.02)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
केनरा एचएसबीसी	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
डीएलएफ प्रामेरिका	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
फ्यूचर जनरली	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
आईसीआईसीआई ग्रु	0 (0.00)	0 (0.00)	1433 (0.00)	141.26 (0.00)	1433 (100.00)	141.26 (100.00)	1429 (99.72)	141.01 (99.72)	2 (0.14)	0.10 (0.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	1 (50.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (100.00)	0 (0.00)
आईडीबीआई फेडरल	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
इण्डिया फर्स्ट	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत मृत्यु दावे 2010-11 – व्यक्तिगत वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचारणीय दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित किये गये दावे		लौटये गये दावे		वर्ष के अंत में विधायनी		विधायनी दावों का अलग अलग विवरण-अवधि के अनुसार		कुल		
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने		6 - < 12 महीने	> 12 महीने
आईएनजी वैश्य	0 (0.00)	0.00 (0.00)	16 (0.00)	0.24 (0.00)	16 (100.00)	0.24 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
कोटक महेन्द्रा	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
मैक्स न्यू यॉर्क	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
मेट लाइफ	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2 (0.00)	0.01 (0.00)	2 (100.00)	0.01 (100.00)	1 (50.00)	0.00 (81.82)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	1 (50.00)	0.00 (18.18)	1 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (100.00)
रीलायंस	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
सहारा	2 (0.00)	0.20 (0.00)	2 (0.00)	0.35 (0.00)	4 (100.00)	0.55 (100.00)	4 (100.00)	0.55 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
एसबीआई लाइफ	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
श्रीराम	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
स्टार यूनिजन वाइची	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
टाटा एआईजी	5 (0.00)	1.08 (0.00)	369 (0.00)	49.47 (0.00)	374 (100.00)	50.55 (100.00)	350 (93.58)	41.91 (82.91)	24 (6.42)	8.64 (17.09)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
निजी कुल	7 (0.00)	1.28 (0.00)	4064 (0.00)	513.31 (0.00)	4071 (100.00)	514.59 (100.00)	4039 (99.21)	505.23 (97.57)	28 (6.69)	9.01 (2.38)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	4 (0.10)	0.35 (0.05)	3 (75.00)	1 (25.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (100.00)
एलआईसी	5 (0.00)	1.12 (0.00)	7315 (0.00)	1189.05 (0.00)	7320 (100.00)	1190.17 (100.00)	7244 (98.96)	1174.12 (98.65)	60 (0.82)	13.41 (1.13)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	16 (0.22)	2.64 (0.22)	16 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	16 (100.00)
उद्योग कुल	12 (0.00)	2.40 (0.00)	11379 (0.00)	1702.36 (0.00)	11391 (100.00)	1704.76 (100.00)	11283 (99.05)	1679.35 (98.39)	88 (0.77)	22.42 (1.43)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	20 (0.18)	2.99 (0.18)	19 (95.00)	1 (5.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (100.00)

नोट: कोषक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

विवरण 34

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत मृत्यु दावे 2010-11 - ग्रुप वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरु से विद्यमान दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित किये गये दावे		लौटये गये दावे		वर्ष के अंत में विद्यमान		विद्यमान दावों का अलग-अलग विवरण-अवधि के अनुसार			कुल	
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने		>12 महीने
एगोन रेलीगेयर	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
अविवा	0 (0.00)	0.00 (0.00)	1556 (100.00)	307.89 (100.00)	1553 (99.81)	307.34 (89.82)	3 (0.19)	0.56 (0.18)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
बजाज अलियांज	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
भारती एक्सा	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
बिनाल सनलाईफ	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
केनरा एचएसबीसी	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
डीएलएफ प्रामेरिका	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
पथूथर जनरली	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
आईसीआईसीआई ग्रु.	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
आईडीबीआई फेड्रल	0 (0.00)	0.00 (0.00)	987 (100.00)	101.25 (100.00)	918 (93.01)	79.13 (78.15)	19 (1.93)	1.71 (1.69)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	50 (100.00)	20.41 (5.07)	50 (100.00)	0 (0.00)	50 (100.00)
इण्डिया फर्स्ट	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत मृत्यु दावे 2010-11 - ग्रुप वर्ग

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचारधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		संशुद्ध किये गये दावे		लौटाये गये दावे		वर्ष के अंत में विचारधीन		विचारधीन दावों का अलगअलग विवरण-अवधि के अनुसार					
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	<3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल	
आईनजी वैश्या	3	0.26 (0.00)	174	20.62 (0.00)	177	20.88 (100.00)	144	16.45 (78.78)	1	0.10 (0.56)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	22	3	6	1	32	(100.00)
कोटक महेन्द्रा	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
मैक्स न्यू यार्क	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
मेट लाइफ	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
रीलायंस	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
सहारा	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
एसबीआई लाइफ	1	0.51 (0.00)	1383	548.22 (0.00)	1384	548.73 (100.00)	1275	506.65 (92.12)	105	40.53 (7.59)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	4	0	0	0	4	(100.00)
श्रीराम	0	0.00 (0.00)	395	118.50 (0.00)	395	118.50 (100.00)	395	118.50 (100.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
स्टार यूनिजन वाइची	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
टाटा एआईजी	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0	0	0	0	(0.00)
निजी कुल	4	0.77 (0.00)	4495	1096.48 (0.00)	4499	1097.25 (100.00)	4285	1028.07 (95.24)	128	42.90 (2.85)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	76	3	6	1	86	(100.00)
एलआईसी	487	139.64 (0.00)	45819	19606.55 (0.00)	46306	19746.19 (100.00)	45965	19607.62 (99.26)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	341	0	0	0	341	(100.00)
उद्योग कुल	491	140.41 (0.00)	50314	20703.03 (0.00)	50805	20843.44 (100.00)	50250	20635.69 (98.91)	128	42.90 (0.25)	0	0.00 (0.00)	0	0.00 (0.00)	417	3	6	1	427	(100.00)

नोट: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संदर्भित कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

विवरण 35

2010-11 के लिये अवधिअनुसार सूक्ष्म बीमा दावों का निपटारा (व्यक्तिगत वर्ग)

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	अवधि												निपटारे गये कुल दावे हित राशि	
	सूचना के 30 दिनों के अंदर पॉलिसियों की संख्या	31 से 90 दिन हित राशि	91 से 180 दिन पॉलिसियों की संख्या	181 से 1 वर्ष पॉलिसियों की संख्या	1 वर्ष के ज्यादा पॉलिसियों की संख्या	निपटारे गये कुल दावे हित राशि								
एगोन रेलीगेयर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अविवा	10	2.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.10
बजाज अलियांज	18	2.40	2	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	2.98
भारती एक्सा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
बीराल सनलाईफ	2208	316.38	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2209	316.44
केनरा एचएसबीसी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
डीएलएफ प्रामेरिका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पयूचर जनरली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आईसीआईसीआई ग्रु.	1388	136.31	28	3.30	12	1.30	1	0.10	0	0.00	1429	141.01	0	0.00
एडीबीआई फेड्रल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
इण्डिया फर्स्ट	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आईएनजी वैश्या	5	0.13	11	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	0.24	0	0.00
कोटक महेन्द्रा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मैक्स न्यू यार्क	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मेट लाईफ	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
रीलायंस	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सहारा	0	0.00	3	0.45	1	0.10	0	0.00	0	0.00	4	0.55	0	0.00
एसबीआई लाईफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
श्रीराम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
स्टार यूनिन दाइची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
टाटा एआईजी	342	40.95	8	0.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	350	41.91	0	0.00
निजी कुल	3972	498.27	53	5.46	13	1.40	1	0.10	0	0.00	4039	505.23	0	0.00
एलआईसी	7242	1173.62	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7244	1174.12	0	0.00
उद्योग कुल	11214	1671.89	55	5.96	13	1.40	1	0.10	0	0.00	11283	1679.35	0	0.00

2010-11 के लिये सूक्ष्मबीमा दावों का अवधि अनुसार निपटारा (ग्रुप वर्ग)

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	सूचना के 30 दिनों के अंदर		31 से 90 दिन		91 से 180 दिन		अवधि 181 से 1 वर्ष		1 वर्ष के ज्यादा		निपटारे गये कुल दावे	
	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि	जीवन की संख्या	हित राशि
एगोन रेलीगेयर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अविवा	1549	306.71	3	0.48	0	0.00	1	0.15	0	0.00	1553	307.34
बजाज अलियांज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
भारती एक्सा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
बिरला सनलाईफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
केनरा एवएसबीसी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
डीएलएफ प्रामेरिका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पयूचर जनरली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आईसीआईसीआई ग्रु.	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एडीबीआई फेड्रल	918	79.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	918	79.13
इण्डिया फर्स्ट	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आईएनजी वैश्या	56	6.48	63	6.86	24	2.99	1	0.12	0	0.00	144	16.45
कोटक महेन्द्रा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मैक्स न्यू यॉर्क	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मेट लाईफ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
रीलायंस	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सहारा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एसबीआई लाईफ	1244	493.59	24	10.20	7	2.86	0	0.00	0	0.00	1275	506.65
श्रीराम	313	93.90	82	24.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	395	118.50
स्टार यूनिन दाइची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
टाटा एआईजी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
निजी कुल	4080	979.81	172	42.14	31	5.85	2	0.27	0	0.00	4285	1028.07
एलआईसी	45366	19422.28	599	185.34							45965	19607.62
उद्योग कुल	49446	20402.09	771	227.48	31	5.85	2	0.27	0	0.00	50250	20635.69

बीमाकर्तानुसार सूक्ष्म बीमा अभिकर्ताओं की संख्या

बीमाकर्ता	1 अप्रैल, 2010 को	परिवर्धन 2010-11	घटाये गये 2010-11	31 मार्च, 2011
एगोन रेलीगेयर	0	0	0	0
अविवा	1	0	0	1
बजाज अलियांज	210	0	0	210
भारती एक्सा	0	0	0	0
बिरला सनलाईफ	129	29	125	33
केनरा एचएसबीसी	0	0	0	0
डीएलएफ प्रामेरिका	0	0	0	0
फ्यूचर जनरली	0	0	0	0
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0	0	0
आईसीआईसीआई प्रु.	14	33	0	47
आइडीबीआई फेड्रल	0	0	0	0
इण्डिया फर्स्ट	0	0	0	0
आईएनजी वैश्या	0	0	0	0
कोटक महेन्द्रा	0	0	0	0
मैक्स न्यू यॉर्क	0	0	0	0
मेट लाईफ	0	9	0	9
रीलायंस	0	0	0	0
सहारा	15	0	0	15
एसबीआई लाईफ	0	0	0	0
श्रीराम	1		1	0
स्टार यूनिजन दाइची	0	0	0	0
टाटा एआईजी	400	68	25	443
निजी कुल	770	139	151	758
एलआईसी	7906	2171	353	9724
उद्योग कुल	8676	2310	504	10482

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विवरण*

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम व्यक्तिगत वर्ग	जारी करने की तिथि	उत्पाद का नाम गुप वर्ग	जारी करने की तिथि
अविवा	ग्रामीण सुरक्षा	16-03-2007	क्रेडीट प्लस	06-08-2002
बजाज अलियांज	बजाज अलियांज जन विकास योजना बजाज अलियांज सरल सुरक्षा योजना बजाज अलियांज एएलपी निवेशयोजना	7-03-2007 7-03-2007 7-03-2007		
बिरला सनलाईफ	बीमा धन संचय बीमा सुरक्षा सुपर	31-08-2007 31-08-2007		
डीएलएप प्रामेरिका			सर्व सुरक्षा	30-03-2009
एडीबीआई फेड्रल आईसीआईसीआई प्रु. आईएनजी वैश्या	सर्व जन सुरक्षा	15-07-2008	गुप मैक्रोइश्योरेंस प्लान जेनीरीक गुप टर्म इश्योरेंस फर सोशल सक्टर आईएनजी सरल सुरक्षा	16-12-2008 27-03-2002 30-11-2007
मेट लाईफ	मेट विश्वास मेट ग्रामीन आश्रय	15-07-2008 03-03-2010		
सहारा	सहारा सहयोग	26-06-2006		
एसबीआई लाईफ			ग्रामीण शक्त ग्रामीण सुपर सुरक्षा	01-12-2007 01-12-2007
श्रीराम			श्री सहाय - एस.पी. श्री सहाय - ए.पी.	18-03-2007 15-05-2007
स्टार यूनिन दाइची			एसयूडी लाइप परास्पर सुरक्षा प्लान	17-05-2009
टाटा एआईजी	टाटा एआईजी लाइफ आयुष्मान योजना टाटा एआईजी लाइफ नवकल्याण योजना टाटा एआईजी लाइफ सम्पूर्ण बीमा योजना टाटा एआईजी सुमंगल बीमा योजना	08-08-2006 08-08-2006 08-08-2006 02-08-2006		
एलआईसी #	जीवन मधुर जीवन मंगल	28-09-2006 03-09-2009	जनश्री बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना	10-08-2000 2-10-2007

* सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद व वह उत्पाद जोकि वी.पि.प्रा. (सूक्ष्म-बीमा) विनियमन, 2005 को मानदण्डों में आते हैं परन्तु उक्त विनियमनों से पहले प्रक्षेपित किये गये ।
जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार की योजना है, जिने एलआईसी पूरे देश में चलाती है ।

गैरजीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत तथा भारत से बाहर)

(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नेशनल	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85	4645.99	6245.17
न्यू इंडिया	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79	7099.14	8225.51
ओरिएंटल	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.89	4854.67	5569.88
यूनाइटेड	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77	5239.05	6376.66
सार्वजनिक क्षेत्र	10491.88	11917.59	13520.44	14284.65	14948.82	15976.44	17283.45	17813.71	19107.31	21838.85	26417.21
		(13.59)	(13.45)	(5.65)	(4.65)	(6.87)	(8.18)	(3.07)	(7.26)	(14.30)	(20.96)
रायल सुन्दरम	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36	913.11	1143.99
रिलायंस	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88	1979.65	1655.43
इफको टोकियो	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06	1457.84	1783.18
टाटा एआईजी		78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92	853.80	1173.09
आईसीआईसीआई लंबार्ड		28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04	3295.06	4251.87
बजाज अलायंस		141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29	2482.33	2869.96
चोलामंडलम			14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44	784.85	967.99
एचडीएफसी इरगो			9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21	915.40	1279.91
पयूचर जनरली								9.81	186.49	376.61	600.16
यूनिवर्सल सोम्पो								0.48	30.14	189.28	299.10
श्रीराम									113.76	416.93	780.89
भारती एक्सा									28.50	310.82	553.90
रहेजा क्यूबीई										1.32	4.90
एसबीआई जनरल											43.02
एल एण्ड टी जनरल											17.24
निजी क्षेत्र	7.14	467.65	1349.80	2257.83	3507.62	5362.66	8646.57	10991.89	12321.09	13977.00	17424.63
		(6453.98)	(188.64)	(67.27)	(55.35)	(52.89)	(61.24)	(27.12)	(12.09)	(13.44)	(24.67)
कुल	10499.02	12385.24	14870.25	16542.49	18456.45	21339.10	25930.02	28805.60	31428.40	35815.85	43841.84
		(17.97)	(20.06)	(11.25)	(11.57)	(15.62)	(21.51)	(11.09)	(9.11)	(13.96)	(22.41)
ईसीजीसी		338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68	813.00	885.47
स्टार हेल्थ							22.51	168.19	509.86	961.65	1227.55
अपोलो म्युनिक								2.97	48.14	114.66	282.69
मैक्स बुपा										0.13	25.46
एआईसी				369.21	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44	1520.40	1950.05

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं

- व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।

गैर जीवन बीमाकर्ताओं की खण्डानुसार भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

(₹ लाखों में)

बीमाकर्ता	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
नेशनल	57079	42653	30457	23897	277500	218273	168140	107874	88895	69820	622070	462517
न्यू इंडिया	104926	92378	54956	47430	230338	207094	200337	155247	119157	102102	709714	604251
ओरिएंटल	66205	57342	44638	38812	174595	161106	151603	108454	108693	107957	545733	473671
यूनाइटेड	80533	65225	50153	45356	212400	182664	171176	126541	123405	104119	637666	523905
सार्वजनिक क्षेत्र	308742	257598	180203	155496	894833	769137	691255	498116	440149	383997	2515183	2064345
रायल सुन्दरम	4583	4081	2520	2302	79303	62691	17910	12547	10082	9689	114399	91311
रिलायंस	10627	13957	2300	2961	107487	131871	25428	23875	19701	25301	165543	197965
इफको टोकियो	18805	17162	12798	13241	96111	73067	17921	16422	32682	25893	178318	145784
टाटा एआईजी	15929	14340	15363	11511	42147	22975	11071	8230	32799	28324	117309	85380
आईसीआईसीआई लंबार्ड	28346	27006	16637	14657	154496	137916	128130	85676	97578	64252	425187	329506
बजाज अलायंस	26381	24006	7898	7394	171407	144555	33970	29555	47340	42724	286996	248233
चोलामंडलम्	5681	4777	4368	4239	62359	45010	14814	14951	9577	9508	96799	78485
एचडीएफसी इरगो	18017	13297	4842	2489	42070	28992	32873	26874	30190	19889	127991	91540
पयूचर जनरली	5912	3429	3072	1536	31933	20978	13331	8231	5768	3488	60016	37661
यूनिवर्सल सोम्पो	5585	4254	597	385	16344	7890	2349	1741	5035	4659	29910	18928
श्रीराम	442	174	93	4	76830	41148			723	366	78089	41693
भारती एक्स	3881	2833	1122	544	41606	18451	5278	4919	3503	4334	55390	31082
रहेजा क्यूबीई	25	13	3	2	24	17			437	100	490	132
एसबीआई जनरल	2310		17		7		12		1956		4302	
एल एण्ड टी जनरल	246		43		1,095		60		281		1724	
कुल योग	146770	129329	71674	61263	923219	735562	303148	233021	297652	238525	1742463	1397700
सकल कुल	455512	386927	251877	216759	1818052	1504699	994403	731137	737801	622522	4257645	3462045

विवरण 41

(₹ लाखों में)

खण्डानुसार शुद्ध प्रीमियम आय (प्राप्त किया)

बीमाकर्ता	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
नेशनल	42681	35335	14234	13022	227277	196753	133115	88927	59088	47542	476395	381579
न्यू इंडिया	121247	106758	22899	23766	231193	217301	161242	126900	110751	96361	647332	571086
ओरिएंटल	44827	36473	22697	18937	155012	140706	117915	80769	91038	82197	431490	359083
यूनाइटेड	45291	41045	24521	21170	175542	148316	133453	97202	85956	76086	464763	383819
सार्वजनिक क्षेत्र	254047	219612	84351	76896	789024	703075	545725	393798	346833	302186	2019980	1695567
रायल सुन्दरम	1581	1293	1144	1045	63264	53713	16313	10429	5317	5006	87619	71486
रिलायंस	3075	4074	1256	1800	99436	105072	20696	22176	4917	6803	129380	139925
इफको टोकियो	5035	4684	3882	3969	78403	61245	14638	12350	11552	9974	113510	92222
टाटा एआईजी	2004	2011	9193	6169	34086	27442	9270	6531	18116	16820	72669	58973
आईसीआईसीआई लंबार्ड	11287	8993	4248	3228	143004	111243	99415	75166	27663	20651	285616	219282
बजाज अलायंज	11314	11847	5728	5643	147636	125527	29199	25854	21088	19549	214965	188420
चोलामंडलम्	1949	1597	1223	1216	43502	32489	10806	6196	5257	4730	62737	46229
एचडीएफसी इरगो	1401	332	777	301	35225	20205	15474	16401	7759	2766	60636	40006
पयूचर जनरली	967	301	525	251	23053	13527	6518	3879	1849	790	32912	18748
यूनिवर्सल सोम्पो	2244	1263	81	13	12245	2794	1912	1056	2793	2398	19275	7524
श्रीराम	218	75	90	2	32552	13428			143	100	33003	13605
भारती एक्सा	632	234	334	145	25609	6131	3847	1504	1148	351	31570	8364
रहेजा बीक्युई	(94)	(74)	(26)	(5)	10	(52)			(65)	(201)	(175)	(331)
एसबीआई जनरल	(151)		(18)		(78)		1		(7)		(253)	
एलएण्डटी जनरल	(22)		(24)		91		16		(33)		28	
कुल योग	41440	36629	28414	23777	738039	572766	228103	181542	107498	89740	1143493	904453
सकल कुल	295486	256241	112764	100672	1527063	1275841	773829	575340	454331	391926	3163473	2600020

नोट: कोष्ठ के लिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम एवं कवर्ड व्यक्तियों की संख्या - 2010-11

(व्यक्तियों की संख्या '000 में) (प्रीमियम रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	सरकारी योजनाएं			अन्या			व्यक्तिगत		
	योजनाएं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	योजनाएं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	
नेशनल	2	14413	200.46	17551	6133	783.18	1333	697.65	
न्यू इंडिया	7	1030	32.22	2853	3213	1008.01	1611	963.14	
ओरिएंटल	2	5389	176.88	24159	2736	815.28	585	300.42	
यूनाइटेड	3	14520	174.95	NA	5429	985.00	789	551.81	
सार्वजनिक क्षेत्र	14	35352	584.51	44563	17512	3591.47	4317	2513.02	
रायल सुन्दरम	2	2774	27.38	373	112	38.47	218	113.25	
रिलायंस	-	-	-	NA	908	149.10	136	68.12	
इपको टोकियो	5	0.30	60.17	842	0.01	94.17	35	22.40	
टाटा एआईजी	1	641	14.16	-	-	-	106	40.51	
आईसीआईसीआई लंबार्ड	7	16403	473.53	2091	1424	511.68	298	296.09	
बजाज अलायंस	-	-	-	2733	399	134.15	315	165.52	
चोलांमंडलम्	1	6626	85.71	895	125	39.54	57	22.89	
एचडीएफसी इरगो	1	179	46.61	235	934	88.75	334	184.97	
फ्यूचर जनरली	-	-	-	12232	312	91.58	1	5.16	
यूनिवर्सल सोम्पो	-	-	-	467	81	13.20	43	10.25	
श्रीराम	-	-	-	-	-	-	-	-	
भारती एक्सा**	1	**	11.38	1330	264	36.10	13	5.30	
एसबीआई जनरल	-	-	-	-	-	-	-	-	
रहेजा बीक्युई	-	-	-	-	-	-	-	-	
स्टॉर हेल्थ	5	126933	888.68	6067	140	31.35	802	279.66	
अपोलो मुनिक	2	159	5.87	395	407	132.28	306	128.06	
माक्स बुपा	-	-	-	NA	1	0.28	29	25.18	
कुल योग	25	153715	1613.49	27660	5107	1360.65	2693	1367.36	
सकल कुल	39	189067	2198.00	72223	22619	4952.12	7010	3880.37	

** भारती एक्सा ने कवर्ड व्यक्तियों की संख्या को शामिल नहीं किया क्योंकि यह सह बीमाकर्ता है।

NA: उपलब्ध नहीं

हैल्थ इश्योरेंस प्रीमियम एंव कवर्ड व्यक्तियों की संख्या - 2009-10

(व्यक्तियों की संख्या '000 में) (प्रीमियम रु करोड़ में)

बीमाकर्ता	सरकारी योजनाएं			अन्या			व्यक्तिगत	
	योजनाएं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	योजनाएं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम
नेशनल	2	8689	48.86	7476	4792	462.18	1196	576.70
न्यू इंडिया	7	2133	95.27	2757	3104	642.00	1444	815.20
ओरिएंटल	2	3481	65.05	31108	1552	609.50	589	296.79
यूनाइटेड	3	5898	67.72	-	3752	807.30	764	390.39
सार्वजनिक क्षेत्र	14	20202	276.90	41341	13200	2520.98	3992	2079.08
रायल सुन्दरम	1	1093	12.57	345	121	17.90	255	95.00
रिलायंस	1	11	2.12	-	869	129.16	297	75.56
इफको टोकियो	1	0.30	71.21	866	0.01	72.65	47	18.02
टाटा एआईजी	1	880	14.00	-	-	-	104	29.42
आईसीआईसीआई लंबार्ड	8	9803	336.42	1327	1328	294.33	303	226.00
बजाज अलायंस	-	-	-	1835	341	94.10	327	166.65
चोलामंडलम्	2	3533	47.84	1374	505	91.46	15	8.94
एचडीएफसी इरगो	2	55	31.89	290	825	162.81	130	67.65
फ्यूचर जनरली	-	-	-	7421	358	60.36	0	3.00
यूनिवर्सल सोम्पो	-	-	-	445	125	6.55	36	5.67
श्रीराम	-	-	-	-	-	-	-	-
भारती एक्सा	1	**	17.63	438	144	29.17	9	2.39
एसबीआई जनरल	-	-	-	-	-	-	-	-
रहेजा बीक्युई	-	-	-	-	-	-	-	-
स्टॉर हेल्थ	5	131747	775.51	3284	173	16.07	490	148.09
अपोलो मुनिच	1	27	1.33	523	232	47.95	124	52.68
माक्स बुपा	-	-	-	-	-	-	0.25	0.13
कुल योग	23	147149	1310.52	18148	5023	1022.51	2135	899.19
सकल कुल	37	167351	1587.42	59489	18223	3543.49	6127	2978.27

** भारत एक्सा ने कवर्ड व्यक्तियों की संख्या को शामिल निही किया क्योंकि यह सह बीमाकर्ता है ।
NA: उपलब्ध नहीं

विवरण 43

चैनलवार सकल सीधा प्रीमियम आय - 2010-11

(पॉलिसीयों की संख्या '000 में) (प्रीमियम रु करोड़ में)

चैनल के प्रकार	व्यक्तिगत अभिकर्ता		निगमित अभिकर्ता		दलाल		रेफरल		प्रत्यक्ष		अन्य		कुल			
	पॉलिसी प्रीमियम	बैंक पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	अन्य पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	व्यवस्था पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम	पॉलिसी प्रीमियम				
अग्नि	1732	1242	140	164	895	494	357	1029	181	54	684	1477	14	176	4005	4637
समुद्री (माल)	724	504	18	61	12	10	243	531	4	7	370	409	12	22	1384	1544
समुद्री (पेटा)	15	56	1	16	1	2	5	112	0	4	29	757	0	51	51	999
अभियंत्रिकी	177	494	8	73	12	32	65	1258	6	17	97	(117)	2	60	367	1816
वाहन की क्षति	19316	4694	3685	1069	1637	746	4640	1821	593	273	10126	3380	253	54	40249	12036
वाहन तृतीय पक्ष	19781	2863	693	342	591	225	3990	969	240	122	7121	1557	341	61	32757	6139
दायित्व बीमा	248	250	6	34	2	8	43	395	2	3	45	228	2	12	348	930
व्यक्तिगत दुर्घटना	2465	301	979	182	660	145	583	229	47	10	1224	288	20	20	5978	1175
स्वस्थता बीमा	5312	3211	582	725	488	217	1725	2275	53	51	1956	4034	343	345	10459	10858
विदेशी स्वस्थता बीमा	404	75	177	34	33	3	252	28	25	6	1481	188	10	1	2382	335
फसल बीमा	0	0	0	0	505	1931	22	10	0	0	9	4	89	17	625	1960
विघट	3714	1042	220	149	1363	372	794	676	216	46	2697	2214	50	84	9054	4583
कुल	53889	14733	6507	2849	6200	4184	12718	9331	1368	592	25841	14418	1136	903	107659	47012

राज्यानुसार 2010-11 के लिये शुद्ध प्रीमियम आय

(₹ लाखों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अग्नि	समुद्रि माल	समुद्रि (पेटा)	अभियंत्रिका	मोटर ओडी	मोटर टीपी	वायिल दुर्घटना	स्वास्थ्य	विदेशी स्वास्थ्य	फसल बीमा	विविध	कुल
आंध्र प्रदेश	33819.95	9142.97	2796.76	24931.03	80965.51	43454.36	5150.67	8337.07	105002.58	25909.61	22290.71	364273.22
अरुणाचल प्रदेश	72.94	13.12	0.00	10.62	448.12	174.68	3.47	4.24	3.62	0.00	67.38	798.21
असम	3302.29	634.03	107.95	1738.57	16514.68	9726.15	284.79	651.46	2399.98	296.37	2107.61	37787.59
बिहार	1769.75	248.97	3.64	587.24	19915.74	10266.68	204.21	617.13	11680.79	26769.58	19392.01	91474.78
छत्तीसगढ़	3149.03	753.69	0.00	2009.47	18073.82	9228.60	757.57	1051.29	1397.57	3146.12	6939.98	46536.67
गोवा	1814.35	777.24	1319.64	420.92	8546.63	4684.79	223.64	300.59	1861.69	3.40	494.04	20549.53
गुजरात	42842.86	11138.17	6135.26	11095.25	89614.85	41705.24	6111.54	9784.76	69325.21	12501.96	27942.22	330211.14
हरियाणा	19779.19	6355.57	2901.24	6824.20	50687.74	18005.59	2289.59	4066.33	43325.56	816.00	15991.05	171411.02
हिमाचल प्रदेश	3206.47	197.50	0.38	218.29	7577.63	4779.70	188.75	174.80	1859.40	1042.34	1375.96	20635.32
जम्मू और कश्मीर	1986.86	275.46	0.11	538.08	8964.77	6113.34	140.34	467.51	467.17	11.18	2707.78	21694.98
झारखंड	1498.93	292.06	0.21	1018.23	14178.02	6574.20	241.57	938.68	2580.25	1163.59	4667.59	33212.92
कर्नाटक	22999.85	7780.28	847.19	7680.88	85808.82	47094.76	10458.69	7992.24	94636.13	4187.99	23742.14	316464.60
केरला	8433.36	1182.70	790.10	1418.02	64109.94	43938.87	1151.76	3160.90	24018.49	624.32	13149.72	162750.24
मध्य प्रदेश	7360.15	4198.18	1.37	2233.63	43276.84	26221.14	841.45	1592.05	9493.17	23525.62	13326.46	132279.22
महाराष्ट्र	148751.41	43564.39	75929.63	55149.03	188253.20	88139.40	35882.31	36211.85	326795.70	14490.05	127541.20	1155405.39
मणिपुर	31.89	5.94	0.00	21.08	532.52	262.02	15.60	3.07	7.05	3.40	69.43	952.14
मेघालय	256.92	24.95	0.00	104.41	1463.70	905.56	11.82	21.49	66.22	48.33	250.68	3156.48
मिजोरम	60.19	0.65	0.00	17.61	539.60	367.44	4.46	4.61	285.84	0.00	57.55	1337.94
नागालैंड	57.00	10.90	0.00	9.57	647.64	262.53	8.73	2.64	236.80	0.00	86.88	1322.86
उड़ीसा	5535.44	953.51	75.79	3316.97	24584.50	14220.73	459.88	1338.58	4645.95	6602.61	4661.57	66452.32
पंजाब	12912.44	2598.84	788.48	3700.51	42417.18	20347.98	567.48	1527.51	8135.14	0.00	9754.53	103339.25
राजस्थान	8790.25	3272.96	6.27	1913.03	55985.81	32835.30	924.43	2859.49	9825.56	44448.79	27625.78	188464.74
सिक्किम	92.02	17.51	0.00	54.47	672.99	478.03	12.83	12.48	38.16	0.03	99.18	1478.82
तमिलनाडु	37550.95	16300.34	5034.78	19312.72	110474.89	72387.24	7016.22	12624.50	138391.73	9617.62	34344.52	466002.78
त्रिपुरा	166.41	22.88	17.00	87.49	1357.97	1197.39	26.16	98.12	765.44	5.08	314.67	4060.04
उत्तर प्रदेश	16385.52	5714.84	306.47	6390.10	82955.13	45016.25	1897.35	4675.67	49743.55	9775.20	25760.42	249035.87
उत्तराखण्ड	3568.28	748.39	5.15	627.65	10562.26	6969.79	287.28	423.03	2366.75	929.06	10759.91	37292.21
पश्चिम बंगाल	25132.06	9055.84	629.29	12151.77	55116.39	29930.78	4401.64	3990.70	56218.81	10108.28	16615.90	224348.64
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	198.34	20.16	69.94	6.04	341.69	318.37	1.76	3.54	16.63	0.63	31.30	1008.40
चंडीगढ़	3259.65	1209.92	3.29	966.65	17626.01	6548.74	358.03	629.61	6246.82	0.00	4374.58	41708.31
दादर तथा नगर हवेली	171.30	38.91	0.00	20.12	186.90	146.37	85.67	16.28	137.92	0.00	30.44	834.29
दमन और दीव	238.15	77.86	0.00	103.84	127.11	92.51	32.87	18.16	228.53	0.00	27.25	946.28
दिल्ली	47771.85	26894.71	2123.76	26180.12	88835.27	29062.18	12778.79	13768.57	113477.48	0.00	40649.67	405197.99
लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	1.95	0.00	3.00	0.23	0.00	0.04	5.56
पुडुचेरी	780.50	904.03	2.12	324.01	2819.92	1601.63	148.35	101.77	648.00	15.71	274.31	7654.23
कुल	463746.53	154427.49	99895.82	191201.61	1194184.11	623060.30	92969.70	117473.72	1066029.90	196042.87	457524.43	4710083.98

टीपी - तीसरा पक्ष; ओडी - स्वयं की क्षति

विवरण 45

2010-11 के लिये गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के शुद्ध अवरोध

(प्रतिशत में)

विभाग	शुद्ध अवरोध*
अग्नि	65.39
समुद्री माल	79.18
समुद्री पेटा	25.06
वाहन	98.88
अभियंत्रिकी	70.15
हवाई	37.50
विविध	90.63
कुल	88.24

* केवल देश में

विवरण 46

उगतन दावों का अनुपात - सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	शुद्ध अर्जित प्रीमियम				उपगत दावे (शुद्ध)				उपगत दावों का अनुपात												
	अग्नि समुद्री	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	अग्नि समुद्री	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	अग्नि समुद्री	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	2009-10								
	(₹ लाखों में)				(₹ लाखों में)				(प्रतिशत)												
न्यू इंडिया	121247	22899	231193	161242	110751	647332	571086	127227	25764	261297	165335	72864	652487	513245	104.93	112.51	113.02	102.54	65.79	100.80	89.87
ओरिएंटल	44827	22697	155012	117915	91038	431490	359083	40670	19612	163732	121096	61426	406536	326018	90.73	86.41	105.63	102.70	67.47	94.22	90.79
नेशनल	42681	14234	227277	133115	59088	476395	381579	24176	11266	259953	140465	26467	462328	324536	56.64	79.15	114.38	105.52	44.79	97.05	85.05
युनाइटेड	45291	24521	175542	133453	85956	464763	383819	31138	21712	191646	153287	40781	438564	332924	68.75	88.55	109.17	114.86	47.44	94.36	86.74
कुल	254047	84351	789024	545725	346833	2019980	1695566	223211	78355	876628	580182	201538	1959914	1486723	87.86	92.89	111.10	106.31	58.11	97.03	88.27

उगतन दावों का अनुपात – निजी क्षेत्र गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	शुद्ध प्रीमियम				उपगत दावे (शुद्ध)				उपगत दावों का अनुपात												
	अग्नि स्मृद्धि	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	अग्नि स्मृद्धि	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	अग्नि स्मृद्धि	मोटर स्वास्थ्य	अन्य	2010-11	अन्य	2009-10							
	(₹ लाखों में)				(₹ लाखों में)				(प्रतिशत)												
रायल सुन्दरम	1581	1144	63264	16313	5317	87619	71486	490	731	54618	8395	1787	66022	50907	31.01	63.89	86.33	51.46	33.61	75.35	71.21
रिलायंस	3075	1256	99436	20696	4917	129380	139925	1761	791	101467	25591	3528	133138	118569	57.26	62.94	102.04	123.65	71.75	102.90	84.74
इपको टोकियो	5035	3882	78403	14638	11552	113510	92222	4853	3841	68805	15065	6483	99046	73267	96.39	98.93	87.76	102.91	56.12	87.26	79.45
टाटा एआईजी	2004	9193	34086	9270	18116	72669	58973	1315	7677	34629	4923	5767	54311	39637	65.61	83.51	101.59	53.11	31.83	74.74	67.21
आईसीआई लार्ड	11287	4248	143004	99415	27663	285616	219282	11221	4722	149367	91871	15884	273064	194838	99.41	111.17	104.45	92.41	57.42	95.61	88.85
बजाज अलायंस	11314	5728	147636	29199	21088	214965	188420	6195	3231	131245	19172	10284	170127	138657	54.76	56.40	88.90	65.66	48.77	79.14	73.59
चोलांमंडलम	1949	1223	43502	10806	5257	62737	46229	1217	739	37314	7375	1935	48578	34434	62.42	60.41	85.77	68.25	36.80	77.43	74.49
एवडीएफसी इरगो	1401	777	35225	15474	7759	60636	40006	1370	633	35756	11057	4414	53230	39586	97.83	81.41	101.51	71.45	56.89	87.79	98.95
पयूचर जनरली	967	525	23053	6518	1849	32912	18748	838	520	19775	5710	1059	27902	16915	86.69	99.10	85.78	87.60	57.27	84.78	90.23
यूनिवर्सल सोम्पो	2244	81	12245	1912	2793	19275	7524	1037	189	9695	2243	1052	14216	5749	46.20	233.56	79.17	117.34	37.67	73.75	76.41
श्रीराम	218	90	32552	0	143	33003	13605	31	8	25396	0	73	25508	9500	14.37	8.79	78.02	0.00	50.88	77.29	69.83
भारती एक्सा	632	334	25609	3847	1148	31570	8364	714	241	23061	2810	789	27596	8619	112.87	72.27	90.05	73.05	67.02	87.41	103.05
रहेजा क्यूबीई	(94)	(26)	10	0	(65)	(175)	(331)	7	3	49	-	124	183	45	(7)	(13)	510	0	(191)	(104)	(14)
एसबीआई जनरल	(151)	(18)	(78)	1	(7)	(253)	-	84	0	178	1	301	564	-	(56)	(1)	(229)	1	(4317)	(223)	-
एलएण्डटी जनरल	(22)	(24)	91	16	(33)	28	-	14	6	168	21	36	245	-	(60)	(26)	184	2	(109)	869	-
कुल	41440	28414	738039	228103	107498	1143493	904453	31147	23332	691523	194233	53486	993731	730725	75.16	82.12	93.70	85.15	49.76	86.90	80.79

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

दावा भुगतान एवं उपगत दावों का अनुपात : स्वस्थ बीमा
(उपगत दावों का अनुपात प्रतिशत में) (₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	2010-11				2009-10													
	सरकारी योजनाएँ		अन्य		सरकारी योजनाएँ		अन्य											
	शुद्ध उपगत दावे (शुद्ध) का अनुपात	ग्रुप (शुद्ध) का अनुपात	शुद्ध उपगत दावे (शुद्ध) का अनुपात	ग्रुप (शुद्ध) का अनुपात	शुद्ध उपगत दावे (शुद्ध) का अनुपात	ग्रुप (शुद्ध) का अनुपात	शुद्ध उपगत दावे (शुद्ध) का अनुपात	ग्रुप (शुद्ध) का अनुपात										
नेशनल	164.38	111.12	68	642.21	777.65	121	572.07	549.19	96	40.27	25.77	64	381.00	490.08	129	467.98	449.26	96
न्यू इंडिया	58.32	28.84	49	813.00	886.00	109	740.68	738.16	100	46.08	42.98	93	560.00	776.00	139	662.92	616.02	93
ओरिएंटल	118.30	76.15	64	735.26	741.92	101	442.92	414.57	94	43.37	33.49	77	507.92	725.64	143	350.31	316.34	90
यूनाइटेड	157.46	184.54	117	763.43	893.21	117	413.64	455.12	110	60.95	62.78	103	603.16	849.65	141	307.91	366.41	119
सार्वजनिक क्षेत्र	498.46	400.65	80	2953.90	3298.78	112	2169.31	2157.04	99	190.67	165.02	87	2052.08	2841.37	138	1789.12	1748.03	98
रायल सुन्दरम	29.52	19.08	65	34.14	24.43	72	99.47	40.45	41	8.67	5.51	64	27.18	7.19	26	0.74	0.32	43
रिलायंस	46.60	58.34	125	120.47	148.37	123	58.13	93.62	161	2.12	1.67	79	122.83	142.49	116	72.88	100.88	138
इफको टोकियो	10.68	3.29	31	79.72	76.22	96	17.94	15.03	84	30.44	20.85	68	76.93	100.35	130	14.29	12.42	87
टाटा एआईजी	381.54	379.71	100	420.01	391.40	93	195.33	111.63	57	268.54	262.41	98	285.18	286.26	100	200.00	93.82	47
आईसीआईसीआई लंबार्ड	-	-	-	118.90	106.22	89	173.09	85.50	49	-	-	-	85.93	83.81	98	172.61	95.50	55
बजाज अलायंस	63.74	43.77	69	29.92	25.50	85	14.35	3.19	22	16.66	15.31	92	11.70	15.17	130	4.44	3.63	82
चोलामंडलम्	11.49	12.69	110	92.30	81.48	88	44.31	13.24	30	26.11	14.02	54	125.68	175.93	140	6.83	1.35	20
एचडीएफसी इरगो	-	-	-	51.06	47.76	92	-	-	-	-	-	-	31.32	36.15	115	-	-	-
फ्यूचर जनरली	-	-	-	11.06	11.34	103	8.06	10.34	128	-	-	-	8.57	9.59	112	3.65	5.53	151
यूनिवर्सल सोम्पो	-	-	-	26.79	22.33	83	3.71	1.83	49	5.29	1.53	28.96	9.02	9.47	105	0.72	4.36	607
श्रीराम	7.97	3.95	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारती एक्सा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एसबीआई जनरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रहेजा क्यूबीई	646.84	642.21	99	23.23	14.06	61	161.32	101.87	63	526.91	475.62	90.27	6.27	9.57	152.63	77.25	47.26	61
स्टार हेल्थ	2.77	0.83	0.30	59.64	55.42	93	76.16	33.18	44	0.30	0.04	12	40.36	46.81	116	22.07	10.15	46
अपोलो मुनिक	-	-	-	0.02	0.01	72	8.05	4.05	50	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	58
मैक्स बुपा	1201.15	1163.85	97	1067.24	1004.55	94	893.55	521.33	58	886.51	797.00	90	830.97	922.79	111	602.47	383.10	64
निजी कुल	1699.61	1564.50	92	4021.14	4303.32	107	3062.86	2678.36	87	1077.18	962.02	89	2883.05	3764.16	131	2391.59	2131.13	89

विवरण 49

बीमा लेखन अनुभव एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(₹ लाखों में)

विवरण	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		नेशनल		युनाइटेड		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
शुद्ध प्रीमियम	719223	600263	461158	396253	538971	397765	511694	419016	2231046	1813297
भुगतान करने के शुद्ध दावे	652487	513245	406536	326018	462328	324536	438564	332924	1959914	1496723
	90.72%	85.50%	88.16%	82.28%	85.78%	81.59%	85.71%	79.45%	87.85%	82.54%
कमीशन, प्रबंधक के खर्च एवं अन्य	259190	229743	185844	139202	170289	145019	199692	138994	815015	652958
	36.04%	38.27%	40.30%	35.13%	31.60%	36.46%	39.03%	33.17%	36.53%	36.01%
समय सीमा समाप्त नहीं हये जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	71891	29180	29668	37170	62576	16187	46931	35196	211066	117733
	10.00%	4.86%	6.43%	9.38%	11.61%	4.07%	9.17%	8.40%	9.46%	6.49%
बीमा लाभ/हानि	(264344)	(171905)	(160891)	(106138)	(156222)	(87976)	(173493)	(88099)	(754950)	(454118)
	-40.84%	-30.10%	-37.29%	-29.56%	-32.79%	-23.06%	-37.33%	-22.95%	-37.37%	-26.78%
सकल निवेश आय	235151	214082	179656	116944	182142	134845	187271	168857	784220	634727
अन्य आलय घटाये: अन्य दूसरे खर्च	(11943)	(6249)	(725)	(1983)	(18381)	(20010)	(695)	1526	(31744)	(26715)
कर से पूर्व लाभ	(41137)	35927	18041	8823	7540	26859	13083	82284	(2473)	153894
आयकर कटा हुआ कर के लिये स्नात एवं प्रावधान	(1019)	4540	(12579)	(13249)	(51)	(4373)	(28)	(11505)	(13678)	(24587)
कर के बाद शुद्ध लाभ	(42156)	40467	5462	(4425)	7489	22486	13054	70779	(16151)	129307

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

विवरण 50

बीमा लेखन अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लाभ

(₹ लाखों में)

	रायल सुन्दरम 2010-11	बजाज अलियांज 2009-10	टाटा एआईजी 2010-11	रिलायंस 2009-10	इफको टोकियो 2010-11	आईसीआईसीआई लंबार्ड 2009-10	चोलामंडलम 2010-11	एचडीएफसी इरगो 2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11		
शुद्ध प्रीमियम	96250	75460	231050	197167	87553	58000	115480	142872	125229	99083	303318	231409	72686	51463	77514	58868
भुगतान करने के शुद्ध दावे	66022	50907	170127	138657	54311	39637	133138	118569	99046	73267	273064	194838	48578	34434	53230	39586
	68.59%	67.46%	73.63%	70.32%	62.03%	68.34%	115.29%	82.99%	79.09%	73.94%	90.03%	84.20%	66.83%	66.91%	68.67%	67.25%
कमीशन, प्रबंधक के खर्च एवं अन्य	32553	26474	68648	58028	31321	27244	42480	44583	33375	27446	62549	57619	23132	17250	19056	14535
	33.82%	35.08%	29.71%	29.43%	35.77%	46.97%	36.79%	31.21%	26.65%	27.70%	20.62%	24.90%	31.83%	33.52%	24.58%	24.69%
समय सीमा समाप्त नहीं हये जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	8630	3974	16085	8747	14884	(973)	(13900)	2947	11719	6861	17702	12126	9949	5235	16878	18863
	8.97%	5.27%	6.96%	4.44%	17.00%	-1.68%	-12.04%	2.06%	9.36%	6.92%	5.84%	5.24%	13.69%	10.17%	21.77%	32.04%
बीमा लाभ/हानि	(10955)	(5894)	(23810)	(8265)	(12963)	(7908)	(46238)	(23228)	(18911)	(6490)	(49997)	(33175)	(8974)	(5455)	(11650)	(14116)
	-12.50%	-8.25%	-11.08%	-4.39%	-17.84%	-13.41%	-35.74%	-16.60%	-16.66%	-9.21%	-17.50%	-15.13%	-14.30%	-11.80%	-12.34%	-18.16%
सकल निवेश आय	9450	9278	28017	23336	11441	9520	17118	15313	13875	11991	40009	46454	6622	5326	8204	4787
अन्य आलय घटाये: अन्य दूसरे खर्च	18	18	1984	2909	(583)	(1133)	(1856)	(1140)	99	360	1753	2552	93	314	(197)	(117)
कर से पूर्व लाभ	(1488)	(3401)	6191	17980	(2105)	478	(30976)	(9055)	(4937)	3861	(8234)	15831	(2259)	185	(3643)	(9446)
आयकर कटा हुआ कर के लिये स्रोत एवं प्रावधान	(526)	(304)	(1864)	(5898)	1647	191	(184)	4012	1667	(1323)	200	(1438)	(34)	51	16	
कर के बाद शुद्ध लाभ	(2014)	3097	4327	12083	(458)	670	(31160)	(5043)	(3270)	2538	(8034)	14393	(2293)	236	(3643)	(9430)

नोट: कोष्ठ के लिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

जारी... विवरण 50

बीमा लेखन अनुभव एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के लाभ

(₹ लाखों में)

	पथूर जनरली		युनिवर्सल सोम्पो		श्रीराम		भारती एक्सा		रहेजा क्यूबीई		एसबीआई		एलएण्डटी		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
शुद्ध प्रीमियम	40395	24647	22566	14817	44688	22420	43468	18669	(5)	(282)	1137	906	1262235	994594		
भुगतान करने के शुद्ध दावे	27902	16915	14216	5749	25508	9500	27596	8619	183	45	564	245	993731	730725		
	69.07%	68.63%	63.00%	38.80%	57.08%	42.37%	63.49%	46.17%	-3847.90%	-16.09%	49.63%	27.01%	78.73%	73.47%		
कमीशन, प्रबंधक के खर्च एवं अन्य	17992	12548	12416	9029	9335	3461	24091	14564	1465	1195	7221	6073	391707	313976		
	44.54%	50.91%	55.02%	60.93%	20.89%	15.44%	55.42%	78.01%	-30774.37%	-423.36%	635.16%	670.55%	31.03%	31.57%		
समय सीमा समाप्त नहीं हुये जोखिमों के लिये रिजर्व में वृद्धि	7484	5900	3291	7293	11685	8815	11897	10305	171	49	1390	878	118742	90141		
	18.53%	23.94%	14.58%	49.22%	26.15%	39.32%	27.37%	55.20%	-3583.13%	-17.32%	122.26%	96.89%	9.41%	9.06%		
बीमा लाभ/हानि	(12983)	(10716)	(7357)	(7254)	(1840)	644	(20117)	(14819)	(1823)	(1571)	(8039)	(6290)	(241945)	(140248)		
	-39.45%	-57.16%	-38.17%	-96.41%	-5.58%	2.06%	-36.33%	-177.17%	1040.02%	474.56%	3176.18%	-22335.16%	-21.16%	-15.51%		
सकल निवेश आय	3977	1863	2656	2064	3493	1582	2328	909	1237	1006	5105	432	153963	133429		
अन्य आलय घटायें:																
अन्य दूसरे खर्च	54	(118)	(351)	(163)	172	248	759	(317)	(141)	(13)	251	(74)	1983	3399		
कर से पूर्व लाभ	(8952)	(8970)	(5051)	(5353)	1826	2474	(17030)	(14226)	(727)	(579)	(2682)	(5932)	(85999)	(3420)		
आयकर कटा हुआ			(73)	146	(571)	(887)	(5)	(4)					256	(5436)		
कर के लिये खात एवं प्रावधान																
कर के बाद शुद्ध लाभ	(8952)	(8970)	(5125)	(5207)	1255	1587	(17035)	(14230)	(727)	(579)	(2682)	(5932)	(85743)	(8856)		

नोट: कोष्ठ के लिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

गैर जीवन बीमाकर्ता की संपत्तियों का प्रबंधन

बीमाकर्ता	सी.जी. प्रीतिभूतियाँ		राज्य सरकार तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		घर एवं एफएफई के लिये ऋण		संरचना		अनुमोदित		अन्य		कुल	
	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11
जीआईसी	3766.25	4322.40	2285.80	2452.82	1200.05	1566.40	2086.43	2390.21	6637.31	7572.73	1505.03	1473.25	17480.88	19777.80
न्यू इन्डिया	3098.47	3322.97	1139.50	1222.61	714.53	1028.59	1792.49	1751.62	4717.07	5998.07	388.97	380.29	11851.03	13604.15
नेशनल	1472.64	1847.28	744.02	1181.01	419.85	664.30	1209.25	1679.99	1883.89	2739.93	640.16	278.55	6369.80	8391.06
यूनाइटेड	2025.37	2373.68	903.06	1228.31	850.54	1185.09	1168.64	1569.18	3728.47	4403.74	578.13	487.58	9254.22	11247.57
ओरिएंटल	1929.10	2194.86	766.35	967.78	424.99	463.05	827.28	1056.55	2473.33	3060.97	310.11	471.51	6731.16	8214.72
सार्वजनिक	12291.84	14061.19	5838.73	7052.52	3609.96	4907.42	7084.09	8447.55	19440.06	23675.44	3422.42	3091.17	51687.09	61235.30
रिलायंस	386.52	634.17	141.09	61.02	111.04	286.70	329.49	332.89	599.51	803.06	89.01	19.06	1656.66	2136.90
रायल सुन्दर्स	211.88	358.00	80.71	88.53	145.08	229.78	218.76	347.75	251.79	358.89	0.05	0.10	908.26	1383.06
इफको टोकियो	412.58	492.24	0.00	114.17	128.59	184.93	192.92	340.41	545.41	686.24	0.00	0.00	1279.50	1817.99
टाटा एआईजी	354.86	517.76	35.72	40.44	115.10	255.19	217.58	361.55	130.66	184.34	2.04	3.13	855.97	1362.41
बजाज अलियांज	579.09	967.17	356.10	252.23	216.61	351.22	757.84	697.65	827.46	1571.29	2.79	12.34	2739.89	3851.90
आईसीआईसीआई लंबार्ड	818.33	1150.69	311.60	301.58	204.33	249.74	765.96	563.48	1208.62	2073.16	333.86	255.44	3642.70	4594.09
स्टार हेल्थ	101.10	129.72	0.00	0.00	15.00	45.04	24.97	54.90	86.89	101.05	28.09	0.00	256.05	330.71
चोलामडलम्	179.47	260.55	0.00	35.61	45.85	90.42	96.89	141.34	252.02	404.84	0.00	34.85	574.23	967.61
एचडीएफसी इरगो	171.53	376.83	40.23	0.00	40.14	95.34	171.30	223.41	183.71	527.19	17.23	0.48	624.13	1223.25
यूनिवर्सल सोम्पो	109.86	120.68	24.04	3.99	21.49	36.57	60.34	85.30	30.64	84.09	11.83	0.94	258.19	331.57
फ्यूचर जनरली	69.46	139.34	29.16	65.39	26.62	53.60	76.38	147.51	66.39	191.50	7.99	4.51	276.00	601.85
अपोलो मुनिक	35.72	77.09	10.01	14.31	13.32	21.03	33.01	42.77	44.55	130.81	2.59	10.05	139.20	296.06
श्रीराम	99.35	183.28	0.00	57.95	14.59	55.54	112.14	163.86	52.08	275.45	0.00	44.34	278.16	780.43
भारती एक्सा	65.45	170.48	0.00	0.00	15.24	30.10	36.94	60.78	136.67	327.68	20.91	21.44	275.21	610.49
रहेजा क्यूबीई	59.16	58.47	0.00	0.00	10.01	10.00	25.19	20.27	87.47	93.01	0.00	0.00	181.83	181.75
एसबीआई जनरल	60.83	60.84	93.31	93.30	49.26	59.34	156.69	156.40	276.23	234.79	0.00	0.00	636.32	604.67
मैक्स बुपा	31.10	49.86	10.50	10.05	7.53	7.50	12.52	20.08	35.96	36.23	4.92	8.24	102.53	131.95
एलएण्डटी	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	8.01	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	78.21
निजी कुल	3746.29	5803.71	1132.48	1138.59	1179.78	2066.02	3288.92	3768.34	4816.04	8093.31	521.32	414.91	14684.83	21284.87
सकल कुल	16038.12	19864.90	6971.21	8191.11	4789.74	6973.44	10373.01	12215.89	24256.10	31768.76	3943.74	3506.08	66371.92	82520.18

गैर जीवन बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2010 को	2010-11 में डाला गया	31 मार्च, 2011 को	विदेशी प्रमोटर	भारतीय प्रमोटर	एफ.डी.आई (%)
रॉयल सुन्दरम	210.00	40.00	250.00	65.00	185.00	26.00
रिलायंस	115.22	1.45	116.67	0.00	116.67	0.00
बजाज अलियांज	110.23	0.00	110.23	28.66	81.57	26.00
इफको टोकियो	247.00	0.00	247.00	64.22	182.78	26.00
टाटा एआईजी	300.00	65.00	365.00	94.90	270.10	26.00
आईसीआईसीआई लांबार्ड	403.63	0.93	404.57	104.54	300.02	25.84
एचडीएफसी इरगो	415.00	71.00	486.00	126.36	359.64	26.00
चोलामंडलम	266.96	0.00	266.96	69.41	197.55	26.00
फ्यूचर जनरली	280.00	195.00	475.00	121.13	353.88	25.50
यूनिवर्सल सोम्पो	150.00	0.00	150.00	39.00	111.00	26.00
भारती एक्सा	200.00	222.27	422.27	93.84	328.43	22.22
श्रीराम	105.00	0.00	105.00	27.30	77.70	26.00
रहेजा क्यूबीई	207.00	0.00	207.00	53.82	153.18	26.00
एसबीआई जनरल	150.00	0.00	150.00	39.00	111.00	26.00
एलएण्डटी जनरल	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
निजी कुल	3160.04	795.66	3955.70	927.18	3028.52	23.44
यूनाइटेड इन्डिया	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
न्यू इन्डिया	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
ओरियंटल	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
नेशनल	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
सार्वजनिक कुल	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
कुल गैर जीवन	3710.04	795.66	4505.70	927.18	3578.52	20.58
इसीजीसी	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
एआईसी	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
स्टार हेल्थ	164.33	38.66	202.99	42.36	160.63	20.87
अपोलो मुनिक	129.30	66.90	196.20	50.08	146.12	25.53
मैक्स बुपा	151.00	120.00	271.00	70.46	200.54	26.00
जीआईसी	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
कुल योग गैर बीमा	5684.67	1021.21	6705.89	1090.08	5615.80	16.26

गैर जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन अनुपात

क्र. नं.	बीमाकर्ता	मार्च, 2010	जून, 2010	सितम्बर, 2010	दिसम्बर, 2011	मार्च, 2011
निजी बीमाकर्ता						
1	बजाज अलायंज	1.54	1.92	1.96	2.02	1.73
2	भारती एक्सा	2.38	2.43	1.62	1.69	1.70
3	चोलामंडलम्	1.76	1.78	1.75	1.64	1.61
4	फ्यूचर जनरली	1.54	1.68	2.05	2.12	2.06
5	एचडीएफसी इरगो	1.49	1.75	1.71	1.95	1.71
6	आईसीआईसीआई लंबार्ड	2.07	1.78	1.66	1.63	1.56
7	इफको टोकियो	1.76	1.63	1.61	1.53	1.23
8	एलएण्डटी जनरल	NA	NA	NA	2.02	2.30
9	रहेजा क्यूबीई	3.79	3.79	3.78	3.74	3.65
10	रिलायंस जनरल	1.70	1.68	2.18	1.95	1.15
11	रॉयल सुन्दरम	1.39	1.51	1.53	1.51	1.56
12	एसबीआई जनरल	12.84	12.87	12.79	12.54	12.00
13	श्रीराम	1.75	2.16	1.86	1.71	1.32
14	टाटा एआईजी	1.88	1.77	2.00	1.82	1.68
15	यूनिवर्सल सोम्पो	3.15	2.72	2.58	2.49	2.14
सार्वजनिक बीमाकर्ता						
16	नेशनल	1.60	1.61	1.52	1.53	1.34
17	न्यू इन्डिया	3.55	3.50	3.22	3.22	2.90
18	ओरिएंटल	1.56	1.54	1.26	1.41	1.34
19	यूनाईटेड	3.41	3.46	3.77	3.46	2.89
विशेषज्ञ बीमाकर्ता						
20	एआईसी	2.07	2.46	2.68	3.13	3.71
21	ईसीजीसी	14.17	13.66	14.41	6.63	9.05
22	अपोलो मुनिक	1.64	1.93	1.72	1.94	1.89
23	मैक्स बुपा	2.07	2.05	2.14	1.92	2.03
24	स्टार हेल्थ	1.68	2.38	1.96	1.74	1.50
पुनर्बीमाकर्ता						
25	जीआईसी	3.71	3.99	3.87	4.11	3.35

सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता: पॉलिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	ऑरिंटल															
	न्यू इण्डिया				2009-10				2010-11							
	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल				
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	121247	22899	503186	647332	106758	23766	440562	571086	44827	22697	363966	431490	36473	18937	303672	359083
निवेशों को बेचने/ खुदने में लाभ-हानि	10869	2929	44781	58579	7847	3022	41158	52028	9233	3875	68477	81585	4488	2084	35261	41834
अन्य	14823	3994	61075	79892	10506	4046	55102	69654	(4)	(179)	(206)	(389)	(88)	(315)	(125)	(528)
ब्याज, लाभांश और ऋण सकल	146939	29822	609042	785803	125112	30834	536822	692767	6355	2667	47132	56154	4852	2253	38123	45228
कुल (₹)	127227	25764	499496	652487	106878	19075	387292	513245	60410	29061	479369	568840	45725	22960	376931	445616
उपगत दायें (शुद्ध)	17780	3223	43865	64867	12827	1907	41402	56137	40670	19612	346254	406536	31128	12379	282510	326018
कमीशन	40425	9672	144225	194323	35967	8658	128981	173606	19872	9298	128084	157254	14415	7099	93562	115076
बीमा व्यापार में संबंधित प्रचलन खर्च	235	63	969	1267	10	4	51	65	77	32	569	677	(17)	(8)	(135)	(161)
अन्य परिशोधन, माफी एवं प्रारंभिक विदेशी कर	1	1	2	3	2	1	70	73								
कुल (₹)	185667	38722	688555	912945	155684	29645	557796	743125	62568	31169	499320	593058	45380	21007	398673	465060
अग्नि, समुद्री, अन्य बीमा व्यापार से प्रचलन लाभ/ (हानि सी=(₹-बी))	(38728)	(8900)	(79513)	(127141)	(30572)	1189	(20974)	(50358)	(2158)	(2109)	(19952)	(24218)	345	1953	(21742)	(19443)
विनियोग	(38728)	(8900)	(79513)	(127141)	(30572)	1189	(20974)	(50358)	(2158)	(2109)	(19952)	(24218)	345	1953	(21742)	(19443)
शेयरधारकों के खाते में अंतरण आपाताकाली रिजर्व में अंतरण अन्य रिजर्व में अंतरण	(38728)	(8900)	(79513)	(127141)	(30572)	1189	(20974)	(50358)	(2158)	(2109)	(19952)	(24218)	345	1953	(21742)	(19443)
कुल (सी)	(38728)	(8900)	(79513)	(127141)	(30572)	1189	(20974)	(50358)	(2158)	(2109)	(19952)	(24218)	345	1953	(21742)	(19443)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

जारी विवरण 54

सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता: पॉलिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	नेशनल				यूनाइटेड				कुल
	2010-11		2009-10		2010-11		2009-10		
	अग्नि	विधि	अग्नि	विधि	अग्नि	विधि	अग्नि	विधि	
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	42681	419480	35335	333221	45291	394951	41045	321604	383819
निवेशों को बेचने/									
खुजाने में लाभ-हानि	8314	79929	5937	55241	63821	50465	6491	46763	2019980
अन्य					(8)	105	585	4027	1695567
ब्याज, लाभांश और ऋण सकल	4854	46668	4199	39070	45138	45965	5582	40215	213361
कुल (₹)	55850	19419	546077	621346	45471	17535	491485	53704	4380
उपगत दायें (शुद्ध)	24176	11266	426885	462328	20288	299497	31138	291265	47882
कमीशन	1421	1190	22933	25544	1220	1096	23141	2282	242834
बीमा व्यापार में संबंधित									207902
प्रचलन खर्च	14424	5154	125167	144745	12183	4504	105190	121878	2121210
अन्य परिशोधन,									1496723
माफ़ी एवं प्रावधान	106	61	15486	15653	134	82	8081	8298	23294
विदेशी कर			166	166			596	596	146155
कुल (बी)	40126	17672	590637	648435	33825	10434	434190	478449	126699
अग्नि, समुद्री, अन्य बीमा									
व्यापार से प्रचलन लाभ/									
(हानि सी= (ए-बी)	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	668860
विनियोग									526259
शेयरधारकों के खाते में अंतरण									
आपातकाली रिजर्व में अंतरण	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	
अन्य रिजर्व में अंतरण									
कुल (सी)	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	

नाट: काष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

अंशधारक खाता : सार्वजनिक क्षेत्र के गौर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	न्यू इन्डिया		ओरियंटल		नेशनल		यूनাইटेड		कुल	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
प्रचलनलाभ / (हानि)										
क) अग्नि बीमा	(38728)	(30572)	345	11646	15723	11646	2341	19975	(22821)	1394
ख) समुद्री बीमा	(8900)	1189	(2109)	7101	1747	7101	(2523)	(5381)	(11785)	4863
ग) विविध बीमा	(79513)	(20974)	(19952)	(6658)	(44561)	(6658)	(61522)	3477	(205547)	(45897)
	(127141)	(50358)	(24218)	(19443)	(27090)	(12090)	(61704)	18071	(240153)	(39641)
निवेशों से साय										
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	55780	52893	17089	15523	13663	10723	34655	30190	121187	109330
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	40899	39508	24828	14358	23529	15162	40221	35107	129477	104135
घटायें; निवेशों की बिक्री से हानि	(300)	1592	1357	(128)	716	1772	390	366	(128)	3310
अन्य आय	(30761)	43635	19056	10018	10690	39747	13562	83734	12547	177134
कुल (₹)	355	455	(4)	(5)	(420)	(198)	(306)	36	(375)	288
प्रावधान (कर के अतिरिक्त)	9123	7379	804	1250	2673	11498	(1178)	(803)	11422	19324
क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये	713	(34)	268	295					981	262
ख) सदेहास्पद ऋणों के लिये										
ग) अन्य										
अन्य खर्च					318	275	98	91	416	366
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च										
ख) गलत ऋण की माफी										
ग) अन्य	185	(93)	(54)	(345)	579	1313	1866	2125	2576	3000
कुल (बी)	10376	7708	1015	1195	3150	12888	479	1449	15020	23239
कर के पूर्व लाभ	(41137)	35927	18041	8823	7540	26859	13083	8284	(2473)	153894
कर के लिये प्रावधान	(1019)	4540	(12579)	(13249)	(51)	(4373)	(28)	(11505)	(13678)	(24587)
कर के पश्चात लाभ	(42156)	40467	5462	(4425)	7489	22486	13054	70779	(16151)	129307
विनियोग										
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश										
आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश		8500			4398		3000	14200	3000	27098
इ) लाभांश वितरण कर	(33)	1445			747		486	2412	453	4604
जाखिम के लिए आकास्मिकता										
भंडार (16बी अनुसूची)			2379						2379	
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में हस्तांतरित										
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	(42123)	30523	3083	(4425)	7489	17341	9569	54167	(21983)	97605
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया										
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया										

नोट: कोष्ट के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

तुलन-पत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता
(31 मार्च पर)

(₹ लाखों में)

विवरण	न्यू इण्डिया		ओरिएंटल		नेशनल		यूनाइटेड		कुल	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
निधियों के स्रोत										
शेयर पूंजी	20000	20000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	55000	55000
रिजर्व एवं ज्यादा	691154	723021	188402	182940	155779	148290	409793	400245	1445128	1454495
सही मूल्य परिवर्तन खाता	1673201	1564174	832781	811716	814081	805516	471625	480845	3791688	3662251
ऋण										
दिया हुआ कर दायित्व										
कुल	2384355	2307194	1031182	1004656	979860	963806	896419	896090	5291815	5171746
निवेश	2847822	2620322	1540546	1380788	1611977	1417854	1526672	1344830	7527018	6763793
ऋण	48566	55935	27414	30999	34237	35977	40367	45356	150583	168268
स्थाई संपत्तियाँ	15683	16215	8736	9078	8360	10990	8642	10838	41421	47121
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	10186	9458							10186	9458
वर्तमान संपत्तियाँ										
नाद एवं अन्य संपत्ति	530445	436519	170628	149946	78963	44164	98780	84376	878816	715004
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	509425	544842	191508	239763	202985	291062	193324	235577	1097241	1311244
कुल योग - (ए)	1039870	981361	362136	389708	281948	335226	292103	319953	1976057	2026249
वर्तमान दायित्व	1127836	948057	630283	523286	672809	611479	673130	536082	3104057	2618904
प्रावधान	463661	428039	289250	282632	290024	230340	298237	288805	1341172	1229815
कुल योग - (बी)	1591497	1376096	919534	805917	962833	841819	971366	824887	4445230	3848720
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी = (ए-बी)	(551627)	(394735)	(557398)	(416209)	(680885)	(506593)	(679263)	(504934)	(2469172)	(1822471)
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)										
शेष को लाभ-हानि खाते में डाले	13725		11885		6170	5578			31780	5578
कुल	2384355	2307194	1031182	1004656	979860	963806	896419	896090	5291815	5171746

विवरण 57

पॉलिसीधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	रायल सुन्दरम			बजाज अलायंस			टाटा एआईजी		
	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	1581	1144	84894	11314	5728	197923	2004	9193	61472
निवेशों को बेचने/खुड़ाने में लाभ-हानि	6	3	127	14	4	133	53	163	1318
अन्य			17	222	13	1392	3	(25)	(228)
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	327	103	6651	1972	590	18890	402	573	5955
कुल (₹)	1914	1250	94854	13522	6336	218338	2462	9904	68518
उपगत दायें (शुद्ध)	490	731	64800	6195	3231	160701	1315	7677	45319
कमीशन	(186)	0	2268	(1588)	429	5195	(2468)	1309	3057
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन	951	363	29158	5191	1682	57739	1214	2807	25402
खर्च प्रीमियम में कमी							33	0	5
सह बीमा प्रशासन शुल्क									
हरजाना कौष					171	171			43
प्रीमियम की कमी					(535)	(535)			
दुसरों का विविध									72
कुल (बी)	1255	1094	96226	9798	5341	223272	94	11793	73899
प्रचलन लाभ/हानि सी=(ए-बी)	659	156	(4536)	3724	995	(4934)	2368	(1889)	(5381)
विनियोग									
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	659	156	(4536)	3724	995	(4934)	2368	(1889)	(5381)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण									
अन्य रिजर्व में अंतरण									
कुल (सी)	659	156	(4536)	3724	995	(4934)	2368	(1889)	(5381)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

जारी... विवरण 57

पॉलिसीधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	रिलायंस			इफको टोकियो			आईसीआईसीआई लांबार्ड							
	अग्रि	समुद्री	विविध	अग्रि	समुद्री	विविध	अग्रि	समुद्री	विविध					
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11					
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	3075	1256	125049	139925	5035	3882	104593	113510	92222	11287	4248	270081	285616	219282
निवेशों को बेचने/खुदने में लाभ-हानि	47	10	837	894	1897	14	253	282	208	314	153	9117	9583	15703
अन्य			10	10	12	(58)	(7)	(44)	(28)	1152	(143)	4784	5793	3677
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	445	96	9481	10023	8404	580	10173	11323	10457	548	266	15928	16742	14325
कुल (₹)	3567	1363	135378	140308	150237	5572	4487	115012	102860	13301	4524	299911	317735	252987
उपात दर्वे (शुद्ध)	1761	791	130587	133138	118569	4853	3841	90352	73267	11221	4722	257121	273064	194838
कमीशन	(827)	(51)	(1373)	(2252)	(3519)	(906)	(442)	2859	1511	204	(822)	(4812)	(5430)	2106
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन	1074	402	43211	44687	48063	3358	2285	26221	31864	4583	2658	60738	67979	55514
खर्च प्रीमियम में कमी														
सह बीमा प्रशासन शुल्क														
हरजाना कौष						(254)					185			(985)
प्रीमियम की कमी														
दुसरों का विविध														
कुल (बी)	2009	1141	172424	175574	162860	7306	5684	119432	132422	16008	6744	313046	335798	251473
प्रचलन लाभ/हानि सी= (ए-बी)	1559	222	(37046)	(35266)	(12623)	(1734)	(1197)	(4420)	(7351)	(2707)	(2220)	(13136)	(18063)	1515
विनियोग														
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	1559	222	(37046)	(35266)	(12623)	(1734)	(1197)	(4420)	(7351)	(2707)	(2220)	(13136)	(18063)	1515
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण														
अन्य रिजर्व में अंतरण														
कुल (सी)	1559	222	(37046)	(35266)	(12623)	(1734)	(1197)	(4420)	(7351)	(2707)	(2220)	(13136)	(18063)	1515

नोट: कोष्ट के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

जारी... विवरण 57

पॉलिसीधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	चोलामंडलम			एचडीएफसी एरगो			फ्यूचर जनरली								
	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध						
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	1949	1223	59665	62737	46229	1401	777	58458	60636	40006	967	525	31420	32912	18748
निवेशों को बेचने/खुड़ाने में लाभ-हानि	6	2	130	138	501	17	5	330	352	247	21	9	162	192	88
अन्य	4	2	2	7	7	38	(1)	282	319	686	1	0	7	8	6
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	443	84	4135	4661	3506	235	67	4562	4864	2378	239	102	1855	2196	700
कुल (₹)	2401	1311	63832	67544	50243	1690	848	63632	66170	43316	1228	636	33444	35308	19542
उपगत दावे (शुद्ध)	1217	739	46623	48578	34434	1370	633	51226	53230	39586	838	520	26544	27902	16915
कमीशन	(404)	(432)	658	(178)	(2145)	(1734)	(207)	(1924)	(3864)	(3743)	(617)	(199)	(517)	(1333)	(1726)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन	1544	812	20955	23311	19395	1018	374	21529	22920	18278	2100	925	16301	19325	14274
खर्च प्रीमियम में कमी															
सह बीमा प्रशासन शुल्क															
हरजाना कोष															
प्रीमियम की कमी			(128)	(128)	128						(75)				
दुसरो का विविध															
कुल (बी)	2356	1118	68107	71582	51812	654	800	70831	72286	54121	2246	1246	42359	45851	29508
प्रचलन लाभ/हानि सी=(ए-बी)	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)
विनियोग															
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण															
अन्य रिजर्व में अंतरण															
कुल (सी)	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)

नोट: कोष्ट के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

पॉलिसीधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	यूनिवर्सल सोम्पो			श्रीराम			भारती एक्सा								
	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध						
	2009-10	2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2009-10						
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	2244	81	16950	19275	7524	218	9	32776	33003	13605	632	334	30604	31570	8364
निवेशों को बेचने/खुदने में लाभ-हानि	28	3	132	162	50						0	0	1	1	1
अन्य	(14)	(1)	(18)	(33)	(39)	10	0	299	309	319	26	7	332	365	20
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	215	22	1027	1263	596	16	3	2892	2912	1066	149	36	1833	2018	579
कुल (₹)	2473	104	18091	20667	8131	244	13	35967	36224	14989	807	378	32769	33954	8964
उपात दत्त (शुद्ध)	1037	189	12990	14216	5749	31	8	25469	25508	9500	714	241	26641	27596	8619
कमीशन	20	(33)	782	769	685	(37)	(3)	1504	1464	(642)	(520)	(87)	213	(395)	(1040)
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन खर्च प्रीमियम में कमी	2175	233	9239	11646	8344	53	3	7816	7871	4103	1716	496	22274	24485	15604
सह बीमा प्रशासन शुल्क			27	27	8										
हरजाना कोष		170		170							24		(428)	(403)	428
प्रीमियम की कमी											7		260	267	
दुसरे का विविध															
कुल (बी)	3231	558	23039	26828	14794	47	8	34966	35021	13060	1941	650	48969	51560	23611
प्रचलन लाभ/हानि सी=(ए-बी)	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)
विनियोग															
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण															
अन्य रिजर्व में अंतरण															
कुल (सी)	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)

नोट: कोष्ट के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

जारी... विवरण 57
(₹ लाखों में)

पॉलिसीधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

विवरण	रहेजा क्यूबीई			एसबीआई जनरल			एलएण्डटी जनरल			कुल	
	अग्नि समुद्री	विविध	2010-11	अग्नि समुद्री	विविध	2010-11	अग्नि समुद्री	विविध	2010-11	2010-11	2009-10
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	(94)	(26)	(55)	(151)	(84)	(253)	(22)	75	28	1143493	904453
निवेशों को बेचने/खुदने में लाभ-हानि	0	0	0	0	0	0	(1)	(4)	(5)	13420	21561
अन्य			6		2	2		0	0	8138	8008
व्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	15	0	27	49	16	65	8	45	54	91629	70222
कुल (₹)	(79)	(26)	(22)	(102)	(67)	(186)	(16)	116	77	1256680	1004245
उपात दवे (शुद्ध)	7	3	173	84	480	564	14	225	245	993731	730725
कमीशन	(4)	1	39	(8)	(82)	(90)	(28)	(7)	(36)	(1782)	976
बीमा व्यापार से संबंधित प्रचलन											
खर्च प्रीमियम में कमी	233	20	1176	3788	3240	7055	872	5086	6109	393188	312961
सह बीमा प्रशासन शुल्क										38	34
हरजाना कोष										283	197
प्रीमियम की कमी								11	11	(776)	(447)
दुसरो का विविध										517	103
कुल (बी)	236	24	1388	3864	28	3637	858	5315	6329	1385200	1044650
प्रचलन लाभ/हानि सी=(ए-बी)	(315)	(50)	(1410)	(3966)	(46)	(3704)	(873)	(5200)	(6252)	(128520)	(40406)
विनियोग											
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(315)	(50)	(1410)	(3966)	(46)	(3704)	(873)	(5200)	(6252)	(128520)	(40406)
आपातकालीन रिजर्व में अंतरण											
अन्य रिजर्व में अंतरण											
कुल (सी)	(315)	(50)	(1410)	(3966)	(46)	(3704)	(873)	(5200)	(6252)	(128520)	(40406)

नोट: कोष के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

अंधाधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	रायल सुन्दरम		बजाज अलायंस		टाटा एआईजी		रिलायांस		इपको टोकियो		आईसीआईसीआई लाइफ		चोलामंडलम	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ/ (हानि)														
क) अग्नि बीमा	659	748	3724	3964	2368	2027	1559	1898	(1734)	(1211)	(2707)	511	45	194
ख) समुद्री बीमा	157	70	995	(268)	(1889)	(485)	222	(2)	(1197)	(1185)	(2220)	525	192	(163)
सी) विविध बीमा	(4536)	267	(4934)	8578	(5381)	(3059)	(37046)	(14519)	(4420)	4543	(13136)	479	(4276)	(1600)
निवेशों से आय														
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	2179	1888	6260	5650	2318	2223	4819	3955	2216	1300	9156	7837	1733	1090
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	54	411	152	270	659	611	1382	1058	55	26	4528	8589	89	229
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि			(108)	(35)	(165)	(177)	(875)	(165)			(204)	(956)	(43)	(0)
अन्य आय	6	20	286	102	57	40	412	135	196	437	248	24	24	535
कुल (ए)	(1483)	3405	6375	18261	(2033)	1180	(29527)	(7640)	(4885)	3910	(4335)	17009	(2259)	285
प्रावधान (कर से अतिरिक्त)														
क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये														50
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये														2704
ग) अन्य			33	31	65	1	(1404)	(1376)						307
अन्य खर्च														
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	5	5	151	249	(2)	0	(45)	(39)	52	49	136	70		50
ख) सलक ऋण की माफी											250			
ग) अन्य											810	802		
कुल (बी)	5	5	184	280	72	2	(1449)	(1415)	52	49	3899	1179		100
कर से पूर्व लाभ	(1488)	3401	6191	17980	(2105)	1178	(30976)	(9055)	(4937)	3861	(8234)	15831	(2259)	185
जौड़/ कम: पूर्व अवधि														
समायोजन खाता						(700)								
कर के लिये प्रावधान	(526)	(304)	(1864)	(5898)	1647	191	(184)	4012	1667	(1323)	200	(1438)	(34)	51
कर के पश्चात लाभ	(2014)	3097	4327	12083	(458)	670	(31160)	(5043)	(3270)	2538	(8034)	14393	(2293)	236
विनियोग														
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश														
आ) प्रस्तावित														
इ) लाभांश वितरण पर										741				
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में हस्तांतरित पिछले वर्ष की अस्थागित कर या जारी जोखिम के लिए रजर्व									(3)	126	940	1097		
उ) रिजर्व तबही														1079
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	4379	1282	51645	39562	3079	2409	(21589)	(16547)	7300	5629	17450	11686	775	539
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	2365	4379	55973	51645	2620	3079	(52749)	(21589)	4033	7300	1765	17450	(1518)	775

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

अंशधारक खाता: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाखों में)

विवरण	एचडीएफसी एगो		फ्यूचर जनरली		यूनियर्सल सोमो		श्रीराम		भारती एक्सा		रहेजा क्यूबीई		एसबीआई एलएण्डटी		कुल		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
प्रचलन लाभ/(हानि)																	
क) अग्नि बीमा	1036	1067	(1018)	(1060)	(759)	(1452)	197	4	(1134)	(1671)	(315)	(171)	(3966)	(873)	(2918)	4849	
ख) समुद्री बीमा	48	(143)	(610)	(458)	(454)	(221)	5	(0)	(272)	(284)	(50)	(15)	(46)	(179)	(5298)	(2628)	
सी) विविध बीमा	(7199)	(11729)	(8915)	(8448)	(4948)	(4989)	1001	1925	(16200)	(12692)	(1410)	(1380)	(3704)	(5200)	(120302)	(42625)	
निवेशों से आय																	
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	2399	1284	1459	958	1020	1288	582	516	106	204	1173	992	5018	370	40809	29184	
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	174	133	129	117	211	130	31	26	203	125	(110)	10	22	12	7559	11710	
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि	(68)	(54)	22	(25)	30	(100)	24	14	481	91	(47)	(7)	(1411)	(47)	(1411)	(1307)	
अन्य आय	(3611)	(9442)	(8932)	(8917)	(5044)	(5345)	1841	2485	(16816)	(14226)	(711)	(564)	(2669)	(5917)	(80005)	407	
कुल (₹)																	
प्रावधान (कर से अतिरिक्त)																	
क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये																50	
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये																339	
ग) अन्य																(1404)	(1376)
अन्य खर्च																	
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	32	4	20	12	0	0	15	11	214	16	16	16	16	16	610	432	
ख) सकल ऋण की माफी															259		
ग) अन्य															831	852	
कुल (बी)																	
कर से पूर्व लाभ	32	4	20	54	8	8	15	11	214	16	16	13	13	16	3097	298	
जोड़/कम: पूर्व अवधि समायोजन खाता	(3643)	(9446)	(8952)	(8970)	(5051)	(5353)	1826	2474	(17030)	(14226)	(727)	(564)	(2682)	(5932)	(85999)	(2720)	
कर के लिए प्रावधान																	
कर के पश्चात लाभ	(3643)	(9430)	(8952)	(8970)	(73)	(5207)	1255	1587	(17035)	(14230)	(727)	(564)	(2682)	(5932)	(85743)	(8856)	
स्वायत्तिकरण																	
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरि लाभों																	
आ) प्रस्तावित																	
इ) लाभांश वितरण पर																	
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में अंतरित																	
उ) रिजर्व तबही																	
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	(16715)	(7284)	(19436)	(10466)	(6676)	(1469)	1197	(390)	(21358)	(7127)	(1499)	(920)	(1099)	(809)	(3355)	16905	
शेष को तुलन पर में भेजा गया	(20357)	(16715)	(28388)	(19436)	(11800)	(6676)	2452	1197	(38392)	(21358)	(2226)	(1484)	(3781)	(6741)	(96746)	(1447)	

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

तुलन-पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता
(31 मार्च पर)

विवरण	रायल सुन्दरम		बजाज अलयाज		टाटा एआईजी		रिलयांस		इफको टोकिया		आईसीआईसीआई लांबार्ड		चोलांमडलम्	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
निधियों का स्रोत														
शेयर पूंजी	25000	21000	11023	11023	36500	30000	11667	11522	24700	24700	40457	40363	26696	26696
रिजर्व एवं ज्यावा	4865	4379	72634	68307	4133	4591	103239	89184	19465	22732	112626	126949	0	1336
शेयर आवेदन शुल्क											34023	19		
सही मूल्य परिवर्तन खाता	(26)	(63)	(97)	(51)	(362)	1107	29	(888)	1		7293	11913	(40)	(99)
ऋण													47	112
अन्य														
दिया हुआ कर दायित्व														
कुल	29839	25316	83561	79279	40271	35698	114935	99818	44166	47432	194399	179244	26703	28045
निधियों का उपयोग														
निवेश	138271	90639	330949	253146	136241	85597	213718	165666	123789	81482	466530	376057	96610	57215
ऋण							3006	3006						
स्थाई संपत्तियाँ	1269	1662	15607	15336	3285	2933	3022	4751	2372	1516	38813	14334	2892	1403
नाद एवं बैंक शेष	516	1041	4175	3785	1189	988	3887	4097	2472	758	4729	4529	0	34
वर्तमान संपत्तियाँ														
नाद एवं बैंक शेष	4539	4050	66559	29649	5323	6417	6722	8243	58535	47983	39001	5034	698	1671
अप्रिम एव अन्य संपत्ति	13557	27123	27366	71323	22719	32096	23807	74275	30290	53736	273797	273247	16590	14807
कुल योग - (ए)	18096	31174	93925	100972	28042	38514	30529	82517	88826	101699	312798	278282	17288	16479
वर्तमान दायित्व	78727	58106	231041	180080	83799	62063	134441	110286	109925	85507	484155	367364	53861	19890
प्रावधान	49587	41094	130055	113879	44687	30270	57537	71523	63368	52517	144315	126594	37183	27196
कुल योग (बी)	128314	99200	361096	293959	128486	92333	191978	181809	173293	138024	628470	493958	91044	47086
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	(110218)	(68026)	(267171)	(192987)	(100444)	(53820)	(161449)	(99291)	(84467)	(36324)	(315672)	(215676)	(73757)	(30607)
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)														
लाभ एवं हानि-खाता (नाम बाकी)							52749	21589					957	
कुल	29839	25316	83561	79279	40271	35698	114935	99818	44166	47432	194399	179244	26703	28045

नोट: कोष के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

तुलन-पत्र: निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ता (31 मार्च पर)

विवरण	एचडीएफसी एर्रो		फ्यूचर जनरली		यूनिवर्सल सोमो		श्रीराम		भारती एक्सा		रहेजा क्यूबीड		एस्बीआई		एलएण्डटी		कुल		
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
निधियों का खत																			
शेयर पूंजी	48600	41500	47500	28000	15000	15000	10500	10500	42227	20000	20700	20700	15000	20000	395570	301004			
रिजर्व एवं ज्यादा	10400				8580	8580	2452	1197	13665	5891			50310	0	402369	333146			
शेयर आवेदन शुल्क	3700		2250	1500					0	7500					39973	9019			
सही मूल्य परिवर्तन खाता	39	4	(2)	3	(193)	(6)			2	17	1	3	0	2	6647	11940			
ऋण	61	70													108	182			
अन्य																			
दिया हुआ कर दायित्व																			
कुल	62800	41574	49748	29503	23387	23574	12952	11697	55895	33408	20701	20703	65310	20002	844667	655291			
निधियों का उपयोग																			
निवेश	122361	62368	58578	25994	32964	25814	60815	25867	61051	27538	18175	18186	53754	7621	1921427	1295569			
ऋण															3006	3006			
स्थाई संपत्तियाँ																			
नाद एवं बैंक शेष	8327	2468	2152	2994	2347	2421	2092	2135	3466	3178	213	354	7713	7140	100709	55483			
वर्तमान संपत्तियाँ					82	155	772	529							17822	15916			
नाद एवं बैंक शेष																			
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति																			
कुल योग - (ए)	10325	6709	2048	953	1782	1709	19806	2473	2121	2944	22	17	7136	477	225095	117731			
वर्तमान दायित्व	11876	18209	20401	13087	7688	6457	2533	2608	7335	3056	747	940	3049	1184	462938	590966			
प्रारधान	22200	24917	22449	14040	9469	8166	22339	5081	9456	5900	770	957	10185	1660	688032	708697			
कुल योग (बी)	64547	35929	40221	19531	20627	10453	48072	8587	32145	12565	449	233	8698	2218	1392925	970595			
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	45899	28965	21599	13430	12649	9204	24994	13328	24326	12001	233	59	1425	941	658799	540059			
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)	110446	64894	61819	32961	33276	19657	73066	21914	56471	24566	682	292	10123	3160	2051723	1510654			
लाभ एवं हानि-खाता (नाम बकी)	(88246)	(39977)	(39370)	(18921)	(23807)	(11491)	(50727)	(16834)	(47014)	(18666)	88	665	62	(1499)	(1363691)	(801957)			
कुल	20357	16715	28388	19436	11800	6676			38392	21358	2226	1499	3781	6741	165393	87273			
कुल	62800	41574	49748	29503	23387	23574	12952	11697	55895	33408	20701	20703	65310	20002	844667	655291			

नोट: कोष्ट के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य बीमाकर्ता :
पालिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	स्टार हेल्थ		अपोलो मूनिक		मैक्स बुपा	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	83140	61043	14874	6996	807	0
निवेशों को बेचने/विनिवेश में लाभ-हानि						
अन्य						
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	1251	717	670	300	114	0
कुल (ए)	84391	61760	15544	7296	921	0
उपगत दावे (शुद्ध)	75814	53173	9215	5974	406	0
कमीशन	(883)	(1267)	1774	1056	139	0
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार के विदेशी						
खर्च से संबंधित	9077	9311	13326	9830	12660	3855
अन्य						
विदेशी कर						
कुल (बी)	84008	61217	24316	16860	13205	3856
प्रचलन लाभ / हानि सी= (ए-बी)	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
विनियोग						
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
आपाताकालीन रिजर्व में अंतरण						
अन्य रिजर्व में अंतरण						
कुल (सी)	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

स्वास्थ्य बीमाकर्ता
अंशधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	स्टार हेल्थ		अपोलो मूनिक		मैक्स बुपा	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ/(हानि)						
क) अग्नि बीमा						
ख) समुद्री बीमा						
ग) विविध बीमा	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
निवेशों में आय						
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	800	498	621	539	596	57
ख) छूट प्रीमियम पर परिशोधन			82	13		
ख) निवेशों की बिक्री कर लाभ			42	104	84	125
घटाये: निवेशों की बिक्री से हानि			(18)			
अन्य आय			169	2	9	13
कुल (ए)	1183	1041	(7844)	(8907)	(11595)	(3660)
प्रावधान (कर से अलावा)						
क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये						
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये			18			
ग) अन्य						
अन्य खर्च						
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च			82	63		
ख) गलत ऋण की माफी						
ग) अन्य	16	19			30	
कुल (बी)	16	19	99	63	30	
कर से पूर्व लाभ	1167	1022	(7943)	(8970)	(11625)	(3660)
कर के लिये प्रावधान	428	496	1	0	0	0
कर के पश्चात लाभ	739	526	(7944)	(8970)	(11625)	(3660)
विनियोग						
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश						
आ) प्रस्तावित अंतरित लाभांश						
इ) लाभांश वितरण कर						
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में हस्तांतरित सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	739	526				
ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	(258)	(258)	(19047)	(10077)	(4296)	(636)
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	(258)	(258)	(26991)	(19047)	(15921)	(4296)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

स्वास्थ्य बीमाकर्ता :
तुलन पत्र (मार्च 31 तक)

(₹ लाखों में)

विवरण	स्टार हेल्थ		अपोलो मूनिक		मैक्स बुपा	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
शेयर पूंजी	20299	16433	19620	12930	27100	15100
शेयर निवनियोग पूंजी	10308	13867		374		
रिजर्व एवं ज्यादा	6708	650	17878	14696		
सही मूल्य परिवर्तन खाता			23	2	10	7
दिया हुआ कर दायित्व	691	329				
ऋण						
कुल	38007	31279	37522	28001	27110	15107
निधियों का उपयोग						
निवेश	23484	17452	25209	13431	12626	9260
ऋण						
स्थाई संपत्तियाँ	6166	3901	1556	2068	2132	1261
दिया हुआ कर संपत्तियाँ						
वर्तमान संपत्तियाँ						
नगद एवं बैंक शेष	11516	17035	5435	1099	668	1150
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	30599	20733	3800	2545	1447	1137
कुल योग (ए)	42115	37768	9235	3643	2115	2288
वर्तमान दायित्व						
प्रावधान	10418	12697	12294	5044	4088	1934
प्रावधान	23597	15805	13176	5144	1597	63
कुल योग (बी)	34016	28502	25470	10188	5684	1997
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	8100	9266	(16235)	(6544)	(3569)	291
विवध खर्च (माफ नहीं किया गये)		403				
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)	258	258	26991	19047	15921	4296
कुल	38007	31279	37522	28001	27110	15107

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड :
पालिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	67486	57599
निवेशों को बेचने/विनिवेश में लाभ - हानि	346	175
अन्य	601	1464
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	13662	11753
कुल (ए)	82096	70992
उपगत दावे (शुद्ध)	75744	67518
कमीशन	(953)	(3157)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	115148	10360
अन्य-परिशोधन, माफी या प्रावधान	(4820)	4820
विदेशी कर		
कुल (बी)	85118	79540
अग्नि/समुद्री/विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ/(हानि)	(3023)	(8548)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	(3023)	(8548)
आपाताकालीन रिजर्व में स्थानांतरण		
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण		
कुल (सी)	(3023)	(8548)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड :
अंशधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ/(हानि)		
क) अग्नि बीमा		
ख) समुद्री बीमा		
ग) विविध बीमा	(3023)	(8548)
	(3023)	(8548)
निवेशों से अन्य		
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	13667	15584
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	346	233
घटाये: निवेश की बिक्री से हानि		
अन्य आय	1063	158
कुल (ए)	12054	7426
प्रावधान (कर के अलावा)		
क) निवेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	6	712
ग) अन्य		
अन्य खर्च		
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
ख) गलत ऋण की माफी		
ग) अन्य	285	167
कुल (बी)	291	879
कर से पूर्व लाभ	11763	6548
कर के लिये प्रावधान	3589	2756
समय से पहले समायोजन	(393)	(1581)
कर के पश्चात लाभ	8566	5373
विनियोग		
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
आ) प्रस्तावित अंतरित लाभांश	2610	1075
इ) लाभांश वितरण कर	423	183
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में स्थानांतरित सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	5534	4116
पूर्ववर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया	2	2
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	1	2

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड :
तुलन-पत्र (मार्च 31 तक)

(₹ लाखों में)

	2011	2010
निधियों का स्रोत		
शेयर पूंजी	90000	90000
रिजर्व एवं ज्यादा	108271	102738
सही मूल्य परिवर्तन खाता	7951	3156
ऋण		27
दिया हुआ कर दायित्व		
कुल	206222	195921
निधियों का उपयोग		
निवेश	316356	262046
ऋण		
स्थायी संपत्तियाँ	14319	13568
वर्तमान संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	87686	79228
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	44383	37946
कुल योग (ए)	132069	117174
वर्तमान दायित्व	208767	160672
प्रावधान	48160	38257
कुल योग - (बी)	256927	198929
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	(124858)	(81755)
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	405	2063
विविध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	206222	195921

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड :
पालिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11	2010-11
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	127592	102252
निवेशों को बेचने/छुड़ाने में लाभ - हानि	152	107
अन्य		
ब्याज, लाभांश तथा किराया - सकल	12848	11058
कुल (ए)	140592	113417
उपगत दावे (शुद्ध)	95015	118919
कमीशन	(12687)	(4430)
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार से संबंधित	4060	2024
अन्य-परिशोधन, माफी या प्रावधान	2176	207
विदेशी कर		
कुल (बी)	88564	116720
अग्नि/समुद्री/विविध बीमा व्यापार प्रचलन लाभ/(हानि) सी=(ए-बी)	52028	(3303)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	52028	(3303)
आपताकालीन रिजर्व में स्थानांतरित		
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण		
कुल (सी)	52028	(3303)

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड :
अंशधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ / (हानि)		
क) अग्नि बीमा		
ख) समुद्री बीमा		
ग) विविध बीमा	52028	(3303)
	52028	(3303)
निवेशो से आय		
क) ब्याज, लाभांश एं किराया (सकल)	5199	6777
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	61	66
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	65	485
कुल (ए)	57353	4025
प्रावधान (कर के अलावा)		
क) निदेशों के मूल्य को कम करने के लिये		
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	(136)	36
ग) अन्य	84	220
अन्य खर्च		
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च		
ख) गलत ऋण की माफी	-	-
ग) अन्य	110	127
कुल (बी)	59	383
कर से पूर्व लाभ	57294	3642
कर के लिये प्रावधान	19265	302
कर के पश्चात लाभ	38030	3340
विनियोग		
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	2000	
इ) लाभांश वितरण कर	324	
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में स्थानांतरित सामान्य रिजर्व में थानांतरित	35705	
पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
शेष को तुलन पत्र में भेजा गया		

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड :
तुलन - पत्र (मार्च 31 तक)

(₹ लाखों में)

	2011	2010
निधियों का स्रोत		
शेयर पूंजी	20000	20000
रिजर्व एवं ज्यादा	92283	56578
सही मूल्य परिवर्तन खाता	382	618
ऋण		
कुल	112665	77196
निधियों का उपयोग		
निवेश	156484	144209
ऋण	125	129
स्थाई संपत्तियाँ	2349	2944
दी हुई कर संपत्तियाँ	194	277
वर्तमान संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	162946	93324
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	49535	45840
कुल योग - (ए)	212481	139164
वर्तमान दायित्व	190743	144484
प्रावधान	68224	65043
कुल योग - (बी)	258967	209527
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	(46486)	(70363)
विवध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	112665	77196

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

विवरण 69

भारतीय साधारण बीमा निगम
पालिसीधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11				2009-10					
	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल	अग्नि	समुद्री	विविध	जीवन	कुल
प्रीमियम अर्जित (शुद्ध)	273733	76856	601396	2419	954403	236109	71957	498290	1288	807643
निवेशों की बेचने/विनिदेश में लाभ-हानि	12854	5133	25156	48	43191	13272	6553	28921	46	48792
अन्य	(1172)	103	(984)	12	(2041)	(728)	702	(37)	(20)	(82)
ब्याज, लाभांश तथा किराया-सकल	27022	10792	52885	102	90800	21973	10848	47881	76	80778
कुल (ए)	312437	92884	678453	2581	1086354	270626	90060	575055	1390	937131
उपगत दावे (शुद्ध)	220049	54379	586361	1789	862578	163638	46495	474823	683	685639
कमीशन	65091	20422	106754	368	192635	71698	16769	104345	212	193025
प्रचलन खर्च बीमा व्यापार के से संबंधित	2602	550	4708	22	7882	2519	485	4132	10	7146
कुल (बी)	287742	75350	697822	2179	1063094	237856	63748	583301	905	885809
प्रचलन लाभ/हानि सी=(ए-बी)	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322
आपाताकालीन रिजर्व में स्थानांतरण										
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण										
कुल (सी)	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322

नोट: कोष्ट के लिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम :
अंशधारक खाता

(₹ लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रचलन लाभ / (हानि)		
क) अग्नि बीमा	24694	32771
ख) समुद्री बीमा	17533	26312
ग) विविध बीमा	(19370)	(8246)
घ) जीवन बीमा	401	485
	23260	51322
निवेशो से आय		
क) ब्याज, लाभांश एवं किराया (सकल)	59639	51201
ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	28369	30927
घटायें: निवेशों की बिक्री से हानि		
अन्य आय	17190	22007
कुल (ए)	128458	155457
प्रावधान (कर के अलावा)		
क) निदेशों के मूल्य को कम करने के लिये	3192	1303
ख) संदेहास्पद ऋणों के लिये	3643	(1438)
ग) अन्य	2273	2544
अन्य खर्च		
क) बीमा व्यापार के अलावा अन्य खर्च	183	145
ख) हस्तांतरण पर हानि	0	23835
ग) गलत ऋण की माफी	0	0
घ) अन्य	13	0
न) सेवा कर पर ब्याज	219	47
कुल (बी)	9523	26437
कर से पूर्व लाभ	118935	129020
कर के लिये प्रावधान	15594	(48440)
कर के बाद लाभ	103341	177461
शेष पिछले वर्ष से लाया गया	6	1
एप्रोप्रियेशन के लिए उलब्ध लाभ	103347	177461
विनियोग		
अ) वर्ष के दौरान किये गये अंतरिम लाभांश		
आ) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश	20640	35260
इ) लाभांश वितरण कर	3428	5856
ई) किसी रिजर्व या अन्य खाते में स्थानांतरित		
उ) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	79273	136339
ऊ) पूर्व वर्ष के लाभ-हानि शेष को लिया गया		
ए) शेष को तुलन पत्र में भेजा गया	6	6

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

भारतीय साधारण बीमा निगम :
तुलन पत्र (मार्च 31 तक)

(₹ लाखों में)

	2011	2010
निधियों का स्रोत		
शेयर पूंजी	43000	43000
रिजर्व एवं ज्यादा	939022	859657
सही मूल्य परिवर्तन खाता	1881771	1702846
ऋण		
दिया हुआ पर दायित्व	0	0
कुल	2863793	2605503
निधियों का उपयोग		
निवेश	36669248	3357393
ऋण	59539	69515
स्थायी संपत्तियाँ	4489	4465
दिया हुआ कर संपत्तियाँ	152	7535
वर्तमान संपत्तियाँ		
नगद एवं बैंक शेष	475660	277311
अग्रिम एवं अन्य संपत्ति	763768	667994
कुल योग - (ए)	1239428	945305
वर्तमान दायित्व	1476642	1229704
प्रावधान	632421	549005
कुल योग - (बी)	2109064	1778710
शुद्ध वर्तमान संपत्ति सी=(ए-बी)	(869636)	(833404)
विवध खर्च (माफ नहीं किये गये)		
लाभ एवं हानि खाता (नामे बाकी)		
कुल	2863793	2605503

नोट: कोष्ठ के दिये गये आंकड़े ऋणात्मक राशि को दर्शाते हैं ।

गैर जीवन बीमाकताओं के राज्यानुसार कार्यालयों की संख्या (31 मार्च 2011 तक)

राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	नेपाल	न्यू इण्डिया	ओरिस्टल	यूनाइटेड	अपलो मुनिच	बजाज अलियांज	भारती एक्सा	चोलामंडलम	फ्यूहर जनरली	एचडीएफसी ऐसो	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	इफिको टोकिया
आंध्र प्रदेश	91	79	78	143	3	20	4	5	4	6	31	3
अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	-	
असम	34	23	30	49	0	2	1	1	1	1	3	
बिहार	39	20	38	30	0	4	0	1	2	1	4	
छत्तीसगढ़	13	11	20	14	0	4	2	1	1	1	7	1
गोवा	8	5	4	8	0	3	1	1	1	1	2	1
गुजरात	52	64	73	74	1	18	3	9	10	5	25	8
हरियाणा	41	29	34	48	1	4	2	4	5	2	13	3
हिमाचल प्रदेश	17	8	15	13	0	2	0	0	1	0	2	
जम्मू और कश्मीर	14	11	14	13	0	2	0	0	1	1	2	1
झारखंड	23	22	19	18	0	3	1	2	2	2	4	
कर्नाटक	59	64	90	101	3	16	5	6	4	4	22	4
केरला	51	58	67	96	2	8	1	7	6	8	15	1
मध्य प्रदेश	52	39	50	54	0	7	2	4	4	3	17	3
महाराष्ट्र	126	153	111	138	10	24	8	16	15	11	36	16
मणिपुर	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
मेघालय	2	3	3	5	0	0	0	0	0	0	1	
मिजोरम	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
नागालैंड	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
उड़ीसा	40	35	35	31	1	6	1	2	2	2	16	1
पंजाब	87	52	74	83	1	8	3	3	4	4	16	2
राजस्थान	68	34	61	88	1	6	2	3	6	5	14	1
सिक्किम	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
तमिलनाडु	96	95	96	190	5	26	4	19	7	5	21	3
त्रिपुरा	4	1	2	4	0	0	0	0	0	0	1	
उत्तर प्रदेश	109	99	104	96	2	9	4	6	11	5	30	3
उत्तराखंड	9	16	16	24	0	1	1	1	0	1	6	1
पश्चिम बंगाल	96	50	42	50	2	14	2	3	4	2	16	3
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
चंडीगढ़	14	12	8	7	1	1	1	0	1	1	1	1
दादर तथा नगर हवेली	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
दमन और दीव	0	0	2		0	0	0	0	0	0	0	
दिल्ली	64	45	52	47	6	9	3	1	2	6	8	10
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पुडुचेरी	5	4	1	5	0	1	0	1	0	1	1	
कुल	1219	1041	1146	1436	39	199	51	96	94	78	315	66

गैर जीवन बीमाकताओं के राज्यानुसार कार्यालयों की संख्या (31 मार्च 2011 तक)

राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	एल एण्ड टी	वैक्स बुपा	रहेजा क्यूबीइ	रिलयांस जनरली	संथल सुन्दरम	एसबीआइ जनरली	श्रीराम जनरली	स्टार यूनियन	टाटा एआइजी	यूनिकर्नल सोम्यो	एआइसी	इसीजीसी	कुल
आंध्र प्रदेश	1	1	1	16	9	2	7	29	2	3	1	3	542
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	0	0	2	-	0	0	-	5
असम	-	-	-	2	1	1	0	2	1	1	1	-	154
बिहार	-	-	-	1	1	0	0	1	-	1	1	-	144
छत्तीसगढ़	-	-	-	2	1	0	0	4	1	1	1	-	85
गोवा	-	-	-	1	1	1	0	1	1	0	-	-	39
गुजरात	1	1	-	21	10	1	3	8	6	3	1	4	401
हरियाणा	-	0	-	7	1	0	5	5	1	2	-	2	209
हिमाचल प्रदेश	-	0	-	1	1	0	1	1	-	0	-	1	61
जम्मू और कश्मीर	-	0	-	1	1	0	0	2	-	1	-	1	64
झारखंड	-	0	-	4	1	0	0	4	2	2	1	-	110
कर्नाटक	1	1	-	15	9	1	1	22	3	3	1	3	438
केरला	-	0	-	13	7	0	1	29	2	1	1	1	375
मध्य प्रदेश	-	0	-	13	3	1	3	14	1	2	1	1	274
महाराष्ट्र	2	2	1	33	8	2	8	30	13	10	1	10	784
मणिपुर	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	4
मेघालय	-	0	-	-	0	0	0	1	-	0	-	-	15
मिजोरम	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	4
नागालैंड	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	6
उड़ीसा	1	0	-	3	2	1	0	11	1	2	1	1	195
पंजाब	-	1	-	7	1	0	3	5	2	2	2	2	359
राजस्थान	-	1	-	9	1	1	9	11	2	3	1	2	329
सिक्किम	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	5
तमिलनाडु	2	1	-	15	17	2	6	65	4	4	1	9	693
त्रिपुरा	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	12
उत्तर प्रदेश	-	0	-	17	3	1	11	10	4	4	1	5	534
उत्तराखंड	-	0	-	3	0	0	2	3	1	2	1	-	88
पश्चिम बंगाल	1	1	-	11	5	1	2	26	3	4	1	2	341
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	3
चंडीगढ़	-	0	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	58
दादर तथा नगर हवेली	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	2
दमन और दीव	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	2
दिल्ली	1	2	-	15	2	1	5	12	2	2	1	4	300
लक्षद्वीप	-	0	-	-	0	0	0	-	-	0	-	-	1
पुडुचेरी	-	0	-	1	1	0	0	2	1	0	-	-	24
कुल	10	11	2	212	84	17	68	299	54	54	18	51	6,660

तीसरा पक्ष प्रशासक –
2010-11 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या व अवधिअनुसार दावों का निपटारा

क्र. सं.	टीपीए का नाम	प्राप्त दावों		निपटाये गये दावे			बकाया दावे
		की संख्या	1 महीने के अंदर	1-3 महीने के अंदर	3-6 महीने के अंदर	6 महीने से ज्यादा	
1	पार्क मेडिकलेम टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	33773	9874 (29.24)	11400 (33.75)	13208 (39.11)	nil 0.00	3889
2	विपुल मेड कोर्प टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	240582	234819 (97.60)	20121 (8.36)	2814 (1.17)	9696 (4.03)	25772
3	अलंकित हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड	104332	93708	15055	1663	521	9303
4	आईकेयर हेल्थ मैनेजमेंट एण्ड टीपीए सर्विसेसल. लि.	16541	11525 (69.68)	1845 (11.15)	198 (1.20)	7 (0.04)	2395
5	डेडीकेटिड हेल्थ केयर सर्विसेस, लि.	139255	92685 (66.56)	32722 (23.50)	4935 (3.54)	734 (0.53)	8179
6	मेडिकेयर टीपीए सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	71530	40577 (56.73)	10911 (15.25)	3172 (4.43)	963 (1.35)	5390
7	एमडी इंडिया हेल्थकेयर टीपीए सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	876693	631694 (72.05)	141432 (16.13)	38864 (4.43)	6968 (0.79)	84711
8	हैरिटेज हेल्थ टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	98387	53206 (54.08)	34725 (35.29)	5807 (5.90)	1259 (1.28)	8511
9	जेनिन्स इंडिया टीपीए लिमिटेड	82832	70662 (85.31)	7862 (9.49)	2409 (2.91)	388 (0.47)	8718
10	रोथशील्ड हेल्थकेयर टीपीए सर्विसेस लि.	1332	639 (47.97)	464 (34.83)	143 (10.74)	25 (1.88)	61
11	ई-मेडिकेक टीपीए सर्विसेस लिमिटेड	331278	267332 (80.70)	19906 (6.01)	10058 (3.04)	0 (0.00)	33982
12	पारेख हेल्थ मैनेजमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड	93141	57680 (61.93)	27569 (29.60)	2126 (2.28)	297 (0.32)	7259
13	सेफवे टीपीए सर्विसेस प्रा.लि.	10035	6631 (66.08)	1061 (10.57)	884 (8.81)	265 (2.64)	682
14	मेड सेव हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड	105654	70039 (66.29)	29233 (27.67)	5786 (5.48)	1841 (1.74)	5399

नोट: कोष्ठक में चित्रा अनुपात (प्रतिशत में) संकेत कुल प्राप्त दावों के बसे दावों
यूनिवर्सल मेडीकल सर्विसेस लि. का लाइसेंस रद्द किया गया है । टीपीए के संचालन पर रहने के लिए प्राप्त की है आदेश आईआरडीए । आईआरडीए मामले लड़ रहे हैं ।

तीसरा पक्ष प्रशासक –
2010-11 के दौरान प्राप्त दावों की संख्या व अवधिअनुसार दावों का निपटारा

क्र. सं.	टीपीए का नाम	प्राप्त दावों		निपटाये गये दावे			बकाया दावे
		की संख्या	1 महीने के अंदर	1-3 महीने के अंदर	3-6 महीने के अंदर	6 महीने से ज्यादा	
15	गुड हेल्थप्लान लिमिटेड	42461	10790 (25.41)	16497 (38.85)	6995 (16.47)	1835 (4.32)	6165
16	हेल्थ इंडिया टीपीए सर्विसेस लि.	147458	125941 (85.41)	26480 (17.96)	3594 (2.44)	0 (0.00)	3907
17	मेडि असिस्ट इण्डिया टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	411308	344845 (83.84)	12313 (2.99)	763 (0.19)	312 (0.08)	45902
18	अनमोल मेडिकेयर टीपीए लिमिटेड	6615	3935 (59.49)	839 (12.68)	53 (0.80)	4827 (72.97)	1506
19	रक्षा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	159758	156455 (97.93)	972 (0.61)	Nil (0.00)	Nil (0.000)	2331
20	फैमिली हेल्थ प्लान टीपीए लिमिटेड.	163163	58588 (35.91)	46118 (28.26)	17329 (10.62)	6788 (4.16)	18603
21	टीटीके हेल्थकेयर टीपीए सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	272223	225040 (82.67)	38046 (13.98)	6231 (2.29)	1544 (0.57)	8613
22	ग्रैंड हेल्थ केयर टीपीए इंडिया प्रा.लि.	Nil	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil
23	पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	182395	144164 (79.04)	11924 (6.54)	3372 (1.85)	909 (0.50)	20530
24	एनयुता मेडिनेट हेल्थकेयर टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	82	76 (92.68)	3 (3.66)	3 (3.66)	Nil (0.00)	Nil
25	ईस्टवेस्ट असिस्ट टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	49015	33870 (69.10)	9281 (18.94)	5401 (11.02)	265 (0.54)	1055
26	फोकस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	1741	886 (50.89)	290 (16.66)	Nil (0.00)	415 (23.84)	150
27	श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेस टीपीए (प्रा.) लि.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
28	स्पूति मेडीटेक सेल्युशनस्	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
29	यूनिवर्सल मेडी-एड सर्विसेस्	NA	NA	NA	NA	NA	NA
कुल		3641584	2745661	517069	135808	39859	313013

नोट: कोष्ठक में चित्रा अनुपात (प्रतिशत में) संकेत कुल प्राप्त दावों के बसे दावों यूनिवर्सल मेडीएड सर्विसेस लि. का लाइसेंस रद्द किया गया है । टीपीए के संचालन पर रहने के लिए प्राप्त की है आदेश आईआरडीए । आईआरडीए मामले लड़ रहे हैं ।

शिकायतों की स्थिति : जीवन बीमाकर्ताओं के लिये 2010-11

क्र. सं.	बीमाकर्ता	प्रारंभिक शेष	2010-11		वर्ष के दौरान निपटारे गये दावे	वर्ष के दौरान निपटारे गये दावे का प्रतिशत	वर्ष के अंत में शेष	अवधि अनुसार विचारधीन शिकायतों का विवरण		
			वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटारे गये दावे				<=30 दिन	30<=180 दिन	>180 दिन
1	ऐजीगान रेलीगेयर	0	54	50	93	4	3	1	0	0
2	अविवा	23	631	654	100	0	0	0	0	0
3	बजाज अलियांज	16	799	811	100	4	3	0	1	0
4	भारती एक्सा	17	267	277	98	7	6	1	0	0
5	बीरला सनलाईफ	21	533	515	93	39	34	4	1	0
6	केनरा एचएसबीसी	0	26	24	92	2	2	0	0	0
7	डीएलफ प्रामेरिका	0	22	17	77	5	4	1	0	0
8	फ्यूचर जनरली	2	72	63	85	11	9	2	0	0
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड	39	528	562	99	5	5	0	0	0
10	आईसीआईसीआई प्रु. आईडीबीआई फेड्रल	48	1294	1342	100	0	0	0	0	0
11	आईडीबीआई फेड्रल	2	25	27	100	0	0	0	0	0
12	इण्डिया फर्स्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	आईएनजी वैश्य	10	99	106	97	3	2	1	0	0
14	कोटक महेन्द्र	29	779	757	94	51	38	11	2	19
15	एलआईसी	150	2588	2672	98	66	22	25	2	0
16	मैक्स न्यू यॉर्क	0	525	523	100	2	0	2	0	0
17	मेट लाईफ	5	246	247	98	4	1	3	0	0
18	रिलायांस	15	540	541	97	14	13	1	0	0
19	सहारा	1	12	12	92	1	0	0	1	0
20	एसबीआई लाइफ	5	293	284	95	14	13	1	0	0
21	श्रीराम	0	28	21	75	7	4	2	1	0
22	स्टार यूनियन दाइचि	0	16	16	100	0	0	0	0	0
23	टाटा एआईजी	12	279	276	95	15	14	1	0	0
	कुल	395	9656	9797	97	254	173	56	25	25

शिकायतों की स्थिति - गैर जीवन बीमाकर्ता 2010-11

(I) क्र. सं.	(II) बीमाकर्ता	(III) 31 मार्च 2010 तक विलंबित	(IV) वर्ष के दौरान दाखिल	(V)=(III) + (IV) कुल शिकायतें	(VI) वर्ष के दौरान सुलझाये गये	(VII) 31 मार्च 2011 तक विलंबित	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	नेशनल	145	683	828	643	185	32	117	31	5
2	न्यू इन्डिया	177	800	977	593	384	86	170	122	6
3	ओरएटल	81	605	686	250	436	84	233	96	23
4	यूनाइटेड इन्डिया	21	743	764	598	166	35	86	42	3
5	ईसीजीसी	2	9	11	11	0	0	0	0	0
6	एआईसी	1	4	5	5	0	0	0	0	0
	सार्वजनिक	427	2844	3271	2100	1171	237	606	291	37
1	अपोलो मुनिच	1	29	30	28	2	2	0	0	0
2	बजाज अलायंज	24	184	208	177	31	13	14	4	0
3	भारती एक्सा	0	51	51	51	0	0	0	0	0
4	चोलामंडलम्	7	77	84	81	3	0	2	0	1
5	फ्यूचर जनरली	0	37	37	32	5	2	2	1	0
6	एचडीएफ इरगो	1	101	102	101	1	0	1	0	0
7	आईसीआईसीआई लंबार्ड	16	449	465	461	4	2	2	0	0
8	इफको टोकियो	22	142	164	126	38	14	16	6	2
9	एलएण्डटी जनरली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	माक्स बूपा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	रहेजा क्यूबीई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	रिलायंस	35	960	995	833	162	44	83	30	5
13	रॉयल सुन्दरम	19	107	126	122	4	3	1	0	0
14	एसबीआई जनरली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	श्रीराम	0	38	38	38	0	0	0	0	0
16	स्टार हेल्थ	0	90	90	88	2	1	1	0	0
17	टाटा एआईजी	2	124	126	125	1	1	0	0	0
18	यूनिवर्स सोम्पो	2	41	43	38	5	3	2	0	0
	निजी कुल	129	2430	2559	2301	258	85	124	41	8
	सकल कुल	556	5274	5830	4401	1429	322	730	332	45

- i) पालिसी मामले
ii) निपटारा नही/दावे के निपटारे में देरी
iii) दावे का पाक्षिक अस्वीकरण/निपटारा
iv) अन्य कारण

विवरण 76

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
(जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र	शिकायतों की संख्या		इस तरह निपटाई गयी शिकायतों की संख्या				समय सीमा आधारित निपटारा			समय बीमा आधारित बाकी						
	ओ/एस 31-03-2010	वर्ष के दौरान प्राप्त किये	कुल	(I)	(II)	(III)	(IV)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल
अहमदाबाद	7	485	492	6	3	23	178	210	210	0	0	210	148	134	0	282
भोपाल	38	210	248	0	0	0	121	121	117	4	0	121	58	69	0	127
भुवनेश्वर	33	238	271	127	28	4	68	227	93	117	17	227	24	20	0	44
चंडीगढ़	284	1268	1552	24	160	13	429	626	485	138	3	626	458	468	0	926
चेन्नई	2	933	935	42	27	33	826	928	905	23	0	928	6	1	0	7
दिल्ली	244	1445	1689	223	17	103	1035	1378	943	427	8	1378	153	158	0	311
गुवाहटी	8	280	288	85	3	1	134	223	216	7	0	223	34	31	0	65
हैदराबाद	13	1388	1401	31	22	51	1220	1324	1324	0	0	1324	77	0	0	77
कोच्ची	36	515	551	50	24	83	284	441	356	85	0	441	68	42	0	110
कोलकत्ता	195	1392	1587	116	168	269	931	1484	1007	227	250	1484	100	3	0	103
लखनऊ	0	1448	1448	75	134	47	932	1188	1122	66	0	1188	224	36	0	260
मंबई	28	1415	1443	67	0	0	1334	1401	1356	45	0	1401	26	16	0	42
कुल	888	11017	11905	846	586	627	7492	9551	8134	1139	278	9551	1376	978	0	2354

ओ/एस-बकाया

i. सिफारिश/पुरस्कार

ii. वापसी/नीपटारा

iii. खारीज

iv. अस्वीकृत

(ए) 3 महीनों के अंदर
(बी) 3 महीने से 1 साल तक
(सी) 1 साल जे ज्यादा

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
(गैर जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र	शिकायतों की संख्या		इस तरह निपटाई गयी शिकायतों की संख्या				समय सीमा आधारित निपटारा			समय बीमा आधारित बाकी						
	ओ/एस 31-03-2009	वर्ष के दौरान प्राप्त किये	(I)	(II)	(III)	(IV)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	
अहमदाबाद	44	1834	218	71	131	495	915	914	1	0	0	915	338	625	0	963
भोपाल	39	126	5	31	5	23	64	21	39	4	4	64	23	78	0	101
भुवनेश्वर	26	146	56	2	29	26	113	67	46	0	0	113	53	6	0	59
चंडीगढ़	349	814	29	75	0	378	482	386	95	1	1	482	94	324	263	681
चेन्नई	17	905	88	20	86	689	883	771	112	0	0	883	38	1	0	39
दिल्ली	295	1318	262	13	77	852	1204	805	391	8	8	1204	144	265	0	409
गुवाहटी	20	213	106	1	4	61	172	149	23	0	0	172	24	37	0	61
हैदराबाद	37	861	172	66	86	382	706	704	2	0	0	706	192	0	0	192
कोच्ची	61	517	88	21	72	213	394	284	110	0	0	394	88	96	0	184
कोलकाता	215	815	126	26	78	571	801	579	68	154	154	801	77	152	0	229
लखनऊ	0	352	22	210	0	83	315	315	0	0	0	315	37	0	0	37
मंबई	278	2147	545	145	0	949	1639	1165	474	0	0	1639	600	186	0	786
कुल	1381	10048	1717	681	568	4722	7688	6160	1361	167	167	7688	1708	1770	263	3741

ओ/एस-बकाया

i. सिफारिश/पुरस्कार

ii. वापसी/नीपटारा

iii. खारीज

iv. अस्वीकृत

(ए) 3 महीनों के अंदर

(बी) 3 महीने से 1 साल तक

(सी) 1 साल जे ज्यादा

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल का कार्य स्तर
(जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा)

बीमा लोकपाल केन्द्र	ओ/एस 31-03-2010	शिकायतों की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त किये	इस तरह निपटाई गयी शिकायतों की संख्या				समय सीमा आधारित निपटारा			समय बीमा आधारित बाकी					
			(I)	(II)	(III)	(IV)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल	(ए)	(बी)	(सी)	कुल
अहमदाबाद	51	2319	224	74	154	673	1125	1124	1	0	1125	486	759	0	1245
भोपाल	77	336	5	31	5	144	185	138	43	4	185	81	147	0	228
भुवनेश्वर	59	384	183	30	33	94	340	160	163	17	340	77	26	0	103
चंडीगढ़	633	2082	53	235	13	807	1108	871	233	4	1108	552	792	263	1607
चेन्नई	19	1838	130	47	119	1515	1811	1676	135	0	1811	44	2	0	46
दिल्ली	539	2763	485	30	180	1887	2582	1748	818	16	2582	297	423	0	720
गुवाहटी	28	493	191	4	5	195	395	365	30	0	395	58	68	0	126
हैदराबाद	50	2249	203	88	137	1602	2030	2028	2	0	2030	269	0	0	269
कोच्ची	97	1032	138	45	155	497	835	640	195	0	835	156	138	0	294
कोलकता	410	2207	242	194	347	1502	2285	1586	295	404	2285	177	155	0	332
लखनऊ	0	1800	97	344	47	1015	1503	1437	66	0	1503	261	36	0	297
मंबई	306	3562	612	145	0	2283	3040	2521	519	0	3040	626	202	0	828
कुल	2269	21065	2563	1267	1195	12214	17239	14294	2500	445	17239	3084	2748	263	6095

ओ/एस-बकाया

i. सिफारिश/पुरस्कार

ii. वापसी/नीपटारा

iii. खारीज

iv. अस्वीकृत

(ए) 3 महीनों के अंदर
(बी) 3 महीने से 1 साल तक
(सी) 1 साल जे ज्यादा

संलग्नक

भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ जीवन बीमाकर्ता*

सार्वजनिक क्षेत्र

1 भारतीय जीवन बीमा निगम

निजी क्षेत्र

- 1 एगोन रलीगयर लाइफ इंश्योरें क. लि.
- 2 अविवा लाइफ इंश्योरेन्स क. लि.
- 3 बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 4 भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 5 बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस क. लि.
- 6 केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 7 डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.
8. एडलवीसीस् टोकीयो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.
- 9 फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.
- 10 एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 11 आर्ससीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 12 आईडीबीआई फेड्रल लाइफ इंश्योरेंस क. लि.
- 13 आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 14 इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस क. लि.
- 15 कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युच्युअल लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 16 मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 17 मैट लाइफ इंश्योरेंस क.प्रा.लि.
- 18 रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 19 सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 20 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 21 श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 22 स्टार यूनिजन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस क.लि.
- 23 टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस क.लि.

*30 सितम्बर 2011 तक

भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियाँ गैर जीवन बीमाकर्ता*

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1 न्यू इंडिया एश्योरेंस क.लि.	1 बजाज अलायंज जनरल इश्योरेंस क.लि.
2 नेशनल इश्योरेंस कं.लि.	2 भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस क.लि.
3 द. ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि.	3 चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस क.लि.
4 यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस क.लि.	4 फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कं.लि.
	5 एचडीएफसी स्टैंडर्ड जनरल इश्योरेंस क.लि.
विशेषज्ञ बीमाकर्ता	6 आर्ससीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इश्योरेंस क.लि.
5 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोरपोरेशन लि.	7 इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कं.लि.
6 कृषि बीमा कं.लि.	8 एल & टी जनरल इश्योरेंस कं.लि.
	9 रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कं.लि.
	10 रिलायंस जनरल इश्योरेंस क.लि.
	11 रॉयल सुन्दरम अलायंस इश्योरेंस कं. लि.
	12 एसबी आई जनरल इश्योरेंस क.लि.
	13 श्रीराम जनरल इश्योरेंस क.लि.
	14 टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस क.लि.
	15 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस क.लि.
	स्वास्थ्य बीमाकर्ता
	16 अपोलो म्यूनिख हेल्थ इश्योरेंस कं.लि.
	17 मैक्स बुपा हेल्थ इश्योरेंस कं.लि.
	18 स्टार हेल्थ एंड एलाइड इश्योरेंस कं.लि.

पुनर्बीमाकर्ता:

भारतीय साधारण बीमा निगम

*30 सितम्बर 2011 तक

बीमाकर्ता एवं विभिन्न मध्यस्तों की शुल्क संरचना

क्र.सं.	बीमाकर्ता / मध्यस्थ	प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	नवीनीकरण समय सीमा
1	बीमाकर्ता (जीवन/गैरजीवन/पुनर्बीमाकर्ता)	-	₹ 50,000	भारत में किये गये में से, प्रतिशत में सीधे सकल किश्त में से 1/10 th of 1% के अधीन ₹ 50,000 और अधिकतम ₹ 5 करोड़	प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक
2	तीसरा पक्ष प्रशासक	₹20,000	₹30,000	₹30,000	3 वर्ष
3	दलाल प्रत्यक्ष	-	₹20,000	पिछल वित्त वर्ष में कमाये गये बोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत ₹25,000 और अधिकतम ₹1,00,000	3 वर्ष
	दलाल पुनर्बीमा	-	₹25,000	पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये बोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम ₹ 75,000 और अधिकतम ₹3,00,000	3 वर्ष
	संयुक्त दलाल	-	₹40,000	पिछले वित्त वर्ष में कमाये गये बोकर दर एवं शुल्क का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम ₹1,25,000 और अधिकतम ₹5,00,000	3 वर्ष
4	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक व्यक्तिगत वर्ग	-	₹10,000	हर वर्ग के लिये ₹200	5 वर्ष
	A	-	₹ 7,500		
	B	-	₹ 5,000		
	C	-			
	निगमित वर्ग	-	₹25,000	हर वर्ग के लिये ₹200	5 वर्ष
	A	-	₹20,000		
	B	-	₹15,000		
	C	-			
5	निगमित अभिकर्ता	-	निगम बीमा प्रशासक के लिये ₹250 एवं निर्दिष्ट व्यक्ति के लिये ₹500	₹250	3 वर्ष
6.	रेफरल्स	-	₹10,000		3 वर्ष

भारतीय बीमाकृत जन्म-मृत्यु दर (1994-96) (संशोधित) निर्धारण अंतिम

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
0	0.001630	50	0.005244
1	0.000960	51	0.005819
2	0.000670	52	0.006443
3	0.000620	53	0.007116
4	0.000470	54	0.007839
5	0.000420	55	0.008611
6	0.000380	56	0.009433
7	0.000400	57	0.010294
8	0.000400	58	0.011025
9	0.000400	59	0.011951
10	0.000380	60	0.013073
11	0.000450	61	0.014391
12	0.000530	62	0.015904
13	0.000650	63	0.017612
14	0.000713	64	0.019516
15	0.000770	65	0.021615
16	0.000823	66	0.022724
17	0.000873	67	0.025617
18	0.000919	68	0.028823
19	0.000961	69	0.032372
20	0.000999	70	0.036294
21	0.001033	71	0.040623
22	0.001063	72	0.045392
23	0.001090	73	0.050639
24	0.001113	74	0.056404
25	0.001132	75	0.062728
26	0.001147	76	0.069655
27	0.001159	77	0.077231
28	0.001166	78	0.085502
29	0.001170	79	0.094519
30	0.001170	80	0.104331
31	0.001171	81	0.114992
32	0.001201	82	0.126553
33	0.001246	83	0.139067
34	0.001308	84	0.151077
35	0.001387	85	0.162298
36	0.001482	86	0.174149
37	0.001593	87	0.186638
38	0.001721	88	0.199775
39	0.001865	89	0.213560
40	0.002053	90	0.227995
41	0.002247	91	0.243072
42	0.002418	92	0.258782
43	0.002602	93	0.275109
44	0.002832	94	0.292031
45	0.003110	95	0.309522
46	0.003438	96	0.327549
47	0.003816	97	0.346073
48	0.004243	98	0.365052
49	0.004719	99	0.384436

भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत के जन्म-मृत्यु दर निर्धारण
एआईसी ए (96-98) अंतिम

आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर	आयु	मृत्यु दर	अपेक्षित जन्म दर
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

क्र.सं	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन*
1	एगोन रेलीगेर	एगोन रेलीगेर हेल्थ प्लान	138N021V01
		एगोन रेलीगेर मनि बाक प्लस प्लान	138N022V01
		एगोन रेलीगेर पेंशन प्लान	138N029V01
		एगोन रेलीगेर ऐंडोमेन्ट प्लान	138N031V01
		एगोन रेलीगेर ऐंडोमेन्ट अडवानटेज प्लान	138N032V01
		एगोन रेलीगेर फ्यूचर प्रोटेक्स प्लान	138L023V01
		एगोन रेलीगेर फ्यूचर प्रोटेक्स प्लस प्लान	138L024V01
		एगोन रेलीगेर ऐश्यूर प्लान	138L025V01
		एगोन रेलीगेर राइसींग स्टार प्लान	138L026V01
		एगोन रेलीगेर फ्यूचर प्रोटेक्ट प्रिमीयर प्लान	138L027V01
		एगोन रेलीगेर ऐश्यूर प्लास प्लान	138L028V01
		एगोन रेलीगेर आईमाकसीमाज प्लान	138L030V01
		एगोन रेलीगेर ग्रुप ग्राज्यूटी प्लान	138L033V01
2	अविवा लाइफ	अविवा ग्रुप लाइफ प्रोटेक्स	122N080V01
		अविवा लाइफ शिल्ड अडवानटेज	122N081V01
		अविवा संपूर्ण सुरक्षा बीमा योजना	122N084V01
		अविवा धन वर्षा	122N088V01
		अविवा लाइफ शिल्ड प्लाटीनम	122N089V01
		अविवा यंग स्कालर सेक्यूर	122N092V01
		अविवा आई लाइफ	122N093V01
		अविवा पेंशन बील्डर	122N094V01
		अविवा लाइफसेवर अडवानटेज	122L082V01
		अविवा फ्रीडम लाइफ अडवानटेज	122L083V01
		अविवा यंग स्कालर अडवानटेज	122L085V01
		अविवा लाइफ बाँड अडवानटेज	122L086V01
		अविवा लाइफ सचीन ऐक्सट्रा कवर अडवानटेज	122L087V01
		अविवा ग्रुप ग्राज्यूटी अडवानटेज	122L090V01
		अविवा न्यू ग्रुप लीव एनकाशमेन्ट प्लान	122L091V01
		अविवा चाईल्ड ऐड्यूकेशन राइडर	122B015V01
		अविवा हेल्थ गार्ड राइडर	122B016V01
अविवा टर्म प्लस राइडर	122B017V01		
3	बजाज अलायंज लाइफ	बजाज अलायंज ग्रुप क्रेडीट प्रोटेक्शन प्लस	116N094V01
		बजाज अलायंज सुपर कैश गेन इंश्योरेंस प्लान	116N102V01
		बजाज अलायंज कैश रिच इंश्योरेंस प्लान	116N103V01
		बजाज अलायंज वेल्थ इंश्योरेंस प्लान	116L095V01
		बजाज अलायंज माक्स. अडवानटेज इंश्योरेंस प्लान	116L096V01
		बजाज अलायंज शील्ड इंश्योरेंस प्लान	116L097V01
		बजाज अलायंज अश्यूरड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान	116L098V01
		बजाज अलायंज लाइफ आइगेन III	116L099V01
		बजाज अलायंज स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान III	116L100V01
		बजाज अलायंज मनी सेक्यूर इंश्योरेंस प्लान	116L101V01
		बजाज अलायंज ग्रुप एमप्लॉय बेनीफीट प्लान	116L104V01
		बजाज अलायंज ग्रुप वेल्थ इंश्योरेंस प्लान	116L105V01
		बजाज अलायंज ग्रुप टर्मीनल इलनेस राइडर	116B025V01

*यूआईएन: अद्वितीय पहचान संख्या

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

4	भारती एक्सा	भारती एक्सा लाईफ गुप टर्म कवर	130N034V01		
		भारती एक्सा लाईफ प्रोटेक्ट प्लस	130N037V01		
		भारती एक्सा लाईफ फयामीली इंकम सेक्यूर	130N038V01		
		भारती एक्सा लाईफ अजीवन आनन्द	130N039V01		
		भारती एक्सा लाईफ जन सुरक्षा	130N040V01		
		भारती एक्सा लाईफ प्रीमियमर होम शिल्ड	130N042V01		
		भारती एक्सा प्यूचर चामपस	130N043V01		
		भारती एक्सा वंडर इयर्स रिटाइरमेन्ट प्लान	130N044V01		
		भारती एक्सा लाईफ ब्राइट स्टार एड्ज	130L035V01		
		भारती एक्सा लाईफ टू वेल्थ	130L036V01		
		भारती एक्सा लाईफ वेल्थ वन	130L041V01		
		भारती एक्सा लाईफ प्रीमियम वेवीयर राइडर	130C005V01		
		भारती एक्सा गुप आक्सीडेंटल डेथ बेनीफीट राइडर	130B006V01		
		5	बिरला सनलाइफ	बीएसएलआई बचत (इंडोमेन्ट) प्लान	109N056V01
				बीएसएलआई बचत (मनी ब्याक) प्लान	109N057V01
बीएसएलआई बचत (चाइल्ड) प्लान	109N058V01				
बीएसएलआई हास्पिटल कैश प्लान	109N059V01				
बीएसएलआई रेनबो प्लान	109N063V01				
बीएसएलआई विजन	109N068V01				
बीएसएलआई गुप क्यापीटल अश्यूर्ड ट्रेडिशनल प्लान	109N070V01				
बीएसएलआई ड्रीम एंडोमेन्ट प्लान	109L060V01				
बीएसएलआई क्लासीक एंडोमेन्ट प्लान	109L061V01				
बीएसएलआई प्लाटीनम अडवानटेज प्लान	109L062V01				
बीएसएलआई ड्रीम लाइफ प्लान	109L064V01				
बीएसएलआई ड्रीम चाइल्ड प्लान	109L065V01				
बीएसएलआई क्लासीक चाइल्ड प्लान	109L066V01				
बीएसएलआई क्लासीक लाइफ प्लान	109L067V01				
बीएसएलआई फोरसाइट प्लान	109L069V01				
बीएसएलआई सर्जिकल केर राइडर	109C015V01				
बीएसएलआई हस्पिटल केर राइडर	109C016V01				
बीएसएलआई वेवयर आफ प्रीमियम राइडर	109C017V01				
बीएसएलआई आक्सीडेंट डेथ अन्ड डीसपेबीलीटी राइडर	109C018V01				
बीएसएलआई क्रीटीकल ईलनेस राइडर	109C019V01				
बीएसएलआई गुप क्रीटिकल इलनेस प्रीमियम राइडर	109B020V01				
बीएसएलआई गुप अक्सीलरेटड क्रीटिकल इलनेस प्रीमियम राइडर	109B021V01				
बीएसएलआई गुप अक्सीलरेटड टर्मीनल इलनेस राइडर	109B022V01				
बीएसएलआई आक्सीडेन्टल डेथ बेनीफीट राइडर	109B014V01				
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स लाइफ गुप ट्रेडिशनल प्लान	136N014V01		
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस सिक्थर स्मार्ट प्लान	136N017V01		
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस ड्रीम स्मार्ट प्लान	136L015V01		
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स लाइफ इश्योरेंस ग्रोथ स्मार्ट प्लान	136L016V01		
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स फ्यूचर स्मार्ट प्लान	136L018V01		
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स इश्योर स्मार्ट प्लान	136L019V01		

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

7	डीएलएफ प्रामेरिका	डीएलएफ प्रामेरिका धन सुरक्षा	140N020V01
		डीएलएफ प्रामेरिका अश्रूर मनी +	140N021V01
		डीएलएफ प्रामेरिका ततकाल सुरक्षा गोल्ड	140N024V01
		डीएलएफ प्रामेरिका रोज बीमा	140N026V01
		डीएलएफ प्रामेरिका फ्यूचर आइडल्स गोल्ड	140N027V01
		डीएलएफ प्रामेरिका रक्शक	140N028V01
		डीएलएफ प्रामेरिका वेल्थ + प्रीमियर	140L022V01
		डीएलएफ प्रामेरिका इजी वेल्थ+	140L023V01
		डीएलएफ प्रामेरिका वेल्थ+ एस	140L025V01
8	फ्यूचर जनरली	फ्यूचर जनरली ड्रीम ग्यारंटी प्लान	133N029V01
		फ्यूचर जनरली केर प्लस	133N030V01
		फ्यूचर जनरली स्मार्ट लाइफ	133N031V01
		फ्यूचर जनरली एनएवी इश्योर प्लान	133L032V01
		फ्यूचर जनरली सलेक्ट इश्योरेंस प्लान	133L033V01
		फ्यूचर जनरली निवेश प्रीफेर्ड प्लान	133L034V01
		फ्यूचर जनरली प्रमुख निवेश	133L035V01
		फ्यूचर जनरली वेल्थ प्रोटेक्ट प्लान	133L036V01
		फ्यूचर जनरली यूनिट लिक्ड लाइफ गार्डीयन राइडर	133A018V02
फ्यूचर जनरली सरल टर्म बेनीफीट राइडर	133B020V01		
9	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	एचडीएफसी एसएल गुप सेविंग्स प्लान	101N062V01
		एचडीएफसी एसएल न्यू मनि बैंक प्लान	101N063V01
		एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीन बचत योजना	101N069V01
		एचडीएफसी एसएल गुप कनवेन्शनल प्लान	101N070V01
		एचडीएफसी एसएल इंडोमेन्ट गेन	101N071V01
		एचडीएफसी एसएल गुप ट्रेडिशनल प्लान	101N075V01
		एचडीएफसी एसएल क्लासीक अश्रूर इश्योरेंस प्लान	101N076V01
		एचडीएफसी लाइफ क्लासीक पेंशन इश्योरेंस प्लान	101N077V01
		एचडीएफसी लाइफ संपूर्ण समरीद्धि इश्योरेंस प्लान	101N078V01
		एचडीएफसी एसएल क्रेस्ट	101L064V01
		एचडीएफसी एसएल यंगस्टार सुपर II	101L065V01
		एचडीएफसी एसएल प्रोग्रॉथ सुपर II	101L066V01
		एचडीएफसी एसएल प्रोग्रॉथ मैक्सीमाइजर	101L067V01
		एचडीएफसी एसएल यंग स्टार सुपर प्रीमियम	101L068V01
		एचडीएफसी एसएल प्रोग्रॉथ फ्लेक्सी	101L072V01
		एचडीएफसी एसएल गुप लिंकड आपशन I	101L073V01
एचडीएफसी एसएल पेंशन माक्सीमस्	101L074V01		
10	आईसीआईसीआई प्रु.	आईसीआईसीआई प्रु. हस्पिटल केर II	105N108V01
		आईसीआईसीआई प्रु. आई प्रोटेक्ट	105N110V01
		आईसीआईसीआई प्रु. ग्यारंटीड सेविंग्स इश्योरेंस प्लान	105N114V01
		आईसीआईसीआई प्रु. होल लाइफ	105N116V01
		आईसीआईसीआई प्रु. फ्यूचर सेक्यूर	105N117V01
		आईसीआईसीआई प्रु. गुप टर्म प्लान	105N119V01
		आईसीआईसीआई प्रु. लाइफ लिंग वेल्थ एसपी	105L111V01
		आईसीआईसीआई प्रु. लाइफ टाईम प्रीमियर	105L112V01
		आईसीआईसीआई प्रु. लिंक पेंशन एसपी	105L113V01
		आईसीआईसीआई प्रु. पीनाक्ल II	105L115V01

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

	आईसीआईसीआई प्रु. लाइफ स्टेज वेल्थ II	105L118V01
	आईसीआईसीआई प्रु. स्मार्ट किड प्रीमियर	105L120V01
	आईसीआईसीआई प्रु. पिन्नाकील सुपर	105L121V01
	आईसीआईसीआई प्रु. वेवयर आफ प्रिमियम ऑन क्रिकेटकल इलनेस राइडर	105C024V01
11	आईडीबीआई फेड्रल लाइफ	
	आईडीबीआई फेड्रल लोन अश्यरिंस ग्रुप लाइफ प्लान	135N013V01
	आईडीबीआई फेड्रल टर्म ग्रुप अश्यरिंस लाइफ प्लान	135N015V01
	आईडीबीआई फेड्रल बॉडअश्योरेंस अडवानटेज इंश्योरेंस प्लान	135N016V01
	आईडीबीआई फेड्रल रिटायर अश्योरेंस ग्यारंटीड पेंशन प्लान	135N017V01
	आईडीबीआई फेड्रल टर्म अश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान	135N019V01
	आईडीबीआई फेड्रल टर्म अश्योरेंस सिनीयर इंश्योरेंस प्लान	135N021V01
	आईडीबीआई फेड्रल वेल्थअश्योरेंस माईलस्टोन प्लान	135L014V01
	आईडीबीआई फेड्रल वेल्थअश्योरेंस प्रीमियर इंश्योरेंस प्लान	135L018V01
	आईडीबीआई फेड्रल रिटायर अश्योरेंस माईलस्टोन पेंशन प्लान	135L020V01
12	इंडिया फर्स्ट लाइफ	
	इंडिया फर्स्ट लाइफ प्लान	143N007V01
	इंडिया फर्स्ट सिंपल लाइफ प्लान	143N008V01
	इंडिया फर्स्ट एनीटाइम प्लान	143N009V01
	इंडिया फर्स्ट सेक्यूर सेव प्लान	143N012V01
	इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सेव प्लान	143L010V01
	इंडिया फर्स्ट यंग इंडिया प्लान	143L011V01
	इंडिया फर्स्ट एमप्लॉई बेनीफीट प्लान	143L013V01
	इंडिया फर्स्ट टर्म राइडर	143B001V01
13	आईएनजी वैश्या लाइफ	
	आईएनजी इमिडीयेट अन्यूटी विथ रिटर्न आफ परसेस प्राईस	114N050V01
	आईएनजी आशीर्वाद	114N051V01
	आईएनजी आशीर्वाद	114N051V02
	आईएनजी क्रीयेटिंग स्टार ग्यारंटीड फ्यूचर	114N052V01
	आईएनजी एसीइ लाइफ	114N058V01
	आईएनजी एसीइ पेंशन	114N059V01
	आईएनजी उत्तम जीवन - एसपी	114L053V01
	आईएनजी उत्तम जीवन	114L054V01
	आईएनजी प्रास्परिंग लाइफ	114L055V01
	आईएनजी मार्केट शिल्ड	114L056V01
	आईएनजी प्रास्परिंग लाइफ एसपी	114L057V01
14	कोटक महेन्द्र ओम लाइफ	
	कोटक ई-फ्रीफर्ड टर्म प्लान	107N060V01
	कोटक ई-टर्म	107N061V01
	कोटक फीक्सड रिटर्न प्लान	107N068V01
	कोटक अश्यूरड इंकम	107N069V01
	कोटक सरल सुरक्षा	107N070V01
	कोटकसेक्यूर इंवेस्ट इंश्योरेंस	107L062V01
	कोटक वेल्थ इंश्योरेंस प्लान	107L063V01
	कोटक एसीई इंवेस्टमेंट प्लान	107L064V01
	कोटक सिंगल इंवेस्ट अडवानटेज	107L065V01
	कोटक हेडस्टार्ट चाइल्ड अश्यूर	107L066V01
	कोटक प्लाटीनम	107L067V01

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

15	एलआईसी	एलआईसी ग्रीप फ्लेक्सीबल इंकम प्लान एलआईसी बीमा अकाउन्ट -I एलआईसी बीमा अकाउन्ट -II एलआईसी पेंशन प्लस एलआईसी इंडोमेन्ट प्लस एलआईसी संमरिद्धी प्लस	512N262V01 512N263V01 512N264V01 512L260V01 512L261V01 512L265V01
16	मैक्स न्यू यॉक लाइफ	मैक्स न्यू यॉक लाइफ प्लाटीनम प्रोटेक्ट मैक्स न्यू यॉक लाइफ स्मार्ट बंड मैक्स न्यू यॉक लाइफ कॉलेज प्लान मैक्स न्यू यॉक शुभ निवेस्ट मैक्स न्यू यॉक शिक्षा प्लास II मैक्स न्यू यॉक लाइफ फ्लेक्सी फायरून	104N060V01 104N063V01 104N065V01 104L061V01 104L062V01 104L064V01
17	मेट लाइफ इण्डिया	मेट ग्रामीन आशरे मेट मनथिली इनकम प्लान - 7 पे मेट प्रोटेक्ट मेट ग्रुप सेविंगस् प्लान मेट स्मार्ट प्लाटीनम मेट स्मार्ट वन मेट इसी सुपर	117N063V01 117N064V01 117N065V01 117N067V01 117L066V01 117L068V01 117L069V01
18	रिलायंस लाइफ	रिलायंस लाइफ केर फर यू प्लान रिलायंस मनी मल्टीप्लायर प्लान रिलायंस लाइफ क्लासीक प्लान रिलायंस लाइफ हैयेस्ट एनएवी अडवानटेज प्लान रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस क्लासीक प्लान - लिमिटेड प्रीमियम रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप ग्राज्यूटी प्लस प्लान रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस फाईव पे प्लान	121N078V01 121N079V01 121L076V01 121L077V01 121L080V01 121L081V01 121L082V01
19	सहारा इण्डिया लाइफ	सहारा शीखर जीवन बीमा सहारा उत्कर्ष जीवन बीमा सहारा सुगम जीवन बीमा सहारा संचीत जीवन बीमा	127L021V01 127L022V01 127L023V01 127L024V01
20	एस.बी.आई लाइफ	एस.बी.आई लाइफ - हस्पिटल केश एस.बी.आई लाइफ - सरल शीलड एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट शीलड एस.बी.आई लाइफ - सरल लाइफ एस.बी.आई लाइफ - गैरव जीवन एस.बी.आई लाइफ -आरआइएनएन रक्षा एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट परफामर एस.बी.आई लाइफ - यूनिट प्लस सूपर एस.बी.आई लाइफ - सरल महा आनन्द एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट इलाईट एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट स्कॉलर एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट हारीजान एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट पेंशन एस.बी.आई लाइफ - स्मार्ट वेल्थ अश्यूर	111N065V01 111N066V01 111N067V01 111N071V01 111N076V01 111N078V01 111L068V01 111L069V01 111L070V01 111L072V01 111L073V01 111L074V01 111L075V01 111L077V01

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये जीवन बीमा उत्पाद

21	श्रीराम लाइफ	श्रीराम क्रेडिक गार्ड	128N033V01
		श्रीराम उज्ज्वल लाइफ	128L034V01
		श्रीराम उज्ज्वल लाइफ (एसपी)	128L035V01
		श्रीराम लाइफ वेल्थ प्लस	128L036V01
		श्रीराम ग्रुप ग्राज्यूटीटी प्रोटेक्टर	128L037V01
		श्रीराम एक्सट्रा कावर राइडर	128B009V01
		श्रीराम क्रिटीकल इलनेस कवर राइडर	128C010V01
22	स्टार यूनिजन दाइची लाइफ	एसयूडी लाइफ डीफाइन्ड बेनीफिट इंडोमेन्ट प्लान	142N023V01
		एसयूडी लाइफ डीफाइन्ड ग्रोथ इंडोमेन्ट इंश्योरेंस प्लान	142N027V01
		एसयूडी लाइफ धन सुरक्षा 3	142L024V01
		एसयूडी लाइफ धन सुरक्षा प्रीमियम 3	142L025V01
		एसयूडी लाइफ प्रभात तारा 3	142L026V01
		एसयूडी लाइफ धन सुरक्षा एक्सप्रेस	142L028V01
23	टाटा एआईजी लाइफ	टाटा एआईजी लाइफ ग्रुप टोटल सुरक्षा	110N088V01
		टाटा एआईजी महा लाइफ ग्यारंटी	110N089V01
		टाटा एआईजी लाइफ महा ग्यारंटी फ्लेक्सी	110N093V01
		टाटा एआईजी लाइफ इंवेस्ट अश्यूर फ्लेक्सी सुप्रीम	110L090V01
		टाटा एआईजी लाइफ लक्ष्य सुप्रीम	110L091V01
		टाटा एआईजी लाइफ इनवेस्ट अश्यूर प्लस सुप्रीम	110L092V01
		टाटा एआईजी लाइफ यूनाईटेड उज्ज्वल भविष्य सुप्रीम	110L094V01
		टाटा एआईजी लाइफ इनवेस्ट अपेक्स सुप्रीम	110L095V01
		टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस स्वर्ण प्रतिज्ञा	110L096V01
		टाटा एआईजी लाइफ इंवेस्ट अश्यूर गोल्ड सुप्रीम	110L097V01
		टाटा एआईजी लाइफ ग्रुप डीसअेबीलीटी राइडर	110B022V01

टिप्पणी: एडलवीसीस् टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि., वर्ष 2011-12 के दौरान कार्य शुरु किया।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये गैर जीवन बीमा उत्पाद

क्र.सं	गैर जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
1.	कृषि बीमा कंपनी	कार्डामोम प्लान्ट एवं यील्ड इंश्योरेंस
2.	अपोलो म्युनिख हेल्थ	मैक्जिमा इंश्योरेंस ऑप्टिमा प्लस इसी हेल्थ इंश्योरेंस इसी हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस
3.	बजाज अलायंज	कमर्शियल पैकेज एस आई बी हेल्थ असिस्ट मौसम हिफाजत
4.	चोलमांडलम	वेदर इंश्योरेंस (इन्डेक्स) चोला एमएस इंडिविज्वल हेल्थलाइन इंश्योरेंस डोमेस्टीक ट्रावल इंश्योरेंस चोला एमएस क्रीटिकल हेल्थलाइन इंश्योरेंस
5.	फ्यूचर जनरली	फ्यूचर इवेंट इंश्योरेंस फ्यूचर सीनी सुरक्षा हेल्थ सुरक्षा – रीवीजन ट्रावल सुरक्षा – स्टेन्डर्ड प्लान – अडिशनल बेनीफीट्स
6.	एचडीएफसी एगो	कार्ड स्वरूपाकेज पॉलसी वेदर इंश्योरेंस इवेंट कान्सीलेशन पॉलसी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलसी इनफरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नालोजी एरर्स एवं ओमिशन (रिवाजीड इंटरनेशनल वॉर्डींगस्) जनता पर्सनल एक्सिडेंट (जेपीए) ग्रामीन आरोग्य निधि मेराइन कार्गो ओपन पॉलसी (रिवीजन आफ मेराइन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्गो क्लॉजेज)
7.	आईसीआईआई लोबोर्ड	क्रॉप इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस पॉलसी (रिवीजन/आड-ऑन कवर्स)
8.	इफको टोकियो	जनता बीमा योजना पॉलसी (एमआई प्रोडक्ट) फसल बीमा योजना
9.	एल अन्ड टी जनरल	इंडस्ट्रीयल आल रिक्स पॉलसी अडवान्स लास ऑफ प्राफटीस् इंश्योरेंस पॉलसी मशीनरी लास ऑफ प्राफटीस् इंश्योरेंस पॉलसी माई: ऐसट टू विलर इंश्योरेंस माई: ऐसट प्रइवेट मोटर इंश्योरेंस माई: ऐसट कमर्शियल अन्ड मीसलेनियस वेहकील इंश्योरेंस मोटर लायबीलीटी आनेली पॉलसी बर्गलरी अन्ड हाउस ब्रेकींग इंश्योरेंस माई जिवीका स्टॉडर्ड फायर अन्ड स्पेशन पेरीलस् पॉलसी कॉट्राक्टर आल रिक्स पॉलसी

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये गैर जीवन बीमा उत्पाद

क्र.सं	गैर जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
		<p>ऐरेक्शनस् आल रिक्स पॉलसी काट्राक्टरस् प्लांट अन्ड मशीनरी पॉलसी मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटस् इश्यूरेंस पॉलसी वर्कमेन्स् कंपनसेशन इश्यूरेंस पबलीक लायबीलीटी (आक्ट) इश्यूरेंस फायर लास आफ प्राफीटस् इश्यूरेंस पॉलासी आल रिक्स इश्यूरेंस नियान साइन इश्यूरेंस मनी इश्यूरेंस बैगेज इश्यूरेंस प्लेट ग्लास इश्यूरेंस कमर्शियल जनरल लायबीलीटी इश्यूरेंस कंबाईन्ड पबलीक अन्ड प्रोडेक्ट लायबीलीटी इश्यूरेंस माई: जीविका पर्सनल एक्सीडेंट माइक्रो इश्यूरेंस मेराईन कारोग्र इश्यूरेंस</p>
10.	मॉक्स बुपा हेल्थ	<p>इंटरनेशनल मेडीकल ऐमर्जेन्सी पॉलसी स्वास्थ्य प्रथम माइक्रो इश्यूरेंस प्राडेक्ट हार्टबीट - आड ओन ऐमपालाइ फस्ट हेल्थ इश्यूरेंस प्लान</p>
11.	नेशनल इश्यूरेंस	<p>पॉकेज इश्यूरेंस (प्राइवेट कार्स अन्ड टू-विलरस्) - आड आन</p>
12.	न्यू इंडिया अश्यूरेंस	<p>जन सुरक्षा लघु बीमा</p>
13.	रहेजा क्यूबीई	<p>मल्टीमिडीया प्रोफेशनल इंडीमिनीटी प्रोफेशनल इंडीमिनीटी (मेडिकल मालप्राक्टीस्) ट्रांसस्पोटर्स लायबीलीटी पॉलसी डी एन्ड ओ लायबीलीटी ऐक्सेस पॉलसी डी एन्ड ओ कंपनी रीमब्यूरस्मेन्ट इश्यूरेंस</p>
14.	रॉयल सुंदरम्	<p>मोटल आड-आन्स् फॉर कमर्शियल वेहीकल्स हेल्थ शील्ड - गोल्ड हेल्थ शील्ड - नॉर्मल हेल्थ शील्ड - प्रीमियर फयामीली हेल्थ प्रोटेक्टर टॉप अप इश्यूरेंस - हेल्थ एक्सएस अन्ड सुपर हेल्थ एक्सएस इश्यूरेंस क्रिटीकल इलनेस लंपसम इश्यूरेंस फयामीली गुड हेल्थ फयामीली हेल्थ फ्लोटर</p>
15.	एसबीआई जनरल	<p>लॉग टर्म इश्यूरेंस (फयर) बर्गलरी इश्यूरेंस मोटार आड-आन्स् (पीसी/टीडब्लू/सीवी) प्लेट ग्लास इश्यूरेंस पॉलसी बिजीनस् पैकेज मोटार आड-आन्स् (2) री-फिल्ड) अडवान्स् लॉस आफ प्राफीटस् इश्यूरेंस पॉलसी मनी इश्यूरेंस (रीवाईजड)</p>

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारित किये गये गैर जीवन बीमा उत्पाद

क्र.सं	गैर जीवन बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम
		मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलसी कॉन्ट्राक्टस् प्लॉट अन्ड मशीनरी पॉलसी बाइलर अन्ड प्रशर प्लॉट पालसी ऐरेक्शन आल रिक्स पॉलसी मशीनरी लॉस आफ प्राफीट्स पॉलसी ऐवियेशन हल पैकेज इंडस्ट्रीयल आल रिक्स पॉलसी मनी इश्युरेंस पॉलसी लास आफ प्राफीट गूप हेल्थ इश्युरेंस मेराईन कारगो इश्युरेंस
16.	स्टार हेल्थ अन्ड अलाईड	स्टार श्री इनडिविड्युअल केयर इश्युरेंस स्टार श्री फैमिली केयर इश्युरेंस स्टार यूनीक हेल्थ इश्युरेंस स्थार वेडींग गिफ्ट इश्युरेंस सिनीयर सीटीजन रेड कारपेट इश्युरेंस हेल्थ ऑल केयर इश्युरेंस पॉलसी
17.	श्रीराम जनरली	इंडस्ट्रीयल आल रिक्स पॉलसी नीयान साईन/ग्लोसाईन/होडीगिस् इश्युरेंस पॉलसी अग्रीकलचर पंपसेट इश्युरेंस पॉलसी प्लेट ग्लास इश्युरेंस पॉलसी बर्गलरी इश्युरेंस (रीवीजन) बैगेज इश्युरेंस आल रिक्स इश्युरेंस ज्वेल्स ब्लॉक इश्युरेंस पॉलसी बीजीनेस प्रोटेक्टर कमर्शियल जनरल लायबीलीटी इश्युरेंस जनता पर्सनल एक्सीडेंट (गुप) सेल्स टर्नओवर पॉलसी
18.	टाटा एआईजी जनरल	पशु सुरक्षा बीमा आड-अन्स फॉर विलर्स पैकेज पॉलसी राष्ट्रीय स्वस्थ बीमा योजना इश्युरेंस वेलअश्युरेंस मैराइन कार्गो इश्युरेंस
19.	यूनाईटेड इंडिया	निल डीप्रीशियेशन (आड-आन) वर्कमेन मेडीकेर पॉलसी इडीवीड्यल हेल्थ इश्युरेंस - सीनियर सीटीजन इडीवीड्यल हेल्थ इश्युरेंस - प्लाटीनम इडीवीड्यल हेल्थ इश्युरेंस - गोल्ड आई ओ बी हेल्थ केर पल्स
20.	यूनिवर्सल सोम्पो	मोटार आड-आनस् (8) अडवान्स लास आफ प्रोफिट्स पॉलसी फाइन आर्ट्स इश्युरेंस पालसी इडीवीड्यल हेल्थ इश्युरेंस - संपूर्ण स्वस्थ कवच

जीआईसी को प्राप्त जिम्मेदार सेशन

श्रेणी	बीमाकृत मे शेशन की सीमा	पुर्नबीमा कमीशन (%)	लाभ कमीशन (%)
अग्नि, आई ए आर	₹ 500 करोड़ बीमाकृत (एमडी+एलओपी) प्रति जोखिम	15-30	25-30
बड़े जोखिम	₹ 500 करोड़ बीमाकृत (एमडी+एलओपी) प्रति जोखिम	10	20
मरिन कार्गो	₹ 25 करोड़ बीमाकृत प्रति पॉलिसी	15-25	10-15
मराइन हल	₹ 40 करोड़ बीमाकृत प्रति वेसल	12.5-25	15
युद्ध एंड एसआरसीसी	₹ 40 करोड़ बीमाकृत प्रति वेसल	10	Nil
मोटर, कर्मचारियों का मुआवजा	कोई सीमा नहीं	15-25	15-30
सामान्य विमानन दायित्व	कोई सीमा नहीं	7.5-12.5	15
विमानन (एयरलाइन्स)	हल के लिये बीमाकृत प्रति जोखिम ₹ 300 करोड़ और अन्य बीमा के लिये उसके अनुरूप प्रतिशत	औसत टर्म	Nil
तेल एवं उर्जा	₹ 37.50 करोड़ बीमाकृत प्रति जोखिम	5	20
सारे दायित्व संबंधी उत्पाद वति दायित्व के अलावा	अमेरिका को मिलाकर प्रति पॉलिसी के लिये ₹ 12.5 करोड़/अमेरिका को निकालकर ₹ 25 करोड़	20	15-20
क्रेडिट एवं गैरान्टेड लाइनस मॉरिगेज इन्श्योरेंस कृषि/मौसम बीमा	₹ 25 करोड़ बीमाकृत प्रति घटना	10	15
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं	15-25	15
मशीन का खराब होना, बॉलर्स धमका लाभ में कमी	₹ 100 करोड़ बीमाकृत प्रति जोखिम	15-30	25-30
ठेकेदार के सभी खतरे, खड़ा करने के सभी खतरे, लाभों का अग्रिम नुकसान, शुरु करने में देरी	₹ 300 करोड़ बीमाकृत प्रति जोखिम (एमडी+एलओपी)	15-30	25-30

एमडी: भारी क्षति; एलओपी: लाभ पर हानि; एसआरसीसी: आपआर: अद्योगिक सभी जोखिम; एसआइ: बीमात राशी; एसआरसीसी: हडताल, दंगा और सीविल हंगामा

पंजीकृत दलालों की संख्या (राज्यानुसार)

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत दलालों की संख्या*
1	महाराष्ट्र	98
2	दिल्ली	63
3	पश्चिम बंगाल	28
4	तमिलनाडु	28
5	आंध्र प्रदेश	18
6	उत्तर प्रदेश	18
7	गुजरात	13
8	कर्नाटक	12
9	पंजाब	11
10	केरल	8
11	राजस्थान	5
12	चंडीगढ़	4
13	मध्य प्रदेश	3
14	हरियाणा	2
	कुल	311

* 30 जून 2011 तक

अप्रैल 2010* से प्राधिकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
1.	आइआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/एफएण्डए/061/04/2010	08-04-2010	लेदावाकरण मुद्दों पर स्थायी समित-पुनर्गठन
2.	आरआरडीए/सीएचएम/सीआईआर/सीआईआर/063/04/2010	13-04-2010	यूलिप पर परिपत्र
3.	आरआरडीए/टीपीए/ओआरडी/सीएएन/065/04/2010	23-04-2010	टीपीए लाइसेंस का निस्तीकरण - यूनिवर्सल मेडि एंड सर्विसेज
4.	आरआरडीए/एसीटी/सीआईआर/यूएलआईपी/066/04/2010	27-04-2010	लाभनिदर्शन-वितरण चैनल का मुगतान
5.	आरआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमआईएससी/069/04/2010	30-04-2010	अनधिकृत संस्था द्वारा बीमा कारोबार चलाना एम/एस. रेडिएन्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
6.	आरआरडीए/एसीटी/सीआईआर/यूएलआईपी/071/05/2010	03-05-2010	यूनिट सहबद्ध उत्पादों पर दिशानिर्देश
7.	आरआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/एफएंडए/075/05/2010	10-05-2010	वित्तीय स्टेमेंटों की त्रैमासिक प्रस्तुति
8.	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एचएलटीएच/077/05/2010	10-05-2010	विविध प्राधिकरण अधिनियम के परि. 14(2) एच के अंतर्गत सूचना-स्वास्थ्य बीमा दावे
9.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/एफए/076/05/2010	10-05-2010	शोधक्षम मार्जिन अनुपात के रखरखाव की रिपोर्टिंग
10.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/एएमएल/080/05/2010	13-05-2010	अभिलेखों का रख रखाव तथा लेन देन का मूल्य, सूचना भिजवाने की प्रक्रिया और रखरखाव की रिति तथा ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्डों का सत्यापन
11.	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/एमआईएससी/081/05/2010	13-05-2010	गौर बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट
12.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/082/05/2010	17-05-2010	स्पष्टीकरण - एजेन्सी पोर्टल
13.	आईआरडीए/सीएएस/सीआईआर/ईएक्सडी/083/05/2010	18-05-2010	यूनिट सहबद्ध बीमा इत्यादों की शर्तों के मानकीकरण पर एक्सपोजर प्रारूप और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा विनियमों के उपाय
14.	आईआरडीए/एडमित/सीआईआर/जन/084/05/2010	18-05-2010	आंकडा आधार के अधिग्रहण पर एक्सपोजर प्रारूप
15.	आरआरडीए/सीए जीटीएस/सीआईआर/एलसी/ई/085/05/2010	25-05-2010	एक बीमा कर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में निगम एजेन्सी का अंतरण
16.	आईआरडीए/एफएण्डआइ/सीआईआर/आंकडे/091/06/2010	02-06-2010	कमीशन अथवा अन्य प्रकार से दिए गए पारिश्रामिक का भुगतान, बीमा अधिनियम, 1938 का परिच्छेद 31बी (2)
17.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/092/06/2010	07-06-2010	एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता में निगम एजेन्सी का अंतरण
18.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/093/2010	07-06-2010	बीमाकर्ता द्वारा निगम एजेन्टों का निरीक्षण
19.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/एएमएल/099/06/2010	16-06-2010	एएमएल दिशा निर्देशों की समीक्षा
20.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/ईचपी/100/06/2010	16-06-2010	बीमा कंपनियों के इकटि धारित पैटर्न का विवरण
21.	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एसआईएससी/101/06/2010	17-06-2010	केवल दायित्व बीमा सुरक्षा के लिए मानक प्रस्ताव कार्य
22.	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/102/06/2010	19-06-2010	यूनिट सहबद्ध बीमायोजनाओं में शामिल किए जाने वाले तत्व
23.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/जीडीएल/एलसीई/106/06/2010	28-06-2010	निगम एजेन्टों को लाइसेंस जारी करने नवीकरण के लिए दिशा निर्देश
24.	आईआरडीए/एजीटीएस/ओआरडी/ट्रेनिंग/109/07/2010	06-07-2010	बीमा एजेन्टों के परीक्षा केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण
25.	आईआरडीए/लाइफ/सीआईआर/मिस./110/07/2010	12-07-2010	मार्गदर्शन व्यवस्था (रेफरल) संबंधी परिपत्रों का निरीस्तीकरण
26.	आईआरडीए/आईटी/एनटीसी/एमआईएससी/111/07/2010	14-07-2010	ईआरपी प्रणालियों के चरण 1 का कार्यन्वयन तकनीकी बोली के लिए आइटी फर्मों की चयनित सूची बनाया
27.	आईआरडीए/बीआर के/ओआर/डीएलसी/112/07/2010	16-07-2010	ब्रोकर लाइसेंस की निरीस्तीकरण
28.	आईआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/एफएंडए/114/07/2010	19-07-2010	दण्ड लगाना
29.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/आइएनवी/115/07/2010	21-07-2010	जमा प्रत्राणपत्रों तथा दायित्विक पत्रों में ओटीसी उने देन की रिपोर्टिंग
30.	आईआरडीए/एन/ए/ओआरडी/आरआईएन/117/07/2010	26-07-2010	मैजर्स क्लफ इंजीनियरिंग तथा मैसर्स ओएनजीसी नेशनल इश्योरेन्स कंपनी को जारी पॉलिसीयाँ पदायर्थ (रेफरल) कंपनियों का अनुमोदन
31.	आईआरडीए/एलआईएफड/ओआरडी/एमआईएससी/120/07/2010	26-07-2010	
32.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/आरआईएन/118/07/2010	26-07-2010	हवाईअड्ड दायित्व बीमा पॉलिसी नेशनल इन्शुरेन्स कंपनी
33.	आईआरडीए/एलजीएल/ओआरडी/ओआरडी/122/07/2010	27-07-2010	एसबीआई लाइफ इन्शुरेन्स को कारण बताओं नोटिस

अप्रैल 2010* से प्राधिकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
34.	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/ ओआरडी/123/07/2010	27-07-2010	स्थतीय निरक्षण पर 10 लाख रुपए का दण्ड- एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस यूलिप्स पर स्पष्टीकरण
35.	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/ यूलआइपी/124/08/2010	04-08-2010	
36.	आईआरडीए/एलआइएफइ/एम आई एससी/सीआईआर/125/08/2010	05-08-2010	वि वि वि प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) संशोधन विनियम, 2010
37.	आईआरडीए/एलआइएफई/सीआई आए/एमआइएससी/126/08/2010	09-08-2010	मार्गदर्शन व्यवस्था - निरक्षीकरण
38.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/ एलसीइ/127/08/2010	11-08-2010	मार्गदर्शन करार से निगम एजेंसी में संक्रमण
39.	आईआरडीए/एलआइएकइ/एमआइएससी/ सीआईआर/129/08/2010	16-08-2010	जीवन बीमा उत्पादों का विज्ञापन
40.	आईआरडीए/एल/ओआरडी/आर आइएन/130/08/2010	17-08-2010	हवाई अड्डा देयता बीमा से संबंधित प्रकरण में ओरियेन्टल इन्श्योरेंस कं.लि. के खिलाफ बीविविप्राधिकरण का आदेश
41.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/आरआइएन/ आइएन/132/08/2010	17-08-2010	हवाई अड्डा देयता बीमा पॉलिसी के संबंधित प्रकरण में युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं.लि. के खिलाफ बीविविप्राधिकरण का आदेश
42.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/आरआइएन/ आइएन/132/08/2010	17-08-2010	हवाई अड्डा देयता बीमा से संबंधित प्रकरण में इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कं.लि. के खिलाफ बीविविप्राधिकरण का आदेश
43.	आईआरडीए/एफएंडआस/ओआरडी/ एफएंडए/133/08/2010	20-08-2010	मैसर्स भारती एक्स लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी के खिलाफ प्राधिकरण का आदेश
44.	आईआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/ एफएंडए/134/08/2010	20-08-2010	मैसर्स भारती एक्स जनरल इन्श्योरेंस कं.लि. के खिलाफ प्राधिकरण का आदेश
45.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/ एलसीइ/135/08/2010	23-08-2020	निगम एजेंटों द्वारा पैन कार्ड आवश्यकताएं
46.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/आरआइएन/ 136/08/2010	24-08-2010	इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, प्रशासन तथा निपटान प्रणाली
47.	आईआरडीए/एचएलटी/एमआइएससी/ सीआईआर/139/08/2010	24-08-2010	स्वास्थ्य बीमेदावे का निपटान - नकदरहित आधर पर
48.	आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/ए एजीएन/137/08/2010	24-08-2010	पॉलिसी दस्तावेज पर एजेन्सी व्यौरों का प्रकटीकरण
49.	आईआरडीए/सीएचएम/इटीएसएस/ सीआईआर/142/08/2010	31-08-2010	इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, तथा निपटान प्रणाली विनियमों पर एक्सपोजर प्रारूप
50.	आईआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/ इएमटी/145/08/2010	31-08-2010	प्रथम पांचवर्षों में प्रबन्ध व्यय की सीमा
51.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/ एलसी/147/09/2010	01-09-2010	ब्रोकिंग लाइसेन्स (सयुक्त) के नवीकरण की अनुमति मांगने के दिनांक 16-2-2010 के आवेदन-पत्र का अस्वीकरण
52.	आईआरडीए/एन/एल/ओआरडी/आर आइएन/148/09/2010	03-09-2010	चेतावनी तथा दण्ड
53.	आईआरडीए/आइटी/ओआरडी/एमआइएससी/ 152/09/2010	03-09-2020	आइजीएमएस प्रणाली का कार्यन्वयन
54.	आईआरडीए/आइटी/ओआरडी/एमआइएससी/ 153/09/2010	06-09-2010	श्री मुकर्मल कुमार चौधरी के लाइसेंस का निलम्बन (सरपेंशन)
55.	आईआरडीए/एसीटी/सीआसआर/ एमआईएससी/154/09/2010	09-09-2010	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के लिए मानक बीमा उत्पाद का संयुक्त पैकेज एक्सपोजर प्रारूप
56.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/जीडीएल/ एलसीइ/155/09/2010	14-09-2010	डाकविभाग को कांपरेट एजेंसी लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए विभिन्न फ्रेमवर्क
57.	आईआरडीए/एफएंडआर/सीआईआर/ एएमएल/158/09/2010	24-09-2010	बीमा कर्ताओं के लिए एएमएल/सीएफटी दिशा निर्देश
58.	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/सी आरइ/159/09/2010	27-09-2010	जनरल इन्श्योरेंस द्वारा, बैंक को विपणित किए जा रहे क्रेडिट बीमा कवर्स की जांच
59.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/ एलसीइ/165/10/2010	14-10-2010	नैगमिक एजेन्सी लाइसेन्स स्वीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क
60.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/सीएमटी 165/10/2010	18-10-2010	देश के आपदा प्रबंधक फ्रेमवर्क हेतु बीमा उत्पादों के आधान (एम्बेडिंग) हेतु समिति का गठन
61.	आईआरडीए/एफएंडआर/सीआईआर/ इएमटी/169/10/2010	21-10-2010	बीमा नियमावली 1939 के नियम 17ई के साथ बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 40सी के अन्तर्गत प्रबन्धन के खर्च
62.	आईआरडीए/एफएंडआई/सीआईआर/ सीएमपी/174/11/2010	04-11-2010	बीमाकृत से संबंधित राशि का ट्रीटमेन्ट
63.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/पीएनटीसी एलसीइ/172/11/2010	04-11-2010	सामान्य जनता के अनधिकृत कॉलज के बारे में सार्वजनिक सूचना
64.	आईआरडीए/एलआइएफइ/सीआईआर/ आरइए/179/11/2010	11-11-2010	परामर्श कंपनियों के पंजीकरण हेतु पोर्टल
65.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआईआर/ एएमएल/180/11/2010	12-11-2010	काले धन को बैंध बनाने के खिलाफ तथा आंतकवाद के वित्रपोषण के खिलाफ दिशा निर्देश
66.	आईआरडीए/एफएंडए/डब्ल्यू आरएन/ इएमटी/185/11/2010	18-11-2010	बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 40सी के प्रावधान का उल्लंघन
67.	आईआरडीए/एफएंडए/डब्ल्यूआरएन/ इएमटी/184/11/2010	18-11-2010	बीमानियमावली 1939 के नियम 17 डी के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 40बी के प्रावधानों तथा

अप्रैल 2010* से प्राधिकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
68.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/इएमटी/183/11/2010	18-11-2010	प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 40ए के अंतर्गत कारोबार के के पहले 10 वर्षों की व्याख्या परिवर्तनशील बीमा उत्पाद
69.	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/वीआईपी/187/11/2010	23-11-2010	
70.	आईआरडीए//एफएंडआइ/ओआरडी/इएमटी/192/11/2010	25-11-2010	मैजर्स टाटा एआइजी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी के खिलाफ आदेश
71.	आईआरडीए//बीआरके/ओआरडी/एल.सी/194/11/2010	26-11-2010	मैजर्स विलिस संडिया इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि. का का निटस्तीकरण
72.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/199/11/2010	30-11-2010	ब्रोकर लाइसेंस सं. 306 का निरस्तीकरण
73.	आइआरडीए/एफएंडआइ/सीआइ/आर जीएलडी/202/12/2010	08-12-2010	सूचनाओं के आदन प्रदान संबंधी नीतिगत दिशा निर्देश
74.	आईआरडीए/एफएंडए/ओआरडी/इएमटी/203/12/2010	08-12-2010	प्रबन्ध पर व्यय-मैसर्ज मैक्स बूपा तथा मै. एसबीआई जनरलको छूट
75.	आईआरडीए/एनएल/सीआइआर/सीआरड/205/12/2010	09-12-2010	क्रेडिक जीये पर दिशा निर्देश
76.	आइआरडीए/एडीएमएन/सीआइआर/एमआईएससी/206/12/2010	09-12-2010	स्टॉक ट्रेडिंग
77.	आइआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/207/12/2010	09-12-2010	बीमा अध्ययन के लिए युगान्तर को सहायता
78.	आइआरडीए/एनएल/पीआर/सीआइ/208/12/2010	13-12-2010	ट्रेडक्रेडिक बीमा-दिशानिर्देश
79.	आईआरडीए/एनएल/एनटीसी/000/211/12/2010	17-12-2010	परिपत्रों/दिश निर्देशों का अनुपालन न करने पर, मैजर्स ओरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि.को कारण बताओं नोटिस वाणिज्यिक मोटर तृतीय पक्ष देयता सुरक्षा पर समिति
80.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/212/12/2010	17-12-2010	
81.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/जीआरबी/213/12/2010	21-12-2010	मैजर्स अभिनव ट्रेडर्स की शिकायत
82.	आर्सआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/जीआर/वी/214/12/2010	21-12-2010	मैजर्स अधिनव ट्रेडर्स का शिकायत-कार्पोरेट एजेन्ट्स विनियम के खिलाफ
83.	आईआरडीए//बीआरके/ओआरडी/एलसी/215/12/2010	22-12-2010	मैसर्ज रिलायेबल इन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के नवीकरण आवेदन पत्र को अस्वीकार करना
84.	आईआरडीए/एजीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/216/12/2010	24-12-2010	31 मार्च 2010 की स्थिति में, सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा कर्ताओं के दावा प्रावधानों को विश्लेषण
85.	आईआरडीए//एफएंडआइ/सीआइआर/सीआइआर/217/12/2010	27-12-2010	गैरसहभागी निधियों से हुए अधिशेष को लाभ-हानि लेखे में, लाभ/हानि के रूप में मानना
86.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/ओओओ/218/12/2010	27-12-2010	बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 64 वी सी का अनुपालन न किया जाना
87.	आईआरडीए/एलआर्सएफड/सीआइआर/एम.आइ.एस.सी/001/01/2011	04-01-2011	सामूहिक बीमा पॉलिसियों के बारे में दिशा निर्देश
88.	आईआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/002/01/2011	04-01-2010	31 मार्च 2010 की स्थिति में निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमा कर्ताओं के दावा प्रावधानों का विश्लेषण
89.	आईआरडीए/आइटी/सीआइआर/एमआईएससी/004/01/2011	06-01-2010	उपयोग कर्ता कॉल प्रबन्धन के लिए सहायता डेस्क
90.	आइआरडी/एनएल/सीआसआर/एफएंडयू/003/01/2011	06-01-2010	साधारण बीमा उत्पाद - फाईल एण्ड यूज शर्तों का अनुपालन
91.	आईआरडीए/टीपीए/जीडीएल/सीआइआर/008/01/2011	12-01-2011	नेटवर्क अस्पतालों तथा टीपीए में बदलाव
92.	आइआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/एसओएलवीएन/011/01/2011	27-01-2011	शैक्षकता की गणना के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रीमियम का मूलयांकन
93.	आईआरडीए/सीएडी/डब्ल्यू.आरएन/सीपीआर/02/01/2011	31-01-2011	पॉलिसीधारक सुरक्षा विनियम 2002 के विनियम 8 के प्रावधानों को उल्लंघन
94.	आईआरडीए/एलआइएफड/जीएलडी/013/02/2011	01-02-2011	बीमा कंपनियों द्वारा कार्यों की आउट सोर्सिंग के संबंध में दिशा निर्देश
95.	आइआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/एफएंडए/015/02/2011	02-02-2011	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा असमाहत जोखिम हेतु प्रारंभित राशि का निर्माण
96.	आईआरडीए/सीएडी/सीआइआर/एजीएन/017/02/2011	02-02-2011	व्यक्तिगत एजेंटों के संबंध में दिशा निर्देश
97.	आइआरडीए/सीएडी/जीडीएल/एनजीएन/016/02/2011	02-02-2011	जीवन बीमापॉलिसियों को बनाए रखने के संबंध में व्यक्तिगत एजेंटों के लिए दिशा निर्देश
98.	आईआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/019/02/2011	02-02-2011	बीमा पॉलिसियों को जारी करने के दिशानिर्देशों पर समिति
99.	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआइएन/027/02/2011	08-02-2011	भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा-बाध्यतादारी अर्पण
100.	आईआरडीए/एचएलटी/एमआईएससी/030/02/2011	10-02-2011	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)
101.	आईआरडीए/सीएचएम/एमआईएससी/सीआइआर/029/02/2011	10-02-2011	विभिन्न सरकारों द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाएँ

अप्रैल 2010* से प्राधिकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
102.	आईआरडीए/सीएचएम/एआईएससी/सीआइआर/032/02/2011	11-02-2011	दिनांक 10-02-2011 के परिपत्र आइआरडीए/सीएचएम/29/02/2011 का अनुपूरक (एडेन्सम)
103.	आइआरडीए/एजीटीएस/एमआर्सएससी/जीएडी/031/02/2011	11-02-2011	व्यक्तिगत एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश
104.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/035/02/2011	14-02-2011	ब्रोकर लाइसेंस सं. 204 का रद्दकरण
105.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/034/02/2011	14-02-2011	मैजर्स सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के खिलाफ बीविकि प्राधिकरण का आदेश
106.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/033/02/2011	14-02-2011	मैजर्स चोलामण्डलम जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी के खिलाफ बीविनिप्राधिकरण का आदेश
107.	आईआरडीए/बीआरके/एलसी/043/02/2011	25-02-2011	मैजर्स अर्थ इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड जिसे पहली टॉन इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग सर्विसेज लि. कहा जाता था, के ब्रोकर लाइसेंस सं. 373 का रद्दकरण
108.	आइआडीए/एसीटी/सीआइआर/जीइएन/045/03/2011	07-03-2011	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांक रिपोर्ट और सार तैयार करने के लिए नियुक्त बीमांककों के उपयोग हेतु नोट मोटर तृतीय पक्षकार पूल रिजर्व्स तथा लेखे रिजर्व्स
109.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/046/03/2011	12-03-2011	
110.	आईआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/051/03/2011	18-03-2011	मैजर्स रिलायन्स जनरल इन्टोरेन्स कंपनी की जांच
111.	आईआरडीए/सीएडी/एजीएस/052/03/2011	24-03-2011	एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश
112.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/आइएनवी/053/03/2011	29-03-2011	1) यूलिप-निधि अनुमोदन प्रक्रिया तथा 2) एन ए वी प्रक्रिया - के संबंध में
113.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/054/03/2011	31-03-2011	ब्रोकर लाइसेंस का रद्दकरण-मैसर्ज एसएन के इन्श्योरेन्स बॉक्स लाइसेंस सं. 322
114.	आईआरडीए/एडीएमएन/जीडीएल/एमआईएससी/059/04/2011	05-04-2011	बीमा उत्पादों के दूर-विपणन पर दिशा निर्देश
115.	आईआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/एसओएलपी/063/04/2011	13-04-2011	शोधक्षत्रता (साल्वेन्सी) स्थिति की गणना हेतु केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्य प्रीमियम का मूल्यांकन
116.	आईआरडीए/एनएल/पीआर/एमओटीपी/067/04/2011	15-04-2011	मोटर तृतीय पक्षकार (टीपी) दायित्व सुरक्षा
117.	आईआरडीए/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/066/04/2011	15-04-2011	केवल तृतीय पक्षकार दायित्व सुरक्षा के लिए मोटर बीमा प्रीमियम दरें
118.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/068/04/2011	18-40-2011	ब्रोकर लाइसेंस का रद्दकरण
119.	आईआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/एसओएसपी/069/04/2011	19-04-2011	कर्मचारियों की गैरव्युत्पत्ती सीमा के वृद्धि के कारण वित्तीय प्रभाव
120.	आईआरडीए/एडीएमएन/जीडीएल/जीएलडी/080/04/2011	29-04-2011	बीमा निक्षेपगोरा (रिपोसिटरीज) तथा बीमा पॉलिसियों को विद्युतीय हटीके जे भेजने संबंधी दिशानिर्देश
121.	आइआरडीए/एडीएमएन/एडीवीटी/एमआईएससी/079/04/2011	29-04-2011	उद्योग-वार, घडी की प्रकृतियों के विश्लेषण और रिपोर्टिंग हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध
122.	आईआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/सीजी/081/05/2011	02-05-2011	निगनियंत्रण (कार्पोरेट गवर्नेन्स) दिशा निर्देशों का अनुपालन
123.	आईआरडीए/एडीएमएन/पीएनटीसी/एसआईएससी/086/05/2011	04-05-2011	बीमा निक्षेपागार (रिपोटिंगरीज) आवेदन फार्म मंगवाना
124.	आईआरडीए/एलआइएफइ/ओआरडी/जीआरवी/101/05/2011	16-05-2011	सुनवाई मैजर्स मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी - उपभोगता मामलों से संबंधित प्रकरणों पर
125.	आईआरडीए/एलआइएफइ/सीआइआर/एमआईएससी/103/05/2011	18-05-2011	बीमा कंपनियों द्वारा कार्यों की आउटसोर्सिंग विषय पर जारी दिशानिर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण
126.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/पीबीडीआइएस/105/05/2011	26-05-2011	बीमा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक प्रकटन
127.	आईआरडीए/एसीटी/सीआइआर/एमआईएससी/111/05/2011	26-05-2011	गैर-जीवन उद्योग के लिए आर्थि पूंजी
128.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलएस/110/05/2011	26-05-2011	मैजर्स जीवन सुरक्षा इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेन्स पर निलम्बन आदेश
129.	आईआरडीए/एलआइएफइ/सीआईआर/एमआईएससी/113/06/2011	06-06-2011	स्थायी समिति का गठन
130.	आईआरडीए/एजीटीसी/सीआइआर/बीएनसी/115/06/2011	07-06-2011	बैंश्योरेन्स पर समिति की रिपोर्ट
131.	आईआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/आरएसएस/114/06/2011	07-06-2011	बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 105बी के तहत दण्ड लगाना
132.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/127/06/2011	10-06-2011	मैसर्ज नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी
133.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरपीएनएल/126/06/2011	10-06-2011	मैजर्स द न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
134.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/125/06/2011	10-06-2011	मैसर्ज इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी
135.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/123/06/2011	10-06-2011	मैसर्ज बजाज आलियान्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी

अप्रैल 2010* से प्राधिकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएँ

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	जारी करने की तिथि	विषय
136.	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/123/06/2011	10-06-2011	मैसर्ज आइसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी
137	आईआरडीए/सीएजीटीएस/ओआरडी/पीएनएल/122/06/2011	10-06-2011	मैसर्ज रॉयल सुन्दरम एलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी
138	आईआरडीए/एसीटी/सीआइआर/आरआइएन/119/06/2011	10-06-2011	पुनर्बीमा आंकड़े तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना
139	आईआरडीए/एफएंडए/ओआरडी/इएमटी/130/06/2011	20-06-2011	नियम 17ई के तहत विमुक्ति (एग्जेंशन) आदेश
140	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/एम आइ एस सी/131/06/2011	21-06-2011	बीमांकक स्थायी समिति का गठन
141	आईआरडीए/एनएल/पीएआर/एचएलटीएच/136/06/2011	24-06-2011	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाद्यता (पोर्टेबिलिटी)
142	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/एमएल/145/06/2011	30-06-2011	एमएल/सीफटी दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र 2010 के खंड
143	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/एमएमएल/151/07/2011	04-07-2011	बनाने से रोकना तृतीय संशोधन नियंत्रणविधि, 2010
144	आईआरडीए/एलआइएफ/ओआरडी/एमआईएससी/158/07/2011	08-07-2011	अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत सुनवाई एसबी आई लाइफ इन्श्योरेन्स 70 लाख रुपये का दण्ड
145	आईआरडीए/सीआईआर/एमआईएससी/159/07/2011	08-07-2011	बीमाकर्ताओं की पॉलिसियों, दावों और कार्यालयों से संबंधित कारेबारी जनाकारी का प्रस्तुतीकरण
146	आईआरडीए/एनएल/सीआइआर/एचएचटीएच/160/07/2011	11-07-2011	एक्सपोजर प्रारूप - तृतीय पक्षकार प्रशासक
147	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/161/07/2011	12-07-2011	मैसर्ज एथेना इन्श्योरेन्स एण्ड रीइन्श्योरेन्स ब्रोकर्स प्राइवेट लि. का आदेश रद्दकरण
148	आईआरडीए/सीएडी/ओआरडी/सीपीआर/1170/07/2011	26-07-2011	मैसर्ज द न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के खिलाफ आदेश
149	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/आईएन/173/08/2011	01-08-2011	यूलिप-निधि अनुमोदन प्रक्रिया व एन ए वी प्रक्रिया
150.	आईआरडीए/एसीटी/पीएनटीसी/आइएनवी/179/08/2011	08-08-2011	परिसंपत्ति देयता प्रबन्ध तथा दवाव परीक्षण (स्ट्रैसटेस्टिंग) पर एक्सपोजर प्रारूप (ड्राफ्ट)
151.	आईआरडीए/एसीटी/पीएनटीसी/पीआरडी/181/08/2011	08-08-2011	पेन्शन उत्पादों पर एक्सपोजर प्रारूप (ड्राफ्ट)
152	आईआरडीए/एसीटी/पीएनटीसी/एलआरएसएफ/180/08/2011	08-08-2011	परिसंपत्ति देयता प्रबन्ध तथा दवाव परीक्षण (स्ट्रैसटेस्टिंग) पर एक्सपोजर प्रारूप (ड्राफ्ट) - जीवन
153	आईआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/टीआरएसएच/183/08/2011	11-08-2011	शेयर्स का अंतरण
154.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/186/08/2011	16-08-2011	ब्रोकर्स लाइसेंस सं. 333 का रद्दकरण (मैसर्ज अशिका इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग एण्ड रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड)
155.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/आइएनवी/187/08/2011	17-08-2011	निधि अनुमोदन प्रक्रिया तथा एनएवी प्रोसेस पर दिशानिर्देश
156	आईआरडीए/एडीएमएन/ओआरडी/एमआईएससी/194/08/2011	23-08-2011	मैसर्ज आनन्दम एण्ड कंपनी को प्राधिकृत करना
157.	आईआरडीए/एफएंडए/सीआइआर/एसओएलपी/195/08/2011	24-08-2011	मोटर तृतीय पक्षकार पूल के संबंध में गैरजीवन बीमा का शोधक्षम मार्जिन
158.	आईआरडीए/एलआइएफ/ओआरडी/एमआईएससी/201/08/2011	30-08-2011	मैसर्ज श्रीरामलाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई
159.	आईआरडीए/एफएंडआइ/ओआरडी/सीपीएम/204/08/2011	30-08-2011	बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 102 के तहत दण्ड लगाना
160.	आईआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/आइएनवी/203/08/2011	30-08-2011	वेन्चर निधियों में निवेशस्पष्टीकरण
161.	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एचएलटीएच/207/09/2011	06-09-2011	बीमा कंपनियों से अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा पेश की गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की सर्विसिंग
162.	आईआरडीए/एचएचटी/एमआइएससी/सीआइआर/209/09/2011	12-09-2011	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाद्यता (पोर्टेबिलिटी)
163.	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/सीएमटी/214/09/2011	16-09-2011	भारतीय बीमा बाजार के लिए भारत विशिष्ट एकोर्ड (एसीओआरडी) मानदण्ड बनाना
164.	आईआरडीए/एचएलटी/एमआईएससी/सीआइआर/216/09/2011	19-09-2011	सूचित करने/दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी के कारण दावों का अस्वीकार करना
165.	आईआरडीए/एलआइएफ/जीडीएल/217/09/2011	20-09-2011	जीवन बीमा पॉलिसियों को निरन्तर जारी रखने हेतु व्यक्तिगत एजेन्टों के लिए दिशानिर्देशों में आशोधन
166.	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/एमआईएससी/218/09/2011	20-09-2011	व्यक्तिगत एजेन्टों से संबंधित दिशा निर्देशों में आशोधन
167.	आईआरडीए/एलआईएफ/सीआइआर/जीएलडी/219/09/2011	21-09-2011	बीमा कंपनियों द्वारा अपने कार्यों की आउट सोर्सिंग विषय पर जारी दिशा निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण
168.	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/एलसी/224/09/2011	22-09-2011	मैसर्ज हेरिटेज इन्श्योरेन्स ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का, लाइसेंस के नवीकरण के लिए मनाही
169.	आईआरडीए/एनएल/सीआइआर/एफएंडयू/226/09/2011	27-09-2011	स्वामी-मालिक तथा मोटर पैकेज पॉलिसी में नाम दिए गए व्यक्तियों को प्रदान की गई व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा में नामांकन का प्रावधान

*30 सितंबर 2011 तक जारी.

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमन #

क्र.सं.

अधिसूचना

1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति के सदस्य)
2	आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति का चयन विनिर्देशन, 2000
3	आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति (बैठक) विनिर्देशन, 2000
4	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनिर्देशन, 2000
5	आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट तथा एबस्ट्रैक्ट्स) विनिर्देशन, 2000
6	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसिकरण), विनिर्देशन, 2000
7	आईआरडीए (बीमाकर्ता की संपत्ति, दायित्व और सोल्वेन्सी मार्जिन्स) विनिर्देशन, 2000
8	आईआरडीए (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) निवर्दिदेशन, 2000
9	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनिर्देशन, 2000
10	आईआरडीए (बीमा एडवर्टाइजमेंट तथा डिस्कलोजर्स) विनिर्देशन, 2000
11	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूल सोशल सेक्टर), विनिर्देशन, 2000
12	आईआरडीए (बैठक) विनिर्देशन, 2000
13	आईआरडीए (बीमा कम्पनियों का वित्ति विवरण व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना), विनिर्देशन, 2002
14	आईआरडीए (निवेश) विनिर्देशन, 2000
15	आईआरडीए (ऑफिसर्स एवं अन्य कर्मचारियों की कार्य करने के नियम) विनिर्देशन 2000
16	आईआरडीए (बीमा सर्वक्षक एवं हानि निर्धारक (लाइसेंस, प्रोफेशनल रिक्रायमेंट्स तथा कोड ऑफ कंडक्ट), विनिर्देशन, 2000
17	आईआरडीए (जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनिर्देशन, 2000
18	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2001
19	आईआरडीए (तीसरा पक्ष प्रशासक-स्वस्थ सेवाये) विनिर्देशन, 2001
20	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनिर्देशन, 2001
21	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2002
22	आईआरडीए (प्रीपेरेशन ऑफ फाइनांशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ इश्योरेंस कम्पनीज) विनिर्देशन 2002
23	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) विनिर्देशन, 2002
24	आईआरडीए (बी दलाल) विनिर्देशन, 2002
25	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूल सोशल सेक्टर) विनिर्देशन, 2002
26	आईआरडीए (कोपेरिटे एडेंट्स का लाइसेंसिकरण) विनिर्देशन, 2002
27	आईआरडीए (बीमा एंजेंटों का लाइसेंसिकरण) (अमेन्डमेंट), विनिर्देशन, 2002
28	आईआरडीए (बीमा धारकों के हित की सुरक्षा) (मेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2002
29	आईआरडीए (मेनर ऑफ रिसिट ऑफ प्रीमियम), विनिर्देशन, 2002
30	आईआरडीए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस) विनिर्देशन, 2002
31	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (मेन्डमेंट), विनिर्देशन, 2003
32	आईआरडीए (निवेश) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2004
33	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनिर्देशन, 2004
34	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूल सोशल सेक्टर) विनिर्देशन, 2004
35	आईआरडीए (बीमा सहायकार समिति) विनिर्देशन, 2005
36	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनिर्देशन, 2005
37	आईआरडीए (प्रसव छुट्टी), 2005
38	आईआरडीए (ओब्लिगेशन्स ऑफ इश्यूरर्स टू रूल सोशल सेक्टर) विनिर्देशन, 2005
39	आईआरडीए (पुनर्बीमा अध्ययन) अधिसूचना
40	आईआरडीए (बीमा अभिकर्ताओं का पंजीकरण) (मेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
41	आईआरडीए (निगमिय अभिकर्ताओं का पंजीकरण) (अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
42	आईआरडीए (बीमा दलाल) (मेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2007
43	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं का ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व) (तीसरा अमेन्डमेंट) विनिर्देशन, 2008
44	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमा प्रदाताओं के दायित्व) (चौथा संशोधन) (संशोधन) विनियम, 2008
45	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
46	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्यो की सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
47	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
48	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति), 2008
49	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डाटेबेस की शेरिंग) विनियम, 2010
50	आईआरडीए (छूट दी गई लिक्विड बीमा पॉलिसियों का प्रतिपादन), विनियम, 2010
51	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और खुलासा) (संशोधन), विनियम, 2010
52	आईआरडीए (बीमा अभिकर्ताओं की लाइसेंसिंग) (अभिकर्ता), विनियम, 2010
52	आईआरडीए (गैर जीवनबीमा व्यापार के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011

सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

ANNUAL REPORT

2010-11



INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY INDIA

Head Office

3rd Floor, Parishram Bhavan,
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
INDIA
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334

Delhi Office

1st Floor, Jeevan Tara, Parliament Street,
New Delhi – 110 001
INDIA
Phone : +91-11-2374 7648
Fax : +91-11-2374 7650

Website: www.irda.gov.in
E-mail: irda@irda.gov.in

BLANK



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY


पारगमन पत्र

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001

24 नवम्बर, 2011

श्रीमान्,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टियों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

(जे हरि नारायण)

LETTER OF TRANSMITTAL

To
The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi – 110 001

24th November, 2011

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2011 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,


(J HARI NARAYAN)

BLANK

CONTENTS

MISSION STATEMENT

TEAM AT IRDA

OVERVIEW	1
----------	-------	---

**PART I
POLICIES AND PROGRAMMES**

I.1	General Economic Environment	9
I.2	World Insurance Scenario	9
I.3	Appraisal of Indian Insurance Market	13
I.4	Review		
I.4.1	Protection of Interests of Policyholders	37
I.4.2	Maintenance of Solvency Margins of Insurers	39
I.4.3	Monitoring of Reinsurance	40
I.4.4	Insurance Pools	42
I.4.5	Monitoring of Investments by the Insurers	45
I.4.6	Health Insurance	47
I.4.7	Business in the Rural and Social Sector	50
I.4.8	Financial Reporting and Actuarial Standards	51
I.4.9	Anti-Money Laundering/Counter-Finance of Terrorism	53
I.4.10	Crop Insurance	53
I.4.11	Micro Insurance	54
I.4.12	Directions, Orders and Regulations Issued by the Authority	60
I.4.13	Right to Information Act	60

**PART II
REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS**

II.1	Regulation of Insurance and Reinsurance Companies	61
II.2	Intermediaries Associated with the Insurance Business	62
II.3	Litigations, Appeals and Court Pronouncements	67
II.4	International Co-operation in Insurance	70
II.5	Public Grievances	71
II.6	Insurance Association and Insurance Councils	73
II.7	Functioning of Ombudsmen	76

**PART III
STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY**

III.1	Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration	77
III.2	Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance	78
III.3	Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or insurance intermediaries and agents	78
III.4	Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors	79
III.5	Promoting efficiency in the conduct of insurance business	80
III.6	Promoting and regulating professional organisations connected with insurance and reinsurance business	80
III.7	Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act	80
III.8	Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business	80
III.9	Control and regulation of rates, advantages, terms and conditions that may be offered by the insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)	81
III.10	Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries	81
III.11	Regulating investment of funds by insurance companies	82
III.12	Regulating maintenance of margin of solvency	82
III.13	Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries	83
III.14	Supervising the functioning of the Tariff Advisory Committee (TAC)	83
III.15	Specifying the percentage of the premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in clause (6)	84
III.16	Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurers in the rural and social sector	84
III.17	Exercising such other powers as may be prescribed	85

**PART IV
ORGANISATIONAL MATTERS**

IV.1	Organisation	87
IV.2	Meetings of the Authority	87
IV.3	Human Resources	87
IV.4	Promotion of Official Language	87
IV.5	Research & Development	87
IV.6	Status of Information Technology in IRDA	88
IV.7	Accounts	90
IV.8	IRDA Journal	90
IV.9	Acknowledgements	90

LIST OF BOX ITEMS

1.	Claims settlement in life insurance sector	20
2.	Claims settlement in non-life insurance sector	31
3.	Portability of Health Insurance Products	35
4.	Integrated Grievances Management System	38
5.	Economic Capital	52
6.	Micro Insurance - review of past performance and road map for future	57

LIST OF TEXT TABLES

I.1	Real Growth in Premium during 2010	10
I.2	Insurance Penetration and Density in India	12
I.3	Registered Insurers in India (as on 30 th September, 2011)	13
I.4	Premium Underwritten by Life Insurers	14
I.5	Market Share of Life Insurers	15
I.6	New Policies Issued : Life Insurers	16
I.7	Paid-Up Capital : Life Insurers	16
I.8	Commission Expenses of Life Insurers	17
I.9	Commission Expenses Ratio : Life Insurers	17
I.10	Operating Expenses of Life Insurers	17
I.11	Operating Expenses Ratio : Life Insurers	18
I.12	Individual Death Claims : Life Insurers	18
I.13	Group Death Claims : Life Insurers	19
I.14	Number of Life Insurance Offices	23
I.15	Distribution of Offices of Life Insurers	24
I.16	Gross Direct Premium Income in India of Non-Life Insurers	25
I.17	Company wise Gross Direct Premium Income in India of Non-Life Insurers	26
I.18	Premium (Within India) Underwritten by Non-Life Insurers - Segment Wise	27
I.19	Ratio of Outside India Premium to Total Premium	27
I.20	Gross Direct Premium from Business outside India : Non-Life Insurers	28
I.21	Number of New Policies Issued : Non-Life Insurers	28
I.22	Paid Up Capital : Non-Life Insurers and Reinsurer	28
I.23	Underwriting Losses : Non-Life Insurers	29
I.24	Commission Expenses : Non-Life Insurers	29
I.25	Operating Expenses : Non-Life Insurers	29
I.26	Net Incurred Claims of Non-Life Insurers	30
I.27	Incurred Claims Ratio	30
I.28	Investment Income	33

ANNUAL REPORT 2010-11

I.29	Net Profits/Losses of Non-Life Insurers	33
I.30	Dividends Paid: Non-Life Insurers	33
I.31	Number of Non-Life insurance offices	33
I.32	Net Retained Premium on Indian Business as per cent of Gross Direct Premium (excluding GIC)	40
I.33	Reinsurance Placed within India and Outside India as per cent of Gross Direct Premium in India	41
I.34	Reinsurance Ceded outside India on Indian Business	41
I.35	Share of Member Companies in the Indian Terrorism Pool	42
I.36	Premium rates for Terrorism Risk Insurance (w.e.f April 1, 2010)	43
I.37	Motor Insurance Third Party Claims	44
I.38	Market Share of Pool Members	45
I.39	Total Investments of the Insurance Sector	45
I.40	Total Investments of Life Insurers: Instrument-Wise	46
I.41	Investments of Life Insurers: Fund-Wise	46
I.42	Growth of Investments: Fund-Wise	47
I.43	Total Investments of Non-Life Insurers: Instrument-Wise	47
I.44	Health Insurance Premium 2006-2011	48
I.45	TPA Licences Renewed during 2010-11	49
I.46	TPA Infrastructure (2010-11)	49
I.47	Third Party Administrators-Claims Data	50
I.48	New Business under Micro Insurance Portfolio	55
I.49	Micro Insurance Agents of Life Insurers	55
I.50	Individual Death Claims under Micro Insurance Portfolio	55
I.51	Group Death Claims under Micro Insurance Portfolio	56
I.52	Duration-Wise Settlement of Death Claims in Micro Insurance - Individual Category	56
I.53	Duration-Wise Settlement of Death Claims in Micro Insurance - Group Category	56
I.54	List of Central Public Information Officers	60
II.1	Details of Individual Agents : Life Insurers	62
II.2	Details of Corporate Agents : Life Insurers	63
II.3	Individual New Business Performance of Life Insurers - Channel Wise	63
II.4	Group New Business Performance of Life Insurers - Channel Wise	64
II.5	New Business Premium (Individual and Group) of Life Insurers - Channel Wise	65
II.6	Number of Licences Issued to Surveyors and Loss Assessors	66
II.7	Grievances Relating to Surveyors and Loss Assessors	67
II.8	Details of Cases Filed	67
II.9	Petition / Cases Disposed / Dismissed	67
II.10	Committees / Sub-committees of IAIS	71
II.11	Status of Grievances : Life Insurers	71
II.12	Break-Up of Complaints Lodged with the Grievances Cell : Life Insurance	72
II.13	Status of Grievances - Non Life Insurers during 2010-11	73
II.14	Disposal of Complaints by Ombudsmen during 2010-11	76
III.1	Penalties levied by the Authority during 2010-11	77

LIST OF CHARTS

I.1	Insurance Density in Select Countries -2010	10
I.2	Insurance Penetration in Select Countries - 2010	11
I.3	Insurance Density in India	12
I.4	Insurance Penetration in India	13
I.5	Premium Underwritten by Life Insurers	15
I.6	Duration Wise Break up of Claims Pending- Individual Policies	19
I.7	Duration Wise Break up of Claims Pending- Group Policies	22

ANNUAL REPORT 2010-11

I.8	Number of Life Insurance Offices	24
I.9	Geographical Distribution of Life Insurance Offices	24
I.10	Gross Direct Premium Income of Non-Life Insurers	25
I.11	Segment-Wise Non-Life Premium	27
I.12	Number of Non-Life Insurance Offices	34
II.1	Individual New Business Premium of Life Insurers - Channel Wise	64
II.2	Group New Business Premium of Life Insurers - Channel Wise	65
II.3	New Business Premium of Life Insurers - Individual & Group	66

LIST OF STATEMENTS

1.	International Comparison of Insurance Penetration	93
2.	International Comparison of Insurance Density	94
3.	First Year Life Insurance Premium	95
4.	Total Life Insurance Premium	96
5.	Individual New Business Performance of Life Insurers - Channel Wise	97
6.	Group New Business Performance of Life Insurers - Channel Wise	99
7.	State Wise Individual New Business Underwritten	101
8.	State Wise Group New Business Underwritten	104
9.	Individual Business (Within India) - Business in Force (Number of Policies)	108
10.	Individual Business (Within India) - Business in Force (Sum Assured)	109
11.	Linked and Non-Linked Premium of Life Insurers	110
12.	Linked and Non-Linked Commission of Life Insurers	112
13.	Individual Death Claims	113
14.	Group Death Claims	115
15.	Duration Wise Settlement of Death Claims - Individual Category	117
16.	Duration Wise Settlement of Death Claims - Group Category	118
17.	Assets Under Management of Life Insurers	119
18.	Equity Share Capital of Life Insurers	122
19.	Solvency Ratio of Life Insurers	123
20.	Life Insurers - Policyholders Account	124
21.	Life Insurers - Shareholders Account	127
22.	Life Insurers - Balance Sheet	130
23.	Life Insurance Corporation of India - Policyholders Account (Non-Participating)	133
24.	Life Insurance Corporation of India - Shareholders Account (Non-Participating)	134
25.	Life Insurance Corporation of India - Balance Sheet (Non-Participating)	135
26.	Individual Business - Details of Forfeiture/Lapsed Policies in Respect of Non-Linked Business	136
27.	Details of Individual Agents of Life Insurers	137
28.	Details of Corporate Agents of Life Insurers	138
29.	State Wise Distribution of Offices of Life Insurers	139
30.	Region Wise Distribution of Offices of Life Insurers	140
31.	State Wise Distribution of Individual Agents	141
32.	New Business Under Micro Insurance Portfolio	142
33.	Death Claims Under Micro Insurance Portfolio - Individual Category	143
34.	Death Claims Under Micro Insurance Portfolio - Group Category	145
35.	Duration Wise Settlement of Micro Insurance Claims - Individual Category	147
36.	Duration Wise Settlement of Micro Insurance Claims - Group Category	148
37.	Company Wise Number of Micro-Insurance Agents	149
38.	List of Micro Insurance Products of Life Insurers	150
39.	Gross Direct Premium of Non-Life Insurance (Within & Outside India)	151
40.	Segment Wise Gross Direct Premium of Non-Life Insurers (Within India)	152

ANNUAL REPORT 2010-11

41.	Segment Wise Net Premium Income in India (Earned)	153
42.	Health Insurance: Premium and Number of Persons Covered	154
43.	Channel Wise Gross Direct Premium Income of Non Life Insurers	156
44.	State Wise Gross Direct Premium Income	157
45.	Net Retentions of Non Life Insurers	158
46.	Incurred Claims Ratio - Public Sector Non-Life Insurers	159
47.	Incurred Claims Ratio - Private Sector Non-Life Insurers	160
48.	Health Insurance: Details of Claims Paid and Incurred Claims Ratio	161
49.	Underwriting Experience and Profits of Public Sector Companies	162
50.	Underwriting Experience and Profits of Private Sector Companies	163
51.	Assets Under Management of Non-Life Insurers	165
52.	Equity Share Capital of Non-Life Insurers	166
53.	Solvency Ratio of Non-Life Insurers	167
54.	Public Sector Non-Life Insurers - Policyholders Account	168
55.	Public Sector Non Life Insurers - Shareholders Account	170
56.	Public Sector Non-Life Insurers - Balance Sheet	171
57.	Private Sector Non-Life Insurers - Policyholders Account	172
58.	Private Sector Non-Life Insurers - Shareholders Account	177
59.	Private Sector Non-Life Insurers - Balance Sheet	179
60.	Health Insurers - Policyholders Account	181
61.	Health Insurers - Shareholders Account	182
62.	Health Insurers - Balance Sheet	183
63.	Export Credit Guarantee Corporation Ltd. (ECGC) - Policyholders Account	184
64.	Export Credit Guarantee Corporation Ltd.(ECGC) - Shareholders Account	185
65.	Export Credit Guarantee Corporation Ltd. (ECGC) – Balance Sheet	186
66.	Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) - Policyholders Account	187
67.	Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) - Shareholders Account	188
68.	Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) – Balance Sheet	189
69.	General Insurance Corporation (GIC) - Policyholders Account	190
70.	General Insurance Corporation (GIC) - Shareholders Account	191
71.	General Insurance Corporation (GIC) – Balance Sheet	192
72.	State Wise Number of Offices of Non-Life Insurers	193
73.	Third Party Administration – No. of Claims Received & duration wise settlement of claims	195
74.	Status of Grievances - Life Insurers	197
75.	Status of Grievances - Non-Life Insurers	198
76.	Performance of Ombudsmen at different centres- Life Insurance	199
77.	Performance of Ombudsmen at different centres - Non - Life Insurance	200
78.	Performance of Ombudsmen at different centres - Life and Non-Life Insurance Combined	201

LIST OF ANNEX

1.	Insurance Companies Operating in India	205
2.	Fee Structure for Insurers and Various Intermediaries	207
3	(i) Indian Assured Lives Mortality (1994-96) (Modified) Ultimate	208
3	(ii) Mortality Rates of Annuitants in LIC of India	209
4.	Life Insurance Products cleared during the financial year 2010-11	210
5.	Non-Life Insurance Products cleared during the financial year 2010-11	216
6.	Obligatory Cessions received by GIC	219
7.	State-Wise number of Registered Brokers	220
8.	Circulars / Orders / Notifications Issued by the Authority from April 2010	221
9.	Regulations framed under the IRDA Act, 1999	226

MISSION STATEMENT

- ✓ To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- ✓ To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man, and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- ✓ To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- ✓ To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- ✓ To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- ✓ To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- ✓ To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

BLANK

TEAM AT IRDA



J Hari Narayan
CHAIRMAN

MEMBERS



K K Srinivasan
(upto 4th September, 2010)



Dr R Kannan
(upto 1st June, 2011)



G Prabhakara



R K Nair



M Ramaprasad
(from 11th October, 2010)

PART TIME MEMBERS



Vijay Mahajan
(upto 6th October, 2010)



Amarjit Chopra
(upto 5th February, 2011)



L M Vas
(upto 17th August, 2011)



Ela R Bhatt



Prof V K Gupta
(from 7th October, 2010)



G Ramaswamy
(from 6th February, 2011)



Arvind Kumar
(from 18th August, 2011)



Prabodh Chander
ED (NON-LIFE)
(upto 15th November, 2010)



K Subrahmanyam
ED (ACTUARY)
(upto 30th June, 2011)



A Giridhar
ED (ADMN.)



Dr D V S Sastry
DG (R&D)
(upto 31st July, 2010)



Kunnel Prem
CSO (LIFE)



Sriram Taranikanti
FINANCIAL ADVISOR
(from 24th August, 2011)



N Srinivasa Rao
FA & CAO
(upto 3rd May, 2011)

SENIOR JOINT DIRECTORS



Suresh Mathur



M Pulla Rao

JOINT DIRECTORS



Dr Mamta Suri



Randip Singh Jagpal



Mukesh Sharma



J Meena Kumari

JOINT DIRECTORS



S N Jayasimhan



Yegna Priya Bharath



A R Nithyanantham



Rakesh K Bajaj



A Krishnan



S K Jain



Ramana Rao A



V Jayanth Kumar



T S Naik

ANNUAL REPORT 2010-11

NAME	DESIGNATION
ACCOUNTS DEPARTMENT	
Raj Kumar Sharma	Deputy Director & CAO
Mahesh Agarwal	Sr. Assistant Director
Shyam Sunder Mohakud	Junior Officer
P Majumder	Junior Officer
Saneetha K A	Assistant
ACTUARIAL DEPARTMENT	
J Meena Kumari	Joint Director
S P Chakraborty	Deputy Director
Prabhath Kumar Maiti	Deputy Director
J Anita	Deputy Director
A V Rao	Deputy Director
N S K Prabhakar	Deputy Director
C Srinivasa Kumar	Deputy Director
Susan Ittyerah	Sr. Assistant Director
S Karthikeya Sharma	Assistant Director
M B V N Murthy	Assistant Director
D N K L N K Chakravarthy	Assistant Director
Yogita Rawat	Assistant Director
Lakshmi R Pillai	Junior Officer
B Someswara Rao	Junior Officer
Amit Srivastava	Assistant
Saratchandra	Assistant
Sujoy Saha	Assistant
ADMINISTRATION & HR DEPARTMENT	
Mukesh Sharma	Joint Director (Admn.)
J Meena Kumari	Joint Director (HR)
B Raghavan	Sr. Assistant Director (Admn.)
A Sageena	Assistant Director (HR)
D Srinivasa Murthy	Sr. Assistant Director (PS to Chairman)
A Rama Sudheer	Junior Officer (PS to FA)
R Sangeetha	Junior Officer (PS to ED-Admn.)
V S Narendra Chandra	Junior Officer (PS to Chairman)
Sivaprasad Yeddu	Assistant (HR)
Indradeep Sah	Assistant (Admn.)
Anurag Bajpai	Assistant
AGENTS & ATI DEPARTMENT	
Sanjeev Kumar Jain	Joint Director
Gandi Venkata Ramana	Assistant
CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT	
Yegna Priya Bharath	Joint Director
A Krishnan	Joint Director
T Venkateswara Rao	Deputy Director
K Srinivas	Assistant Director
Manoj Kumar Asiwai	Assistant Director
Kamal Chowla	Assistant Director
D Rajanikanth	Assistant
Vinay Kumar Mathangi	Assistant
Neerajmani Tripathi	Assistant

FINANCE & ACCOUNTS DEPARTMENT

Dr Mamta Suri	Joint Director
Raj Kumar Sharma	Deputy Director
K Prasad Rao	Deputy Director
Ammu Venkat Ramana	Deputy Director
Padmaja B	Sr. Assistant Director
K Anand Rao	Assistant Director
Dr Ravinder Kaur	Assistant Director
Akanksha Gupta	Assistant Director
Mohammad Ayaz	Assistant Director
G Rambabu	Assistant Director
A Keshava Rao	Junior Officer (PS to Member(F & I))
DS Murali Mohan	Assistant
Ameer Hassan	Assistant
Bolla Balakrishna	Assistant
Triloki Nath	Assistant

FINANCE & INVESTMENT DEPARTMENT

S N Jayasimhan	Joint Director
R Kumar	Deputy Director
R Uma Maheshwari	Sr. Assistant Director
Harshita Maheshwari	Assistant Director
Ravindra Das	Assistant
Rakesh Sarodey	Assistant

HEALTH DEPARTMENT

J Meena Kumari	Joint Director
KGPL Rama Devi	Deputy Director
N M Behera	Deputy Director
Nimisha Srivastava	Sr. Assistant Director
Jamuna Choudhary	Assistant Director
Murthy Lakshmi Narasimha Dasari	Assistant Director

INSURANCE INFORMATION BUREAU

M S Jayakumar	Deputy Director
M Madhusudhan	Assistant Director
Swati Bajaj	Assistant Director
Mukesh Kewalaramani	Assistant Director
K L N Raghava Kumar	Assistant

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

A R Nithiyantham	Joint Director
Deepak Khanna	Deputy Director
Deepak Gaikwad	Deputy Director
Sanjay Kumar Verma	Deputy Director
Narendra Singh	Assistant

INSPECTION DEPARTMENT

M Pulla Rao	Sr. Joint Director
T S Naik	Joint Director
G R Surya Kumar	Deputy Director
Suresh Nair	Sr. Assistant Director
Nandan Kumar	Assistant Director
R Pardha Saradhi	Assistant Director

ANNUAL REPORT 2010-11

Bhasker P Khadakbhavi	Assistant Director
Ashish Kumar Bharti	Assistant Director
Anil Kumar Tatipalli	Assistant Director
G Sivaramakrishna	Assistant Director
Neelesh Gupta	Assistant Director
Baskar Theertharaman	Assistant Director
Santosh Kumar Mishra	Assistant Director
P Kanthishree	Junior Officer (PS to Sr. JD)

INTERMEDIARIES DEPARTMENT

Suresh Mathur	Sr. Joint Director
Ramana Rao A	Joint Director
K Mahipal Reddy	Deputy Director
Shardul Suresh Admane	Sr. Assistant Director
Mathangi Saritha	Assistant Director
D Gyana Prasuna	Assistant Director
Neetu Shahadadpuri	Assistant Director
Rajeshwar Gangula	Assistant Director - Corporate Agents
Manish Misra	Assistant Director - Corporate Agents
VVN Kiran Kumar Sarma	Assistant

LEGAL DEPARTMENT

Mukesh Kumar	Assistant Director- RTI
P Himakiran	Assistant Director
S Dakshinamoorthy	Assistant Director
Aleem Afaque	Assistant Director

LIBRARY

BH Suryanarayana Sastry	Assistant
-------------------------	-----------

LIFE DEPARTMENT

V Jayanth Kumar	Joint Director
Sudipta Bhattacharya	Deputy Director
DVS Ramesh	Deputy Director
H Babu Yogish	Assistant Director
R Lalitha Kumari	Assistant Director
K Sridhar Rao	Assistant Director
V Chitra	Assistant Director
B Aruna	Junior Officer

NON-LIFE DEPARTMENT

Randip Singh Jagpal	Joint Director
Sudha Ramanujam	Deputy Director
Pankaj Kumar Tiwari	Deputy Director
Jyoti Bhagat	Assistant Director
Sunitha L V S	Assistant Director
Shiksha Saha	Sr. Assistant Director
K Sridhar	Assistant Director
Ch B Chandrasekhara Rao	Assistant Director
Vikas Jain	Assistant Director
Sanjay Mohan Sharma	Assistant Director
Parameshwar L Rao Shelke	Assistant Director
Shrihari Allamsetty	Assistant Director

ANNUAL REPORT 2010-11

B S Venkatesh	Junior Officer
M L Soujanya	Junior Officer (PS to Member(N/L))
Tati Kiran	Assistant
Akash Dangwar	Assistant

RAJBHASHA DEPARTMENT

V Jayanth Kumar	Joint Director
-----------------	----------------

RESEARCH & DEVELOPMENT

Munshi M Nizamuddin	Assistant Director
Ishitiaque Alam	Assistant

VIGILANCE DEPARTMENT

Mukesh Sharma	Joint Director
---------------	----------------

DELHI OFFICE

Rakesh K Bajaj	Joint Director
Anil Kumar Arora	Deputy Director
Manju Arora	Sr. Assistant Director
Hari	Junior Officer
Sush Pal	Assistant
Shashi Pal	Record Clerk

OFFICERS ON DEPUTATION

H Ananthkrishnan	OSD-Legal
Dr R K Sinha	OSD-R & D
V Sai kumar	OSD-Life
S V Hedge	OSD-Life
R Srinivasan	OSD-Consumer Affairs
B V Sastry	OSD-Inspections
Rajेशha	OSD-Inspections
Y Srinivasu	OSD-Inspections
V Sarvothamudu	OSD-Inspections
V Satya Srinivas	OSD-Inspections
Vikas Kumar	OSD-IIB
Devendra kumar	OSD-IIB
Vikas S Rane	OSD-IIB
T Rambabu	OSD-Intermediaries
B V Suryanarayana	OSD-RTI
V K Sinha	OSD-IIB
Chandrasekhar B	PS to Member (Life)
Ashish Soni	OSD

ON CONTRACT

U Jawahar Lal	Editor, IRDA Journal
---------------	----------------------

OFFICERS OF IRDA ON DEPUTATION TO OTHER ORGANISATIONS

Arup Chatterjee	Joint Director
-----------------	----------------

BLANK

OVERVIEW

The Indian Economy:

1. The Indian economy registered an impressive growth rate of 8.5 per cent in 2010-11 despite many challenges. The growth rate stood at 8.0 per cent in 2009-10. The high level of inflation, driven by high food and fuel prices, remained one of the biggest concerns in the economy, and surged from low levels of 2009-10 to double digit figures during the end of year 2010-11 and continues to remain high in the year 2011-12. The Reserve Bank of India tightened its monetary policy by hiking the Repo rate seven times (each by 25 basis points) in order to curb rising inflation. As per the RBI Annual Report 2010-11, low levels of investment activities, especially in the second half of the year 2010-11, put further pressure on the economy. The uncertainty in the global markets due to recession in USA, Japan and Europe continued to be a concern.

2. The good recovery witnessed in the Indian economy in the year 2010-11 is largely attributable to the growth in the agricultural sector. The agricultural sector, which remained subdued in the last two years, grew significantly in 2010-11 largely on account of good monsoon. The year saw simultaneous occurrence of a normal and well distributed south-west monsoon as also an excess north-east monsoon, which was not observed during the last decade. This led to the rise in the growth rate in the agricultural sector to 6.6 per cent. However, the growth rate of industrial sector dipped to 7.8 per cent in 2010-11 from its previous year's level of 8.3 per cent due to slowdown in crucial infrastructure industries.

3. The growth of household savings continued to remain stagnant in 2010-11. The share of life insurance funds in the total financial saving of the household continued to surge in 2010-11. Its share increased to 24.2 per cent, up from 22.6 per cent in 2009-10 and 21.0 per cent in 2008-09. The share of provident and pension funds declined to 9.1 per cent in the year 2010-11 from its 11.5 per cent level of 2009-10. The share of deposits stood at 47.3 per cent, largely at the same level (47.2 per cent in 2009-10).

Global Economic Environment:

4. The global financial system, which witnessed a significant crisis in the calendar year 2008, continued to move forward on the path of recovery in the year 2010 with many other uncertainties and concerns in terms of high inflation, low growth, unemployment etc., in respective parts of the world. The overall growth and recovery appeared to be largely uneven across

economies. Broadly, the growth appeared to be low in the developed and advanced economies. As against the developed markets, the emerging markets continued to remain more or less resilient to the financial crises. This led to relatively healthier growth prospects in the emerging countries coupled with their stronger initial fiscal and financial positions. Further, many of these economies also witnessed good recovery in exports and strong domestic demand.

5. The world economy grew at a GDP growth rate of 5.1 per cent in year 2010. While the advanced economies grew at 3.1 per cent in 2010, the growth in the emerging and developing economies stood at 7.3 per cent. As per the World Economic Outlook (WEO) Report-September 2011 of the International Monetary Fund (IMF), the world economy is expected to grow at 4 per cent in 2011. The Report forecasts reveal drastic fall in the growth rate in US at 1.5 per cent in 2011 (3 per cent in 2010). Further, Japan is expected to witness negative growth (-0.5 per cent) in 2011, which grew at 4.0 per cent in 2010, due to after-effects of the earthquake and tsunami. In the euro zone, continued strains in more vulnerable sovereigns and banks pose a significant threat to the financial stability because of continued weakness amongst financial institutions in many of the advanced economies in this region.

6. Many of the emerging economies witnessed high inflationary pressure during late 2010/early 2011 on the back of strong activity and relatively low unemployment level. However, some of the emerging economies have started showing signs of moderation in the headline inflation. The growth in these countries is expected to witness a dip (estimated at 6.4 per cent in 2011).

Insurance markets:

7. As per the World Insurance Report published by reinsurance major Swiss Re, the global insurance premium for the calendar year 2010 was USD 4339 billion, which is 2.7 per cent (inflation-adjusted) higher than USD 4109 billion reported during the previous calendar year 2009. The share of life insurance business was 58 per cent in total premium collection. While life insurance business collected USD 2520 billion as premium, the same for non-life business was USD 1818 billion. During 2009, the premium in world life insurance business rose by 3.2 per cent on account of double digit growth in the life insurance premium collection in the emerging markets.

8. According to the Report in 2011, the insurance industry may have significantly lower growth due to the prevailing macro-economic conditions. In some emerging economies, the introduction of solvency II and higher inflation may also impact the profitability of insurance companies.

Indian insurance sector:

9. The number of insurance companies stood at 48 at the end of 2010-11, consisting of 23 life insurers, 24 non-life insurers and a reinsurer. Edelweiss Tokio Life Insurance Company was granted registration in the year 2011-12, leading to total number of insurance companies increasing to 49 as at end-September 2011.

10. The first year premium, which is a measure of new business secured, underwritten by the life insurers during 2010-11 was ₹1,26,381 crore as compared to ₹1,09,894 crore in 2009-10 registering a lower growth of 15 per cent against 25.84 per cent of 2009-10. In terms of linked and non-linked business during the year 2010-11, 37.38 per cent of the total premium was underwritten in the linked segment while 62.62 per cent of the business was in non-linked segment (43.52 and 56.48 per cent respectively in 2009-10). The total premium underwritten by the life insurance sector in 2010-11 was ₹2,91,605 crore as against ₹2,65,447 crore in 2009-10 exhibiting a growth of 9.85 per cent (19.69 per cent in 2009-10).

11. The non-life insurers underwrote premium of ₹42,576 crore in 2010-11, as against ₹34,620 crore in 2009-10 registering a significantly higher growth of 22.98 per cent against growth of 14.06 per cent in the previous year. In the non-life lines of business, the Health segment continued to rise in terms of its share to the total non-life premium. The share of health segment rose further to 23.35 per cent in 2010-11 (21.12 per cent in 2009-10 and 20.06 per cent in 2008-09).

Penetration and Density:

12. The potential and performance of the insurance sector is universally assessed with reference to two parameters, viz., Insurance Penetration and Insurance Density. Insurance penetration is defined as the ratio of premium underwritten in a given year to the Gross Domestic Product (GDP). Insurance density is defined as the ratio of premium underwritten in a given year to the total population (measured in USD for convenience of comparison). The insurance penetration was 2.32 per cent (Life: 1.77 per cent and Non-life: 0.55 per cent) in the year 2000 when the sector was opened up for private sector. It increased to 5.10 per cent in 2010 (Life: 4.40 per cent and Non-life: 0.70 per cent). The insurance density stood at USD 64.4 in 2010 (Life: USD 55.7 and Non-life: USD 8.7) from USD 9.9 in 2000 (Life: USD 7.6 and Non-life: USD 2.3)

Micro insurance:

13. In an effort to ensure a balanced and speedy expansion of insurance coverage in the country, the Authority had come out with a regulatory framework (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors, 2002). These regulations impose obligations on insurers towards the rural population - to sell a specified percentage of policies and underwrite specified percentage of gross premium underwritten with respect to life and non-life insurance companies respectively; and cover a specified number of lives/assets belonging to people below poverty line or those pursuing certain traditional occupations. The Government of India set up a consulting group in 2003 to examine the existing insurance schemes for the rural poor; and on the basis of the group's recommendations, the Authority issued IRDA (Micro insurance) Regulations, 2005. Consequent upon the notification of these regulations, there has been a steady growth in the design of products catering to the needs of the identified groups. The flexibilities provided in the Regulations allow the insurers to offer composite covers or package products. The insurance companies are now also offering already approved general products as micro insurance products with the approval of the Authority, if the sum assured and other features of the products are within the range prescribed for micro insurance.

14. In the case of life insurance, the individual new business premium under this segment stood at ₹130 crore under 36.51 lakh policies in 2010-11. The same for the group business amounted to ₹155 crore premium under 1.52 crore lives. LIC contributed most of the business procured in this portfolio by garnering ₹123 crore of individual premium from 29.51 lakh policies and ₹138 crore of group premium. In case of non-life business, there are a number of products offered (e.g. Janata Personal Accident Policy, Gramin Personal Accident Policy, Cattle/Livestock insurance, etc.) by the non-life insurance companies targeting the lower income segment of the population.

Provisioning for Third Party Liability:

15. On examining the reward given by the High Court in a recent ruling establishing third party liability, the Authority advised the General Insurance Council to review the adequacy of claims provisioning by the non-life industry for Motor Third Party liability in the light of the said Court decision. The General Insurance Council agreed in-principle that there was a need for upward revision of claims provisioning for Motor TP liability. Against this background the Authority sought Actuarial valuation of the Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP) in order to assess adequacy of the reserves.

The actuarial report established that the ultimate loss ratios are 172.3 per cent, 181.81 per cent and 194.15 per cent for the years 2007-08, 2008-09 and 2009-10 respectively and in any case the said ratios is not less than 153 per cent over the last four years up to 2010-11. Against this estimate, the pool had maintained reserves at 126 per cent for all the said years which was considered to be insufficient. The Authority under Section 14 of the IRDA Act, 1999 issued directions to the non-life insurers to maintain a solvency ratio of not less than 130 per cent for all lines of business as on 31st March, 2011 for the IMTPIP losses being valued at an ultimate loss ratio of not less than 153 per cent for all the years the pool was underwriting. It also directed the insurers not to declare dividends to the shareholders without the prior specific approval of the Authority for any year wherein the solvency ratio is reported below 150 per cent. It also directed the companies to submit a financial plan as approved by the Board of Directors, to the Authority within a period of two months, indicating a plan of action to correct the deficiency for the said 3-year period up to March 2014.

Revision in Motor Third Party Premium Rates:

16. Due to the huge operating losses in this segment over the last 3 years, all non-life insurance companies through the General Insurance Council approached the Authority for upward revision of premium rates for motor third party insurance cover. After several rounds of deliberations with all stakeholders, the Authority notified the revised premium rates for motor third party insurance cover vide notification dated 15th April, 2011. The revised rates came into operation with effect from 25th April, 2011. Though the companies requested for 85 per cent hike in the premium rates across all segments of vehicles, after considering the concerns/requests/suggestions of various stakeholders, the Authority decided to hike the premium rates only to the tune of 10 per cent in respect of two wheelers and private cars; and 68.5 per cent in respect of the commercial vehicles. The Authority has also notified a formula for revision of premium rates on a yearly basis which it pegged to the cost inflation index, average claim amounts, frequency and expenses involved in servicing the motor TP business.

Trade Credit Insurance:

17. The Authority issued trade credit insurance guidelines during 2010-11 in order to ensure orderly growth of this sector on sound insurance principles. The salient features of the guidelines include definition of various terms associated with trade credit insurance and the scope of cover under trade credit insurance policy. The guidelines specify basic requirements of a trade credit insurance

product which include that policyholder should necessarily be a supplier of goods and services; and the cover should provide for indemnity for loss suffered due to non-receipt of trade receivables.

18. The guidelines also specify conditions on trade credit insurance from insurer's perspective and policyholder perspective which include that this policy cannot be issued to banks/ financiers/ lenders or where they are a beneficiary of the claim or where the proceeds of the claim are assigned to them. A Trade Credit Insurance policy can be sold to a seller on a whole turnover basis. There shall be pre-credit limits for each buyer fixed by the insurer and also an overall limit under the policy. An insurer is required to appoint a credit management agency for assessing credit worthiness of the policyholder, which shall have no conflict of interest with the policyholder. No specific trade credit insurance policy can be sold to a single prospect. Trade credit insurance shall not offer indemnity which is more than 80 per cent of the trade receivables of the buyer or 90 per cent of the cost incurred by seller for previous year; whichever is lower.

19. The prerequisites for an insurance company to underwrite credit insurance include defined internal underwriting, risk management and claims settlement guidelines approved by the Board of Directors for writing this class of business. The regulatory guidelines also specify creation of premium, claims, IBNR and IBNER reserves on actuarial basis. These guidelines also specify that insurer should have qualified, experienced and trained employees for dealing with trade credit insurance. The Authority has also specified additional reporting requirements to monitor the performance of this line of business.

Amalgamation of non-life insurance companies:

20. The Insurance Act, 1938 lays down the framework for amalgamation of life insurance companies. Given that a similar provision was not available in case of non-life insurance companies, this anomaly is proposed to be rectified in the Insurance Amendment Bill, 2008, to address the statutory/regulatory gap with respect to the non-life insurance companies. Pending the amendment, the Authority has laid down the framework for amalgamation of non-life insurance companies through notification of the necessary regulations in this regard. While laying down the regulatory framework, the IRDA has been guided by the need for protection of policyholders' interests.

Issue of capital by life insurance companies:

21. Section 6AA of the Insurance Act, 1938 provides for the manner of divesting the excess shareholding by the Indian promoters after ten years of commencement of

operations in specified cases. The said section further provides that the manner and procedure of such divestment shall be specified by the regulations made by the Authority. To facilitate the process of divestment, the Authority is bringing out the regulations on issuance of capital by life insurance companies. The regulations lay down the manner and procedure for divestment of such excess stake by the life insurance companies and the framework for eligibility of the applicant companies to raise funds through public issues. The regulations also lay down the disclosures specific to the life insurance companies that shall form part of the offer document.

22. The regulations have been prepared based on a consultative process with the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The sub-group of the SEBI Committee on Disclosure and Accounting Standards (SCODA) had finalized the disclosure requirements with respect to insurance companies based on the international best practices. The report of the sub-group was adopted by SCODA and then the Board of SEBI. These recommendations now form the basis for the disclosure requirements which have been stipulated in the regulations. The Authority is presently in the process of notifying the regulations for issuance of capital and disclosures by life insurance companies in the prospectus document while raising funds from the capital markets.

Economic Capital (EC):

23. The framework for assessment of Economic Capital (EC) plays an important role in the entire risk management mechanism of insurance companies, which enables insurers to determine the right amount of capital to be allocated to each and every risk encountered by individual insurers in carrying out the insurance business. EC reflects the individual company's specific risk profile; and in general, quantification of optimum capital to be allocated against each risk is based on company specific internal models.

24. Keeping in view the importance and necessity of assessment of 'Economic Capital' in the insurance sector, the IRDA has mandated both life and non-life insurance companies to submit the Economic Capital report annually. The computation is based on a one year time horizon calibrated on a Value at Risk (VaR) level of 99.50 per cent with risks categorized as Insurance, Operational, Market, Liquidity and Credit risks for life insurers; and Underwriting, Market, Expense, Operational and Liquidity risks, for non life insurers. Insurers are allowed to reduce the total economic capital requirement to the extent of diversification effect which has been capped at 30 per cent of the EC for life insurers. This move of the

Authority can be considered as the starting point to sensitize all insurers to the need for moving towards the risk based capital regime from the current fixed factor based formula approach.

Financial Condition Report for Non-life companies:

25. The non-life insurance companies have been mandated to submit the Financial Condition Report (FCR) annually, effective, 31st March, 2011 for the said financial year in the prescribed format. The objective of the FCR is to facilitate analysis of the current block of business as on the valuation date to bring out clearly the challenges the insurers face in terms of meeting the solvency requirements, their profitability and other risks viz. morbidity, liquidity, credit and expense, investment return, asset-liability mismatch, etc. This experience will also indicate the insurer's position on these parameters for the next one year. With this initiative, the Authority has expanded its mandate on the submission of the FCR beyond the life insurance companies to also bring in the non-life insurers within the ambit of such reporting.

Initiatives on Implementation of IFRS:

26. The Ministry of Corporate Affairs in its road map for convergence of Indian Accounting Standards to International Financial Reporting Standards (IFRS) has specified that all insurance companies shall convert their opening balance sheet as at 1st April, 2012 in compliance with the standards. This commitment was made by the Ministry of Corporate Affairs based on the commitment given by the Authority for convergence to IFRS by the said date. However, the recommendation of the Authority was based on the premise that various standards issued by International Accounting Standard Board (IASB) particularly on insurance contracts and valuation of financial assets (IFRS-9) would be finalised by IASB and would be in place well before the start of 2012-13.

27. The Authority is of the view that in the absence of a proper understanding of the implication of various issues, in the short and long run, it would be too premature to migrate to the IFRS standards as committed earlier by IRDA. It had not been possible for IASB to adhere to the timeline of June 2011 for finalisation of the Exposure Draft on insurance contracts. IASB is further expected to come out with a limited revised exposure draft on insurance contracts. Even after its eventual finalisation, IASB provides a time period of 18 months for its implementation. This means, the standard on insurance contract may be ready for implementation by September 2013.

28. In the above circumstances, the Authority has written to the Ministry of Corporate Affairs to revisit the 2012 date of compliance for insurance sector with IFRS standards, and defer it till IASB comes out with the revised standards on insurance contracts and valuation of financial assets.

Data Warehouse:

29. For efficient functioning of the insurance companies as well as for the protection of the interests of the policyholders, reliable timely and accurate transactional data collection, processing and dissemination are necessary. Insurance Information Bureau (IIB), an advisory body formed by IRDA, collects transaction level data from insurers. IIB acts as a single point of official reference for the entire industry data and ensures data is available to various market players, researchers, policyholders and common public for real time decision making. IIB publishes periodical reports on Motor, Health and other lines of business.

30. From the financial year 2010-11 IIB has started collecting transactional data (Motor, Health, Fire, Marine and Engineering) from all insurers in online mode. Online data is being collected on monthly basis through the website www.iib.gov.in. Insurers are able to view aggregate reports related to their company as well as of the industry, up to the level of data submission. Insurers can also generate claim history report of a vehicle based on Registration number/Chassis number/Engine number, which helps them in underwriting a motor vehicle prudently.

31. Recently, IIB has established a call center facility called Stolen Vehicles Recovery Information System (SVRIS), in order to assist the police in identifying the insurer of stolen and subsequently recovered vehicles. In SVRIS, any police station which has recovered a stolen vehicle, and is trying to find the insurer of the vehicle, can contact IIB through the toll free number 1800 425 4734 (short code 155266). IIB will collect basic information like Registration number, Engine number, Chassis Number etc. from the reporting officer for locating the insurer of the vehicle in IIB's database. The police stations can also send the recovered vehicle details through email vehiclesrecovered@iib.gov.in. Acknowledgement will be sent to the email id provided by the reporting officer. The vehicle details are searched in IIB's database; and if found, the insurer will be sent an email informing the recovery of vehicle and the details of the police station where the vehicle is lying. It would enable the insurer to approach the police station for further action.

Referrals - Sharing of Database:

32. In order to streamline the process of referral arrangements made by insurance companies with various entities, the sharing of database for distribution of Insurance Products Regulations, 2010 were notified by the Authority on 1st July, 2010. Companies formed and registered under the Companies Act, 1956 as well as Regional Rural Banks or Co-operative Banks that are not eligible to take up corporate agency are now eligible to enter into arrangements subject to conditions laid down for applying as a referral company. The application has to be made by the insurance company to the Authority for seeking approval of a referral company. The referral companies are permitted to share their data base only with the prior consent of their customers.

33. The Authority has also advised all insurance companies to terminate all existing referral arrangements that have been entered into on the basis of the provisions of the Regulation 2(c) and the second proviso to Regulation 10(1)(vi) of the IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure Regulations, 2000) which stands omitted. The insurance companies were further advised to terminate all existing referral arrangements which were not in conformity with the Sharing of Database for Distribution of Insurance Products Regulations, 2010.

Grievance Redressal:

34. The Consumer Affairs department of IRDA handles policyholder grievances, apart from carrying out awareness campaigns on insurance. The cell looks into complaints from policyholders against life and non-life insurance companies. Prospects and policyholders are advised to first file their complaints with the respective insurance companies. The grievance cell facilitates redressal by taking up the complaints with the company. Where required, investigations and enquiries are carried out by IRDA. The IRDA Grievance Call Centre (IGCC) receives and registers complaints through a toll free number. Complainants can also track the status of their complaints through IGCC. Further, the requirement of insurance companies to have Board approved grievance redress policies; compliance requirements relating to IRDA guidelines for grievance redressal, especially in terms of the turnaround times laid down; and the requirement under the corporate governance guidelines to have a policyholder protection Committee as a mandatory Committee have gone a long way in protecting the interests of policyholders better. Over and above this, the use of Integrated Grievance Management System (IGMS) as a tool to monitor disposal of grievances by insurance companies and carry out root cause analysis of grievances to identify systemic and policy related

issues has helped the Authority identify the concerns of policyholders and initiate corrective action.

Initiatives towards policyholder protection:

35. With a view to protecting the interests of policyholders, the IRDA has taken a number of initiatives. Guidelines relating to distance marketing have been issued by IRDA which address challenges relating to mis-selling using distance marketing mode, a fallout of the advancement in technology. While the benefits of having new and faster channels need to be reaped, the loopholes created by them need plugging and this is precisely what the guidelines are aimed at. IRDA has issued guidelines to agents for persistency of life insurance policies to ensure that servicing of policies by agents is sustained; and is with a long term objective of servicing the policyholder and not driven by the objective of just pushing sales.

36. IRDA has taken several initiatives to protect the interests of policyholders. Policyholders have the right to expect insurance companies to keep the promises they make. When there is an omission or commission not consistent with expected or defined service levels, there is a deficiency in service giving scope for a grievance. To ensure effective grievance redress by insurance companies, the Authority has launched the Integrated Grievance Management System (IGMS), which is an online system that not only enables online registration, tracking of status of grievances by complainants and generation of periodical reports but also creates a central repository of complaints across the insurance companies. This enables IRDA to monitor market conduct issues and take necessary steps to ensure better protection of policyholders. The Authority has been carrying out a sustained campaign to create awareness about insurance grievance redress systems, rights and duties of policyholders etc., through various media.

Claims Settlement and Fraud:

37. Insurers should take all steps to ensure that the incidence of claim repudiation is reduced to the barest minimum. To enable this to happen, they should adopt measures to explain to the parties upfront, the exact coverage and exclusions. If a claim has still to be repudiated, they should explain the circumstances under which the claim has to be rejected, either wholly or partially, to the policyholder with empathy so that a confrontation is avoided. Further, they should put in place systems that ensure the consummation of contracts after the nuances are explained to the prospect. The other side of the coin of course is dealing firmly with attempted frauds and not allowing any dilution in the terms of the

contract. This is another way of working towards achieving healthy claims ratios. The Authority is presently working at laying down the broad framework for detection, classification, mitigation and reporting of insurance frauds. The framework would also encourage the insurance councils of life and non-life insurance companies to build up databases to serve as reference points for the industry to share its data and experience on frauds. Insurers should ensure that there is in place an efficient mechanism to weed out such fraudulent attempts so that claims ratios turn out to be healthier.

Transparency in the Advertisements released:

38. In order to enhance the transparency of life insurance advertisements, the Authority vide its circular IRDA/LIFE/MISC/CIR/129/08/2010 dated 16th August, 2010 advised all insurance companies to ensure that all insurance advertisements should clearly identify the product as an insurance product as well as state the availability of life insurance coverage. In advertisements, where benefit of guarantee is highlighted, insurers are required to disclose the conditions under which the guarantee operates. In respect of Unit Linked Insurance Plans, insurers have been mandated to disclose the actual asset mix of various underlying funds on their respective web portals at least on a half yearly basis so as to provide clear, factual and timely information to the prospects.

Agent's Training / Qualification:

39. The future success of the life insurance profession depends, above all, upon the knowledge and integrity of the people who advise customers – and are their first, and most important point of contact. At the IRDA, the regulator's goal is to see that life insurers are increasingly able to attract, motivate and retain outstanding people, committed to adopting a 'needs-based' approach to financial advice.

40. Keeping the above in mind, IRDA conducted a thorough review of the existing life insurance agent licensing qualification. It was decided to utilize the expertise of Chartered Insurance Institute (CII), London in enhancing the existing syllabus of IC-33 "Pre-recruitment qualification for life insurance agents" of the Insurance Institute of India (III). All the key stakeholders worked together to realise this goal. The revised IC-33 syllabus has been uploaded on the IRDA/III website, which is available for free download. The training in the revised syllabus has commenced from 1st October, 2011.

41. This new course book and the revised qualification that agents will now use is a vital part of the Authority's strategy. IRDA has developed a syllabus that is

challenging in its scope and depth. It does not simply encourage agents to memorise facts and figures; but also tests their understanding of learning, and ability to apply it in a wide range of practical real-life situations.

Strengthening on-site inspections:

42. Nine life and ten non-life insurance companies were inspected comprehensively during the year 2010-11 (against none in the year 2009-10) besides inspection of 14 Intermediaries/Brokers/Corporate Agents and 5 TPAs; and other inspections for specific purposes like adequacy of reserves, investment operations, etc. As undertaken in the previous report, the Inspection Department has been strengthened with increased supervisory resources paving the way for increasing supervisory intensity aiming at inspection of all the companies which were not inspected previously, as also the companies which are perceived to be weak by the measures of capital adequacy, risk management, governance and premium size. The Authority would sooner than later need to move towards risk based supervision, and assessment of risk management practices through on-site supervision, would be one such step in this direction.

Financial Stability:

43. In accordance with the announcement of the Union budget of 2010-11, the Financial Stability and Development Council (FSDC) was set up in December 2010. The Council is chaired by the Union Finance Minister and its members include the heads of the financial sector regulators and representatives from key departments of the Ministry of Finance. It deals with various issues relating to financial stability, inter-regulatory coordination, financial sector development and macro-prudential supervision of the Indian economy. The Council has met three times so far and discussed various issues. Further a Sub-committee of the FSDC has been set up. The Sub-committee has replaced the existing High-level Coordination Committee on Financial Markets (HLCCFM) of the financial sector regulators. The Sub-committee is headed by the Governor, Reserve Bank of India (RBI). The mandate of the Sub-committee includes monitoring financial markets and identifying potential threats to financial stability; to review the assessment of build-up of systemic risks and make suitable recommendations on the same; to provide a forum for inter-regulatory coordination and facilitate effective information sharing amongst various regulators; and to identify the systemically important financial conglomerates and to address the concerns and issues related to the same.

Financial Sector Assessment Program (FSAP):

44. The Financial Sector Assessment Program (FSAP) is a joint initiative of the International Monetary Fund and the World Bank that began in 1999 against the backdrop of the financial crises in Mexico, Russia and East Asia in the 1990s. The participation by member countries in FSAP is voluntary, and is aimed at assessing the stability and resilience of financial systems in member countries. The FSAP exercise includes stress testing and assessment of the status and implementation of the international financial standards and codes in the regulation and supervision of the sector assessed.

45. FSAP exercise in the insurance sector is carried out against the Insurance Core Principles (ICPs) issued by the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) which are the key global standards for prudential regulation and supervision of the insurance sector across jurisdictions.

46. India had recently been categorized by the Financial Stability Board (FSB) as 'Jurisdiction for further evaluation'. Specifically, it had been indicated that there is insufficient information available with the FSB on India's adherence to the IAIS Core Principles. In order to be able to improve upon the categorization assigned by FSB and gain an improved recognition from the perspective of financial stability of the Indian financial sector, the Government of India conveyed its agreement to submit to full fledged FSAP, proposed to be undertaken by the IMF-World Bank in 2011. A team from IMF-World Bank had meetings with various Regulators of the financial sector and industry participants during their on-site visit for preliminary meeting in January 2011. A detailed review of compliance with various core principles of IAIS in the insurance sector was carried out during June 2011. This was followed by another round of meetings in October 2011.

Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU):

47. With the increasing integration of financial markets and the growing number of internationally active insurance companies, there is an increased need for mutual cooperation and information exchange between insurance industry supervisors. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS), with a view to encouraging cooperation and information exchange among its member jurisdictions, had adopted the Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) in its meeting held in Dubai in 2007.

48. The signatory authorities to this memorandum on cooperation and information exchange have reached an understanding in this memorandum recognising that

practical arrangements concerning cross-border cooperation and information exchange are essential not only in crisis situations, but also in the day-to-day business of the jurisdiction supervisors; and the ability to share information and provide assistance requires a high standard of confidentiality protection.

49. The objective of the MMoU is to establish a formal basis for cooperation and information exchange between the signatory authorities regarding the supervision of insurance companies where cross-border aspects arise. It includes requesting and providing information on operations of insurance companies supervised, covering all issues related to supervision of insurance companies such as licensing, on-going supervision and winding-up processes. The MMoU is also applicable to the supervision of other regulated entities such as insurance intermediaries, and to AML / CFT matters. The provisions of the MMoU, however, do not intend to create any legally binding obligations or to modify or supersede any jurisdictional law; nor are these directly or indirectly enforceable rights.

50. The IRDA has recently submitted its application to the IAIS Secretariat to become a signatory to the MMoU, which is at the evaluation stage. Once approved by the IAIS, the IRDA will have greater access to the information from other member jurisdictions.

Initiatives at AML / FATF:

51. India was granted membership into the Financial Action Task Force (FATF) in June 2010 plenary after undergoing a thorough assessment/evaluation of compliances with 40+9 Recommendations of FATF through the Mutual Evaluation Report on India. IRDA was an active member of the Inter-Ministerial Coordination Committee on AML/CFT (IMCC) set up as the coordinating body on issues relating to membership into FATF. As part of the various initiatives taken by the Authority towards effective implementation of the AML/ CFT guidelines in the insurance sector, a master circular was issued as a single point reference of AML/CFT guidelines. Outreach programmes were conducted for the staff of insurance companies. IRDA works closely with various departments of the ministry/agencies towards an effective implementation of AML/CFT

guidelines. Short term action points of IRDA committed to FATF have been accomplished. IRDA is currently working towards accomplishment of medium term action plan.

Performance in the first quarter of 2011-12:

52. The life insurers underwrote new business of ₹18,283 crore during the first quarter in the current financial year 2011-12 as against ₹25,522 crore in the corresponding first quarter in 2010-11, recording a decline of 28.36 per cent. Of the new business premium underwritten, LIC accounted for ₹13,342 crore (72.98 per cent market share) and the private insurers accounted for ₹4,941 crore (27.02 per cent market share). The market share of these insurers was 73.43 per cent and 26.57 per cent respectively in the corresponding period of 2010-11. The life insurance industry procured premium of ₹4,897 crore in ULIPS for the first quarter of 2011-12 as against ₹13,916 crore in the first quarter of 2010-11, a decline of 64.81 per cent. The industry procured premium of ₹13,386 crore in traditional business for the quarter ended June 2011 as against ₹11,606 crore for the quarter ended June 2010 exhibiting a growth of 15.34 per cent.

53. The non-life insurers underwrote a premium of ₹14,046 crore during the first quarter of the current financial year recording a growth of 22.35 per cent over ₹11,480 crore underwritten in the same period in 2010-11. The private sector non-life insurers including specialised insurers and health insurers underwrote a premium of ₹6,020 crore in April-June, 2011 as against ₹4,725 crore in April-June, 2010, reporting a growth of 27.40 per cent. The public sector non-life insurers underwrote a premium of ₹8,026 crore which was higher by 18.82 per cent (₹6,754 crore in the first quarter of 2010-11). The market share of the public and private insurers including specialised insurers and health insurers stood at 57.14 and 42.86 per cent respectively at the end of the quarter (58.81 and 41.19 at the end of June 2010).

54. The standalone health insurers contributed ₹496 crore in 2011-12 (₹364 crore in 2010-11) registering a growth of 36.26 per cent. The contribution of specialized companies ECGC and AIC of India was ₹376 crore in the first quarter of 2011-12 (₹357 crore in 2010-11) registering a growth of 5.32 per cent.

PART I

POLICIES AND PROGRAMME

I.1 GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

I.1.1 The Indian economy exhibited further recovery in 2010-11 and recorded a Gross Domestic Product (GDP) growth rate (at factor cost) of 8.5 per cent, up from 8.0 per cent in 2009-10 and 6.8 per cent in 2008-09. The economy reported growth in GDP for the second successive year subsequent to the slowdown observed in the year 2008-09. The year 2008-09 had witnessed a slowdown mainly on account of the financial crisis across the world. The Indian economy appeared to be on an early recovery process as compared to many other economies across the globe. The good recovery witnessed in the Indian economy in 2010-11 is largely attributable to the growth in the agricultural sector. The agricultural sector, which remained subdued in the last two years, grew significantly in 2010-11 largely on account of good monsoon. The year saw simultaneous occurrence of a normal and well distributed south-west monsoon as also an excess north-east monsoon, which was not observed during the last decade. Accordingly, the growth in the agricultural sector surged to 6.6 per cent, which had remained non-significant in the previous two years (-0.1 per cent in 2008-09 and 0.4 per cent in 2009-10).

I.1.2 The growth rate in the industrial sector dipped to 7.8 per cent in 2010-11 from its previous year's level of 8.3 per cent due to slowdown in crucial infrastructure industries. Due to slowdown in the coal production and lower generation of thermal power, the mining and electricity industries decelerated in 2010-11 from their previous year level and raised concern given the large growth in demand. The services sector growth too slipped in 2010-11, which recorded a lower growth of 9.2 per cent as compared to 9.7 per cent, as recorded in 2009-10. This is largely due to the deceleration in the community, social and personal services. However, the services dependent on external demand, such as, tourist arrivals, passengers handled at international terminals, export and import cargo witnessed better growth in 2010-11.

I.1.3 The growth of household savings continued to remain stagnant in 2010-11. However, the share of life insurance funds in the total financial saving of the household continued to surge in 2010-11. Its share increased to 24.2 per cent, which was 22.6 per cent in 2009-10 and 21.0 per cent in 2008-09. However, the share of provident and pension funds declined to 9.1 per cent in the year 2010-11 from its 11.5 per cent level of 2009-10.

I.1.4 The inflation on an year-on-year basis, measured by variation in the Wholesale Price Index (WPI) stood at 9 per cent at end-March 2011 at a lower level than its previous year (10.2 per cent). The average inflation rate remained near 9.4 per cent in the year 2010-11. The overall volatility (as measured by RBI using GARCH model) in the Indian financial markets remained lower throughout the year in 2010-11 than in the previous year, barring a brief spell of heightened volatility during May 2010. The money market rates rose marginally in the early part of the year (April-June 2010) and surged further significantly during the later part of the year. The average daily call money rates increased by 32 basis points in April-June 2010 and moved upward further by more than three percentage points in later months of the year. The capital market remained more or less range bound during the year 2010-11. The stock indices gained during the year, however they fell somewhat due to corrections towards later months of 2010-11. The BSE Sensex, which crossed 21,000 mark in November 2010, ended at 19445 at end-March 2011 with an increase of 10.9 per cent over its previous year-end.

I.1.5 The Balance of Payment (BoP) of India improved in 2010-11 against the backdrop of pick-up in export during the second half of the year. This led to increase in the foreign exchange reserves of India, which stood at USD 304.82 billion as at end-March 2011, against USD 279.06 billion at end-March 2010.

I.2 WORLD INSURANCE SCENARIO

I.2.1 As per World Insurance Report published by reinsurance major Swiss Re, the global insurance premium for the calendar year 2010 was USD 4339 billion, which is 2.7 per cent (inflation-adjusted) higher than USD 4109 billion reported during the previous calendar year 2009.

I.2.2 The share of life insurance business was 58 per cent in total premium collection. While life insurance business collected USD 2520 billion as premium, the same for non-life business was USD 1818 billion. During 2010, the premium in world life insurance business increased by 3.2 per cent on the back of double digit growth (i.e. 13 per cent) in life insurance premium collection in emerging markets.

TABLE I.1
REAL GROWTH IN PREMIUM DURING 2010*
(In per cent)

Regions/Countries	Life	Non-life	Total
Industrialised countries	1.8	1.0	1.4
Emerging markets	13.0	8.5	11.0
Asia	4.2	6.1	4.7
India**	4.2	8.1	4.9
World	3.2	2.1	2.7

Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2011.

Note: * calendar year. ** financial year 2010-11

I.2.3 During 2010, the global non-life insurance premiums rose by 2.1 per cent. In emerging Asia and newly industrialised countries in the region, the strong economic rebound pushed up non-life premium growth, while soft pricing continued to slow growth in Europe and the US, except in a few countries in selected lines of business. Consequently, underwriting results deteriorated further in 2010, despite average natural catastrophe losses and continuing reserve releases. Overall profitability remained low, as capital gains on invested assets only partially offset low investment yields.


I.2.4 Stock markets around the world continued to recover in 2010. As a result, the capital positions and investment return of insurers improved. Demand for the Unit-linked life insurance products strengthened. However, volatility remained high due to concerns about

the strength of the economic recovery and the sovereign debt for the peripheral European countries. Improved sales, lower lapses and higher capital gains on financial assets supported operating margins. However, profitability continued to remain low due to adverse interest rates.

I.2.5 In 2011, the economic recovery is expected to continue, supporting premium growth in life and non-life insurance in the industrialised countries and emerging markets. Profitability in both sectors will continue to be low, as interest rates are expected to rise slowly. The devastating earthquakes in Japan and New Zealand are likely to result in higher prices in those countries and help to stop the trend of softening rates worldwide.


I.2.6 Overall, the insurance industry has recovered well from the crisis. Demand for insurance in the emerging markets is expected to continue to grow strongly in the coming years. Ageing societies will provide ample opportunities for life insurers. However, insurers face a number of challenges ahead such as derailment of economic recovery which may be caused by an escalation of the European sovereign debt crisis or an oil price shock. Introduction of regulatory reforms like Solvency II may lead to overly stringent capital requirements which would undermine profitability and ultimately may pose a challenge before the insurers. Escalation of public debt crisis may wear away the assets of insurers in view of the fact that insurers hold sovereign debt and bonds issued by banks. Broadly, it is expected that profitability will remain below pre-crisis levels for some time.

CHART I.1



Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2011. Data is in USD.

CHART I.2



Source: Swiss Re, Sigma No. 3/2011

Indian Insurance in the global scenario

I.2.7 In life insurance business, India ranked 9th among the 156 countries, for which data are published by Swiss Re. During 2010-11, the estimated life insurance premium in India grew by 4.2 per cent (inflation adjusted). However, during the same period, the global life insurance premium expanded by 3.2 per cent. The share of Indian life insurance sector in global market was 2.69 per cent during 2010, as against 2.45 per cent in 2009.

I.2.8 The non-life insurance sector witnessed significant growth of 8.1 per cent during 2010. Its performance is far better when compared to global non-life premium, which expanded by 2.1 per cent during the same period. The share of Indian non-life insurance premium in global non-life insurance premium increased slightly to 0.58 per cent, thereby improvising its global ranking to 19th in comparison to 26th in last year.

Insurance penetration & density in India

I.2.9 The measure of insurance penetration and density reflects the level of development of insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premium to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium). Since opening up of Indian insurance sector for private participation, India has reported increase in insurance density. However, the insurance penetration, which surged consistently till 2009, slipped for the first time in 2010 on account of slower rate of growth in the life insurance premium as compared to the rate of growth of the Indian economy.

I.2.10 The insurance density of life insurance sector had gone up from USD 9.1 in 2001 to USD 55.7 in 2010. Similarly, insurance penetration had gone up from 2.15 per cent in 2001 to 4.60 in 2009, before slipping to 4.40 per cent in 2010.

**TABLE I.2
INSURANCE PENETRATION AND DENSITY IN INDIA**

Year	Life		Non-Life		Industry	
	Density (USD)	Penetration (percentage)	Density (USD)	Penetration (percentage)	Density (USD)	Penetration (percentage)
2001	9.1	2.15	2.4	0.56	11.5	2.71
2002	11.7	2.59	3.0	0.67	14.7	3.26
2003	12.9	2.26	3.5	0.62	16.4	2.88
2004	15.7	2.53	4.0	0.64	19.7	3.17
2005	18.3	2.53	4.4	0.61	22.7	3.14
2006	33.2	4.10	5.2	0.60	38.4	4.80
2007	40.4	4.00	6.2	0.60	46.6	4.70
2008	41.2	4.00	6.2	0.60	47.4	4.60
2009	47.7	4.60	6.7	0.60	54.3	5.20
2010	55.7	4.40	8.7	0.71	64.4	5.10

* Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population.
 * Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars).
 * The data of Insurance penetration is available with rounding off to one digit after decimal from 2006.
 Source: Swiss Re, Various Issues.

CHART I.3





CHART I.4



I.3 APPRAISAL OF INDIAN INSURANCE MARKET

Registered Insurers in India

I.3.1 At end-September 2011, there are forty-nine insurance companies operating in India; of which twenty four are in the life insurance business and another twenty-four are in general insurance business. In addition, GIC is the sole national re-insurer.

I.3.2 Of the forty-nine companies presently in operations, eight are in the public sector: two specialized insurers, namely ECGC and AIC, one in life insurance, four in general insurance and one re-insurance. The remaining forty one companies are in the private sector.

TABLE I.3
REGISTERED INSURERS IN INDIA
(As on 30th September, 2011)

Type of business	Public Sector	Private Sector	Total
Life Insurance	1	23 ^{***}	24 ^{***}
General Insurance	6 [*]	18 ^{**}	24
Re-insurance	1	0	1
Total	8	41	49

* Includes specialized insurance companies - ECGC and AIC.

** Includes three Standalone Health Insurance Companies – Star Health & Allied Insurance Co., Apollo Munich Health Insurance Co. and Max Bupa Health Insurance Co.

*** Include Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited.

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited was granted registration in 2011-12.

LIFE INSURANCE

Premium

I.3.3 Life insurance industry recorded a premium income of ₹2,91,605 crore during 2010-11 as against ₹2,65,447 crore in the previous financial year, registering a growth of 9.85 per cent. While private sector insurers posted 11.04 per cent growth (23.06 per cent in previous year) in their premium income, LIC recorded 9.35 per cent growth (18.30 per cent in previous year).

I.3.4 While renewal premium accounted for 56.66 per cent (58.60 per cent in 2009-10) of the total premium received by the life insurers, first year premium contributed the remaining 43.34 per cent (41.40 per cent in 2009-10). During 2010-11, the growth in renewal premium was 6.22 per cent (15.69 per cent in 2009-10). By comparison, the growth in first year premium was higher at 15.00 per cent during 2010-11 but there is significant decline in growth in comparison to the previous year figure (25.84 per cent in 2009-10).

I.3.5 Further bifurcation of the first year premium indicates that single premium income received by the life insurers recorded 26.99 per cent growth during 2010-11 (31.05 per cent in 2009-10). Single premium products continue to play a major role for LIC as they contributed 24.94 per cent of LIC's total premium income (24.36 per cent in 2009-10). In comparison, the contribution of single premium income in total premium income has surged to 13.28 per cent for private insurance companies during 2010-11 (4.84 per cent in 2009-10).

I.3.6 The growth of the regular premium stood only at 5.30 per cent in 2010-11, against 21.91 per cent growth in 2009-10 with the private insurers witnessing negative growth (-19.88 per cent). The LIC continued with high growth in the regular premium. The same stood at 38.50 per cent in 2010-11 (36.80 per cent in 2009-10).


I.3.7 Unit-linked products (ULIPs) witnessed 5.64 per cent decline in premium income from ₹1,15,521 crore in 2009-10 to ₹1,09,002 crore in 2010-11. On the other hand, the growth in premium income of traditional products was at 21.80 per cent, with premium income increasing to ₹1,82,603 crore as against ₹1,49,926 crore in 2009-10. Accordingly, the share of unit-linked products in total premium considerably declined to 37.38 per cent in 2010-11 as against 43.52 per cent in 2009-10 (Statement No.11).

TABLE I.4
PREMIUM UNDERWRITTEN BY LIFE INSURERS
(₹ crore)

Insurer	2009-10	2010-11
Regular Premium		
LIC	26184.48 (36.80)	36265.36 (38.50)
Private Sector	34529.67 (12.61)	27664.19 (-19.88)
Total	60714.15 (21.91)	63929.55 (5.30)
Single Premium		
LIC	45337.42 (33.19)	50746.99 (11.93)
Private Sector	3842.34 (10.13)	11704.46 (204.62)
Total	49179.76 (31.05)	62451.45 (26.99)
First Year Premium		
LIC	71521.90 (34.49)	87012.35 (21.66)
Private Sector	38372.01 (12.36)	39368.65 (2.60)
Total	109893.91 (25.84)	126381.00 (15.00)
Renewal Premium		
LIC	114555.41 (10.03)	116461.05 (1.66)
Private Sector	40997.93 (35.10)	48762.94 (18.94)
Total	155553.34 (15.69)	165223.99 (6.22)
Total Premium		
LIC	186077.31 (18.30)	203473.40 (9.35)
Private Sector	79369.94 (23.06)	88131.60 (11.04)
Total	265447.25 (19.69)	291604.99 (9.85)

Note: Figure in brackets indicates the growth (in per cent)

CHART I.5



Market Share

I.3.8 On the basis of total premium income, the market share of LIC declined marginally from 70.10 per cent in 2009-10 to 69.78 per cent in 2010-11. Accordingly, the market share of private insurers has gone up marginally from 29.90 per cent in 2009-10 to 30.22 per cent in 2010-11.

I.3.9 The market share of private insurers in first year premium was 31.15 per cent in 2010-11 (34.92 per cent in 2009-10). The same for LIC was 68.85 per cent (65.08 per cent in 2009-10). However, in renewal premium, LIC had a higher share of 70.49 per cent (73.64 per cent in 2009-10) when compared to 29.51 per cent (26.36 per cent in 2009-10) share of private insurers.

TABLE I.5
MARKET SHARE OF LIFE INSURERS

(In per cent)

Insurer	2009-10	2010-11
Regular Premium		
LIC	43.13	56.73
Private Sector	56.87	43.27
Total	100.00	100.00
Single Premium		
LIC	92.19	81.26
Private Sector	7.81	18.74
Total	100.00	100.00
First Year Premium		
LIC	65.08	68.85
Private Sector	34.92	31.15
Total	100.00	100.00
Renewal Premium		
LIC	73.64	70.49
Private Sector	26.36	29.51
Total	100.00	100.00
Total Premium		
LIC	70.10	69.78
Private Sector	29.90	30.22
Total	100.00	100.00

New Policies

I.3.10 During 2010-11, life insurers issued 482 lakh new policies, out of which, LIC issued 370 lakh policies (76.91 per cent of total policies issued) and the private life insurers issued 111 lakh policies (23.09 per cent). While LIC suffered a decline of 4.70 per cent (8.21 per cent increase in 2009-10) in the number of new policies issued against the previous year, the private sector insurers reported a significant decline of 22.61 per cent (4.32 per cent decline in 2009-10) in the number of new policies issued.

I.3.11 Overall, the industry witnessed a 9.53 per cent decline (4.52 per cent increase in 2009-10) in the number of new policies issued.

TABLE I.6
NEW POLICIES ISSUED : LIFE INSURERS
(In lakh)

Insurer	2009-10	2010-11
LIC	388.63 (8.21)	370.38 (-4.70)
Private Sector	143.62 (-4.32)	111.14 (-22.61)
Total	532.25 (4.52)	481.52 (-9.53)

Note: Figure in brackets indicates growth over previous year (in per cent).

Paid-up capital

I.3.12 The total capital of the life insurance companies as on 31st March, 2011 was ₹23,662 crore. During 2010-11, an additional capital of ₹2,642 crore was brought in by the industry. The incremental capital during 2010-11 was brought in by the private sector insurers as there was no addition in the capital of LIC, the public sector insurance company.

TABLE I.7
PAID-UP CAPITAL : LIFE INSURERS*

Insurer	31 st March, 2010	Additions during 2010-11	31 st March, 2011
LIC	5.00	0.00	5.00
Private Sector	21014.99	2641.86	23656.85
TOTAL	21019.99	2641.86	23661.85

Note: *Excludes premium on issue of equity share capital (Statement No. 18).

Expenses of life insurers

I.3.13 As per section 40B of the Insurance Act, 1938 no life insurer can spend as expenses of management in any year an amount in excess of the limits prescribed under Rule 17D of the Insurance Rules, 1939. Rule 17D takes into consideration the size and age of the insurer, while laying down the limits of such expenses. The IRDA

on the recommendation of the Life Insurance Council constituted under Section 64F of the Insurance Act may enhance the limits in any year. Expenses of management refer to all charges incurred either directly or indirectly and include commission payments of all kinds, operating expenses and expenditure capitalized.

ANNUAL REPORT 2010-11

**TABLE I.8
COMMISSION EXPENSES OF LIFE INSURERS**

(₹ crore)		
Insurer	2009-10	2010-11
Regular Premium		
LIC	6100.48	6839.06
Private Sector	4863.22	3705.29
Total	10963.70	10544.35
Single Premium		
LIC	526.38	552.19
Private Sector	48.41	144.46
Total	574.79	696.66
First Year Premium		
LIC	6626.85	7391.25
Private Sector	4911.64	3849.75
Total	11538.49	11241.00
Renewal Premium		
LIC	5505.71	5956.04
Private Sector	1030.42	1132.28
Total	6536.13	7088.32
Total Premium		
LIC	12132.56	13347.29
Private Sector	5942.06	4982.03
Total	18074.62	18329.32

**TABLE I.9
COMMISSION EXPENSES RATIO :
LIFE INSURERS**

(In per cent)		
Insurer	2009-10	2010-11
Regular Premium		
LIC	23.30	18.86
Private Sector	14.08	13.39
Total	18.06	16.49
Single Premium		
LIC	1.16	1.09
Private Sector	1.26	1.23
Total	1.17	1.12
First Year Premium		
LIC	9.27	8.49
Private Sector	12.80	9.78
Total	10.50	8.89
Renewal Premium		
LIC	4.81	5.11
Private Sector	2.51	2.32
Total	4.20	4.29
Total Premium		
LIC	6.52	6.56
Private Sector	7.48	5.65
Total	6.81	6.29

Note: Commission expenses ratio is the ratio between commission expenses and the premium underwritten by life insurers

I.3.14 The increase in expenses was lower than the increase in the gross premium collected by the insurers in 2010-11. As such, the commission expenses ratio (commission expenses as a percentage of premiums) declined marginally to 6.29 per cent in 2010-11 from 6.81 per cent of 2009-10. Overall, while the commission expenses increased in the case of regular premium, there has been a fall in the commission paid towards both single and renewal premium products. However, there is some variation in the position when compared between the private insurers and LIC, as reflected in Table I.9, providing bifurcations of the commission ratios for both private and public sector life insurers.

I.3.15 The operating expenses of the life insurers increased by 14.04 per cent in 2010-11 (11.84 per cent in 2009-10). The operating expenses towards life insurance business were ₹32,942 crore in 2010-11 as against ₹28,888 crore in 2009-10.

**TABLE I.10
OPERATING EXPENSES OF LIFE INSURERS**

(₹ crore)		
INSURER	2009-10	2010-11
LIC	12245.82	16980.28
Private Sector	16641.81	15962.02
TOTAL	28887.63	32942.30

I.3.16 Operating expenses, as a per cent of gross premium underwritten, increased for LIC from 6.58 per cent in 2009-10 to 8.34 per cent in 2010-11. However, the same declined marginally for private insurers from 20.97 per cent in 2009-10 to 18.11 per cent in 2010-11. For the industry as a whole, the operating expenses ratio increased slightly from 10.88 per cent in 2009-10 to 11.30 per cent in 2010-11.

TABLE I.11
OPERATING EXPENSES RATIO :
LIFE INSURERS
(In per cent)

INSURER	2009-10	2010-11
LIC	6.58	8.34
Private Sector	20.97	18.11
TOTAL	10.88	11.30

Note: Operating expenses ratio is the ratio of operating expenses to the premium underwritten by the life insurers

I.3.17 As the initial set-up costs incurred by any insurance company is high, the Authority has granted exemption from the limits under Rule 17D to 22 private insurers in the first five years of commencement of their business operations.

I.3.18 Out of the 23 life insurance companies (including 1 PSU) in 2010-11, nine companies were in the exemption period. Of the balance, twelve companies (including 1 PSU) were compliant with the limits under Rule 17D/ directions of the Authority.

Benefits Paid

I.3.19 The life insurance industry paid higher gross benefits of ₹1,42,524 crore in 2010-11 (₹95,820 crore in 2009-10) constituting 48.88 per cent of the gross premium underwritten (36.10 per cent in 2009-10). The benefits paid by the private insurers which stood at ₹31,251 crore (₹16,658 crore in 2009-10), showed an increase of 87.60 per cent constituting 35.46 per cent of the premium

underwritten (20.99 per cent in 2009-10). LIC paid benefits of ₹1,11,273 crore in 2010-11, constituting 54.69 per cent of the premium underwritten (₹79,162 crore in 2009-10, 42.54 per cent of the total premium underwritten). The benefits paid by the life insurers net of reinsurance were ₹1,42,196 crore (₹95,565 crore in 2009-10). There has been a significant increase in the benefits paid on account of surrenders/withdrawals which stood at ₹76,712 crore, of which LIC accounted for ₹49,774 crore and private sector ₹26,938 crore. The comparative previous year statistics were ₹36,225 crore, of which LIC accounted for ₹22,395 crore and private sector ₹13,830 crore. In case of LIC, out of the ₹49,774 crore surrenders, ULIP policies accounted for ₹40,761 crore (82 per cent) as against ₹11,125 crore (50 per cent) in 2009-10. In case of the private insurance industry, the surrenders accounted for ₹26,207 crore (97 per cent) in ULIPs for 2010-11 as against ₹12,959 crore (94 per cent) in 2009-10.

Analysis of Death Claims

Individual Death Claims


I.3.20 In the year 2010-11, the life insurance companies have settled 8.13 lakh claims on individual policies, with a total payout of ₹7,595 crore. The number of claims repudiated was 17,350 for an amount of ₹336 crore. The number of claims pending at the year-end was 16,415 and the amount involved was ₹306 crore. Of these claims, 1,930 were pending for more than one year and 14,485 claims were pending for less than and upto one year.

TABLE I.12
INDIVIDUAL DEATH CLAIMS : LIFE INSURERS (2010-11)

(Figures in per cent of policies)

Insurer	Total Claims	Claims paid	Claims repudiated	Claims written back	Claims pending at end of year	Break up of claims pending — duration wise (Policies)			
						≤ 3 months	> 3 to ≤ 6 months	> 6 to ≤ 12 months	> 12 months
Private	100	86.04	8.90	0.05	5.01	77.30	9.57	4.54	8.59
LIC	100	97.03	1.00	0.51	1.46	36.60	25.14	24.85	13.40
Total	100	95.58	2.04	0.45	1.93	50.51	19.82	17.91	11.76

CHART I.6



I.3.21 The claim settlement ratio of LIC was better than that of the private life insurers. Settlement ratio of LIC increased to 97.03 per cent during the year 2010-11 when compared to 96.54 per cent during the previous year. The per cent of repudiations declined from 1.21 per cent in the previous year to 1.00 per cent in 2010-11. Similarly for private insurers, settlement ratio has gone up to 86.04 per cent during the financial year 2010-11 when compared to 84.87 per cent during the previous year. Private insurers repudiated a larger number of claims when compared to LIC. The per cent of repudiations increased to 8.90 per cent in 2010-11 from 7.61 per cent in 2009-10. Overall, the industry's settlement ratio has improved slightly at 95.58 per cent in 2010-11 from

95.24 per cent in 2009-10 and the repudiation ratio has also gone up to 2.04 per cent in 2010-11 from 1.93 per cent in 2009-10. The ratio of claims written back has, however, declined at 0.45 per cent as against 0.75 per cent in the previous year.

Group Death Claims

I.3.22 A total of 4,21,930 group claims were settled in the year out of 4,36,201 claims intimated to the life insurers. Of these, the number of claims repudiated in the year was 2,404 which was 0.55 per cent of the claims intimated (Statement No. 14).

**TABLE I.13
GROUP DEATH CLAIMS : LIFE INSURERS (2010-11)**

(Figures in per cent of lives covered)

Insurer	Total Claims	Claims paid	Claims repudiated	Claims written back	Claims pending at end of year	Break up of claims pending — duration wise (Policies)			
						≤ 3 months	> 3 to ≤ 6 months	> 6 to ≤ 12 months	> 12 months
Private	100	93.33	1.18	0.13	5.36	41.71	57.16	0.38	0.76
LIC	100	99.66	0.01	0.00	0.33	75.39	13.09	9.69	1.83
Total	100	96.73	0.55	0.06	2.66	43.93	54.25	0.99	0.83

CLAIMS SETTLEMENT IN LIFE INSURANCE SECTOR

In the business of insurance, the timely settlement of claims is a vital function that needs no special emphasis. The claims settlement record of an insurer is, therefore, the touchstone of its performance. In order to ensure that the insurer is in the position to promptly settle all its claims, it needs to do a careful evaluation of the risks that would arise out of the underwritten contracts and price their premiums accordingly. Underwriting expertise is often what differentiates the performance of one insurer from another; and if an insurer fails to anticipate claims correctly, it runs the risk of erosion of capital and of solvency/liquidity issues. On the servicing/market conduct front, insurers need to develop a robust claims processing mechanism which is speedy and policyholder-friendly. Excessive time-lags in settlement of claims or higher percentage of repudiations speak badly of the insurer's approach to its business and to its policyholders.

It is often said that life insurance is a contract between two unequals – the mighty institution with legal know-how and all other resources at its command on the one hand, and the lay policyholder/claimant without much understanding of law or necessary resources to take on the insurer, on the other. Recognising this fact, the primary laws as well as subordinate legislations have included a number of provisions intended to protect the interests of policyholders/claimants. These provisions, which are discussed below have gone a long way in ensuring prompt settlement of all genuine claims:

- Section 45 of Insurance Act, 1938 stipulates that no life insurance policy can be called in question on ground of mis-statement of facts after two years from the commencement of policy unless the insurer shows that such statement was on material matter and that the policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which were material to disclose.
- Proviso 8 of the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002 lays down the guidelines on claims procedure in respect of a life insurance policy as follows:
 - A life insurance policy shall state the primary documents which are normally required to be submitted by a claimant in support of a claim.
 - Any queries or requirement of additional documents, to the extent possible, shall be raised at one go, and not in a piece-meal manner, within a period of 15 days of the receipt of claim.
 - A claim shall be paid or be disputed giving all the relevant reasons, within 30 days from the date of receipt of all relevant papers and clarifications, except where an investigation is warranted in the opinion of the insurer.
 - Where an investigation is warranted, the insurer shall initiate and complete such investigation in not later than 6 months from the time of lodging the claim.
 - In case of a delay on the part of the insurer in processing a claim, the life insurer shall pay interest on the claim amount at a rate which is 2 per cent above the prevailing bank rate.
- Redressal of Public Grievances Rules, 1998 provide for appointment of Insurance Ombudsman for redressal of policyholders' grievances. The powers of Ombudsman as laid out in proviso 12 of the Rules include receiving and considering any partial or total repudiation of claims by an insurer and delay in settlement of claims.

The Authority also conducts periodic on-site inspection of insurers during which the insurer's compliance with the cited provisions is verified. Insurers found violating the law/regulations are liable for regulatory action. In addition, the Authority has installed an elaborate grievance redressal mechanism, Integrated Grievance Management System (IGMS), which enables consolidated access to grievances lodged with insurers and those lodged on the website of IRDA. All grievances, including those which are claims-related, are captured by IGMS and tracked by the Authority for manner of disposal and time-lags. Insurers too have internal claims review mechanisms/processes through which they try to ensure that claims are settled promptly and that no claim is repudiated on flimsy grounds or without adequate documentary evidence.

ANNUAL REPORT 2010-11

LIFE INSURANCE CLAIMS SETTLEMENT – FACTS AND FIGURES

Death Claims – Individual Policies (Number of Policies)

Year	Total Claims Intimated	Claims Paid	Claims Repudiated	Claims Written Back	Claims pending at end of year
2006-07	627032	604178	10869	0	11985
2007-08	577322	553408	9027	339	14548
2008-09	640620	605128	12781	5796	16915
2009-10	762435	726109	14693	5741	15892
2010-11	851534	813932	17350	3837	16415

Death Claims – Group Policies (Number of Lives)

Year	Total Claims Intimated	Claims Paid	Claims Repudiated	Claims Written Back	Claims pending at end of year
2006-07	147764	144119	1299	0	2346
2007-08	162837	159333	1241	34	2229
2008-09	264138	260507	1412	71	2148
2009-10	309151	305739	1520	20	1872
2010-11	436201	421930	2404	266	11601

Over 95 per cent of the total individual death claims intimated have been paid by life insurers in each of the last five years. While about 2 per cent were repudiated, another 2 per cent were pending settlement as at the end of each of the five years. The claim settlement ratios are higher in case of group death claims as can be observed from the data tabulated.


Duration-wise settlement of Death Claims

Out of the claims settled on individual policies in 2010-11, 77 per cent were settled within 30 days of claim intimation, 19 per cent were settled between 31 to 180 days of intimation and the remaining 4.5 per cent beyond 180 days. In the case of group policies, 94.8 per cent claims were settled within 30 days of intimation and around 5 per cent between 31 and 180 days of intimation. Only a minuscule 0.3 per cent claims were settled beyond 180 days.

Maturity and survival benefits

Life insurers settled over 50 lakh maturity claims in the year 2010-11 paying a total amount of ₹32,345 crore; and the number of survival benefits paid in the year was over 1.35 crore for an amount of ₹19,816 crore. It can be observed from the above tables that maturity benefits far exceed the amounts paid under death claims. This only reflects the pre-dominance of savings-linked policies in Indian life insurance sector. Again, within the savings-linked products, money back policies in which intermittent/periodic benefits are payable during the term of the policy are a sizeable portion and this is indicated by the number and amount of survival benefits paid each year.

CHART I.7



I.3.23 Similarly, under group claims, the claim settlement ratio of LIC was higher than that of the private life insurers. Settlement ratio of LIC has slightly decreased to 99.66 per cent during the year 2010-11 when compared to 99.80 per cent during the previous year. The per cent of repudiations remained constant i.e., 0.01 per cent in year 2010-11. Even for private insurers, settlement ratio has declined to 93.33 per cent during the year 2010-11 when compared to 96.80 per cent during the previous year. For private insurers, per cent of repudiations has slightly declined to 1.18 per cent in 2010-11 from 1.61 per cent in 2009-10. Therefore the industry's settlement ratio has slightly decreased to 96.73 per cent in 2010-11 from 98.90 per cent in 2009-10 and the repudiation ratio has also slightly gone up to 0.55 per cent in 2010-11 from 0.49 per cent in 2009-10.

Investment income

I.3.24 As the operations of the life insurers stabilize, their investment base gets strengthened, resulting in investment income forming a larger proportion of their total income. In the case of LIC, the investment income including capital gains was at ₹95,867 crore in 2010-11 compared to ₹1,12,425 crore in 2009-10. As a percentage of total income, it constituted 32.03 per cent in 2010-11 as against 37.66 per cent in 2009-10. The income from investment includes transfer/gain on revaluation/change

in fair value. In the case of private insurers, the investment income including capital gains was at ₹25,479 crore in 2010-11, as compared to ₹42,826 crore in 2009-10. As a percentage of total income, it constituted 22.43 per cent in 2010-11. The decline in returns from investments held was a reflection of the conditions prevailing in the stock markets.

Retention Ratio

I.3.25 LIC traditionally reinsures a small component of its business. During 2010-11, ₹119 crore was ceded as reinsurance premium (₹95 crore in 2009-10). Similarly, in the case of private insurers, a small component of the business was reinsured, with group business forming the major component of the reinsurance cessions. The private insurers together ceded ₹506 crore (₹407 crore in 2009-10) as premium towards reinsurance. It may be interesting to view this in the context of the fact that the risks pertaining to the investments component of the unit linked insurance products are borne by the policyholders. During 2010-11, there has been a significant shift towards traditional products in the new business underwritten. ULIPs must necessarily offer a specified component of risk cover.

Profits of Life Insurers

I.3.26 Life insurance industry is capital intensive, and insurers are required to infuse capital at regular intervals to fund both the new business strain and to expand their infrastructure base including expenses on initial operations, training costs for development of the distribution channels, creating niche markets, achieving reasonable levels of persistency. The experience of the insurance markets globally indicates that companies in the life sector take seven to ten years to break-even.

I.3.27 During the financial year 2010-11, the life insurance industry reported net profit of ₹2,657 crore as against net loss of ₹989 crore in 2009-10. Out of the 23 life insurers in operations during 2010-11, twelve companies reported profits. They are LIC, ICICI Prudential, Birla Sunlife, Max New York, Bajaj Allianz, SBI, Kotak Mahindra, TATA AIG, MetLife, Aviva, Sahara India and Shriram. Life Insurance Corporation of India has reported net profit of ₹1,172 crore i.e., an increase of 10.47 per cent over ₹1,061 crore in 2009-10. The largest private sector life insurer ICICI Prudential reported profit of ₹808 crore for the second year in a row (₹258 crore in 2009-10) after incurring losses for eight consecutive years. Birla Sunlife, Max New York and TATA AIG reported profits of ₹305 crore, ₹194 crore and ₹52 crore respectively after incurring losses for nine successive years. Bajaj Allianz reported net profit for the second consecutive year (₹542 crore in 2009-10). The net profit for the year 2010-11 was ₹1,057 crore. SBI Life reported profit of ₹366 crore; the company reported profits for 5 out of last 6 years, i.e., other than in 2008-09. Kotak Mahindra reported profit of ₹102 crore for the third year in a row (₹69 crore in 2009-10); it reported profit for the first time in 2008-09. Aviva reported profit of ₹29 crore for the first time in year 2010-11. Sahara India reported a profit of ₹28 crore as against a profit of ₹36 crore during

2009-10. Sahara India had reported profits for the first time in 2007-08. Shriram Life after reporting profits for 4 years in a row, had registered loss of ₹18 crore during 2009-10. During 2010-11, the company reported a net profit of ₹17 crore. MetLife reported a profit of ₹25 crore, thus reporting profits continuously in the last four financial years. However, MetLife is carrying deficit in the Policyholders' Account from 2007-08 to 2010-11. The cumulative losses of the company at the end of the year 2010-11 stood at ₹1,733 crore.

I.3.28 The cumulative losses of insurers for the financial year 2010-11 stood at ₹1,498 crore as against ₹3,261 crore for 2009-10. There is noticeable decline in the rate of loss accretion. In addition, with respect to some of the insurers, the Revenue Account carries a total deficit for the year 2010-11 of ₹627 crore as against ₹1,004 crore in 2009-10. The cumulative losses of the life insurance industry as at 31st March, 2011 stood at ₹20,569 (₹20,143 crore in 2009-10).

Returns to shareholders

I.3.29 For the year 2010-11, LIC paid ₹1,138 crore as dividend to Government of India. This is 97 per cent of its net profit reported during the year. This is consistent with the year 2009-10 when LIC had paid 97 per cent of its net profit as dividend to the exchequer (₹1,031 crore).

Expansion of Offices

I.3.30 During the year under review, there was a decrease in the number of life insurance offices in India. While private insurers closed 593 offices, the public sector insurer LIC established 121 new offices. With this, the number of offices of life insurers declined from 12,018 as on 31st March, 2010 to 11,546 as on 31st March, 2011 (Statement No. 29).

TABLE I.14
NUMBER OF LIFE INSURANCE OFFICES*
(AS ON 31st MARCH)

Insurer	2007	2008	2009	2010	2011
Private Total	3072	6391	8785	8768	8175
LIC	2301	2522	3030	3250	3371
Industry Total	5373	8913	11815	12018	11546

* Offices opened after seeking approval of the Authority

Note: 1) Data collected from life insurers through a special return.

2) Office as defined under Section 64VC of the Insurance Act, 1938.

TABLE I.15
DISTRIBUTION OF OFFICES* OF LIFE INSURERS AS ON 31st MARCH, 2011

Insurer	Metro	Urban	Semi-urban	Others	Total
Private Total	769	1428	3715	2263	8175
LIC	363	560	953	1495	3371
Total	1132	1988	4668	3758	11546

* Offices opened after seeking approval of the Authority.

Note : 1) Data collected from life insurers through a special return.

2) Based on the HRA classification of places, Ministry of Finance.

Metro : Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad and Bengaluru.

Urban : A, B-1 and B-2 class cities of the HRA classification.

Semi-urban : C class cities of the HRA classification.

Others : Places not listed in the HRA classification.

CHART I.8





CHART I.9



I.3.31 From Table No. I.15, it is observed that majority of offices of life insurers are located either in semi-urban areas or in small towns which are not listed in HRA classifications of the Ministry of Finance. Around 70 per cent of life insurance offices are located in these small towns. This pattern of distribution of offices is consistent across both private sector and public sector life insurers. (Statement No. 30).

NON-LIFE INSURANCE

I.3.32 As on 31st March, 2011, 24 general insurance companies had been granted registration for carrying on non-life insurance business in the country. Of these, six are in public sector and the rest are in private sector. Of the private sector insurers, 3 have been granted registration to carry on operations in the health segment. Among the public sector companies, while the four public sector insurance companies carry on multiline operations, there are two specialised insurance companies: one for credit insurance (ECGC) and the other for crop insurance (AIC). Out of the 18 private sector companies, L&T General has been granted licence during 2010-11.

Premium


I.3.33 The non-life insurance industry underwrote total premium of ₹42,576 crore in 2010-11 as against ₹34,620 crore in 2009-10, registering an impressive growth of 22.98 per cent as against an increase of 14.06 per cent recorded in the previous year. The public sector insurers exhibited impressive growth in 2010-11 at 21.84 per cent; over the previous year's growth rate of 14.49 per cent. The private general insurers registered growth of 24.67 per cent, which is much higher than 13.44 per cent achieved during the previous year.

TABLE I.16
GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA OF
NON-LIFE INSURERS

(₹ crore)		
Insurer	2009-10	2010-11
Public	20643.45 (14.49)	25151.83 (21.84)
Private	13977.00 (13.44)	17424.63 (24.67)
Total	34620.45 (14.06)	42576.45 (22.98)

Note: Figure in brackets indicates growth in per cent.

CHART I.10



ANNUAL REPORT 2010-11

I.3.34 The premium underwritten by 15 private sector insurers (other than the insurers carrying on exclusively health insurance business) in 2010-11 was ₹17,425 crore as against ₹13,977 crore in 2009-10. ICICI Lombard continued to be the largest private sector non-life insurance company, with market share of 9.99 per cent. It reported a marginal increase in market share up from 9.52 per cent in 2009-10. Bajaj Allianz, the second largest private sector non-life insurance company, which underwrote a total premium of ₹2,870 crore, saw decline in market share from 7.17 per cent in 2009-10 to 6.74 per cent during the year under review. Of the 15 private insurers, 12 reported an increase in premium underwritten and one insurer namely, Reliance General witnessed a significant decline in premium underwritten (reported a negative growth of 16.38 per cent). The other two insurers had commenced their operations in 2010-11.

I.3.35 In case of public sector non-life insurers, all four companies expanded their business with an increase in respective premium collections. The market share of these companies, other than for National, however, declined from their previous year respective levels. National underwrote a premium of ₹6,221 crore in 2010-11 as against ₹4,625 crore in the previous year, which helped to improve its market share to 14.61 per cent in 2010-11 (13.36 per cent in the previous year). It reported growth of 34.50 per cent, which is higher than the industry average for 2010-11. New India, with insurance premium of ₹7,097 crore, remains the largest general insurance company in India with market share of 16.67 per cent.

TABLE I.17
COMPANY WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA : NON-LIFE INSURERS

INSURER	Total Premium (₹ crore)		Market Share (In per cent)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
National	4625.18	6220.70	13.36	14.61
New India	6042.51	7097.14	17.45	16.67
Oriental	4736.71	5457.33	13.68	12.82
United	5239.05	6376.66	15.13	14.98
Public-Total	20643.45	25151.83	59.63	59.07
Royal Sundaram	913.11	1144.00	2.64	2.69
Reliance	1979.65	1655.43	5.72	3.89
IFFCO Tokio	1457.84	1783.18	4.21	4.19
TATA AIG	853.80	1173.09	2.47	2.76
ICICI Lombard	3295.06	4251.87	9.52	9.99
Bajaj Allianz	2482.33	2869.96	7.17	6.74
Cholamandalam	784.85	968.00	2.27	2.27
HDFC Ergo	915.40	1279.91	2.64	3.01
Future Generali	376.61	600.16	1.09	1.41
Universal Sompo	189.28	299.10	0.55	0.70
Shriram	416.93	780.89	1.20	1.83
Bharti AXA	310.82	553.90	0.90	1.30
Raheja QBE	1.32	4.90	0.00	0.01
SBI General	-	43.02	-	0.10
L&T General	-	17.24	-	0.04
Private-Total	13977.00	17424.63	40.37	40.93
Grand Total	34620.45	42576.45	100.00	100.00

Note: – indicates not in operation

Segment wise premium


I.3.36 The Motor business continued to be the largest non-life insurance segment with a share of 42.70 per cent (43.46 per cent in 2009-10). It reported growth rate of 20.82 per cent (12.83 per cent in 2009-10). The premium collection in Health segment continued to surge ahead at ₹9,944 crore in 2010-11 from ₹7,311 crore of 2009-10, registering growth of 36.01 per cent. This resulted in increase in share of health segment to the total premium to 23.35 per cent in 2010-11 (21.12 per cent in 2009-10). The growth in the Health segment far out-paced the growth rate achieved by the non-life industry as a whole. The premium collection from Fire and Marine segments increased by 17.72 per cent and 16.20 per cent respectively in 2010-11 after remaining stagnant in 2009-10.

TABLE I.18
PREMIUM (WITHIN INDIA) UNDERWRITTEN BY
NON-LIFE INSURERS - SEGMENT WISE
(₹ crore)

Department	2009-10	2010-11
Fire	3869.27 (11.18)	4555.12 (10.70)
Marine	2167.59 (6.26)	2518.77 (5.92)
Motor	15047.00 (43.46)	18180.52 (42.70)
Health	7311.37 (21.12)	9944.03 (23.35)
Others	6225.22 (17.98)	7378.01 (17.33)
Total Premium	34620.45 (100.00)	42576.45 (100.00)

Note : Figure in brackets indicates share of respective segments in total premium (in per cent).

CHART I.11



Premium Underwritten Outside India

I.3.37 All public sector insurers (except United India) are underwriting non-life insurance business outside India. United India ceased its operations outside India in 2003-04. The total premium underwritten outside the country by the three public sector insurers stood at ₹1,265 crore in 2010-11 as against ₹1,195 crore in 2009-10 registering growth of 5.86 per cent (11.04 per cent in the previous year). The premium underwritten outside India accounted for 2.89 per cent of total premium underwritten.

TABLE I.19
RATIO OF OUTSIDE INDIA PREMIUM TO TOTAL
PREMIUM
(In per cent)

Insurer	2009-10	2010-11
National	0.45	0.39
New India	14.88	13.71
Oriental	2.43	2.02
United*	-	-

* Ceased operations in 2003-04.

I.3.38 New India continued to be the largest public sector general insurer underwriting premium outside India, with the premium underwritten outside India constituting 13.71 per cent of the total premium underwritten by the insurer in 2010-11. In case of Oriental, the contribution of outside India premium to the total premium works out to 2.02 per cent in 2010-11, marginally lower than 2.43 per cent in 2009-10. National Insurance continued to have a small component of overseas business at 0.39 per cent in 2010-11, slightly lower than 0.45 per cent in 2009-10.

TABLE I.20
GROSS DIRECT PREMIUM FROM BUSINESS
OUTSIDE INDIA :
NON-LIFE INSURERS

(₹ crore)		
Insurer	2009-10	2010-11
National	20.81 (30.49)	24.47 (17.56)
New India	1056.63 (11.58)	1128.37 (6.79)
Oriental	117.97 (3.81)	112.55 (-4.60)
Total	1195.41 (11.04)	1265.39 (5.85)

Note: Figure in brackets indicates growth over the previous year.
United India ceased its overseas operation in 2003-04.

I.3.39 Of the total premium of ₹1,265 crore written outside India in 2010-11, New India underwrote a higher premium of ₹1,128 crore (₹1,056 crore in 2009-10), its market share in the total outside India premium of public general insurers increased to 89.17 per cent from 88.39 per cent in 2009-10. National underwrote a premium of ₹24.47 crore (₹20.81 crore in 2009-10). The outside India premium underwritten by Oriental Insurance stood at ₹113 crore which is lower than previous year's ₹118 crore, recording a 4.60 per cent decline.

Number of Policies Issued

I.3.40 The non-life insurers underwrote 793.41 lakh policies in 2010-11 as against 674.88 lakh in 2009-10, reporting an increase of 17.56 per cent over 2009-10. Public sector insurers witnessed major turnaround in the number of policies issued. They reported 16.52 per cent increase in number of policies issued during 2010-11 compared to 2009-10 (negative growth at -3.84 per cent). Similarly, private sector insurers reported growth in number of policies issued at 19.44 per cent (9.86 per cent in 2009-10).

TABLE I.21
NUMBER OF NEW POLICIES ISSUED :
NON-LIFE INSURERS

(In Lakhs)		
Insurer	2009-10	2010-11
Public Sector	434.04 (-3.84)	505.76 (16.52)
Private Sector	240.84 (9.86)	287.652 (19.44)
Total	674.88 (0.64)	793.41 (17.56)

Note: Figure in brackets indicates the growth (in per cent) over previous year.

Paid-up Capital

I.3.41 The total paid-up capital of non-life insurers as on 31st March, 2010 was ₹5,684 crore. During 2010-11, the non-life insurers added ₹1,021 crore (all in the private sector) to their equity capital base. With this, the total paid up capital of the non-life insurance sector has gone upto ₹6,706 crore as on 31st March, 2011. The paid-up capital of the public sector companies remained unchanged at ₹550 crore in 2010-11. (Statement No. 52)

TABLE I.22
PAID UP CAPITAL : NON-LIFE INSURERS AND
REINSURER*
(As on 31st March)

(₹ crore)		
Insurer	2010	2011
Multi-line Insurers		
Public Sector	550	550
Private Sector	3160	3956
Specialised Insurers		
ECCG	900	900
AIC	200	200
Health Insurers		
Star Health	164	203
Apollo Munich	129	196
Max Bupa	151	271
Reinsurer		
GIC	430	430
Total	5684	6706

Note: * Including specialised Institutions.
Excludes premium on issue of equity share capital (Statement No. 52).

Underwriting Experience

I.3.42 The underwriting losses of the non-life insurance companies increased to ₹9,969 crore in 2010-11, up from ₹5,944 crore in the previous year. There was a significant jump in underwriting losses at 67.72 per cent (2009-10: 11.64 per cent). Increase in underwriting losses was observed across the board for both public and private sector non-life insurers, impacted by the provisioning requirements in the Motor Third Party Liability segment.

TABLE I.23
UNDERWRITING LOSSES : NON-LIFE INSURERS
(₹ crore)

	2009-10	2010-11
Public Sector	4541.18 (7.43)	7549.50 (66.24)
Private Sector	1402.48 (27.86))	2419.45 (72.51)
Total	5943.66 (11.64)	9968.95 (67.72)

Note: Figure in brackets indicates growth over the previous year in per cent.

TABLE I.24
COMMISSION EXPENSES : NON-LIFE INSURERS

(₹ crore)

Segment	Private Sector		Public Sector		Total	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
Fire	60.79	74.86	239.86	267.79	300.65	342.65
Marine	40.51	52.88	123.26	141.57	163.77	194.45
Motor	288.14	307.32	553.64	576.03	841.77	883.35
Health	140.58	189.58	486.17	525.18	626.75	714.76
Others	146.88	169.56	422.87	432.77	569.76	602.33
Total	676.90	794.21	1825.81	1943.34	2502.71	2737.55

Expenses of Non-Life Insurers

I.3.43 The commission expenses of public and private non-life insurers stood at ₹1,943 crore and ₹794 crore respectively for 2010-11, cumulatively amounting to a total commission expense of ₹2,736 crore for the non-life industry. The commission expenses continued to be the highest in the Motor segment, which stood ₹883 crore, comprising of ₹576 crore for the public sector and ₹307 crore for the private sector companies.

I.3.44 Commission expenses and operating expenses constitute a major part of the total expenses. The operating expenses of non-life insurance companies stood at ₹10,620 crore in 2010-11 as against ₹8,392 crore in 2009-10, registering overall growth of 26.55 per cent. The growth in the operating expenses was observed equally in case of both public insurers (27.10 per cent) and private insurers (25.63 per cent).

TABLE I.25
OPERATING EXPENSES : NON-LIFE INSURERS
(₹ crore)

Insurer	2009-10	2010-11
Public Sector	5262.59	6688.60
Private Sector	3129.61	3931.88
Total	8392.20	10620.48

Note: Public sector does not include ECGC, AIC and GIC.

I.3.45 As per section 40C of the Insurance Act, 1938 no insurer can spend as expenses of management, in any year, an amount in excess of the limits prescribed under Rule 17E of the Insurance Rules, 1939. Rule 17E takes into consideration the size and age of the insurer while stipulating the limits of these expenses. The Authority, based on the recommendation of the General Insurance Council constituted under Section 64F, may enhance the limits in any year.

I.3.46 The Authority has granted exemption on the limits under Rule 17E to 15 private insurers in the first five years of commencement of their business operations.

I.3.47 Out of the 24 non-life insurance companies (including the four public sector undertakings, the three standalone health insurers and the two specialised institutions) in the year 2010-11, ten companies are in the exemption period. Of the balance, five are compliant with the limits under Rule 17E.

Insurer	2009-10	2010-11
Public Sector	14967.23 (9.75)	19599.14 (30.95)
Private Sector	7307.25 (20.20)	9937.31 (35.99)
Total	22274.48 (12.97)	29536.45 (32.60)

Note: Figure in brackets indicates the growth rate (in per cent) of the respective sector

Incurred Claims Ratio

I.3.48 The net incurred claims of the non-life insurers stood at ₹29,536 crore in 2010-11 as against ₹22,274 crore in 2009-10. The incurred claims exhibited

an increase of 32.60 per cent during 2010-11. While the public sector insurers reported growth at 30.95 per cent in the incurred claims, the same was higher for private insurers at 35.99 per cent. However, overall the growth in incurred claims during 2010-11 at 32.60 per cent was significantly higher than 12.97 per cent recorded during the previous year.

I.3.49 The incurred claims ratio (net incurred claims to net premium) of the non-life insurance industry was 93.37 per cent during 2010-11, which is more than the previous year's figure of 85.50 per cent. Between private and public sector insurers, the public sector insurers have a comparatively higher incurred claims ratio at 97.03 per cent (88.27 per cent in 2009-10). The same for private sector insurers was 86.90 per cent (80.30 per cent in 2009-10).

I.3.50 Among the various segments, Motor insurance and Health insurance had high claims ratio at 102.69 per cent and 100.08 per cent respectively. In comparison to the previous year, the incurred claims ratio in all segments except in health insurance, has increased. There was a substantial reduction in the incurred claims ratio in the health segment from 111.13 per cent in 2009-10 to 100.08 per cent in 2010-11.

Segment	Public Sector		Private Sector		Total	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
Fire	81.10	87.86	72.79	75.16	79.91	86.07
Marine	75.50	92.89	86.40	82.12	78.08	90.18
Motor	87.84	111.10	80.42	93.70	84.51	102.69
Health	119.85	106.31	92.22	85.15	111.13	100.08
Others	56.59	58.11	56.81	49.76	56.64	56.13
Total	88.27	97.03	80.79	86.90	85.50	93.37

CLAIMS SETTLEMENT IN NON-LIFE INSURANCE SECTOR

The business of insurance is all about settling claims. Underwriting and claims settlement are the two most important aspect of the functioning of an insurance company. Out of any insurance contract, the customer has the following expectations:

- Adequate insurance coverage, which does not leave him high and dry in time of need, with right pricing.
- Timely delivery of defect free policy documents with relevant endorsements/warranties/conditions/guidelines.
- Should a claim happen, quick settlement to his satisfaction.

Around 15 per cent of policies in non-life insurance segment result in claim. The claim settlement in non-life insurance, thus, has its own peculiarities and therefore need proper handling.

The claims settlement record of an insurer is therefore the touchstone of its performance. In order to ensure that the insurer is in the position to promptly settle all its claims, it needs to do a careful evaluation of the risks that would arise out of the underwritten contracts and price their premiums accordingly. Underwriting expertise is often what differentiates one insurer from another and if an insurer fails to anticipate claims correctly it runs the risk of erosion of capital and of solvency/liquidity issues. On the servicing/market conduct front, insurers need to develop a robust claims processing mechanism which is speedy and policyholder-friendly. Excessive time-lags in settlement of claims or higher percentage of repudiations do not speak well of insurers' approach to its business and to its policyholders.

The statutory and regulatory provisions dealing with claims settlement are given below:

1. Section 14 of Insurance Act, 1938 stipulates that every insurer shall maintain a register or record of claims, in which shall be entered every claim made together with the date of the claim, the name and address of the claimant and the date on which the claim was discharged, or, in the case of a claim which is rejected, the date of rejection and the grounds there for.
2. Section 64UM of the Insurance Act, 1938 stipulates that no claim in respect of a loss equal to or exceeding twenty thousand rupees on any insurance policy can be settled by the insurer unless he has obtained a report, on the loss that has occurred, from a person who holds a surveyor or loss assessor license.
3. Regulation 8 of the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002 lays down the guidelines on claims procedure in respect of a non-life insurance policy as follows:
 - An insured or the claimant shall give notice to the insurer of any loss arising under contract of insurance at the earliest. On receipt of such a communication, a general insurer shall respond immediately and give clear indication to the insured on the procedures that he should follow. In cases where a surveyor has to be appointed for assessing a loss/ claim, it shall be so done within 72 hours of the receipt of intimation from the insured.
 - Where the insured is unable to furnish all particulars required by the surveyor or where the surveyor does not receive the full cooperation of the insured, the insurer or the surveyor as the case may be, shall inform in writing the insured about the delay that may result in the assessment of the claim. The surveyor shall communicate his findings to the insurer within 30 days of his appointment with a copy of the report being furnished to the insured, if he so desires. In special circumstances of the case, either due to its special or complicated nature, the surveyor shall under intimation to the insured, seek an extension from the insurer for submission of his report. In no case shall a surveyor take more than six months from the date of his appointment to furnish his report.
 - If an insurer, on receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on certain specific issues as may be required by the insurer. Such a request may be made by the insurer within 15 days of the receipt of the original survey report. Provided that the facility of calling for an additional report by the insurer shall not be resorted to more than once in the case of a claim.
 - The surveyor on receipt of this communication shall furnish an additional report within three weeks of the date of receipt of communication from the insurer.
 - On receipt of the survey report or the additional survey report, an insurer shall within a period of 30 days offer a settlement of the claim to the insured. If the insurer, for any reasons to be recorded in writing and communicated to the insured, decides to reject a claim under the policy, it shall do so within a period of 30 days from the receipt of the survey report or the additional survey report, as the case may be.
 - Upon acceptance of an offer of settlement as stated in sub-regulation (5) by the insured, the payment of the amount due shall be made within 7 days from the date of acceptance of the offer by the insured. In cases of delay in the payment, the insurer shall be liable to pay interest at a rate which is 2 per cent above the bank rate prevalent at the beginning of the financial year in which the claim is reviewed by it.

ANNUAL REPORT 2010-11

4. Redressal of Public Grievances Rules, 1998 provide for appointment of Insurance Ombudsman for redressal of policyholders' grievances. The powers of Ombudsman as laid out in proviso 12 of the Rules include receiving and considering any partial or total repudiation of claims by an insurer and delay in settlement of claims.

The Authority also conducts periodic on-site inspection of insurers during which the insurer's compliance with the cited provisions is verified. Insurers found violating the law/regulations are liable for regulatory action.

In addition, Authority has installed an elaborate grievance redressal mechanism, Integrated Grievance Management System (IGMS), which enables consolidated access to grievances lodged with insurers and on the website of IRDA. All grievances including those which are claims-related are captured by IGMS and are tracked by the Authority for manner of disposal and time-lags.

Insurers too have internal claims review mechanisms/processes by which they try to ensure that claims are settled promptly and no claim is repudiated on flimsy grounds or without adequate documentary evidence.

NON-LIFE INSURANCE CLAIMS SETTLEMENT – FACTS AND FIGURES

Year	Outstanding as on 1 st April, 2010	No. of claims reported during 2010-11	Total claims processed during 2010-11	No. of claims settled during 2010-11	% of settlement - claims settled/ total claims processed	No. of claims repudiated	% of repudiation -repudiated/ total claims processed
2010-11	3331724	26598505	29930229	25535978	85.3	779645	2.6

Based on the analysis of the data, the Authority has observed the following pattern in the claim settlement processes:

- The broad reasons for repudiation of claims by the general insurers are as under:

Broad Classification

a) Policy Terms & Conditions

- Due to delay in intimation of claim
- Due to delay in submission of claim documents by insured
- Claim was repudiated due to breach of warranty
- Fraud, Misrepresentation, non-disclosure
- Non-compliance with specific claim documentation
- Non-cooperation of the claimant
- Alteration in the risk not informed to the insurance company
- Repudiation of motor insurance claim due to non-communication of change in ownership to the insurer
- Non protection of subrogation rights/recovery rights
- Others

b) Proposal/Underwriting related

- Claim repudiated due to premium dispute
- No coverage of perils
- Due to exclusions in the policy
- Lack of insurable interest
- Others

c) Product related

- Exclusion of health insurance claims due to prescribed waiting period
- Claim was repudiated due to pre-existing exclusion clause
- Falling under deductible
- Others

d) Others

- From the total number of claims processed during the year by the non-life insurers, the percentage of claims repudiated at the industry level is only 2.6 per cent.
- As against this, the industry settled 85.3 per cent claims of the total claims lodged and the balance 12.1 per cent were outstanding at the end of the year.
- Overall, the number of repudiated claims has been increasing. The rise is due to the fact that the sector is expanding rapidly and business volumes are increasing. The number of policies issued by non-life insurance companies is increasing year on year. The same stood at 7.93 crore in the year 2010-11 (4.67 crore in the year 2006-07, at the time of de-tariffing). Accordingly, the number of claim intimations would also be more and therefore an increase in claim repudiations in numerical terms.

Investment Income : Non-Life Insurers

I.3.51 The investment income of all non-life insurers during 2010-11 was ₹9,382 crore (₹7,682 crore in 2009-10) registering a growth of 22.13 per cent. During the year under review, the investment income of both private and public sector insurers reflected an upward movement at 15.39 per cent and 23.55 per cent, respectively.

TABLE I.28
INVESTMENT INCOME
(₹ crore)

Insurer	2009-10	2010-11
Public sector	6347.27 (32.24)	7842.20 (23.55)
Private sector	1334.29 (22.28)	1539.63 (15.39)
Total	7681.56 (30.39)	9381.83 (22.13)

Note: Figure in brackets indicates the growth rate (in per cent) of the respective Sector.

Net Profits of Non-life Insurers

I.3.52 During 2010-11, the net loss of non-life insurance sector was ₹1,019 crore. The public sector companies reported a net loss of ₹162 crore, as against private sector companies which collectively reported a net loss of ₹857 crore.

I.3.53 Among the public sector companies, except New India, all other companies reported net profits during 2010-11. United India made a net profit of ₹131 crore during 2010-11 (₹708 crore in 2009-10), the largest among the public sector companies. The other public sector companies which reported net profits were National and Oriental at ₹75 crore and ₹55 crore, respectively. New India incurred a net loss of ₹422 crore. (Statement No. 55)

I.3.54 Among the fifteen private insurance companies, while two companies reported profits, the remaining thirteen incurred net losses during 2010-11. The net profit of Bajaj Allianz was ₹43 crore in 2010-11 (as against ₹121 crore in 2009-10). Shriram reported net profit of ₹13 crore (₹16 crore in 2009-10). The thirteen insurers which reported net losses were Reliance, HDFC Ergo, Future Generali, Universal Sompo, Bharti AXA, Raheja QBE, ICICI Lombard, Royal Sundaram, TATA AIG, IFFCO Tokio, Cholamandalam, SBI General and L&T General. (Statement No. 58)

TABLE I.29
NET PROFITS/LOSSES OF NON-LIFE INSURERS
(₹ crore)

Insurer	2009-10	2010-11
Public Sector	1293.07	-161.51
Private Sector	-88.56	-857.43
Total	1204.51	-1018.94

Returns to Shareholders

I.3.55 Of the four public sector non-life insurance companies, only United India paid dividend of ₹30 crore in 2010-11 as against ₹142 crore in 2009-10, to the exchequer. Among the private sector players, only ICICI Lombard paid a dividend of ₹56.59 crore during the year 2010-11 (₹64.52 crore in 2009-10).

I.3.56 Agriculture Insurance Company declared ₹20 crore as dividends in 2010-11. ECGC paid ₹26.10 crore as dividends, which is substantially higher than ₹10.75 crore in the previous year. The dividend paid by GIC decreased from ₹353 crore in 2009-10 to ₹206 crore in 2010-11.

TABLE I.30
DIVIDENDS PAID : NON-LIFE INSURERS
(₹ crore)

Insurer	2009-10	2010-11
Non -Life		
Public sector	270.98	30.00
Private Sector	71.93	56.59
Specialised Institution		
ECGC	10.75	26.10
AIC	0	20.00
Reinsurer		
GIC	352.60	206.40
Total	706.26	339.09

Number of offices


I.3.57 As on 31st March, 2011 the non-life insurance companies were operating from 6,660 offices all over the country, of which the public sector and private sector companies had 4,911 and 1,749 branches respectively. (Statement No. 72)

TABLE I.31
NUMBER OF NON-LIFE INSURANCE OFFICES
(AS ON 31st MARCH)

Insurer	2009-10	2010-11
Public Sector*	4771	4911
Private Sector	1646	1749
Total	6417	6660

* includes specialised insurers AIC and ECGC.

CHART I.12



* includes specialised insurers AIC and ECGC.

SPECIALISED INSTITUTIONS:

Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

I.3.58 Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) is a specialised insurer underwriting business in export credit insurance. The company underwrote gross direct premium of ₹885 crore in 2010-11, reporting a growth of 8.91 per cent as against ₹813 crore in 2009-10. On net basis, the insurer earned net premiums to the tune of ₹675 crore as against ₹576 crore in the previous year. The insurer reported underwriting loss of ₹225 crore in 2010-11 (loss of ₹171 crore in 2009-10). The net profit of the company increased to ₹85.66 crore from ₹53.73 crore in the previous year. The insurer reported incurred claims ratio of 112.24 in 2010-11 (117.22 in 2009-10).

I.3.59 The Corporation had 13,093 short term export credit insurance policies in force in 2010-11 (13,429 in 2009-10) including transfer guarantees. Premium income earned on short term policies during the year was ₹333 crore (₹289 crore in 2009-10) reporting growth of 14.91 per cent during the year under review as against a robust growth of 37.5 per cent in the previous year. The premium income from the medium and long term business during 2010-11 was ₹41.23 crore as against ₹36.90 crore in 2009-10 reporting a growth of 11.73 per cent.

I.3.60 Consequent upon the Corporation coming under the regulatory regime of the Authority, a conscious effort is being made to gradually shift from bank deposits to investment opportunities in conformity with the relevant regulatory provisions. The growth in investments for the year 2010-11 was 21 per cent at ₹3,164 crore as against ₹2,620 crore in 2009-10 and the total assets of the company expanded by 5 per cent to ₹2,062 crore in 2010-11 from ₹1,959 crore in 2009-10.

Agricultural Insurance Company of India Ltd.

I.3.61 Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) is a specialised insurer underwriting business in agriculture insurance. The company underwrote gross direct premium of ₹1,950 crore in 2010-11, reporting growth of 28.26 per cent as against ₹1,520 crore in 2009-10. On net basis, the insurer earned net premiums to the tune of ₹1,275 crore as against ₹1,023 crore in the previous year. The insurer reported underwriting profit of ₹412 crore (loss of ₹143 crore in 2009-10). The net profit of the company increased to ₹380 crore from ₹33.40 crore in the previous year. The company's incurred claims ratio for the year 2010-11 was 74.47 (116.30 in 2009-10).

HEALTH INSURANCE COMPANIES

I.3.62 IRDA has so far granted licences to three insurance companies to operate exclusively in the Health insurance segment. The performance of these companies is given below.

Star Health and Allied Insurance

I.3.63 Star Health was the first company granted registration to exclusively underwrite business in Health, Personal Accident and Travel insurance segments in 2006-07. In its fifth year of operations, the insurer underwrote gross direct premium of ₹1,228 crore in 2010-11, reporting growth of 27.65 per cent as against ₹962 crore in 2009-10. On net basis, the insurer earned net premium to the tune of ₹831 crore as against ₹610 crore in the previous year. The insurer reported underwriting loss of ₹8.68 crore for 2010-11 (loss of ₹1.74 crore in 2009-10). For the financial year 2010-11, the insurer has reported a net profit of ₹7.39 crore as against of ₹5.26 crore in previous year. The company's incurred claims ratio for the year 2010-11 was 91.19 (87.11 in 2009-10).

Apollo Munich Health Insurance

I.3.64 Apollo Munich was the second company to receive registration to underwrite insurance business exclusively

in the Health, Personal Accident and Travel insurance segments. In its fourth year of operations, the company underwrote gross direct premium of ₹283 crore in 2010-11 as against ₹115 crore in 2009-10, i.e., growth of 146.54 per cent. The net earned premium underwritten by the company stood at ₹148.74 crore in 2010-11 as against ₹69.96 crore in 2009-10. The insurer reported underwriting loss of ₹94.42 crore (loss of ₹98.65 crore in 2009-10), and incurred net loss of ₹79.44 crore in 2010-11 (net loss of ₹89.70 crore in 2009-10). The insurer's incurred claims ratio was 61.96 per cent in 2010-11 (85.39 per cent in 2009-10).

Max Bupa Health Insurance

I.3.65 Max Bupa is the third specialised Health Insurer and was issued certificate of registration in the year 2009-10. The company underwrote gross direct premium of ₹25 crore in 2010-11 against ₹0.13 crore in the previous year, as it started operations in the month of March 2010. The net earned premium underwritten by the company stood at ₹8.07 crore in 2010-11. The company reported underwriting loss of ₹124 crore for 2010-11. The insurer has reported a net loss of ₹116.25 crore for 2010-11 as against of ₹36.60 crore in the previous year. Its incurred claims ratio for the year 2010-11 was 50.31 per cent.

BOX ITEM 3

PORTABILITY OF HEALTH INSURANCE PRODUCTS

During 2008-09, the Authority established a Data Repository so that insurers could be equipped with authentic, robust granular data on health insurance. As an obvious step forward, IRDA and the industry deliberated on the issue of health insurance portability. Subsequently, General Insurance Council (GIC) developed a health insurance policy that could be a standard across all insurers and to some extent would give policyholders the freedom to change insurance providers while retaining the bonuses gained.

While examining the standard product recommended by GIC, the Authority realised that the limitations in terms of age, sum insured could make the proposed standard product obsolete soon. For example, the maximum sum insured offered was only ₹2 lakh, which could be meaningless in five years due to medical inflation. This standard product was highlighted across the media and the issues were also raised in the Parliament through numerous Parliamentary Queries (PQs); and the Authority assured the Parliament that the concerns will be adequately addressed.

Apart from the above, as a result of the adverse claim ratio experienced by all insurers, and as a ripple effect the upward revision of premium by public sector insurers; the policyholder witnessed a steep hike in premiums across all health insurance policies. This led to the upsurge of complaints from policyholders on non-cognizance of the credit gained by an insured especially in terms of waiting period for pre-existing diseases, coverage etc., in a health insurance policy whenever they opt for a change in insurance company. After due consideration and interaction across the industry, the Authority has concluded that persons who are insured should get credits for the covered term across the industry and this should not be limited only to the specific insurance company.

Benefits to the policyholder:

With the introduction of health insurance portability, the policyholder will be the decision maker and the centre of attention in the health insurance ecosystem. Now the insured has the option to switch over from one insurance company to another,

instead of having to discard the insurance mechanism for health care. The option will allow employees changing jobs to carry forward their insurance cover and, maybe, even a conversion to an individual plan. As for insurers, this move will fuel competition among them and they will need to improve their offerings, pricing and service standards if they wish to match the consumer's expectations and retain the policyholders. One important implication envisaged through this initiative is to compel insurance industry to act towards standardisation of costs incurred on treatments; as now, neither the insurers nor the hospitals can avoid the accountability and transparency about costs. IRDA has issued two circulars on the subject of Portability of Health insurance:

1. Circular dated 10th February, 2011:

- Insurance companies have been advised by IRDA to permit the policyholders to carry forward the credit gained for pre-existing conditions in terms of waiting period when he or she switches from one insurer to another; or from one plan to another, provided the previous policy has been maintained without break.
- The entire database of the companies, including the claim details, in respect of policies where the policyholders have opted for portability will have to be shared with their counterparts, if requested by the counterpart within seven working days of such request. A time period of three days has been granted by the regulator to acknowledge portability applications.
- This reform is expected to bring about a positive change in the insurance industry as a whole. The industry players have welcomed this development. Health insurance portability will bring about a higher level of competition within the health insurers in order to retain the existing customers. This will ensure that there is constant innovation and improvement in the efficiency, standards and services.

2. Circular dated 9th September, 2011:

- It was felt necessary to put in place a system to enable collection of data on the history of health insurance and monitoring the transfer of records of the porting policyholder. In that context, it was decided that the implementation of portability of health insurance policies would be mandated to commence no later than 1st October, 2011.
- Detailed procedures on health insurance portability have been set out.
- Definition of Portability and break in policy:
 - **Portability:** Portability means the right accorded to an individual health insurance policyholder (including family cover) to transfer the credit gained by the insured for pre-existing conditions and time bound exclusions if the policyholder chooses to switch from one insurer to another insurer or from one plan to another plan of the same insurer, provided the previous policy has been maintained without any break.
 - **Break in policy:** A break in policy occurs when the premium due on a given policy is not paid on or before the premium renewal date or within 30 days thereof.
- Grace period henceforth increased to 30 days.
- Portal on Portability of health insurance.

General Insurance Corporation of India (GIC)

I.3.66 GIC is the sole national reinsurer, providing reinsurance to the direct general insurance companies in India. The Corporation's reinsurance programme has been designed to meet the objectives of optimizing the retention within the country, ensuring adequate coverage for exposure and developing adequate capacities within the domestic market. It is also the manager of the Third Party Motor Pool. GIC receives statutory cession on each and every policy issued by domestic insurers subject to certain limits and leads treaty and facultative programmes of these companies.

I.3.67 The total net premium written by GIC during 2010-11 increased by 19.78 per cent to ₹10,513 crore from ₹8,777 crore in 2009-10. The net earned premium of the reinsurer (the net premium after adjustments for Reserve for Unexpired Risks) during 2010-11 increased significantly (18.17 per cent) to ₹9,544 crore from ₹8,076 crore in 2009-10. The net incurred claims ratio of GIC was 90.38 per cent in 2010-11 at ₹8,626 crore as against ₹6,856 crore (84.89 per cent) in 2009-10. The company booked net profit (after tax) of ₹1,033 crore as against ₹1,775 crore, resulting in decline of 41.77 per cent over the previous year.

I.4 REVIEW

I.4.1 PROTECTION OF INTERESTS OF POLICYHOLDERS

I.4.1.1 Policyholder protection is deemed to be successful if certain basic parameters are achieved and the most important among them is transparency. A prospect should be provided with full, plain, adequate and comparable information about the rates, terms and conditions, risks involved, etc. There should be utmost transparency at the time of sale and promotion so that the policyholder is confident that he or she is being given complete information regarding the product. Provision of clear and complete information about products is not only a fundamental expectation but also a necessity, to ensure fair treatment to policyholders by insurance companies. The IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2002 define the obligations of insurers and intermediaries and lay down timeframes for compliance of various policyholder servicing parameters covering the life cycle of the insurance product, from sale to servicing including claims servicing. The regulations for the Intermediaries - Agents, Corporate Agents and Brokers, among other things, lay down the Code of Conduct including at the point of sale. The IRDA (Insurance Advertisement and Disclosure) Regulations, 2000 address advertising and disclosure requirements at the point of sale. The File and Use procedure of IRDA is also a drill from the point of view of product simplicity and its understanding, apart from other parameters.

I.4.1.2 One of the recent initiatives of IRDA, to ensure that clear information regarding products is given to the prospect/ policyholder in a way he/she can understand is the proposal for introduction of Key Features Document in a simple language. The test of a Key Features Document is whether or not the target customer understands the main features of the product and is able to take a decision as to whether the product is suitable for him/her. A Key Features Document would also ensure disclosure by insurers of other important information such as premium details, payment modes, various charges, risks involved, what happens in the event of discontinuance etc. IRDA is currently examining the feedback from various stakeholders on the exposure draft on guidelines in respect of Key Features Document.

I.4.1.3 Another important element of policyholder protection is that insurers and intermediaries shall be non-coercive while selling. Not only shall they be non-coercive but more importantly, they shall not mis-sell. The Policyholder Protection Regulations and Regulations for

various intermediaries, notified by IRDA are geared to address these issues. However, given the complexity of some of the products, IRDA felt the need for more specific solutions relating to mis-selling in the specific area of Unit Linked Insurance Products (ULIPs). In respect of ULIPs, IRDA has stipulated that insurers must provide the prospect/policyholder all relevant information about amounts deducted towards various charges for each policy year so that the prospect could take an informed decision. Further, insurers are required to provide Benefit Illustrations giving two scenarios of interest, 6 per cent and 10 per cent respectively. The prospect is also required to sign the illustration while signing the proposal.

I.4.1.4 More recently, IRDA has taken certain initiatives in the form of specific regulations/modifications to existing regulations. There are certain distribution related modifications with a view to ensuring that there is no scope for the involvement of unlicensed personnel/entities in the sale of insurance products. There is also no scope for payment of any remuneration other than commission where sale has been affected. This measure reduces the expenses of the insurer, thereby lowering the premiums to be paid by the policyholder. Further, IRDA has also addressed the issue of Referrals with the IRDA (Sharing of database for distribution of insurance products) Regulations, 2010 that leaves no scope for misuse of the system.

I.4.1.5 Needs Analysis is another initiative identified by IRDA as a step in curbing wrong advice and mis-selling. The idea is to require insurers to have Prospect Product Matrix that will match a product with the requirement, based on the Needs Analysis carried out. The feedback of the stakeholders on the initiative has been received and draft guidelines are under preparation. Guidelines relating to distance marketing have been issued by IRDA which address challenges relating to mis-selling using distance marketing mode, a fallout of the advancement in technology. While the benefits of having new and faster channels need to be reaped, the loopholes created by them need plugging and this is precisely what the guidelines are aimed at.

I.4.1.6 IRDA has issued guidelines to agents for persistency of life insurance policies to ensure that servicing of policies by agents is sustained and is with a long term of objective of servicing the policyholder and not driven by an objective of just pushing sales.

INTEGRATED GRIEVANCES MANAGEMENT SYSTEM (IGMS)

Under the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002, insurance companies have to put in place an effective and speedy grievance redress mechanisms for the policyholders. Further, the Guidelines for Grievance Redressal issued by IRDA, lay down specific Timeframes and Turnaround Times (TATs) for response, resolution etc. To enable effective monitoring as well as create a central repository of industry-wide insurance grievance data, IRDA has implemented the Integrated Grievance Management System (IGMS) with effect from 1st April, 2011. IGMS provides a gateway for policyholders to register complaints with insurance companies first; and if need be, to escalate them to the IRDA Grievance Cells. It uses web interface to ensure that it is accessible at all places and is on real time. It also has a mechanism to capture complaints received in voice (through the IRDA Grievance Call Centre-IGCC), physical as well as in email form.

The number of complaints registered through IGMS during the first quarter of 2011-12 is 73,419 out of which 68,994 have been attended to. Any complaint not addressed within 15 days by the insurance company gets escalated to IRDA for its attention.

At present, the grievance management systems of 25 insurance companies are seamlessly integrated with IGMS wherein transfer of grievance details takes place on real time. The rest of the insurers currently upload/download information on a batch mode on a daily basis and efforts to have seamless movement for these companies is under way. Not only has the implementation of IGMS and IGCC facilitated effective grievance redressal through web interface as well as conventional means, it has also facilitated documentation and monitoring of the redress systems of the insurance companies by IRDA.

IGMS provides for various reports and queries that help carry out root cause analysis to identify systemic and policy related issues for necessary action. For instance, an analysis brought out that one company had a large number of complaints relating to "non-receipt of policy document" whereas the company actually had a system of issuing the documents within the time-frame prescribed. It then came to light that in certain geographical regions, there was a logistic problem relating to delivery of insurance policies for which the insurer then found a solution. IGMS enables analysis across geographies, across segments of insurance, across complaint types and across not only companies but their various offices. Discernible patterns relating to complaints help the insurance company as well as the Regulator to drill down to details to examine the root cause and find solutions.

Consumer Education

I.4.1.7 Consumer education and consumer protection complement each other. Consumer education not only helps individuals understand the products and risks involved better, but is also a necessity for market efficiency, as it contributes to more transparent and competitive practices by the insurance service providers. It also produces better educated citizens who can monitor markets through their own decisions. IRDA continues its consumer awareness initiatives through various media-print, radio and television on various policyholder protection subjects such as rights and obligations of policyholders, information regarding grievance redress channels and also about developments on the regulatory front for protecting policyholders in the area of insurance product features, etc.

I.4.1.8 IRDA continues to encourage and support consumer bodies in conducting seminars on insurance, thereby not only educating the consumer but also providing a platform for the consumers to interact with their representative/s who participate in such seminars.

I.4.1.9 The IRDA itself conducts/participates and supports several national level seminars on different insurance topics/subjects as well as consumer related issues through which it reaches out to the public. The Annual Seminar on Policyholder Protection and Welfare was held on 3rd June, 2011 at New Delhi wherein the Integrated Grievance Management System (IGMS) was launched for the benefit of policyholders.

I.4.1.10 Further, IRDA has brought out Policyholder Education Handbooks on topics covering Motor insurance, Health insurance, Travel insurance, Property insurance, Life insurance and intermediaries to disseminate generic information to existing and prospective policyholders. IRDA has also released the first of a 3 volume comic series titled "Ranjan and his tryst with insurance" for the benefit of children. The IRDA believes that it is necessary to introduce children to financial literacy at an early age.

I.4.2 MAINTENANCE OF SOLVENCY MARGINS OF INSURERS

I.4.2.1 Every insurer is required to maintain a Required Solvency Margin (RSM) as per Section 64VA of the Insurance Act, 1938. Every insurer shall maintain an excess of the value of assets over the amount of liabilities of not less than an amount prescribed by the IRDA, which is referred to as a Required Solvency Margin. The IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 describe in detail the method of computation of the Required Solvency Margin.

I.4.2.2 In the case of life insurers, the Required Solvency Margin is the higher of an amount of fifty crore of rupees (one hundred crore of rupees in the case of reinsurer) or a sum which is based on a formula given in the Act and the regulations framed there under.

I.4.2.3 In the case of non-life insurers, the Required Solvency Margin shall be the maximum of the fifty crore of rupees (one hundred crore of rupees in the case of reinsurer); or higher of RSM-1 and RSM-2 computed as under:

1. RSM-1 means the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty per cent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM-1, premium of the last 12 months on rolling basis will be taken into account.
2. RSM-2 means the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty per cent of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a Factor and the Net Incurred claims.

I.4.2.4 The Authority had investigated Actuarial valuation of the Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP) under the Insurance Act, 1938 in order to assess the adequacy of the reserves, which are to be calculated as per the IRDA Regulations. The Authority based upon the report of Shri K P Sarma, the Consultant Actuary and after considering the submissions of General Insurance Council has passed Order No. IRDA/NL/ORD/MPL/046/03/2011 dated March 12, 2011 under Section 14 of IRDA Act read with Section 64VA of Insurance Act, 1938 on Motor Third Party Pool Reserves and Account Reserves. The order is applicable to all non-life insurers including GIC Re and it mandates the insurers to provide for the

Motor TP Pool liability at 153 per cent from 2007-08 onwards till 2010-11. The Authority has also relaxed the solvency requirement of 150 per cent and has mandated the insurers to maintain solvency ratio of not less than 137 per cent, 145 per cent, and 150 per cent for all lines of business not later than 31st March, 2012; 31st March, 2013 and 31st March, 2014 respectively.

I.4.2.5 Insurers have also been advised not to distribute bonus, performance incentives etc. by whatever name such payments are called to any key management personnel, the senior management, Appointed Actuaries, Whole time Directors of the Board or any of the CEO's without the prior specific approval of the Authority.

I.4.2.6 The Authority in order to promote Health insurance has provided a special dispensation to the extent that it will exercise forbearance for a period of six months (two quarters), in case, the solvency ratio falls below stipulated level of 1.50 provided that the fall in solvency should be only on account of "premium receivable" from Central/ State Government.

I.4.2.7 One of the important factors that influences insurance penetration is the capital requirement under the solvency margin. The pure term products provide simple life cover and it is believed that companies could design products, which could reach various segments of the population in meeting their insurance needs, thereby enhancing insurance penetration. In line with this objective, the Authority had decided to allow the life insurers to reduce the capital requirement in the case of pure term products without changing the factor loadings in the case of the remaining products. Suitable instructions modifying these requirements were issued by IRDA in 2008-09. It is expected that the lower level of solvency for pure term products would provide significant relief to the life insurers both under individual products and under group products. This will also help the insurers in launching more pure term products for sufficiently longer periods and at affordable rates.

Life Insurers

I.4.2.8 At the end of March 2011, all the twenty three life insurers complied with the stipulated requirement of solvency ratio of 1.5. Life Insurance Corporation of India reported a solvency ratio of 1.54, the same as at the end of March 2010. Though solvency ratio of 14 out of 22 private life insurers declined during the year under review, all life insurance companies are compliant with the mandated solvency requirements (Statement No. 19).

Non-life Insurers

I.4.2.9 By the end of March 2011, 20 non-life insurers (including the health insurers) had complied with the stipulated solvency ratio and 2 companies have not met the minimum requirement of solvency margin ratio. (Statement No. 53).

I.4.2.10 The specialised insurers, i.e. AIC and ECGC reported a solvency ratio at 3.71 and 9.05 as at 31st March, 2011 respectively as against 2.07 and 14.17 as at 31st March, 2010.

Reinsurer

I.4.2.11 The national reinsurer, General Insurance Corporation of India, reported a solvency ratio of 3.35 as on 31st March 2011 (3.71 on 31st March, 2010).

I.4.3 MONITORING OF REINSURANCE

I.4.3.1 The mandate to the Authority in respect of reinsurance lies in the provisions of section 14(1) and 14(2) sub section (f) of the IRDA Act, 1999 as well as sections 34F, 101A, 101B and 101C of the Insurance Act, 1938. In addition, the Authority has framed regulations pertaining to reinsurance by both life and non-life insurers which lay down the ground rules for placing reinsurance with the reinsurers. Under the provisions of the Insurance Act, 1938, the General Insurance Corporation of India has been designated as the "Indian reinsurer" which entitles it to receive obligatory cessions of 10 per cent from all the direct non-life insurers. The limits have been laid down in consultation with the Reinsurance Advisory Committee.

TABLE I.32
NET RETAINED PREMIUM ON INDIAN BUSINESS
AS PER CENT OF GROSS DIRECT PREMIUM (EXCLUDING GIC)

Class	2009-10			2010-11		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
Fire	70.35	30.81	56.84	58.39	29.47	47.84
Marine Cargo	82.73	48.38	69.69	75.24	50.39	65.26
Marine Others	12.93	9.00	12.18	12.93	9.00	12.18
Motor	93.35	86.04	89.82	88.18	88.26	88.22
Engineering	58.67	22.24	45.25	60.66	21.08	46.63
Aviation	11.95	18.87	14.6	32.49	14.12	23.04
Other Miscellaneous	88.16	72.08	79.97	87.85	69.44	78.12
TOTAL	82.75	71.39	77.49	79.14	71.62	75.40

(In per cent)

I.4.3.2 Every insurer needs a comprehensive and efficient reinsurance programme to enable it to operate within the constraints of its financial strength. This is important to maintain the solvency of the insurer and to ensure that the clauses on claims are honoured as and when they arise. Hence the Authority has stipulated that every insurer shall obtain the approval of its Board for its reinsurance programme. The regulatory framework also provides for filing of the reinsurance programme for the next financial year with the Authority at least 45 days before the commencement of the said year. The insurers are further required to file the treaty slips or cover notes relating to the reinsurance arrangements with the Authority within 30 days of the commencement of the financial year. These measures highlight the importance attached to the existence of adequate and efficient reinsurance arrangements for an insurance company. It would be recalled that the solvency position of an insurance company is assessed on a "net of re-insurance" basis.

I.4.3.3 The Regulations also require that every insurer should maintain the maximum possible retention commensurate with its financial strength and volume of business. The guiding principles in drawing up the reinsurance programme have been stated as under:

- Maximize retention within the country;
- Develop adequate capacity;
- Secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred; and
- Simplify the administration of business.

I.4.3.4 With particular reference to the General Insurance Corporation, the regulations require the Indian reinsurer to organize domestic pools for reinsurance surpluses in consultation with all insurers. It would be recalled that the non-life insurers had come together to form a pool for Terrorism risks when the international reinsurance markets withdrew cover after the September 11 terrorist strikes in New York City in the year 2001. In the year 2007, the non-life insurers formed another pool for all commercial vehicles' third party insurance.

TABLE I.33
REINSURANCE PLACED WITHIN INDIA AND OUTSIDE INDIA AS PER CENT OF
GROSS DIRECT PREMIUM IN INDIA

(In per cent)

Class	2009-10		2010-11	
	Placed in India	Placed outside India	Placed in India	Placed outside India
Fire	32.43	21.19	38.68	22.77
Marine Cargo	18.16	15.09	19.59	15.95
Marine Others	43.26	52.63	33.52	65.13
Motor	28.78	0.11	30.92	0.10
Aviation	42.17	53.17	33.12	62.62
Engineering	43.33	23.06	44.04	23.41
Other Miscellaneous	15.26	6.00	15.57	7.79
TOTAL	24.63	7.78	25.68	8.92

TABLE I.34
REINSURANCE CEDED OUTSIDE INDIA ON INDIAN BUSINESS

₹ crore)

Class	2009-10		2010-11	
	Premium ceded	Net profit ceded	Premium ceded	Net profit ceded
Fire	782.90	201.75	976.82	210.72
Marine Cargo	181.22	-35.09	218.17	25.39
Marine Others	427.41	268.92	579.35	-429.59
Motor	15.49	7.74	15.97	18.30
Aviation	207.89	84.84	263.37	-101.05
Engineering	364.26	130.27	403.87	121.71
Other Miscellaneous	850.30	40.10	1362.11	420.96
TOTAL	2829.47	698.53	3819.66	266.46

Re-insurance Advisory Committee

I.4.3.5 As per section 101A of the Insurance Act, 1938, every insurer shall reinsure with the Indian reinsurer such percentage of the sum insured on each general insurance policy as may be specified by the Authority, which are also known as 'obligatory cessions' or 'statutory cessions', with the previous approval of the Central Government, after consultation with the Reinsurance Advisory Committee.

I.4.3.6 For this purpose, the Authority may by notification a) specify the percentages of the sum insured on each policy to be reinsured with the Indian reinsurer and different percentages may be specified for different classes of insurance provided that no percentage so specified shall exceed 30 of the sum insured on such policy; and b) specify the proportion in which said percentage shall be allocated among the Indian reinsurer.

I.4.3.7 The Re-insurance Advisory Committee at its meeting held in February, 2007 recommended to the Authority that the obligatory cessions be reduced from

existing 20 to 15 per cent for the year 2007-08 and 10 per cent for the subsequent years from 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12. The Authority accepted the recommendation and issued gazette notification giving the revised obligatory cessions in consultation with Government of India. In the year 2010-11, IRDA introduced limits of cession in 'Sum Insured' for different classes under obligatory cession.

I.4.3.8 Towards 2007-08, the General Insurance Corporation of India, as the Indian re-insurer, represented to the Authority that the commission and profit commission terms applicable to statutory cessions were required to be reviewed in the light of the changed market situation following removal of tariff rates. At the same time, the insurers represented that the commission terms should remain unaltered, presumably based on the apprehension that any determination of different commission terms for statutory cessions under section 101A(4) of the Act at that stage may prejudice their position with regard to their reinsurance negotiations for the forthcoming year. The Authority after considering both the views decided that the terms for statutory

cessions for the year 2008-09 shall be mutually negotiated and agreed between each insurer and the Indian re-insurer. If the parties failed to reach any agreement after negotiation, the matter may be reported to the Authority. This position has since continued in the subsequent years, as also in 2010-11.

Obligatory cessions received by GIC

I.4.3.9 For the year 2011-12, the obligatory cessions were retained at 10 per cent as applicable for 2010-11. The limit of cession in respect of sum insured for various lines of business continued as prescribed for the year 2010-11. Similarly the commissions and profit commissions for 2011-12 were to be mutually agreed between each insurer and the Indian re-insurer.

I.4.4 INSURANCE POOLS

Terrorism Pool

I.4.4.1 During 2010-11, the total premium ceded to the pool was ₹389 crore and claims paid were ₹76.18 crore. In the previous year 2009-10, the Pool's premium was ₹306 crore with claims paid being ₹214 crore. The paid claim of ₹76.18 crore for 2010-11 includes partial payment of losses arising out of the 26th November, 2008 Mumbai terrorist attack. The total estimated loss to the Pool from this incident has reduced from ₹500 crore to ₹400 crore. The losses at Hotel Oberoi and Hotel Trident have now been settled fully. Only the loss at Hotel Taj is yet to be finalized, but substantial on-account payment has already been released. The Pool has not been affected by any major losses during the year.

TABLE I.35
SHARE OF MEMBER COMPANIES IN THE INDIAN TERRORISM POOL

Insurer	2010-11		2011-12	
	Per Risk Capacity (₹ crore)	Share (in per cent)	Per Risk Capacity (₹ crore)	Share (in per cent)
GIC	147.08	19.61	145.50	19.40
National	88.89	11.85	87.00	11.60
New India	147.08	19.61	145.50	19.40
Oriental	87.00	11.60	87.00	11.60
United India	96.45	12.86	96.45	12.86
Bajaj Allianz General	35.63	4.75	35.63	4.75
Cholamandalam MS	12.00	1.60	12.00	1.60
Future Generali	5.00	0.67	5.00	0.67
Government Insurance Fund, Gujarat	7.50	1.00	7.50	1.00
HDFC Ergo	3.38	0.45	3.38	0.45
ICICI Lombard	60.00	8.00	60.00	8.00
IFFCO Tokio	22.50	3.00	22.50	3.00
Reliance General	13.50	1.80	13.50	1.80
Royal Sundaram	6.00	0.80	6.00	0.80
TATA AIG General	12.08	1.61	12.08	1.61
Univeral Sampo	0.66	0.09	0.68	0.09
Shriram General	3.00	0.40	1.50	0.20
Bharti AXA General	1.50	0.20	5.78	0.77
Raheja QBE General	0.75	0.10	0.75	0.10
SBI General	-	-	1.50	0.20
L & T General	-	-	0.75	0.10
TOTAL	750.00	100.00	750.00	100.00

TABLE I.36
PREMIUM RATES FOR TERRORISM RISK INSURANCE
(w.e.f. April 1, 2010)

Total Sum Insured per location (MD+LOP)	Risk Category	Rate (per Mille)
Upto ₹750 crore	Industrial Risk	0.30
	Non-Industrial Risk	0.20
	Residential Risk	0.10
Over ₹750 crore and upto ₹2,000 crore	First ₹750 crore as per (1) above PLUS on balance Sum Insured as under :	
	Industrial Risk	0.25
Over ₹2,000 crore	Non-Industrial Risk	0.15
	First ₹2,000 crore as per (2) above PLUS on balance Sum Insured as under:	
	Industrial Risk	0.20
	Non-Industrial Risk	0.12

Note: MD – Maximum Damage; LOP- Loss of Profit.

Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP)

I.4.4.2 With effect from 1st January, 2007, tariffs were withdrawn from the non-life insurance market. However, keeping in mind the mandatory nature of the Third Party Motor Insurance, the Authority decided to regulate the premium rates in this segment with effect from 1st January, 2007 vide circular no.034/IRDA/De-tariff/Dec-06 dated 4th December, 2006 which was later modified vide circular dated 23rd January, 2007. Further, to redress grievances of non-availability of Motor Third Party Insurance, especially for commercial vehicles, the Authority in consultation with the Committee constituted under Section 110G of the Insurance Act, 1938 issued direction under Section 34 of the Insurance Act, 1938 vide circular no.035/Motor-TP/Dec-06 dated 4th December, 2006 and constituted the Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP).

I.4.4.3 The Pool came into operation from 1st April, 2007 exclusively for commercial vehicles. All insurers registered to carry on non-life insurance business including motor business are automatically required to participate in the pooling arrangement to provide cover at the rates notified by the Authority. Pooling of business under the mechanism is achieved through a multilateral reinsurance arrangement between the underwriting insurer and all other registered non-life insurers and reinsurer.

I.4.4.4 The pool completed four full years of operations in 2010-11. The IMTPIP pooled a total premium of ₹3,613 crore from 97.31 lakh policies issued during the period March, 2010 to February 2011. The incurred claims of the pool for the same period was ₹7,111 crore, resulting in an operating loss of ₹3,615 crore. As against this, the premium during March, 2009 – February, 2010 was ₹3,160 crore with incurred claims of ₹3,791 crore and net operating loss of ₹674 crore.

I.4.4.5 The Authority had investigated Actuarial valuation of the IMTPIP in order to assess adequacy of the reserves which are to be calculated as per the IRDA Regulations and in particular with reference to Circular No.11/IRDA/ACTL/IBNR/2005-06. The report established that the ultimate loss ratios were 172.30 per cent, 181.81 per cent and 194.15 per cent for the years 2007-08, 2008-09 and 2009-10 respectively. Against this estimate, the pool had maintained reserves at 126 per cent for all these years which was considered to be insufficient. Hence, the Authority under Section 14 of the IRDA Act, 1999 read with Section 64VA issued certain directions vide its Order no. IRDA/NL/ORD/MPL/046/03/2011 dated 12th March, 2011 requiring the non-life insurers as under:

- to maintain a solvency ratio of not less than 130 per cent for all lines of business as on 31st March, 2011, the IMTPIP losses being valued at an ultimate loss ratio of not less than 153 per cent for all the years the pool was underwriting. The ratio is required to be raised to 150 per cent in a phased manner by 2013-14;

ANNUAL REPORT 2010-11

- to maintain 150 per cent solvency ratio thereafter (i.e., from 31st March, 2014), at all times;
- not to declare dividends to the shareholders without the prior specific approval of the Authority for any year or part of the year wherein the solvency ratio is reported below 150 per cent;
- to submit a financial plan as approved by the Board of Directors as per section 64VA (2A) of Insurance Act, 1938, to the Authority within a period of two months, indicating a plan of action to correct the deficiency for the said 3 year period up to March 2014. In addition, an annual plan duly approved by the Board of Directors shall be submitted not later than 15th of February every financial year starting from 2011-12 and a half-yearly review of Annual Plan by the Board of Directors shall be submitted not later than 15th August of each of the three years starting from 15th August, 2011;
- to appoint full-time qualified and experienced Property and Casualty actuaries to strengthen the actuarial department as required. The insurers are permitted to utilize the services of actuaries qualified from Casualty Actuarial Society, USA and Institute of Actuaries, UK and Australia, if actuaries having necessary experience and qualification under Institute of Actuaries of India (IAI) are not available;
- not to disburse bonus, performance incentives etc., by whatever name such payments are called, to any key management personnel, the senior management, Appointed Actuaries, Whole time Directors of the Board or any of the CEOs without the prior specific approval of the Authority;
- to ensure that the pricing of products including discounts are in accordance with the underwriting principles and in conformity with the product as cleared by the Authority under File & Use Guidelines; and
- not to exceed the limits of expenses of management under Rule 17E of Insurance Rules, 1939 at any time.

I.4.4.6 Due to the huge operating losses in this segment over the last 3 years, all non-life insurance companies, through the General Insurance Council, approached the Authority for upward revision of premium rates for Motor Third Party Insurance cover. After several rounds of deliberations with all stakeholders, the Authority has notified the revised premium rates for Motor Third Party Insurance cover vide notification dated 15th April, 2011. The revised rates came into operation with effect from 25th April, 2011. Though the companies had requested for 85 per cent hike in the premium rates across all segments of vehicles, after considering the concerns/requests/suggestions of various stakeholders, the Authority decided to hike the premium rates only to the tune of 10 per cent in respect of two wheelers and private cars and 68.5 per cent in respect of the commercial vehicles. The revision exercise was carried out in a professionally manner taking into consideration the transaction level data of all insurance companies uploaded with the Insurance Information Bureau (IIB). The notification has also laid down a formula for revision of premium rates on a yearly basis, which is linked to the cost inflation index, average claim size, frequency and expenses involved in servicing the Motor TP business.

I.4.4.7 As per the data uploaded by the member companies to the pool database, during 2010-11, there was 11 per cent increase in the number of policies and 14.5 per cent increase in premium underwritten over the previous year.

I.4.4.8 At the end of February 2011, the number of outstanding claims was 3,38,680 and the amount of claims outstanding was ₹5,729 crore.

**TABLE I.37
MOTOR INSURANCE THIRD PARTY CLAIMS**

Year (March to February)	Claims Intimated During the year		Claims Settled during the year		Claims Outstanding at the end of the year	
	Number	₹ Crore	Number	₹ Crore	Number	₹ Crore
2007-08	43936	561.56	56479	713.71	117134	1788.50
2008-09	88415	1382.52	63485	682.36	119661	2066.27
2009-10	120549	1923.54	30711	253.46	89390	1664.92
2010-11	17001	287.53	1946	10.85	12495	208.84

Market Share

I.4.4.9 The market share of pool members (before adjustment of GIC's share) for the years 2009-10 and 2010-11 is as under:

TABLE I.38
MARKET SHARE OF POOL MEMBERS

(In per cent)

Pool Member	Market Share 2009-10	Market Share 2010-11
Royal Sundaram	2.67	2.71
Reliance General	6.04	3.98
IFFCO Tokio	4.22	4.18
TATA AIG General	2.53	2.79
Bajaj Allianz General	7.25	6.79
ICICI Lombard	9.81	10.2
Cholamandalam General	2.37	2.31
HDFC Ergo	2.69	3.35
Future Generali	1.10	1.45
Universal Sampo	0.51	0.68
Shriram General	1.18	1.81
Bharti AXA General	0.08	1.29
Raheja QBE	-	0.01
SBI General	-	0.08
L&T General	-	0.02
United India	14.88	14.96
Oriental Insurance	13.53	12.48
National Insurance	13.41	14.15
New India Insurance	17.74	16.75
Total	100.00	100.00

I.4.5 MONITORING OF INVESTMENTS BY THE INSURERS

I.4.5.1 All insurers are required to adhere to the pattern of investments as stipulated under the investment regulations. The details of investments of the Assets under Management (AUM) held by the life and non-life insurance companies are given below:

Total Investment of the Insurance sector

I.4.5.2 As on 31st March, 2011, the accumulated total investments of the insurance sector stood at ₹15,12,638 crore. During the year, under report, the AUM increased by 18.28 per cent. Life insurers continue to contribute a major share of total investments held by the industry with a share of 95 per cent. Similarly, public sector companies continue to contribute a major share (80 per cent) in total investments, although the share of AUM held by private sector insurers have also been growing at a fast pace in recent years, against the backdrop of increase in sales of Unit Linked Insurance Products (ULIPs).

Investments of Life Insurers

I.4.5.3 The various sources of funds available for investment by life insurers are classified as (i) funds from traditional products; and (ii) funds from ULIP products. The total funds invested by life insurers as at 31st March, 2011 were ₹14,30,118 crore of which ₹3,99,116 crore (27.91 per cent of total funds) were contributed by ULIP funds and the remaining ₹10,31,002 crore (72.09 per cent) were contributed by traditional products. The share of ULIP funds in total investments has continued to grow in recent years. During the year under review, traditional funds contributed 72 per cent of the increase in total investments at ₹1,56,084 crore. As against this, the share of accretion by ULIP products was ₹61,576 crore.

TABLE I.39
TOTAL INVESTMENTS OF THE INSURANCE SECTOR
(As on 31st March)

(₹ crore)

INSURER	Life		Non-Life		Total	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Public	992331 (24.10)	1148589 (15.75)	51687 (8.17)	61235 (18.47)	1044018 (23.21)	1209824 (15.88)
Private	220127 (88.51)	281528 (27.89)	14685 (32.16)	21285 (44.94)	234811 (83.61)	302813 (28.96)
Total	1212458 (32.31)	1430118 (17.95)	66372 (12.70)	82520 (24.33)	1278830 (31.13)	1512638 (18.28)

Note: 1. Figures for 2010-11 are based on Provisional Returns filed with IRDA
2. Figures in brackets represent growth in percentage over the previous year

ANNUAL REPORT 2010-11

I.4.5.4 The pattern of investments made by life insurers remained unchanged as on 31st March, 2011 when compared to 31st March, 2010. Central Government Securities and Approved Investments continued to remain the major avenues of investments by life insurers.

I.4.5.5 Segregated on the fund basis, it was observed that, Life Fund contributed ₹8,41,075 crore (58.81 per cent), Pension and General Annuity & Group Fund ₹1,89,927 crore (13.28 per cent) and ULIP Fund

₹3,99,116 crore (27.91 per cent) in total investments. During 2010-11, the share of Pension/Annuity Funds in total investment increased from 11.85 per cent to 13.28 per cent. Correspondingly, the share of Life funds moves down. The comparative 2009-10 segregation of funds was ₹7,31,291 crore (60.31 per cent) by Life Fund, Pension and General Annuity & Group Fund ₹1,43,627 crore (11.85 per cent), ULIP Fund ₹3,37,540 crore (27.84 per cent) in total investments.

**TABLE I.40
TOTAL INVESTMENTS OF LIFE INSURERS : INSTRUMENT-WISE
(As on 31st March)**

Pattern of Investments	2010		2011	
	Amount	Percentage	Amount	Percentage
Traditional Products				
1 Central Govt. Securities	360447	41.20	420952	40.83
2 State govt. and other approved securities	137236	15.69	173733	16.85
3 Housing & Infrastructure	85675	9.79	89181	8.65
4 Approved Investments	257084	29.38	304977	29.58
5 Other Investments	34477	3.94	42159	4.09
A. Total (1+2+3+4+5)	874918	100.00	1031002	100.00
ULIP Funds				
6 Approved Investments	311669	92.34	371899	93.18
7 Other Investments	25871	7.66	27217	6.82
B. Total (6+7)	337540	100.00	399116	100.00
Grand Total (A+B)	1212458		1430118	

Note: 1.The Figures for 2010-11 are based on Provisional Returns filed with IRDA

**TABLE I.41
INVESTMENTS OF LIFE INSURERS : FUND-WISE
(As on 31st March)**

Insurer	Life Fund		Pension and General Annuity & Group Fund		Unit Linked Fund		Total of all Funds	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
LIC	698153	798291	133588	173282	160589	177016	992331	1148589
Private	33137	42784	10038	16646	176951	222099	220127	281528
Total	731291	841075	143627	189927	337540	399116	1212458	1430118
	(60.31)	(58.81)	(11.85)	(13.28)	(27.84)	(27.91)	(100.00)	(100.00)

Note:1.The Figures for 2010-11 are based on Provisional Returns filed with IRDA
2. Figures in brackets is percentage of respective funds to the total funds

ANNUAL REPORT 2010-11

**TABLE I.42
GROWTH OF INVESTMENTS : FUND-WISE
(As on 31st March)**

Fund	2010		2011	
	Total	Growth in percentage	Total	Growth in percentage
Life	731291	16.14	841075	15.01
Pension & General Annuity & Group Fund	143627	26.04	189927	32.24
Traditional (A)	874918	17.66	1031002	17.84
Unit Linked Funds (B)	337540	95.38	399116	18.24
Total (A+B)	1212458	32.31	1430118	17.95

Note: The Figures of 2010-11 are based on Provisional Returns filed with IRDA

Investments of Non-Life Insurers

I.4.5.6 Non-Life insurers contributed to the extent of only 5 per cent of total investments held by the insurance industry. The total investments of the sector, as on 31st March, 2011, stood at ₹82,520 crore. During 2010-11, the net increase in investments was ₹16,148 crore (24.33 per cent growth over previous year), up from ₹66,372 crore in 2009-10.

I.4.5.7 The pattern of investments remained the same as in the previous year. As on 31st March, 2011, non-life insurers held ₹31,769 crore (38.50 per cent) and ₹19,865 crore (24.07 per cent) in Approved Investments and Central Government Securities respectively.

**TABLE I.43
TOTAL INVESTMENTS OF NON-LIFE INSURERS : INSTRUMENT-WISE
(As on 31st March)**

Pattern of Investments	2010		2011	
	Total	percentage	Total	percentage
Central Govt. Securities	16038	24.16	19865	24.07
State govt. and other approved securities	6971	10.50	8191	9.93
Housing and Loans to State Govt. for Housing & FFE	4790	7.22	6973	8.45
Infrastructure Investments	10373	15.63	12216	14.80
Approved Investments	24256	36.55	31769	38.50
Other Investments	3944	5.94	3506	4.25
Total	66372	100.00	82520	100.00

Note: 1. The Figures of 2010-11 are based on Provisional Returns filed with IRDA

2. Investments of CHNHB Association, ECGC and AIC of India have not been included.

3. FFE : Fire Fighting Equipment.

I.4.6 HEALTH INSURANCE

I.4.6.1 Health Insurance continues to be one of the most rapidly growing sectors in the Indian insurance industry with premium to the tune of ₹11,480 crore underwritten in 2010-11, reporting growth of 38.22 per cent over the premium written in 2009-10 (₹8,305 crore).

I.4.6.2 Other than the multi-line non-life insurers, Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd., Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. and Max Bupa Health Insurance Co. Ltd. contributed to Health insurance business. The total

premium underwritten by the standalone Health insurers stood at ₹1,536 crore in 2010-11 (₹1,072 crore in 2009-10).

I.4.6.3 Increased awareness about the benefits of Health insurance, particularly in urban areas due to rise in medical cost and also as a result of popular Government schemes (involving insurance mechanisms like Aarogyasree and Rashtriya Swasthya Bima Yojana), has led to increase in both number of complaints, and RTIs from the general public on Health insurance. This in turn has steered the regulator to take a number of corrective

TABLE I.44
HEALTH INSURANCE PREMIUM 2006-2011

Insurer	(₹ crore)				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Non-Life Private	1223.99	1832.50	2266.30	2349.80	3031.48
Non-life Public	1973.60	3136.50	3824.00	4883.30	6912.55
Standalone Health Insurers	11.16	155.94	535.09	1072.10	1535.70
Total	3208.70	5125.00	6625.50	8305.20	11479.70

measures for strengthening protection of health insurance policyholders and for the orderly growth of the sector.

I.4.6.4 The Authority has also taken up key initiatives and issues including constitution of Health Insurance Forum, and Standardizing of claim formats and other documents. The Health Insurance Forum provides a common platform for all the stakeholders of the health insurance ecosystem.

Insurance Schemes sponsored by Governments

I.4.6.5 With a view to lay down certain rules for the insurers bidding for government schemes, insurers are required to comply with specific stipulations along with the File and Use procedure. The guidelines issued in this regard include the following:

- Insurers shall be allowed to participate in the tender process, provided the
 - Proposed insurance scheme is sponsored by Government; and
 - Insurer to comply with the provision of Section 64VB.
- If claims experience (net incurred claims ratio) for a specific portfolio turns out to be more than 90 per cent for consecutive four half years, the insurer may not be allowed to participate in the tender for any Government sponsored scheme for a period of at least two years.

Portability of Health Insurance Policies

I.4.6.6 The Authority examined at length various issues involved in the portability of health insurance plan and issued the circular for effecting portability of Health insurance policies in 2010-11. All non-life insurers issuing Health insurance policies shall allow for credit gained by the insured for pre-existing condition(s) in terms of waiting period when he/she switches from one insurer to another or from one plan to another, provided the previous policy has been maintained without break.

I.4.6.7 The main features of portability are:

- The credit from the period elapsed excluding pre-existing disease (PED) shall be carried forward to the new insurer;
- The accepting insurer shall provide cover, at least up to the sum assured in the previous insurance policy;
- The request for porting the policy shall be completed as per the timelines prescribed in the IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations and guidelines; and
- The credit (in terms of waiting period) would be limited to the sum assured (including bonus) under the previous policy.

I.4.6.8 The Authority is presently engaged in discussion with the industry and proposes to issue detailed procedure on implementation of Health Insurance Portability to put in place systems for collection of data on the history of health insurance at policy level and for monitoring the transfer of records of the porting policyholder.

Initiatives through Trade Bodies

I.4.6.9 IRDA continues to support the activities of working groups formed by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Confederation of Indian Industry (CII) on specific areas of Health insurance. Both the industry bodies organise annual Health insurance events and release their reports comprising of the recommendations of the working groups. Currently, these multi-stakeholder groups are mainly working on standard framework for group product pricing; framework for enhancing quality in healthcare through Health insurance through synergistic efforts of regulatory bodies, National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH), insurance companies and providers; standardization of billing formats; standardization of TPA/Insurer and TPA/Hospital Contracts, senior citizens, etc.

ANNUAL REPORT 2010-11

Third Party Administrators (TPA)

I.4.6.10 During 2010-11, license was granted to Spurthi Meditech TPA Solutions Pvt. Ltd. by the Authority to carry on operations as Third Party Administrator. In addition, the following two licenses were renewed by the Authority during 2010-11:

I.4.6.11 The health insurance segment showed strong growth during the year under review and the TPAs as participants in the health insurance delivery chain, reflected similar performance. The TPAs further expanded the network of hospitals eligible for treatment by policyholders during the year.

**TABLE I.45
TPA LICENCES RENEWED
DURING 2010-11**

Sl. No.	Name of the TPA
1.	Park Mediclaim TPA Private Ltd.
2.	Rothshield Healthcare (TPA) Services Ltd.

I.4.6.12 The Table below provides details of infrastructure added by the TPAs during 2010-11.

**TABLE I.46
TPA INFRASTRUCTURE (2010-11)**

Sl. No.	Name of the TPA	No. of Hospitals added to the Network	Total No. of Hospitals in the Network	No. of New Branches Opened	Manpower added including Professionals
1	Park Mediclaim	182	1686	2	20
2	Vipul Med Corp	0	3985	1	65
3	Alankit Health Care	423	3818	1	12
4	I Care Health Management	137	3166	2	29
5	Dedicated Healthcare Services	852	3816	2	86
6	Medicare Services	234	3651	0	30
7	MD India Healthcare Services	212	4973	4	302
8	Heritage Health	126	2876	1	25
9	Genins India	286	2956	0	0
10	Rothshield Healthcare Services	229	2560	0	90
11	E Meditek Services	758	4231	28	119
12	United Healthcare Parekh Health Management	114	3392	0	46
13	Safeway Services	353	3070	3	22
14	Med Save Health Care	247	3623	44	537
15	Good Healthplan	236	3965	2	31
16	Health India Services	733	3637	0	109
17	Medi Assist India	449	4827	0	170
18	Anmol Medicare	69	1026	2	10
19	Raksha	233	3657	1	72
20	Family Health Plan	131	3904	2	219
21	TTK Healthcare	260	5597	0	237
22	Grand Healthcare Services	40	880	0	6
23	Paramount Health Services	155	3074	4	71
24	Anyuta Medinet Services	1315	1965	3	22
25	East West Assist	38	3776	2	30
26	Focus Healthcare	0	996	0	0
27	Sri Gokulam Health Services	17	2953	0	0
28	Spurthi Meditech	109	109	0	15
29	Universal Medi-Aid Services	NR	NR	NR	NR
TOTAL				104	2375

NR : Not Received

I.4.6.13 The Authority continued its association with various industry bodies and stakeholders with a view to improve the delivery of health insurance services in the country. During the year, the standardization of the format of the service contract between the TPAs and the insurers as also the format for billing and discharge summary to be provided by hospitals were discussed and formalised. Pilot testing of the same was also undertaken with the active participation of various stakeholders. Adoption of these standard documents is expected to further smoothen the processing and improve the relations between the various parties. The Authority also issued

guidelines for updating the policyholders in respect of change in the network of hospitals as well as the TPAs servicing the policies availed of by them.

I.4.6.14 The Authority maintains a separate system of handling grievances in respect of TPAs from policyholders, providers and other stakeholders. During the year 2010-11, the Authority received 335 complaints, of which 332 were disposed and 3 complaints were outstanding as on 31st March, 2011.

**TABLE I.47
THIRD PARTY ADMINISTRATORS - CLAIMS DATA**

Year	Claims Received during the year	Claims Settled				Claims Outstanding
		Within one month	Within 1 - 3 months	Within 3 - 6 months	More than 6 months	
2009-10	3365940	2348147 (69.76)	597408 (17.75)	121485 (3.61)	29362 (0.87)	299381 (8.89)
2010-11	3641585	2745661 (74.97)	517069 (14.19)	135808 (3.79)	39859 (1.11)	313013 (8.59)

Note: Figures in the brackets indicates the ratio (in per cent) of claims settled to the total claims received.

I.4.7 BUSINESS IN THE RURAL AND SOCIAL SECTOR

I.4.7.1 The Regulations framed by the Authority on the obligations of the insurers towards rural and social sectors stipulate obligations to be fulfilled by insurers on an annual basis. The regulations require insurers to underwrite business in these segments based on the year of commencement of their operations. For meeting these obligations, the regulations further provide, that if an insurance company commences operations in the second half of the financial year and is in operations for less than six months as at 31st March of the relevant financial year, (i) no rural or social sector obligations shall be applicable for the said period; and (ii) the annual obligations as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operations for the purpose of compliance. In cases where an insurance company commences operations in the first half of the financial year, the applicable obligations for the first year shall be 50 per cent of the obligations as specified in these Regulations.

Obligations of life insurers:

Rural Sector Obligations

I.4.7.2 Out of twenty two private sector life insurance companies, 21 fulfilled their rural sector obligations during 2010-11. The number of policies underwritten by them in the rural sector as a per cent of the total policies underwritten in the year 2010-11 was as per the obligations applicable to them.

I.4.7.3 Bharti AXA India procured 15.98 per cent of its policies in the rural sector against an obligation of 16.00 per cent and is non compliant in the rural sector obligations for the financial year 2010-11.

I.4.7.4 The lone public sector insurer, Life Insurance Corporation of India was compliant with its obligations in the rural sector, having underwritten a higher per cent of policies in rural sector than the prescribed 25 per cent for 2010-11.

Social Sector Obligations

I.4.7.5 All the twenty two private life insurance companies fulfilled their social sector obligations during 2010-11. The number of lives covered by them in the social sector was above the stipulated obligations.

I.4.7.6 LIC was compliant with its social sector obligations, having covered a higher number of lives than the prescribed 20.00 lakh lives as obligations for 2010-11.

Obligations of non-life insurers:

Rural Sector Obligations

I.4.7.7 All the eighteen private insurance companies (including the Health insurers) were compliant in the rural sector obligations during the year 2010-11. The gross direct premium underwritten by them in the said sector, as a percentage of total premiums underwritten in 2010-11, was above the prescribed stipulations.

I.4.7.8 The public sector insurers too complied with the rural sector obligations for 2010-11. With respect to the public sector insurers their obligations were seven per cent of the quantum of insurance business underwritten by them in 2010-11.

Social Sector Obligations

I.4.7.9 All the eighteen private insurance companies were compliant with the social sector obligations during the year 2010-11. The number of lives covered by them in the social sector was also higher than the regulatory stipulations.

I.4.7.10 The four public sector insurers complied with the social sector obligations for 2010-11. With respect to the public sector insurers their obligations for the financial year 2010-11 were the same as those applicable in 2009-10 in terms of the number of lives covered by the respective insurer in the social sector or 5.50 lakh lives, whichever is higher.

I.4.8 FINANCIAL REPORTING AND ACTUARIAL STANDARDS

Financial Reporting

I.4.8.1 The Ministry of Corporate Affairs in its road map for convergence of Indian Accounting Standards to International Financial Reporting Standards (IFRS) has specified that all insurance companies shall convert their opening balance sheet as at 1st April, 2012 in compliance with the standards. This specification was made by the Ministry of Corporate Affairs based on the commitment

given by the Authority for convergence to IFRS by the said date. However, the recommendation of the Authority was based on the promise that various standards issued by International Accounting Standards Board (IASB) particularly on Insurance Contracts and Valuation of Financial Assets (IFRS-9) would be finalised by IASB and would be in place well before the start of 2012-13.

I.4.8.2 IFRS-4 is an interim standard, focused primarily on disclosures and classification of insurance contracts. It introduces a definition for an insurance contract based on the contract containing significant insurance risk. It requires only limited changes to existing accounting practices for insurance contracts and extensive disclosures. IFRS-4 does not affect the business fundamentals since there is no change in the underlying transactions and in real cash flow. However, IFRS 4 would require a fundamental change to the reporting of business that is not classified as insurance. Such business could include pension business also. The Authority set up a Committee to study the implications of IFRS-4. The Committee submitted its report in June, 2009. The Committee's recommendations cover various issues such as unbundling of the contract, valuation of liabilities and assets, etc.

I.4.8.3 The IASB has finally issued Exposure Draft on Insurance Contracts and has sought the views of the public and other stakeholders. The Authority, in order to study the provisions of the exposure draft on insurance contracts, constituted a group "Working group on convergence to IFRS". The group carried out a detailed examination of the exposure draft and submitted its report. The Authority based upon the report of the group has given its comments on exposure draft on insurance contracts to IASB. In the meanwhile, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has notified Ind-AS104 which is an adoption of IFRS-4 Insurance Contracts. However, the date of implementation of the same is yet to be notified.

I.4.8.4 The Authority is of the view that in the absence of a proper understanding of implication of various issues, in the short and long run, it would be too premature to migrate to the IFRS Standards as committed earlier by IRDA. It had not been possible for IASB to adhere to the timeline of June 2011 for finalisation of the Exposure Draft on Insurance Contracts. IASB is further going to come out with a limited revised exposure draft on insurance contracts. Even after its eventual finalisation, IASB provides a time period of 18 months for its implementation. This means, the standard on insurance contracts will be ready for implementation not before September 2013.

I.4.8.5 In the above circumstances, the Authority has written to Ministry of Corporate Affairs to revisit the 2012 date of compliance for insurance sector with IFRS standards and defer it till IASB comes out with the revised standards on insurance contracts and valuation of financial assets.

Appointed Actuary System

I.4.8.6 The Appointed Actuary system is in place for more than a decade in the Indian insurance industry. From the time it was introduced, the role of Appointed Actuary has enhanced significantly in line with the faster growth witnessed in the insurance sector. Apart from valuation, product design and pricing, Appointed Actuary performs a much wider role in enabling the company to improve its financial condition to ensure solvency at all times.

I.4.8.7 In case of a life insurer, the Appointed Actuary certifies the company's technical reserves, solvency and fairness of premium rates. In addition to this, the Appointed Actuary must carry out the Economic Capital calculations in order to ensure proper balance between capital adequacy and capital efficiency.

I.4.8.8 In case of a non-life insurer, while ensuring the solvency, the Appointed Actuary is required to certify the outstanding claim provisions relating to IBNR (Incurred But Not Reported) and IBNER (Incurred But Not Enough Reported) claims. The Appointed Actuary is also required to prepare the Financial Condition Report in order to bring out the challenges which the insurers face in terms of meeting solvency requirements and other parameters which affect the financial condition of the company. Further, the Appointed Actuary is also required to carry out the Economic Capital calculations in order to improve the capital efficiency.

BOX ITEM 5

ECONOMIC CAPITAL

Economic Capital (EC) has gained significance in terms of both importance and concern within the insurance industry in recent times in view of the recent macro-economic developments which have taken place globally. Economic Capital can be defined in many ways. It is the financial cushion that insurance companies use to absorb unexpected losses. At its most basic level, Economic Capital can be defined as sufficient surplus to cover potential losses, at a given risk tolerance level, over a specified time horizon. EC calculations generally consist of risk factors viz. market risk, credit risk, insurance or underwriting risk, operational risk and liquidity risk. In calculating EC, there are some key decisions to be made; and the approach taken should reflect the nature of the company's risks as well as management's risk tolerance and objectives.

Economic Capital Analysis enables an insurance company to strike an appropriate balance between "too much capital" – which can lead to an excessive cost of insurance and "not enough capital" – which can lead to an unacceptable risk of insolvency. In view of the above, the Authority has mandated life insurers as well as non-life insurers to submit a detailed report on the EC calculation. This will give a broader view of the challenges faced by the insurers in maintaining their financial soundness. Accordingly, the framework for assessment of Economic Capital (EC) plays an important role in the entire risk management mechanism of insurance companies. This enables insurers to determine the right amount of capital to be allocated to each and every risk encountered by individual insurers in carrying out the insurance business. EC reflects individual company specific risk profile and in general, quantification of optimum capital to be allocated against each risk is based on company specific internal models. As indicated above, there is no single definition of Economic Capital. However, there are three principles on which the EC calculation is based. These are as follows:

- Sufficient surplus to meet adverse outcomes, for instance, potential negative cash flows and reductions in value of assets, or increase in value of liabilities
- A specified risk tolerance level
- A specified time horizon.

Keeping in view the importance and necessity of assessment of Economic Capital in insurance sector, the IRDA has mandated both life and non-life insurance companies to calculate EC under specific guidelines; and accordingly submit the report annually. Computation is based on one year time horizon calibrated on a Value-at-Risk (VaR) level of 99.50 per cent with risks categorized as Insurance, Operational, Market, Liquidity and Credit risks for life insurance; and Underwriting, Market, Expense, Operational and Liquidity risks for non-life insurers. Insurers are allowed to reduce the total economic capital requirement to the extent of diversification effect, which has been capped at 30 per cent of the EC for life insurers. This move of the Authority can be described as a starting point to sensitize all insurers on the need for moving towards the Risk Based Capital (RBC) regime from the current fixed factor based formula approach and hence ultimately the extremity of solvency – II.

I.4.9 ANTI-MONEY LAUNDERING/COUNTER-FINANCE OF TERRORISM (AML/CFT) PROGRAMME

I.4.9.1 AML/CFT guidelines to the insurance sector were subjected to a thorough assessment/evaluation during the process of India's membership into Financial Action Task Force (FATF). India was granted the membership in the June, 2010 plenary. India had committed to a time-bound Action Plan to FATF in the process.

I.4.9.2 The Inter-Ministerial Coordination Committee (IMCC) on AML/CFT set up as the coordinating body on issues relating to membership into FATF, constituted various Sub-committees to give their report/recommendations on various action points. IRDA was an active member of two Sub-committees viz., AML/CFT Regulatory Framework Assessment Committee and National Risk Assessment Committee.

I.4.9.3 As part of the various initiatives taken by the Authority towards effective implementation of the AML/CFT guidelines in the insurance sector, a master circular consolidating various circulars on the subject issued up to 31st July, 2010 was issued. Insurance companies' compliance with the guidelines is monitored regularly through on-site and off-site processes. With the insurance sector entering into the sixth year of effective AML/CFT regime, the guidelines are being reviewed for suitable modifications to enable a risk based approach towards implementation.

I.4.9.4 Awareness programmes on AML/CFT guidelines to the staff of insurance companies, in the form workshops/meetings were organized during the year, in coordination with the insurance councils. IRDA also worked closely with Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) to improve upon the insurers' understanding of suspicious transactions and to act effectively on reports disseminated by FIU-IND. A Joint Working Group comprising of IRDA, Unique Identification Authority of India (UIDAI), and Life and Non-life insurance industry was constituted by UIDAI to work on the modalities of using UID/facilitating issue of UID to people of India in the insurance sector.

I.4.9.5 As part of the short term action points committed to FATF, IRDA has issued instructions to the insurance sector laying down the required Know Your Customer (KYC) norms in case of legal persons. Insurers have been advised to pay special attention to threats posed by development of new products/ technologies and manage associated risks. The requirements of risk management procedures and enhanced due diligence

measures on Politically Exposed Persons (PEPs) have also been emphasized. Term life insurance contracts hitherto exempt from the requirements of AML/CFT guidelines have been brought under the purview of the guidelines but with lower levels of due diligence stipulations. The illustrative list of documents acceptable towards establishing Identity and/or address of a customer was extended further with documents like job card issued by National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) and the letter issued by the Unique Identification Authority of India, with amendments to the Prevention of Money Laundering Rules recognizing them as officially valid documents.

I.4.9.6 India has accomplished the short term action points and has reported the compliance to FATF plenary in October, 2010 and is presently working towards the medium term action plan. IRDA is closely working with the Insurance Division of the Department of Financial Services to accomplish some of these medium term action points.

I.4.10 CROP INSURANCE

National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)

I.4.10.1 The National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) was introduced to replace Comprehensive Crop Insurance Scheme from Rabi 1999-2000. Initially, only 9 states/union territories opted for the scheme. Agriculture Insurance Company of India Ltd, which was incorporated in December 2002, took over the implementation of NAIS. During Kharif 2010 and Rabi 2010-11, Agriculture Insurance Company of India (AIC) implemented NAIS in 24 States (excluding Rajasthan, which adopted Weather Based Crop Insurance Scheme in place of NAIS) and 2 Union Territories (UTs), covering around 35 different crops in each season with Gross Domestic Premium (GDP) of ₹1,012 crore. The sum insured averaged to ₹7,000 per cropped acre covered under NAIS. During the past 22 seasons, beginning from Rabi 1999-2000 till Kharif 2010 (till 10th June, 2011) 17.13 crore farmers have been covered for a sum insured of ₹2,10,524 crore and cultivating area of 26.26 crore hectares; the total amount of claims of ₹21,034 crore have been reported at a claim ratio of 323 per cent, benefiting 4.62 crore farmers, under the Scheme. Under NAIS, Government provides stop loss protection over and above the pre-defined liability of the company. Gross incurred claims ratio of NAIS scheme during 2010-11 was 73.2 per cent as against 94.4 per cent of year 2009-10.

Modified NAIS

I.4.10.2 The Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS) was approved for its implementation on pilot basis in 50 districts during Rabi 2010-11. During Rabi 2010-11, AIC implemented MNAIS in 32 districts in 12 States insuring 3,45,001 farmers for a sum insured of ₹692 crore or against premium of ₹45.20 crore during Rabi 2010-11. The modified scheme has the following major improvements vis-a-vis NAIS:

- Premium rates chargeable under MNAIS are actuarial, supported by up-front subsidy in premium from the Government. Insurer is responsible for the claims liabilities, with a provision that the Government will act as 'reinsurer of the last resort' if the claim ratio exceeds 500 per cent;
- Insurance unit for major crops is village/village panchayat or any other equivalent unit;
- Prevented sowing/planting risks and post harvest losses are covered;
- Individual farm level assessment of losses is done in case of localised calamities, like hailstorm and landslide;
- On-account payment up to 25 per cent of likely claim is to be released as advance, for providing immediate relief to farmers in case of severe calamities;
- Threshold yield is based on average yield of the past seven years, excluding up to two years if declared natural calamity by the State; and
- Minimum indemnity level of 70 per cent is available (instead of 60 per cent as in NAIS).

I.4.10.3 During Rabi 2010-11, MNAIS insured 3.52 lakh hectares of crops grown by 3.45 lakh farmers for a sum insured of ₹692 crore, underwriting gross premium of ₹45.20 crore. Claims position is expected to be known during the course of financial year 2011-12. The administrative instructions have been issued by the Government of India for implementing MNAIS on pilot basis during Kharif 2011.

Weather Based Crop Insurance Scheme

I.4.10.4 Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) aims to mitigate the hardship of the insured farmers against the likelihood of financial loss on account of anticipated crop loss resulting from incidence of adverse conditions of weather parameters like rainfall, temperature, frost, humidity etc. It has been piloted across India as an alternative to NAIS. WBCIS was implemented by AIC in 16 states in Kharif 2010 and in 14 states in Rabi 2010-11, covering in all more than 35 different crops. WBCIS intends to provide insurance protection to farmers against adverse weather incidence, such as deficit and excess rainfall, long dry spells, fluctuations in minimum and/or maximum temperature, relative humidity, wind speed etc., which are deemed to impact the crop production adversely. It has the advantage of processing claims within a short time of occurrence of adverse weather incidence. WBCIS is based on actuarial rates of premium, but to make the scheme attractive, premium actually charged from farmers in respect of food and oilseed crops is capped "at par" with NAIS, and for annual commercial and horticultural crops, the same has been capped at 6 per cent. AIC insured about 61.20 lakh hectares of cultivable land in respect of 38.98 lakh farmers for a sum insured of ₹4,381 crore, earning a premium of ₹455 crore during Kharif 2010 and about 35.52 lakh hectares of land sown by about 28.25 lakh farmers for a sum insured of ₹5,254 crore, for a premium of ₹428 crore during Rabi 2010-11. WBCIS, during 2010-11, accounted for 45 per cent of the AIC's gross premium of ₹1,950 crore.

I.4.11 MICRO INSURANCE

I.4.11.1 In order to facilitate penetration of micro insurance to the lower income segments, IRDA has formulated the Micro Insurance regulations. Micro Insurance Regulation, 2005 provides a platform to distribute insurance products which are affordable to the rural and urban poor and to enable micro insurance to be an integral part of the country's wider insurance system.

I.4.11.2 The main thrust of micro insurance regulations is protection of low income people with affordable insurance product to help cope with and recover from common risks with standardised popular insurance products adhering to certain levels of cover, premium and benefit standards. These regulations have allowed Non Governmental Organisations (NGOs) and Self Help Groups (SHGs) to act as agents to insurance companies

ANNUAL REPORT 2010-11

in marketing micro insurance products and have also allowed both life and non-life insurers to promote combi micro insurance products.

Life Insurance Sector

I.4.11.3 While the Individual New Business premium in the year was ₹130.40 crore under 36.51 lakh policies, the group business amounted to ₹155.23 crore premium under 1.53 crore lives. LIC contributed most of the

business procured in this portfolio by garnering ₹123 crore of individual premium from 29.51 lakh lives and ₹138 crore of group premium under 1.33 crore lives.

I.4.11.4 The number of Micro Insurance agents at end of March 2011 was 10,482; of which 9,724 were for the LIC and the remaining represented the private sector companies. Fourteen life insurers have so far launched 28 Micro Insurance products. Of the 28 products, 16 are Individual products and the remaining 12 are Group products.

TABLE I.48
NEW BUSINESS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO FOR 2010-11
(Premium in ₹ lakh)

Insurer	Individual		Schemes	Group	
	Policies	Premium		Lives covered	Premium
Private	699733	735.09	23	1983537	1719.14
LIC	2951235	12305.76	5446	13275464	13803.67
Total	3650968	13040.85	5469	15259001	15522.81

Note: New business premium includes first year premium and single premium.

TABLE I.49
MICRO INSURANCE AGENTS OF LIFE INSURERS

Insurer	As on 1 st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31 st March, 2011
Private	770	139	151	758
LIC	7906	2171	353	9724
Total	8676	2310	504	10482

TABLE I.50
INDIVIDUAL DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO - 2010-11
(Benefit Amount in ₹ lakh)

Insurer	Total Claims Payable		Claims paid		Claims repudiated		Claims pending as on 31 st March, 2011	
	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount
Private	4071	514.59	4039 (99.21)	505.23 (98.18)	28 (0.69)	9.01 (1.75)	4 (0.10)	0.35 (0.07)
LIC	7320	1190.17	7244 (98.96)	1174.12 (98.65)	60 (0.82)	13.41 (1.13)	16 (0.22)	2.64 (0.22)
Total	11391	1704.76	11283 (99.05)	1679.35 (98.51)	88 (0.77)	22.42 (1.32)	20 (0.18)	2.99 (0.17)

Note: Figures in brackets show per cent of the respective total claims

ANNUAL REPORT 2010-11

**TABLE I.51
GROUP DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO - 2010-11
(Benefit Amount in ₹ lakh)**

Insurer	Total Claims Payable		Claims paid		Claims repudiated		Claims pending at end of year	
	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount
Private	4499	1097.25	4285 (95.24)	1028.07 (93.69)	128 (2.85)	42.90 (3.91)	86 (1.91)	26.29 (2.40)
LIC	46306	19746.19	45965 (99.26)	19607.62 (99.30)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	341 (0.74)	138.57 (0.70)
Total	50805	20843.44	50250 (98.91)	20635.69 (99.00)	128 (0.25)	42.90 (0.21)	427 (0.84)	164.86 (0.79)

Note: Figures in brackets show per cent of the respective total claims

I.4.11.5 With the notification of IRDA (Micro Insurance) Regulations 2005 by the Authority, there has been a steady growth in the design of products catering to the needs of the poor. The flexibilities provided in the Regulations allow the insurers to offer composite covers or package products. The insurance companies are now offering already approved general products as Micro

Insurance products with the approval of the Authority, if the sum assured and other features for the product are within the range prescribed for Micro Insurance.

I.4.11.6 The duration-wise settlement of death claims under individual and group category are given in the following tables:

**TABLE I.52
DURATION-WISE SETTLEMENT OF DEATH CLAIMS IN MICRO INSURANCE
INDIVIDUAL CATEGORY - 2010-11
(No. of Policies)**

Insurer	Duration					Total Claims Settled
	Within 30 Days of Intimation	31 to 90 Days	91 to 180 Days	181 Days to 1 Year	More than 1 Year	
Private	3972 (98.34)	53 (1.31)	13 (0.32)	1 (0.02)	0 (0.00)	4039
LIC	7242 (99.97)	2 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	7244
Total	11214 (99.39)	55 (0.49)	13 (0.12)	1 (0.01)	0 (0.00)	11283

Note: Figures in brackets show per cent of total claims settled.

**TABLE I.53
DURATION-WISE SETTLEMENT OF DEATH CLAIMS IN MICRO INSURANCE
GROUP CATEGORY - 2010-11
(No. of Policies)**

Insurer	Duration					Total Claims Settled
	Within 30 Days of Intimation	31 to 90 Days	91 to 180 Days	181 Days to 1 Year	More than 1 Year	
Private	4080 95.22	172 4.01	31 0.72	2 0.05	0 0.00	4285
LIC	45366 98.70	599 1.30	0 0.00	0 0.00	0 0.00	45965
Total	49446 98.40	771 1.53	31 0.06	2 0.00	0 0.00	50250

Note: Figures in brackets show per cent of total claims settled.

Non-life Insurance sector

I.4.11.7 There are a number of products offered by all registered general insurance companies targeting low income segment of the population. e.g. Janata Personal Accident Policy, Gramin Personal Accident Policy, Cattle/Livestock insurance, etc. Further, there are a number of tailor-made/ group micro insurance policies offered by private and public insurers for the benefit of these segments. Micro insurance being a low price, high volume

business, its success and sustainability depends mainly on keeping the transaction costs down.

I.4.11.8 Section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and IRDA (Obligations of insurers to rural or social sectors) Regulations stipulate obligations to insurers in respect of rural and social sector, which have also contributed a lot in development and promotion of micro insurance products by insurers in India.

BOX ITEM 6**MICRO INSURANCE - REVIEW OF PAST PERFORMANCE AND ROADMAP FOR FUTURE****The Background**

In the year 2000 when the insurance regulator came into being and the sector was opened up for private sector participation, the insurance penetration (total premium as a percentage of GDP) in India was just 2.1 per cent and the coverage was largely concentrated among the well-off. The Authority, which has been vested with developmental responsibilities apart from its regulatory functions, therefore sought to not only expand coverage but also to correct the imbalances in availability/distribution of insurance across geographic locations and economic classes.

As a first step in this direction, the Authority had come out with IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2002. These regulations require insurers to sell a specified percentage of policies to rural public and to cover a specified number of lives/assets belonging to people below poverty line or those pursuing certain traditional occupations. The obligations have been quite effective in expanding coverage of insurance to the severely under-penetrated rural and low income segments. Despite the substantial increase in the last decade, the coverage, especially among rural and social sectors, continues to be inadequate looking to the potential and there is a crying need for its rapid expansion. Though the obligations managed to compel insurers to operate among the under-covered sectors, mere compulsion would not accomplish all that needs to be done in this connection. There was a realisation that insurers faced some genuine road blocks in expanding coverage among rural and low income segments and that some of them could be cleared through regulatory interventions/relaxations. Government of India set up a consulting group in 2003 to examine the existing insurance schemes for the rural sector. The group suggested among other things that standalone micro insurance entities would not be viable in the given context. Following these recommendations the Authority issued IRDA (Micro insurance) Regulations, 2005.

The essence of Micro insurance Regulations

- Adoption of the Partner-Agent model whereby the insurer would provide technical expertise in the form of risk underwriting, while the agent would bring network, reach and trust among communities to the table.
- A new class of distributors called Micro insurance agents was created, whereby Micro Finance Institutions (MFIs), Non-Governmental Organisations (NGOs) and Self Help Groups (SHGs) have been allowed to take up distribution of micro insurance products. Differential commission rates are allowed to micro insurance agents in view of low ticket size of these policies and the additional servicing responsibilities involved. The regulations have relaxed the requirements as regards qualification, examination and licensing; but mandated a 25-hour training to be imparted to the employees of micro insurance agents by insurers.
- Composite products, whereby multiple risks faced by low income families such as life, health, accident, dwelling, livestock and tools & implements, could be covered under a single policy through a tie-up between life and general insurers.
- Sum assured limits have been defined for products to qualify as micro insurance to ensure that the products cater specifically to the needs of micro insurance segment.

ANNUAL REPORT 2010-11

Micro insurance Regulations - A review of performance

I. Life Insurance

The details of micro insurance agents, number of policies underwritten and claims paid are indicated in the Tables as under for the years 2007-08 to 2010-11.

NUMBER OF MICRO INSURANCE (MI) AGENTS (LIFE)

Year (as at 31 st March)	Number
2008	4584
2009	7250
2010	8676
2011	10482

NEW BUSINESS PREMIUM (LIFE)

(Amount in ₹ crore)

Year	Individual		Group		
	No. of Policies	Premium	No. of Schemes	No. of Lives	Premium
2007-08	937768	18.23	7598	12242027	201.27
2008-09	2152069	36.56	6897	12551809	205.95
2009-10	2983954	158.22	5207	16842070	234.81
2010-11	3650968	130.40	5469	15259001	155.23

MICRO INSURANCE CLAIMS (LIFE)

(Amount in ₹ crore)

Year	Individual		Group	
	No. of Claims Paid	Amount of Claims Paid	No. of Claims Paid	Amount of Claims Paid
2007-08	439 (87.80)	0.62 (88.38)	43688 (99.86)	120.88 (99.91)
2008-09	2527 (95.83)	3.31 (86.03)	50338 (99.64)	154.62 (99.71)
2009-10	7508 (99.13)	8.19 (95.55)	43463 (98.74)	177.68 (99.09)
2010-11	11283 (99.05)	16.79 (98.51)	50250 (98.91)	206.35 (99.00)

Note: Percentages in brackets indicate claims paid over claims intimated.

As can be observed from the above Tables, micro insurance started off as a minuscule portfolio but has been able to demonstrate robust growth in the last few years.

Looking at the break-up, while a sizeable portion of the group micro insurance has been supported by government sponsored social security schemes, the 3.6 million individual life policies are mostly self-funded which indicates that the target segments are willing to purchase insurance if the right kind of supply is made available.

Renewal premium (life) under micro insurance too has grown to a substantial amount. In the year 2010-11, the individual renewal premium was ₹181 crore while the group micro insurance renewal premium for the year was ₹682 crore.

II. Non-Life Insurance

The details of premium underwritten and claims paid by the non-life insurance companies for the years 2009-10 and 2010-11 are captured in the Table below:

MICRO INSURANCE PREMIUM AND CLAIMS (NON-LIFE)			
(Amount in ₹ crore)			
Year	Gross Written Premium	Gross Incurred Claims	Gross Incurred Claims Ratio (in per cent)
2009-10	193.14	126.65	65.57
2010-11	393.38	309.90	78.78

As on 31st March, 2011, life insurers had 16 individual and 12 group micro insurance products in their basket while general insurers had launched a total of 66 products.

There is an increasing realisation that social security schemes of the Government are better administered through insurers due to cost-efficiency, superior service-delivery and better accountability. As such three of the flagship social security schemes of the Government of India targeted at low-income/micro insurance segments viz. Aam Aadmi Bima Yojana (AABY), Janashree Bima Yojana and Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) have been handed over to insurers for administration.

Roadmap for the future

From a modest beginning, micro insurance has been able to grow to a respectable size in the five-year period after issue of the Regulations. In the year 2010-11, the total premium collected under life and non-life micro insurance portfolios put together was of the order of ₹1,543 crore, out of which life insurance premium was ₹1,149 crore and non-life insurance premium was ₹393 crore. However, looking at the unattended need for insurance among low-income and rural segments, what has been accomplished amounts only to scratching the surface. Only a tiny fraction of these persons have insurance protection of any kind and there is an urgent need to expand coverage to a vast number of uninsured masses. The following steps could help speed up expansion of micro insurance:

1. The ticket size in micro insurance is very small and therefore the per-policy costs applicable to mainstream insurance would just not work out. It therefore becomes imperative for insurers to invent/innovate new ways of reducing the same. Compared to individual insurance, group insurance is extremely inexpensive owing to low cost of distribution, far lower overhead costs due to issue of a single policy for the whole group, easy underwriting norms and support of nodal agency in remittance of premiums, filing claims, etc. Also micro insurance segments live in tight-knit social and economic communities and are therefore easily accessible through community leadership. Involvement of community leadership significantly eases the burden of awareness-building on the insurers.
2. Latest technological innovations have revolutionised the way operations are conducted in the financial sector especially in rural areas. Insurers too can benefit by deploying latest technology such as premium collection on hand-held devices connected to insurers through internet; payments and service requests over mobile phones; logging-in proposals and uploading claims and servicing requests on the net; to economise and expand their operations. Insurers can look at hiring existing I.T. networks/infrastructure of other businesses/entities that have a good presence in rural areas for the purpose of servicing as well as pay-ins and pay-outs.
3. Eligibility for micro insurance agency is now limited to Micro Finance Institutions (MFIs), Self-Help Groups (SHGs) and Non-Governmental Organisations (NGOs). Since these entities are not active in vast portions of the country, there is a need to expand the scope of micro insurance agency to enable a balanced and faster growth of micro insurance in the country. Insurers in some countries have successfully launched sale of across-the-counter micro insurance products in grocery/street-corner stores. The client would buy a voucher in the store and leave his particulars following which the insurer's agent/representative would visit him within a week to complete the paper work and issue the policy subject to satisfaction of underwriting requirements. Insurance can also be embedded into various items frequently purchased by rural/low-income communities such as farm equipment, seed, fertilizer/pesticide, televisions, mobile phones/services, motors/pumps, loans, deposits and mortgages.

ANNUAL REPORT 2010-11

I.4.12 DIRECTIONS, ORDERS AND REGULATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY

I.4.12.1 The Authority issued a number of Circulars, Directions and Orders during 2010-11. The list of all such Circulars, Directions and Orders are placed at Annexure 8. The Annexure 8 covers all such Circulars, Directions and Orders issued till 30th September, 2011. In addition, the details of all Regulations notified by the Authority till 30th September, 2011 are placed at Annexure 9.

I.4.13 RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005

I.4.13.1 During 2010-11, the Authority designated following officers as the Central Public Information

Officers (CPIO) in terms of Section 5(1) of the RTI Act, 2005.

I.4.13.2 During the same period, the Authority designated Shri Rakesh Bajaj as Assistant Central Public Information Officer for its Delhi Office in terms of Section 5(2) of the RTI Act, 2005 to discharge the functions assigned in terms of the said Section of RTI Act, 2005.

I.4.13.3 In addition, Dr R. Kannan, the then Member (Actuary) was designated as Appellate Authority in terms of Section 19(1) of the RTI Act, 2005 and pursuant to his demitting the office of the Authority on 1st June, 2011, Shri H Ananthakrishnan, OSD (Legal) has been designated as Appellate Authority in his place.

TABLE I.54

LIST OF CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICERS

No.	Name of the CPIO	Department	Functional Areas
1.	Shri S P Chakrabarty	Actuarial	Actuarial Returns, Appointed Actuary System, File & Use of Life Products and other actuarial matters.
2.	Shri D V S Ramesh	Life	Life Returns, Market conduct issues, Micro Insurance, Agents, Corporate Agents, ATI (Agents Training Institutions) and Referrals, approval of Branch Offices of Insurers etc.
3.	Shri N M Behera	Non-Life	Health Insurance related issues.
4.	Shri K Sridhar	Non-Life	Reinsurance, File & Use of products, Surveyors, Approval of Branch Offices of Insurers and other matters relating to General Insurers and Reinsurer(s).
5.	Shri K Mahipal Reddy	Non-Life	Brokers & Third Party Administrators (TPAs).
6.	Shri Mahesh Aggarwal	Finance & Investment	Accounts & Investments of Insurers and also registration of new Insurers, approval, appointment and remuneration of CEOs of Insurers etc.
7.	Shri A Krishnan	Consumer Affairs	Protection of interest of Policyholders both life and non-life (Grievances, Advertisements, Ombudsman etc.).
8.	Shri B Raghavan	Administration	HR, Recruitment and Training, Promotions, Vigilance etc. and office services, IT, International Affairs, Internal Audit and Legal Affairs and any other residual matters.

PART II

REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1 REGULATION OF INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES

II.1.1 Issuance of Guidelines on Trade Credit Insurance

Trade Credit insurance is closely tied to the real economy facilitating domestic and international commerce. It indemnifies policyholders when its buyers fail to pay for goods and services. In order to ensure orderly growth of this sector on sound insurance principles, the Authority issued the guidelines on Trade Credit Insurance. The salient features of the guidelines are as under:

- The guidelines define various terms associated with trade credit insurance such as buyer, maximum liability, credit limit, insolvency, factoring, etc. It also gives the scope of cover under trade credit insurance policy.
- Any trade credit insurance policies to be issued by the insurer will be subject to the File & Use and the credit insurance guidelines.
- The guidelines specify basic requirements of a trade credit insurance product which includes that policyholder should necessarily be a supplier of goods and services and his loss is for non-receipt of trade receivables.
- The guidelines also specify conditions on trade credit insurance from insurer's perspective and policyholder perspective. The significant ones are:-
 - This policy cannot be issued to banks/ financiers/ lenders or where they are a beneficiary of the claim or where the proceeds of the claim are assigned to them.
 - A Trade Credit Insurance policy can be sold to a seller on a whole turnover basis. There shall be pre-credit limits for each buyer fixed by the insurer and also an overall limit under the policy.
 - The insurer shall necessarily assess credit risk of buyers who contribute more than 2 per cent of the total turnover.
 - Every trade credit insurance policy shall carry subrogation condition.
- An insurer shall appoint a credit management agency for assessing credit worthiness of the policyholder. The agency shall have no conflict of interest with the policyholder.
- No specific trade credit insurance policy can be sold to a single prospect.
- A trade credit insurance shall not offer indemnity which is more than 80 per cent of the trade receivable of the buyer or 90 per cent of the cost incurred by seller for previous year, whichever is lower.
- An insurer will have well defined internal underwriting, risk management and claims settlement guidelines approved by the Board of Directors for writing this class of business.
- The guidelines specify the creation of premium, claims, IBNR and IBNER reserves on actuarial basis.
- The net retention of the insurer for trade credit shall not exceed 2 per cent of its network.
- The guidelines require the insurer to have qualified, experienced and trained employees dealing with trade credit insurance.
- The Authority has specified reporting requirements to monitor the performance of this line of business.

The new framework requires insurers to file revised products in line with File & Use guidelines and the trade credit guidelines.

II.1.2 Relaxation in the Terms & Conditions of erstwhile tariff coverage effective from 1st January, 2009

After de-tariffication of the General Insurance Industry, another major decision taken by the Authority is to allow relaxations in erstwhile tariff products. In its series of steps to promote innovations in products and to increase insurance penetration, IRDA vide its circular dated 6th November, 2010 has allowed insurers to file:

- Variations in deductibles set out in tariffs

- New add-on covers over and above the erstwhile tariff covers
- Extension of engineering insurance coverage to movable/portable equipments
- Removal of minimum Total Sum Insured (TSI) limit of ₹100 crore for Industrial All Risk (IAR) policies and has also allowed IAR cover for petrochemical industry.

However, the scope of standard covers available under the existing tariffs cannot be abridged beyond the options permitted in different categories and any such new cover to be proposed is subject to filing with IRDA under F&U guidelines. The relaxation of norms will be beneficial for the customers while at the same time allow the companies to broaden their offerings; facilitate offer of tailor-made products to different customers; and design risk/industry specific cover. IRDA has allowed new add-on covers in more than 75 products under Fire, Engineering and Motor segments of various insurers till date.

II.1.3 Submission of compliance report for facultative reinsurance placements

The Authority on review of the reinsurance programme of the companies for the year 2008-09 advised all non-life insurance companies to place unplaced reinsurance abroad only after offering it to other Indian insurers and reinsurer. In order to monitor compliance, the Authority has sought half-yearly report on compliance of the same by seeking details of facultative placements made by the respective company.

II.2 INTERMEDIARIES ASSOCIATED WITH THE INSURANCE BUSINESS

Insurance Agents

II.2.1 The year 2010-11 witnessed 11.38 per cent decrease in the number of individual agents. The number has gone down from 29.78 lakh as on 31st March, 2010 to 26.39 lakh as on 31st March, 2011. While the private life insurers recorded a decrease of 17.34 per cent, LIC showed a decrease of 4.69 per cent. LIC has more number of individual agents than all private life insurers put together. At the end of the year, while the number of agents with LIC stood at 13.37 lakh, the corresponding number for private sector insurers was 13.02 lakh.

TABLE II.1

DETAILS OF INDIVIDUAL AGENTS : LIFE INSURERS

Insurer	As on 1st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31st March, 2011
Private	1575476	395467	668615	1302328
LIC	1402807	306296	372039	1337064
Industry	2978283	701763	1040654	2639392

II.2.2 One major concern that emerges from the data is the high per cent of turnover of agents. In 2010-11, while the total number of agents appointed was 7.02 lakh, the number of agents terminated was as high as 10.40 lakh. The scenario was worse for private insurers as compared to LIC. While private insurers appointed 3.95 lakh agents, they terminated 6.69 lakh agents. On the other hand, LIC has terminated 3.72 lakh agents while it appointed 3.06 lakh agents. Such high turnovers may have negative consequences.

II.2.3 Firstly, it is a huge drain on the financials of the insurers who spend a lot of money and time on prospecting, appointing and training of these agents. Secondly, the policies procured by these agents are rendered orphan on their termination and thereafter often result into lapsation due of lack of servicing support. Thirdly, the image of the profession of agency too suffers a setback since the public in general and prospective agents in particular perceive it as lacking in stability, thus making it more difficult for insurers to find good agents. It is therefore in the interest of all stakeholders to work at reducing the turnover of agents.

TABLE II.2
DETAILS OF CORPORATE AGENTS : LIFE INSURERS

Insurer	As on 1 st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31 st March, 2011
Private	2420	1919	2469	1870
LIC	510	16	231	295
Total	2930	1935	2700	2165

II.2.4 As on 31st March 2011, there were 2,165 corporate agents. When compared to 31st March 2010, the number of corporate agents in life insurance fell drastically by 765 (26 per cent). While 1,935 new agents were added during 2010-11, licenses of 2,700 corporate agents were cancelled. LIC has terminated 231 corporate agents when compared to 16 new recruitments. The private insurers have terminated 2,469 corporate agents while recruiting 1,919 new corporate agents.

CHANNEL-WISE NEW BUSINESS PERFORMANCE

Individual New Business

II.2.5 Over the years, there has been a shift away from the individual agency channel. The new business premium procured through individual agents has decreased to 78.95 per cent during 2010-11 from 79.61 per cent reported during the previous year. The share of

corporate agents, which was 14.55 per cent during 2008-09 and 14.87 per cent during 2009-10, increased to 16.86 per cent in the year 2010-11. Among the various corporate channels, the share of banks in total new business underwritten increased from 10.60 per cent in 2009-10 to 13.30 per cent in 2010-11.

II.2.6 There is a decrease in the share of direct selling in the individual new business. Its share has gone down from 4.13 per cent in 2009-10 to 2.42 per cent in 2010-11. While private insurers have procured 6.43 per cent of the new business through direct selling, LIC has procured only 0.11 per cent of its new business through this channel.

II.2.7 The share of corporate agents in the new business premium procured by the private life insurers was significant at 41.61 per cent in 2010-11 as compared to 35.14 per cent in 2009-10. On the other hand, LIC has procured 97.45 per cent of the new business premium from individual agents.

TABLE II.3
INDIVIDUAL NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS FOR 2010-11 — CHANNEL WISE
(Figures in per cent)

Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	Total Individual New Business	Referrals
		Banks	Others*				
Private	46.89	33.21	8.70	4.77	6.43	100.00	2.34
LIC #	97.45	1.81	0.59	0.04	0.11	100.00	0.23
Total	78.95	13.30	3.56	1.77	2.42	100.00	1.01

*Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.


Does not include its overseas new business premium.

Note:

1) New business premium includes first year premium and single premium.

2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

CHART II.1



Does not include its overseas new business premiums.

Group New Business

II.2.8 Direct selling continues to be the dominant channel of distribution for group business, with a share of 90.06 per cent during 2010-11. The corresponding share in the previous year was 89.34 per cent. While LIC has done 6.84 per cent of the group business through its traditional individual agency, private insurers procured only 0.96

per cent through this channel. Another important channel for the private insurers was banks. During the year 2010-11, bancassurance contributed 11.51 per cent of the total group business of the private insurers. The same was 8.67 per cent during the previous financial year.

**TABLE II.4
GROUP NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS FOR 2010-11 — CHANNEL WISE**

(Figures in per cent)

Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	Total Individual New Business	Referrals
		Banks	Others*				
Private	0.96	11.51	2.91	2.36	82.26	100.00	0.44
LIC #	6.84	0.88	0.18	0.01	92.09	100.00	0.00
Total	5.63	3.08	0.74	0.49	90.06	100.00	0.09

*Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.


Does not include its overseas new business premium.

Note:

1) New business premium includes first year premium and single premium.

2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

CHART II.2



Does not include its overseas new business premiums.

Total of Individual and Group Business

II.2.9 Individual agents continue to play a major role in procuring new insurance business. At the aggregate level (individual and group business together), agents contributed 53.90 per cent of the total new business. However, their share declined from 60.91 per cent in

2009-10. The channel which witnessed a major growth as compared to previous year was direct selling. This mode has contributed 32.36 per cent of the total new business in 2010-11 as compared to 25.73 per cent during the year 2009-10.

**TABLE II.5
NEW BUSINESS PREMIUM (INDIVIDUAL AND GROUP) OF
LIFE INSURERS FOR 2010-11 — CHANNEL-WISE**

(Figures in per cent)

Insurer	Individual Agents	Corporate Agents		Brokers	Direct Selling	Total Individual New Business	Referrals
		Banks	Others*				
Private	36.48	28.29	7.39	4.22	23.62	100.00	1.91
LIC #	61.79	1.44	0.42	0.03	36.32	100.00	0.14
Total	53.90	9.81	2.59	1.33	32.36	100.00	0.69

*Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.


Does not include its overseas new business premium.

Note:

1) New business premium includes first year premium and single premium.

2) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

CHART II.3



Does not include its overseas new business premiums.

SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS

II.2.10 The Authority issues licenses to surveyors and loss assessors in terms of Section 64 UM of the Insurance Act, 1938. An individual, a company or a firm wanting to act as surveyor and loss assessor has to make an application to the Authority in the prescribed format for the purpose. The Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000 lay down the process of application for procurement of license.

II.2.11 During the financial year 2010-11, the Authority enrolled 636 applicants as trainee surveyors and issued 253 fresh licenses to trainee surveyors on completion of practical training and passing of requisite examinations. The Authority renewed 1371 licenses during the financial year 2010-11 after fulfillment of all regulatory requirements. Further, for the first quarter of 2011-12, 403 renewals have been issued.

**TABLE II.6
NUMBER OF LICENCES ISSUED TO SURVEYORS
AND LOSS ASSESSORS**

	April 2010 to March 2011	April 2011 to June 2011
Fresh licences		
Individual	253	34
Corporate	34	7
Renewals		
Individual	1371	403
Corporate	67	8
Trainee Enrolments	636	168

II.2.12 In terms of Regulation 11 of the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000, the Authority has constituted a Committee of Surveyors and Loss Assessors, vide its Order dated 20th September, 2011. The Committee comprises of representatives of the Authority, non-life insurance industry, surveyors and policyholders.

II.2.13 The Committee has a term of three years from date of its constitution and shall exercise the functions referred to in Regulation 12 of the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000 and advise the Authority on implementation of removal of restrictions of departments; and on up-gradation of categories of licensed surveyors.

II.2.14 In 2010-11, the Authority received 112 cases of grievances related to surveyors and loss assessors and addressed 108 cases.

**TABLE II.7
GRIEVANCES RELATING TO SURVEYORS AND
LOSS ASSESSORS**

For the period	Received	Addressed
April, 2010 - March 2011	112	108
April, 2011 - June 2011	20	18

II.2.15 In order to facilitate the on-line submission of applications for grant of license (fresh and renewal) and to reduce the time involved in the licensing process, the Authority is in the process of implementing software namely "Integrated Surveyor Licensing Management System" (ISLMS).

II.3 LITIGATIONS, APPEALS AND COURT PRONOUNCEMENTS

II.3.1 The details of the litigation in terms of cases filed before the H'ble Supreme Court, various High Courts, Consumer Courts, Civil Courts, Motor Accidents Claim Tribunal (MACT), and Lok Adalat, as also cases disposed/ dismissed during the period from April 2010 to March 2011 are provided below:

**TABLE II.8
DETAILS OF CASES FILED**

Particulars	No. of Cases
- Cases filed in the Supreme Court	2
- Writ Petitions filed in various High Courts	37
- Writ Appeals/LPA's filed in various High Courts	2
- Review/Restoration Petitions filed in various High Courts	0
- Contempt Petitions filed in various High Courts	2
- Consumer cases filed	17
- Civil cases filed	4
- Lok Adalat cases filed	1
TOTAL	65

LPA: Letters Patent Appeal

II.3.2 The following Table gives details on the petitions/ cases disposed/dismissed during the year 2010-11:

**TABLE II.9
PETITION / CASES DISPOSED / DISMISSED**

	With directions to IRDA	Without directions to IRDA
- Special Leave Petition (SLP)	0	1
- Writ Petitions disposed/ dismissed	6	26
- Writ Appeals / LPA's disposed /dismissed	0	0
- Review / Restoration Petitions disposed / dismissed	0	0
- Contempt Petitions disposed / dismissed	0	2
- Consumer cases disposed/ dismissed	0	0
- Civil cases disposed/ dismissed	0	0
- MACT/MRTP/Lok Adalat cases disposed/ dismissed	0	0
TOTAL	6	29

II.3.3 In two writ petitions, IRDA was directed to look into renewal of Broker licence afresh by a two members Committee. In one writ petition, the Court directed IRDA to dispose the representations filed before it. In two writ petitions, Court has directed IRDA to proceed against the Broker in accordance with law. In yet another case relating to cashless facilities, the Court directed IRDA to ensure that the interests of the policyholders are protected.

SIGNIFICANT ORDERS PASSED DURING 2010-11

II.3.4 W.P (C) Nos. 13288/2011 filed before H'ble High Court, Kerala along with batch of cases and W.P.10908/2011 filed before H'ble High Court of Madras along with batch of cases.

The Writ petitions were filed before H'ble Madras and Kerala High Courts challenging the IRDA notification Ref: IRDA/NL/NTFN/MOTP/066/04/2011 dated 15th April, 2011. The said notification was made by the Authority in exercise of power vested under section 14 (2) of IRDA Act, 1999 revising the motor third party insurance premium with effect from 25th April, 2011.

Order: The H'ble High Courts of Madras and Kerala vide their Order dated 14th June, 2011 and 22nd June, 2011 respectively dismissed the petitions and upheld the notification of IRDA. The Writ Appeals filed in Madras High Court was also dismissed by the Division Bench vide Order dated 14th July, 2011. The H'ble Kerala High Court observed the correctness and sustainability of the rates now notified. It is to be primarily noted that the IRDA is an 'Expert Body' in this regard, who has finalized the rates, based on a clear cut formula and with reference to the actual facts and figures, after considering the objections /suggestions /recommendations preferred by the parties concerned /after several rounds of discussions. There is no challenge as to the constitutional validity of the 'Authority' or as to the credentials of the 'Experts' in this regard. The prescription of rates is obviously based on the relevant parameter. Further, the last revision effected was in the 2007 and by this time, cost escalation has gone to sizable extent in almost all spheres, which includes the insurance segment as well. Similarly, the extent of liability fixed on the insurers in the Third Party Claims has also got substantially mounted up, by virtue of higher 'multiplicand' being adopted and such other relevant factors leading to higher Awards by the Motor Accident Claim Tribunals (MACT) enhancements awarded by the High Courts in Appeals and also by the Apex Court in appropriate cases.

Finally, the H'ble Kerala High Court vide its Order dated 22nd June, 2011 upheld the notification and dismissed the writ petitions, with an observation that the "extent of hike" in motor third party insurance premium is purely a matter to be left to the 'Expert body' who have considered all the relevant materials and the objections/recommendations raised from the different corners before the same was finalized. This is also liable to be treated as a 'Policy decision', over which, there cannot be any transgression on the part of this Court.

The H'ble Madras High Court vide Order dated 14th June, 2011 while dismissing the writ petitions, observed that the notification of IRDA is based on rational classification and subject to sound reasoning and evolved after public consultation with the stakeholders.

II.3.5 Writ Petition No.7948/2008 - Dhruv Kumar vs IRDA and Others before H'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench.

The Petitioner Mr. Dhruv Kumar filed a Public Interest Litigation in the High Court on the ground of non-availability of Nomination facility for the Compulsory Personal Accident cover granted to Owner-Driver of Motor vehicles. He quoted the provisions of Section 39

of Insurance Act, 1938 relating to Nomination by Policyholder and Section 14(2)(b) of IRDA Act, 1999 relating to Protection of Interest of Policyholders in this regard. IRDA, while revising the Proposal form for Compulsory Motor Third Party Insurance (Liability Only Policy), vide Circular No. IRDA/NL/F&U/Cir/Misc./101/06/2010 dated 28th June, 2010 made provision for nomination in Para 28 (Compulsory Owner Driver-Personal Accident cover) and Para 29 (Personal Accident cover for named occupants) of the Standard Proposal form for "Liability only" Policy. The Petitioner quoted this Circular where provision has been made for nomination.

Order: The H'ble High Court has taken cognizance of the IRDA Circular No. IRDA/NL/F&U/Cir/Misc./101/06/2010 dated 28th June, 2011 and directed IRDA that the nomination provision available in "Liability Only" Policy be provided to Motor Package Policy as well.

II.3.6 SLP (C) No. 14326/11- Insurance Regulatory and Development Authority and Ors. vs Willis India Insurance Brokers Pvt. Ltd. & Ors. before Supreme Court of India

While applying for license/renewal of license to function as an insurance broker, the applicants are bound to disclose material facts as per item 5.1 of Form A read with regulations 6, 9 and 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations. Willis India Insurance Brokers Pvt. Ltd. ('Willis') was first issued Composite Broker Licence on 3rd April, 2003 for a period of 3 years. The licence was renewed for another three years i.e., for the period 4th April, 2006 to 3rd April, 2009. However, there was a dispute between Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and BACSPL [shareholder of Willis] regarding non-payment of certain amount, which was not disclosed to the Authority at the time of renewal of application in 2006.

Accordingly, in view of such non-disclosure of material facts, while considering renewal application in 2009, under powers vested by Section 14 of the IRDA Act read with Regulation 14 (1) of the IRDA (Brokers) Regulations, 2002, the Authority refused to grant renewal of license.

Against this Order, Willis approached the Bombay High Court and the Court vide Order dated 21st October, 2010 directed the Authority to constitute a Committee of two whole time members of IRDA to decide on the renewal application of Willis.

The two member Committee constituted by the Authority, after giving hearing to representatives of Willis passed the Order dated 26th November, 2010, upholding the

decision of the Authority denying renewal of license on the ground that Willis India had not furnished the information as required in item 5.1 of Form A read with regulations 6, 9 and 13 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations wherein even settled disputes were required to be disclosed in the said Form A by every applicant. The Committee noted that the Authority had been denied of the facts of the dispute with ECGC which would have otherwise led to the weighing of the application in terms of Regulation 9 (1) of the IRDA Brokers Regulations as well as Section 42 D of the Insurance Act, 1938.

Against this Order of the two member Committee, Willis filed a fresh writ petition in Bombay High Court, and the Court vide Order dated 7th March, 2011 decided that the rejection of renewal application on the ground of non-disclosure of dispute between BACSPL (shareholder of Willis) and ECGC was not a relevant aspect which was required to be considered at the time of considering renewal application. The Court directed the two member Committee to take a fresh decision on renewal application in accordance with the law. The Court at the same time clarified that if there is any other ground available with IRDA and if there is any legal impediment in passing the Order of renewal, the same may also be considered after bringing such impediment to the notice of Willis. The Court however directed that the non-disclosure of dispute between BACSPL and ECGC was not a relevant aspect and the same may not be taken into consideration while deciding the renewal application afresh. Thereafter, the two member Committee, as per the Order of the Court, took a fresh decision on the renewal application of Willis and upheld the refusal of the renewal on the ground of violation of regulation 23 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations.

Thereafter, IRDA filed the Special Leave Petition against the observation regarding the non-disclosure in the above final Order/judgment dated 7th March, 2011 passed by the H'ble High Court of Judicature at Bombay keeping in mind the policyholders' interests which in the opinion of IRDA would be gravely jeopardized if the said Order was not overruled, as fit and proper evaluation of antecedents of shareholders will not be possible. The future applicants will be free to suppress material facts affecting their application for grant of license.

Order: The Supreme Court vide Order dated 5th July, 2011 noted that since the Authority has complied with the Order of Bombay High Court therefore it will not intervene in the said Order. However, the Supreme Court left the question of law raised by IRDA in the SLP open.

II.3.7 W. P. No. 23161/10- Strategic Insurance Broking Services P. Ltd. vs IRDA & Ors in the High Court of Andhra Pradesh.

IRDA, IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. and Lanco Amarkantak Power Pvt. Ltd were impleaded as respondent nos. 1 to 3 in the subject petition.

Strategic Insurance Broking Services Private Limited ('Broker') had inter alia challenged the action of IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. in not paying the renewal commission for affecting the renewal of the policy taken by Lanco Amarkantak Power Pvt. Ltd. from the said insurer.

The Broker contended that Lanco Amarkantak Power Pvt. Ltd. had purchased an insurance policy for insuring their 300MV Unit-I power project from IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. seeking the services of the broker but at the time of renewal of the said policy for the year 2009, the premium towards the same was paid by Lanco Amarkantak Power Pvt. Ltd to IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. directly, thereby resulting in denial of the renewal commission by IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd.

The Broker alleged that the action of IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. in directly accepting the premium from Lanco Amarkantak Power Pvt. Ltd. and denying renewal commission is in violation of the IRDA guidelines and regulations.

The Broker also contended that on approaching the IRDA for resolving the said dispute, on the ground of it being an issue between an intermediary and insurer, the IRDA had vide its letter dated 26th August, 2010, intimated the Broker that it had no power to adjudicate the dispute between the intermediary and the policyholder, as the same did not fall within its regulatory purview and further advised the petitioner to approach the appropriate legal forum for resolution of the dispute.

Aggrieved by the said decision of the IRDA, the Broker had filed the subject petition inter alia praying for quashing of the said letter of the IRDA dated 26th August, 2010 and further prayed for issuance of direction to IRDA to adjudicate the dispute between them and the insurer on merits.

Order: The H'ble High Court while dismissing the petition vide Order dated 22nd March, 2011 observed that in the instant case there is no dispute between the Broker and IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd i.e. the insurer. Rather, it is a dispute between the Broker and

insured, and the jurisdiction conferred upon IRDA does not cover the same. The Court directed the Broker to avail its remedy before the appropriate forum, in accordance with the law.

II.3.8 C.C No.5/ 2010 – Vijay Mittal & another vs Saveria Charitable Trust & others filed before the District Consumer Forum, Batinda, Punjab.

The complaint was filed challenging repudiating the claim made by them under the Saveria Health Care Scheme, on the ground that the Reliance General Insurance Company has not issued the policy. IRDA, which was impleaded, as a party, took the plea that it is performing statutory duties under the IRDA Act, and does not render any service for consideration within the meaning of the Consumer Protection Act, and that it was neither a proper nor necessary party to the said proceedings and on the said basis sought for the deletion of its name from the array of parties.

Order: The H'ble Forum accepted the plea of IRDA, and observed that being a statutory body set up by an Act of Parliament, IRDA does not charge any fees or receive any consideration for the functions discharged by it and hence, the complainant would not be a consumer vis-a-vis IRDA and thereafter by its Order dated 31st January, 2011 dismissed the complaint against IRDA.

II.4 INTERNATIONAL CO-OPERATION IN INSURANCE

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

II.4.1 The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) established in 1994 is a global standard setting body whose objectives are to promote effective and globally consistent regulation and supervision of the insurance industry in order to develop and maintain fair, safe and stable insurance markets for the benefit and protection of policyholders; and to contribute to global financial stability. Over the years, the membership, which includes insurance regulators and supervisors, has grown to over 190 jurisdictions representing some 140 countries. The IAIS has over 120 organisations and individuals representing professional associations, insurance and reinsurance companies, international financial institutions, consultants and other professionals as observers. This involvement reflects the increasing global nature of insurance markets and the need for consistent supervisory standards and practices. In addition, it recognizes the important contribution that strong supervisory regimes make which

leads to financial stability both within the respective jurisdictions and across markets. The IAIS provides an effective forum for standard-setting and implementation activities by providing opportunities to both practitioners and policy makers to share their expertise, experience and understanding.

II.4.2 The IAIS's activities are undertaken with active guidance of its Executive Committee, which comprises of 15 voting members elected from different regions across the globe and the Chair of the Budget Committee who is an ex-officio non-voting member. This is complemented by the Technical Committee, the Implementation Committee and the Budget Committee, supported by their working parties. The day-to-day business and affairs of the IAIS are taken care of by its Secretariat, located at the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland.

II.4.3 The IAIS develops principles, standards and guidance for effective insurance supervisory regimes. In doing so, it acts as a facilitator to establish and maintain fair and efficient insurance markets for the benefit and protection of policyholders. The IAIS also prepares 'Issue Papers' that provide background on specific areas of interest to insurance supervisors. In its recent meeting, the IAIS announced the adoption of revision to the IAIS Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology (ICP). The ICPs constitute the globally accepted framework used in the evaluation of supervisory regimes under the Financial Sector Assessment Program (FSAP) conducted jointly by the World Bank and International Monetary Fund (IMF). The revised ICPs take into account the experience gained from the FSAP assessments as well as recommendations issued by the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors and the Financial Stability Board. The revised ICPs, which include an entirely new principle guiding future work in the area of macro-prudential surveillance, continue to represent a solid basis for the further strengthening of insurance supervision globally.

II.4.4 The IAIS collaborates closely with other international financial institutions; international associations of supervisors; and regulators to participate in and contribute to shaping of financial systems globally. The IAIS is also one of the constituting bodies of the Joint Forum and participates in the activities of its working groups. The IAIS is also represented on the Financial Stability Forum. The IAIS provides inputs to the International Accounting Standards Board (IASB) for its work on the International Financial Reporting Standards (IFRS) and more particularly on those standards, which are specifically relevant to the insurance sector. The IAIS is a member

of the IASB's Standards Advisory Council as well as the official observer of its Insurance Working Group and Financial Instruments Working Group. It also has observer status on the Financial Action Task Force (FATF) which combats money laundering and terrorist financing.

II.4.5 The Authority is represented by its Chairman on the Executive Committee of the IAIS and by the Members on the various Committees of the IAIS looking into insurance contracts, accounting aspects, insurance laws, reinsurance, financial conglomerates, solvency, frauds, etc. Chairman, IRDA is also the Chairman of the Implementation Committee of the IAIS. The details of various Committees/Sub-committees on which IRDA is represented are given in the Table below:

**TABLE II.10
COMMITTEES / SUB-COMMITTEES OF IAIS**

- Implementation Committee Sub-committees
 - Education Sub-committee
 - Standards Observance Sub-committee
 - Supervisory Cooperation Sub-committee
- Insurance Groups and Cross Sectoral Issues Sub-committee
- Governance and Compliance Sub-committee
- Reinsurance & Other Forms of Risk Transfer Sub-committee/Reinsurance Mutual Recognition Sub-group
- Insurance Frauds Sub-committee
- Solvency Sub-committee
- Insurance Contracts Sub-committee
- Pension Coordination Group
- Market Conduct Sub-committee
- Micro Insurance Joint Working Group (CGAP)

II.4.6 In the aftermath of the global financial crisis, various Committees of the IAIS are particularly focussing on issues relating to developing and maintaining a comprehensive and cohesive set of supervisory papers on group-wide supervision of insurance activities; and cross-sectoral issues and those related to the supervision of financial conglomerates. The other area of considerable importance is the disclosure and transparency of information to policyholders, consumer protection and coordination between supervisors or other bodies dealing with various aspects of market conduct of insurers and intermediaries.

II.5 PUBLIC GRIEVANCES

Life Insurance

II.5.1 The Grievances Cell of the Authority receives grievances from the policyholders against insurance companies. Such complaints are forwarded to the companies for resolution at their end. The insurance companies are required to keep the Grievances Cell of IRDA informed about the status of respective grievances and whether the same have been resolved or otherwise. As on 31st March, 2011, there were 254 complaints lodged with the Authority pending resolution by life insurance companies. During the year 2010-11, the Authority received 9,656 complaints (2,449 in 2009-10), out of which, 2588 related to LIC (606 in 2009-10) and 7,068 related to private sector insurers (1,843 in 2009-10).

II.5.2 During 2010-11, the insurance companies resolved 97.47 per cent of the complaints (86.41 per cent in 2009-10). While the private life insurers resolved 97.42 per cent of the complaints registered (88.4 per cent in 2009-10), LIC resolved 97.58 per cent of the complaints (81.0 per cent in 2009-10) filed against them with the Authority. As on 31st March, 2011, 254 complaints were still pending with the insurance companies, out of which 188 pertained to the private sector and 66 to LIC.

**TABLE II.11
STATUS OF GRIEVANCES : LIFE INSURERS**

Insurer	Outstanding as at 31.03.2010	Grievances reported during 2010-11	Grievances resolved during 2010-11	Outstanding as at 31.03.2011
LIC	150	2588	2672	66
Private	245	7068	7125	188
TOTAL	395	9656	9797	254

TABLE II.12

**BREAK-UP OF COMPLAINTS LODGED WITH THE GRIEVANCES CELL
(LIFE INSURANCE) DURING 2010-11**

Sl. No.	Nature of Complaints	No. of Complaints	In per cent
1	Sales Related	2301	23.83
2	Non-refund of Proposal Deposit	105	1.09
3	Non-receipt of policy bond	819	8.48
4	Free-look refund	508	5.26
5	Cancellation of policy	850	8.80
6	Error in policy schedule	94	0.97
7	Issue of duplicate policy	108	1.12
8	Adjustment of premium	166	1.72
9	Alterations in policy	212	2.20
10	Revival of lapsed policy records	258	2.67
11	Nominations/assignments of policies	116	1.20
12	Transfer of policy records	57	0.59
13	Non-receipt of Statement of account/Bonus	57	0.59
14	Partial withdrawal related	45	0.47
15	Non-payment of surrender value/claim/maturity benefit/survival benefit/annuities	2096	21.71
16	Correct surrender value not paid	205	2.12
17	Penal interest not paid	107	1.11
18	Repudiation of claim	72	0.75
19	Health insurance related	41	0.42
20	NAV related	101	1.05
21	Others	1338	13.86
	Total	9656	100.00

II.5.3 Analysis of the complaints lodged with the Life Insurance Grievance Cell in 2010-11 has revealed that the three major causes of grievances of the policyholders are sales related (23.83 per cent), non-payment of surrender value / claim / maturity benefit / survival benefit / annuities (21.71 per cent) and cancellation of policy (8.80 per cent).

Non-Life Insurance

II.5.4 The non-life insurance companies resolved 75.49 per cent of the complaints outstanding and received during the year. The private non-life insurance companies resolved 89.91 per cent of the complaints registered and

public non-life insurance companies resolved 64.20 per cent of the complaints filed against them with the Authority. As on 31st March, 2011, 1,429 complaints were still pending with the insurance companies for resolution, out of which 258 belonged to private sector and 1,171 pertained to public sector non-life insurance companies.

II.5.5 As on 31st March, 2011, a total of 1,429 complaints were outstanding against non-life insurance companies. Of the pending grievances, 22.56 per cent are policy related issues, 51.08 per cent relate to non-settlement / delay in settlement of complaints, and 23.23 per cent relating to the repudiation / partial settlement of claims.

TABLE II.13
STATUS OF GRIEVANCES - NON LIFE INSURERS DURING 2010-11

Insurer	Outstanding as on 31.03.2010	Grievances reported during 2010-11	Grievances resolved during 2010-11	Outstanding as on 31.03.2011	Break-up of outstanding grievances according to nature			
					A	B	C	D
Public	427	2844	2100 (64.20)	1171	237	606	291	37
Private	129	2430	2301 (89.91)	258	85	124	41	8
Total	556	5274	4401 (75.49)	1429	332 (22.56)	730 (51.08)	332 (23.23)	45 (3.15)

Note: Figures in brackets are percentage of the grievances resolved during the year

A: Policy related issues

C: Repudiation / partial settlement of claim

B: Non-settlement / Delay in settlement of claims

D: Other reasons

II.6 INSURANCE ASSOCIATION AND INSURANCE COUNCILS

LIFE INSURANCE COUNCIL

II.6.1 Life Insurance Council is a body set up under section 64C of the Insurance Act, 1938. All registered life insurers are members of the Council and are represented on it by their CEOs. There are two nominees from the IRDA, one of whom is the Chairman of the Council. The Secretary General functions as the chief executive of the Council. During the financial year 2010-11 the Council met five times. The Council has formed several standing Sub-committees. In addition, as and when needed specific areas of work are taken up at meetings of 'working groups' constituted to discuss emerging issues from time to time. In most Sub-committees, members choose a Chairman from among themselves. The Committee-based approach ensures participation by and valuable contribution from, a wide cross-section of senior executives from the industry in very diverse areas of life insurance.

The details of the various activities taken up by the Life Insurance Council during 2010-11 are indicated below:

II.6.2 The Sub-committee of Chief Financial Officers (CFOs) met twice during the year. Their meetings were focussed on various issues relating to Service Tax amendments, Goods and Services Tax (GST), pre and post budget 2011 memorandum, etc. However the core group of Chief Financial Officers (CFO) Sub-committee met frequently to discuss the representation on GST for the life insurance industry. The Committee actively engaged with Ernst and Young (E&Y) for finalising industry representation on Goods and Services Tax (GST).

II.6.3 The Human Resources and Administration (HR and Admin) Committee met once during the year. Amongst the various issues discussed by the Committee were, the development of the base level Common Insurance curriculum to meet the training needs of the agents - the duration of the course could vary from one to several month; and the importance of branding the life insurance industry as a potential career opportunity. The Committee also deliberated on various measures which could be taken whereby the good practices of life companies could be shared within the HR and Admin Committee members of the Life Council.

II.6.4 The Statistical Data Sub-committee met once during the year. The Sub-committee reviewed the disclosure regulations issued by the Authority against the background of the data collected by the Life Council. The Sub-committee decided that the following additional set of data should be provided to the Council on a monthly basis:

- Death Claim in numbers, since amount is already being provided to Council.
- Surrender payments made by insurance company separately for both traditional and ULIP policies.
- Details of business procured distribution channel wise both for Individual and Group business – number of policies and amount.

II.6.5 The Legal and Compliance Sub-committee met twice during 2010-11. Several important issues were raised, deliberated and recommendations were made by the Committee on topics like Distance Marketing, Key Features document, etc. The Committee made a representation to Telecom Regulatory Authority of India

(TRAI) on their recent customer preference regulations affecting insurance industry. The Committee also made recommendations to the IRDA Committee on fines / penalties / nomination / assignment etc.

II.6.6 The Life Insurance Awareness Sub-committee organised two press meets in June 2010 at Kolkata and in December 2010 at Kochi to create awareness about the importance of life insurance. These proved to be successful events with coverage through both print and electronic media in tier II cities.

II.6.7 During the year, the Life Council had formed a core group to discuss issues related to the development of the Prospect Product Matrix. A detailed paper was prepared by the group of actuaries formed by Life Council and it was submitted to IRDA.

II.6.8 The Life Council held a series of meetings on the GST roadmap for the life insurance industry during the period 2010-11. The Life Council also actively engaged with E&Y and finalised the representation on the suggested model of GST for life insurance industry.

II.6.9 The Life Council had formed a core group to discuss on issues related to Mutual Funds. The core group had a series of meetings with Infotech to discuss and resolve issues relating to the mutual fund software.

II.6.10 The Life Council also formed a core group to discuss on issues related to Crisil bond valuation tool. The core group actively engaged with Crisil and a uniform tariff rate has been negotiated with Crisil for all life insurers.

II.6.11 The Council's website continued to provide statistical data, latest news and other information on the insurance industry. The quarterly statistical data has been appreciated by both the media and the industry. The number of hits from different geographies – national and international increased significantly after upgrading its design and interlinking it with websites of IRDA, insurance Ombudsmen and all life insurers. A feedback/query/grievance forwarding mechanism was modified and continued to be managed by the Secretariat of the Council.

GENERAL INSURANCE COUNCIL

II.6.12 During the year 2010-11 with the induction of "L&T General Insurance Co. Ltd", the membership of Council increased to 24. There were six meetings of the Executive Committee of the Council in 2010-11.

II.6.13 In addition, the Council organized meetings of Underwriting Heads of various Departments, CFOs, and

other Senior Executives of the member-companies from time to time. The activities of these forums will be taken forward to enhance camaraderie and rapport amongst the executives of non-life insurers with the broad objectives of enhancing customer service standards, maintaining market discipline and healthy development of the non-life insurance market in the country.

II.6.14 Besides the above-mentioned activities, the Secretary General represented the non-life insurance industry in the conferences / seminars / meetings of various forums like FICCI, BCCI, CII, ASSOCHAM, Press meets and other public initiatives in different cities as well as on the various Committees constituted by IRDA.

II.6.15 The Secretary General also represented the Industry's view point and opinions on various matters referred to by different Ministries like Ministry of Finance (Insurance Division), Ministry of Transport and Ministry of Finance (Revenue Division) and Central Board of Direct Taxes (CBDT) officials.

II.6.16 The Council continued with its efforts to pursue various projects for the benefit of the Industry and its customers. Acting as the one-point contact for various institutions and trade bodies, it deliberated over the matters referred to it by IRDA, member companies and others, and acted upon the various resolutions.

II.6.17 Motor and Health Insurance portfolios continued to engage the Industry's attention in terms of meeting customers' expectations, growth, profitability and supporting regulatory initiatives.

II.6.18 Health

- The contentious issue of portability has been debated time and again. The Council has come to a consensus that portability is feasible, i.e. the benefit of Pre-Existing Disease (PED) condition / exclusion and waiting period would be available to the porting Insured, subject to the new insurer's underwriting as per File & Use guidelines. The finer procedural details were being worked out by IRDA in consultation with member companies.
- In the context of following references, from Ministry through the IRDA, after adequate deliberations it was concluded that each company could examine at their end and decide the best coverage that they can offer for:
 - Non-allopathic treatment of illnesses; and
 - Physically challenged persons.

- Issues relating to coverage for mass schemes of the Government and its resultant effect on the method of calculating solvency ratio were represented to the IRDA and were favorably resolved.
- Health Insurance schemes floated by various Governments and others, inviting bids from TPAs for servicing such schemes without the intervention of Insurance Companies were pointed out to the IRDA. The issue has since been examined and resolved as per the Industry's request.
- Service Tax on cashless payments to hospitals was resolved.

II.6.19 Motor

- The negotiations with various Transporters' Association were finally concluded and a revision in the Motor TP premium for all vehicles was notified by the IRDA with effect from 25th April, 2011.
- Request for 30 days to update the Registration Number of the vehicles on the data base was made to the IRDA.
- Industry's comments on the Sunder Committee Report pertaining to Amendments to the Motor Vehicles Act were conveyed to both IRDA and the Ministry.

II.6.20 Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP)

- The Council's request for retaining the Pool funds at each company's end was agreed to by the IRDA. The funds accumulated by the Pool Administrator were also transferred back to the respective company.
- The recommendations of the Accounts and Taxation Committee were examined and responded to by IRDA in June 2011.

II.6.21 Marine

- Issue of liability cover for fare and non-fare paying passengers in Inland vessels was deliberated in the Council and it was decided that only limited liability cover could be granted; as was the international practice.
- Following revision in Institute Cargo Clauses (ICC), the Industry took up revision of Institute Trade

Clauses (ITC) and has received the approval from IRDA for the revised clauses.

- Based on the advice of Supreme Court, the Council has taken up the exercise to revise the subrogation letter used in Marine claims.

II.6.22 Property

- Issues pertaining to Terrorism Pool, like maximum utilization of pool capacity were discussed and a consensus developed in the Council.
- The Underwriters have been meeting to discuss issues of common interest in property business.

II.6.23 Accounts & Taxation

- Industry's views and comments on the Direct Tax Code (DTC) were represented to the Government, the Standing Committee on Finance and the CBDT.
- Representation related to TDS on reinsurance premium was made to the Finance Ministry and Tax authorities.
- Financial Condition Reporting was implemented as per IRDA guidelines.
- Representations related to Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with Rule 17E of the Insurance Rules, 1939 were made to the IRDA from time to time.
- Issues arising out of existing methodology for calculation of Solvency Ratio were conveyed to IRDA for consideration.

II.6.24 General

The Industry's views on the following have been communicated to the IRDA:

- Integrated Grievance Management System
- Incorporation of Unique Identification Number in General Insurance policies
- Exposure draft on Outsourcing Activities.

The Insurance Information Bureau (IIB) developed in collaboration with IRDA went live with online data upload and line of business wise report generation capabilities being granted to Member Companies.

II.6.25 Marketing

- Industry's views on the guidelines for distance marketing were conveyed to IRDA.
- At the suggestion of companies and request by Insurance Institute of India (III), a Committee of Officers added 450 questions to the agent's examination database.
- Views on revision of Syllabus for the Agents' Exam were also conveyed to the IRDA.

II.7 FUNCTIONING OF OMBUDSMEN

II.7.1 During 2010-11, the twelve Ombudsmen centres spread across India have received a total of 21,065 complaints. While 11,017 complaints (52 per cent)

pertained to life insurers, the remaining 10,048 (48 per cent) related to non-life insurers. This was in addition to 2,269 complaints pending with various offices of Ombudsmen as at the end of March 2010. The offices of Ombudsmen have handled a total of 23,334 cases during 2010-11.

II.7.2 During 2010-11, the Ombudsmen have disposed of 17,239 complaints. Of these complaints, Ombudsmen declared seventy one per cent of the complaints as Non-Acceptable/Not-Entertainable. Awards/Recommendations were issued only for fifteen per cent of total complaints. Other than this, seven per cent of the complaints were withdrawn, while another seven per cent of the complaints were dismissed.

II.7.3 At the end of March 2011, 6,095 cases are still pending with Ombudsmen for adjudication.

TABLE II.14
DISPOSAL OF COMPLAINTS BY OMBUDSMEN DURING 2010-11

Insurer	Complaints O/S as on 31.03.2010	Complaints received during 2010-11	Total	Complaints disposed during 2010-11	No. of complaints disposed by way of				Complaints O/S as on 31.03.2011
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
Life	888	11017	11905	9551	846 (8.86)	586 (6.14)	627 (6.56)	7492 (78.44)	2354
Non-life	1381	10048	11429	7688	1717 (22.33)	681 (8.86)	568 (7.39)	4722 (61.42)	3741
Combined	2269	21065	23334	17239	2563 (14.87)	1267 (7.35)	1195 (6.93)	12214 (70.86)	6095

Note: O/S - Outstanding

(I) Recommendations / Awards

(II) Withdrawal / Settlement

(III) Dismissal

(IV) Non-acceptance / Not-entertainable

Figure in brackets indicates percentages to the respective complaints disposed.

PART – III

STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Section 14 of the IRDA Act, 1999 (IRDA Act) lays down the duties of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. Sub-section (2) of the said section lays down the powers and functions of the Authority. Chapter III of the Annual Report covers the activities of the Authority in 2010-11 while carrying out its functions and exercising the powers conferred on it.

III.1 Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration

III.1.1 During 2010-11, the Authority granted certificate of registration to L & T General Insurance Co. Ltd. to underwrite general insurance business. During the current

financial year 2011-12, the Authority granted certificate of registration to Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd., to underwrite life insurance business. With the registration of these companies, the total number of life insurers registered with the Authority has gone up to 24. The number of general insurers too stands at 24 as on 30th September, 2011. In addition to the above, there is one national reinsurer. The certificates of registration issued earlier to all the existing life and non-life insurance companies (including the reinsurer) have been renewed in terms of Section 3A of the Insurance Act, 1938.

III.1.2 During 2010-11, the Authority levied penalty on eight general insurance companies, five life insurance companies, one reinsurer and a commercial bank (corporate agent) for non-compliance with various regulatory stipulations.

TABLE III.1
PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY (1st APRIL, 2010 TO 31st MARCH, 2011)

Sl. No.	Name of Insurance Company/ Corporate Agent	Amount of Penalty	Date of Penalty	Brief Particulars of the violation committed
1	Cholamandalam General	₹5 lakh	20 th July, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines
2	SBI Life	₹10 lakh	11 th August, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines
3	TATA AIG General	₹5 lakh	23 rd August, 2010	Failure to comply with its obligations towards social sector for the year 2006-07
4	National Insurance	₹10 lakh	26 th August, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines as well as non-compliance of Section 3(2) of IRDA (General Insurance – Reinsurance) Regulations, 2000
5	General Insurance Corporation	₹5 lakh	14 th September, 2010	Failure to comply with the investment regulations
6	United India	₹5 lakh	16 th September, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines
7	IFFCO Tokio General	₹5 lakh	23 rd September, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines
8	Oriental Insurance	₹5 lakh	23 rd September, 2010	Failure to comply with File and Use guidelines

ANNUAL REPORT 2010-11

9	Bharti Axa Life	₹10 lakh	27 th September, 2010	Violation of stipulation under regulation 2(g) (i) of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000
10	Bharti Axa General	₹10 lakh	27 th September, 2010	Violation of stipulation under regulation 2(g) (i) of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000
11	Reliance Life	₹10 lakh	29 th October, 2010	Failure to comply with File and use guidelines as well as violation of Referral Circular dated 14th February, 2003
12	TATA AIG Life	₹5 lakh	14 th December, 2010	Failure to comply with Section 40B of the Insurance Act, 1938, read with Rule 17D of Insurance Rules, 1939 for the financial year 2009-10
13	Cholamandalam General	₹5 lakh	23 rd February, 2011	Failure to comply with the provision of guidelines on licensing of corporate agents
14	Central Bank of India	₹5 lakh	24 th February, 2011	Failure to comply with the guidelines on licensing of corporate agents and violation of Regulation 10(l)(vi)(ii) of IRDA (Insurance Advertisement and Disclosure) Regulations, 2000
15	Bajaj Allianz Life	₹10 lakh	18 th March, 2011	Failure to comply with File and Use guidelines as well as violation of ULIP guidelines

III.2 Protection of the interests of policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance

III.2.1 IRDA has brought out regulations providing for various do's and don'ts for insurers and intermediaries at the point of sale, point of claim etc. Time frames have been set for servicing policyholders under the Regulations. Further, the Regulations mandate insurers to have in place an effective mechanism for redressal of policyholder grievances. IRDA has set up a "Grievances Cell" for policyholders of life and non-life insurance companies and a separate channel for senior citizens for expressing their grievances with regard to health insurance policies. Apart from playing a facilitative role in helping policyholders getting their grievances redressed by insurers within the stipulated time, IRDA examines on a continuous basis the underlying issues that cause grievances and works towards rectifying the systemic issues involved.

III.3 Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediaries or Insurance Intermediaries and agents

III.3.1 The licensing and code of conduct for all the intermediaries in the Insurance business are specified clearly in the regulations framed under the IRDA Act, 1999 vide Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, professional requirements and code of conduct), Regulations, 2000, IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002, IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000 and IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002.

III.3.2 The Authority has issued Guidelines on Qualifications of Corporate Insurance Executives and Faculty of Agents' Training Institutes (ATIs) vide circular no. IRDA/ AGENTS/ ORD/17 /JULY 2009 dated 3rd July, 2009. The Authority has also issued Guidelines on licensing of corporate agents vide circular no.017/IRDA/ Circular/CA Guidelines/2005 dated 14th July, 2005.

III.3.3 During the period under reference, the Authority issued circulars and made amendments to the regulations as indicated below:

- IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010 to incorporate penal provisions for non compliance of regulatory framework prescribed for corporate agents.
- IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010 to streamline the tie-ups between insurers and referral companies. The Regulations also prescribe ceilings on remuneration payable to referral entities and lays down the framework under which the referral entities and insurers have to conduct insurance business.
- Circular no. IRDA/CAGTS/CIR/LCE/092/06/2010 dated 7th June, 2010 to streamline the procedure for Transfer of Corporate Agents from one Insurer to another insurer.
- Circular no. IRDA/CAGTS/CIR/LCE/093/2010 on Inspection of Corporate Agents by Insurers.
- Issued standard instructions and guidelines vide circular dated 14th May, 2010, applicable for approval/Renewal of on-line Agents Training Institutes (Portals) approved/to be approved by the Authority.
- Order no. IRDA/AGTS/ORD/TRNG/109/07/2010 issuing instructions that at examination centers, the pre-recruitment examination for insurance agents are to be conducted in online mode after 31st March, 2011. The Authority also constituted a Committee to recommend on the examination fee to be charged from the candidates appearing in pre-recruitment examination for Insurance Agents and to finalize arrangements between Insurance Institute of India (III) and NSE-IT for conducting the said pre-recruitment examination.
- Issued Circular IRDA/CAGTS/GTL/LCE/106/06/2010 dated 28th June, 2010 laying down the procedure for issue/renewal of corporate agency licenses.
- Issued guidelines vide Circular no. IRDA /CAGTS/ CIR/LCE /039/03/2010 dated 2nd March, 2010 to deal with applications received for corporate agency license from 'persons' belonging to groups which are already engaged as corporate agents/brokers.

III.4 Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors

III.4.1 The code of conduct regarding the professional and ethical requirements for conduct of their professional work is specified in Chapter VI of the IRDA Regulations for Surveyors and Loss Assessors, 2000. Regulation 15 elaborates on the code which, *inter alia*, stipulates that a surveyor and loss assessor shall behave ethically and with integrity in the professional pursuits, shall strive for objectivity in professional and business judgment, act impartially when acting on instructions from an insurer in relation to a policyholder's claim under a policy issued by that insurer, conduct himself with courtesy and consideration to all people with whom he comes into contact during the course of his work etc. The code of conduct also states that a surveyor shall:

- not accept or perform work which he is not competent to undertake, unless he obtains some advice and assistance, as will enable him to carry out the work competently
- carry out his professional work with due diligence, care and skill and with proper regard to technical and professional practice
- at all times maintain proper record of work done by him and comply with all the relevant laws
- assist and encourage his colleagues to obtain professional qualifications, and in this behalf, provide free articleship and/or practical training for a period of twelve months
- maintain a register of survey work as provided for
- disclose to all parties concerning his appointment where the acceptance or continuance of such an engagement may materially prejudice, or could be seen to materially affect the interests of any interested party
- not disclose any information pertaining to a client or employer or policyholder acquired in the course of his professional work to any third party without the necessary consent, and
- cannot use or appear to use any confidential information acquired or received by him in the course of his professional work, to his personal advantage or to the advantage of a third party.

III.4.2 The IRDA, as mandated by the Government of India, has promoted the establishment of the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IISLA) in order to promote professionalism amongst surveyors as part of further reforms in the insurance sector.

III.4.3 The Authority's issued the following Circulars in 2010-11:

- IRDA's letter dated 5th August, 2010 has communicated its decision on various issues pertaining to licensed surveyors namely upgradation of Category, Removal of restriction in departments allotted to licensed surveyors, Training and examination requirements for upgradation of category allotted to surveyors.
- IRDA circular dated 27th August, 2010 on appointment of surveyors and loss assessors for such category of business only as specified in the license.
- IRDA's Order dated 20th September, 2011 on Constitution of Committee of Surveyors and Loss Assessors.

III.5 Promoting efficiency in the conduct of insurance business

III.5.1 The Authority took further initiatives to enhance efficiency in the conduct of insurance business.

III.5.2 The Authority has developed a new system namely, "Stolen Vehicles Recovery Information System" (SVRIS) in order to assist the police in identifying the insurer of stolen and subsequently recovered vehicles. Further, the development of software for SMS-based Vehicle Insurance Status information System has also been completed and the software is expected to be made operational soon.

III.6 Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business

III.6.1 The Life Insurance Council and the General Insurance Council are the platforms available for the healthy growth of the industry. Development of these self regulatory bodies augurs well for the industry to put across their view points on critical areas for the growth of the industry. In the same context, brokers licensed by the Authority are necessarily required to be members of the Insurance Brokers Association of India (IBAI).

III.6.2 The Authority has also recognized the need to have reliable, timely and accurate data for the efficient functioning of the insurance companies and also in the interest of the policyholders. To process the available data and disseminate it for the benefit of the various stakeholders, Authority on 15th October, 2009 has constituted Insurance Information Bureau in the form of an advisory board to obtain process and disseminate the data of insurers.

III.7 Levying fees and other charges for carrying out the purposes of the Act

III.7.1 The Authority in terms of powers vested by Section 3 of the Insurance Act levies both registration and renewal fees from the insurers and various intermediaries associated with the insurance business. Registration fee of ₹50,000 is charged at the time of granting of registration certificate to insurance companies. The renewal of registration fees for insurance companies stands at higher of (a) fifty thousand rupees for each class of insurance business, and (b) one-tenth of one per cent of total gross premium written direct by an insurer in India during the financial year preceding the year in which the application for renewal of certificate is required to be made, or rupees five crore, whichever is less. In case of the reinsurer, the fee is chargeable based on the facultative business written by the reinsurer in India. This follows amendment of regulation 20 of IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulation, 2000, issued in February 2003 after obtaining the approval of Insurance Advisory Council. There has been no revision in these charges post the amendments in February 2003.

III.8 Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business

III.8.1 The financial year 2010-11 was the eleventh year of operations of insurance companies, post opening up the sector. Effective financial year 2010-11, the Authority has started conducting comprehensive onsite inspection. During the year 2010-11, nine life and ten non-life insurance companies were inspected comprehensively. In addition, inspection of 14 Intermediaries/Brokers/Corporate Agents and 5 TPAs were carried out. The Authority also carried out inspections for specific purposes like adequacy of reserves, investment operations, etc. As undertaken in the previous report, the Inspection Department has been strengthened with increased supervisory resources paving the way for

increasing supervisory intensity aiming at inspection of all the companies which were not inspected previously and as also the companies which are perceived to be weak by the measures of capital adequacy, risk management, governance and premium size.

III.9 Control and regulation of rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

III.9.1 With de-tariffing of non-life industry w.e.f. 1st January, 2007, for all classes of tariff business except motor third party cover, the ball was set rolling for freedom to the insurance companies in pricing of the products. For motor third party cover, which is a statutory insurance cover required under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988, the Authority has retained the powers to determine the rates, terms and conditions.

III.9.2 To ensure that the third party motor insurance (also called 'Liability Only Cover') is made available notably for commercial vehicles, the Authority has constituted the Indian Motor Third Party Insurance Pool for commercial vehicles. The setting up of the Motor Pool has ensured involvement of all insurers in the underwriting and management of motor third party risks. The pool is managed by the General Insurance Corporation for a prescribed fee. The revised premium rates for third party motor insurance cover were notified by the Authority on 15th April, 2011 and the new rates have come into existence w.e.f. 21st April, 2011.

III.9.3 Thus, except for Motor Third Party risks, in case of other new insurances and renewals effective on or after 1st January, 2007, respective insurers are free to quote rates of premium in accordance with the rate schedules and rating guidelines filed with the Authority. Risks qualifying as large risks under paragraph 19 (v) of the circular no. 021/IRDA/F&U/ Sep-06 dated 28th September, 2006 are to be insured at the rates, terms and conditions and basis of insurance exactly as the rates, terms etc., as developed from the reinsurers with no variation.

III.9.4 Further, w.e.f. 1st January, 2009, the Authority has permitted relaxations in the terms and conditions of coverage of the erstwhile tariff classes of business in fire, engineering, Industrial All Risk (IAR) and Motor (Own Damage). In view of the relaxation, the Authority has been receiving proposals for innovative covers in the form of 'Add-On' covers in the above said classes of business to

enhance the coverage. However, the insurers are not permitted to abridge the scope of standard covers that were available under the erstwhile tariffs beyond the options stipulated in the erstwhile tariffs. During 2009-10 and 2010-11, about 250 add-on covers were approved by the Authority in different classes of insurance.

III.10 Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statements of accounts shall be rendered by Insurers and other insurance intermediaries

III.10.1 The Authority has mandated a number of measures to improve transparency and disclosures. These stipulations include those which pertain to additional disclosures in the financial statements and those in the public domains. The disclosures in the public domain include those on the respective websites of insurance companies, and in the newspapers on periodic basis.

III.10.2 All insurers are required to comply with the stipulations on disclosures on quarterly and annual basis, effective 2009-10. While moving towards certification based confirmation of compliance, the Authority has advised all insurers to file certificate of compliance within 60 days from the end of the respective quarter.

III.10.3 Further strengthening on the framework for protection of policyholders' interests and enhancing disclosure requirements in the financial statements, the Authority has issued a circular mandating the insurers not to write-off unclaimed sums pertaining to the policyholders and has also provided a separate line item under Schedule 13 for disclosure. In addition to the above, the age-wise break-up of the same is also required to be provided in the Notes to the Accounts forming part of the financial statements.

III.10.4 Rule 17E of the Insurance Rules, 1939 lays down the manner of computation of allowable expenses of management with respect to non-life insurance companies. The details of such expenses are required to be reported to the Authority. In order to bring uniformity in the reporting, Authority has defined certain terms used for computation of allowable expenses and has also specified the format for reporting on an annual basis. It would be recalled that similar reporting format is already in place for life insurance companies.

III.10.5 All public sector non-life Insurers implemented pay revision in the year 2010-11. In addition, Government of India has also increased the maximum ceiling of the gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972. Based

upon the representation received from the Industry, the Authority allowed the insurers to amortize the increase in liability on account of gratuity over a period of five years provided a proper disclosure to this effect is made in the notes to accounts.

Disclosures on Corporate Governance (CG):

III.10.6 The Guidelines on “Corporate Governance for the Insurance Sector” have made effective for the insurance sector from the financial year 2009-10. The Guidelines mandate constitution of various Sub-committees of the Board, their composition and roles and responsibilities. The CG Guidelines also recommend that the insurers put in place the “whistle blowing” policy at their offices. Additional disclosures have also been stipulated under the Corporate Governance Guidelines. Briefly, the disclosure requirements are indicated below:

- Number of the meetings held of the Board of Directors and of the Committees mandated under the guidelines, in the financial year
- Details of the composition of the Board of Directors and Committees mandated, setting out name, qualification, field of specialization, status of directorship held; etc.
- Number of the meetings attended by the Directors and the members of the respective Committees
- Details of the remuneration paid, if any, to the independent directors

III.10.7 With a view to monitoring compliance with the Corporate Governance Guidelines, the Authority has effective 2010-11, introduced filing of compliance checklist by the insurers at the end of each financial year.

Disclosures on payouts to intermediaries

III.10.8 Insurance legislation under section 31B(1) empowers the Authority to restrict excessive remuneration by insurance companies to any person whether by way of commission or otherwise. In order to monitor the same IRDA, under Circular reference IRDA/F&I/CIR/Data/091/06/2010 dated 2nd June, 2010, advised all insurance companies to submit details of various payments to intermediaries on an annual basis. Similar details under Bancassurance channel are called on a half-yearly basis. Details so received are subject to compliance checks with various stipulations of caps on payments. Non-compliances noticed in such verifications are under examination for suitable action.

Disclosures on Equity holding:

III.10.9 The insurers are required to furnish information about the pledge, encumbrance or any other charge created on the equity holding of the insurance company and of the promoters. These disclosures are required to be filed with the Authority on quarterly basis.

III.11 Regulating investment of funds by insurance companies

III.11.1 The Authority made significant changes in the regulations on investment of funds by insurance companies under the IRDA (Investment) Regulations in the previous year 2009-10. There were no changes in the same in the year 2010-11.

III.12 Regulating maintenance of margin of solvency

III.12.1 As per the Section 64 VA of the Insurance Act, 1938 every insurer is required to maintain a required Solvency Margin. The Authority reviews the solvency margin requirement for different lines of business periodically and makes changes, wherever required. It considered the need for reviewing the solvency margin requirement for pure term products, so as to help the insurers in launching more pure term products for sufficiently longer periods and at affordable rates. The Authority reviewed the solvency margin requirement for the linked business and proposed some factors with respect to linked business in working out the required solvency margin. These factors came into effect from December 31, 2008 onwards. Further, the life insurers were asked to submit scrip-wise details of investments available for arriving at the ‘available solvency margin’ along with actuarial valuation reports for the year ended 31st March, 2009 onwards. There have been no further amendments in the regulations since then.

III.12.2 In case of non-life insurance, the Authority has made changes in the calculation of Required Solvency Margin (RSM), which shall be the maximum of the fifty crore of rupees (one hundred crore of rupees in the case of reinsurer); or higher of RSM-1 and RSM-2 computed. The RSM-1 is the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty per cent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM-1, premium of the last 12 months on rolling basis will be taken into account. The RSM-2 is the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty per cent of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a Factor and the Net Incurred claims.

III.12.3 In order to promote Health insurance business and keeping in mind the short term tail of the Health insurance business, the Authority permitted the following relaxations as regards computation of solvency by the general insurers for their Health insurance business

- Relaxed the requirement of Section 64(1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 for computation of Reserve for Unexpired Risk or Health segment for three years i.e., up to 2012-13. This relaxation was initially introduced in 2008-09.
- Relaxed the provisions of Regulation 2 (1)(a) of IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 as regards the admissibility of assets in the specific context of government receivables subject to a maximum period of 180 days.

III.12.4 In order to bring uniformity in the manner of calculation of Solvency Margin in respect of Motor TP Pool, the Authority issued a clarification that Gross Premium in respect of Motor TP Pool will be defined as “retrocession received from Motor TP Pool and Gross Incurred claim will be taken as incurred claim of Retroceded Business.”

III.13 Adjudication of disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries

III.13.1 As per Regulation 41(2) of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002, any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of his engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

III.13.2 The Authority in exercise of its power under section 14(m) of IRDA Act, 1999 initiated adjudication of the following disputes between the Insurers and Insurance Brokers:

PRMAN Reinsurance Brokers Pvt. Ltd. vs The Oriental Insurance Co Ltd.

A complaint was received from The Oriental Insurance Co. Ltd. in respect of a claim involving a huge recovery from Reinsurers M/s Contego Underwriting (formerly known as Mayflower Engineering Consortium), London and M/s TSM Agencies Ltd., London. The Authority

granted both parties an opportunity of being heard on 5th March, 2010. The written submissions pursuant to the hearing have been submitted by the parties and the matter is under examination.

Megatop Insurance Broking Ltd. vs Agriculture Insurance Company of India Ltd.

A complaint was received against Megatop Insurance Broking Ltd. (MIBL) from Chairman-cum-Managing Director, Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AICIL), alleging gross irregularities of varying nature by MIBL with regard to Weather Based Crop Insurance Scheme. The Authority suspended the License of MIBL and initiated enquiry proceedings against it. The enquiry was completed and a copy of the report forwarded to the broking company and to the complainant for their comments. The enquiry report and reply of both parties is under examination.

Key Insurance Brokers Pvt. Ltd. vs The Oriental Insurance Co Ltd.

A complaint was received against Key Insurance Brokers Pvt. Ltd. from The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL), alleging connivance of the broker in the fraudulent claim of about ₹4 lakh reported under the Standard Fire and Special Perils Policy of M/s Vaibhav Packaging placed by the broker with OICL Branch Office, Ghaziabad. The Authority conducted an investigation on the complaint received from the insurer. Upon considering the investigation report and the explanation furnished by the broker, the Authority has issued a show cause notice and granted an opportunity of personal hearing to the insurance broker. The matter is under examination.

III.14 Supervising the functioning of the Tariff Advisory Committee (TAC)

III.14.1 After the de-tariffing of general insurance business w.e.f. 1st January, 2007 the regulatory and administrative role of the Tariff Advisory Committee in controlling rates, terms and conditions in non-life insurance sphere is no longer in existence. In order to settle employee related issues promptly, it was necessary that a quick and neat decision was taken by the Central Government and the Authority in redeploying the staff. The Central Government therefore constituted a Committee for distribution of existing employees of TAC, employees' liabilities and surplus among the general insurance companies; and any other residual function. The order of the Central Government assigned the task of residual activities and court cases of Tariff Advisory Committee to the IRDA.

III.14.2 As per section 64UB (5) of the Insurance Act, 1938 Chairman, IRDA is in direct charge of the establishment of the Tariff Advisory Committee. As per section 64UH (1) of the Insurance Act, 1938 the conditions of service of the employees of the Tariff Advisory Committee can be altered by it. Therefore, in exercise of the powers vested under section 14(2)(n) of the IRDA Act, 1999, section 64UB (5) and 64UH (1) of the Insurance Act, 1938 and Central Government Order dated 10th February, 2011, the Authority issued Orders for redeployment on absorption basis, all the existing employees of Tariff Advisory Committee amongst New India Assurance Company Limited, United India Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, General Insurance Corporation Limited and IRDA. The allocation of officers and staff of the Tariff Advisory Committee to different organisations has been decided in principle.

III.15 Specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in clause (6)

III.15.1 The Authority has not prescribed any percentage of the premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in clause (6).

III.16 Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the Insurers in the rural and social sector

III.16.1 The obligations as stipulated in the IRDA (Obligations of insurers towards the rural or social sector) Regulations, 2002 lay down the requirements to be complied with by the insurers during the first five years of their operations. In case of the public sector insurers these obligations have been linked to their performance in the year 2001-02 in these sectors. With the amendments which were notified in 2007-08, the obligations of the private insurers upto the tenth year of operations has been laid down. Simultaneously, the obligations of the public sector insurers were also revisited. The obligations of the private insurers are as under:

III.16.2 Rural sector

- in respect of a life insurer: commencing from seven per cent of the total policies written direct in the first financial year to twenty per cent in the tenth financial year onwards.
- in respect of a non-life insurer: commencing from two per cent of total gross premium income written direct in the first financial year to seven per cent from the ninth financial year onwards.

III.16.3 Social Sector

In respect of all insurers commencing from five thousand lives from the first financial year to fifty five thousand lives from the tenth financial year onwards.

In respect of the existing insurers as on the date of commencement of IRDA Act, 1999 (four non-life insurers and LIC), as indicated above, the Regulations provided that the quantum of insurance business to be done in the rural and social sectors shall not be less than what was recorded by them for the accounting year ended 31st March, 2002. Based on the amendment regulations notified by the Authority, the Obligations of these insurers towards the rural and social sectors for the financial year 2007-08 to the financial year 2009-10 were as under:

III.16.4 Life Insurance Corporation of India (LIC)

(a) Rural Sector Obligations:

- Financial year 2007-08: twenty four per cent; and
- Financial years 2008-09 and 2009-10: twenty five per cent

of the total policies written direct in that year.

The obligations applicable for 2009-10, are also applicable for all financial years thereafter.

(b) Social Sector Obligations

Twenty lakh lives should be covered for the years 2007-08 to 2009-10.

The obligations applicable for 2009-10, are also applicable for all financial years thereafter.

III.16.5 Non-life insurers:**(a) Rural Sector Obligations**

- Financial year 2007-08: six per cent
- Financial year 2008-09 and 2009-10: seven per cent

of the total gross premium income written direct in that year.

The obligations applicable for 2009-10, are also applicable for all financial years thereafter.

(b) Social Sector Obligations

For the financial year 2007-08:

- the average of the number of lives covered by the respective insurer in the social sector from the financial years 2002-03 to 2004-05 or
- 5.50 lakh lives whichever is higher.

The obligations of the insurers underwent an increase of ten per cent in each of the financial years 2008-09 and 2009-10, over the number of persons actually covered in the financial year 2007-08.

The obligations applicable for 2009-10, are also applicable for all financial years thereafter.

III.16.6 In addition, with a view to giving fillip to micro insurance and to aligning the rural and social sector obligations with the micro insurance regulations the manner of compliance has been linked to the micro insurance regulations. Further, in order to provide time to insurance companies to establish operations to enable them to comply with their obligations towards the rural and social sectors, amendments have been made to the Regulations. It has been provided that in cases where an insurance company commences operations in the second half of the financial year and is in operations for less than six months as at 31st March of the relevant financial year:

- no rural or social sector obligations shall be applicable for the said period; and
- the annual obligations as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operations for the purpose of compliance.

In cases where an insurance company commences operations in the first half of the financial year, the applicable obligations for the first year shall be 50 per cent of the obligations as specified in these Regulations.

III.17 Exercising such other powers as may be prescribed

III.17.1 The Central Government did not prescribe any powers to the Authority and consequently Authority did not exercise any powers.

PART IV ORGANISATIONAL MATTERS

IV.1 Organisation

IV.1.1 During the year 2010-11, IRDA forged ahead towards the tasks before it under the guidance and chairmanship of Shri J Hari Narayan. The year saw Shri K K Srinivasan, Member (Non-life) demit office after completion of his tenure on 4th September, 2010. Shri M Ramaprasad joined the Authority as Member (Non-life) on 11th October, 2010. Prior to joining the Authority as Member, Shri M Ramaprasad was serving as General Manager in General Insurance Corporation of India. Dr R Kannan, Shri G Prabhakara and Shri R K Nair continued as whole time Members of IRDA during the year.

IV.1.2 Shri G Ramaswamy, President, Institute of Chartered Accountants of India, became part-time Member with effect from 6th February, 2011. Prof V K Gupta, Director, Management Development Institute, Gurgaon, has been inducted as part-time Member in place of Shri Vijay Mahajan, Chairman, BASIX Group. Smt Ela R Bhatt, Founder of Self Employed Women's Association (SEWA) and Smt L M Vas, Additional Secretary, Ministry of Finance continued to be part-time Members of IRDA.

IV.1.3 Shri Amarjit Chopra was part-time Member from 11th February, 2010 to 5th February, 2011. Shri Vijay Mahajan, Chairman, BASIX Group was part-time Member from 7th October, 2005 to 6th October, 2010.

IV.2 Meetings of the Authority

IV.2.1 Five meetings of the Authority were held during the financial year 2010-11. IRDA also held two meetings of the Insurance Advisory Committee (IAC) during the year under review.

IV.3 Human Resources

IV.3.1 The Authority reviews regularly the capacity available and the need for additional resources from time to time. In the process, the Authority has recruited 4 Assistant Directors during the year 2010-11 and has notified recruitment drive in different levels of Assistant Director, Deputy Director, Joint Director and Senior Joint Director.

IV.3.2 The Authority, in conjunction with Government of Andhra Pradesh, has set up the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) at Hyderabad in 2002. The

functioning of IIRM is overseen by the Board of Directors headed by the Chairman, IRDA.

IV.4 Promotion of Official Language

IV.4.1 A separate Official Language Implementation Department has been set-up and is functioning in IRDA to ensure implementation of the constitutional provisions of Official Language; to implement the Official Language Policy of the Government of India; and to promote use of Hindi in the headquarters as well as in the subordinate offices. All efforts are being made to promote use of Hindi in the official work. Progress made in the use of Hindi was reviewed periodically and necessary measures were adopted to achieve the targets fixed for various items under the Annual Programme for the year 2010-11 issued by the Department of Official Language. IRDA publishes a monthly Journal, which also contains a Hindi Section. All Notifications issued by IRDA are in bi-lingual form.

IV.5 Research & Development

IV.5.1 Consequent upon the publication of first edition of the Handbook on Indian Insurance in 2008, the Research & Development Department continued to extend the coverage of this publication in order to meet the increasing needs of various stakeholders in the industry. The 3rd edition of the Handbook was published in February 2011, which incorporated many new time-series data sets. It widened the coverage by incorporating statistics on individual and corporate agents, channel-wise new business and state-wise life insurance statistics of number of offices and business in the life segment. In addition, data on assets under management and status of grievances redressed were included in the Handbook for both life and non-life segments. Further enhancing on the data series, financial performance of specialised institutions, i.e., General Insurance Corporation, Agriculture Insurance Company, Export Credit Guarantee Corporation and health insurers were also added in the Handbook. The Department continues to strive at improving the coverage and content of the Handbook in its 4th edition, which is likely to be released in January 2012. The Department continues to be the nodal point for the compilation of the Annual Report of the Authority.

IV.5.2 The Ministry of Statistics & Programme Implementation, as part of its various initiatives, constituted a Steering Committee to identify sectors of importance on which Manuals on various sector specific

statistical indicators could be prepared. The Steering Committee identified "Insurance" as one of the critically important sectors for the said purpose. In this backdrop, the Authority has constituted a Committee for the compilation of Manual on Insurance Statistics. The Committee also consists of expert members drawn from academics and insurance companies apart from the IRDA officials. The manual on Insurance Statistics is likely to cover all the relevant aspects of the statistics collected by the IRDA as also other concerned agencies with regard to insurance and allied topics. The first meeting of the Committee was convened in March 2011 to discuss the modalities of Manual compilation.

IV.5.3 The Technical Advisory Committee under Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) recommended the constitution of a Sub-committee for the compilation of an Index of Services Production (ISP) in India in respect of the insurance sector. The Authority has taken up the initiative to develop the methodology for the compilation, which would facilitate the Sub-committee to construct the desired Index. The Sub-committee is expected to examine and identify the potential data source and liaise for regular availability of data for ISP compilation. The Sub-committee will also examine various issues relating to the coverage, selection of base year, weighting criteria, identification of variables, deflators, etc. of the index. The R&D Department is examining the existing common practices and international developments in the area of compilation of the ISP for insurance sector, which would serve as a basis for constructing the Index for Indian Insurance sector.

IV.5.4 The R&D Department actively participated in various conferences/seminars and presented papers on insurance related topics. The Department also provided statistical support to various departments of the Authority and was also involved in various studies, eg. Bancassurance Model, Early Warning System, etc.

IV.6 Status of Information Technology of IRDA

IV.6.1 Implementing robust IT systems and facilitating the operational departments with appropriate analytical / reporting tools is one of the key focus areas of the Authority in order to establish an effective monitoring mechanism. Such implementation would enable the officials of the Authority to spend their quality time in analyzing the data. Further, developing customer centric applications like product comparators, integrated grievance management system etc. will help policyholder/prospective policy holders to address their needs in terms of tools for selecting right insurance products, centralised system for filing their grievances etc. Keeping in view of the above, the Authority has taken many IT initiatives

during the year 2010-11. The status of these initiatives is as follows:

Business Analytics Solutions (BAS)

IV.6.2 In order to have "better regulation and supervision through automation and business analytics", the Authority has initiated the process of development of Business Analytics System.

The following are the broad objectives of the proposed system:

- Efficient management of data and information received from insurers and intermediaries received in the form of financial statements, investment schedules, actuarial reports, reports on re-insurance, etc.
- Designing and developing uniform & standard formats for submission of returns, statements and reports by the insurers/intermediaries.
- Introduce a system of on-line filing of returns, reports and statements by insurers/ intermediaries.
- Enhance the efficiency of IRDA in the preparation of monthly, quarterly & annual (including any other periodicity) Business Analytics Reports and their publications involving
 - Automated extraction of information
 - Collaboration
 - Content Management
- Design and implement Business Analytics System (BAS) for
 - Effective supervision & regulation including compliance
 - Monitoring trends of the insurance industry
 - Risk based assessment of functioning of Insurers
 - Providing Early Warning Signals
 - Initiating corrective action
 - Triggering on-site inspection
 - Establish a system for archival of old data, information & documents.

The Phase-I activities of the project relating to requirements of gathering, Gap Analysis, preparation of 'TO-BE' report, Functional Requirement Specifications (FRS) document, Preparation of Request For Proposal (RFP), Finalisation of and Tendering etc., were carried out during the year 2009-10 and the process of selection of implementing agency for the Business Analytics

System has since been completed. The phase-II activities i.e., design and implementation of the Business Analytics Solution have been commenced with the selected implementing agency.

Implementation of Enterprise Resource Planning System (ERPS)

IV.6.3 During the year 2009-10, it was envisaged by the Authority to automate the functions of Administration Department through robust ERP software. The process of selection of implementing agency was completed after following due tendering process. A formal agreement was signed with the selected implementing agency and the design/development work has since been completed. The Authority is now in the process of implementing the system.

Integrated Grievances Management System (IGMS)

IV.6.4 IGMS is a comprehensive solution which not only has the ability to provide a centralized and online access to the policyholder but also complete access and control to IRDA for monitoring grievance disposal by insurance companies. IGMS also enables detailed analyses to the operational department that would help them to identify issues of concern for the policyholder. IGMS also has the ability to classify different complaint types based on pre-defined rules. The system facilitates in assigning, storing and tracking unique complaint IDs and also enables intimation to various stakeholders as required, within the workflow. The system enables defining of target Turnaround Times (TATs) and measuring the actual TATs on all complaints. The system sets up alerts for pending tasks nearing the laid down Turnaround Time. Thus, the system automatically triggers activities at the appropriate time through rule based workflows.

IV.6.5 IGMS provides a standard platform to all insurers to resolve policyholder grievances and also enables the stakeholders to analyze data on complaints and make systemic changes wherever required. The development exercise for IGMS was completed during 2010-11 and the system was successfully made operational from 2nd June 2011.

Stolen Vehicles Recovery Information System (SVRIS)

IV.6.6 Insurance Information Bureau (IIB) is collecting transaction level data on Motor insurance of vehicles from non-life insurance companies. In order to assist the police in identifying the insurer of stolen and subsequently recovered vehicles, IIB has established a call centre facility called Stolen Vehicles Recovery Information System (SVRIS).

The functioning of SVRIS is as under:

- Any police station which has recovered a stolen vehicle, and is trying to find the insurer of the vehicle, can contact IIB call centre through the toll free number 1800 425 4734 (short code 155266).
- IIB will collect basic information like Engine number, Chassis Number etc., from the reporting officer for locating the insurer of the vehicle in IIB's database.
- Acknowledgement will be sent to the email id provided by the reporting officer.
- The vehicle details will be searched in IIB's database. On locating the vehicle details, the insurer will be sent an email informing about the recovery of the vehicle and police station where the vehicle is lying. This will enable the insurer to approach the police station for further action.

IV.6.7 The police stations can also send the details about the stolen vehicle through email, which will also be processed as mentioned above.

IV.6.8 Development software for SMS based Vehicle Insurance Status information System has also been completed and the software is expected to be made operational soon.

Mobile Application for Comparison of Products and Rates

IV.6.9 The mobile application is being developed to provide a mechanism for consumers/prospects to make informed decisions by comparing features of insurance products through mobiles. The application works on all popular mobile platforms. Users can also, through any mobile that enables internet access, access the information.

IV.6.10 The application shall enable real-time mobile based access to the IRDA repository containing details of the products. It would enable users to compare the features such as premiums, benefits, rates etc. Users would be in a position to select similar products for comparison by searching in three alternative ways viz., Search by Company, Search by Policy type and Search by Keywords.

IV.6.11 The launch screen of the application, as indicated above, shall have three options. Search by Company lists the companies offering related products from which the user can select companies of interest to display products. The products available shall be displayed and the user would have the option to select upto three products for comparison. The details of the selected products would thereafter get displayed. Search by Policy Type would list out different types of policies from which user would

be able to select required type and the system would display the products available. The user would be able to select upto three products for comparison. The system would display the comparative details of the selected products. Search by Keywords would enable the user to search either by policy type or company by entering a certain keyword. The selected product information would get displayed in a pop-up window.

IV.6.12 The development work for the above application has since been completed and the application is expected to be launched soon.

Development of Product Comparison Application for General Insurance Products

IV.6.13 The Authority is in the process of developing an application to compare the features of different general insurance products (Motor, Fire, Health, Engineering and Industrial All Risks) across insurers. The application, which will be web based, would have the following features:

- The web site will be available to all visitors as a link from the current IRDA website (<http://www.irda.gov.in>)
- Based on the Lines of Business (LOB) and Sub-LOB selected, the user would be provided with a list of insurance companies having approved products in the market.
- For product comparison a user can select a maximum of 4 approved products. Product comparison of selected products across various companies can be made based on various parameters like the coverage, exclusions, discounts, deductibles, etc.
- The comparison provided will be in a Yes-No format; it will indicate if a specific coverage is applicable or not. There would be no comparisons by text i.e. differences in wordings would not be highlighted.
- The comparison will be provided as textual data e.g. Premium ratings displayed side by side.

The necessary agency for the development of said application has already been finalised and the development work has since commenced.

IV.7 Accounts

IV.7.1 The Accounts of the Authority for 2010-11 have been audited by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). Pursuant to the provisions of Section 17 of IRDA Act, 1999, the Audited accounts along with the Audit Report are required to be forwarded to the Government of India to be placed in both Houses of Parliament.

IV.8 IRDA Journal

IV.8.1 With the November 2010 issue, the IRDA Journal, the monthly publication of the Authority, completed eight years of purposeful existence; and continues to be recognized for the quality inputs on various issues associated with the industry. The additional statistical information which was introduced in the Journal last year continues to cater to the various needs of the industry; and has been well-received by the various stakeholders. The insurers, especially in the non-life domain, have expressed a wide utility of the statistical information provided in the Journal. The list of contributors for the Journal in the form of articles, research papers etc. has been going up steadily with several new authors evincing a keen interest in writing for the Journal; and this has resulted in a good source of varied opinion – both domestic as well as international. The demand for the hard copy of the Journal has been growing as always, thereby indicating the continued interest of various stakeholders in the Journal as also endorsing the fact that it is serving its purpose. The web copy of the Journal continues to be the source for an increasing number of readers.

IV.8.2 During the year 2010-11, several topical and relevant issues have been captured as the focus of the Journal. The various topics which were covered as issue focus during the period are: Product Development in Insurance; The Importance of Underwriting in Insurance; Efficiencies in Claims Management; Public Disclosures and Business Analytics; Disaster Management and Role of Insurance; Technology Support in Insurance Services; Corporate Social Responsibility and Insurance Industry; and Risk Management for Insurers. Depending on the importance of the topic as also the response to it, some important areas of focus were taken up for a repeat coverage during the year.

IV.9 Acknowledgements

IV.9.1 IRDA would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the Members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Department of Financial Services (Ministry of Finance), all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation in its proper functioning and to the compact team of officers and employees of the IRDA for efficient discharge of their duties. The Authority also records its special thanks to the members of the public, the press, all the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) for their valuable contribution from time to time.

STATEMENTS

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE PENETRATION*

(In Per Cent)

Countries	Total	2009**		Total	2010**	
		Life	Non-Life		Life	Non-Life
Australia	6.4	3.4	3.0	5.9	3.1	2.8
Brazil	3.1	1.6	1.5	3.1	1.6	1.5
France	10.3	7.2	3.1	10.5	7.4	3.1
Germany	7.0	3.3	3.7	7.2	3.5	3.7
Russia	2.5	0.0	2.5	2.3	0.0	2.3
South Africa	12.9	10.0	2.9	14.8	12.0	2.8
Switzerland	9.8	5.4	4.5	9.9	5.5	4.4
United Kingdom	12.9	10.0	3.0	12.4	9.5	2.9
United States	8.0	3.5	4.5	8.0	3.5	4.5
Asian Countries						
Bangladesh	0.9	0.7	0.2	0.9	0.7	0.2
Hong Kong	11.0	9.6	1.4	11.4	10.1	1.4
India #	5.2	4.6	0.6	5.1	4.4	0.7
Japan	9.9	7.8	2.1	10.1	8.0	2.1
Malaysia	4.4	2.9	1.6	4.8	3.2	1.6
Pakistan	0.7	0.3	0.4	0.7	0.3	0.3
PR China	3.4	2.3	1.1	3.8	2.5	1.3
Singapore	6.8	5.1	1.7	6.1	4.6	1.6
South Korea	10.4	6.5	3.9	11.2	7.0	4.2
Sri Lanka	1.4	0.6	0.9	1.4	0.6	0.9
Taiwan	16.8	13.8	3.0	18.4	15.4	3.0
Thailand	4.0	2.4	1.6	4.3	2.6	1.7
World	7.0	4.0	3.0	6.9	4.0	2.9

Source: Swiss Re, Sigma Volumes 3/2010 and 2/2011.

* Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars)

** Data pertains to the calendar year 2009 and 2010.

Data relates to financial year 2009-10 and 2010-11.

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE DENSITY*

(In US Dollar)

Countries	Total	2009**		Total	2010**	
		Life	Non-Life		Life	Non-Life
Australia	2832.7	1524.8	1307.9	3369.2	1766.3	1603.0
Brazil	251.7	127.9	123.8	327.6	169.9	157.7
France	4269.1	2979.8	1289.4	4186.6	2937.6	1249.0
Germany	2878.4	1359.7	1518.7	2903.8	1402.2	1501.6
Russia	280.9	4.5	276.4	296.8	6.4	290.4
South Africa	738.1	574.2	163.9	1054.7	854.6	200.1
Switzerland	6257.6	3405.6	2852.1	6633.7	3666.8	2966.9
United Kingdom	4578.8	3527.6	1051.2	4496.6	3436.3	1060.2
United States	3710.0	1602.6	2107.3	3758.9	1631.8	2127.2
Asian Countries						
Bangladesh	5.2	3.9	1.3	5.8	4.4	1.4
Hong Kong	3304.0	2886.6	417.5	3635.5	3197.3	438.2
India #	54.3	47.7	6.7	64.4	55.7	8.7
Japan	3979.0	3138.7	840.4	4390.2	3472.8	917.4
Malaysia	321.8	206.9	115.0	421.1	282.8	138.3
Pakistan	6.6	3.0	3.6	6.1	3.2	2.9
PR China	121.2	81.1	40.0	158.4	105.5	52.9
Singapore	2557.6	1912.0	645.6	2823.4	2101.4	722.1
South Korea	1890.3	1180.6	709.7	2339.4	1454.3	885.1
Sri Lanka	29.5	11.8	17.7	34.2	13.7	20.6
Taiwan	2752.1	2257.3	494.8	3296.2	2756.8	539.3
Thailand	154.4	91.7	62.7	199.4	121.9	77.5
World	595.1	341.2	253.9	627.3	364.3	263.0

Source: Swiss Re, Sigma Volumes 3/2010 and 2/2011.

* Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population.

** Data pertains to the calendar year 2009 and 2010.

Data relates to financial year 2009-10 and 2010-11.

FIRST YEAR (INCLUDING SINGLE PREMIUM) LIFE INSURANCE PREMIUM

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
LIC	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35
ING Vysya	—	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49
HDFC Standard	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33
Birla Sun Life	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30
ICICI Prudential	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6334.03	7862.14
Kotak Mahindra	—	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14
TATA AIG	—	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21
SBI Life	—	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7572.39
Bajaj Allianz	—	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82
Max New York	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39
MetLife	—	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22
Reliance	—	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94
Aviva	—	—	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39
Sahara	—	—	—	—	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83
Shriram	—	—	—	—	—	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99
Bharti AXA	—	—	—	—	—	—	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78
Future Generali	—	—	—	—	—	—	—	2.49	149.97	486.08	448.61
IDBI Federal	—	—	—	—	—	—	—	11.90	316.78	400.56	444.95
Canara HSBC	—	—	—	—	—	—	—	—	296.41	622.62	817.29
Aegon Religare	—	—	—	—	—	—	—	—	31.21	150.37	274.87
DLF Pramerica	—	—	—	—	—	—	—	—	3.37	37.38	74.15
Star Union Dai-ichi	—	—	—	—	—	—	—	—	50.19	519.87	758.69
IndiaFirst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201.59	704.77
PRIVATE TOTAL	6.45	268.51	965.69	2440.71	5564.57	10269.67	19425.65	33715.95	34152.00	38372.01	39368.65
		(4061.70)	(259.65)	(152.74)	(127.99)	(84.55)	(88.84)	(73.56)	(1.29)	(12.36)	(2.60)
TOTAL	9707.43	19857.28	16942.45	19788.32	26217.64	38785.54	75649.21	93712.52	87331.08	109893.91	126381.00
		(104.56)	(-14.68)	(16.80)	(32.49)	(47.94)	(94.96)	(23.88)	(-6.81)	(25.84)	(15.00)

Note: 1) Figures in the bracket represent the growth over the previous year in per cent.

2) — represents business not started.

STATEMENT 4

TOTAL LIFE INSURANCE PREMIUM

(₹ Crore)

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
LIC	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40
ING Vysya	—	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95
HDFC Standard	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17
Birla Sun Life	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07
ICICI Prudential	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63
Kotak Mahindra	—	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51
TATA AIG	—	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22
SBI Life	—	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12911.64
Bajaj Allianz	—	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95
Max New York	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63
MetLife	—	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17
Reliance	—	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15
Aviva	—	—	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17
Sahara	—	—	—	—	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41
Shriram	—	—	—	—	—	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52
Bharti AXA	—	—	—	—	—	—	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02
Future Generali	—	—	—	—	—	—	—	2.49	152.60	541.51	726.16
IDBI Federal	—	—	—	—	—	—	—	11.90	318.97	571.12	811.00
Canara HSBC	—	—	—	—	—	—	—	—	296.41	842.45	1531.86
Aegon Religare	—	—	—	—	—	—	—	—	31.21	165.65	388.61
DLF Pramerica	—	—	—	—	—	—	—	—	3.37	38.44	95.04
Star Union Dai-ichi	—	—	—	—	—	—	—	—	50.19	530.37	933.31
IndiaFirst	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201.60	798.43
PRIVATE TOTAL	6.45	272.55	1119.06	3120.33	7727.51	15083.54	28253.00	51561.42	64497.43	79369.94	88131.60
		(4124.31)	(310.59)	(178.83)	(147.65)	(95.19)	(87.31)	(82.50)	(25.09)	(23.06)	(11.04)
TOTAL	34898.47	50094.46	55747.55	66653.75	82854.80	105875.76	156075.84	201351.41	221785.47	265447.25	291604.99
		(43.54)	(11.28)	(19.56)	(24.31)	(27.78)	(47.41)	(29.01)	(10.15)	(19.69)	(9.85)

Note: 1) Figures in the bracket represent the growth over the previous year in per cent.

2) — represents business not started.

STATEMENT 5

INDIVIDUAL NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE

(Premium in ₹ Crore)

(Policies in nos.)

Insurer	Individual Agents		Corporate Agents		Brokers		Direct Selling		Total Individual		Referrals			
	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	New Business Policies	Premium		
Aegon Religare	35681 (38.29)	93.88 (36.14)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	6809 (7.31)	38.68 (14.89)	13093 (14.05)	25.08 (9.65)	37600 (40.35)	102.15 (39.32)	93183 (100.00)	259.78 (100.00)	161 (0.17)	3.45 (1.33)
Aviva**	78765 (41.24)	292.52 (43.93)	33810 (17.70)	144.90 (21.76)	16505 (8.64)	23.53 (3.53)	19864 (10.40)	38.11 (5.72)	42059 (22.02)	166.87 (25.06)	191003 (100.00)	665.92 (100.00)	41218 (21.58)	163.43 (24.54)
Bajaj Allianz	693357 (44.96)	1423.81 (54.93)	15586 (1.01)	100.80 (3.89)	703053 (45.59)	614.19 (23.70)	8309 (0.54)	14.35 (0.55)	121700 (7.89)	438.78 (16.93)	1542005 (100.00)	2591.92 (100.00)	12666 (0.82)	179.91 (6.94)
Bharti AXA	97271 (57.79)	166.68 (51.01)	4177 (2.48)	13.77 (4.22)	3105 (1.84)	15.91 (4.87)	22706 (13.49)	57.98 (17.74)	41048 (24.39)	72.40 (22.16)	168307 (100.00)	326.74 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
Birla Sunlife	527091 (52.49)	1106.14 (67.41)	33418 (3.33)	271.37 (16.54)	365059 (36.36)	119.11 (7.26)	40552 (4.04)	86.31 (5.26)	37973 (3.78)	57.92 (3.53)	1004093 (100.00)	1640.85 (100.00)	2988 (0.30)	1.11 (0.07)
Canara HSBC	0 (0.00)	0.00 (0.00)	111071 (99.80)	696.91 (99.86)	221 (0.20)	0.98 (0.14)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	6 (0.01)	0.03 (0.00)	111298 (100.00)	697.91 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
DLF Pramerica	17946 (48.65)	44.92 (60.69)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	5673 (15.38)	9.82 (13.27)	2054 (5.57)	3.51 (4.74)	11217 (30.41)	15.77 (21.31)	36890 (100.00)	74.01 (100.00)	82 (0.22)	0.13 (0.17)
Future Generali	94174 (30.00)	188.59 (45.91)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	183032 (58.300)	163.51 (39.80)	1783 (0.57)	3.86 (0.94)	34965 (11.14)	54.86 (13.35)	313954 (100.00)	410.83 (100.00)	7 (0.00)	0.02 (0.01)
HDFC Standard	451434 (54.35)	1075.26 (30.82)	332931 (40.09)	2130.98 (61.09)	1416 (0.17)	97.68 (2.80)	10965 (1.32)	75.39 (2.16)	33786 (4.07)	109.14 (3.13)	830532 (100.00)	3488.45 (100.00)	824 (0.10)	2.31 (0.07)
ICICI Prudential	614751 (45.52)	2306.83 (42.55)	192550 (14.26)	2132.59 (39.34)	51550 (3.82)	263.83 (4.87)	71468 (5.29)	377.34 (6.96)	420175 (31.11)	340.85 (6.29)	1350494 (100.00)	5421.44 (100.00)	380862 (28.20)	182.06 (3.36)
IDBI Federal	33816 (31.20)	103.00 (23.78)	55653 (51.35)	299.83 (69.21)	4 (0.00)	0.02 (0.00)	667 (0.62)	1.75 (0.40)	18250 (16.84)	28.63 (6.61)	108390 (100.00)	433.23 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)
India First	662 (0.59)	5.46 (1.06)	111167 (99.39)	508.13 (98.93)	1 (0.00)	0.00 (0.00)	1 (0.00)	0.01 (0.00)	19 (0.02)	0.01 (0.00)	111850 (100.00)	513.61 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)

Note: 1) Figures in brackets show percentage to total individual new business of each insurer procured through the respective channel

2) New business premium includes first year premium and single premium.

3) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

** New Business figures does not tally with the Schedule 1 of the company's annual report due to provision made for FreeLook cancellations.

* Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.

Does not include its overseas new business premium

INDIVIDUAL NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE

Insurer	(Premium in ₹ Crore)												(Policies in nos.)			
	Individual Agents		Banks		Corporate Agents		Others*		Brokers		Direct Selling		Total Individual		Referrals	
	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium	Policies	Premium
ING Vysya	187048 (68.17)	403.03 (61.71)	48967 (17.85)	155.73 (23.84)	14177 (5.17)	29.41 (4.50)	3370 (1.23)	11.39 (1.74)	20839 (7.59)	53.58 (8.20)	274401 (100.00)	653.15 (100.00)	20839 (7.59)	53.58 (8.20)		
Kotak Mahindra	122105 (47.18)	394.85 (40.90)	28755 (11.11)	290.09 (30.05)	29431 (11.37)	72.16 (7.48)	39051 (15.09)	126.12 (13.06)	39441 (15.24)	82.10 (8.50)	258783 (100.00)	965.32 (100.00)	775 (0.30)	1.72 (0.18)		
Max NewYork	432043 (52.93)	1040.76 (53.76)	116796 (14.31)	433.11 (22.37)	225341 (27.61)	379.60 (19.61)	31033 (3.80)	43.99 (2.27)	11046 (1.35)	38.40 (1.98)	816259 (100.00)	1935.85 (100.00)	5413 (0.66)	9.40 (0.49)		
MetLife	123760 (62.13)	375.97 (59.11)	46573 (23.28)	183.30 (28.82)	10834 (5.44)	29.41 (4.62)	6340 (3.18)	20.96 (3.30)	11704 (5.88)	26.43 (4.16)	199211 (100.00)	636.07 (100.00)	7093 (3.56)	25.04 (3.94)		
Reliance Life	739711 (38.88)	1559.08 (58.64)	40 (0.00)	0.15 (0.01)	936137 (49.20)	653.48 (24.58)	92940 (4.88)	164.32 (6.18)	133857 (7.04)	281.57 (10.59)	1902685 (100.00)	2658.59 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)		
Sahara	66767 (96.02)	89.58 (97.58)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2765 (3.98)	2.22 (2.42)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	69532 (100.00)	91.80 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)		
SBI Life	558682 (59.44)	2574.84 (53.76)	330767 (35.19)	2051.03 (42.82)	23157 (2.46)	61.86 (1.29)	27372 (2.91)	101.64 (2.12)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	939978 (100.00)	4789.37 (100.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)		
Shriram	45074 (37.37)	235.98 (49.19)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	12048 (9.99)	26.82 (5.59)	40685 (33.73)	151.53 (31.58)	22803 (18.91)	65.42 (13.64)	120610 (100.00)	479.75 (100.00)	13879 (11.51)	57.44 (11.97)		
Star Union Dai-ichi	278 (0.28)	0.36 (0.06)	97452 (99.72)	589.80 (99.94)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	97730 (100.00)	590.17 (100.00)	2491 (2.55)	9.10 (1.54)		
TATA AIG	366404 (66.23)	793.96 (71.07)	44722 (8.08)	107.12 (9.59)	42824 (7.74)	47.03 (4.21)	71820 (12.98)	148.42 (13.29)	27433 (4.96)	20.64 (1.85)	553203 (100.00)	1117.18 (100.00)	8995 (1.63)	24.57 (2.20)		
Private Total	5286820 (47.65)	14275.50 (46.89)	1604435 (14.46)	10109.61 (33.21)	2633142 (23.73)	2649.24 (8.70)	504073 (4.54)	1452.04 (4.77)	1065921 (9.61)	1955.54 (6.42)	11094391 (100.00)	30441.94 (100.00)	498293 (4.49)	713.26 (2.34)		
LIC #	36294991 (98.06)	51390.02 (97.45)	332127 (0.90)	953.02 (1.81)	355339 (0.96)	308.51 (0.59)	7315 (0.02)	19.76 (0.04)	22505 (0.06)	60.78 (0.12)	37012277 (100.00)	52732.09 (100.00)	50479 (0.14)	122.65 (0.23)		
Industry Total	41581811 (86.44)	65665.52 (78.95)	1936562 (4.03)	11062.63 (13.30)	2988481 (6.21)	2957.75 (3.56)	511398 (1.06)	1471.80 (1.77)	1088426 (2.26)	2016.32 (2.42)	48106668 (100.00)	83174.03 (100.00)	548772 (1.14)	835.91 (1.01)		

Note: 1) Figures in brackets show percentage to total individual new business of each insurer procured through the respective channel.

2) New business premium includes first year premium and single premium.

3) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

** New Business figures does not tally with the Schedule 1 of the company's annual report due to provision made for FreeLook cancellations.

* Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.

Does not include its overseas new business premium

ANNUAL REPORT 2010-11

STATEMENT 6
GROUP NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE
(Premium in ₹ Crore)

Insurer	Individual Agents			Banks			Corporate Agents			Others*			Brokers			Direct Selling			Total Group New Business			Referrals		
	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered
Aegon Religare	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Aviva**	14	1.31	3531	4	0.48	812	3	8.09	-135410	31	2.28	39165	100	66.92	1515639	152	79.08	1423737	11	15.09	22679	11	15.09	22679
	(9.21)	(1.66)	(0.25)	(2.63)	(0.60)	(0.06)	(1.97)	(10.23)	(9.51)	(20.39)	(2.75)	(84.63)	(65.79)	(84.63)	(106.45)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.66)	(0.08)	(0.02)
Bajaj Allianz	308	7.78	47024	9	117.87	24331	413	177.96	6602636	92	26.00	103616	676	544.28	13329477	1498	873.90	20107084	1498	873.90	20107084	1	14.93	1954
	(20.56)	(0.89)	(0.23)	(0.60)	(13.49)	(0.12)	(27.57)	(20.36)	(32.84)	(6.14)	(2.98)	(0.52)	(45.13)	(62.28)	(66.29)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.07)	(1.71)	(0.01)
Bharti AXA	0	0.00	0	0	4.35	2276	6	15.74	15392	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(21.65)	(12.88)	(100.00)	(78.35)	(87.12)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Birla Sunlife	19	15.71	61512	3	6.30	1205	5	0.52	4006	49	10.45	46206	170	403.30	632723	246	436.28	745652	246	436.28	745652	0	0.02	104
	(7.72)	(3.60)	(8.25)	(1.22)	(1.44)	(0.16)	(2.03)	(0.12)	(0.54)	(19.92)	(2.40)	(6.20)	(69.11)	(92.44)	(84.85)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.01)
Canara HSBC	0	0.00	0	4	20.27	8428	0	0.00	0	0	0.00	0	5	104.57	95723	9	124.84	104151	9	124.84	104151	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(44.44)	(16.24)	(8.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(55.56)	(83.76)	(91.91)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
DLF Pramerica	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.01	10010	1	0.01	10010	1	0.01	10010	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	
Future Generali	1	0.04	104	0	0.00	0	1	0.04	124	61	23.05	2137157	47	14.89	27390	110	38.02	2164775	110	38.02	2164775	0	0.00	0
	(0.91)	(0.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.91)	(0.11)	(0.01)	(55.45)	(60.63)	(96.72)	(42.73)	(39.15)	(1.27)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
HDFC Standard	7	33.20	48443	0	0.00	0	0	0.00	0	51	11.03	33873	232	526.65	637037	290	570.88	719353	290	570.88	719353	0	0.00	0
	(2.41)	(5.82)	(6.73)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(17.59)	(1.93)	(4.71)	(80.00)	(92.25)	(88.56)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ICI Prudential	7	1.84	7088	0	0.00	0	2	1.47	98	11	12.09	49828	210	2424.15	3079433	230	2439.54	3136447	230	2439.54	3136447	0	0.00	0
	(3.04)	(0.08)	(0.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.87)	(0.06)	(0.00)	(4.78)	(0.50)	(1.59)	(91.30)	(99.37)	(96.18)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
IDBI Federal	0	0.00	0	5	9.96	53130	0	0.00	0	0	0.00	0	4	1.76	643175	9	11.72	696305	9	11.72	696305	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(55.56)	(85.01)	(7.63)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(44.44)	(14.59)	(92.37)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
India First	0	0.00	0	11	35.98	733109	0	0.00	0	2	0.61	521853	25	154.56	41952	38	191.15	1296914	38	191.15	1296914	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(28.95)	(18.82)	(56.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(5.26)	(0.32)	(40.24)	(65.79)	(80.86)	(3.23)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ING Vysya	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	7.34	1509	0	7.34	1509	0	7.34	1509	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	

Note: 1) Figures in brackets show percentage to total group new business of each insurer procured through the respective channel.

2) New business premium includes first year premium and single premium.

3) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

** New Business figures does not tally with the Schedule 1 of the company's Annual Report due to provision made for Freebook cancellations.

* Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.

Cont'd.... STATEMENT 6

GROUP NEW BUSINESS PERFORMANCE OF LIFE INSURERS - CHANNEL WISE

Insurer	(Premium in ₹ Crore)															(Schemes and lives in nos.)							
	Individual Agents			Banks			Corporate Agents			Brokers			Direct Selling			Total Group New Business			Referrals				
	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered	Schemes	Premium	Lives covered		
Kotak Mahindra	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	270	74.79	525767	391	213.02	1432801	661	287.81	1958568	0	0.00	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(40.85)	(25.99)	(26.84)	(59.15)	(74.01)	(73.16)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Max New York	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	369	7.49	181075	343	118.05	840751	712	125.54	858826	0	0.00	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(51.83)	(5.96)	(2.11)	(48.17)	(94.04)	(97.89)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
MetLife	13	2.88	12394	0	9.33	9156	2	0.07	1559	170	28.78	815049	122	29.09	1590514	307	70.15	2428672	0	5.76	1767	5.76	1767
	(4.23)	(4.10)	(0.51)	(0.00)	(13.30)	(0.38)	(0.65)	(0.11)	(0.06)	(55.37)	(41.03)	(33.56)	(38.74)	(41.47)	(65.49)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(8.21)	(0.07)	(8.21)	(0.07)
Reliance Life	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	42	3.73	131373	340	372.62	706485	382	376.35	837858	0	0.00	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(10.99)	(0.99)	(15.68)	(89.01)	(99.01)	(84.32)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Sahara	1	0.00	69	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	7	0.02	1039	8	0.02	1108	0	0.00	0	0.00	0
	(12.50)	(3.38)	(6.23)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(87.50)	(96.62)	(93.77)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SBI Life	2	17.09	17161	53	653.31	942571	2	8.52	7939	1	0.03	104	186	2104.08	537553	244	2783.02	1505328	0	0.00	0	0.00	0
	(0.82)	(0.61)	(1.14)	(21.72)	(23.47)	(62.62)	(0.82)	(0.31)	(0.53)	(0.41)	(0.00)	(0.01)	(76.23)	(75.60)	(95.71)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Shriram	0	0.00	0	0	0.00	0	1	36.63	135574	4	0.34	31564	7	55.26	602361	12	92.23	789499	1	18.45	315732	18.45	315732
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.33)	(39.72)	(17.82)	(33.33)	(0.37)	(4.10)	(58.33)	(59.92)	(78.28)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(8.33)	(20.00)	(41.03)	(20.00)	(41.03)
Star Union Daiichi	0	0.00	0	72	188.52	353994	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	72	168.52	353994	0	0.00	0	0.00	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
TATA AIG	14	6.26	9910	2	1.42	2434	1	9.52	22470	12	10.16	19116	60	187.68	627779	89	215.04	681709	0	0.00	0	0.00	0
	(15.73)	(2.91)	(1.45)	(2.25)	(0.66)	(0.36)	(1.12)	(4.43)	(3.30)	(13.48)	(4.72)	(2.80)	(67.42)	(87.28)	(92.09)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Private Total	386	86.11	207236	163	1027.80	2131446	436	258.55	6654388	1165	210.83	4635746	2937	7343.35	33943030	5087	8926.63	47571846	3	39.23	319262	39.23	319262
	(7.59)	(0.96)	(0.44)	(3.20)	(11.51)	(4.48)	(8.57)	(2.50)	(13.99)	(22.90)	(2.36)	(9.74)	(57.74)	(82.26)	(71.35)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.06)	(0.44)	(0.67)	(0.44)	(0.67)
LIC	4726	2342.28	3228396	1671	300.81	2520154	235	60.37	80966	101	2.71	21671	18776	31526.40	29808992	25509	34232.58	35660199	0	0.00	0	0.00	0
	(18.53)	(6.84)	(9.05)	(6.55)	(0.88)	(7.07)	(0.92)	(0.18)	(0.23)	(0.40)	(0.01)	(0.06)	(73.61)	(92.09)	(83.59)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Industry Total	5112	2428.39	3435632	1834	1328.61	4651600	671	318.92	6735374	1266	213.54	4657417	21713	38889.75	63752022	30596	43159.21	83232045	3	39.23	319262	39.23	319262
	(16.71)	(5.63)	(4.13)	(5.99)	(3.08)	(5.59)	(2.19)	(0.74)	(0.09)	(4.14)	(0.49)	(5.60)	(70.97)	(90.06)	(76.60)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.01)	(0.09)	(0.38)	(0.09)	(0.38)

Note: 1) Figures in brackets show percentage to total group new business of each insurer procured through the respective channel.

2) New business premium includes first year premium and single premium.

3) The leads obtained through referral arrangements have been included in the respective channels.

** New Business figures does not tally with the Schedule 1 of the company's Annual Report due to provision made for Freebook cancellations.

* Any entity other than banks but licensed as a corporate agent.

STATE WISE INDIVIDUAL NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	Aegon Religare No. of policies	Aviva No. of policies	Bajaj Allianz No. of policies	Bharti AXA No. of policies	Birla Sunlife No. of policies	Canara HSBC No. of policies	DLF Pramerica No. of policies	Future Generali No. of policies	HDFC Standard No. of policies									
Andhra Pradesh	3460	17410	145196	189.65	10837	21.55	83418	97.86	6707	41.09	212	0.49	16575	25.28	42942	187.47		
Arunachal Pradesh	0	422	1.87	1187	3.09	0	0.000	337	2.11	11	0.03	2	0.00	0	0.00	0		
Assam	2009	4504	12.22	55564	75.65	825	3.627	32770	34.51	987	4.26	1533	1.50	2231	3.29	8663	35.64	
Bihar	297	6390	12.03	151619	191.98	2242	3.21	66054	71.17	2583	13.07	2678	3.09	26825	25.73	6510	23.53	
Chattisgarh	922	3158	6.01	17375	35.14	3758	7.41	12410	18.88	699	3.21	125	0.15	967	1.89	5780	19.82	
Goa	893	460	3.34	1754	8.21	491	2.282	2675	9.62	555	4.30	0	0.00	648	1.07	3802	29.07	
Gujarat	5410	8927	39.83	54048	139.80	10786	22.95	48944	89.52	2485	19.29	2329	5.54	13748	18.66	51246	250.10	
Haryana	1530	7894	39.79	22245	41.80	1256	1.64	18967	48.77	7508	42.17	2587	7.15	5769	10.38	33323	202.19	
Himachal Pradesh	310	723	2.27	13342	20.74	503	0.92	3106	6.04	523	2.06	357	1.01	3363	4.41	3277	12.30	
Jammu & Kashmir	207	855	2.19	12960	33.44	1007	1.661	1121	2.238	2	0.030	73	0.12	976	2.10	3133	14.57	
Jharkhand	988	3517	10.08	59065	96.83	4647	8.55	15142	23.15	1528	6.15	132	0.17	8849	12.52	6293	30.15	
Karnataka	3678	7516	31.30	101629	133.51	11210	29.12	55446	137.22	15298	79.11	483	1.90	14000	17.90	70039	267.54	
Kerala	2424	3913	21.91	39258	138.67	8429	15.38	21874	63.76	3888	31.23	835	2.43	15847	23.39	39232	221.23	
Madhya Pradesh	4037	8612	19.45	34320	63.05	3165	4.98	67188	55.13	1502	8.47	382	0.49	5243	8.89	23945	83.10	
Maharashtra	27640	21249	110.46	98785	276.40	19056	51.06	124739	303.72	9694	135.60	1031	0.72	38413	55.82	244414	813.18	
Manipur	0	50	0.43	12632	12.62	0	0.00	46453	4.01	1	0.01	5	0.00	0	0.00	0	0.00	
Meghalaya	0	259	0.74	1100	2.54	123	0.11	2268	5.38	100	0.41	5	0.00	0	0.00	652	1.78	
Mizoram	0	2	0.09	797	5.20	0	0.00	240	2.717	0	0.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Nagaland	0	93	0.43	733	1.19	0	0.00	1330	4.55	4	0.04	2	0.00	0	0.00	5	0.00	
Orissa	2038	7418	22.09	93395	132.94	3910	7.06	39507	44.09	1278	5.29	2444	3.03	11506	14.90	14234	48.58	
Punjab	4287	12993	44.73	32977	82.66	7790	14.00	21103	38.91	13159	52.69	10468	26.14	9861	15.09	33641	142.31	
Rajasthan	2530	16486	28.91	31893	49.86	6378	10.47	46329	58.13	5305	15.80	1468	2.75	11606	13.64	22580	78.37	
Sikkim	115	358	1.10	1122	4.91	295	0.61	673	1.674	70	0.608	0	0.00	0	0.00	538	2.80	
Tamil Nadu	6248	11068	45.77	153859	189.10	14474	28.66	65091	97.47	7632	55.84	1086	1.61	26443	28.92	49806	280.43	
Tripura	0	1804	3.15	11023	11.93	0	0.0000	1133	1.04	124	0.63	1	0.00	0	0.00	3087	7.74	
Uttar Pradesh	8370	13640	38.10	174944	263.29	27256	29.91	123083	148.23	16390	58.26	2366	3.91	38391	54.64	56602	207.82	
Uttarakhand	664	3590	9.29	23824	33.22	2089	2.54	7699	8.05	1697	5.09	80	0.11	1359	1.87	3408	13.33	
West Bengal	4829	14129	55.77	169959	254.78	14055	21.33	56399	110.81	5276	47.42	3018	3.23	47236	47.99	44143	209.12	
Andaman & Nicobar Islands	0	13	0.048	813	0.50	0	0.00	0	0.00	16	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Chandigarh	2190	722	781	3.45	1943	5.25	3583	7.48	17.95	530	4.68	757	2.44	972	1.82	10778	55.34	
Dadra & Nagar Haveli	0	55	0.13	444	0.82	0	0.00	126	0.00	35	0.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Daman & Diu	0	8	0.04	0	0.00	0	5.08	0	0.00	6	0.03	6	0.02	0	0.00	0	0.00	
Delhi	8107	12451	67.86	19415	90.00	10142	25.13	35089	131.45	5620	60.16	2444	5.99	13126	20.59	47114	244.29	
Lakshadweep	0	3	0	40	0.09	0	0.00	0	0.00	6	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Puducherry	0	252	0.59	3045	3.06	0	0.00	1703	2.69	79	0.49	1	0.01	0	0.00	1345	6.67	
Company Total	93183	259.78	191003	665.92	1542005	2591.92	168307	326.74	1004093	1640.85	111298	697.91	36890	74.01	313954	410.83	830532	3488.45

STATE WISE INDIVIDUAL NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	ICICI Prudential No. of policies	ICICI Prudential Premium	IDBI Federal No. of policies	IDBI Federal Premium	IndiaFirst No. of policies	IndiaFirst Premium	ING Vysya No. of policies	ING Vysya Premium	Kotak Mahindra No. of policies	Kotak Mahindra Premium	Max NewYork No. of policies	Max NewYork Premium	MetLife No. of policies	MetLife Premium	Reliance Life No. of policies	Reliance Life Premium	Sahara No. of policies	Sahara Premium
Andhra Pradesh	93954	321.54	8241	22.29	22990	67.09	59744	132.49	8098	29.70	64750	132.13	13556	39.12	94125	164.20	2192	2.74
Arunachal Pradesh	0	0.00	64	0.78	14	0.04	4	0.01	0	0.00	103	0.53	58	0.07	939.00	4.33	0	0.00
Assam	20979	71.57	1621	6.84	270	1.16	1534	3.03	3680	14.23	9356	24.84	3792	10.59	28780	51.98	779	1.01
Bihar	44043	116.58	2491	6.01	2079	8.43	867	1.74	490	3.09	17305	28.78	3057	3.41	76602	98.57	17199	18.44
Chattisgarh	11607	38.21	526	2.13	878	4.02	988	2.31	745	2.46	8299	18.88	2196	7.32	9112	27.46	450	0.83
Goa	2090	21.91	1058	5.05	1004	5.95	1353	3.78	317	6.82	6628	19.20	480	1.85	1481	15.479	0	0.00
Gujarat	73867	408.31	4737	18.42	15287	143.04	12091	40.46	38292	144.31	66966	171.83	7979	21.79	60494	185.89	2902	3.82
Haryana	16452	57.09	2706	8.68	1346	4.77	5295	13.11	17755	40.56	35185	79.82	5553	11.52	22707	48.45	963	1.03
Himachal Pradesh	24777	36.34	228	0.70	160	1.09	1116	3.17	0	0.00	5257	8.05	558	1.25	6822	27.46	0	0.00
Jammu & Kashmir	8965	30.04	56	0.27	17	0.10	1408	3.80	542	1.62	4665	10.47	32659	95.38	7686	19.93	0	0.00
Jharkhand	20674	78.83	1541	4.36	907	4.65	1372	2.89	3403	10.90	8981	19.44	2847	6.08	36365	72.65	2536	3.85
Karnataka	113598	295.54	7002	23.95	1850	12.30	45585	111.37	15702	56.12	31391	95.68	21167	84.15	35804	76.53	496	0.98
Kerala	57754	365.70	15385	139.43	767	4.97	14267	36.54	6019	25.27	23695	57.31	16431	75.52	22515	69.18	0	0.00
Madhya Pradesh	26698	102.92	3663	9.00	3496	11.81	6309	11.49	5349	19.50	18165	37.53	2233	5.24	44356	102.03	2240	2.66
Maharashtra	260235	1124.09	19104	67.28	9726	52.72	14194	36.12	54794	258.36	112408	313.05	14425	78.45	82899	225.12	744	1.22
Manipur	553	1.60	84	0.45	152	0.82	6	0.03	0	0.00	3894	7.88	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Meghalaya	363	1.22	76	1.35	120	0.56	14	0.02	0	0.00	418	1.59	0	0.00	1535	4.35	0	0.00
Mizoram	451	3.92	93	0.58	0	0.01	2	0.00	0	0.00	76	0.38	0	0.00	814	3.03	0	0.00
Nagaland	0	0.00	86	0.62	78	2.74	7	0.01	0	0.00	441	4.65	0	0.00	399	4.99	0	0.00
Orissa	43357	113.28	5928	2.83	2702	10.00	10164	23.25	948	3.03	24253	45.58	5976	11.09	48924	65.88	1791	2.49
Punjab	56066	299.18	3058	12.52	801	6.44	6514	18.17	14559	38.90	34803	88.45	7808	18.78	21197	62.74	208	0.25
Rajasthan	54639	195.64	5187	13.83	13219	48.01	12083	22.15	5666	16.80	35774	71.62	4986	8.64	33756	63.71	7189	11.32
Sikkim	359	1.67	45	0.14	230	0.48	27	0.17	0	0.00	358	1.47	0	0.00	334	0.78	0	0.00
Tamil Nadu	80090	450.93	5205	18.22	4014	17.19	43558	95.98	15686	55.36	59720	152.72	10557	28.85	60178	121.88	501	0.72
Tripura	2911	8.63	40	0.21	26	0.34	17	0.02	0	0.00	2431	5.14	309	0.55	7143	9.92	0	0.00
Uttar Pradesh	162446	363.98	8574	25.63	21227	66.36	15708	34.56	12495	42.99	69682	135.45	16610	34.52	144453	253.93	24134	32.29
Uttarakhand	20780	37.37	822	2.11	3197	8.95	3078	6.71	1041	3.50	13711	31.98	1428	4.73	17914	34.09	627	0.86
West Bengal	71343	304.74	5871	17.54	3007	16.82	7956	20.97	18559	48.76	89231	169.71	13128	41.30	979824	704.87	3301	5.86
Andaman & Nicobar Islands	217	0.73	4	0.01	13	0.04	0	0.00	0	0.00	499	1.41	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Chandigarh	0	0.00	460	1.93	84	0.33	656	2.34	1680	4.96	7265	16.76	1523	4.43	2522	7.58	360	0.51
Dadra & Nagar Haveli	0	0.00	28	0.08	140	1.05	65	0.10	288	0.79	27	0.12	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Daman & Diu	0	0.00	15	0.08	67	0.34	27	0.06	0	0.00	56	0.14	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Delhi	81226	569.89	4332	19.73	1949	10.90	7628	24.70	32476	136.38	59490	181.53	9761	41.17	51917	129.08	920	0.93
Lakshadweep	0	0.00	1	0.00	0	0.00	97	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Puducherry	0	0.00	58	0.19	33	0.10	687	1.37	219	0.91	977	2.14	134	0.27	1088	2.48	0	0.00
Company Total	1350494	5421.44	108390	433.23	111850	513.61	274401	653.15	258783	965.32	816259	1935.85	199211	636.07	1902685	2658.59	69532	91.80

STATE WISE INDIVIDUAL NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	SBI Life		Shriram		Star Union		TATA AIG		State Total (Private)		LIC #		State Total (Industry)	
	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium	No. of policies	Premium
Andhra Pradesh	115748	576.87	53452	234.03	4649	21.26	23877	40.49	892133	2389.34	3242852	3546.59	4134985	5935.93
Arunachal Pradesh	1962	11.47	1	0.01	2	0.00	0	0.00	5106	24.36	9144	15.15	14250	39.51
Assam	36441	87.99	9	0.02	1164	3.87	35458	70.48	252949	521.73	760118	857.69	1013067	1379.42
Bihar	42041	168.69	522	0.72	4001	15.26	15555	33.01	491450	847.38	2049721	1611.78	2541171	2459.16
Chattisgarh	26508	111.64	975	4.02	1194	7.12	9876	10.72	118528	333.36	610361	416.18	728889	749.54
Goa	4069	26.83	49	0.16	331	3.53	899	2.63	31037	173.47	112899	259.93	143937	433.40
Gujarat	37654	280.79	2710	6.32	6566	53.93	30614	67.40	556082	2147.86	1908101	3475.31	2464183	5623.17
Haryana	21211	111.07	1719	1.93	1720	9.76	13523	29.53	244213	816.55	558208	818.25	802421	1634.80
Himachal Pradesh	8771	64.04	221	0.509	220	1.56	2204	7.89	75838	202.05	343550	677.70	419388	879.75
Jammu & Kashmir	3751	21.87	2	0.01	178	1.60	0	0.00	80263	241.42	160485	379.51	246749	620.93
Jharkhand	23413	103.52	1072	2.16	7224	46.62	17260	36.14	227756	584.49	644904	901.91	872659	1486.40
Karnataka	46790	243.13	6350	22.56	2682	18.27	17150	32.17	624866	1784.31	2561092	3034.40	3185958	4818.71
Kerala	50929	315.12	3292	7.32	2642	21.30	20331	61.11	369727	1704.62	1824109	2941.19	2193836	4645.81
Madhya Pradesh	57150	244.40	3133	7.57	13216	58.50	5969	11.70	340372	874.89	1626337	2325.38	1966708	3200.27
Maharashtra	86145	454.19	4936	18.84	17345	116.09	87736	199.38	1349713	4746.58	4278404	7824.37	5628117	12570.95
Manipur	2205	5.40	2	0.00	1	0.00	0	0.00	60038	33.25	25966	76.41	92004	109.66
Meghalaya	2411	14.17	2	0.00	75	0.47	81	0.39	9602	35.08	17409	54.28	27011	89.36
Mizoram	630	3.45	1	0.01	0	0.00	173	0.79	3279	20.17	3342	17.57	6620	37.74
Nagaland	1644	6.42	1	0.00	1	0.00	0	0.00	4824	25.64	14884	29.21	19707	54.85
Orissa	46967	184.08	617	1.80	2400	12.58	43867	49.06	413624	806.55	1198091	1214.83	1611715	2021.38
Punjab	23497	136.25	1611	2.16	3486	38.03	6020	14.36	325897	1163.92	812330	1283.26	1138228	2447.18
Rajasthan	60649	237.08	2160	3.93	1946	14.48	24136	33.39	404955	1005.02	1846547	2290.09	2251502	3295.11
Sikkim	526	4.66	1	0.003	76	0.351	0	0.00	5127	21.87	12491	26.56	17618	48.43
Tamil Nadu	80242	476.64	31958	147.67	3896	18.80	52787	79.47	784099	2413.37	2645872	4155.10	3429971	6568.47
Tripura	1423	5.45	20	0.05	27	0.34	4471	8.55	35990	63.69	96027	175.19	132017	238.88
Uttar Pradesh	73483	417.93	2279	7.20	13552	70.45	27421	54.50	1052806	2373.15	4079654	5312.16	5132460	7685.31
Uttarakhand	11890	71.76	608	1.29	596	1.94	1549	3.22	121651	283.54	455125	680.23	576776	963.77
West Bengal	47011	247.30	362	1.04	5615	33.15	89454	199.72	1691685	2579.66	3775698	5082.61	5467384	7662.28
Andaman & Nicobar Islands	199	1.23	3	0.01	2	0.00	0	0.00	1779	4.14	15687	27.76	17466	31.90
Chandigarh	2239	13.39	157	0.33	238	1.20	3195	7.95	47589	167.34	151364	556.38	198953	723.72
Dadra & Nagar Haveli	109	0.65	1	0.000	10	0.095	0	0.00	1328	4.05	828	0.89	2156	4.94
Daman & Diu	276	3.49	46	0.27	5	0.06	0	0.000	512	9.61	4386	18.42	4897	28.03
Delhi	19832	122.79	1865	3.66	2592	19.23	23597	63.12	451093	1997.66	1114700	2563.65	1565792	4561.31
Lakshadweep	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.000	149	0.38	98	0.178	247	0.56
Puducherry	2161	15.60	472	4.15	78	0.72	0	0.00	12332	41.44	45492	81.97	57825	123.41
Company Total	939978	4789.37	120610	479.75	97730	590.17	553203	1117.18	11094391	30441.94	37012277	52732.09	48106668	83174.03

Does not include its overseas new business premium.

STATE WISE GROUP NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	Future Generali		HDFC Std		ICICI Pru		IDBI Federal		INDIA FIRST		ING Vysya		Kotak Mahindra					
	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Premium	Lives Covered	No. of schemes	Premium	Lives Covered	No. of schemes	Premium	Lives Covered	No. of schemes	Premium	Lives Covered				
Andhra Pradesh	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0				
Assam	0	0.00	1	3.11	13000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	41				
Bihar	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	9381				
Chattisgarh	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0				
Goa	0	0.00	5	3.02	744	7	1.08	13957	0	0.00	0	0	0.00	106				
Gujarat	0	0.00	5	4.10	7380	9	17.68	14689	1	0.14	41840	2	100.02	27333				
Haryana	0	0.00	2	13.30	2342	1	2.54	85	0	0.00	0	0	0.00	116741				
Himachal Pradesh	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	251				
Jammu & Kashmir	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0				
Jharkhand	0	0.00	0	0.00	840	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	14599				
Karnataka	23	9.29	2106071	76.12	60343	41	134.40	942306	0	0.05	14906	2	0.01	367152				
Kerala	0	0.00	1	0.00	13	0	0.00	0	3	1.64	51616	0	0.00	503				
Madhya Pradesh	0	0.00	0	0.03	0	0	0.00	0	0	0.06	33762	1	0.00	374				
Maharashtra	36	12.63	19912	247.83	234280	80	1313.07	1126792	1	8.01	16913	13	8.42	800638				
Manipur	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Meghalaya	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Mizoram	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Nagaland	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Orissa	0	0.00	4	16.06	14060	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	41963				
Punjab	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Rajasthan	0	0.00	0	0.52	0	1	5.33	6	1	0.03	5660	0	0.00	270				
Sikkim	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Tamil Nadu	0	0.00	53	9.64	77866	24	42.10	172860	0	0.00	0	0	0.00	128652				
Tripura	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Uttar Pradesh	0	0.00	0	7.02	0	0	0.01	1	0	0.04	11830	0	0.00	139188				
Uttarakhand	0	0.00	0	0.00	0	1	0.06	4	0	0.00	0	0	0.00	6623				
West Bengal	6	0.09	323	55.38	37997	13	60.00	195746	0	0.00	0	0	0.00	31498				
Andaman & Nicobar Islands	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Chandigarh	0	0.00	0	0.53	290	1	0.30	24	0	0.00	0	0	0.00	0				
Dadra & Nagar Haveli	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	61				
Daman & Diu	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Delhi	45	16.01	38469	131.63	269335	45	851.10	646377	3	1.75	519878	1	0.00	65969				
Lakshadweep	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Puducherry	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
Company Total	110	38.02	2164775	570.88	719353	230	2499.54	3136447	9	11.72	696305	38	191.15	1298914				
														7.34	1509	661	287.81	1958568

Does not include its overseas new business premium.

STATE WISE GROUP NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	Max NewYork		MetLife		Reliance Life		Sahara		SBI Life		Shriram		Star Union								
	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered	No. of schemes	Lives Covered							
Andhra Pradesh	73	53.80	7824039	88	10.24	918251	30	3.52	179749	0	0.00	0	0.00	200938	0	0.00	0	0.00	12	0.15	6013
Arunachal Pradesh	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.10	1	0	0.00	0	0.00	3931	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Assam	0	0.00	0	3	1.90	15246	1	0.10	156	0	0.00	0	0.00	44087	0	0.00	0	0.00	1	0.36	1
Bihar	0	0.00	0	1	0.09	75	2	0.02	206	2	0.01	540	0	11.53	85141	0	0.00	0	2	0.01	118
Chattisgarh	0	0.00	0	1	0.02	63	0	0.58	10	0	0.00	0	0.00	14493	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Goa	0	0.00	0	0	0.02	246	0	-0.030	0	0	0.00	0	0.00	4058	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Gujarat	37	0.38	20782	16	1.62	70843	28	3.95	21471	1	0.00	56	0.00	87.48	108935	0	0.00	0	1	0.01	111
Haryana	103	16.66	102569	8	6.02	27267	0	0.49	19	0	0.00	0	0.00	68.60	18378	0	0.00	0	0	0.00	0
Himachal Pradesh	0	0.00	0	0	0.00	1	0	-0.01	0	0	0.00	0	0.00	3.80	7424	0	0.00	0	0	0.00	0
Jammu & Kashmir	0	0.00	0	1	4.92	9293	0	0.10	2	0	0.00	0	0.00	1.30	7045	0	0.00	0	0	0.00	0
Jharkhand	1	0.00	844	0	0.03	22	0	0.04	12	0	0.00	0	0.00	10.86	32265	0	0.00	0	1	10.00	804
Karnataka	82	2.11	40717	39	8.20	469783	34	3.33	14249	0	0.00	0	0.00	205.81	99492	3	3.43	357563	2	0.42	7
Kerala	2	0.19	62870	2	0.24	8982	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	160.97	33381	0	0.00	0	0	0.01	2718
Madhya Pradesh	2	0.02	1160	2	1.41	74201	89	18.63	1623	0	0.00	0	0.00	24.46	58149	0	0.00	0	0	0.00	0
Maharashtra	267	48.03	422809	82	11.30	524166	3	0.38	311239	0	0.00	0	0.00	780.02	234293	1	88.27	352022	20	126.51	120329
Manipur	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.55	2607	0	0.00	0	0	0.00	0
Meghalaya	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.03	2	0	0.00	0	0.00	3.91	7020	0	0.00	0	0	0.00	0
Mizoram	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.02	1	0	0.00	0	0.00	1.64	2367	0	0.00	0	0	0.00	0
Nagaland	0	0.00	0	0	0.00	0	0	1.01	3	0	0.00	0	0.00	0.75	4244	0	0.00	0	0	0.00	0
Orissa	0	0.00	0	2	0.13	236	21	0.92	14610	0	0.00	0	0.00	34.18	62632	0	0.00	0	2	5.52	1037
Punjab	2	0.00	42	0	0.20	18	0	0.76	8	0	0.00	0	0.00	15.18	27695	0	0.00	0	1	0.00	52
Rajasthan	0	0.00	0	4	5.16	32196	0	-0.01	20	1	0.00	77	1	35.07	39557	0	0.00	0	3	0.01	1180
Sikkim	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.01	1	0	0.00	0	0.00	0.53	1410	0	0.00	0	0	0.00	0
Tamil Nadu	24	0.72	10060	16	8.82	160764	116	313.72	122716	0	0.00	0	0.00	272.65	82972	8	0.53	58914	21	2.31	197759
Tripura	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0.00	0.69	3487	0	0.00	0	0	0.00	0
Uttar Pradesh	31	0.28	10528	15	0.71	24404	0	0.10	6	4	0.01	435	0	71.65	141838	0	0.00	0	2	22.27	2233
Uttarakhand	0	0.00	0	7	0.12	34738	0	0.01	0	0	0.00	0	0.00	15.73	17845	0	0.00	0	0	0.00	0
West Bengal	6	0.03	2195	4	0.42	2987	0	1.39	34406	0	0.00	0	0.00	404.16	49307	0	0.00	0	0	0.00	0
Andaman & Nicobar Islands	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.59	598	0	0.00	0	0	0.00	0
Chandigarh	1	0.00	182	0	0.02	10	0	0.10	6	0	0.00	0	0.00	43.88	6454	0	0.00	0	0	0.00	0
Dadra & Nagar Haveli	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.05	87	0	0.00	0	0	0.00	0
Daman & Diu	0	0.00	0	0	0.00	823	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.55	251	0	0.00	0	0	0.00	0
Delhi	81	3.31	90029	16	8.58	54055	58	27.09	137341	0	0.00	0	0.00	227.08	101359	0	0.00	0	4	0.94	21632
Lakshadweep	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	5	0	0.00	0	0	0.00	0
Puducherry	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	1.35	1583	0	0.00	0	0	0.00	0
Company Total	712	125.54	8588826	307	70.15	2428672	382	376.35	837858	8	0.02	1108	0.02	2783.02	1505328	12	92.23	769499	72	168.52	353994

Does not include its overseas new business premium.

STATE WISE GROUP NEW BUSINESS UNDERWRITTEN

(Premium in ₹ Crore)

State / Union Territory	Tata AIG			State Total (Private)			LIC #			State Total (Industry)		
	No. of schemes	Lives Covered	Premium	No. of schemes	Lives Covered	Premium	No. of schemes	Lives Covered	Premium	No. of schemes	Lives Covered	Premium
Andhra Pradesh	3	12144	38.51	606	27605464	596.19	1685	12245823	2179.52	2281	39851287	2775.71
Andhra Pradesh	0	0	0.00	0	3932	0.90	0	0	0.00	0	3932	0.90
Assam	0	3382	0.34	9	93652	101.41	1047	196813	161.76	1056	290465	263.17
Bihar	0	442	0.28	29	98384	16.61	589	1021787	67.26	618	1120171	83.86
Chattisgarh	0	2722	1.30	12	20496	13.52	526	218918	401.66	538	239414	415.19
Goa	0	20	0.05	16	20890	7.96	91	40154	70.73	107	61044	78.70
Gujarat	1	5701	1.10	210	407092	263.33	982	1052315	867.36	1192	1459407	1130.69
Haryana	5	11170	7.67	252	377803	158.41	171	51496	37.09	423	429299	195.50
Himachal Pradesh	0	181	0.08	11	11184	12.16	601	43393	27.27	612	54577	39.43
Jammu & Kashmir	0	70	0.06	3	18151	7.20	112	37600	175.85	115	55751	183.05
Jharkhand	1	1208	1.34	14	53637	23.67	329	38032	315.12	343	91689	338.79
Karnataka	11	228435	15.49	583	5620705	706.85	1903	2175943	5504.79	2486	7796648	6211.63
Kerala	0	2049	0.45	33	185939	295.86	1205	733728	566.72	1238	919667	862.58
Madhya Pradesh	0	2521	1.67	122	215545	51.91	2052	1676047	207.07	2174	1891592	258.98
Maharashtra	35	323141	98.24	1199	5691820	3523.64	2369	3253381	9960.64	3588	8945201	13484.27
Manipur	0	104	0.11	0	2711	0.65	12	1660	0.60	12	4371	1.25
Meghalaya	0	144	0.04	2	7166	3.97	4	340	0.58	6	7506	4.55
Mizoram	0	2	0.00	1	2370	1.66	1	180	0.21	2	2550	1.87
Nagaland	0	0	0.00	0	4247	1.77	1	12	0.10	1	4259	1.87
Orissa	0	6046	1.45	46	152686	79.63	800	111957	299.42	846	264643	379.05
Punjab	0	3580	1.53	17	62526	31.99	405	280019	71.95	422	322545	103.95
Rajasthan	2	11374	7.07	34	290756	95.46	1074	1973091	248.33	1108	2263847	343.79
Sikkim	0	31	0.02	0	1442	0.56	1	54	0.55	1	1486	1.11
Tamil Nadu	3	15846	2.29	1027	3230748	714.70	2945	2978056	1701.89	3972	6208804	2416.60
Tripura	0	69	0.04	1	3677	0.73	66	32712	12.33	67	36389	13.06
Uttar Pradesh	0	2847	4.28	134	680438	143.73	2478	1035255	408.28	2612	1715683	552.01
Uttarakhand	0	597	0.76	15	61293	17.54	307	100788	80.58	322	162081	98.12
West Bengal	12	34157	25.34	165	542179	642.14	2885	5584063	1981.85	3050	6126242	2623.99
Andaman & Nicobar Islands	0	0	0.00	0	598	0.59	0	0	0.00	0	598	0.59
Chandigarh	0	0	0.00	16	11587	47.85	239	119322	171.92	255	130909	219.78
Dadra & Nagar Haveli	0	0	0.00	2	308	0.17	0	0	0.00	2	308	0.17
Daman & Diu	0	0	0.00	0	1074	0.55	0	0	0.00	0	1074	0.55
Delhi	16	13712	5.51	528	2089742	1361.95	603	631846	8702.19	1131	2721588	10064.14
Lakshadweep	0	0	0.00	0	5	0.00	0	0	0.00	0	5	0.00
Puducherry	0	14	0.00	0	1599	1.36	26	45414	8.95	26	47013	10.31
Company Total	89	681709	215.04	5087	47571846	8926.63	25609	36660199	34232.58	30596	43159.21	43159.21

Does not include its overseas new business premium.

STATEMENT 9
(Policies in '000)

INDIVIDUAL BUSINESS (WITHIN INDIA) - BUSINESS IN FORCE (NUMBER OF POLICIES)

Insurer	Life Business		General Annuity and Pension Business				Non-Linked Health Business		Linked Health Business		Total	
	Business In force as at 01-04-2010	Additions* Deletions**	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 01-04-2010	Additions* Deletions**	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011		
Bajaj Allianz	940.70	1036.46	156.83	1820.33	6.90	1.27	0.40	7.77	69.10	6689.62	0.00	8586.82
Reliance	600.21	1546.93	207.85	1939.29	0.00	14.59	0.72	13.87	17.80	3261.82	46.44	5279.22
Aviva	61.64	124.19	33.92	151.91	0.28	0.72	0.03	0.97	0.00	711.01	0.00	863.89
Birla Sun Life	993.18	649.26	790.46	851.98	0.14	0.94	0.08	1.00	6.13	2130.42	7.42	2996.95
HDFC Standard	1497.30	313.84	213.61	1597.52	79.94	9.25	8.00	81.19	15.44	1893.61	0.00	3587.76
ICICI Prudential	971.50	619.78	501.55	1089.73	57.34	3.27	1.77	58.84	66.41	4944.66	91.83	6251.47
ING Vysya	432.07	225.62	82.85	574.84	89.20	24.26	5.03	108.43	0.00	631.16	0.00	1314.43
Max New York	1342.27	583.91	210.71	1715.47	6.53	0.24	0.65	6.12	24.14	1613.53	0.00	3359.26
Metlife	230.13	117.89	77.65	270.37	0.76	0.14	0.06	0.84	3.42	578.26	0.00	852.88
Kotak Mahindra	162.71	134.56	32.08	265.20	5.91	1.02	0.42	6.50	0.00	878.33	0.00	1150.03
SBI Life	578.74	289.49	78.78	789.45	133.22	15.36	9.80	138.79	0.14	3548.98	0.00	4477.35
TATA AIG	740.49	313.56	235.17	818.89	19.32	1.06	0.72	19.66	78.59	999.69	16.57	1933.40
Sahara India	116.27	54.72	21.19	149.80	0.31	0.06	0.01	0.36	0.00	167.49	0.00	317.65
Shriram	39.80	42.02	9.41	72.41	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	248.43	0.00	320.86
Bharti AXA	44.79	93.94	20.65	118.08	0.00	0.34	0.03	0.31	8.28	266.35	0.00	393.02
Futura Generali	178.47	257.18	69.14	366.51	3.95	1.70	0.15	5.50	0.00	178.75	0.00	550.76
IDBI Federal	47.45	76.52	4.47	119.50	0.00	0.47	0.00	0.47	0.57	129.07	0.00	249.61
Canara HSBC	0.81	14.72	0.22	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00	215.34
Aegon Religare	14.83	42.12	2.77	54.18	0.00	0.37	0.00	0.37	11.85	72.21	0.00	138.61
DLF Pramerica	1.40	22.29	2.86	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11	0.00	53.94
Star Union Dai-ichi	12.23	29.30	4.55	36.99	0.01	0.10	0.00	0.11	0.00	150.93	0.00	188.02
IndiaFirst	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.66	0.00	169.36
Sub Total	9006.99	6589.00	2756.71	12839.28	403.82	75.17	27.88	451.11	301.86	29496.11	162.26	43250.62
LIC	226057.89	35392.04	21068.70	240381.23	2779.84	255.81	286.39	2749.26	0.00	42461.91	343.81	285936.21
Total	235064.88	41981.04	23825.41	253220.51	3183.66	330.98	314.27	3200.37	301.86	71958.02	506.07	329186.83

* Includes New Policies issued, Old Policies reinstated/revived.

** Includes policy terminations by death, maturity, lapse, surrenders or cancellations.

Excluding linked Health Business, if any.

Source data: Actuarial Report and Abstract as on 31.03.2011

STATEMENT 10

INDIVIDUAL BUSINESS (WITHIN INDIA) - BUSINESS IN FORCE (SUM ASSURED)

(₹ Crore)

Insurer	Life Business		General Annuity and Pension Business				Non-Linked Health Business		Linked Health Business		Total
	Business In force as at 01-04-2010	Additions* Deletions**	Business In force as at 01-04-2010	Additions* Deletions**	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011	Business In force as at 31-03-2011		
Bajaj Allianz	19098.07	23556.07	4599.52	219.15	22.51	16.54	225.12	2822.22	164151.46	0.00	205253.41
Reliance	8722.92	16074.80	2748.07	22049.65	0.00	0.00	0.00	384.79	38235.54	969.83	61639.81
Aviva	3146.38	8332.02	1280.41	10197.99	1.89	0.41	15.57	0.00	26458.59	0.00	36672.14
Birla Sun Life	6543.55	10843.29	2332.70	15054.14	0.07	0.00	1.23	704.37	113593.80	741.60	130095.15
HDFC Standard	29563.37	9024.05	3211.77	35375.65	1579.75	183.01	1830.38	376.69	73239.17	0.00	110821.90
ICICI Prudential	27346.81	16213.74	7282.22	36278.33	1551.87	83.83	1565.07	11585.16	127584.04	175.56	177188.15
ING Vysya	8198.31	4434.63	1494.12	11138.82	359.89	21.53	599.36	0.00	11252.72	0.00	22990.91
Max New York	41554.02	16478.34	8736.97	49295.39	133.34	13.10	124.93	459.77	48743.36	0.00	98623.45
Metlife	9336.34	4803.10	2190.90	11948.54	15.37	1.31	19.50	23.22	35064.46	0.00	47055.71
Kotak Mahindra	8738.16	13249.97	2256.58	19731.54	223.80	17.08	259.38	0.00	27294.68	0.00	47285.60
SBI Life	18017.96	14914.44	3207.66	29724.73	816.43	19.45	839.98	4.99	56779.09	0.00	87348.79
TATA AIG	14845.86	5908.21	2097.29	18656.78	433.89	14.26	448.13	5142.50	33626.02	2939.84	60813.27
Sahara India	1700.11	855.42	399.19	2156.34	7.41	0.53	9.52	0.00	2712.42	0.00	4878.28
Shriram	989.07	1190.87	294.06	1885.88	0.12	0.04	0.16	0.00	6019.73	0.00	7905.77
Bharti AXA	1411.51	3566.01	1163.75	3813.76	0.00	2.34	25.83	146.85	6071.22	0.00	10057.66
Futura Generali	4179.38	12942.93	1627.50	15494.81	1.23	0.00	1.51	0.00	4707.65	0.00	20203.97
IDBI Federal	5062.76	6310.15	252.04	11120.87	0.00	0.00	0.00	0.20	3248.85	0.00	14369.93
Canara HSBC	366.27	722.80	59.00	1030.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12373.72	0.00	13403.80
Aegon Religare	3287.37	7273.53	664.44	9896.46	0.00	0.00	9.36	491.76	2964.96	0.00	13362.53
DLF Pramerica	113.73	572.32	163.73	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.19	0.00	1772.51
Star Union Dai-ichi	230.12	582.28	79.50	732.90	0.67	0.00	8.68	0.00	2931.25	0.00	3672.84
IndiaFirst	0.00	111.41	0.08	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2722.10	0.00	2833.44
Sub Total	212452.07	177960.38	46141.49	344270.96	5344.89	373.41	5983.71	22142.52	801025.02	4826.83	1178249.04
LIC	2061033.71	566582.84	192220.72	2435395.83	46926.56	6525.20	51597.32	0.00	178478.63	12497.82	2677969.60
Total	2273485.78	744543.22	238362.21	2779666.79	52271.46	6898.62	57581.03	22142.52	979503.65	17324.65	3856218.64

* Includes New Policies issued, Old Policies reinstated/revived.

** Includes policy terminations by death, maturity, lapse, surrenders or cancellations.

Excluding linked Health Business, if any.

Source data: Actuarial Report and Abstract as on 31.03.2011

STATEMENT 11

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2010-11

(Premium in ₹ Crore)

Insurer	Total Premium			Linked Premium			Non-Linked Premium				
	Regular	Single	First Year Renewal	Regular	Single	First Year Renewal	Regular	Single	First Year Renewal	Total	
LIC	36265.36	50746.99	87012.35	3103.62	23398.56	26502.19	33161.73	27348.43	60510.16	103766.45	164276.61
ING Vysya	634.13	26.35	660.49	126.29	19.06	145.35	507.84	7.29	515.13	346.34	861.47
HDFC Standard	3339.05	720.28	4059.33	2937.32	556.22	3493.54	401.73	164.05	565.79	1046.37	1612.16
Birla Sunlife	2029.27	51.04	2080.30	1726.41	23.29	1749.70	302.86	27.75	330.60	46.08	376.68
ICICI Prudential	5692.69	2169.45	7862.14	4178.18	1904.66	6082.84	1514.51	264.79	1779.30	453.56	2232.86
Kotak Mahindra	856.98	396.16	1253.14	605.42	277.44	882.87	251.55	118.72	370.27	119.12	489.40
TATA AIG	1107.71	224.50	1332.21	3985.22	162.54	875.34	394.92	61.96	456.87	667.26	1124.13
SBI Life	3374.19	4198.21	7572.39	2502.60	1963.38	4465.98	871.59	2234.83	3106.41	755.74	3862.15
Bajaj Allianz	2312.09	1153.73	3465.82	1295.01	1141.26	2436.27	1017.08	12.47	1029.55	600.48	1630.02
Max New York	1774.99	286.40	2061.39	763.33	94.55	857.88	1011.66	191.85	1203.51	1088.56	2292.07
Metlife	553.81	152.40	706.22	339.62	139.58	479.20	214.20	12.82	227.02	355.24	582.26
Reliance	2284.63	750.31	3034.94	1012.40	719.62	1732.02	1272.22	30.70	1302.92	209.50	1512.42
Aviva	655.74	89.65	745.39	431.54	88.32	519.86	224.20	1.33	225.53	32.57	258.10
Sahara	48.30	43.52	91.83	18.34	43.52	61.86	29.97	0.00	29.97	61.45	91.42
Shriram	159.43	412.55	571.99	113.05	322.91	435.96	46.38	89.65	136.03	25.96	161.99
Bharti AXA	321.76	26.03	347.78	250.81	4.61	255.42	70.95	21.42	92.36	6.28	98.65
Future Generali	366.86	81.75	448.61	91.07	79.47	170.54	275.79	2.28	278.06	77.20	355.26
IDBI Federal	263.58	181.37	444.95	113.22	173.44	286.66	150.35	7.93	158.28	82.53	240.82
Canara HSBC	796.71	20.57	817.29	644.82	5.28	650.10	151.99	15.29	167.19	1.21	168.40
Aegon Religare	251.14	23.73	274.87	176.01	21.79	197.80	75.14	1.93	77.07	8.16	85.23
DLF Pramerica	69.15	5.00	74.15	46.28	5.00	51.28	22.87	0.00	22.87	0.14	23.01
Star Union Dai-ichi	343.79	414.90	758.69	189.58	353.50	543.09	154.21	61.39	215.60	14.36	229.96
IndiaFirst	428.21	276.56	704.77	405.34	261.57	666.91	22.87	14.98	37.86	0.00	37.86
Private Total	27664.19	11704.46	39368.65	18679.43	8361.02	27040.46	8984.76	3343.43	12328.19	5998.12	18326.31
Industry Total	63929.55	62451.45	126381.00	21783.06	31759.59	53542.64	42146.49	30691.86	72838.36	109764.57	182602.93

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2009-10

(Premium in ₹ Crore)

Insurer	Total Premium			Linked Premium			Non-Linked Premium				
	Regular	Single	Total	Regular	Single	Total	Regular	Single	Total		
LIC	26184.48	45337.42	71521.90	4840.47	23245.78	28086.26	21344.01	22091.64	43435.65	95379.51	138815.16
ING Vysya	626.66	15.77	642.43	311.88	6.87	318.74	1050.75	8.90	323.69	268.21	591.90
HDFC Standard	2983.89	273.62	3257.51	2476.44	216.00	2692.44	5773.63	57.61	565.06	666.41	1231.47
Birla Sunlife	2917.26	42.75	2960.01	2887.42	40.92	2928.34	5443.18	1.82	31.67	30.80	62.47
ICICI Prudential	6058.43	275.49	6333.92	5960.48	113.15	6073.63	15820.38	162.34	260.29	448.08	708.37
Kotak Mahindra	1083.77	250.22	1333.98	1014.41	187.63	1202.03	2618.06	62.59	131.95	118.04	249.99
TATA AIG	1273.62	48.39	1322.01	1093.95	19.42	1113.37	2656.95	28.97	208.64	628.19	836.83
SBI Life	6281.82	758.93	7040.74	3820.70	535.30	4356.00	6800.60	223.63	2884.75	618.68	3303.43
Bajaj Allianz	3571.35	879.75	4451.10	2952.65	796.19	3748.84	10285.27	83.56	702.26	432.19	1134.45
Max New York	1647.47	201.60	1849.08	1208.31	81.54	1289.86	3397.56	120.06	559.22	903.76	1462.98
Metlife	987.31	74.54	1061.85	757.86	30.48	788.34	2070.95	44.06	273.51	191.55	465.06
Reliance	3630.15	290.62	3920.78	3323.31	265.57	3588.88	6156.72	25.06	331.90	116.27	448.17
Aviva	744.28	54.10	798.37	698.14	54.04	752.18	2322.94	0.06	46.20	8.98	55.18
Sahara	82.53	42.29	124.83	41.95	42.29	84.24	161.68	0.00	40.59	48.33	88.91
Shriram	269.00	150.50	419.50	261.80	112.82	374.62	543.51	7.20	44.88	22.89	67.76
Bharti AXA	405.09	32.35	437.43	398.96	3.82	402.77	631.13	28.53	34.66	3.94	38.60
Future Generali	476.93	9.15	486.08	306.67	8.74	315.41	350.94	0.41	170.67	20.01	190.68
IDBI Federal	285.53	115.02	400.56	233.72	109.98	343.70	464.40	5.04	56.85	49.87	106.72
Canara HSBC	604.17	18.45	622.62	602.87	11.91	614.78	834.42	6.54	7.84	0.19	8.03
Aegon Religare	146.42	3.95	150.37	138.06	3.50	141.57	155.30	8.36	8.80	1.55	10.36
DLF Pramerica	36.00	1.38	37.38	35.62	1.38	37.00	38.05	0.00	0.38	0.02	0.40
Star Union Dai-ichi	255.24	264.63	519.87	233.20	237.67	470.87	480.99	26.96	49.00	0.38	49.38
IndiaFirst	162.74	38.85	201.59	162.74	38.85	201.59	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Private Total	34529.67	3842.34	38372.01	28921.13	2918.06	31839.19	68258.80	924.28	6532.82	4578.32	11111.14
Industry Total	60714.15	49179.76	109893.91	33761.61	26163.84	59925.45	115520.96	23015.92	49968.46	99957.83	149926.29

STATEMENT 12
(Commission ₹ Crore)

LINKED AND NON-LINKED COMMISSION OF LIFE INSURERS

Insurer	2010-11				2009-10				Total							
	Commission	ULIP % to ULIP Premium	% to Total Commission	Traditional Premium	Commission	ULIP % to ULIP Premium	% to Total Commission	Traditional Premium	Commission	ULIP % to ULIP Premium	% to Total Commission	Traditional Premium	Commission	ULIP % to ULIP Premium	% to Total Commission	Traditional Premium
LIC	1017.55	2.60	7.65	12291.13	7.48	92.35	13308.68	6.54	1481.14	3.13	12.23	10629.17	7.66	87.77	12110.31	6.51
ING Vysya	19.56	2.31	14.98	111.01	12.86	85.02	130.58	7.95	57.46	5.47	47.58	63.30	10.69	52.42	120.76	7.35
HDFC Standard	327.33	4.43	68.65	149.48	9.27	31.35	476.81	5.30	337.33	5.84	64.19	188.17	15.28	35.81	525.50	7.50
Birla Sunlife	299.62	5.65	78.73	80.96	21.49	21.27	380.58	6.70	510.61	9.38	98.92	5.59	8.94	1.08	516.20	9.38
ICICI Prudential	411.24	2.63	73.35	149.44	6.69	26.65	560.68	3.14	561.91	3.55	93.19	41.06	5.77	6.81	602.97	3.65
Kotak Mahindra	83.71	3.37	64.31	46.45	9.49	35.69	130.17	4.37	160.83	6.14	95.78	7.09	2.84	4.22	167.92	5.85
TATA AIG	138.77	4.85	56.35	107.51	9.56	43.65	246.28	6.18	230.69	8.68	82.14	50.16	5.99	17.86	280.85	8.04
SBI Life	402.87	4.45	60.03	268.19	6.94	39.97	671.05	5.20	534.39	7.86	80.22	131.78	3.99	19.78	666.17	6.59
Bajaj Allianz	284.50	3.57	46.15	331.98	20.37	53.85	616.47	6.41	803.43	7.81	83.47	159.13	14.03	16.53	962.57	8.43
Max New York	205.70	5.84	38.10	334.20	14.58	61.90	539.90	9.29	273.42	8.05	64.91	147.79	10.10	35.09	421.21	8.67
Metlife	44.11	2.29	50.52	43.21	7.42	49.48	87.32	3.48	231.96	11.20	79.30	60.55	13.02	20.70	292.51	11.53
Reliance	141.31	2.79	27.45	373.49	24.69	72.55	514.80	7.83	542.50	8.81	86.41	85.36	19.05	13.59	627.85	9.51
Aviva	63.49	3.04	62.84	37.55	14.55	37.16	101.04	4.31	151.38	6.52	95.63	6.91	12.53	4.37	158.29	6.66
Sahara	8.25	5.43	37.37	13.83	15.13	62.63	22.08	9.07	12.83	7.93	54.16	10.86	12.21	45.84	23.68	9.45
Shriram	28.41	4.31	68.52	13.05	8.06	31.48	41.46	5.05	62.35	11.47	93.78	4.14	6.11	6.22	66.49	10.88
Bharti AXA	29.83	4.30	75.64	9.61	9.74	24.36	39.43	4.98	62.12	9.84	98.20	1.14	2.95	1.80	63.26	9.45
Future Generali	11.67	3.15	12.18	84.11	23.68	87.82	95.78	13.19	72.02	20.53	55.63	57.44	30.12	44.37	129.45	23.91
IDBI Federal	16.51	2.90	24.78	50.12	20.81	75.22	66.63	8.22	22.73	4.89	51.43	21.46	20.11	48.57	44.19	7.74
Canara HSBC	141.63	10.39	93.30	10.17	6.04	6.70	151.80	9.91	203.10	24.34	99.87	0.26	3.27	0.13	203.37	24.14
Aegon Religare	11.46	3.78	52.32	10.44	12.25	47.68	21.91	5.64	11.73	7.55	94.87	0.63	6.12	5.13	12.36	7.46
DLF Pramerica	4.93	6.84	50.70	4.79	20.83	49.30	9.72	10.23	4.24	11.14	98.86	0.05	12.28	1.14	4.29	11.15
Star Union Dai-ichi	29.27	4.16	72.84	10.92	4.75	27.16	40.19	4.31	33.82	7.03	86.09	5.46	11.06	13.91	39.28	7.41
IndiaFirst	26.23	3.45	97.45	0.69	1.81	2.55	26.92	3.37	14.56	7.22	100.00	0.00	0.00	0.00	14.56	7.22
Private Total	2730.42	3.91	54.92	2241.20	12.23	45.08	4971.61	5.64	4895.41	7.17	82.36	1048.31	9.43	17.64	5943.72	7.49
Grand Total	3747.96	3.44	20.50	14532.33	7.96	79.50	18280.29	6.27	6376.55	5.52	35.32	11677.48	7.79	64.68	18054.03	6.80

STATEMENT 13

INDIVIDUAL DEATH CLAIMS

(Benefit Amount in ₹ Crore)

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending — duration wise (Policies)			Total	
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	< 3 months	3 to ≤ 6 months	> 6 to ≤ 12 months		> 12 months
Aegon Religare	4	0.38	126	7.12	130	7.50	68	4.05	58	3.17	0	0.00	4	0.28	4	0	0	4	(100.00)
Aviva	59	1.77	2206	44.42	2265	46.19	1906	36.08	277	7.37	0	0.00	82	2.74	27	7	20	28	(100.00)
Bajaj Allianz	1527	32.39	25511	363.61	27038	396.00	23980	326.84	1913	46.26	0	0.00	1145	22.91	892	90	41	122	(100.00)
Bharti AXA	0	0.00	787	14.51	787	14.51	686	11.52	99	2.73	0	0.00	2	0.27	2	0	0	0	(100.00)
Birla Sunlife	14	0.67	9818	212.36	9832	213.03	9307	185.96	491	25.11	0	0.00	34	1.96	6	8	8	12	(100.00)
Canara HSBC	42	3.12	241	8.75	283	11.88	201	9.07	47	1.85	0	0.00	35	0.96	25	6	1	3	(100.00)
DLF Pramerica	5	0.21	77	1.47	82	1.68	42	0.49	16	0.55	0	0.00	24	0.64	19	5	0	0	(100.00)
Future Generali	144	4.07	1101	21.03	1245	25.10	629	10.92	288	6.36	0	0.00	348	7.82	235	71	27	15	(100.00)
HDFC Standard	161	7.28	4418	81.03	4579	88.32	4369	80.58	182	6.35	0	0.00	28	1.39	21	1	3	3	(100.00)
ICICI Prudential	1053	19.50	14971	199.27	16024	218.77	15160	201.68	503	9.95	0	0.00	361	7.14	205	65	13	78	(100.00)
IDBI Federal	56	4.37	363	9.50	419	13.87	272	5.59	88	5.59	0	0.00	59	2.69	52	5	1	1	(100.00)
IndiaFirst	5	0.10	184	2.54	189	2.64	155	2.23	34	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	(100.00)
ING Vysya	112	2.88	2181	30.92	2293	33.80	2075	28.41	81	2.15	18	0.44	119	2.80	96	21	2	0	(100.00)

INDIVIDUAL DEATH CLAIMS

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending — duration wise (Policies)					Total
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	>3 months	3 to ≤6 months	6 to ≤12 months	>12 months		
																			months	
Kotak Mahindra	197	8.45	2503	59.58	2700	68.03	2411	57.49	105	5.17	0	0.00	184	5.37	138	16	12	18	184	
					(100.00)	(100.00)	(89.30)	(84.51)	(3.89)	(7.59)	(0.00)	(0.00)	(6.81)	(7.89)	(75.00)	(8.70)	(6.52)	(9.78)	(100.00)	
Max New York	1335	30.32	7686	173.58	9021	203.90	7033	148.04	1344	37.36	0	0.00	644	18.50	629	9	0	6	644	
					(100.00)	(100.00)	(77.96)	(72.60)	(14.90)	(18.32)	(0.00)	(0.00)	(7.14)	(9.08)	(97.67)	(1.40)	(0.00)	(0.93)	(100.00)	
MetLife	152	17.54	1680	50.26	1832	67.80	1565	54.51	111	4.19	4	0.07	152	9.03	117	30	5	0	152	
					(100.00)	(100.00)	(85.43)	(80.39)	(6.06)	(6.19)	(0.22)	(0.10)	(8.30)	(13.32)	(76.97)	(19.74)	(3.29)	(0.00)	(100.00)	
Reliance Life	334	8.02	15956	167.01	16290	175.03	13254	119.46	1410	28.14	21	0.40	1605	27.03	1389	43	2	171	1605	
					(100.00)	(100.00)	(81.36)	(68.25)	(8.66)	(16.08)	(0.13)	(0.23)	(9.85)	(15.44)	(86.54)	(2.68)	(0.12)	(10.65)	(100.00)	
Sahara	220	2.13	725	7.20	945	9.33	503	4.49	136	1.57	7	0.07	299	3.20	169	69	51	10	299	
					(100.00)	(100.00)	(53.23)	(48.12)	(14.39)	(16.83)	(0.74)	(0.75)	(31.64)	(34.30)	(66.52)	(23.08)	(17.06)	(3.34)	(100.00)	
SBI Life	142	4.98	9889	144.55	10031	149.53	8249	138.84	1678	5.37	1	0.01	103	5.32	79	6	8	10	103	
					(100.00)	(100.00)	(82.24)	(82.85)	(16.73)	(3.59)	(0.01)	(0.00)	(1.03)	(3.56)	(76.70)	(5.83)	(7.77)	(9.71)	(100.00)	
Shriram	475	7.85	1098	17.39	1573	25.24	876	11.63	407	7.45	0	0.00	290	6.15	162	67	56	5	290	
					(100.00)	(100.00)	(55.69)	(46.09)	(25.87)	(29.53)	(0.00)	(0.00)	(18.44)	(24.38)	(55.86)	(23.10)	(19.31)	(1.72)	(100.00)	
Star Union	22	0.30	268	3.75	290	4.05	234	2.86	4	0.16	0	0.00	52	1.03	42	7	3	0	52	
					(100.00)	(100.00)	(80.69)	(70.72)	(1.38)	(3.91)	(0.00)	(0.00)	(17.93)	(25.36)	(80.77)	(13.46)	(5.77)	(0.00)	(100.00)	
TATA AIG	306	11.53	3878	71.27	4184	82.80	3428	61.36	714	19.59	0	0.00	42	1.85	29	11	2	0	42	
					(100.00)	(100.00)	(81.93)	(74.11)	(17.07)	(23.66)	(0.00)	(0.00)	(1.00)	(2.23)	(69.05)	(26.19)	(4.76)	(0.00)	(100.00)	
Private Total	6365	167.87	105667	1691.12	112032	1858.99	96403	1502.10	9966	226.83	51	0.98	5612	129.08	4338	537	255	482	5612	
					(100.00)	(100.00)	(86.05)	(80.80)	(8.90)	(12.20)	(0.05)	(0.05)	(5.01)	(6.94)	(77.30)	(9.57)	(4.54)	(8.59)	(100.00)	
LIC	9527	118.45	729975	6308.96	738502	6427.41	717529	6093.14	7384	109.41	3786	47.54	10803	177.32	3854	2716	2685	1448	10803	
					(100.00)	(100.00)	(97.03)	(94.80)	(1.00)	(1.70)	(0.51)	(0.74)	(1.46)	(2.76)	(36.60)	(25.14)	(24.85)	(13.40)	(100.00)	
Industry Total	15892	286.32	835642	8000.08	851534	8286.40	813932	7595.24	17350	336.24	3837	48.52	16415	306.40	8292	3253	2940	1930	16415	
					(100.00)	(100.00)	(85.58)	(91.66)	(2.04)	(4.06)	(0.45)	(0.59)	(1.93)	(3.70)	(60.51)	(19.82)	(17.91)	(11.76)	(100.00)	

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

STATEMENT 14

GROUP DEATH CLAIMS

(Benefit Amount in ₹ Crore)

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated /booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending — duration wise (Lives)			Total	
	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	<3 months	>3 to ≤6 months	>6 to ≤12 months		>12 months
Aegon Religare	0	0.00	2	0.08	2	0.08	2	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
Aviva	4	0.01	10531	25.92	10535	25.93	10502	25.79	29	0.06	0	0.00	4	0.08	4	0	0	0	4
Bejei Allianz	373	2.06	97869	150.99	98242	153.05	98040	150.73	34	0.64	0	0.00	168	1.68	118	36	5	9	168
Bharti AXA	0	0.00	64	0.78	64	0.78	59	0.51	5	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
Birla Sunlife	0	0.00	1254	16.17	1254	16.17	1247	15.87	6	0.28	0	0.00	1	0.01	1	0	0	0	1
Canara HSBC	0	0.00	30	0.68	30	0.68	18	0.18	6	0.11	0	0.00	6	0.39	4	2	0	0	6
DLF Pramerica	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
Future Generali	67	1.74	17507	27.88	17574	29.62	7618	16.72	2	0.01	0	0.00	9954	12.89	3796	6113	9	36	9954
HDFC Standard	1	0.10	284	2.78	285	2.88	283	2.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
ICICI Prudential	41	2.27	4210	46.84	4251	49.11	3976	45.06	67	1.15	0	0.00	175	2.74	149	19	6	1	175
IDBI Federal	0	0.00	987	1.01	987	1.01	918	0.79	19	0.02	0	0.00	50	0.20	50	0	0	0	50

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

Cont'd... STATEMENT 14
(Benefit Amount in ₹ Crore)

GROUP DEATH CLAIMS

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending – duration wise (Lives)			Total	
	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	< 3 months	3 to ≤ 6 months	> 6 to ≤ 12 months		> 12 months
IndiaFirst	0	0.00	321	1.96	321	1.96	307	1.73	12	0.21	0	0.00	2	0.02	2	0	0	0	2
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(95.64)	(88.27)	(3.74)	(10.71)	(0.00)	(0.00)	(0.62)	(1.02)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)
ING Vysya	8	0.26	204	2.00	212	2.26	166	1.52	1	0.00	0	0.00	45	0.74	27	6	10	2	45
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(78.30)	(67.37)	(0.47)	(0.04)	(0.00)	(0.00)	(21.23)	(32.59)	(60.00)	(13.33)	(22.22)	(4.44)	(100.00)
Kotak Mahindra	98	2.88	2564	48.80	2662	51.68	2426	44.88	47	1.56	0	0.00	189	5.24	169	11	3	6	189
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(91.13)	(86.84)	(1.77)	(3.02)	(0.00)	(0.00)	(7.10)	(10.14)	(89.42)	(5.82)	(1.59)	(3.17)	(100.00)
Max New York	647	1.66	45841	74.85	46488	76.51	45084	73.42	1299	2.21	0	0.00	105	0.88	104	0	1	0	105
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(96.98)	(95.96)	(2.79)	(2.88)	(0.00)	(0.00)	(0.23)	(1.16)	(99.04)	(0.00)	(0.95)	(0.00)	(100.00)
MetLife	54	0.78	2760	46.86	2814	47.64	2551	46.28	46	0.79	213	0.24	4	0.33	3	1	0	0	4
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(90.65)	(97.13)	(1.63)	(1.67)	(7.57)	(0.51)	(0.14)	(0.70)	(75.00)	(25.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)
Reliance Life	34	0.67	1148	27.28	1182	27.96	1145	26.36	9	0.25	5	0.10	23	1.25	4	0	0	19	23
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(96.87)	(94.28)	(0.76)	(0.90)	(0.42)	(0.35)	(1.95)	(4.47)	(17.39)	(0.00)	(0.00)	(82.61)	(100.00)
Sahara	0	0.00	17	0.05	17	0.05	17	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SBI Life	34	1.16	12766	190.25	12800	191.41	11936	178.54	767	10.37	0	0.00	97	2.50	80	6	3	8	97
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(93.25)	(93.28)	(5.99)	(5.42)	(0.00)	(0.00)	(0.76)	(1.31)	(82.47)	(6.19)	(3.09)	(8.25)	(100.00)
Shriram	12	0.22	1222	19.83	1234	20.05	1232	20.03	2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.84)	(99.90)	(0.16)	(0.10)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Star Union	0	0.00	220	3.00	220	3.00	202	1.79	9	0.87	0	0.00	9	0.34	7	0	2	0	9
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(91.82)	(59.75)	(4.09)	(28.87)	(0.00)	(0.00)	(4.09)	(11.38)	(77.77)	(0.00)	(22.22)	(0.00)	(100.00)
TATA AIG	96	2.21	1023	12.11	1119	14.32	1069	13.20	32	1.00	13	0.01	5	0.11	2	0	2	1	5
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(95.53)	(92.15)	(2.86)	(7.02)	(1.16)	(0.05)	(0.45)	(0.78)	(40.00)	(0.00)	(40.00)	(20.00)	(100.00)
Private Total	1469	16.03	200824	700.13	202293	716.16	188798	666.31	2392	19.82	266	0.61	10837	29.41	4520	6194	41	82	10837
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(93.33)	(93.04)	(1.18)	(2.77)	(0.13)	(0.09)	(5.36)	(4.11)	(41.71)	(57.16)	(0.38)	(0.76)	(100.00)
LIC	403	6.53	233505	1395.32	233908	1401.85	233132	1393.51	12	0.04	0	0.00	764	8.30	576	100	74	14	764
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.67)	(99.41)	(0.01)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.33)	(0.59)	(75.39)	(13.09)	(9.69)	(1.83)	(100.00)
Industry Total	1872	22.56	434329	2095.45	436201	2118.01	421930	2059.82	2404	19.87	266	0.61	11601	37.71	5096	6294	115	96	11601
			(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(96.73)	(97.25)	(0.55)	(0.94)	(0.06)	(0.03)	(2.66)	(1.78)	(43.93)	(54.25)	(0.99)	(0.83)	(100.00)

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

STATEMENT 15

DURATION WISE SETTLEMENT OF DEATH CLAIMS - INDIVIDUAL CATEGORY
(Benefit Amount in ₹ Crore)

Life Insurer	Duration												Total Claims Settled				
	Within 30 Days of Intimation			31 to 90 Days			91 to 180 Days			181 Days to 1 Year			More than 1 Year			Benefit Amount	No. of Policies
	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount			
Aegon Religare	32	1.96	24	0.76	8	1.17	4	0.16	0	0.00	68	4.05					
Aviva	1614	28.25	219	5.76	32	0.95	16	0.25	25	0.87	1906	36.08					
Bajaj Allianz	15469	188.09	6717	103.56	1388	26.52	345	7.65	61	1.02	23980	326.84					
Bharti AXA	348	3.51	218	4.79	101	2.67	19	0.55	0	0.00	686	11.52					
Birla Sunlife	9086	168.09	204	17.31	15	0.48	1	0.03	1	0.05	9307	185.96					
Canara HSBC	54	2.26	77	2.92	49	2.04	18	1.74	3	0.12	201	9.07					
DLF Pramerica	16	0.20	18	0.18	6	0.10	2	0.02	0	0.00	42	0.49					
Future Generali	73	0.83	238	3.61	210	3.53	101	2.48	7	0.47	629	10.92					
HDFC Standard	3384	48.92	720	20.38	211	8.17	39	1.16	15	1.95	4369	80.58					
ICICI Prudential	12170	117.85	1637	31.96	765	23.81	280	19.63	308	8.43	15160	201.68					
IDBI Federal	270	5.51	0	0.00	0	0.00	2	0.08	0	0.00	272	5.59					
IndiaFirst	155	2.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	155	2.23					
ING Vysya	1344	16.53	525	7.08	177	3.66	27	1.07	2	0.06	2075	28.41					
Kotak Mahindra	1357	23.09	596	19.77	443	13.08	10	0.89	5	0.67	2411	57.49					
Max NewYork	4093	77.09	2585	61.94	235	6.03	68	1.73	52	1.25	7033	148.04					
MetLife	956	26.08	446	15.59	148	12.57	14	0.25	1	0.02	1565	54.51					
Reliance Life	10326	78.90	2685	33.97	229	6.15	5	0.24	9	0.20	13254	119.46					
Sahara	35	0.42	155	1.31	165	1.37	79	0.78	69	0.61	503	4.49					
SBI Life	6572	94.90	1528	38.80	139	4.58	8	0.27	2	0.29	8249	138.84					
Shriram	195	1.86	365	5.06	240	3.51	66	0.94	10	0.27	876	11.63					
Star Union Dai-ichi	58	0.44	122	1.47	48	0.88	6	0.08	0	0.00	234	2.86					
TATA AIG	2639	40.49	674	15.37	106	5.06	7	0.40	2	0.04	3428	61.36					
Private Total	70246	927.48	19753	391.60	4715	126.32	1117	40.40	572	16.30	96403	1502.10					
LIC	553197	4708.08	84312	709.46	45041	378.43	26954	228.67	8025	68.50	717529	6093.14					
Industry Total	623443	5635.56	104065	1101.06	49756	504.75	28071	269.07	8597	84.80	813932	7595.24					

STATEMENT 16

DURATION WISE SETTLEMENT OF DEATH CLAIMS - GROUP CATEGORY
(Benefit Amount in ₹ Crore)

Life Insurer	Within 30 Days of Intimation		Duration				More than 1 Year		Total Claims Settled	
	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount
Aegon Religare	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.08
Aviva	10435	25.64	10	0.02	4	0.01	7	0.02	10502	25.79
Bajaj Allianz	88273	132.71	1767	2.75	75	0.45	43	0.16	98040	150.73
Bharti AXA	21	0.05	9	0.26	3	0.02	0	0.00	59	0.51
Birla Sunlife	1234	15.80	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1247	15.87
Canara HSBC	10	0.02	4	0.01	1	0.00	0	0.00	18	0.18
DLF Pramerica	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Future Generali	7565	14.45	17	1.06	11	0.10	2	0.01	7618	16.72
HDFC Standard	279	2.77	0	0.00	1	0.00	1	0.00	283	2.78
ICICI Prudential	2896	30.34	125	1.88	11	0.95	1	0.00	3976	45.06
IDBI Federal	918	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	918	0.79
IndiaFirst	302	1.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	307	1.73
ING Vysya	67	0.87	27	0.16	1	0.00	1	0.01	166	1.52
Kotak Mahindra	2031	31.87	118	2.28	1	0.03	6	0.07	2426	44.88
Max New York	41169	66.12	1127	1.57	352	0.47	25	0.04	45084	73.42
MetLife	2392	45.28	111	0.29	8	0.05	0	0.00	2551	46.28
Reliance Life	1102	24.65	42	1.71	0	0.00	1	0.01	1145	26.36
Sahara	14	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	0.05
SBI Life	10928	148.65	86	3.53	8	0.46	8	1.41	11936	178.54
Shriram	1150	19.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1232	20.03
Star Union Dai-ichi	158	0.60	16	0.66	9	0.33	0	0.00	202	1.79
TATA AIG	895	8.91	59	0.82	20	0.44	0	0.00	1069	13.20
Private Total	171840	571.04	12882	15.30	504	3.30	95	1.74	188798	666.31
LIC	228129	1364.47	2909	19.84	601	3.31	48	0.30	233132	1393.51
Industry Total	399969	1935.51	15791	20.89	1105	6.61	143	2.04	421930	2059.82

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	LIFE FUND										Total (Life Fund)	
	Central Govt - Securities		State Govt & Other Approved Securities		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		31-Mar-10	31-Mar-11
	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11
LIC	292901.34	334092.91	109629.03	136929.55	79991.01	80491.49	182643.05	205050.46	33989.06	41726.63	698153.49	798291.03
PUBLIC TOTAL	292901.34	334092.91	109629.03	136929.55	78991.01	80491.49	182643.05	205050.46	33989.06	41726.63	698153.49	798291.03
HDFC Standard	2042.86	2276.66	139.86	456.77	843.82	1301.75	1326.27	1274.23	98.28	50.72	4451.08	5360.12
Max New York	1683.17	2517.25	462.58	521.02	765.19	1131.22	575.69	709.36	1.30	1.33	3487.93	4880.19
ICI Prudential	1797.86	2619.75	598.96	813.75	688.31	1080.84	1126.00	1934.78	115.16	113.26	4326.29	6562.38
Birla Sunlife	758.78	1138.02	0.00	0.00	414.21	535.32	268.53	501.89	11.25	2.66	1452.77	2177.89
TATA AIG	1533.89	2146.83	337.10	360.08	489.14	603.50	448.66	418.74	23.68	20.85	2832.47	3550.00
Kotak Mahindra	574.08	682.46	145.13	163.03	284.07	370.86	211.52	331.08	1.52	1.85	1216.32	1549.28
SBI Life	2040.46	2161.51	429.36	319.30	775.20	746.50	1542.24	1377.42	13.37	109.39	4800.63	4714.12
Bajaj Allianz	1278.47	2125.63	1193.44	890.25	1045.11	1081.98	1062.53	1553.22	2.79	57.68	4582.34	5708.76
MetLife	462.72	784.60	119.96	120.21	316.58	357.06	119.98	112.49	11.27	0.00	1030.52	1374.36
Reliance	287.69	476.80	139.19	171.28	169.44	253.20	281.46	403.82	9.13	4.67	886.92	1309.77
ING Vysya	411.99	575.01	149.09	152.28	262.98	335.53	174.99	315.42	117.31	45.82	1116.36	1424.06
AVIVA Life	277.50	338.81	6.58	137.66	99.62	178.79	113.01	178.01	0.00	0.00	496.71	833.28
Sahara	127.17	191.93	73.11	63.03	98.47	123.94	68.92	80.86	12.72	3.01	380.40	462.77
Shriram	90.43	107.09	29.89	25.46	70.16	63.27	41.18	62.81	5.76	1.29	237.43	259.92
Bharti AXA	67.72	90.84	10.11	10.06	29.06	31.99	27.88	66.52	2.66	1.91	137.43	201.32
IDBI Federal	90.67	150.32	43.18	54.84	73.69	83.86	76.56	261.27	4.44	8.08	288.55	558.38
Future Generali	99.05	185.11	61.59	60.56	59.74	130.53	58.20	73.06	0.72	0.65	279.30	449.90
Canara HSBC	128.78	134.25	15.47	24.76	37.78	75.23	47.68	44.36	4.30	0.00	234.01	278.60
Star Union Dai-ichi	172.38	195.42	51.50	53.71	70.46	70.00	69.52	77.84	4.25	7.38	368.11	404.35
DLF Pramerica	51.18	80.59	0.00	0.00	28.14	34.37	5.87	26.12	0.08	1.95	85.26	143.02
Aegon Religare	66.52	113.61	9.34	17.85	23.67	40.43	7.83	59.64	10.21	0.00	117.56	231.53
IndiaFirst	150.85	190.66	0.00	12.21	38.69	59.08	101.41	87.56	38.03	0.00	328.98	349.50
PRIVATE TOTAL	14194.22	19283.14	4015.44	4428.11	6683.53	8689.26	7755.94	9950.52	488.24	432.49	33137.37	42783.52
INDUSTRY TOTAL	307095.57	353376.05	113644.46	141357.66	85674.54	89180.75	190398.99	215000.98	34477.30	42159.12	731290.86	841074.55

Cont'd... STATEMENT 17

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(` Crore)

Insurer	PENSION & GENERAL ANNUITY FUND						Total (Pension & General Annuity & Group Fund) Investments	
	Central Govt - Securities		State Govt & Other Approved Securities		Approved Investments			
	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11
LIC	49941.31	62177.96	22117.86	30275.44	61529.31	80828.36	133588.49	173281.76
PUBLIC TOTAL	49941.31	62177.96	22117.86	30275.44	61529.31	80828.36	133588.49	173281.76
HDFC Standard	282.43	378.85	81.70	105.25	290.89	330.68	655.02	814.79
Max New York	36.23	61.36	4.87	4.89	13.99	20.42	55.09	86.68
ICICI Prudential	648.57	1097.48	71.75	93.04	447.21	1133.45	1167.53	2323.97
Birla Sunlife	39.93	44.21	7.65	7.68	62.12	70.83	109.69	122.73
TATA AIG	162.00	184.25	59.61	72.72	180.12	211.22	401.73	468.19
Kotak Mahindra	22.18	28.09	8.59	7.01	17.08	21.20	47.85	56.30
SBI Life	1824.85	2893.43	1126.22	1652.89	3737.58	6317.71	6688.65	10864.03
Bajaj Allianz	202.79	288.98	45.28	44.34	190.23	418.44	438.30	751.76
MetLife	44.48	69.61	5.02	5.03	18.17	15.54	67.67	90.18
Reliance	0.00	19.00	0.00	3.03	0.00	28.78	0.00	50.82
ING Vysya	117.23	181.47	52.14	56.99	180.24	310.37	349.61	548.83
AVIVA Life	0.64	0.71	0.37	0.38	0.23	0.86	1.24	1.94
Sahara	0.50	1.98	0.06	0.06	0.36	0.41	0.92	2.46
Shriram	0.03	25.34	0.00	11.09	0.00	52.33	0.03	88.76
Bharti AXA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
IDBI Federal	0.06	14.25	0.01	2.88	0.03	1.97	0.10	19.10
Future Generali	15.38	16.55	6.87	11.22	5.32	23.64	27.57	51.41
Canara HSBC	5.70	54.22	0.00	9.68	0.64	70.54	6.34	134.44
Star Union Dai-ichi	6.90	37.90	3.15	11.69	11.05	119.07	21.10	168.66
DLF Pramerica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aegon Religare	0.00	0.09	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.44
IndiaFirst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIVATE TOTAL	3409.89	5397.79	1473.30	2100.25	5155.26	9147.47	10038.45	16645.50
INDUSTRY TOTAL	53351.21	67575.74	23591.16	32375.68	66684.57	89975.83	143626.93	189927.26

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	UNIT LINKED FUND						Total (All Funds)	
	Approved Investments		Other Investments		Total (ULIP Funds)		31-Mar-10	31-Mar-11
	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11	31-Mar-10	31-Mar-11
LIC	148828.93	161936.66	11760.36	15079.74	160589.29	177016.39	992331.27	1148589.18
PUBLIC TOTAL	148828.93	161936.66	11760.36	15079.74	160589.29	177016.39	992331.27	1148589.18
HDFC Standard	14402.53	19914.30	902.83	408.59	15305.36	20322.89	20411.47	26497.80
Max New York	5919.28	8429.17	658.66	440.39	6577.94	8869.56	10120.96	13836.42
ICICI Prudential	46900.16	54926.50	4569.09	3900.04	51469.25	58826.54	56963.07	67712.89
Birla Sunlife	12760.23	16286.86	1415.61	1068.28	14175.84	17355.14	15738.31	19655.76
TATA AIG	5602.53	8243.88	549.20	299.76	6151.73	8543.64	9385.93	12561.83
Kotak Mahindra	5276.72	6766.83	169.13	219.52	5445.85	6986.35	6710.01	8591.93
SBI Life	15891.14	23535.65	1196.16	993.43	17,087.31	24529.08	28576.58	40107.23
Bajaj Allianz	26497.09	30409.31	1917.53	2474.86	28414.62	32884.17	33435.26	39344.69
MetLife	4416.25	6093.96	436.16	292.76	4852.42	6386.72	5950.60	7851.27
Reliance	11886.06	15712.62	879.00	773.78	12765.06	16486.40	13651.98	17846.99
ING Vysya	2671.61	3404.88	532.44	292.88	3204.05	3697.76	4670.02	5670.65
AVIVA Life	5564.85	6407.39	473.71	412.32	6038.56	6819.72	6536.50	7654.93
Sahara	426.42	531.16	48.23	53.76	474.65	584.91	855.97	1050.15
Shriram	1089.98	1514.29	94.14	131.88	1184.12	1646.17	1421.58	1994.85
Bharti AXA	714.08	1231.74	78.22	107.48	792.30	1339.22	929.73	1540.55
IDBI Federal	762.92	1325.61	51.10	74.48	814.02	1400.09	1102.67	1977.57
Future Generali	273.96	603.45	26.32	42.65	300.28	646.10	607.15	1147.41
Canara HSBC	1008.49	2243.85	67.95	82.63	1076.44	2326.48	1316.79	2739.52
Star Union Dai-ichi	466.87	1158.15	17.87	15.54	484.74	1173.70	873.95	1746.71
DLF Pramerica	27.94	72.06	2.87	8.80	30.81	80.87	116.07	223.89
Aegon Religare	120.77	377.35	11.25	35.05	132.02	412.40	249.58	644.37
IndiaFirst	159.90	772.95	13.59	8.51	173.49	781.47	502.47	1130.97
PRIVATE TOTAL	162839.78	209961.97	14111.07	12137.39	176950.85	222099.36	220126.66	281528.38
INDUSTRY TOTAL	311668.71	371898.63	25871.42	27217.13	337540.14	399115.76	1212457.93	1430117.56

EQUITY SHARE CAPITAL OF LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Name of the insurer	As on 31 st March, 2010	Infusion During the year	As on 31 st March, 2011	Foreign Promoter	Indian Promoter	FDI (%)
HDFC Standard	1968.00	26.88	1994.88	518.67	1476.21	26.00
ICICI Prudential	1428.14	0.32	1428.46	370.78	1057.68	25.96
Max New York	1838.82	2.18	1841.00	478.63	1362.37	26.00
Kotak Mahindra	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00
Birla Sun Life	1969.50	0.00	1969.50	512.07	1457.43	26.00
TATA-AIG Life	1920.50	33.00	1953.50	507.91	1445.59	26.00
SBI Life	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00
ING Vysya	1019.15	445.73	1464.88	380.87	1084.01	26.00
Metlife	1774.79	194.79	1969.57	512.09	1457.48	26.00
Bajaj Allianz	150.71	0.00	150.71	39.18	111.52	26.00
Reliance	1164.65	1.19	1165.84	0.00	1165.84	0.00
AVIVA	1888.80	116.10	2004.90	521.27	1483.63	26.00
Sahara	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
Shriram	125.00	50.00	175.00	45.50	129.50	26.00
Bharti AXA	1131.35	394.00	1525.35	338.97	1186.39	22.22
Future Generali	702.00	350.00	1052.00	268.26	783.74	25.50
IDBI Federal	450.00	250.00	700.00	182.00	518.00	26.00
Canara HSBC	500.00	200.00	700.00	182.00	518.00	26.00
Aegon Religare	570.00	380.00	950.00	247.00	703.00	26.00
DLF Pramerica	221.30	72.66	293.96	76.43	217.53	26.00
Star Union Dai-ichi	250.00	0.00	250.00	65.00	185.00	26.00
IndiaFirst	200.00	125.00	325.00	84.50	240.50	26.00
Sub Total (Private Sector)	21015.00	2641.85	23656.85	5723.81	17933.03	24.20
LIC	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
Total (Life)	21020.00	2641.85	23661.85	5723.81	17938.03	24.19

SOLVENCY RATIO OF LIFE INSURERS

Insurer	March 2010	June 2010	September 2010	December 2010	March 2011
PRIVATE INSURERS					
Aegon Religare	2.66	3.55	4.18	2.74	3.22
Aviva	5.12	4.26	3.44	4.13	5.40
Bajaj Allianz	2.68	2.86	2.99	3.37	2.86
Bharti AXA	1.68	3.78	4.39	2.91	2.14
Birla Sun Life	2.11	2.23	2.24	2.50	2.89
Canara HSBC	2.58	3.38	2.62	4.00	3.07
DLF Pramerica	1.67	1.92	1.88	1.63	2.53
Future Generali	2.34	1.80	2.76	2.19	2.21
HDFC Standard	1.80	2.02	1.92	1.80	1.72
ICICI Prudential	2.90	3.09	3.05	3.24	3.27
IDBI Federal	4.05	3.64	3.04	2.45	6.60
IndiaFirst	5.27	5.01	7.43	6.90	6.36
ING Vysya	1.79	3.11	3.37	3.26	3.00
Max New York	3.22	3.04	2.82	3.06	3.65
MetLife	1.65	1.69	1.67	1.63	1.69
Kotak Mahindra	2.79	2.75	2.69	2.61	2.67
Reliance	1.86	1.58	1.55	1.59	1.66
Sahara India	4.50	4.70	4.87	5.06	4.82
SBI Life	2.17	2.25	2.22	2.16	2.04
Shriram	2.69	2.38	2.52	3.63	3.96
Star Union Dai-ichi	7.46	7.36	7.47	7.07	6.70
TATA AIG	2.11	1.97	1.79	1.87	2.16
PUBLIC INSURER					
LIC	1.54	1.62	1.66	1.58	1.54

* Source - Actuarial Report and Abstract as on 31-03-2010 & 31-03-2011 and respective quarterly solvency statements

LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	BIRLA SUN LIFE		ICICI PRUDENTIAL		ING VYSYA		LIC		HDFC STANDARD		MAX NEW YORK		RELIANCE LIFE		BAJAJ ALLIANZ LIFE	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Premiums earned – net																
(a) Premium	567707	550566	1788063	1652875	170895	164265	20347340	18607731	900417	700510	581263	488054	657115	600490	960995	1141971
(b) Reinsurance ceded	(8250)	(8029)	(6365)	(5292)	(366)	(409)	(11936)	(9492)	(4946)	(4947)	(7642)	(5968)	(2329)	(1656)	(3477)	(2835)
(c) Reinsurance accepted							401	352								
Income from Investments																
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	77156	52157	190214	136165	22618	15559	7766669	6719788	92041	62142	45051	32384	40119	24497	93783	64538
(b) Profit on sale/redemption of investments	158965	241291	1338224	393183	22252	39112	1842358	1017242	187150	94552	71058	72233	94777	67713	349772	334710
(c) Loss on sale/redemption of investments	(38949)	(34109)	(695719)	(63470)	(7157)	(6751)	(234862)	(192374)	(13780)	(16419)	(13582)	(9806)	(29397)	(18375)	(38265)	(49701)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value	(47785)	141402			199	54139	209195	3694853	(57712)	426328	(3685)	102913	40737	270262	(14053)	643474
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments	(1194)	(426)							905	(458)	(195)	1241	4506	1316		
(f) Appropriation/Expatriation Adjustment Account			(1648)	(2702)					(3021)	4136	434					
Unrealised Gains/Loss			(207918)	1294821												
Other Income	2368	1435	1028	735	179	1499	8088	34053	1730	1890	243	46	5205	864	869	2816
Transfer from Shareholders' Account	6198	47975	13590	52550	11496	14630			20057	35584	1183	5862	16581	30534	3167	6945
Unit-Linked Recoveries																
TOTAL (A)	717217	992261	2419469	3458864	220116	282045	29927263	29872155	1122841	1305330	674128	684959	827313	1035645	1352790	2141918
Commission	38058	51620	56068	60297	13058	12076	1330868	1211031	47681	52550	53990	42121	51480	62785	61647	96257
Operating Expenses related to Insurance Business	120348	132675	218739	256815	49441	46727	1698028	1224582	149521	149766	144044	150439	156270	163673	160658	177163
Provision for doubtful debts							(44141)	(104530)			315	22				
Adjustment related to previous year																
Bad debts written off																
Provision for Tax	(59)		9219	(305)			397318	362529			8	20			19239	6531
Provisions (other than taxation)							35345	50455								
(a) For diminution in the value of investments (Net)							(6868)	12256								
(b) Others																
TOTAL (B)	158347	184295	284026	316907	62499	58803	3410550	2756324	197202	202316	198356	192602	207750	226459	241544	279951
Benefits Paid (Net)	193437	113978	1089117	720999	58627	24544	11124119	7913066	283091	133789	123679	58917	201159	69342	498467	263020
Interim Bonuses Paid			56	5	11	7	110533	100354	51	37			9	5	196	104
Change in valuation of liability in respect of life policies																
(a) Gross*	316927	663250	1015510	2291183	98866	196597	14596688	11722395	639045	952640	310190	419620	408773	731162	81633	122952
(b) Amount ceded in Reinsurance	(321)	(7599)			21	104			(3246)	(2546)	10	(1050)				
(c) Amount accepted in Reinsurance	64															
(d) Transfer to Linked Fund (Fund Reserve)							572611	7276923								
TOTAL (C)	510108	789529	2074682	3012187	155525	221251	26402951	27012738	918942	1083920	433879	477487	609942	800509	1027151	1821007
SURPLUS / (DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	48762	18438	184002	201503	4744	2653	113762	103092	6698	19094	48122	16564	19886	10264	105388	62684
Prior Period Items																
Balance at the beginning of the year																
Transfer from Linked Fund (Lapsed Policies)																
Surplus available for appropriations	48762	18438	184002	201503	4744	2653	113762	103092	6698	19094	48122	16564	19886	10264	105388	62684
APPROPRIATIONS																
Transfer to Shareholders' Account	32907	1491	86782	78262	2395		113762	103092	4463	4729	32986	10335	405	93551	52448	
Funds for future appropriations (Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived)																
Balance being funds for future appropriations-Policyholders	15855	16947	(26021)	51508	(303)	1991			14903	5329				8677	11837	10237
Balance being funds for future appropriations-Previous year			123242	71733	2653	661			4271	9036	15136	6229	10264	1587		
Balance transferred to Balance Sheet									(16839)							
TOTAL (D)	48762	18438	184002	201503	4744	2653	113762	103092	6698	19094	48122	16564	19886	10264	105388	62684

Note : * represents mathematical reserves after allocation of bonus

Figures in brackets represents negative values

Cont'd... STATEMENT 20

LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	SBI LIFE		KOTAK MAHINDRA		TATA AIG		METLIFE		AVIVA		SAHARA		SHRIRAM		BHARTI AXA	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Premiums earned - net																
(a) Premium	1291164	1010403	297551	286805	398522	349378	250817	253801	234517	237801	24341	25059	82152	61127	79202	66973
(b) Reinsurance ceded	(3612)	(2355)	(3455)	(1820)	(1235)	(1222)	(3993)	(2980)	(1839)	(1651)	(9)	(7)	(47)	(67)	(463)	(229)
(c) Reinsurance accepted																
Income from Investments																
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross	132845	77248	36933	26006	42473	29607	19958	11934	24740	18282	2761	1791	5877	3276	2182	789
(b) Profit on sale/redemption of investments	244823	254992	48481	38815	41990	20203	19144	13065	27862	10085	827	680	4766	4344	11204	6546
(c) (Loss on sale/redemption of investments)	(63953)	(42428)	(17295)	(8651)	(8946)	(12567)	(12413)	(3302)	(4922)	(5027)			(14)	(975)	(2999)	(639)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value	(13026)	302655	(2752)	52223	25987	173968			(1748)	114670	325	14331			(49)	12648
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments	(1536)	4288							(658)	456	(2)	2	(6)		165	236
(f) Appropriation/Expropriation Adjustment Account																
Unrealised Gains/Loss							32634	114181					4046	24269		
Other Income	2706	635	415	290	(342)	3196	234	299			74	34	85	80	1388	244
Transfer from Shareholders' Account	3542		882	1770	1752	44339			20129	36002			474	324	6661	695
Unit Linked Recoveries													(666)	(1566)		
TOTAL (A)	1592753	1605438	360761	392437	500200	606901	306280	366798	298080	410618	28316	41890	96669	93811	97292	87263
Commission	67105	66617	13017	16792	24628	28085	8732	29251	10104	15829	2208	23688	4146	6649	3943	6326
Operating Expenses related to Insurance Business	882399	75298	58006	57384	93877	102631	56360	68199	56873	71019	3298	3700	13116	12399	60151	66071
Provision for doubtful debts					279	641										
Adjustment related to previous year		(21)														
Bad debts written off	4															
Provision for Tax	2449	1022									302	172	144			0
Provisions (other than taxation)																
(a) For diminution in the value of investments (Net)	0	(13679)														
(b) Others																
TOTAL (B)	157857	129237	71022	73458	118784	131357	65093	97450	66977	86848	5808	6241	17406	19048	64094	72397
Benefits Paid (Net)	292577	85138	103615	49668	70920	32458	47792	17250	118976	63094	4777	1483	23529	6595	4394	893
Interim Bonuses Paid							9	6	74	62			8	3		
Change in valuation of liability in respect of life policies																
(a) Gross*	1108539	1371721	23347	21659	6892	64403	193886	298273	89610	258208	4883	6421	8788	4181	57288	61979
(b) Amount ceded in Reinsurance	(1344)	(90)			(140)	(141)	(1326)	(568)	(86)	(397)		(3)			(121)	(277)
(c) Amount accepted in Reinsurance																
(d) Transfer to Linked Fund (Fund Reserve)																
TOTAL (C)	1399783	1456775	281070	302082	376419	474276	240361	314961	208574	320957	20687	34879	78525	74631	61541	62595
SURPLUS / (DEFICIT) (D) = (A)-(B)+(C)	35112	19426	8669	16896	4996	1268	827	(25613)	22528	2803	1821	770	738	132	(28343)	(47729)
Prior Period Items																
Balance at the beginning of the year	2462	812	528	380	3994	3867	(166383)	(136394)					181	192		
Transfer from Linked Fund (Lapsed Policies)																
Surplus available for appropriations	37574	20237	9197	17276	8990	5135	(165556)	(162007)	22528	2803	1821	770	919	324	(28343)	(47729)
APPROPRIATIONS																
Transfer to Shareholders' Account	33552	17775	8951	7085	4989	3403	112	74	20495	51	1347	770	919	143	(28343)	(47729)
Funds for future appropriations (Reserve for lapsed unit-linked policies unlikely to be revived)																
Balance being funds for future appropriations/Policyholders	4022	2462	(176)	9663	4001	1731	(293)	4301	2033	2752	475	770		181		
Balance being funds for future appropriations/Previous year																
Balance transferred to Balance Sheet							(165375)	(162007)								
TOTAL (D)	37574	20237	9197	17276	8990	5135	(165556)	(162007)	22528	2803	1821	770	919	324	(28343)	(47729)

Note : * Represents mathematical reserves after allocation of bonus
Figures in brackets represents negative values

LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	FUTURE GENERALI		IDBI FEDERAL		AEGON RELIGARE		CANARA HSBC		DLF PRAMERICA		STAR UNION DAICHI		INDIAFIRST		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Premiums earned – net																
(a) Premium	72616	54151	81100	57112	38861	16565	153186	84245	9504	3844	93331	53037	79843	20160	29160499	26544725
(b) Reinsurance ceded	(1013)	(667)	(452)	(210)	(363)	(88)	(621)	(254)	(30)	(4)	(75)	(28)	(62)	(0)	(62580)	(60208)
(c) Reinsurance accepted															401	352
Income from Investments																
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	3214	1325	5977	2995	615	136	5205	1873	176	44	3197	721	1065	33	8614767	7283288
(b) Profit on sale/redemption of investments	4160	1100	6483	6256	1394	864	10907	4207	156	43	2692	1056	1593	55	44918326	28193446
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(543)	(131)	(1641)	(1140)	(774)	(191)	(2633)	(258)	(31)	(19)	(1554)	(183)	(99)	(4)	(1189526)	(466521)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value	(1858)	2890	(1876)	3011	1181	490	(2608)	16645	105	186			1141	413	131719	6029502
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments			303	59	116	39			(0)	0			349		4789	1771
(f) Appropriation/Expatriation Adjustment Account			99	127	69	29	268	230	14	9	98	87			(5723)	6897
Unrealised Gains/Loss															(168828)	1434747
Other Income	146	207	13	0					0				72	18	24967	48341
Transfer from Shareholders' Account	32778	36837	13511	12299	2974		19760	26114	11450	9794	455		8923	5095	195107	370356
Unit Linked Recoveries															(666)	(1566)
TOTAL (A)	109499	95712	103517	80508	44073	17846	183495	132800	21345	13896	100553	56166	92825	25769	41196764	43821032
Commission	9578	11044	6663	4419	2191	1293	15180	20337	972	429	4019	3928	2692	1466	1828029	1803959
Operating Expenses related to Insurance Business	41108	46047	20997	14850	40631	27825	26045	19235	14788	10571	10541	6635	13090	6822	3294230	2890628
Provision for doubtful debts															(43535)	(1103867)
Adjustment related to previous year															(21)	(21)
Bad debts written off															12	20
Provision for Tax															428613	369950
Provisions (other than taxation)															35345	50455
(a) For diminution in the value of investments (Net)															0	(14396)
(b) Others															(6868)	12296
TOTAL (B)	50686	57091	27660	19269	42834	29118	41225	39571	15761	11000	14559	10563	15782	8278	5535826	5009584
Benefits Paid (Net)	4005	1398	765	351	199	50	609	433	93	(25)	709	132	388	17	14215045	9956491
Interim Bonuses Paid															110958	100569
Change in valuation of liability in respect of life policies																
(a) Gross*	54958	37223	75506	61166	31468	12633	141660	92818	5491	2921	21333	3879	76131	17472	19424423	19434755
(b) Amount ceded in Reinsurance	(159)	(0)	(413)	(278)	(779)	(289)	(59)	(23)			(281)	(28)			(8244)	(13185)
(c) Amount accepted in Reinsurance															64	64
(d) Transfer to Linked Fund (Fund Reserve)															1538451	9456020
TOTAL (C)	58813	38621	75858	61239	30888	12394	142240	93229	5584	2896	90655	49009	76520	17488	35280896	38534671
SURPLUS/ (DEFICIT) (D) = (A)+(B)-(C)																
Prior Period Items															2	380242
Balance at the beginning of the year															(10587)	(48615)
Transfer from Linked Fund (Lapsed Policies)															15050	14870
Surplus available for appropriations															384705	244032
APPROPRIATIONS																
Transfer to Shareholders' Account															0	404881
Funds for future appropriations (Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived)															522	2
Balance being funds for future appropriations-Policyholders															15425	5331
Balance being funds for future appropriations-Previous year															40247	126607
Balance transferred to Balance Sheet															(212006)	(189641)
TOTAL (D)															384705	244032

Note : * represents mathematical reserves after allocation of bonus
 Figures in brackets represents negative values

STATEMENT 21
(₹ Lakh)

LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

PARTICULARS	BIRLA SUN LIFE		ICICI PRUDENTIAL		ING VYSYA		LIC		HDFC STANDARD		MAX NEW YORK		RELIANCE		BAJAJ ALLIANZ	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Amounts transferred from the Policyholders Account (Technical Account)	32907	1491	73192	25712	2741	113762	103092	4463	4729	32986	10335	405	93551	52448		
Income From Investments:																
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	3663	3039	9288	2233	1427	984	3323	3999	2891	7453	3241	2658	1993	17591	9834	
(b) Profit on sale/redemption of investments	334	177	1353	940	655	177	65	3999	492	752	710	729	922	961	1063	
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(3)		(54)	(49)		(16)	(9)	(17)	(5)	(2)	(99)	(241)	(476)	(314)	(54)	
(d) Transfer/gain on revaluation/Change in Fair value																
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments	(156)	(203)						(30)	(26)	354	129	234	136			
Other Income						40		0	35	1	3					
TOTAL (A)	36745	4505	83778	28636	4823	1161	106072	10250	8116	41543	14319	3786	2574	111789	63291	
Expenses other than those directly related to the insurance business	48	80	528	783	333	202	0	94	40	20954	10781	134	419	455	647	
Bad debts written off																
Provisions (Other than taxation)																
(a) For diminution in the value of investments (Net)											(474)					
(b) Provision for doubtful debts											242					
(c) Others																
Prior Period Expense																
Contribution to Policyholders Account	6198	47975			11496	14630		20057	35594	1183	5862	16581	30534	3167	6945	
TOTAL (B)	6246	48055	528	783	11829	14632	(2)	20151	35634	22137	16411	16715	30953	3623	7592	
Profit / (Loss) before tax	30500	(43550)	83250	28053	(7006)	(13671)	117180	(9900)	(27518)	19406	(2091)	(12929)	(28379)	108166	55699	
Prior period expenses																
Provision for Taxation			2488	2256	2	5								2463	1471	
Profit / (Loss) after tax	30500	(43550)	80762	25797	(7008)	(13676)	117180	(9900)	(27518)	19406	(2091)	(12929)	(28379)	105704	54229	
APPROPRIATIONS																
(a) Balance at the beginning of the year	(202750)	(159201)	(851849)	(377646)	(104892)	(91215)		(146650)	(119131)	(102367)	(100275)	(267387)	(239008)	(1830)	(56058)	
(b) Interim dividends paid during the year																
(c) Proposed final dividend							113762									
(d) Dividend distribution tax																
(e) Transfer to reserves/ other accounts							3419									
Profit carried to the Balance Sheet	(172251)	(202750)	(271087)	(351849)	(111899)	(104892)		(156550)	(146650)	(82961)	(102367)	(280316)	(267387)	103874	(1830)	

NOTE: Figures in brackets indicate the negative values.

Cont'd... STATEMENT 21

LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	SBI LIFE		KOTAK MAHINDRA		TATA AIG		MET LIFE		AVIVA		SAHARA		SHRIRAM		BHARTI AXA	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Amounts transferred from the																
Policyholders Account (Technical Account)	33552	17775	8951	7085	4989	3403	112	74	20495	51	1347	919	143	28343	47729	
Income From Investments:																
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	5469	6065	2186	1761	2422	1163	2205	1967	3159	2059	1696	1432	1019	1078	951	621
(b) Profit on sale/redemption of investments	1683	2697	76	282	4	15	244	465	161	312	87	1106	112	198	177	187
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(251)	(3548)	(1)	(0)	(25)	(0)	(9)	(0)	(16)	(0)	(3)	(6)	(91)	(22)	(48)	
(d) Transfer/gain on revaluation/Change in Fair value											(74)	1379				
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments																
Other Income	408										5	4	273	133		
TOTAL (A)	40860	22989	11212	9127	7391	4581	2552	2506	23799	2422	3058	3915	2233	1551	(27237)	(46969)
Expenses other than those directly related to the insurance business	302	39	83	435	460	243	24	794	892	75	35	27	34	141	152	
Bad debts written off																
Provisions (Other than taxation)	(29)	(4799)														
(a) For diminution in the value of investments (Net)																
(b) Provision for doubtful debts																
(c) Others																
Prior Period Expense																
Contribution to Policyholders Account	3542	882	1770	1752	44339				20129	36002		474	3324	6661	695	
TOTAL (B)	3815	(4761)	965	2205	2212	44582	24	20924	36893	75	35	502	3358	6801	848	
Profit/(Loss) before tax	37045	27749	10247	6922	5179	(40001)	2528	2506	2875	(34472)	2983	3880	1731	(1806)	(34039)	(47817)
Prior period expenses																
Provision for Taxation	411	103									188	259	0			
Profit / (Loss) after tax	36634	27646	10247	6922	5179	(40001)	2528	2506	2875	(34472)	2795	3621	1731	(1806)	(34039)	(47817)
APPROPRIATIONS																
(a) Balance at the beginning of the year	25487	(2158)	(25512)	(32434)	(160986)	(120985)	(10462)	(12968)	(150726)	(116255)	747	(2874)	730	2536	(121807)	(73890)
(b) Interim dividends paid during the year																
(c) Proposed final dividend																
(d) Dividend distribution tax																
(e) Transfer to reserves/ other accounts																
Profit carried to the Balance Sheet	62122	25487	(15264)	(25512)	(155807)	(160986)	(7934)	(10462)	(147851)	(150726)	3542	747	2461	730	(155846)	(121807)

NOTE: Figures in brackets indicate the negative values.

LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	FUTURE GENERALI		IDBI FEDERAL		AEGON RELIGARE		CAIARA HSBC		DLF PRAMERICA		STAR UNION DAICHI		INDIAFIRST		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Amounts transferred from the Policyholders Account (Technical Account)																
Income From Investments:																
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	744	765	1184	1810	609	382	883	1124	697	615	2603	2000	1095	511	76334	50490
(b) Profit on sale/redemption of investments	200	544	188	310	99	53	158	530	79	91	377	697	669	241	11002	12275
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(29)	(18)	(121)	(159)	(1)	(2)	(73)	(35)	(0)	(0)	(72)	(125)	(114)	(0)	(1473)	(4634)
(d) Transfer/gain on revaluation/Change in Fair value																
(e) Amortization of Premium/Discount on Investments			215	(3)	461	81			(51)	(70)			890	(60)	1915	(5)
Other Income	0		4	0			1	2			54		0		787	177
TOTAL (A)	915	1291	1470	1959	1168	515	979	1620	725	636	(1429)	(833)	2540	703	480129	234886
Expenses other than those directly related to the insurance business	150	139	137	154	567	133	356	122	231	171	1365	1173	92	2	27349	16677
Bad debts written off																
Provisions (Other than taxation)																
(a) For diminution in the value of investments (Net)															(29)	(5273)
(b) Provision for doubtful debts																242
(c) Others			0	1											0	1
Prior Period Expense														85		85
Contribution to Policyholders Account	32778	36837	13511	12299			19760	26114	11450	9794			8923	5095	178543	317806
TOTAL (B)	32928	36976	13649	12453	3541	133	20117	26236	11681	9965	1365	1173	9015	5182	208837	329537
Profit/ (Loss) before tax	(32012)	(35685)	(12178)	(10495)	(2373)	382	(19138)	(24616)	(10956)	(9329)	(2794)	(2006)	(6475)	(4479)	271291	(94652)
Prior period expenses											35	134			35	134
Provision for Taxation	0	2		0											5552	4096
Profit / (Loss) after tax	(32012)	(35686)	(12178)	(10495)	(2373)	382	(19138)	(24616)	(10956)	(9329)	(2829)	(2140)	(6475)	(4479)	265704	(98882)
APPROPRIATIONS																
(a) Balance at the beginning of the year	(64642)	(28955)	(24071)	(13576)	(1997)	(2379)	(47703)	(23087)	(13775)	(4446)	(4106)	(1965)	(5204)	(725)	(1781750)	(1576796)
(b) Interim dividends paid during the year																
(c) Proposed final dividend															113762	103092
(d) Dividend distribution tax																
(e) Transfer to reserves/ other accounts															3419	2979
Profit carried to the Balance Sheet	(96654)	(64642)	(36249)	(24071)	(4369)	(1997)	(66841)	(47703)	(24731)	(13775)	(6935)	(4106)	(11679)	(5204)	(1633226)	(1781750)

NOTE: Figures in brackets indicate the negative values.

LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

PARTICULARS	BIRLA SUN LIFE		ICICI PRUDENTIAL		ING VYSYA		LIC		HDFC STANDARD		MAX NEW YORK		RELIANCE	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS														
Share Capital	196950	196950	142846	142814	146488	101915	500	500	199488	196800	184100	183862	116584	116464
Share Application Money Pending Allotment			5	11		18235								
Employees Stock Option Outstanding				9							7995	7900		
Reserves And Surplus	48000	48000	335884	335884			39506	36087	22068	5529	13518	13414	192850	180970
Credit/Debit Fair Value Change Account	0	3	656	(96)	191	64	368		(4)	1844	544	404	180	207
Sub-Total	244950	244953	479577	478622	146679	120214	40374	36587	221552	204173	206157	205599	309615	297642
Borrowings														
Policyholder Funds:														
CREDIT/DEBIT FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	1	7	23154	24934	16	79	12447396	11386815	(154)	2051	21	7	648	677
REVALUATION RESERVE-INVESTMENT PROPERTY			6689	6689										
POLICY LIABILITIES	106086	78608	588755	356933	184365	129994	98535715	83940026	512333	376669	340353	259314	93096	48758
INSURANCE RESERVES							605030	366457						
PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	1745922	1456730	5823298	5037610	370302	327772	16580852	16003617	2052313	1552178	886956	657794	1634550	1270115
Sub-Total	1852008	1535344	6441896	5428166	554682	457845	128168993	111696915	2564482	1930898	1227330	917115	1728294	1319550
DEFERRED TAX LIABILITY														
FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	45697	29942	97220	123242	1990	2653	3491	8116	44723	25548	15136	6229	19481	10264
TOTAL	2142656	1810140	7018693	6030029	703351	580712	128212858	111741618	2830767	2160620	1448623	1128944	2057389	1627456
APPLICATION OF FUNDS														
INVESTMENTS														
Shareholders'	69727	50440	197647	128503	41169	18359	38257	35376	69997	63048	131989	83013	37775	36631
Policyholders'	160335	105817	721719	445657	178843	131922	97016710	83304127	539498	434154	364898	270750	99112	52645
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	1745922	1456730	5882653	5146926	369776	327729	17998971	17022518	2052313	1552178	886956	657794	1648640	1276506
LOANS	2631	2655	869	1160	1341	823	8388265	8289709	3312	404	1162	861	3080	3018
FIXED ASSETS	3998	6982	19826	26340	964	1732	283941	312299	23957	11438	14020	27448	813	1397
INCIDENTAL EXPENSES PENDING CAPITALISATION														
DEFERRED TAX ASSET			17844	29552										
CURRENT ASSETS														
Cash and Bank Balances	58852	56980	33032	30540	9465	9668	2327286	1415893	38373	30302	19249	18404	27220	49878
Advances and Other Assets	13717	12154	33473	29660	18928	13463	3807208	3531917	67703	49178	48405	44536	20566	13452
Sub-Total (A)	72570	69133	68505	60200	28393	23330	6134493	4947809	106076	79479	67654	62940	47786	63330
CURRENT LIABILITIES														
Provisions	80083	81135	158967	157170	28921	27978	38711	582822	130376	124854	108350	83780	60132	73514
	4695	3231	491	2988	114	96	1608067	1597398	1501	1876	26	28	243	243
Sub-Total (B)	84778	84367	159458	160159	29035	28074	1647778	2190220	131877	126730	108376	83809	60132	73757
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(12208)	(15233)	(92953)	(99958)	(641)	(4744)	4486715	2757590	(25801)	(47251)	(40722)	(20869)	(12346)	(10427)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE														
(to the extent not written off or adjusted)														
DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT														
(Shareholders' Account)	172251	202750	271087	351849	111899	104892			156550	146650	82961	102367	280316	267387
Debit Balance in Policyholders' A/c									16939					
TOTAL	2142656	1810140	7018693	6030029	703351	580712	128212858	111741618	2830767	2160620	1448623	1128944	2057389	1627456

LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31st MARCH)

(₹ Lakh)

PARTICULARS	BAJAJ ALLIANZ		SBI LIFE		KOTAK MAHINDRA		TATA AIG		METLIFE		AVIVA		SAHARA		SHIRAM		BHARTI AXA	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS																		
Share Capital	15071	15071	100000	100000	51029	51029	195350	192050	196957	177479	200490	188880	23200	23200	17500	12500	152535	113135
Share Application Money Pending Allotment									2351	18487								
Employees Stock Option Outstanding																		
Reserves And Surplus	209870	105996	62122	25487	5204	5204							3920	1102	2461	730	17929	17399
Credit/Debit Fair Value Change Account			848	1036			3		2						5	50	194	152
Sub-Total	224941	121066	162970	126523	56233	56233	195353	192050	199308	195968	200490	188880	27120	24302	19965	13280	170659	130687
Borrowings									1609	3278								
Policyholder Funds																		
CREDIT/DEBIT FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	375	284	5264	12197	613	498	6010	4476	0	0	0	31	95			13	2	
REVALUATION RESERVE INVESTMENT PROPERTY																		
POLICY LIABILITIES	384467	302934	1331439	966862	115715	92368	340069	273246	108859	75008	23248	9752	21444	16561	17389	8601	6750	4295
INSURANCE RESERVES					422	528												
PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	3288417	2841462	2448886	1706288	678262	524026	853441	615554	636574	481961	666052	590024	58491	47462	164611	118412	133914	79230
Sub-Total	3673259	3144680	3785589	2685327	795012	617420	1199509	893276	746042	560247	689301	599776	79966	64118	182000	127012	140677	83527
DEFERRED TAX LIABILITY																		
FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	29290	38746	4022	2462	20383	20569	19360	15959	7781	8074	15865	13632	1293	821	181	181	8	
TOTAL	3927490	3304492	3952581	2814312	871628	694222	1414223	1100885	955131	764288	905655	802488	108379	89241	201965	140474	311344	214213
APPLICATION OF FUNDS																		
INVESTMENTS																		
Shareholders'	235208	154538	96508	72680	32226	24918	44833	39935	28821	27434	58556	40674	22791	22355	17345	15412	13867	9444
Policyholders'	409372	346223	1466870	1088751	128367	101474	361962	286568	117633	82387	24967	9121	23756	16809	17523	8334	6266	4298
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	3288417	2841462	2452908	1708731	688935	544585	859016	619149	638692	465242	681917	603856	58491	47465	164611	118412	133922	79230
LOANS	1471	1303			577	522	6251	4534	1123	977			23	10	22	12		
FIXED ASSETS	16537	17940	28316	23270	4385	5599	5115	10828	7372	10645	3506	4822	530	673	1934	1959	871	2052
INCIDENTAL EXPENSES PENDING CAPITALISATION																		
DEFERRED TAX ASSET																		
CURRENT ASSETS																		
Cash and Bank Balances	43851	21869	26566	32189	10473	9130	13974	13569	9248	9336	5024	16621	2783	2248	8406	5102	3432	4521
Advances and Other Assets	38325	31116	53254	32197	8923	10628	25487	20569	12746	12745	15375	11441	3405	2456	2160	2173	10226	9280
Sub-Total (A)	82176	52985	79921	64387	20396	19757	39461	34138	21993	22080	20399	28061	6188	4704	10565	7275	13658	13801
CURRENT LIABILITIES																		
Provisions	99009	105187	170652	143039	26318	26432	57586	54604	31975	39311	29835	32710	3334	2735	9783	10797	12473	16033
	10682	6602	1189	617	1906	1714	636	748	1838	2011	1704	2062	67	40	253	133	613	386
Sub-Total (B)	105691	111789	171841	143657	28224	28146	58222	55352	33812	41322	31540	34772	3401	2775	10035	10929	13086	16419
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(23515)	(58804)	(92020)	(79270)	(7828)	(83388)	(18761)	(21214)	(11819)	(19242)	(11141)	(6711)	2788	1929	530	(3654)	571	(2618)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE																		
(to the extent not written off or adjusted)																		
DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT																		
(Shareholders' Account)																		
Debit Balance in Policyholders' A/c	1830				15264	25512	155807	160986	7954	10462	147851	150726					155846	121807
TOTAL	3927490	3304492	3952581	2814312	871628	694222	1414223	1100885	955131	764288	905655	802488	108379	89241	201965	140474	311344	214213

LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31st MARCH)

(₹ Lakh)

PARTICULARS	FUTURE GENERALI		IDBI FEDERAL		AEGON RELIGARE		CANARA HSBC		DLF PRAMERICA		STAR UNION DAI-ICHI		INDIAFIRST		TOTAL	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS																
Share Capital	105200	70200	68935	44924	95000	57000	70000	50000	29396	22130	25000	25000	20000	20000	2366119	2101923
Share Application Money Pending Allotment	5000	6238													7356	42990
Employees Stock Option Outstanding							12500	12500	8126	17000	17000	17000	13000	13000	7995	7908
Reserves And Surplus	(52)	(6)	(135)	7	0	1			1	0	(7)	48	6	44	1004143	818302
Credit/(Debit) Fair Value Change Account	110148	76452	69789	44930	95000	57001	82500	62500	37522	22131	41993	42048	45506	33044	2798	3759
Sub-Total															3388412	2974883
Borrowings															1609	3278
Policyholder Funds																
CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	0	(389)		1	40918	13076	(24)						0		12523892	11445200
REVALUATION RESERVE- INVESTMENT PROPERTY															6689	6689
POLICY LIABILITIES	39017	18884	28263	9778	4168	1323	26286	9659	584	99	25400	4318	3549	125	102836340	86986116
INSURANCE RESERVES															605452	366985
PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	55349	27838	140009	81402			232848	107844	8087	3081	117369	48474	90054	17347	38666368	33595999
Sub-Total	94366	46721	165883	91181	45086	14399	258910	117303	8671	3180	142769	52793	93603	17472	154640349	132404265
DEFERRED TAX LIABILITY	9394	2190			322	126							524	2	335939	308257
FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	213888	125363	235683	136111	140408	71526	341410	179803	46193	25311	184762	94841	139633	50518	158364690	135687405
TOTAL																
APPLICATION OF FUNDS																
INVESTMENTS																
Shareholders'	11104	10202	32187	19492	18931	10357	13523	14502	13737	8354	34394	35369	30960	32866	1291451	954251
Policyholders'	38047	19019	25037	9381	4235	1364	27782	9534	491	165	22913	3605	4644	125	101754780	86732230
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	64610	30028	140009	81402	41240	13202	232848	107644	8087	3081	117370	48474	90577	17349	40256381	34799690
LOANS															8410128	8315986
FIXED ASSETS	393	753	1703	1721	2160	4521	2994	5943	374	604	1767	2062	3313	2908	428790	483834
INCIDENTAL EXPENSES PENDING CAPITALISATION																
DEFERRED TAX ASSET															17844	29552
CURRENT ASSETS																
Cash and Bank Balances	3769	5254	7810	10853	4848	2526	8576	4954	1051	743	13224	11649	23134	1533	2699647	1763961
Advances and Other Assets	8919	6437	11570	8451	7715	4871	7834	3878	2945	1741	5543	3418	3871	665	4228987	3856425
Sub-Total (A)	12688	11691	19380	19304	12563	7397	16410	8832	3696	2485	18768	15067	27005	2199	6928645	5620386
CURRENT LIABILITIES																
Provisions	9217	10694	18709	19123	11917	6172	18598	14138	4746	3034	17942	13660	28436	10704	1152789	1649027
	412	278	174	136	235	359	191	117	177	118	12	182	10	29	1634991	1621394
Sub-Total (B)	9629	10972	18882	19259	12152	6531	18789	14255	4922	3153	17654	13842	28446	10132	2787760	3270421
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	3060	719	488	45	411	866	(2379)	(5423)	(1226)	(668)	1114	1225	(1440)	(7934)	4140885	2349965
MISCELLANEOUS EXPENDITURE															7559	7580
(to the extent not written off or adjusted)																
DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT																
(Shareholders' Account)	96654	64642	36249	24071	4369	1997	66841	47703	24731	13775	6935	4106	11679	5204	1805225	1808714
Debit Balance in Policyholders' A/c					69063	39220					270				251648	205602
TOTAL	213888	125363	235683	136111	140408	71526	341410	179803	46193	25311	184762	94841	139633	50518	158364690	135687405

**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA : POLICYHOLDERS ACCOUNT
CAPITAL REDEMPTION AND ANNUITY CERTAIN BUSINESS (NON-PARTICIPATING)**

(₹ Lakh)

	2010-11	2009-10
Premiums earned (Net)	781	778
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	(27)	(27)
Change in Policy Liabilities	(1325)	(1283)
Others		
Interest on premium	5	0
Interest, Dividend & Rent –(Gross)	1416	1283
TOTAL (A)	850	751
Claims Incurred (Net)	717	762
Commission	13	14
Operating Expenses related to Insurance Business	60	59
Others	0	0
Provision for Bad & Doubtful Debts	6	(0)
Provision for Taxation	17	0
TOTAL (B)	812	834
Operating Profit/(Loss) C= (A - B)	38	(83)
APPROPRIATIONS		
Transfer to Shareholders' Account		
Transfer to Catastrophe Reserve		
Transfer to Other Reserves		
TOTAL (C)	38	(83)

Note: Figures in brackets indicates the negative values.

**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA : SHAREHOLDERS ACCOUNT
CAPITAL REDEMPTION AND ANNUITY CERTAIN BUSINESS (NON-PARTICIPATING)**

(₹ Lakh)

	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance		
(b) Marine Insurance		
(c) Miscellaneous Insurance	38	(83)
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross		
(b) Profit on sale of investments		
Less: Loss on sale of investments		
OTHER INCOME		
TOTAL (A)	38	(83)
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments		
(b) For doubtful debts		
(c) Others		
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business		
(b) Bad debts written off		
(c) Others		
TOTAL (B)		
Profit Before Tax	38	(83)
Provision for Taxation		
Profit after Tax	38	(83)
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend		
(c) Dividend distribution tax		
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts		
(e) Transfer to General Reserve		
(f) Balance of profit/ loss brought forward from last year		
(g) Balance carried forward to Balance Sheet	38	(83)

Note: Figures in brackets indicate the negative values.

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA : BALANCE SHEET
CAPITAL REDEMPTION AND ANNUITY CERTAIN BUSINESS (NON-PARTICIPATING)
 (AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

	2011	2010
SOURCES OF FUNDS		
Share Capital		
Policy Liabilities	18573	17247
Reserves and Surplus	36	36
Fair value change account	21	28
Borrowings		
TOTAL	18629	17311
APPLICATION OF FUNDS		
Investments	18125	16964
Loans		
Fixed Assets		
Current Assets:		
Cash and Bank Balances	186	209
Advances and Other Assets	572	591
Total Current Assets (A)	758	800
Current Liabilities	199	453
Provisions	55	0
Total Current Liabilities (B)	254	453
Net Current Assets (C) = (A - B)	504	346
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)		
Debit balance in Profit and Loss A/c		
TOTAL	18629	17311

STATEMENT 26

INDIVIDUAL BUSINESS (WITHIN INDIA)-DETAILS OF FORFEITURE/
LAPSED POLICIES IN RESPECT OF NON-LINKED BUSINESS*

Description	Bajaj Allianz	Reliance	Aviva	Birla Sun Life	HDFC Std	ICICI Pru	ING Vysya	LIC	Max New York	Met Life	Kotak Mahindra	SBI	TATA AIG	Sahara	Shriram	Bharti AXA	Future Generali	IDBI Federal	Canara HSBC	Aegon Religare	DLF Pramerica	Star Union	India First		
2008-09																									
Number of policies in '000	96	91	32	45	76	777	61	7373	198	27	31	48	199	19	16	11	5	0	0.003	1	0.006	0.003	NA	NA	
Sum Assured ₹ Crores	1723	679	166	808	1524	25269	998	52926	5915	739	1180	1356	4729	257	366	596	216	0	0	96	0	0	0	NA	
2009-10																									
Number of policies in '000	160.62	80.96	37.36	323.43	114.09	968.89	89.11	9744.37	286.84	44.99	22.91	46.49	329.19	22.49	16.04	17.20	44.39	0.05	2.451	2.451	0.81	0.28	NA	NA	
Sum Assured ₹ Crores	10852	1531	378	1578	2716	32354	4706	114767	11370	6889	4813	5904	12972	340	593	1043	1679	21	0	432	55	7	NA	NA	
2010-11																									
Number of policies in '000	156.33	202.12	33.28	666.16	80.54	547.89	76.73	11483.44	209.28	79.12	25.63	54.37	297.01	20.66	8.68	26.81	68.33	4.70	3.52	3.52	2.16	4.42	0	0	
Sum Assured ₹ Crores	4944.94	2362.68	1290.80	2647	2778	16582	1195	89860	7678	15826	1614	2035	5364	296	154	939	1594	197	59	671	138	70	0	0	
Lapse Ratio																									
(Based on number of policies)																									
During 2009-10	17%	31%	24%	39%	8%	81%	19%	4%	23%	25%	14%	7%	42%	21%	41%	38%	37%	0%	0%	24%	80%	4%	4%	0%	
During 2010-11	11%	16%	31%	72%	5%	46%	14%	5%	13%	31%	12%	7%	33%	15%	15%	19%	25%	6%	3%	9%	19%	18%	0%	0%	

* Includes Non-Linked Health Business, if any.

A policy is treated as lapsed if the premium is not paid within the grace period (generally ranging from 15 to 30 days)

Lapse Ratio during the year = Lapses (including forfeitures) during the year/Arithmetic Mean of the business inforce at the beginning and at the end of the year

NA : Not Applicable.

Source of Data: Actuarial Report and Abstract as on 31-03-2009, 31-03-2010 & 31-03-2011 of the life insurers.

DETAILS OF INDIVIDUAL AGENTS OF LIFE INSURERS

Insurer	As on 1 st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31 st March, 2011
Aegon Religare	7617	6383	3139	10861
Aviva	32728	10004	19513	23219
Bajaj Allianz	167741	22215	289	189667
Bharti AXA	32661	8938	26389	15210
Birla Sunlife	168124	36247	59798	144573
Canara HSBC	0	0	0	0
DLF Pramerica	2115	3339	255	5199
Future Generali	42613	10501	448	52666
HDFC Standard	198879	17042	79912	136009
ICICI Prudential	241830	44547	95970	190407
IDBI Federal	7737	3105	2960	7882
IndiaFirst	0	296	0	296
ING Vysya	53273	26014	44330	34957
Kotak Mahindra	35897	13089	10717	38269
Max NewYork	72828	34156	63442	43542
MetLife	63300	16066	50526	28840
Reliance Life	195565	49164	55296	189433
Sahara	13856	570	246	14180
SBI Life	65532	43311	29215	79628
Shriram	21554	285	11700	10139
Star Union Dai-ichi	69	66	7	128
Tata AIG	151557	50129	114463	87223
Private Total	1575476	395467	668615	1302328
LIC	1402807	306296	372039	1337064
Industry Total	2978283	701763	1040654	2639392

NOTE: Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited was granted registration after 31st March, 2011

DETAILS OF CORPORATE AGENTS OF LIFE INSURERS

Insurer	As on 1 st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31 st March, 2011
Aegon Religare	10	0	6	4
Aviva	15	5	9	11
Bajaj Allianz	864	6	581	289
Bharti AXA	13	0	0	13
Birla Sunlife	380	12	228	164
Canara HSBC	5	2	0	7
DLF Pramerica	11	0	4	7
Future Generali	9	5	2	12
HDFC Standard	374	0	366	8
ICICI Prudential	22	3	10	15
IDBI Federal	8	0	2	6
IndiaFirst	2	4	0	6
ING Vysya	58	1829	860	1027
Kotak Mahindra	95	3	73	25
Max NewYork	81	14	40	55
MetLife	29	4	21	12
Reliance Life	225	6	164	67
Sahara	9	0	1	8
SBI Life	127	15	42	100
Shriram	9	1	3	7
Star Union Dai-ichi	2	7	0	9
TATA AIG	72	3	57	18
Private Total	2420	1919	2469	1870
LIC	510	16	231	295
Industry Total	2930	1935	2700	2165

STATEMENT 29

STATE WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OF LIFE INSURERS* - 2010-11

State/ Union Territory	Aegion	Aviva	Bajaj Allianz	Bharti AXA	Birla Sunlife	Canara HSBC	Canara	DLF Pramerica	DLF	Future Generali	HDFC Stu	ICI Pru	ICI Federal	ICI Federal	India First	ING Vysya	Kotak Mahindra NewYork	Max NewYork	MetLife	Reliance Life	Sahara Life	SBI Life	Shriram Life	Star Union Dai-ichi	TATA AIG	State Total (Private)	State Total (Industry)	
Andhra Pradesh	6	5	91	14	43	2	0	15	44	253	5	1	44	10	30	21	133	8	58	77	1	18	879	274	1153			
Arunachal Pradesh	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	3	11	
Assam	1	6	26	2	17	1	0	1	9	12	1	0	1	3	3	4	33	4	15	0	1	19	159	80	239			
Bihar	1	3	55	2	31	1	0	17	4	24	2	0	1	1	4	6	44	19	25	0	2	16	258	127	385			
Chattisgarh	2	2	16	2	8	0	0	1	8	7	1	0	1	2	4	3	12	1	12	2	0	4	88	62	150			
Goa	2	1	2	1	3	0	0	1	1	3	2	0	1	1	4	2	3	0	6	0	0	1	34	16	50			
Gujarat	9	8	56	15	36	1	4	7	28	154	4	0	12	37	64	17	85	8	32	6	1	29	613	185	798			
Haryana	4	9	23	8	20	4	8	11	14	34	2	0	8	16	55	10	39	7	24	4	0	14	314	69	383			
Himachal Pradesh	1	0	12	1	5	0	1	2	6	6	0	0	1	0	6	5	18	0	10	0	0	4	78	37	115			
Jammu & Kashmir	1	1	18	1	3	0	0	1	2	15	2	0	2	1	4	8	14	0	3	0	0	0	0	74	28	102		
Jharkhand	2	4	40	5	15	0	0	11	5	15	2	0	1	3	4	5	20	6	16	3	1	10	168	63	231			
Karnataka	9	7	63	14	32	4	1	5	34	46	3	1	28	10	19	15	78	4	38	2	1	18	432	226	658			
Kerala	7	8	76	11	42	2	0	8	56	106	5	1	21	11	24	24	62	0	39	5	1	25	534	180	714			
Madhya Pradesh	6	6	64	5	21	1	0	8	28	28	1	1	10	7	14	9	59	5	34	6	1	7	321	203	524			
Maharashtra	20	17	103	23	80	3	1	19	56	108	10	4	16	32	89	22	121	2	58	7	4	39	834	359	1193			
Manipur	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	7	
Meghalaya	0	1	3	0	3	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	18	1	19	
Mizoram	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	7	1	8
Nagaland	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	4	9	
Orissa	3	6	53	5	19	1	0	6	13	23	0	0	5	1	9	7	36	3	26	0	1	16	233	106	339			
Punjab	8	9	50	9	53	3	17	7	25	110	2	0	15	14	35	23	51	1	24	4	1	13	474	101	575			
Rajasthan	6	6	58	9	27	1	1	6	26	157	3	1	15	8	20	8	60	14	27	2	1	19	475	176	651			
Sikkim	1	0	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13	
Tamil Nadu	10	6	60	16	36	3	0	9	38	71	3	1	42	11	29	27	105	1	56	29	1	20	574	308	882			
Tripura	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	2	14	16	30		
Uttar Pradesh	13	10	107	16	60	4	3	37	43	110	6	1	15	16	42	24	140	40	53	6	2	26	774	358	1132			
Uttarakhand	1	1	17	3	4	0	0	3	7	8	1	0	1	2	5	3	22	1	9	2	0	1	48	462	235	697		
West Bengal	7	14	64	10	36	1	1	8	25	74	4	1	2	6	14	18	76	9	42	1	1	0	0	2	2	4		
Andaman & Nicobar Is.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4
Chandigarh	0	1	3	1	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	3	2	1	0	0	21	10	31		
Dadra & Nagarhaveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Delhi	8	9	20	6	14	1	3	2	16	28	2	1	3	9	21	6	25	1	10	4	1	11	201	81	282			
Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Puducherry	0	0	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	14	7	21	
Company Total	128	142	1092	181	617	33	41	185	498	1402	60	13	247	203	504	270	1248	135	629	162	22	363	8175	3371	11546			

* Offices opened after seeking approval of the Authority

Note: 1) Data collected from life insurers through a special return. 2) Office as defined under Section 64VC of the Insurance Act, 1938.

REGION WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OF LIFE INSURERS* - 2010-11

Insurer	Metro	Urban	Semi-urban	Others	Company Total
Aegon	32	66	27	3	128
Aviva	28	45	56	13	142
Bajaj Allianz	64	149	438	441	1092
Bharti AXA	26	60	86	9	181
Birla Sunlife	54	89	370	104	617
Canara HSBC	10	17	6	0	33
DLF Pramerica	6	11	23	1	41
Future Generali	12	49	66	58	185
HDFC Standard	59	83	285	71	498
ICICI Prudential	79	114	494	715	1402
IDBI Federal	12	30	17	1	60
IndiaFirst	8	5	0	0	13
ING Vysya	22	57	153	15	247
Kotak Mahindra	38	64	92	9	203
Max NewYork	72	99	227	106	504
MetLife	30	61	145	34	270
Reliance Life	90	120	570	468	1248
Sahara	6	35	73	21	135
SBI Life	34	124	334	137	629
Shriram	25	49	85	3	162
Star Union Dai-ichi	7	14	0	1	22
TATA AIG	55	87	168	53	363
Private total	769	1428	3715	2263	8175
LIC	363	560	953	1495	3371
Industry total	1132	1988	4668	3758	11546

* Offices opened after seeking approval of the Authority.

Note: 1) Data collected from life insurers through a special return.

2) Based on the HRA classification of places done by the Ministry of Finance.

Metro: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad and Bangalore.

Urban: A, B-1 and B-2 class cities of the HRA classification.

Semi-urban: C class cities of the HRA classification.

Others: Places not listed in the HRA classification.

STATE WISE DISTRIBUTION OF INDIVIDUAL AGENTS - 2010-11

State Union Territory	LIFE INSURERS														LIC Total (State-wise)	Industry Total (State-wise)									
	Aegon Religare	Aviva Allianz	Bejej	Bharti AXA	Birla Sunlife	Canara HSBC	DFP Pramerica	DLF	Future Generali	HDFC Std.	ICICI Pru	IDBI Federal	India First	ING Vysya			Kotak Mahindra	Max NewYork	Met Life	Reliance Life	Sahara Life	SBI Life	Shriram Life	Star Union	TATA AIG
Andhra Pradesh	558	1101	16534	904	16545	-	-	6119	9986	13538	821	4	6293	1035	2751	2749	22229	790	8289	6602	-	3715	119943	111629	231572
Andhra Pradesh	-	154	135	-	262	-	-	-	2982	6292	21	-	238	946	82	40	599	347	144	-	-	35	1390	623	2013
Assam	64	1256	9421	118	8759	-	-	700	2982	6292	343	-	238	946	82	722	10478	347	1285	-	14	7896	51133	34600	86733
Bihar	33	1365	17963	299	10045	-	-	847	2147	10877	197	7	-	33	395	320	11295	2344	2808	22	45	4000	65042	88312	133954
Chattisgarh	178	313	3917	213	2426	-	-	246	1467	1699	5	-	-	19	371	520	1926	101	2600	192	1	880	17074	17167	34241
Goa	112	156	91	42	725	-	-	266	297	265	116	-	138	-	429	76	386	-	369	1	-	86	3555	3906	7461
Gujarat	886	1191	8436	1223	6433	-	-	2722	7491	12219	499	2	1071	8049	4569	1409	10191	593	3193	20	2	6823	77605	61431	139036
Haryana	515	1250	2377	253	4781	-	-	3015	4248	3828	218	8	550	3636	2916	833	4891	154	2277	4	1	4043	40579	21194	61773
Himachal Pradesh	73	239	2114	142	791	-	-	797	683	2560	25	5	126	-	433	82	1589	-	851	-	-	788	11308	11900	23208
Jammu & Kashmir	52	85	2598	119	397	-	-	886	866	2128	3	-	286	5	312	1263	1891	-	316	-	-	5	11232	6660	17892
Jharkhand	296	398	8484	582	3241	-	-	2264	1451	4500	270	3	229	288	561	443	5659	819	1909	145	8	2552	34052	24063	58115
Karnataka	693	855	7642	888	7933	-	-	1283	7574	6049	404	23	4522	1739	1384	1977	6822	175	5121	490	-	1725	57303	85659	142962
Kerala	633	813	9043	628	5387	-	-	2388	10745	15518	698	27	2491	820	1705	3847	5476	-	6819	100	-	5888	73036	69416	142492
Madhya Pradesh	576	1377	9104	357	5250	-	-	2228	6141	6016	221	15	1161	861	1296	426	10406	588	4834	957	22	1921	53757	55517	109274
Maharashtra	1195	1915	11944	1717	14245	-	-	6136	24296	19857	820	34	1975	7409	7840	2288	12350	272	8651	413	12	7679	131058	169012	300070
Manipur	4	19	145	-	567	-	-	-	-	12	34	-	-	-	-	7	-	-	97	-	-	189	1094	1603	2697
Meghalaya	7	62	346	-	874	-	-	-	238	135	1	1	-	-	24	1	769	-	74	-	-	67	2598	588	3186
Mizoram	-	28	220	-	209	-	-	-	-	196	7	-	-	-	-	-	189	-	111	-	-	151	1111	336	1447
Nagaland	119	16	123	-	1060	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	23	189	-	110	-	-	321	1994	810	2804
Orissa	298	2986	15466	380	6631	-	-	2773	4088	9720	20	2	1310	84	813	922	10678	539	4333	49	2	5434	65908	44916	110824
Punjab	895	667	7545	790	5304	-	-	1697	4611	11101	286	1	1171	2654	2908	1572	4895	41	1501	1	1	1703	51803	36920	88723
Rajasthan	338	1040	5356	693	6961	-	-	2763	4919	11374	746	52	2231	1167	1918	627	7340	1645	3284	7	1	4647	57009	69486	126495
Sikkim	30	93	356	49	200	-	-	-	150	173	1	-	-	-	-	1	107	-	50	-	-	29	1239	581	1820
Tamil Nadu	1108	661	9220	1126	7460	-	-	3157	7887	9069	424	10	6638	1518	1936	1962	12306	44	8653	1072	1	5712	79974	109362	188336
Tripura	-	428	1125	-	173	-	-	-	1149	910	2	-	-	-	42	80	1534	-	86	-	-	1236	6785	3736	10501
Uttar Pradesh	1000	2146	21174	1830	13387	-	-	6436	12401	17402	828	52	1929	1912	4068	2361	25152	4281	6005	17	14	5929	128436	150878	278374
Uttarakhand	110	89	504	259	348	-	-	440	1128	1071	98	-	153	16	960	262	3211	182	786	6	-	390	10018	14228	24246
West Bengal	537	1442	14789	1397	9866	-	-	2972	8732	11865	329	9	880	1418	1280	2000	10740	844	3698	-	3	11958	84763	115929	200692
Andaman & Nicobar Islands	-	5	-	-	79	-	-	-	-	171	17	-	-	-	-	15	-	-	16	-	-	4	307	758	1065
Chandigarh	43	73	563	342	481	-	-	557	1131	878	54	-	195	570	486	169	258	77	167	1	-	134	6700	3638	10338
Dadra & Nagarhaveli	-	2	116	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	2	-	-	-	-	-	11	297	5	302
Daman & Diu	-	1	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	27	98	125
Delhi	538	1608	3303	859	3602	-	-	1964	9009	10786	338	40	1252	3950	3989	1792	5653	344	1045	15	1	1844	52470	39632	92122
Lakshadweep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Puducherry	-	45	118	-	284	-	-	-	172	218	3	1	108	16	66	36	224	-	206	25	-	224	1746	1849	3595
Company Total	10861	23219	189667	15210	144573	-	-	5199	52666	136009	7882	296	34957	38269	43542	20840	189433	14180	79628	10139	128	87223	1302328	1337064	2639392

NEW BUSINESS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO - 2010-11
(LIFE INSURANCE)

(Premium in ₹ Lakh)

Insurer	Individual Category		Group Category		
	No. of Policies	Premium	No. of Schemes	No. of Lives covered	Premium
Aegon Religare	-	-	-	-	-
Aviva	11222	58.87	1	896377	1118.30
Bajaj Allianz	-	-	-	-	-
Bharti AXA	-	-	-	-	-
Birla Sunlife	290395	186.00	-	-	-
Canara HSBC	-	-	-	-	-
DLF Pramerica	-	-	1	10010	1.00
Future Generali	-	-	-	-	-
HDFC Standard	-	-	-	-	-
ICICI Prudential	324889	256.08	-	-	-
IDBI Federal	-	-	5	648835	178.41
IndiaFirst	-	-	-	-	-
ING Vysya	-	-	-	-	-
Kotak Mahindra	-	-	-	-	-
Max NewYork	-	-	-	-	-
MetLife	3501	4.21	-	-	-
Reliance Life	-	-	-	-	-
Sahara	1483	12.24	1	69	
SBI Life	-	-	12	70683	78.23
Shriram	-	-	3	357563	343.20
Star Union Dai-ichi	-	-	-	-	-
TATA AIG	68243	217.69	-	-	-
Private Total	699733	735.09	23	1983537	1719.14
LIC	2951235	12305.76	5446	13275464	13803.67
Industry Total	3650968	13040.85	5469	15259001	15522.81

Note: New business premium includes first year premium and single premium.

STATEMENT 33

DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO 2010-11 - INDIVIDUAL CATEGORY

(Benefit Amount in ₹ Lakh)

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending – duration wise (Policies)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	<3 months	>3 to ≤6 months	>6 to ≤12 months	>12 months	Total
Aegon Religare	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Aviva	0 (0.00)	0.00 (0.00)	11 (0.00)	2.30 (0.00)	11 (100.00)	2.30 (100.00)	10 (90.91)	2.10 (91.30)	1 (9.09)	0.20 (8.70)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Bajaj Allianz	0 (0.00)	0.00 (0.00)	21 (0.00)	3.18 (0.00)	21 (100.00)	3.18 (100.00)	20 (95.24)	2.98 (93.71)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	1 (4.76)	0.20 (6.29)	1 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (100.00)
Bharti AXA	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Birla Sunlife	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2210 (0.00)	316.51 (0.00)	2210 (100.00)	316.51 (100.00)	2209 (99.96)	316.44 (99.98)	1 (0.05)	0.07 (0.02)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Canara HSBC	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
DLF Pramerica	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Future Generali	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
HDFC Standard	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
ICICI Prudential	0 (0.00)	0.00 (0.00)	1433 (0.00)	141.26 (0.00)	1433 (100.00)	141.26 (100.00)	1429 (99.72)	141.01 (99.72)	2 (0.14)	0.10 (0.07)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2 (0.14)	0.15 (0.21)	1 (50.00)	1 (50.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2 (100.00)
IDBI Federal	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
IndiaFirst	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO 2010-11 - INDIVIDUAL CATEGORY
(Benefit Amount in ₹ Lakh)

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending – duration wise (Policies)				
	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	No of Policies	Benefit Amount	<3 months	>3 to ≤6 months	>6 to ≤12 months	>12 months	Total
ING Vysya	0 (0.00)	0.00 (0.00)	16 (0.00)	0.24 (0.00)	16 (100.00)	0.24 (100.00)	16 (100.00)	0.24 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Kotak Mahindra	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Max NewYork	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
MetLife	0 (0.00)	0.00 (0.00)	2 (100.00)	0.01 (100.00)	2 (100.00)	0.01 (100.00)	1 (50.00)	0.00 (81.82)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (50.00)	0.00 (18.18)	1 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (100.00)
Reliance Life	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Sahara	2 (0.00)	0.20 (0.00)	2 (0.00)	0.35 (0.00)	4 (100.00)	0.55 (100.00)	4 (100.00)	0.55 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
SBI Life	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Shriram	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Star Union Dai-ichi	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
TATA AIG	5 (0.00)	1.08 (0.00)	369 (0.00)	49.47 (0.00)	374 (100.00)	50.55 (100.00)	350 (93.58)	41.91 (82.91)	24 (6.42)	8.64 (17.09)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
Private Total	7 (0.00)	1.28 (0.00)	4064 (0.00)	513.31 (0.00)	4071 (100.00)	514.59 (100.00)	4039 (99.21)	505.23 (97.57)	28 (0.69)	9.01 (2.38)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (0.10)	0.35 (0.05)	3 (75.00)	1 (25.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4 (100.00)
LIC	5 (0.00)	1.12 (0.00)	7315 (0.00)	1189.05 (0.00)	7320 (100.00)	1190.17 (100.00)	7244 (98.96)	1174.12 (98.65)	60 (0.82)	13.41 (1.13)	0 (0.00)	0 (0.00)	16 (0.22)	2.64 (0.22)	16 (100.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	16 (100.00)
Industry Total	12 (0.00)	2.40 (0.00)	11379 (0.00)	1702.36 (0.00)	11391 (100.00)	1704.76 (100.00)	11283 (99.05)	1679.35 (98.39)	88 (0.77)	22.42 (1.43)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (0.18)	2.99 (0.18)	19 (95.00)	1 (5.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	20 (100.00)

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

STATEMENT 34

DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO 2010-11 - GROUP CATEGORY

Life Insurer	(Benefit Amount in ₹ Lakh)																		
	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending – duration wise (Lives)				
	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	< 3 months	> 3 to ≤ 6 months	> 6 to ≤ 12 months	Total	
Aegon Religare	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Aviva	0	0.00	1556	307.89	1556	307.34	3	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(99.82)	(0.19)	(0.18)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Bajaj Allianz	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Bharti AXA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Birla Sunlife	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Canara HSBC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
DLF Pramerica	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Future Generali	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
HDFC Standard	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ICICI Prudential	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
IDBI Federal	0	0.00	987	101.25	987	101.25	19	1.71	19	1.71	0	0.00	50	20.41	50	0	0	0	50
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(1.93)	(1.69)	(1.93)	(1.69)	(0.00)	(0.00)	(5.07)	(20.16)	(100.00)	0	0	0	(100.00)
IndiaFirst	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

DEATH CLAIMS UNDER MICRO INSURANCE PORTFOLIO 2010-11 - GROUP CATEGORY

(Benefit Amount in ₹ Lakh)

Life Insurer	Claims pending at start of year		Claims intimated / booked		Total Claims		Claims paid		Claims repudiated		Claims written back		Claims pending at end of year		Break up of claims pending – duration wise (Lives)				
	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	No of Lives	Benefit Amount	<3 months	>3 to ≤6 months	>6 to ≤12 months	>12 months	Total
ING Vysya	3	0.26	174	20.62	177	20.88	144	16.45	1	0.10	0	0.00	0	4.33	22	3	6	1	32
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(81.36)	(78.78)	(0.56)	(0.48)	(0.00)	(0.00)	(18.08)	(20.74)	(68.75)	(9.38)	(18.75)	(3.13)	(100.00)
Kotak Mahindra	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Max NewYork	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
MetLife	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Reliance Life	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Sahara	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
SBI Life	1	0.51	1383	548.22	1384	548.73	1275	506.65	105	40.53	0	0.00	4	1.55	4	0	0	0	4
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(92.12)	(92.33)	(7.59)	(7.39)	(0.00)	(0.00)	(0.29)	(0.28)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)
Shriram	0	0.00	395	118.50	395	118.50	395	118.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Star Union Dai-ichi	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
TATA AIG	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Private Total	4	0.77	4495	1096.48	4499	1097.25	4285	1028.07	128	42.90	0	0.00	86	26.29	76	3	6	1	86
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(95.24)	(93.69)	(2.85)	(3.91)	(0.00)	(0.00)	(1.91)	(2.40)	(88.37)	(3.49)	(6.98)	(1.16)	(100.00)
LIC	487	139.64	45819	19606.55	46306	19746.19	45965	19607.62	0	0.00	0	0.00	341	138.57	341	0	0	0	341
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(99.26)	(99.30)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.74)	(0.70)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)
Industry Total	491	140.41	50314	20703.03	50805	20843.44	50250	20635.69	128	42.90	0	0.00	427	164.86	417	3	6	1	427
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(100.00)	(100.00)	(98.91)	(99.00)	(0.25)	(0.21)	(0.00)	(0.84)	(0.80)	(0.79)	(97.66)	(0.70)	(1.41)	(0.23)	(100.00)

Note: Figures in brackets show percentage of the respective total claims.

STATEMENT 35
DURATION WISE SETTLEMENT OF MICRO INSURANCE CLAIMS (INDIVIDUAL CATEGORY) FOR 2010-11

Life Insurer	(Benefit Amount in ₹ Lakh)												
	DURATION												
	Within 30 Days of Intimation		31 to 90 Days		91 to 180 Days		181 Days to 1 Year		More than 1 Year		Total Claims Settled		
No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount	No. of Policies	Benefit Amount
Aegon Religare	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Aviva	10	2.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.10	2.10
Bajaj Allianz	18	2.40	2	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	2.98	2.98
Bharti AXA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Birla Sunlife	2208	316.38	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2209	316.44	316.44
Canara HSBC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
DLF Pramerica	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Future Generali	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
HDFC Standard	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ICICI Prudential	1388	136.31	28	3.30	12	1.30	1	0.10	0	0.00	1429	141.01	141.01
IDBI Federal	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
IndiaFirst	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
ING Vysya	5	0.13	11	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	0.24	0.24
Kotak Mahindra	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Max NewYork	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
MetLife	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0.00
Reliance Life	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Sahara	0	0.00	3	0.45	1	0.10	0	0.00	0	0.00	4	0.55	0.55
SBI Life	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Shriram	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Star Union Dai-ichi	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
TATA AIG	342	40.95	8	0.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	350	41.91	41.91
Private Total	3972	498.27	53	5.46	13	1.40	1	0.10	0	0.00	4039	505.23	505.23
LIC	7242	1173.62	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7244	1174.12	1174.12
Industry Total	11214	1671.89	55	5.96	13	1.40	1	0.10	0	0.00	11283	1679.35	1679.35

DURATION WISE SETTLEMENT OF MICRO INSURANCE CLAIMS (GROUP CATEGORY) FOR 2010-11

Life Insurer	(Benefit Amount in ₹ Lakh)													
	DURATION													
	Within 30 Days of Intimation		31 to 90 Days		91 to 180 Days		181 Days to 1 Year		More than 1 Year		Total Claims Settled			
No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	No. of Lives	Benefit Amount	
Aegon Religare	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Aviva	1549	306.71	3	0.48	0	0.00	1	0.15	0	0.00	1553	307.34	0	0.00
Bajaj Allianz	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Bharti AXA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Birla Sunlife	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Canara HSBC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
DLF Pramerica	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Future Generali	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
HDFC Standard	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ICICI Prudential	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
IDBI Federal	918	79.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	918	79.13	0	0.00
IndiaFirst	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ING Vysya	56	6.48	63	6.86	24	2.99	1	0.12	0	0.00	144	16.45	0	0.00
Kotak Mahindra	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Max NewYork	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
MetLife	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Reliance Life	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sahara	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
SBI Life	1244	493.59	24	10.20	7	2.86	0	0.00	0	0.00	1275	506.65	0	0.00
Shriram	313	93.90	82	24.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	395	118.50	0	0.00
Star Union Dia-ichi	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TATA AIG	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Private Total	4080	979.81	172	42.14	31	5.85	2	0.27	0	0.00	4285	1028.07	45965	19607.62
LIC	45366	19422.28	599	185.34	31	5.85	2	0.27	0	0.00	50250	20635.69	0	0.00
Industry Total	49446	20402.09	771	227.48	31	5.85	2	0.27	0	0.00	50250	20635.69	45965	19607.62

COMPANY WISE NUMBER OF MICRO INSURANCE AGENTS

Life Insurer	As on 1 st April, 2010	Additions during 2010-11	Deletions during 2010-11	As on 31 st March, 2011
Aegon Religare	0	0	0	0
Aviva	1	0	0	1
Bajaj Allianz	210	0	0	210
Bharti AXA	0	0	0	0
Birla Sunlife	129	29	125	33
Canara HSBC	0	0	0	0
DLF Pramerica	0	0	0	0
Future Generali	0	0	0	0
HDFC Standard	0	0	0	0
ICICI Prudential	14	33	0	47
IDBI Federal	0	0	0	0
IndiaFirst	0	0	0	0
ING Vysya	0	0	0	0
Kotak Mahindra	0	0	0	0
Max New York	0	0	0	0
MetLife	0	9	0	9
Reliance Life	0	0	0	0
Sahara	15	0	0	15
SBI Life	0	0	0	0
Shriram	1		1	0
Star Union Dia-ichi	0	0	0	0
TATA AIG	400	68	25	443
Private Total	770	139	151	758
LIC	7906	2171	353	9724
Industry Total	8676	2310	504	10482

LIST OF MICRO INSURANCE PRODUCTS OF LIFE INSURERS*

INSURER	NAME OF PRODUCT INDIVIDUAL CATEGORY	DATE OF LAUNCH	NAME OF PRODUCT GROUP CATEGORY	DATE OF LAUNCH
Aviva	Gramin Suraksha	16 th March, 2007	Credit Plus	6 th August, 2002
Bajaj Allianz	Bajaj Allianz Jana Vikas Yojana Bajaj Allianz Saral Suraksha Yojana Bajaj Allianz Alp Nivesh Yojana	7 th March, 2007 7 th March, 2007 7 th March, 2007		
Birla Sunlife	Bima Dhan Sanchay Bima Suraksha Super	31 st August, 2007 31 st August, 2007		
DLF Pramerica			Sarv Suraksha	30 th March, 2009
IDBI Federal			Group Microinsurance Plan	16 th December, 2008
ICICI Prudential	Sarva Jana Suraksha	15 th July, 2008		
ING Vysya			Generic Group Term Insurance for Social Sector ING Saral Suraksha	27 th March, 2002 30 th November, 2007
Met Life	Met Vishwas Met Grameen Ashray	15 th July, 2008 3 rd May, 2010		
Sahara	Sahara Sahyog	26 th June, 2006		
SBI Life			Grameen Shakti Grameen Super Suraksha	1 st December, 2007 1 st December, 2007
Shriram			Shri Sahay - SP Shri Sahay - AP SUD Life Paraspar Suraksha Plan	19 th March, 2007 15 th May, 2007 17 th May, 2009
Star Union Dia-ichi				
TATA AIG	Tata AIG Life Ayushman Yojana Tata AIG Life Navkalyan Yojana Tata AIG Life Sampoon Bima Yojana Tata AIG Sumangal Bima Yojana	8 th August, 2006 8 th August, 2006 8 th August, 2006 2 nd September, 2008		
LIC #	Jeevan Madhur Jeevan Mangal	28 th September, 2006 3 rd September, 2009	Janashree Bima Yojana Aam Aadmi Bima Yojana	10 th August, 2000 2 nd October, 2007

* All Micro-Insurance products and products falling within the parameters prescribed under the IRDA (Micro-Insurance) Regulations, 2005, but launched prior to the said Regulations.

Janashree Bima Yojana and Aam Aadmi Bima Yojana are schemes of Government of India and are administered all over the country by LIC.

STATEMENT 39

GROSS DIRECT PREMIUM OF NON-LIFE INSURERS (WITHIN & OUTSIDE INDIA)

(₹ Crore)

INSURER	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
National	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85	4645.99	6245.17
New India	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79	7099.14	8225.51
Oriental	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.89	4854.67	5569.88
United	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77	5239.05	6376.66
Public sector	10491.88	11917.59	13520.44	14284.65	14948.82	15976.44	17283.45	17813.71	19107.31	21838.85	26417.21
		(13.59)	(13.45)	(5.65)	(4.65)	(6.87)	(8.18)	(3.07)	(7.26)	(14.30)	(20.96)
Royal Sundaram	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36	913.11	1143.99
Reliance General	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88	1979.65	1655.43
IFFCO Tokio	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06	1457.84	1783.18
TATA AIG		78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92	853.80	1173.09
ICICI Lombard		28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04	3295.06	4251.87
Bajaj Allianz		141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29	2482.33	2869.96
Cholamandalam			14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44	784.85	967.99
HDFC Ergo			9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21	915.40	1279.91
Future Generali								9.81	186.49	376.61	600.16
Universal Sampo								0.48	30.14	189.28	299.10
Shriram									113.76	416.93	780.89
Bharti AXA									28.50	310.82	553.90
Raheja QBE									1.32	4.90	
SBI General										43.02	
L & T General											17.24
Private sector	7.14	467.65	1349.80	2257.83	3507.62	5362.66	8646.57	10991.89	12321.09	13977.00	17424.63
		(6453.98)	(188.64)	(67.27)	(55.35)	(52.89)	(61.24)	(27.12)	(12.09)	(13.44)	(24.67)
Total	10499.02	12385.24	14870.25	16542.49	18456.45	21339.10	25930.02	28805.60	31428.40	35815.85	43841.84
		(17.97)	(20.06)	(11.25)	(11.57)	(15.62)	(21.51)	(11.09)	(9.11)	(13.96)	(22.41)
ECGC		338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68	813.00	885.47
Star Health							22.51	168.19	509.86	961.65	1227.55
Apollo Munich								2.97	48.14	114.66	282.69
Max Bupa										0.13	25.46
AIC				369.21	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44	1520.40	1950.05

Note: Figures in the bracket represent the growth over the previous year in per cent.

STATEMENT 40
SEGMENT WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF NON-LIFE INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ Lakh)

Insurer/ Segments	Fire		Marine		Motor		Health		Others		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
National	57079	42653	30457	23897	277500	218273	168140	107874	88895	69820	622070	462517
New India	104926	92378	54956	47430	230338	207094	200337	155247	119157	102102	709714	604251
Oriental	66205	57342	44638	38812	174595	161106	151603	108454	108693	107957	545733	473671
United	80533	65225	50153	45356	212400	182664	171176	126541	123405	104119	637666	523905
Public Total	308742	257598	180203	155496	894833	769137	691255	498116	440149	383997	2515183	2064345
Royal Sundaram	4583	4081	2520	2302	79303	62691	17910	12547	10082	9689	114399	91311
Reliance	10627	13957	2300	2961	107487	131871	25428	23875	19701	25301	165543	197965
IFFCO-Tokio	18805	17162	12798	13241	96111	73067	17921	16422	32682	25893	178318	145784
TATA AIG	15929	14340	15363	11511	42147	22975	11071	8230	32799	28324	117309	85380
ICICI Lombard	28346	27006	16637	14657	154496	137916	128130	85676	97578	64252	425187	329506
Bajaj Allianz	26381	24006	7898	7394	171407	144555	33970	29555	47340	42724	286996	248233
Cholamandalam	5681	4777	4368	4239	62359	45010	14814	14951	9577	9508	96799	78485
HDFC Ergo	18017	13297	4842	2489	42070	28992	32873	26874	30190	19889	127991	91540
Future Generali	5912	3429	3072	1536	31933	20978	13331	8231	5768	3488	60016	37661
Universal Sampo	5585	4254	597	385	16344	7890	2349	1741	5035	4659	29910	18928
Shriram	442	174	93	4	76830	41148			723	366	78089	41693
Bharti AXA	3881	2833	1122	544	41606	18451	5278	4919	3503	4334	55390	31082
Raheja QBE	25	13	3	2	24	17			437	100	490	132
SBI General	2310		17		7		12		1956		4302	
L&T General	246		43		1,095		60		281		1724	
Private Total	146770	129329	71674	61263	923219	735562	303148	233021	297652	238525	1742463	1397700
Grand Total	455512	386927	251877	216759	1818052	1504699	994403	731137	737801	622522	4257645	3462045

STATEMENT 41

SEGMENT WISE NET PREMIUM INCOME (EARNED)

Insurer	(₹ Lakh)												
	Fire		Marine		Motor		Health		Others		TOTAL		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2009-11
National	42681	35335	14234	13022	227277	196753	133115	88927	59088	47542	476395	381579	
New India	121247	106758	22899	23766	231193	217301	161242	126900	110751	96361	647332	571086	
Oriental	44827	36473	22697	18937	155012	140706	117915	80769	91038	82197	431490	359083	
United	45291	41045	24521	21170	175542	148316	133453	97202	85956	76086	464763	383819	
Public Total	254047	219612	84351	76896	789024	703075	545725	393798	346833	302186	2019980	1695567	
Royal Sundaram	1581	1293	1144	1045	63264	53713	16313	10429	5317	5006	87619	71486	
Reliance General	3075	4074	1256	1800	99436	105072	20696	22176	4917	6803	129380	139925	
IFFCO Tokio	5035	4684	3882	3969	78403	61245	14638	12350	11552	9974	113510	92222	
TATA AIG	2004	2011	9193	6169	34086	27442	9270	6531	18116	16820	72669	58973	
ICICI Lombard	11287	8993	4248	3228	143004	111243	99415	75166	27663	20651	285616	219282	
Bajaj Allianz	11314	11847	5728	5643	147636	125527	29199	25854	21088	19549	214965	188420	
Cholamandalam	1949	1597	1223	1216	43502	32489	10806	6196	5257	4730	62737	46229	
HDFC Ergo	1401	332	777	301	35225	20205	15474	16401	7759	2766	60636	40006	
Future Generali	967	301	525	251	23053	13527	6518	3879	1849	790	32912	18748	
Universal Sampo	2244	1263	81	13	12245	2794	1912	1056	2793	2398	19275	7524	
Shriram	218	75	90	2	32552	13428			143	100	33003	13605	
Bharti AXA	632	234	334	145	25609	6131	3847	1504	1148	351	31570	8364	
Raheja QBE	(94)	(74)	(26)	(5)	10	(52)			(65)	(201)	(175)	(331)	
SBI General	(151)		(18)		(78)		1		(7)		(253)		
L&T General	(22)		(24)		91		16		(33)		28		
Private Total	41440	36629	28414	23777	738039	572766	228103	181542	107498	89740	1143493	904453	
Grand Total	295486	256241	112764	100672	1527063	1275841	773829	575340	454331	391926	3163473	2600020	

Note: Figures in brackets indicates the negative values.

STATEMENT 42

HEALTH INSURANCE PREMIUM AND NUMBER OF PERSONS COVERED 2010-11
(No. of Persons in '000) (Premium in ₹ Crore)

Insurer	Government Schemes			Others			Individual	
	No. of Schemes	No. of persons covered	Premium	No. of Schemes	No. of persons covered	Premium	No. of Policies	Premium
National	2	14413	200.46	17551	6133	783.18	1333	697.65
New India	7	1030	32.22	2853	3213	1008.01	1611	963.14
Oriental	2	5389	176.88	24159	2736	815.28	585	300.42
United	3	14520	174.95	NA	5429	985.00	789	551.81
Public Total	14	35352	584.51	44563	17512	3591.47	4317	2513.02
Royal Sundaram	2	2774	27.38	373	112	38.47	218	113.25
Reliance	-	-	-	NA	908	149.10	136	68.12
IFFCO Tokio	5	0.30	60.17	842	0.01	94.17	35	22.40
TATA AIG	1	641	14.16	-	-	-	106	40.51
ICICI Lombard	7	16403	473.53	2091	1424	511.68	298	296.09
Bajaj Allianz	-	-	-	2733	399	134.15	315	165.52
Cholamandalam	1	6626	85.71	895	125	39.54	57	22.89
HDFC Ergo	1	179	46.61	235	934	88.75	334	184.97
Future Generali	-	-	-	12232	312	91.58	1	5.16
Universal Sampo	-	-	-	467	81	13.20	43	10.25
Shriram	-	-	-	-	-	-	-	-
Bharti AXA	1	**	11.38	1330	264	36.10	13	5.30
SBI General	-	-	-	-	-	-	-	-
Raheja QBE	-	-	-	-	-	-	-	-
Star Health	5	126933	888.68	6067	140	31.35	802	279.66
Apollo Munich	2	159	5.87	395	407	132.28	306	128.06
Max Bupa	-	-	-	NA	1	0.28	29	25.18
Private Total	25	153715	1613.49	27660	5107	1360.65	2693	1367.36
Grand Total	39	189067	2198.00	72223	22619	4952.12	7010	3880.37

**Bharti AXA has not recorded the number of lives as it is a co-insurer.
NA: Not Available.

Cont'd... STATEMENT 42

HEALTH INSURANCE PREMIUM AND NUMBER OF PERSONS COVERED 2009-10
(No. of Persons in '000) (Premium in ₹ Crore)

Insurer	Government Schemes			Group			Others		Individual	
	No. of Schemes	No. of persons covered	Premium	No. of Schemes	No. of persons covered	Premium	No. of Policies	No. of Policies	Premium	
National	2	8689	48.86	7476	4792	462.18	1196	1196	576.70	
New India	7	2133	95.27	2757	3104	642.00	1444	1444	815.20	
Oriental	2	3481	65.05	31108	1552	609.50	589	589	296.79	
United	3	5898	67.72	—	3752	807.30	764	764	390.39	
Public Total	14	20202	276.90	41341	13200	2520.98	3992	3992	2079.08	
Royal Sundaram	1	1093	12.57	345	121	17.90	255	255	95.00	
Reliance	1	11	2.12	—	869	129.16	297	297	75.56	
IFFCO Tokio	1	0.30	71.21	866	0.01	72.65	47	47	18.02	
TATA AIG	1	880	14.00	—	—	—	104	104	29.42	
ICICI Lombard	8	9803	336.42	1327	1328	294.33	303	303	226.00	
Bajaj Allianz	—	—	—	1835	341	94.10	327	327	166.65	
Cholamandalam	2	3533	47.84	1374	505	91.46	15	15	8.94	
HDFC Ergo	2	55	31.89	290	825	162.81	130	130	67.65	
Future Generali	—	—	—	7421	358	60.36	0	0	3.00	
Universal Sampo	—	—	—	445	125	6.55	36	36	5.67	
Shriram	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bharti AXA	1	**	17.63	438	144	29.17	9	9	2.39	
SBI General	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Raheja QBE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Star Health	5	131747	775.51	3284	173	16.07	490	490	148.09	
Apollo Munich	1	27	1.33	523	232	47.95	124	124	52.68	
Max Bupa	—	—	—	—	—	—	0.25	0.25	0.13	
Private Total	23	147149	1310.52	18148	5023	1022.51	2135	2135	899.19	
Grand Total	37	167351	1587.42	59489	18223	3543.49	6127	6127	2978.27	

**Bharti AXA has not recorded the number of lives as it is a co-insurer.
NA: Not Available.

STATEMENT 43

CHANNEL WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME FOR 2010-11

Type of Channel	(Premium in ₹ Crore)										(Policies in '000)					
	Individual Agents Policies Premium	Corporate Agents Policies Premium	Banks Policies Premium	Brokers Policies Premium	Referral Arrangements Policies Premium	Direct Business Policies Premium	Others Policies Premium	Total Policies Premium	Individual Agents Policies Premium	Corporate Agents Policies Premium	Banks Policies Premium	Brokers Policies Premium	Referral Arrangements Policies Premium	Direct Business Policies Premium	Others Policies Premium	Total Policies Premium
Fire	1732	1242	140	164	895	494	357	1029	181	54	684	1477	14	176	4005	4637
Marine (Cargo)	724	504	18	61	12	10	243	531	4	7	370	409	12	22	1384	1544
Marine (Hull)	15	56	1	16	1	2	5	112	0	4	29	757	0	51	999	999
Engineering	177	494	8	73	12	32	65	1258	6	17	97	(117)	2	60	367	1816
Motor Own Damage	19316	4694	3685	1069	1637	746	4640	1821	593	273	10126	3380	253	54	40249	12036
Motor Third Party	19781	2863	693	342	591	225	3990	969	240	122	7121	1557	341	61	32757	6139
Liability Insurance	248	250	6	34	2	8	43	395	2	3	45	228	2	12	348	930
Personal Accident	2465	301	979	182	660	145	583	229	47	10	1224	288	20	20	5978	1175
Medical Insurance	5312	3211	582	725	488	217	1725	2275	53	51	1956	4034	343	345	10459	10858
Overseas Medical Insurance	404	75	177	34	33	3	252	28	25	6	1481	188	10	1	2382	335
Crop Insurance	0	0	0	0	505	1931	22	10	0	0	9	4	89	17	625	1960
Miscellaneous	3714	1042	220	149	1363	372	794	676	216	46	2697	2214	50	84	9054	4583
Grand Total	53889	14733	6507	2849	6200	4184	12718	9331	1368	592	25841	14418	1136	903	107659	47012

Note: Figure in bracket indicates negative value.

STATE-WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME FOR 2010-11

(₹ Lakh)

State / Union Territory	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engineering	Motor OD	Motor TP	Liability	Personal Accident	Health	Overseas Mediclaim	Crop Insurance	Miscellaneous	Total
Andhra Pradesh	33819.95	9142.97	2796.76	24931.03	80965.51	43454.36	5150.67	8337.07	105002.58	2472.01	25909.61	22290.71	364273.22
Arunachal Pradesh	72.94	13.12	0.00	10.62	448.12	174.68	3.47	4.24	3.62	0.03	0.00	67.38	798.21
Assam	3302.29	634.03	107.95	1738.57	16514.68	9726.15	284.79	651.46	2399.98	23.73	296.37	2107.61	37787.59
Bihar	1769.75	248.97	3.64	587.24	19915.74	10266.68	204.21	617.13	11680.79	19.03	26769.58	19392.01	91474.78
Chattisgarh	3149.03	753.69	0.00	2009.47	18073.82	9228.60	757.57	1051.29	1397.57	29.53	3146.12	6939.98	46536.67
Goa	1814.35	777.24	1319.64	420.92	8546.63	4684.79	223.64	300.59	1861.69	102.60	3.40	494.04	20549.53
Gujarat	42842.86	11138.17	6135.26	11095.25	89614.85	41705.24	6111.54	9784.76	69325.21	2013.82	12501.96	27942.22	330211.14
Haryana	19779.19	6355.57	2901.24	6824.20	50687.74	18005.59	2289.59	4066.33	43325.56	368.95	816.00	15991.05	171411.02
Himachal Pradesh	3206.47	197.50	0.38	218.29	7577.63	4779.70	188.75	174.80	1859.40	14.09	1042.34	1375.96	20635.32
Jammu & Kashmir	1986.86	275.46	0.11	538.08	8964.77	6113.34	140.34	467.51	467.17	22.38	11.18	2707.78	21694.98
Jharkhand	1498.93	292.06	0.21	1018.23	14178.02	6574.20	241.57	938.68	2580.25	59.60	1163.59	4667.59	33212.92
Karnataka	22999.85	7780.28	847.19	7680.88	85808.82	47094.76	10458.69	7992.24	94636.13	3235.64	4187.99	23742.14	316464.60
Kerala	8433.36	1182.70	790.10	1418.02	64109.94	43938.87	1151.76	3160.90	24018.49	772.07	624.32	13149.72	162750.24
Madhya Pradesh	7360.15	4198.18	1.37	2233.63	43276.84	26221.14	841.45	1592.05	9493.17	209.16	23525.62	13326.46	132279.22
Maharashtra	148751.41	43564.39	75929.63	55149.03	188253.20	88139.40	35882.31	36211.85	326795.70	14697.22	14490.05	127541.20	1155405.39
Manipur	31.89	5.94	0.00	21.08	532.52	262.02	15.60	3.07	7.05	0.14	3.40	69.43	952.14
Meghalaya	256.92	24.95	0.00	104.41	1463.70	905.56	11.82	21.49	66.22	2.40	48.33	250.68	3156.48
Mizoram	60.19	0.65	0.00	17.61	539.60	367.44	4.46	4.61	285.84	0.00	0.00	57.55	1337.94
Nagaland	57.00	10.90	0.00	9.57	647.64	262.53	8.73	2.64	236.80	0.16	0.00	86.88	1322.86
Orissa	5535.44	953.51	75.79	3316.97	24684.50	14220.73	459.88	1338.58	4645.95	56.80	6602.61	4661.57	66452.32
Punjab	12912.44	2598.84	788.48	3700.51	42417.18	20347.98	567.48	1527.51	8135.14	589.16	0.00	9754.53	103339.25
Rajasthan	8790.25	3272.96	6.27	1913.03	55985.81	32835.30	924.43	2859.49	9825.56	277.06	44448.79	27625.78	188464.74
Sikkim	92.02	17.51	0.00	54.47	672.99	478.03	12.83	12.48	38.16	1.11	0.03	99.18	1478.82
Tamil Nadu	37550.95	16300.34	5034.78	19312.72	110474.89	72387.24	7016.22	12624.50	138391.73	2947.28	9617.62	34344.52	466002.78
Tripura	166.41	22.88	17.00	87.49	1357.97	1197.39	26.16	98.12	765.44	1.42	5.08	314.67	4060.04
Uttar Pradesh	16385.52	5714.84	306.47	6390.10	82955.13	45016.25	1897.35	4675.67	49743.55	415.38	9775.20	25760.42	249035.87
Uttarakhand	3568.28	748.39	5.15	627.65	10562.26	6969.79	287.28	423.03	2366.75	44.67	929.06	10759.91	37292.21
West Bengal	25132.06	9055.84	629.29	12151.77	55116.39	29830.78	4401.64	3990.70	56218.81	997.19	10108.28	16615.90	224948.64
Andaman & Nicobar Is.	198.34	20.16	69.94	6.04	341.69	318.37	1.76	3.54	16.63	0.00	0.63	31.30	1008.40
Chandigarh	3259.65	1209.92	3.29	986.65	17626.01	6548.74	358.03	629.61	6246.82	465.01	0.00	4374.58	41708.31
Dadra & Nagar Haveli	171.30	38.91	0.00	20.12	186.90	146.37	85.67	16.28	137.92	0.39	0.00	30.44	834.29
Daman & Diu	238.15	77.86	0.00	103.84	127.11	92.51	32.87	18.16	228.53	0.00	0.00	27.25	946.28
Delhi	47771.85	26894.71	2123.76	26180.12	88835.27	29062.18	12778.79	13768.57	113477.48	3655.60	0.00	40649.67	405197.99
Lakshadweep	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	1.95	0.00	3.00	0.23	0.00	0.00	0.04	5.56
Puducherry	780.50	904.03	2.12	324.01	2819.92	1601.63	148.35	101.77	648.00	33.88	15.71	274.31	7654.23
Total	463746.53	154427.49	99895.82	191201.61	1194104.11	623060.30	92969.70	117473.72	1066029.90	33527.50	196042.87	457524.43	4710083.98

Note: TP- Third Party; OD- Own Damage.

STATEMENT 45

NET RETENTIONS OF NON-LIFE INSURERS
FOR 2010-11

Segment	(In Per Cent) Retentions*
Fire	65.39
Marine Cargo	79.18
Marine Hull	25.06
Motor	98.88
Engineering	70.15
Aviation	37.50
Miscellaneous	90.63
Total	88.24

* Within the country

STATEMENT 46

INCURRED CLAIMS RATIO-PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS

Insurer	Net Earned Premium (₹ Lakh)				Claims Incurred (Net) (₹ Lakh)				Incurred Claims Ratio (%)												
	Fire	Marine	Motor	Health	Others	2010-11	2009-10	Fire	Marine	Motor	Health	Others	2010-11	2009-10							
New India	121247	22899	231193	161242	110751	647332	571086	127227	25764	261297	165335	72864	652487	513245	104.93	112.51	113.02	102.54	65.79	100.80	89.87
Oriental	44827	22697	155012	117915	91038	431490	359083	40670	19612	163732	121086	61426	406536	326018	90.73	86.41	105.63	102.70	67.47	94.22	90.79
National	42681	14234	227277	133115	59088	476395	381579	24176	11266	259953	140465	26467	462328	324536	56.64	79.15	114.38	105.52	44.79	97.05	85.05
United	45291	24521	175542	133453	85956	464763	383819	31138	21712	191046	153287	40781	438504	332924	68.75	88.55	109.17	114.86	47.44	94.36	86.74
TOTAL	254047	84351	789024	545725	346833	2019980	1695566	223211	76355	876628	580182	201638	1959914	1496723	87.86	92.89	111.10	106.31	58.11	97.03	88.27

STATEMENT 47

INCURRED CLAIMS RATIO-PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS

INSURER	Net Earned Premium			Claims Incurred (Net)			Incurred Claims Ratio														
	Fire	Marine	Health	Fire	Marine	Health	Fire	Marine	Health	Others	Others										
	₹ Lakh)			₹ Lakh)			2010-11			2009-10											
Royal Sundaram	1581	1144	63264	16313	5317	87619	71486	490	731	54618	8395	1787	66022	50907	31.01	63.89	86.33	51.46	33.61	75.35	71.21
Reliance General	3075	1256	99436	20696	4917	123380	139925	1761	791	101467	25591	3528	133138	118569	57.26	62.94	102.04	123.65	71.75	102.90	84.74
IFFCO-Tokio	5035	3882	78403	14638	11552	113510	92222	4853	3841	68805	15065	6483	99046	73267	96.39	98.93	87.76	102.91	56.12	87.26	79.45
TATA AIG	2004	9193	34086	9270	18116	72669	58973	1315	7677	34629	4923	5767	54311	39637	65.61	83.51	101.59	53.11	31.83	74.74	67.21
ICICI Lombard	11287	4248	143004	99415	27663	285616	219282	11221	4722	149367	91871	15884	273064	194838	99.41	111.17	104.45	92.41	57.42	95.61	88.85
Bajaj Allianz	11314	5728	147636	29199	21088	214965	188420	6195	3231	131245	19172	10284	170127	138657	54.76	56.40	88.90	65.66	48.77	79.14	73.59
Chohanandalem	1949	1223	43502	10806	5257	62737	46229	1217	739	37314	7375	1935	48578	34434	62.42	60.41	85.77	68.25	36.80	77.43	74.49
HDFC Ergo	1401	777	35225	15474	7759	60636	40006	1370	633	35756	11057	4414	53230	39586	97.83	81.41	101.51	71.45	56.89	87.79	98.95
Future Generali	967	525	23053	6518	1849	32912	18748	838	520	19775	5710	1059	27902	16915	86.69	99.10	85.78	87.60	57.27	84.78	90.23
Universal Sampo	2244	81	12245	1912	2793	19275	7524	1037	189	9695	2243	1052	14216	5749	46.20	233.56	79.17	117.34	37.67	73.75	76.41
Shriram	218	90	32552	0	143	33003	13605	31	8	25396	0	73	25508	9500	14.37	8.79	78.02	0.00	50.88	77.29	69.83
Bharti AXA	632	334	25609	3847	1148	31570	8364	714	241	23061	2810	769	27596	8619	112.87	72.27	90.05	73.05	67.02	87.41	103.05
Raheja OBE	(94)	(26)	10	0	(65)	(175)	(331)	7	3	49	-	124	183	45	(7)	(13)	510	0	(191)	(104)	(14)
SBI General	(151)	(18)	(78)	1	(7)	(253)	-	84	0	178	1	301	564	-	(56)	(1)	(229)	1	(4317)	(223)	-
L&T General	(22)	(24)	91	16	(33)	28	-	14	6	168	21	36	245	-	(60)	(26)	184	2	(109)	869	-
TOTAL	41440	28414	738039	228103	107498	1143493	904453	31147	23332	691523	194233	53496	993731	730725	75.16	82.12	93.70	85.15	49.76	86.90	80.79

Note: Figures in bracket indicate negative values.

STATEMENT 48
CLAIMS PAID AND CLAIMS INCURRED RATIO - HEALTH INSURANCE
(Claims incurred ratio is in per cent) (Amount in ₹ Crore)

Insurer	2010-11						2009-10											
	Government Schemes			Others			Government Schemes			Others								
	Net Earned Premium	Claims Incurred (Net)	Included Claims Ratio	Net Earned Premium	Claims Incurred (Net)	Included Claims Ratio	Net Earned Premium	Claims Incurred (Net)	Included Claims Ratio	Net Earned Premium	Claims Incurred (Net)	Included Claims Ratio						
National	164.38	111.12	68	642.21	777.65	121	572.07	549.19	96	40.27	25.77	64	381.00	490.08	129	467.98	449.26	96
New India	58.32	28.84	49	813.00	886.00	109	740.68	739.16	100	46.08	42.98	93	560.00	776.00	139	662.92	616.02	93
Oriental	118.30	76.15	64	735.26	741.92	101	442.92	414.57	94	43.37	33.49	77	507.92	725.64	143	350.31	316.34	90
United	157.46	184.54	117	763.43	893.21	117	413.64	455.12	110	60.95	62.78	103	603.16	849.65	141	307.91	366.41	119
Public Sector	488.46	400.65	80	2953.90	3298.78	112	2169.31	2157.04	99	190.67	165.02	87	2052.08	2841.37	138	1789.12	1748.03	98
Royal Sundaram	29.52	19.08	65	34.14	24.43	72	99.47	40.45	41	8.67	5.51	64	27.18	7.19	26	0.74	0.32	43
Reliance	-	-	-	120.47	148.37	123	58.13	93.62	161	2.12	1.67	79	122.83	142.49	116	72.88	100.88	138
IFFCO Tokio	46.60	58.34	125	79.72	76.22	96	17.94	15.03	84	30.44	20.85	68	76.93	100.35	130	14.29	12.42	87
TATA AIG	10.68	3.29	31	-	-	-	33.62	7.40	22	1.47	0.04	3	-	-	-	27.00	7.88	29
ICICI Lombard	381.54	379.71	100	420.01	391.40	93	195.33	111.63	57	268.54	262.41	98	285.18	286.26	100	200.00	93.82	47
Bajaj Allianz	-	-	-	118.90	106.22	89	173.09	85.50	49	-	-	-	85.93	83.81	98	172.61	95.50	55
Cholamandalam	63.74	43.77	69	29.92	25.50	85	14.35	3.19	22	16.66	15.31	92	11.70	15.17	130	4.44	3.63	82
HDFC Ergo	11.49	12.69	110	92.30	81.48	88	44.31	13.24	30	26.11	14.02	54	125.68	175.93	140	6.83	1.35	20
Future Generali	-	-	-	51.06	47.76	92	-	-	-	-	-	-	31.32	36.15	115	-	-	-
Universal Sampo	-	-	-	11.06	11.34	103	8.06	10.34	128	-	-	-	8.57	9.59	112	3.65	5.53	151
Shriram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bharti AXA	7.97	3.95	50	26.79	22.33	83	3.71	1.83	49	5.29	1.53	28.96	9.02	9.47	105	0.72	4.36	607
SBI General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raheja OBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Star Health	646.84	642.21	99	23.23	14.06	61	161.32	101.87	63	526.91	475.62	90.27	6.27	9.57	152.63	77.25	47.26	61
Apollo Munich	2.77	0.83	0.30	59.64	55.42	93	76.16	33.18	44	0.30	0.04	12	40.36	46.81	116	22.07	10.15	46
Max Buqa	-	-	-	0.02	0.01	72	8.05	4.05	50	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	58
Private Sector	1201.15	1163.85	97	1067.24	1004.55	94	893.55	521.33	58	886.51	797.00	90	830.97	922.79	111	602.47	383.10	64
Total	1699.61	1564.50	92	4021.14	4303.32	107	3082.86	2678.36	87	1077.18	962.02	89	2883.05	3764.16	131	2391.59	2131.13	89

STATEMENT 49
(₹ Lakh)

UNDERWRITING EXPERIENCE AND PROFITS OF PUBLIC SECTOR COMPANIES

PARTICULARS	NEW INDIA		ORIENTAL		NATIONAL		UNITED		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
NET PREMIUM	719223	600263	461158	396253	538971	397765	511694	419016	2231046	1813297
INCURRED CLAIMS (Net)	652487 90.72%	513245 85.50%	406536 88.16%	326018 82.28%	462328 85.78%	324536 81.59%	438564 85.71%	332924 79.45%	1959914 87.85%	1496723 82.54%
COMMISSION, EXPENSES OF MANAGEMENT	259190 36.04%	229743 38.27%	185844 40.30%	139202 35.13%	170289 31.60%	145019 36.46%	199692 39.03%	138994 33.17%	815015 36.53%	652958 36.01%
INCREASE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	71891 10.00%	29180 4.86%	29668 6.43%	37170 9.38%	62576 11.61%	16187 4.07%	46931 9.17%	35196 8.40%	211066 9.46%	117733 6.49%
UNDERWRITING PROFIT/LOSS	(264344) -40.84%	(171905) -30.10%	(160891) -37.29%	(106138) -29.56%	(156222) -32.79%	(87976) -23.06%	(173493) -37.33%	(88099) -22.95%	(754950) -37.37%	(454118) -26.78%
GROSS INVESTMENT INCOME	235151	214082	179656	116944	182142	134845	187271	168857	784220	634727
OTHER INCOME LESS OTHER OUTGO	(11943)	(6249)	(725)	(1983)	(18381)	(20010)	(695)	1526	(31744)	(26715)
PROFIT BEFORE TAX	(41137)	35927	18041	8823	7540	26859	13083	82284	(2473)	153894
INCOME TAX DEDUCTED AT SOURCE AND PROVISION FOR TAX	(1019)	4540	(12579)	(13249)	(51)	(4373)	(28)	(11505)	(13678)	(24587)
NET PROFIT AFTER TAX	(42156)	40467	5462	(4425)	7489	22486	13054	70779	(16151)	129307

Note: Figures in brackets indicate negative values

STATEMENT 50
(₹ Lakhs)

UNDERWRITING EXPERIENCE AND PROFITS OF PRIVATE SECTOR COMPANIES

	ROYAL SUNDARAM		BAJAJ ALLIANZ		TATA AIG		RELIANCE		IFCO TOKIO		ICICI LOMBARD		CHOLAMANDALAM		HDFC ERGO	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
NET PREMIUM	96250	75460	231050	197167	87553	58000	115480	142872	125229	99083	303318	231409	72686	51463	77514	58888
CLAIMS INCURRED (NET)	66022	50907	170127	138657	54311	39637	133138	118569	99046	73267	273064	194838	48578	34434	53230	39586
	68.59%	67.46%	73.63%	70.32%	62.03%	68.34%	115.29%	82.99%	79.09%	73.94%	90.03%	84.20%	66.83%	66.91%	68.67%	67.25%
COMMISSION, EXPENSES OF MANAGEMENT	32553	26474	68648	58028	31321	27244	42480	44583	33375	27446	62549	57619	23132	17250	19056	14535
	33.82%	35.08%	29.71%	29.43%	35.77%	46.97%	36.79%	31.21%	26.65%	27.70%	20.62%	24.90%	31.83%	33.52%	24.58%	24.69%
INCREASE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	8630	3974	16085	8747	14884	(973)	(13900)	2947	11719	6861	17702	12126	9949	5235	16878	18863
	8.97%	5.27%	6.96%	4.44%	17.00%	-1.68%	-12.04%	2.06%	9.36%	6.92%	5.84%	5.24%	13.69%	10.17%	21.77%	32.04%
UNDERWRITING PROFIT/LOSS	(10955)	(5894)	(23810)	(8265)	(12963)	(7908)	(46238)	(23228)	(18911)	(8490)	(49997)	(33175)	(8974)	(5455)	(11650)	(14116)
	-12.50%	-8.25%	-11.08%	-4.39%	-17.84%	-13.41%	-35.74%	-16.60%	-16.66%	-9.21%	-17.50%	-15.13%	-14.30%	-11.80%	-12.34%	-18.16%
GROSS INVESTMENT INCOME	9450	9278	28017	23336	11441	9520	17118	15313	13875	11991	40009	46454	6622	5326	8204	4787
OTHER INCOME LESS OTHER OUTGO	18	18	1984	2909	(583)	(1133)	(1856)	(1140)	99	360	1753	2552	93	314	(197)	(117)
PROFIT BEFORE TAX	(1488)	3401	6191	17980	(2105)	478	(30976)	(9055)	(4937)	3861	(8234)	15831	(2259)	185	(3643)	(9446)
INCOME TAX DEDUCTED AT SOURCE AND PROVISION FOR TAX	(526)	(304)	(1864)	(5898)	1647	191	(184)	4012	1667	(1323)	200	(1438)	(34)	51	16	
NET PROFIT AFTER TAX	(2014)	3097	4327	12083	(458)	670	(31160)	(5043)	(3270)	2538	(8034)	14393	(2293)	236	(3643)	(9430)

Note: Figures in brackets indicate negative values

Cont'd... STATEMENT 50
UNDERWRITING EXPERIENCE AND PROFITS OF PRIVATE SECTOR COMPANIES
 (₹ Lakh)

	FUTURE GENERALI		UNIVERSAL SOMPO		SHRIRAM		BHARTI AXA		RAHEJA OBE		SBI		L&T		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
NET PREMIUM	40395	24647	22566	14817	44688	22420	43488	18669	(5)	(282)	1137	906	1262235	994594		
CLAIMS INCURRED (NET)	27902	16915	14216	5749	25508	9500	27596	8619	183	45	564	245	983731	730725		
	69.07%	68.63%	63.00%	38.80%	57.08%	42.37%	63.49%	46.17%	-3847.90%	-16.09%	49.63%	27.01%	78.73%	73.47%		
COMMISSION, EXPENSES OF MANAGEMENT	17992	12548	12416	9029	9335	3461	24091	14564	1465	1195	7221	6073	391707	313976		
	44.54%	50.91%	55.02%	60.93%	20.89%	15.44%	55.42%	78.01%	-30774.37%	-423.36%	635.16%	670.55%	31.03%	31.57%		
INCREASE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	7484	5900	3291	7293	11685	8815	11897	10305	171	49	1390	878	118742	90141		
	18.53%	23.94%	14.58%	49.22%	26.15%	39.32%	27.37%	55.20%	-3583.13%	-17.32%	122.26%	96.89%	9.41%	9.06%		
UNDERWRITING PROFIT/LOSS	(12983)	(10716)	(7357)	(7254)	(1840)	644	(20117)	(14819)	(1823)	(1571)	(8039)	(6290)	(241945)	(140248)		
	-39.45%	-57.16%	-38.17%	-96.41%	-5.59%	2.06%	-36.33%	-177.17%	1040.02%	474.56%	3176.18%	-22335.16%	-21.16%	-15.51%		
GROSS INVESTMENT INCOME	3977	1863	2656	2064	3493	1582	2328	909	1237	1006	5105	432	153963	133429		
OTHER INCOME																
LESS OTHER OUTGO	54	(118)	(351)	(163)	172	248	759	(317)	(141)	(13)	251	(74)	1983	3399		
PROFIT BEFORE TAX	(8952)	(8970)	(5051)	(5353)	1826	2474	(17030)	(14226)	(727)	(579)	(2682)	(5632)	(85999)	(3420)		
INCOME TAX DEDUCTED AT SOURCE AND PROVISION FOR TAX			(73)	146	(571)	(887)	(5)	(4)					256	(5436)		
NET PROFIT AFTER TAX	(8952)	(8970)	(5125)	(5207)	1255	1587	(17035)	(14230)	(727)	(579)	(2682)	(5932)	(85743)	(8856)		

Note: Figures in brackets indicate negative values

STATEMENT 51

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	Central Govt. Securities		State Govt. & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Govt. for Housing & FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11	31-03-10	31-03-11
GIC	3766.25	4322.40	2285.80	2452.82	1200.05	1566.40	2086.43	2390.21	6637.31	7572.73	1505.03	1473.25	17480.88	19777.80
New India	3098.47	3322.97	1139.50	1222.61	714.53	1028.59	1792.49	1751.62	4717.07	5898.07	388.97	380.29	11851.03	13604.15
National	1472.64	1847.28	744.02	1181.01	419.85	664.30	1209.25	1679.99	1883.89	2739.93	640.16	278.55	6369.80	8391.06
United India	2025.37	2373.68	903.06	1228.31	850.54	1185.09	1168.64	1569.18	3728.47	4403.74	578.13	487.58	9254.22	11247.57
Oriental	1929.10	2194.86	766.35	967.78	424.99	463.05	827.28	1056.55	2473.33	3060.97	310.11	471.51	6731.16	8214.72
PUBLIC TOTAL	12291.84	14061.19	5838.73	7052.52	3609.96	4907.42	7084.09	8447.55	19440.06	23675.44	3422.42	3091.17	51687.09	61235.30
Reliance	386.52	634.17	141.09	61.02	111.04	286.70	329.49	332.89	599.51	803.06	89.01	19.06	1656.66	2136.90
Royal Sundaram	211.88	358.00	80.71	88.53	145.08	229.78	218.76	347.75	251.79	358.89	0.05	0.10	908.26	1383.06
IFFCO Tokio	412.58	492.24	0.00	114.17	128.59	184.93	192.92	340.41	545.41	686.24	0.00	0.00	1279.50	1817.99
TATA AIG	354.86	517.76	35.72	40.44	115.10	255.19	217.58	361.55	130.66	184.34	2.04	3.13	855.97	1362.41
Bajaj Allianz	579.09	967.17	356.10	252.23	216.61	351.22	757.84	697.85	827.46	1571.29	2.79	12.34	2739.89	3851.90
ICICI Lombard	818.33	1150.69	311.60	301.58	204.33	249.74	765.96	563.48	1208.62	2073.16	333.86	255.44	3642.70	4594.09
Star Health	101.10	129.72	0.00	0.00	15.00	45.04	24.97	54.90	86.89	101.05	28.09	0.00	256.05	330.71
Cholamandalam	179.47	260.55	0.00	35.61	45.85	90.42	96.89	141.34	252.02	404.84	0.00	34.85	574.23	967.61
HDFC Ergo	171.53	376.83	40.23	0.00	40.14	95.34	171.30	223.41	183.71	527.19	17.23	0.48	624.13	1223.25
Universal Sompo	109.86	120.68	24.04	3.99	21.49	36.57	60.34	85.30	30.64	84.09	11.83	0.94	258.19	331.57
Future Generali	69.46	139.34	29.16	65.39	26.62	53.60	76.38	147.51	66.39	191.50	7.99	4.51	276.00	601.85
Apollo Munich	35.72	77.09	10.01	14.31	13.32	21.03	33.01	42.77	44.55	130.81	2.59	10.05	139.20	296.06
Shriram	99.35	183.28	0.00	57.95	14.59	55.54	112.14	163.86	52.08	275.45	0.00	44.34	278.16	780.43
Bharti AXA	65.45	170.48	0.00	0.00	15.24	30.10	36.94	60.78	136.67	327.68	20.91	21.44	275.21	610.49
Raheja OBE	59.16	58.47	0.00	0.00	10.01	10.00	25.19	20.27	87.47	93.01	0.00	0.00	181.83	181.75
SBI General	60.83	60.84	93.31	93.30	49.26	59.34	156.69	156.40	276.23	234.79	0.00	0.00	636.32	604.67
Max Bupa	31.10	49.86	10.50	10.05	7.53	7.50	12.52	20.08	35.96	36.23	4.92	8.24	102.53	131.95
L & T	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	8.01	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	78.21
PRIVATE TOTAL	3746.29	5803.71	1132.48	1138.59	1179.78	2066.02	3288.92	3768.34	4816.04	8093.31	521.32	414.91	14684.83	21284.87
GRAND TOTAL	16038.12	19864.90	6971.21	8191.11	4789.74	6973.44	10373.01	12215.89	24256.10	31768.76	3943.74	3506.08	66371.92	82520.18

* FFE: Fire Fighting Equipments.

EQUITY SHARE CAPITAL OF NON-LIFE INSURERS

(₹ Crore)

Insurer	As on 31 st March, 2010	Infusion During 2010-11	As on 31 st March, 2011	Foreign Promoter	Indian Promoter	FDI (%)
Royal Sundaram	210.00	40.00	250.00	65.00	185.00	26.00
Reliance General	115.22	1.45	116.67	0.00	116.67	0.00
Bajaj Allianz	110.23	0.00	110.23	28.66	81.57	26.00
IFFCO Tokio	247.00	0.00	247.00	64.22	182.78	26.00
TATA AIG	300.00	65.00	365.00	94.90	270.10	26.00
ICICI Lombard	403.63	0.93	404.57	104.54	300.02	25.84
HDFC Ergo	415.00	71.00	486.00	126.36	359.64	26.00
Cholamandalam	266.96	0.00	266.96	69.41	197.55	26.00
Future Generali	280.00	195.00	475.00	121.13	353.88	25.50
Universal Sampo	150.00	0.00	150.00	39.00	111.00	26.00
Bharti AXA	200.00	222.27	422.27	93.84	328.43	22.22
Shriram General	105.00	0.00	105.00	27.30	77.70	26.00
Raheja QBE	207.00	0.00	207.00	53.82	153.18	26.00
SBI General	150.00	0.00	150.00	39.00	111.00	26.00
L&T General	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Private Total	3160.04	795.66	3955.70	927.18	3028.52	23.44
United India	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
New India	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Oriental	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
National	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Public Total	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
Total (Non Life)	3710.04	795.66	4505.70	927.18	3578.52	20.58
ECGC	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
AIC	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Star Health	164.33	38.66	202.99	42.36	160.63	20.87
Apollo Munich	129.30	66.90	196.20	50.08	146.12	25.53
Max Bupa	151.00	120.00	271.00	70.46	200.54	26.00
GIC	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
Grand Total (Non Life)	5684.67	1021.21	6705.89	1090.08	5615.80	16.26

SOLVENCY RATIO OF NON-LIFE INSURERS

SI No.	Insurer	March 2010	June 2010	September 2010	December 2010	March 2011
PRIVATE INSURERS						
1	Bajaj Allianz	1.54	1.92	1.96	2.02	1.73
2	Bharti AXA	2.38	2.43	1.62	1.69	1.70
3	Cholamandalam	1.76	1.78	1.75	1.64	1.61
4	Future Generali	1.54	1.68	2.05	2.12	2.06
5	HDFC Ergo	1.49	1.75	1.71	1.95	1.71
6	ICICI Lombard	2.07	1.78	1.66	1.63	1.56
7	IFFCO Tokio	1.76	1.63	1.61	1.53	1.23
8	L & T General	NA	NA	NA	2.02	2.30
9	Raheja QBE	3.79	3.79	3.78	3.74	3.65
10	Reliance General	1.70	1.68	2.18	1.95	1.15
11	Royal Sundaram	1.39	1.51	1.53	1.51	1.56
12	SBI General	12.84	12.87	12.79	12.54	12.00
13	Shriram General	1.75	2.16	1.86	1.71	1.32
14	TATA AIG General	1.88	1.77	2.00	1.82	1.68
15	Universal Sompo	3.15	2.72	2.58	2.49	2.14
PUBLIC INSURERS						
16	National	1.60	1.61	1.52	1.53	1.34
17	New India	3.55	3.50	3.22	3.22	2.90
18	Oriental	1.56	1.54	1.26	1.41	1.34
19	United India	3.41	3.46	3.77	3.46	2.89
SPECIALISED INSURERS						
20	AIC	2.07	2.46	2.68	3.13	3.71
21	ECGC	14.17	13.66	14.41	6.63	9.05
22	Apollo Munich	1.64	1.93	1.72	1.94	1.89
23	Max Bupa	2.07	2.05	2.14	1.92	2.03
24	Star Health	1.68	2.38	1.96	1.74	1.50
Re-INSURER						
25	GIC	3.71	3.99	3.87	4.11	3.35

NA: Not Applicable

PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	NATIONAL					UNITED					PUBLIC TOTAL							
	2010-11					2010-11					2009-10							
	Fire	Marine	Misc	Total	Fire	Marine	Misc	Total	Fire	Marine	Misc	Total	2010-11	2009-10				
Premiums earned <i>(Net)</i>	42681	14234	419480	476395	35335	13022	333221	381579	45291	24521	394951	464763	41045	21170	321604	383819	2019980	1695567
Profit/ Loss on sale /redemption of Investments	8314	3274	79929	91517	5937	2643	55241	63821	5539	3037	50465	59041	6491	2424	46763	55678	290722	213361
Others									(8)	1	105	97	585	296	4027	4908	(292)	4380
Interest, Dividend & Rent - Gross	4854	1912	46668	53433	4199	1870	39070	45138	4772	2617	45965	53354	5582	2085	40215	47882	242834	207902
TOTAL (A)	55850	19419	546077	621346	45471	17535	427532	490538	55594	30176	491485	577255	53704	25974	412609	492288	2553244	2121210
Claims Incurred <i>(Net)</i>	24176	11266	426685	462328	20288	4752	299497	324536	31138	21712	385714	438564	19807	21852	291265	332924	1959914	1496723
Commission	1421	1190	22933	25544	1220	1096	20825	23141	240	1347	25567	27154	(441)	2282	21454	23294	146155	126699
Operating Expenses related to Insurance Business	14424	5154	125167	144745	12183	4504	105190	121878	21809	9604	141126	172538	14095	7122	94483	115699	668860	526259
Others- Amortizations, Write offs & Provisions	106	61	15486	15653	134	82	8081	8298	66	36	601	703	268	100	1931	2299	18301	10500
Foreign Taxes			166	166			596	596									166	669
TOTAL (B)	40126	17672	590637	648435	33825	10434	434190	478449	53253	32699	553007	638959	33729	31355	409132	474217	2793397	2160851
<i>Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business</i>	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	2341	(2523)	(61522)	(61704)	19975	(5381)	3477	18071	(240153)	(39641)
APPROPRIATIONS																		
Transfer to Shareholders' Account	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	2341	(2523)	(61522)	(61704)	19975	(5381)	3477	18071	(240153)	(39641)
Transfer to Catastrophe Reserve																		
Transfer to Other Reserves																		
TOTAL (C)	15723	1747	(44561)	(27090)	11646	7101	(6658)	12090	2341	(2523)	(61522)	(61704)	19975	(5381)	3477	18071	(240153)	(39641)

Figures in brackets indicate negative amounts

STATEMENT 55

PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	NEW INDIA		ORIENTAL		NATIONAL		UNITED		TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)										
(a) Fire Insurance	(38728)	(30572)		345	15723	11646	2341	19975	(22821)	1394
(b) Marine Insurance	(8900)	1189	(2109)	1953	1747	7101	(2523)	(5381)	(11785)	4863
(c) Miscellaneous Insurance	(79513)	(20974)	(19952)	(21742)	(44561)	(6658)	(61522)	3477	(205547)	(45897)
	(127141)	(50358)	(24218)	(19443)	(27090)	12090	(61704)	18071	(240153)	(39641)
INCOME FROM INVESTMENTS										
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	55780	52893	17089	15523	13663	10723	34655	30190	121187	109330
(b) Profit on sale of investments	40899	39508	24828	14358	23529	15162	40221	35107	129477	104135
Less: Loss on sale of investments				(128)					(128)	
OTHER INCOME	(300)	1592	1357	(420)	716	1772	390	366	2163	3310
TOTAL (A)	(30761)	43635	19056	10018	10690	39747	13562	83734	12547	177134
PROVISIONS (Other than taxation)										
(a) For diminution in the value of investments	355	455	(4)	(5)	(420)	(198)	(306)	36	(375)	288
(b) For doubtful debts	9123	7379	804	1250	2673	11498	(1178)	(803)	11422	19324
(c) Others	713	(34)	268	295					981	262
OTHER EXPENSES										
(a) Expenses other than those related to Insurance Business					318	275	98	91	416	366
(b) Bad debts written off										
(c) Others	185	(93)	(54)	(345)	579	1313	1866	2125	2576	3000
TOTAL (B)	10376	7708	1015	1195	3150	12888	479	1449	15020	23239
Profit Before Tax	(41137)	35927	18041	8823	7540	26859	13083	82284	(2473)	153894
Provision for Taxation	(1019)	4540	(12579)	(13249)	(51)	(4373)	(28)	(11505)	(13678)	(24587)
Profit after Tax	(42156)	40467	5462	(4425)	7489	22486	13054	70779	(16151)	129307
APPROPRIATIONS										
(a) Interim dividends paid during the year										
(b) Proposed final dividend		8500				4398	3000	14200	3000	27098
(c) Dividend distribution tax	(33)	1445				747	486	2412	453	4604
(d) Contingency reserves for Unexpired Risks (Schedule 16B)				2379						2379
(e) Transfer to any Reserves or Other Accounts Transfer to General Reserve	(42123)	30523	3083	(4425)	7489	17341	9569	54167	(21983)	97605
Balance of Profit / Loss B/f from last year										
Balance C/f to Balance Sheet										

Note: Figures in brackets indicate negative values.

PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31st MARCH)

PARTICULARS	NEW INDIA		ORIENTAL		NATIONAL		UNITED		TOTAL	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS										
Share Capital	20000	20000	10000	10000	10000	10000	15000	15000	55000	55000
Reserves & Surplus	691154	723021	188402	182940	155779	148290	409793	400245	1445128	1454495
Fair Value Change Account	1673201	1564174	832781	811716	814081	805516	471625	480845	3791688	3662251
Borrowings										
Deferred Tax Liability										
TOTAL	2384355	2307194	1031182	1004656	979860	963806	896419	896090	5291815	5171746
APPLICATION OF FUNDS										
Investments	2847822	2620322	1540546	1380788	1611977	1417854	1526672	1344830	7527018	6763793
Loans	48566	55935	27414	30999	34237	35977	40367	45356	150583	168268
Fixed Assets	15683	16215	8736	9078	8360	10990	8642	10838	41421	47121
Deferred Tax Assets	10186	9458							10186	9458
CURRENT ASSETS										
Cash & Bank Balance	530445	436519	170628	149946	78963	44164	98780	84376	878816	715004
Advances and Other Assets	509425	544842	191508	239763	202985	291062	193324	235577	1097241	1311244
Sub-Total (A)	1039870	981361	362136	389708	281948	335226	292103	319953	1976057	2026249
CURRENT LIABILITIES										
Provisions	463661	428039	289250	282632	290024	230340	298237	288805	1341172	1229815
Sub-Total (B)	1591497	1376096	919534	805917	962833	841819	971366	824887	4445230	3848720
Net Current Assets (C) = (A-B)	(551627)	(394735)	(557398)	(416209)	(680885)	(506593)	(679263)	(504934)	(2469172)	(1822471)
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	13725		11885		6170	5578			31780	5578
Profit & Loss Account (Debit Balance)										
TOTAL	2384355	2307194	1031182	1004656	979860	963806	896419	896090	5291815	5171746

Note: Figures in brackets indicate negative values.

STATEMENT 57
(₹ Lakh)

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM			BAJAJ ALLIANZ			TATA AIG								
	Fire	Marine	Misc. 2010-11	Fire	Marine	Misc. 2010-11	Fire	Marine	Misc. 2010-11						
Premiums earned (Net)	1581	1144	84894	87619	71486	11314	5728	197923	214965	188420	2004	9193	61472	72669	58973
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	6	3	127	136	1016	14	4	133	151	695	53	163	1318	1534	1155
Others			17	17	9	222	13	1392	1627	3480	3	(25)	(228)	(249)	(141)
Interest, Dividend & Rent – Gross	327	103	6651	7082	5956	1972	590	18890	21453	16721	402	573	5955	6930	5531
TOTAL (A)	1914	1250	91690	94854	78467	13522	6336	218338	238196	209316	2462	9904	68518	80884	65518
Claims Incurred (Net)	490	731	64800	66022	50907	6195	3231	160701	170127	138657	1315	7677	45319	54311	39637
Commission	(186)	0	2268	2082	3077	(1588)	429	5195	4036	3177	(2468)	1309	3057	1899	2229
Operating Expenses related to Insurance Business	951	363	29158	30471	23397	5191	1682	57739	64612	54851	1214	2807	25402	29422	25016
Co-insurance administration fee											33	0	5	38	34
Solutium Fund								171	171	145			43	43	24
Premium Deficiency								(535)	(535)	212					
Others-Miscellaneous													72	72	96
TOTAL (B)	1255	1094	96226	98575	77381	9798	5341	223272	238411	197042	94	11793	73899	85786	67035
Operating Profit/(Loss) C= (A - B)	659	156	(4536)	(3721)	1086	3724	995	(4934)	(215)	12274	2368	(1889)	(5381)	(4902)	(1517)
APPROPRIATIONS															
Transfer to Shareholders' Account	659	156	(4536)	(3721)	1086	3724	995	(4934)	(215)	12274	2368	(1889)	(5381)	(4902)	(1517)
Transfer to Catastrophe Reserve															
Transfer to Other Reserves															
TOTAL (C)	659	156	(4536)	(3721)	1086	3724	995	(4934)	(215)	12274	2368	(1889)	(5381)	(4902)	(1517)

Note : Figures in brackets indicates negative values.

Cont'd... STATEMENT 57

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	RELIANCE			IFFCO TOKIO			ICICI LOMBARD		
	Fire	Marine	Misc.	Fire	Marine	Misc.	Fire	Marine	Misc.
Premiums earned (Net)	3075	1256	125049	5035	3882	104593	11287	4248	270081
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	47	10	837	14	14	253	314	153	9117
Others			10	(58)	21	(7)	1152	(143)	4784
Interest, Dividend & Rent – Gross	445	96	9481	580	569	10173	548	266	15928
TOTAL (A)	3567	1363	135378	5572	4487	115012	13301	4524	299911
Claims Incurred (Net)	1761	791	130587	4853	3841	90352	11221	4722	257121
Commission	(827)	(51)	(1373)	(906)	(442)	2959	204	(822)	(4812)
Operating Expenses related to Insurance Business	1074	402	43211	3358	2285	26221	4583	2658	60738
Co-insurance administration fee Solutium Fund									
Premium Deficiency						(254)			
Others-Miscellaneous								185	185
TOTAL (B)	2009	1141	172424	7306	5684	119432	16008	6744	313046
Operating Profit/(Loss) C = (A - B)	1559	222	(37046)	(1734)	(1197)	(4420)	(2707)	(2220)	(13136)
APPROPRIATIONS									
Transfer to Shareholders' Account	1559	222	(37046)	(1734)	(1197)	(4420)	(2707)	(2220)	(13136)
Transfer to Catastrophe Reserve									
Transfer to Other Reserves									
TOTAL (C)	1559	222	(37046)	(1734)	(1197)	(4420)	(2707)	(2220)	(13136)

Note : Figures in brackets indicates negative values.

Cont'd... STATEMENT 57

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

PARTICULARS	(₹ Lakh)														
	CHOLAMANDALAM					HDFC ERGO					FUTURE GENERALI				
	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2009-10	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2009-10	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2009-10
Premiums earned (Net)	1949	1223	59565	62737	46229	1401	777	58458	60636	40006	967	525	31420	32912	18748
Profit/ Loss on sale/redemption															
of Investments	6	2	130	138	501	17	5	330	352	247	21	9	162	192	88
Others	4	2	2	7	7	38	(1)	282	319	686	1	0	7	8	6
Interest, Dividend & Rent – Gross	443	84	4135	4661	3506	235	67	4562	4864	2378	239	102	1855	2196	700
TOTAL (A)	2401	1311	63632	67544	50243	1690	848	63632	66170	43316	1228	636	33444	35308	19542
Claims Incurred (Net)	1217	739	46623	48578	34434	1370	633	51226	53230	39586	838	520	26544	27902	16915
Commission	(404)	(432)	658	(178)	(2145)	(1734)	(207)	(1924)	(3864)	(3743)	(617)	(199)	(517)	(1333)	(1726)
Operating Expenses related to															
Insurance Business	1544	812	20955	23311	19395	1018	374	21529	22920	18278	2100	925	16301	19325	14274
Co-insurance administration fee															
Solatium Fund													32	32	21
Premium Deficiency			(128)	(128)	128						(75)			(75)	24
Others-Miscellaneous															
TOTAL (B)	2356	1118	68107	71582	51812	654	800	70831	72286	54121	2246	1246	42359	45851	29508
Operating Profit/(Loss) C = (A - B)	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)
APPROPRIATIONS															
Transfer to Shareholders' Account	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)
Transfer to Catastrophe Reserve															
Transfer to Other Reserves															
TOTAL (C)	45	192	(4276)	(4038)	(1569)	1036	48	(7199)	(6115)	(10805)	(1018)	(610)	(8915)	(10543)	(9967)

Note : Figures in brackets indicates negative values.

Cont'd... STATEMENT 57

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	UNIVERSAL SOMPO			SHRIRAM			BHARTI AXA								
	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10						
Premiums earned (Net)	2244	81	16950	19275	7524	218	9	32776	33003	13605	632	334	30604	31570	8364
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	28	3	132	162	50						0	0	1	1	1
Others	(14)	(1)	(18)	(33)	(39)	10	0	299	309	319	26	7	332	365	20
Interest, Dividend & Rent – Gross	215	22	1027	1263	596	16	3	2892	2912	1066	149	36	1833	2018	579
TOTAL (A)	2473	104	18091	20667	8131	244	13	35967	36224	14989	807	378	32769	33954	8964
Claims Incurred (Net)	1037	189	12990	14216	5749	31	8	25469	25508	9500	714	241	26641	27596	8619
Commission	20	(33)	782	769	685	(37)	(3)	1504	1464	(642)	(520)	(87)	213	(395)	(1040)
Operating Expenses related to Insurance Business	2175	233	9239	11646	8344	53	3	7816	7871	4103	1716	496	22274	24485	15604
Co-insurance administration fee															
Solatium Fund			27	27	8								9	9	
Premium Deficiency		170		170							24		(428)	(403)	428
Others-Miscellaneous					8			178	178		7		260	267	
TOTAL (B)	3231	558	23039	26828	14794	47	8	34966	35021	13060	1941	650	48969	51560	23611
Operating Profit/(Loss) C = (A - B)	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)
APPROPRIATIONS															
Transfer to Shareholders' Account	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)
Transfer to Catastrophe Reserve															
Transfer to Other Reserves															
TOTAL (C)	(759)	(454)	(4948)	(6161)	(6663)	197	5	1001	1203	1928	(1134)	(272)	(16200)	(17606)	(14647)

Note : Figures in brackets indicates negative values.

Cont'd... STATEMENT 57

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

PARTICULARS	(₹ Lakh)													
	RAHEJA QBE			SBI GENERAL			L&T GENERAL			PRIVATE TOTAL				
	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2009-10	Fire	Marine	Misc.	2010-11	2010-11	2009-10			
Premiums earned (Net)	(94)	(26)	(55)	(175)	(331)	(151)	(18)	(84)	(253)	28	1143493	904453		
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	0	0	0	1	0	0	0	0	0	(5)	13420	21561		
Others			6	6	2			2	2	0	8138	8008		
Interest, Dividend & Rent – Gross	15	0	27	43	3	49	0	16	65	8	54	91629	70222	
TOTAL (A)	(79)	(26)	(22)	(126)	(326)	(102)	(18)	(67)	(186)	(16)	77	1256680	1004245	
Claims Incurred (Net)	7	3	173	183	45	84	0	480	564	14	245	993731	730725	
Commission	(4)	1	39	36	0	(8)	(0)	(82)	(90)	(28)	(36)	(1782)	976	
Operating Expenses related to Insurance Business	233	20	1176	1429	1195	3788	28	3240	7055	872	6109	393188	312961	
Co-insurance administration fee												38	34	
Solutium Fund												283	197	
Premium Deficiency											11	11	(776)	(447)
Others-Miscellaneous												517	103	
TOTAL (B)	236	24	1388	1648	1240	3864	28	3637	7529	858	6329	1385200	1044650	
Operating Profit/(Loss) C= (A - B)	(315)	(50)	(1410)	(1774)	(1566)	(3966)	(46)	(3704)	(7716)	(873)	(6252)	(128520)	(40406)	
APPROPRIATIONS														
Transfer to Shareholders' Account	(315)	(50)	(1410)	(1774)	(1566)	(3966)	(46)	(3704)	(7716)	(873)	(6252)	(128520)	(40406)	
Transfer to Catastrophe Reserve														
Transfer to Other Reserves														
TOTAL (C)	(315)	(50)	(1410)	(1774)	(1566)	(3966)	(46)	(3704)	(7716)	(873)	(6252)	(128520)	(40406)	

Note : Figures in brackets indicates negative values.

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM		BAJAJ ALLIANZ		TATA AIG		RELIANCE		IFFCO TOKIO		ICICI LOMBARD		CHOLAMANDALAM	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)														
(a) Fire Insurance	659	748	3724	3964	2368	2027	1559	1898	(1734)	(1211)	(2707)	511	45	194
(b) Marine Insurance	157	70	995	(268)	(1889)	(485)	222	(2)	(1197)	(1185)	(2220)	525	192	(163)
(c) Miscellaneous Insurance	(4536)	267	(4934)	8578	(5381)	(3059)	(37046)	(14519)	(4420)	4543	(13136)	479	(4276)	(1600)
INCOME FROM INVESTMENTS														
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	2179	1888	6260	5650	2318	2223	4819	3955	2216	1300	9156	7837	1733	1090
(b) Profit on sale of investments	54	411	152	270	659	611	1382	1058	55	26	4528	8589	89	229
Less: Loss on sale of investments														
Other Income	6	20	286	102	57	40	412	135	196	437	248	24	24	535
TOTAL (A)	(1483)	3405	6375	18261	(2033)	1180	(29527)	(7640)	(4885)	3910	(4335)	17009	(2259)	285
Provisions (Other than taxation)														
(a) For diminution in the value of investments														50
(b) For doubtful debts														
(c) Others			33	31	65	1	(1404)	(1376)				2704	307	
OTHER EXPENSES														
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	5	5	151	249	(2)	0	(45)	(39)	52	49	136	70		50
(b) Bad debts written off														
(c) Others -preliminary & pre-operative, amortizations														
TOTAL (B)	5	5	184	280	72	2	(1449)	(1415)	52	49	3899	1179	100	185
Profit Before Tax	(1488)	3401	6191	17980	(2105)	1178	(30976)	(9055)	(4937)	3861	(8234)	15831	(2259)	185
Add/(Less): Prior Period Adjustments Account							(700)							
Add/(Less):Provision for Taxation/Deferred Tax	(526)	(304)	(1864)	(5898)	1647	191	(184)	4012	1667	(1323)	200	(1438)	(34)	51
Profit After Tax	(2014)	3097	4327	12083	(458)	670	(31160)	(5043)	(3270)	2538	(8034)	14393	(2293)	236
APPROPRIATIONS														
(a) Interim dividends paid during the year												5659	6452	
(b) Proposed final dividend										741				
(c) Dividend distribution tax									(3)	126				
(d) Transfer to any Reserves or Deferred Tax of last year or Reserve for Unexpired Risks												1052	1079	
(e) Catastrophe Reserve														
Balance of profit/ loss B/f from last year	4379	1282	51645	39562	3079	2409	(21589)	(16547)	7300	5629	17450	11686	775	539
Balance C/f to Balance Sheet	2365	4379	55973	51645	2620	3079	(52749)	(21589)	4033	7300	1765	17450	(1518)	775

Note :Figures in brackets indicates negative values.

PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	HDFC ERGO		FUTURE GENERALI		UNIVERSAL SOMPO		SHRIRAM		BHARTI AXA		RAHEJA OBE		SBI General		L&T General		TOTAL				
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2009-10		
OPERATING PROFIT/(LOSS)																					
(a) Fire Insurance	1036	1067	(1018)	(1060)	(759)	(1452)	197	4	(1134)	(1671)	(315)	(171)	(3966)	(873)	(2918)	4849					
(b) Marine Insurance	48	(143)	(610)	(458)	(454)	(221)	5	(0)	(272)	(284)	(50)	(15)	(46)	(179)	(5298)	(2628)					
(c) Miscellaneous Insurance	(7199)	(11729)	(8915)	(8448)	(4948)	(4989)	1001	1925	(16200)	(12692)	(1410)	(1380)	(3704)	(5200)	(120302)	(42625)					
INCOME FROM INVESTMENTS																					
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	2399	1284	1459	958	1020	1288	582	516	106	204	1173	992	5018	370	40809	29184					
(b) Profit on sale of investments	174	133	129	117	211	130	31	26	203	125	(110)	10	22	12	7559	11710					
Less: Loss on sale of investments	(68)	(54)	22	(25)	30	(100)	24	14	481	91			7	0	(1411)	(1307)					
Other Income	(3611)	(9442)	(8932)	(8917)	(5044)	(5345)	1841	2485	(16816)	(14226)	(711)	(564)	(2669)	(5917)	(80005)	407					
Provisions (Other than taxation)																					
(a) For diminution in the value of investments																				50	
(b) For doubtful debts																				339	
(c) Others																				(1376)	
OTHER EXPENSES																					
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	32	4	20	12	0	0	15	11	214	16										610	
(b) Bad debts written off																					259
(c) Others -preliminary & pre-operative, amortizations																					831
TOTAL (B)	32	4	20	54	8	8	15	11	214	16	16	16	13	13	16	3097	298			852	
Profit Before Tax	(3643)	(9446)	(8952)	(8970)	(5051)	(5363)	1826	2474	(17030)	(14226)	(727)	(564)	(2682)	(5832)	(85999)	(2720)				(700)	
Add/(Less): Prior Period Adjustments Account																					
Add/(Less): Provision for Taxation/Deferred Tax																					256
Profit After Tax	(3643)	(9430)	(8952)	(8970)	(5125)	(5207)	1255	1587	(17035)	(14230)	(727)	(564)	(2682)	(5832)	(85743)	(8856)				(5436)	
APPROPRIATIONS																					
(a) Interim dividends paid during the year																					5659
(b) Proposed final dividend																					741
(c) Dividend distribution tax																					937
(d) Transfer to any Reserves or Deferred Tax of last year or Reserve for Unexpired Risks																					1052
(e) Catastrophe Reserve																					1079
Balance of profit/ loss Bf from last year	(16715)	(7284)	(19436)	(10466)	(6676)	(1469)	1197	(390)	(21358)	(7127)	(1499)	(920)	(1099)	(809)	(3355)	16905					
Balance Cf to Balance Sheet	(20357)	(16715)	(28388)	(19436)	(11800)	(6676)	2452	1197	(38392)	(21358)	(2226)	(1484)	(3781)	(6741)	(96746)	(1447)					

Note : Figures in brackets indicates negative values.

**PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31st MARCH)**

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM						BAJAJ ALLIANZ		TATA AIG		RELIANCE		IFFCO TOKIO		ICICI LOMBARD		CHOLAMANDALAM	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS																		
Share Capital	25000	21000	11023	11023	36500	30000	11667	11522	24700	24700	40457	40363	26696	26696				
Reserves & Surplus	4865	4379	72634	68307	4133	4591	103239	89184	19465	22732	112626	126949	0	1336				
Share Application Money											34023	19						
Fair Value Change Account	(26)	(63)	(97)	(51)	(362)	1107	29	(888)	1		7293	11913	(40)	(99)				
Borrowings																		
Others																		
Deferred Tax Liability																		
TOTAL	29839	25316	83561	79279	40271	35698	114935	99818	44166	47432	194399	179244	26703	28045				
APPLICATION OF FUNDS																		
Investments	138271	90639	330949	253146	136241	85597	213718	165666	123789	81482	466530	376057	96610	57215				
Loans							3006	3006										
Fixed Assets	1269	1662	15607	15336	3285	2933	3022	4751	2372	1516	38813	14334	2892	1403				
Deferred Tax Asset	516	1041	4175	3785	1189	988	3887	4097	2472	758	4729	4529	0	34				
CURRENT ASSETS																		
Cash and Bank Balances	4539	4050	66559	29649	5323	6417	6722	8243	58535	47963	39001	5034	698	1671				
Advances and Other Assets	13557	27123	27366	71323	22719	32096	23807	74275	30290	53736	273797	273247	16590	14807				
Sub-Total (A)	18096	31174	93925	100972	28042	38514	30529	82517	88826	101699	312798	278282	17288	16479				
CURRENT LIABILITIES																		
Provisions	78727	58106	231041	180080	83799	62063	134441	110286	109925	85507	484155	367364	53861	19890				
	49587	41094	130055	113879	44687	30270	57537	71523	63368	52517	144315	126594	37183	27196				
Sub-Total (B)	128314	99200	361096	293959	128486	92333	191978	181809	173293	138024	628470	493958	91044	47086				
NET CURRENT ASSETS																		
(C) = (A - B)	(110218)	(68026)	(267171)	(192987)	(100444)	(53820)	(161449)	(99291)	(84467)	(36324)	(315672)	(215676)	(73757)	(30607)				
Misc. Expenditure																		
(to the extent not written off or adjusted)																		
Profit & Loss Account (Debit Balance)							52749	21589										957
TOTAL	29839	25316	83561	79279	40271	35698	114935	99818	44166	47432	194399	179244	26703	28045				

Note : Figures in brackets indicates negative values.

**PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31st MARCH)**

PARTICULARS	HDFC ERGO		FUTURE GENERALI		UNIVERSAL SOMPO		SHRIRAM		BHARTIAXA		RAHEJA OBE		SBI		L&T		TOTAL	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Share Capital	48600	41500	47500	28000	15000	15000	10500	10500	42227	20000	20700	20700	15000	20000	20000	395570	301004	
Reserves & Surplus	10400				8580	8580	2452	1197	13665	5891			50310	0	0	402369	333146	
Share Application Money	3700		2250	1500					0	7500						39973	9019	
Fair Value Change Account	39	4	(2)	3	(193)	(6)			2	17	1	3	0	2	0	6647	11940	
Borrowings	61	70														108	182	
Others																		
Deferred Tax Liability																		
TOTAL	62800	41574	49748	29503	23387	23574	12952	11697	55895	33408	20701	20703	65310	20002	20002	844667	655291	
APPLICATION OF FUNDS																		
Investments	122361	62368	58578	25994	32964	25814	60815	25867	61051	27538	18175	18186	53754	7621	1921427	1295569		
Loans																3006	3006	
Fixed Assets	8327	2468	2152	2994	2347	2421	2092	2135	3466	3178	213	354	7713	7140	100709	55483		
Deferred Tax Asset					82	155	772	529								17822	15916	
CURRENT ASSETS																		
Cash and Bank Balances	10325	6709	2048	953	1782	1709	19806	2473	2121	2844	22	17	7136	477	225095	117731		
Advances and Other Assets	11876	18209	20401	13087	7688	6457	2533	2608	7335	3056	747	940	3049	1184	462938	590966		
Sub-Total (A)	22200	24917	22449	14040	9469	8166	22339	5081	9456	5900	770	957	10185	1660	688032	708697		
CURRENT LIABILITIES																		
Provisions	64547	35929	40221	19531	20627	10453	48072	8587	32145	12565	449	233	8698	2218	1392925	970595		
	45699	28665	21599	13430	12649	9204	24994	13328	24326	12001	233	59	1425	941	658799	540059		
Sub-Total (B)	110446	64894	61819	32961	33276	19657	73066	21914	56471	24566	682	292	10123	3160	2061723	1510664		
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(88246)	(39977)	(38370)	(18921)	(23807)	(11491)	(50727)	(16834)	(47014)	(18666)	88	665	62	(1499)	(1363691)	(801957)		
Misc. Expenditure																		
(to the extent not written off or adjusted)																		
Profit & Loss Account (Debit Balance)	20357	16715	28388	19436	11800	6676			38392	21358	2226	1499	3781	6741	165393	87273		
TOTAL	62800	41574	49748	29503	23387	23574	12952	11697	55895	33408	20701	20703	65310	20002	844667	655291		

Note : Figures in brackets indicates negative values.

HEALTH INSURERS : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	STAR HEALTH		APOLLO MUNICH		MAX BUPA	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Premiums earned (<i>Net</i>)	83140	61043	14874	6996	807	0
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments						
Others						
Interest, Dividend & Rent – Gross	1251	717	670	300	114	0
TOTAL (A)	84391	61760	15544	7296	921	0
Claims Incurred (<i>Net</i>)	75814	53173	9215	5974	406	0
Commission	(883)	(1267)	1774	1056	139	0
Operating Expenses related to Insurance Business	9077	9311	13326	9830	12660	3855
Others- Amortizations, Write offs & Provisions						
Foreign Taxes						
TOTAL (B)	84008	61217	24316	16860	13205	3856
<i>Operating Profit/(Loss) from Fire/ Marine/Miscellaneous Business C= (A - B)</i>	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
APPROPRIATIONS						
Transfer to Shareholders' Account	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
Transfer to Catastrophe Reserve						
Transfer to Other Reserves						
TOTAL (C)	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)

Note : Figures in brackets indicate negative values

HEALTH INSURERS : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	STAR HEALTH		APOLLO MUNICH		MAX BUPA	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)						
(a) Fire Insurance						
(b) Marine Insurance						
(c) Miscellaneous Insurance	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
	383	543	(8772)	(9564)	(12284)	(3855)
INCOME FROM INVESTMENTS						
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	800	498	621	539	596	57
(b) Amortisation of discount /premium			82	13		
(b) Profit on sale of investments			42	104	84	125
Less: Loss on sale of investments			(18)			
OTHER INCOME			169	2	9	13
TOTAL (A)	1183	1041	(7844)	(8907)	(11595)	(3660)
PROVISIONS (Other than taxation)						
(a) For diminution in the value of investments						
(b) For doubtful debts				18		
(c) Others						
OTHER EXPENSES						
(a) Expenses other than those related to Insurance Business			82	63		
(b) Bad debts written off						
(c) Others	16	19			30	
TOTAL (B)	16	19	99	63	30	
Profit Before Tax	1167	1022	(7943)	(8970)	(11625)	(3660)
Provision for Taxation	428	496	1	0	0	0
Profit after Tax	739	526	(7944)	(8970)	(11625)	(3660)
APPROPRIATIONS						
(a) Interim dividends paid during the year						
(b) Proposed final dividend						
(c) Dividend distribution tax						
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts	739	526				
Transfer to General Reserve						
Balance of Profit / Loss B/f from last year	(258)	(258)	(19047)	(10077)	(4296)	(636)
Balance C/f to Balance Sheet	(258)	(258)	(26991)	(19047)	(15921)	(4296)

Note : Figures in brackets indicate negative values

HEALTH INSURERS : BALANCE SHEET
(AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

PARTICULARS	STAR HEALTH		APOLLO MUNICH		MAX BUPA	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
SOURCES OF FUNDS						
Share Capital	20299	16433	19620	12930	27100	15100
Share Application Money	10308	13867		374		
Reserves & Surplus	6708	650	17878	14696		
Fair Value Change Account			23	2	10	7
Deferred Tax Liability	691	329				
Borrowings						
TOTAL	38007	31279	37522	28001	27110	15107
APPLICATION OF FUNDS						
Investments	23484	17452	25209	13431	12626	9260
Loans						
Fixed Assets	6166	3901	1556	2068	2132	1261
Deferred Tax Assets						
CURRENT ASSETS						
Cash & Bank Balance	11516	17035	5435	1099	668	1150
Advances and Other Assets	30599	20733	3800	2545	1447	1137
Sub-Total (A)	42115	37768	9235	3643	2115	2288
CURRENT LIABILITIES						
	10418	12697	12294	5044	4088	1934
Provisions	23597	15805	13176	5144	1597	63
Sub-Total (B)	34016	28502	25470	10188	5684	1997
Net Current Assets (C) = (A-B)	8100	9266	(16235)	(6544)	(3569)	291
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		403				
Profit & Loss Account (Debit Balance)	258	258	26991	19047	15921	4296
TOTAL	38007	31279	37522	28001	27110	15107

Note : Figures in brackets indicate negative values

**EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD. (ECGC) :
POLICYHOLDERS ACCOUNT**

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11	2009-10
Premiums earned (<i>Net</i>)	67486	57599
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	346	175
Others	601	1464
Interest, Dividend & Rent – <i>Gross</i>	13662	11753
TOTAL (A)	82096	70992
Claims Incurred (<i>Net</i>)	75744	67518
Commission	(953)	(3157)
Operating Expenses related to Insurance Business	15148	10360
Other - Premium Deficiency	(4820)	4820
Others- Amortizations, Write-offs & Provisions		
Foreign Taxes		
TOTAL (B)	85118	79540
<i>Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C= (A - B)</i>	(3023)	(8548)
APPROPRIATIONS		
Transfer to Shareholders' Account	(3023)	(8548)
Transfer to Catastrophe Reserve		
Transfer to Other Reserves		
TOTAL (C)	(3023)	(8548)

Note : Figures in brackets indicate negative values

**EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD. (ECGC) :
SHAREHOLDERS ACCOUNT**

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance		
(b) Marine Insurance		
(c) Miscellaneous Insurance	(3023)	(8548)
	(3023)	(8548)
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	13667	15584
(b) Profit on sale of investments	346	233
Less: Loss on sale of investments		
OTHER INCOME	1063	158
TOTAL (A)	12054	7426
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments		
(b) For doubtful debts	6	712
(c) Others		
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business		
(b) Bad debts written off		
(c) Others	285	167
TOTAL (B)	291	879
Profit Before Tax	11763	6548
Provision for Taxation	3589	2756
Prior Period Adjustments	(393)	(1581)
Profit after Tax	8566	5373
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend	2610	1075
(c) Dividend distribution tax	423	183
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts		
Transfer to General Reserve	5534	4116
Balance of Profit / Loss B/f from last year	2	2
Balance C/f to Balance Sheet	1	2

Note : Figures in brackets indicate negative values

EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD. (ECGC) :
BALANCE SHEET
(AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

SOURCES OF FUND	2011	2010
Share Capital	90000	90000
Reserves & Surplus	108271	102738
Fair Value Change Account	7951	3156
Borrowings		27
Deferred Tax Liability		
TOTAL	206222	195921
 APPLICATION OF FUNDS		
Investments	316356	262046
Loans		
Fixed Assets	14319	13568
 CURRENT ASSETS		
Cash & Bank Balance	87686	79228
Advances and Other Assets	44383	37946
Sub-Total (A)	132069	117174
 CURRENT LIABILITIES		
Provisions	48160	38257
Sub-Total (B)	256927	198929
 Net Current Assets (C)= (A-B)	 (124858)	 (81755)
Deferred Tax Assets	405	2063
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		
Profit & Loss Account (Debit Balance)		
TOTAL	206222	195921

**AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AIC) :
POLICYHOLDERS ACCOUNT**

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11	2009-10
Premiums earned (<i>Net</i>)	127592	102252
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	152	107
Others		
Interest, Dividend & Rent – <i>Gross</i>	12848	11058
TOTAL (A)	140592	113417
Claims Incurred (<i>Net</i>)	95015	118919
Commission	(12687)	(4430)
Operating Expenses related to Insurance Business	4060	2024
Others- Amortizations, Write-offs & Provisions	2176	207
Foreign Taxes		
TOTAL (B)	88564	116720
<i>Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C= (A - B)</i>	52028	(3303)
APPROPRIATIONS		
Transfer to Shareholders' Account	52028	(3303)
Transfer to Catastrophe Reserve		
Transfer to Other Reserves		
TOTAL (C)	52028	(3303)

Note : Figures in brackets indicate negative values

**AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AIC) :
SHAREHOLDERS ACCOUNT**

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance		
(b) Marine Insurance		
(c) Miscellaneous Insurance	52028	(3303)
	52028	(3303)
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	5199	6777
(b) Profit on sale of investments	61	66
Less: Loss on sale of investments		
OTHER INCOME	65	485
TOTAL (A)	57353	4025
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments		
(b) For doubtful debts	(136)	36
(c) Others	84	220
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business		
(b) Bad debts written off	-	-
(c) Others	110	127
TOTAL (B)	59	383
Profit Before Tax	57294	3642
Provision for Taxation	19265	302
Profit after Tax	38030	3340
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend	2000	
(c) Dividend distribution tax	324	
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts		
Transfer to General Reserve	35705	
Balance of Profit / Loss B/f from last year		
Balance C/f to Balance Sheet		

Note : Figures in brackets indicate negative values

AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AIC) :
BALANCE SHEET
(AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

	2011	2010
SOURCES OF FUNDS		
Share Capital	20000	20000
Reserves & Surplus	92283	56578
Fair Value Change Account	382	618
Borrowings		
TOTAL	112665	77196
APPLICATION OF FUNDS		
Investments	156484	144209
Loans	125	129
Fixed Assets	2349	2944
Deferred Tax Assets	194	277
CURRENT ASSETS		
<i>Cash & Bank Balance</i>	162946	93324
<i>Advances and Other Assets</i>	49535	45840
Sub-Total (A)	212481	139164
CURRENT LIABILITIES		
<i>Provisions</i>	68224	65043
Sub-Total (B)	258967	209527
Net Current Assets (C)= (A-B)	(46486)	(70363)
Misc. Expenditure <i>(to the extent not written off or adjusted)</i>		
Profit & Loss Account (Debit Balance)		
TOTAL	112665	77196

Note : Figures in brackets indicate negative values

STATEMENT 69

GENERAL INSURANCE CORPORATION : POLICYHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11				2009-10					
	Fire	Marine	Misc.	Life	Total	Fire	Marine	Misc.	Life	Total
Premiums earned (Net)	273733	76856	601396	2419	954403	236109	71957	498290	1288	807643
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	12854	5133	25156	48	43191	13272	6553	28921	46	48792
Others	(1172)	103	(984)	12	(2041)	(728)	702	(37)	(20)	(82)
Interest, Dividend & Rent – Gross	27022	10792	52885	102	90800	21973	10848	47881	76	80778
TOTAL (A)	312437	92884	678453	2581	1086354	270626	90060	575055	1390	937131
Claims Incurred (Net)	220049	54379	586361	1789	862578	163638	46495	474823	683	685639
Commission	65091	20422	106754	368	192635	71698	16769	104345	212	193025
Operating Expenses related to Insurance Business	2602	550	4708	22	7882	2519	485	4132	10	7146
Foreign Taxes										
TOTAL (B)	287742	75350	697822	2179	1063094	237856	63748	583301	905	885809
Operating Profit/(Loss)										
C = (A - B)	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322
APPROPRIATIONS										
Transfer to Shareholders' Account	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322
Transfer to Catastrophe Reserve										
Transfer to Other Reserves										
TOTAL (C)	24694	17533	(19370)	401	23260	32771	26312	(8246)	485	51322

Note : Figures in brackets indicate negative values

GENERAL INSURANCE CORPORATION : SHAREHOLDERS ACCOUNT

(₹ Lakh)

PARTICULARS	2010-11	2009-10
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance	24694	32771
(b) Marine Insurance	17533	26312
(c) Miscellaneous Insurance	(19370)	(8246)
(d) Life Insurance	401	485
	23260	51322
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	59639	51201
(b) Profit on sale of investments	28369	30927
Less: Loss on sale of investments		
OTHER INCOME	17190	22007
TOTAL (A)	128458	155457
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments	3192	1303
(b) For doubtful debts	3643	(1438)
(c) Others	2273	2544
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance business	183	145
(b) Loss on Exchange	0	23835
(c) Bad debts written off	0	0
(d) Others	13	0
(e) Interest on Service Tax	219	47
TOTAL (B)	9523	26437
Profit before Tax	118935	129020
Provision for Taxation	15594	(48440)
Profit after Tax	103341	177461
Balance brought forward from last year	6	1
Profit Available for appropriation	103347	177461
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend	20640	35260
(c) Dividend distribution tax	3428	5856
(d) Transfer to any Reserves or other Accounts		
(e) Transfer to General Reserve	79273	136339
(f) Balance of Profit / Loss B/f from last year		
(g) Balance c/f to Balance Sheet	6	6

Note : Figures in brackets indicate negative values

GENERAL INSURANCE CORPORATION : BALANCE SHEET
(AS ON 31ST MARCH)

(₹ Lakh)

	2011	2010
SOURCES OF FUNDS		
Share Capital	43000	43000
Reserves & Surplus	939022	859657
Fair Value Change Account	1881771	1702846
Borrowings		
Deferred Tax Liability	0	0
TOTAL	2863793	2605503
APPLICATION OF FUNDS		
Investments	3669248	3357393
Loans	59539	69515
Fixed Assets	4489	4465
Deferred Tax Asset	152	7535
CURRENT ASSETS		
Cash & Bank Balance	475660	277311
Advances and Other Assets	763768	667994
Sub-Total (A)	1239428	945305
CURRENT LIABILITIES		
Provisions	632421	549005
Sub-Total (B)	1476642	1229704
Net Current Assets (C)= (A-B)	(869636)	(833404)
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted) Profit & Loss Account (Debit Balance)		
TOTAL	2863793	2605503

Note : Figures in brackets indicate negative values

STATE-WISE NUMBER OF OFFICES OF NON-LIFE INSURERS (AS ON 31ST MARCH, 2011)

State / Union Territory	National	New India	Oriental	United	Apollo Munich	Bajaj Allianz	Bharti AXA	Chola mandalam	Future Generali	HDFC Ergo	ICICI Lombard	IFFCO Tokio
Andhra Pradesh	91	79	78	143	3	20	4	5	4	6	31	3
Arunachal Pradesh	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	-	
Assam	34	23	30	49	0	2	1	1	1	1	3	
Bihar	39	20	38	30	0	4	0	1	2	1	4	
Chattisgarh	13	11	20	14	0	4	2	1	1	1	7	1
Goa	8	5	4	8	0	3	1	1	1	1	2	1
Gujarat	52	64	73	74	1	18	3	9	10	5	25	8
Haryana	41	29	34	48	1	4	2	4	5	2	13	3
Himachal Pradesh	17	8	15	13	0	2	0	0	1	0	2	
Jammu & Kashmir	14	11	14	13	0	2	0	0	1	1	2	1
Jharkhand	23	22	19	18	0	3	1	2	2	2	4	
Karnataka	59	64	90	101	3	16	5	6	4	4	22	4
Kerala	51	58	67	96	2	8	1	7	6	8	15	1
Madhya Pradesh	52	39	50	54	0	7	2	4	4	3	17	3
Maharashtra	126	153	111	138	10	24	8	16	15	11	36	16
Manipur	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
Meghalaya	2	3	3	5	0	0	0	0	0	0	1	
Mizoram	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
Nagaland	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0		
Orissa	40	35	35	31	1	6	1	2	2	2	16	1
Punjab	87	52	74	83	1	8	3	3	4	4	16	2
Rajasthan	68	34	61	88	1	6	2	3	6	5	14	1
Sikkim	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
Tamil Nadu	96	95	96	190	5	26	4	19	7	5	21	3
Tripura	4	1	2	4	0	0	0	0	0	0	1	
Uttar Pradesh	109	99	104	96	2	9	4	6	11	5	30	3
Uttarakhand	9	16	16	24	0	1	1	1	0	1	6	1
West Bengal	96	50	42	50	2	14	2	3	4	2	16	3
Andaman & Nicobar Is.	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0		
Chandigarh	14	12	8	7	1	1	1	0	1	1	1	1
Dadra & Nagar Haveli	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Daman & Diu	0	0	2		0	0	0	0	0	0		
Delhi & NCR	64	45	52	47	6	9	3	1	2	6	8	10
Lakshadweep	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Puducherry	5	4	1	5	0	1	0	1	0	1	1	
Total	1219	1041	1146	1436	39	199	51	96	94	78	315	66

Contd.. STATEMENT 72

STATE-WISE NUMBER OF OFFICES OF NON-LIFE INSURERS (AS ON 31ST MARCH, 2011)

Name of State/ Union Territory	L&T General	Max Bupa	Raheja OBE	Reliance General	Royal Sundaram	SBI General	Shriram General	Star Health	Tata AIG	Universal Sampo	AIC	ECGC	Total
Andhra Pradesh	1	1	1	16	9	2	7	29	2	3	1	3	542
Arunachal Pradesh	-	-	-	-	-	0	0	2	-	0	0	-	5
Assam	-	-	-	2	1	1	0	2	1	1	1	-	154
Bihar	-	-	-	1	1	0	0	1	-	1	1	-	144
Chattisgarh	-	-	-	2	1	0	0	4	1	1	1	-	85
Goa	-	-	-	1	1	1	0	1	1	0	-	-	39
Gujarat	1	1	-	21	10	1	3	8	6	3	1	4	401
Haryana	-	0	-	7	1	0	5	5	1	2	-	2	209
Himachal Pradesh	-	0	-	1	-	0	1	1	-	0	-	-	61
Jammu & Kashmir	-	0	-	1	-	0	0	2	-	1	-	1	64
Jharkhand	-	0	-	4	1	0	0	4	2	2	1	-	110
Karnataka	1	1	-	15	9	1	1	22	3	3	1	3	438
Kerala	-	0	-	13	7	0	1	29	2	1	1	1	375
Madhya Pradesh	-	0	-	13	3	1	3	14	1	2	1	1	274
Maharashtra	2	2	1	33	8	2	8	30	13	10	1	10	784
Manipur	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	4
Meghalaya	-	0	-	-	-	0	0	1	-	0	-	-	15
Mizoram	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	4
Nagaland	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	6
Orissa	1	0	-	3	2	1	0	11	1	2	1	1	195
Punjab	-	1	-	7	-	0	3	5	2	2	-	2	359
Rajasthan	-	1	-	9	1	1	9	11	2	3	1	2	329
Sikkim	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	5
Tamil Nadu	2	1	-	15	17	2	6	65	4	4	1	9	693
Tripura	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	12
Uttar Pradesh	-	0	-	17	3	1	11	10	4	4	1	5	534
Uttarakhand	-	0	-	3	-	0	2	3	1	2	1	-	88
West Bengal	1	1	-	11	5	1	2	26	3	4	1	2	341
Andaman & Nicobar Is.	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	3
Chandigarh	-	0	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	58
Dadra & Nagar Haveli	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	2
Daman & Diu	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	2
Delhi & NCR	1	2	-	15	2	1	5	12	2	2	1	4	300
Lakshadweep	-	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	1
Puducherry	-	0	-	1	1	0	0	2	1	0	-	-	24
Total	10	11	2	212	84	17	68	299	54	54	18	51	6,660

THIRD PARTY ADMINISTRATORS
NUMBER OF CLAIMS RECEIVED AND DURATION WISE SETTLEMENT OF CLAIMS DURING 2010-11

Sl. No.	Name of TPA	No of Claims Received	Claims Settled				Claims O/S
			< 1 month	>1 to ≤3 months	> 3 to ≤6 months	> 6 months	
1	Park Mediclaim	33773	9874 (29.24)	11400 (33.75)	13208 (39.11)	nil 0.00	3889
2	Vipul Med Corp	240582	234819 (97.60)	20121 (8.36)	2814 (1.17)	9696 (4.03)	25772
3	Alankit Health Care	104332	93708	15055	1663	521	9303
4	I Care Health Management & Services	16541	11525 (69.68)	1845 (11.15)	198 (1.20)	7 (0.04)	2395
5	Dedicated Healthcare Services	139255	92685 (66.56)	32722 (23.50)	4935 (3.54)	734 (0.53)	8179
6	Medicare Services	71530	40577 (56.73)	10911 (15.25)	3172 (4.43)	963 (1.35)	5390
7	MD India Healthcare Services	876693	631694 (72.05)	141432 (16.13)	38864 (4.43)	6968 (0.79)	84711
8	Heritage Health	98387	53206 (54.08)	34725 (35.29)	5807 (5.90)	1259 (1.28)	8511
9	Genins India	82832	70662 (85.31)	7862 (9.49)	2409 (2.91)	388 (0.47)	8718
10	Rothshield Healthcare Services	1332	639 (47.97)	464 (34.83)	143 (10.74)	25 (1.88)	61
11	E Meditek Services	331278	267332 (80.70)	19906 (6.01)	10058 (3.04)	0 (0.00)	33982
12	Parekh Health Management	93141	57680 (61.93)	27569 (29.60)	2126 (2.28)	297 (0.32)	7259
13	Safeway Services	10035	6631 (66.08)	1061 (10.57)	884 (8.81)	265 (2.64)	682
14	Med Save Health Care	105654	70039 (66.29)	29233 (27.67)	5786 (5.48)	1841 (1.74)	5399

Note: Figures in the brackets indicates the ratio (in per cent) of claims settled to the total claims received.
 Licence of the Universal Mediaid Services Ltd. has been cancelled. The TPA has obtained a stay on the operation of the IRDA order. IRDA is contesting the case.
 NA: Not Available.
 Nil: No Claims received or settled.
 O/S: Outstanding.

THIRD PARTY ADMINISTRATORS
NUMBER OF CLAIMS RECEIVED AND DURATION WISE SETTLEMENT OF CLAIMS DURING 2010-11

Sl. No.	Name of TPA	No of Claims Received	Claims Settled				Claims O/S
			< 1 month	>1 to ≤3 months	> 3 to ≤6 months	> 6 months	
15	Good Healthplan	42461	10790 (25.41)	16497 (38.85)	6995 (16.47)	1835 (4.32)	6165
16	Health India Services	147458	125941 (85.41)	26480 (17.96)	3594 (2.44)	0 (0.00)	3907
17	Medi Assist India	411308	344845 (83.84)	12313 (2.99)	763 (0.19)	312 (0.08)	45902
18	Anmol Medicare	6615	3935 (59.49)	839 (12.68)	53 (0.80)	4827 (72.97)	1506
19	Raksha	159758	156455 (97.93)	972 (0.61)	Nil (0.00)	Nil (0.000)	2331
20	Family Health Plan	163163	58588 (35.91)	46118 (28.26)	17329 (10.62)	6788 (4.16)	18603
21	TTK Healthcare	272223	225040 (82.67)	38046 (13.98)	6231 (2.29)	1544 (0.57)	8613
22	Grand Healthcare Services	Nil	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil (0.00)	Nil
23	Paramount Health Services	182395	144164 (79.04)	11924 (6.54)	3372 (1.85)	909 (0.50)	20530
24	Anyuta Medinet Healthcare	82	76 (92.68)	3 (3.66)	3 (3.66)	Nil (0.00)	Nil
25	East West Assist	49015	33870 (69.10)	9281 (18.94)	5401 (11.02)	265 (0.54)	1055
26	Focus Healthcare	1741	886 (50.89)	290 (16.66)	Nil (0.00)	415 (23.84)	150
27	Sri Gokulam Health Services	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
28	Spurthi Meditech Solutions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
29	Universal Medi-Aid Services	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL		3641584	2745661	517069	135808	39859	313013

Note: Figures in the brackets indicates the ratio (in per cent) of claims settled to the total claims received.

Licence of the Universal Medicaid Services Ltd. has been cancelled. The TPA has obtained a stay on the operation of the IRDA order. IRDA is contesting the case.

NA: Not Available.

Nil: No Claims received or settled.

O/S: Outstanding.

STATUS OF GRIEVANCES - LIFE INSURERS FOR 2010-11

Sl. No	Insurer	Opening Balance	2010-11			Pending at the end of the year	Duration wise analysis of pending complaints		
			Reported during the year	Resolved during the year	% Resolved during the year		≤ 30 days	30 to 180 days	>180 days
1	Aegon Religare	0	54	50	93	4	3	1	0
2	Aviva	23	631	654	100	0	0	0	0
3	Bajaj Allianz	16	799	811	100	4	3	0	1
4	Bharti AXA	17	267	277	98	7	6	1	0
5	Birla Sun Life	21	533	515	93	39	34	4	1
6	Canara HSBC	0	26	24	92	2	2	0	0
7	DLF Pramerica	0	22	17	77	5	4	1	0
8	Future Generali	2	72	63	85	11	9	2	0
9	HDFC Standard	39	528	562	99	5	5	0	0
10	ICICI Prudential	48	1294	1342	100	0	0	0	0
11	IDBI Federal	2	25	27	100	0	0	0	0
12	IndiaFirst	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ING Vysya	10	99	106	97	3	2	1	0
14	Kotak Mahindra	29	779	757	94	51	38	11	2
15	LIC	150	2588	2672	98	66	22	25	19
16	Max New York	0	525	523	100	2	0	2	0
17	Met Life	5	246	247	98	4	1	3	0
18	Reliance	15	540	541	97	14	13	1	0
19	Sahara	1	12	12	92	1	0	0	1
20	SBI Life	5	293	284	95	14	13	1	0
21	Shriram	0	28	21	75	7	4	2	1
22	Star Union Dai-Ichi	0	16	16	100	0	0	0	0
23	TATA AIG	12	279	276	95	15	14	1	0
	Total	395	9656	9797	97	254	173	56	25

STATUS OF GRIEVANCES - NON LIFE INSURERS FOR 2010-11

(I) Sl. No	(II) Insurer	(III) Pending as on 31 st March, 2010	(IV) Reported during 2010-11	(V)=(III) + (IV) Total No. of Complaints	(VI) Resolved during 2010-11	(VII) Pending as on 31 st March, 2011	BREAK UP OF (VII)			
							(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	National	145	683	828	643	185	32	117	31	5
2	New India	177	800	977	593	384	86	170	122	6
3	Oriental	81	605	686	250	436	84	233	96	23
4	United India	21	743	764	598	166	35	86	42	3
5	ECGC	2	9	11	11	0	0	0	0	0
6	AIC	1	4	5	5	0	0	0	0	0
	PUBLIC TOTAL	427	2844	3271	2100	1171	237	606	291	37
1	Apollo Munich	1	29	30	28	2	2	0	0	0
2	Bajaj Allianz	24	184	208	177	31	13	14	4	0
3	Bharti AXA	0	51	51	51	0	0	0	0	0
4	Cholamandalam	7	77	84	81	3	0	2	0	1
5	Future Generali	0	37	37	32	5	2	2	1	0
6	HDFC Ergo	1	101	102	101	1	0	1	0	0
7	ICICI Lombard	16	449	465	461	4	2	2	0	0
8	IFFCO Tokio	22	142	164	126	38	14	16	6	2
9	L&T General	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Max Bupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Raheja QBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Reliance	35	960	995	833	162	44	83	30	5
13	Royal Sundaram	19	107	126	122	4	3	1	0	0
14	SBI General	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Shriram	0	38	38	38	0	0	0	0	0
16	Star Health	0	90	90	88	2	1	1	0	0
17	TATA AIG	2	124	126	125	1	1	0	0	0
18	Universal Sampo	2	41	43	38	5	3	2	0	0
	PRIVATE TOTAL	129	2430	2559	2301	258	85	124	41	8
	GRAND TOTAL	556	5274	5830	4401	1429	322	730	332	45

Note:

(i) Policy related issues

(ii) Non settlement/ Delay in settlement of claim

(iii) Repudiation/Partial settlement of claim

(iv) Other reasons

STATEMENT 76

PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES (LIFE INSURANCE)

Name of the Centre	O/s as on 31 st March 2010	Total No. of Complaints Received during 2010-11	No. of complaints disposed by way of				Duration-wise disposal			Duration-wise Outstanding							
			Total	(I)	(II)	(III)	(IV)	Total	A	B	C	Total	A	B	C	Total	
Ahmedabad	7	485	492	6	3	23	178	210	210	0	0	0	210	148	134	0	282
Bhopal	38	210	248	0	0	0	121	121	117	4	0	0	121	58	69	0	127
Bhubaneshwar	33	238	271	127	28	4	68	227	93	117	17	17	227	24	20	0	44
Chandigarh	284	1268	1552	24	160	13	429	626	485	138	3	3	626	458	468	0	926
Chennai	2	933	935	42	27	33	826	928	905	23	0	0	928	6	1	0	7
Delhi	244	1445	1689	223	17	103	1035	1378	943	427	8	8	1378	153	158	0	311
Guwahati	8	280	288	85	3	1	134	223	216	7	0	0	223	34	31	0	65
Hyderabad	13	1388	1401	31	22	51	1220	1324	1324	0	0	0	1324	77	0	0	77
Kochi	36	515	551	50	24	83	284	441	356	85	0	0	441	68	42	0	110
Kolkata	195	1392	1587	116	168	269	931	1484	1007	227	250	250	1484	100	3	0	103
Lucknow	0	1448	1448	75	134	47	932	1188	1122	66	0	0	1188	224	36	0	260
Mumbai	28	1415	1443	67	0	0	1334	1401	1356	45	0	0	1401	26	16	0	42
Total	888	11017	11905	846	586	627	7492	9551	8134	1139	278	278	9551	1376	978	0	2354

Notes:

O/S : Outstanding

(I) Recommendations / Awards

(II) Withdrawal / Settlement

(III) Dismissal

(IV) Non-acceptance / Not-entertainable

(A) Within 3 months

(B) 3 months to 1 Year

(C) Above 1 Year

STATEMENT 77

PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES (NON-LIFE INSURANCE)

Name of the Centre	O/s as on 31 st March 2010	Total No. of Complaints Received during 2010-11	No. of complaints disposed by way of				Duration-wise disposal			Duration-wise Outstanding							
			Total	(I)	(II)	(III)	(IV)	Total	A	B	C	Total	A	B	C	Total	
Ahmedabad	44	1834	1878	218	71	131	495	915	914	1	0	0	915	338	625	0	963
Bhopal	39	126	165	5	31	5	23	64	21	39	4	64	23	78	0	101	
Bhubaneshwar	26	146	172	56	2	29	26	113	67	46	0	113	53	6	0	59	
Chandigarh	349	814	1163	29	75	0	378	482	386	95	1	482	94	324	263	681	
Chennai	17	905	922	88	20	86	689	883	771	112	0	883	38	1	0	39	
Delhi	295	1318	1613	262	13	77	852	1204	805	391	8	1204	144	265	0	409	
Guwahati	20	213	233	106	1	4	61	172	149	23	0	172	24	37	0	61	
Hyderabad	37	861	898	172	66	86	382	706	704	2	0	706	192	0	0	192	
Kochi	61	517	578	88	21	72	213	394	284	110	0	394	88	96	0	184	
Kolkata	215	815	1030	126	26	78	571	801	579	68	154	801	77	152	0	229	
Lucknow	0	352	352	22	210	0	83	315	315	0	0	315	37	0	0	37	
Mumbai	278	2147	2425	545	145	0	949	1639	1165	474	0	1639	600	186	0	786	
Total	1381	10048	11429	1717	681	568	4722	7688	6160	1361	167	7688	1708	1770	263	3741	

Notes:

O/S : Outstanding

(I) Recommendations / Awards

(II) Withdrawal / Settlement

(III) Dismissal

(IV) Non-acceptance / Not-entertainable

(A) Within 3 months

(B) 3 months to 1 Year

(C) Above 1 Year

STATEMENT 78
PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES (LIFE & NON-LIFE COMBINED)

Name of the Centre	O/s as on 31 st March 2010	Total No. of Complaints Received during 2010-11	No. of complaints disposed by way of				Duration-wise disposal			Duration-wise Outstanding						
			Total	(I)	(II)	(III)	(IV)	Total	A	B	C	Total	A	B	C	
Ahmedabad	51	2319	2370	224	74	154	673	1124	1	0	1125	486	759	0	1245	
Bhopal	77	336	413	5	31	5	144	138	43	4	185	81	147	0	228	
Bhubaneshwar	59	384	443	183	30	33	94	160	163	17	340	77	26	0	103	
Chandigarh	633	2082	2715	53	235	13	807	871	233	4	1108	552	792	263	1607	
Chennai	19	1838	1857	130	47	119	1515	1676	135	0	1811	44	2	0	46	
Delhi	539	2763	3302	485	30	180	1887	1748	818	16	2582	297	423	0	720	
Guwahati	28	493	521	191	4	5	195	365	30	0	395	58	68	0	126	
Hyderabad	50	2249	2299	203	88	137	1602	2030	2	0	2030	269	0	0	269	
Kochi	97	1032	1129	138	45	155	497	640	195	0	835	156	138	0	294	
Kolkata	410	2207	2617	242	194	347	1502	1586	295	404	2285	177	155	0	332	
Lucknow	0	1800	1800	97	344	47	1015	1437	66	0	1503	261	36	0	297	
Mumbai	306	3562	3868	612	145	0	2283	2521	519	0	3040	626	202	0	828	
Total	2269	21065	23334	2563	1267	1195	12214	17239	14294	2500	445	17239	3084	2748	263	6095

Notes:

O/S : Outstanding

(I) Recommendations / Awards

(II) Withdrawal / Settlement

(III) Dismissal

(IV) Non-acceptance / Not-entertainable

(A) Within 3 months

(B) 3 months to 1 Year

(C) Above 1 Year

ANNEX

**INSURANCE COMPANIES OPERATING IN INDIA
LIFE INSURERS***

Public Sector

1 Life Insurance Corporation of India

Private Sector

- 1 Aegon Religare Life Insurance Co. Ltd.
- 2 Aviva Life Insurance Co. Ltd.
- 3 Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
- 4 Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.
- 5 Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.
- 6 Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.
- 7 DLF Pramerica Life Insurance Co. Ltd.
- 8 Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.
- 9 Future Generali Life Insurance Co. Ltd.
- 10 HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.
- 11 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- 12 IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.
- 13 ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.
- 14 IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.
- 15 Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Co. Ltd.
- 16 Max New York Life Insurance Co. Ltd.
- 17 MetLife India Insurance Co. Ltd.
- 18 Reliance Life Insurance Co. Ltd.
- 19 Sahara India Life Insurance Co. Ltd.
- 20 SBI Life Insurance Co. Ltd.
- 21 Shriram Life Insurance Co. Ltd.
- 22 Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.
- 23 TATA AIG Life Insurance Co. Ltd.

* As on 30th September, 2011.

**INSURANCE COMPANIES OPERATING IN INDIA
NON-LIFE INSURERS***

Public Sector	Private Sector
1 New India Assurance Co. Ltd.	1 Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.
2 National Insurance Co. Ltd.	2 Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.
3 The Oriental Insurance Co. Ltd.	3 Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
4 United India Insurance Co. Ltd.	4 Future Generali India Insurance Co. Ltd.
	5 HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.
Specialised Insurers	6 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
5 Export Credit Guarantee Corporation Ltd.	7 IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.
6 Agriculture Insurance Co. Ltd.	8 L & T General Insurance Co. Ltd.
	9 Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.
	10 Reliance General Insurance Co. Ltd.
	11 Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd.
	12 SBI General Insurance Co. Ltd.
	13 Shriram General Insurance Co. Ltd.
	14 TATA AIG General Insurance Co. Ltd.
	15 Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.
	Standalone Health Insurers
	16 Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd.
	17 Max Bupa Health Insurance Co. Ltd.
	18 Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.

RE – INSURER

General Insurance Corporation of India

* As on 30th September, 2011

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND VARIOUS INTERMEDIARIES

Sl. No	Insurer/Intermediary	Processing Fee	Registration Fee	Renewal Fee	Periodicity of Renewal
1	Insurer (Life / Non Life / Reinsurer)	-	₹ 50,000	1/10 th of 1% of Gross Direct Premium written in India subject to a minimum of ₹50,000 and maximum of ₹5 crore	Every year (by 31 st December)
2	Third Party Administrator	₹20,000	₹30,000	₹30,000	3 years
3	Brokers-Direct	-	₹20,000	₹1,000 as the renewal fee + an annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to a minimum of ₹25,000 and maximum of ₹1,00,000.	3 years
	Brokers- Reinsurance	-	₹25,000	₹1,000 as renewal fee + annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to a minimum of ₹75,000 and maximum of ₹3,00,000	3 years
	Brokers- Composite	-	₹40,000	₹1,000 as the renewal fee + Annual fee of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of ₹1,25,000 and maximum of ₹5,00,000.	3 years
4	Surveyors and Loss Assessors Individual-Category				
	A	-	₹10,000	₹200 for every category	5 Years
	B	-	₹7,500		
	C	-	₹5,000		
	Corporate-Category				
	A	-	₹25,000	₹200 for every category	5 Years
	B	-	₹20,000		
	C	-	₹15,000		
5	Corporate Agents	-	₹250 for Corporate Insurance License and ₹500 for the Certificate to the Specified Person	₹250	3 Years
6	Referrals	-	₹10,000	-	3 Years

INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (1994-96) (modified) ULTIMATE

Age	Mortality rate	Age	Mortality rate
0	0.001630	50	0.005244
1	0.000960	51	0.005819
2	0.000670	52	0.006443
3	0.000620	53	0.007116
4	0.000470	54	0.007839
5	0.000420	55	0.008611
6	0.000380	56	0.009433
7	0.000400	57	0.010294
8	0.000400	58	0.011025
9	0.000400	59	0.011951
10	0.000380	60	0.013073
11	0.000450	61	0.014391
12	0.000530	62	0.015904
13	0.000650	63	0.017612
14	0.000713	64	0.019516
15	0.000770	65	0.021615
16	0.000823	66	0.022724
17	0.000873	67	0.025617
18	0.000919	68	0.028823
19	0.000961	69	0.032372
20	0.000999	70	0.036294
21	0.001033	71	0.040623
22	0.001063	72	0.045392
23	0.001090	73	0.050639
24	0.001113	74	0.056404
25	0.001132	75	0.062728
26	0.001147	76	0.069655
27	0.001159	77	0.077231
28	0.001166	78	0.085502
29	0.001170	79	0.094519
30	0.001170	80	0.104331
31	0.001171	81	0.114992
32	0.001201	82	0.126553
33	0.001246	83	0.139067
34	0.001308	84	0.151077
35	0.001387	85	0.162298
36	0.001482	86	0.174149
37	0.001593	87	0.186638
38	0.001721	88	0.199775
39	0.001865	89	0.213560
40	0.002053	90	0.227995
41	0.002247	91	0.243072
42	0.002418	92	0.258782
43	0.002602	93	0.275109
44	0.002832	94	0.292031
45	0.003110	95	0.309522
46	0.003438	96	0.327549
47	0.003816	97	0.346073
48	0.004243	98	0.365052
49	0.004719	99	0.384436

**MORTALITY RATES OF ANNUITANTS IN LIC OF INDIA
LIC A (96-98) ULTIMATE**

Age	Mortality Rate	Life Expectation	Age	Mortality Rate	Life Expectation
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

Sl.No	Name of the Insurer	Name of the Product	UIN*
1	Aegon Religare	Aegon Religare Health Plan	138N021V01
		Aegon Religare Money Back Plus Plan	138N022V01
		Aegon Religare Pension plan	138N029V01
		Aegon Religare Endowment Plan	138N031V01
		Aegon Religare Endowment Advantage Plan	138N032V01
		Aegon Religare Future Protect Plan	138L023V01
		Aegon Religare Future Protect Plus Plan	138L024V01
		Aegon Religare Assure Plan	138L025V01
		Aegon Religare Rising Star Plan	138L026V01
		Aegon Religare Future Protect Premier Plan	138L027V01
		Aegon Religare Assure Plus Plan	138L028V01
		Aegon Religare iMaximise Plan	138L030V01
		Aegon Religare Group Gratuity Plan	138L033V01
		2	Aviva
Aviva Life Shield Advantage	122N081V01		
Aviva Sampurna Suraksha Bima Yojana	122N084V01		
Aviva Dhana Varsha	122N088V01		
Aviva Life Shield Platinum	122N089V01		
Aviva Young Scholar Secure	122N092V01		
Aviva I Life	122N093V01		
Aviva Pension Builder	122N094V01		
Aviva Lifesaver Advantage	122L082V01		
Aviva Freedom Life Advantage	122L083V01		
Aviva Young Scholar Advantage	122L085V01		
Aviva Life Bond Advantage	122L086V01		
Aviva Life Sachin Extra Cover Advantage	122L087V01		
Aviva Group Gratuity Advantage	122L090V01		
Aviva New Group Leave Encashment Plan	122L091V01		
Aviva Child Education Rider	122B015V01		
Aviva Health Guard Rider	122B016V01		
Aviva Term Plus Rider	122B017V01		
3	Bajaj Allianz	Bajaj Allianz Group Credit Protection Plus	116N094V01
		Bajaj Allianz Super Cash Gain Insurance Plan	116N102V01
		Bajaj Allianz Cash Rich Insurance Plan	116N103V01
		Bajaj Allianz Wealth Insurance Plan	116L095V01
		Bajaj Allianz Max Advantage Insurance Plan	116L096V01
		Bajaj Allianz Shield Insurance Plan	116L097V01
		Bajaj Allianz Assured Protection Insurance Plan	116L098V01
		Bajaj Allianz Life iGain III	116L099V01
		Bajaj Allianz Smart Insurance Plan III	116L100V01
		Bajaj Allianz Money Secure Insurance Plan	116L101V01
		Bajaj Allianz Group Employee Benefit Plan	116L104V01
		Bajaj Allianz Group Wealth Insurance Plan	116L105V01
		Bajaj Allianz Group Terminal Illness Rider	116B025V01

* UIN: Unique Identification Number.

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

4	Bharti AXA	Bharti AXA Life Group Term Cover	130N034V01
		Bharti AXA Life Life Protect Plus	130N037V01
		Bharti AXA Life Family Income Secure	130N038V01
		Bharti AXA Life Aajeevan Anand	130N039V01
		Bharti AXA Life Jan Suraksha	130N040V01
		Bharti AXA Life Premier Home Shield	130N042V01
		Bharti AXA Future Champs	130N043V01
		Bharti AXA Wonder Years Retirement Plan	130N044V01
		Bharti AXA Life Bright Star Edge	130L035V01
		Bharti AXA Life True Wealth	130L036V01
		Bharti AXA Life Wealth One	130L041V01
		Bharti AXA Life Premium Waiver Rider	130C005V01
		Bharti AXA Group Accidental Death Benefit Rider	130B006V01
5	Birla Sun Life	BSLI Bachat (Endowment) Plan	109N056V01
		BSLI Bachat (Money Back) Plan	109N057V01
		BSLI Bachat (Child) Plan	109N058V01
		BSLI Hospital Cash Plan	109N059V01
		BSLI Rainbow Plan	109N063V01
		BSLI Vision	109N068V01
		BSLI Group Capital Assured Traditional Plan	109N070V01
		BSLI Dream Endowment Plan	109L060V01
		BSLI Classic Endowment Plan	109L061V01
		BSLI Platinum Advantage Plan	109L062V01
		BSLI Dream Life Plan	109L064V01
		BSLI Dream Child Plan	109L065V01
		BSLI Classic Child Plan	109L066V01
		BSLI Classic Life Plan	109L067V01
		BSLI Foresight Plan	109L069V01
		BSLI Surgical Care Rider	109C015V01
		BSLI Hospital Care Rider	109C016V01
		BSLI Waiver of Premium Rider	109C017V01
		BSLI Accident Death and Disability Rider	109C018V01
		BSLI Critical Illness Rider	109C019V01
BSLI Group Critical Illness Premier Rider	109B020V01		
BSLI Group Accelerated Critical Illness Premier Rider	109B021V01		
BSLI Group Accelerated Terminal Illness Rider	109B022V01		
BSLI Accidental Death Benefit Rider	109B014V01		
6	Canara HSBC OBC	Canara HSBC OBC Life Group Traditional Plan	136N014V01
		Canara HSBC OBC Life Insurance Secure Smart Plan	136N017V01
		Canara HSBC OBC Life Insurance Dream Smart Plan	136L015V01
		Canara HSBC OBC Life Insurance Grow Smart Plan	136L016V01
		Canara HSBC OBC Future Smart Plan	136L018V01
		Canara HSBC OBC Insure Smart Plan	136L019V01

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

7	DLF Pramerica	DLF Pramerica Dhan Suraksha	140N020V01
		DLF Pramerica Assure Money +	140N021V01
		DLF Pramerica Tatkal Suraksha Gold	140N024V01
		DLF Pramerica Roz Bima	140N026V01
		DLF Pramerica Future Idols Gold	140N027V01
		DLF Pramerica Rakshak	140N028V01
		DLF Pramerica Wealth + Premier	140L022V01
		DLF Pramerica Ezee Wealth+	140L023V01
		DLF Pramerica Wealth+ Ace	140L025V01
8	Future Generali	Future Generali Dream Guarantee Plan	133N029V01
		Future Generali Care Plus	133N030V01
		Future Generali Smart Life	133N031V01
		Future Generali NAV Insure Plan	133L032V01
		Future Generali Select Insurance Plan	133L033V01
		Future Generali Nivesh Preferred Plan	133L034V01
		Future Generali Pramukh Nivesh	133L035V01
		Future Generali Wealth Protect Plan	133L036V01
		Future Generali Unit Linked Life Guardian Rider	133A018V02
Future Generali Saral Term Benefit Rider	133B020V01		
9	HDFC Standard	HDFC SL Group Savings Plan	101N062V01
		HDFC SL New Money Back Plan	101N063V01
		HDFC SL Sarvgrameen Bachat Yojana	101N069V01
		HDFC SL Group Conventional Plan	101N070V01
		HDFC SL Endowment Gain	101N071V01
		HDFC SL Group Traditional Plan	101N075V01
		HDFC SL Classic Assure Insurance Plan	101N076V01
		HDFC Life Classic Pension Insurance Plan	101N077V01
		HDFC Life Sampoon Samridhi Insurance Plan	101N078V01
		HDFC SL Crest	101L064V01
		HDFC SL Youngstar Super II	101L065V01
		HDFC SL ProGrowth Super II	101L066V01
		HDFC SL ProGrowth Maximiser	101L067V01
		HDFC SL Young Star Super Premium	101L068V01
		HDFC SL ProGrowth Flexi	101L072V01
		HDFC SL Group Unit Linked Option I	101L073V01
HDFC SL Pension Maximus	101L074V01		
10	ICICI Prudential	ICICI Pru Hospital Care II	105N108V01
		ICICI Pru iProtect	105N110V01
		ICICI Pru Guaranteed Savings Insurance Plan	105N114V01
		ICICI pru Whole Life	105N116V01
		ICICI Pru Future Secure	105N117V01
		ICICI Pru Group Term Plan	105N119V01
		ICICI Pru LifeLink Wealth SP	105L111V01
		ICICI Pru Life Time Premier	105L112V01
		ICICI Life Link Pension SP	105L113V01
ICICI Pinnacle II	105L115V01		

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

		ICICI Pru Life Stage Wealth II	105L118V01
		ICICI Pru Smart Kid Premier	105L120V01
		ICICI Pru Pinnacle Super	105L121V01
		ICICI Pru Waiver of Premium on Critical Illness Rider	105C024V01
11	IDBI Federal	IDBI Federal Loansurance Group Life Plan	135N013V01
		IDBI Federal Termsurance Group Life Plan	135N015V01
		IDBI Federal Bondsurance Advantage Insurance Plan	135N016V01
		IDBI Federal Retiresurance Guaranteed Pension Plan	135N017V01
		IDBI Federal Term Assurance Premier Insurance Plan	135N019V01
		IDBI Federal Termsurance Seniors Insurance Plan	135N021V01
		IDBI Federal Wealthsurance Milestone Plan	135L014V01
		IDBI Federal Wealthsurance Premier Insurance Plan	135L018V01
		IDBI Federal Retiresurance Milestone Pension Plan	135L020V01
12	IndiaFirst	India First Life Plan	143N007V01
		India First Simple Life Plan	143N008V01
		India First Anytime Plan	143N009V01
		India First Secure Save Plan	143N012V01
		India First Smart Save Plan	143L010V01
		India First Young India Plan	143L011V01
		India First Employee Benefit Plan	143L013V01
		India First Term Rider	143B001V01
13	ING Vysya	ING Immediate Annuity with return of purchase price	114N050V01
		ING Aashirvad	114N051V01
		ING Aashirvad	114N051V02
		ING Creating Star Guaranteed Future	114N052V01
		ING Ace Life	114N058V01
		ING Ace Pension	114N059V01
		ING Uttam Jeevan - SP	114L053V01
		ING Uttam Jeevan	114L054V01
		ING Prospering Life	114L055V01
		ING Market Shield	114L056V01
		ING Prospering Life SP	114L057V01
14	Kotak Mahindra OM	Kotak e-Preferred Term Plan	107N060V01
		Kotak e-Term	107N061V01
		Kotak Fixed Return plan	107N068V01
		Kotak Assured Income	107N069V01
		Kotak Saral Suraksha	107N070V01
		Kotak Secure Invest Insurance	107L062V01
		Kotak Wealth Insurance Plan	107L063V01
		Kotak Ace Investment Plan	107L064V01
		Kotak Single Invest Advantage	107L065V01
		Kotak Headstart Child Assure	107L066V01
		Kotak Platinum	107L067V01

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

15	LIC	LIC's Group Flexible Income Plan	512N262V01
		LIC's Bima Account -I	512N263V01
		LIC's Bima Account -II	512N264V01
		LIC's Pension Plus	512L260V01
		LIC's Endowment Plus	512L261V01
		LIC's Samridhi Plus	512L265V01
16	Max New York	Max New York Life Platinum Protect	104N060V01
		Max New York Life Smart Bond	104N063V01
		Max New York Life College Plan	104N065V01
		Max New York Shubh Invest	104L061V01
		Max New York Shiksha Plus II	104L062V01
		Max New York Life Flexi Fortune	104L064V01
17	Met Life	Met Grameen Ashray	117N063V01
		Met Monthly Income Plan - 7 pay	117N064V01
		Met Protect	117N065V01
		Met Group Savings Plan	117N067V01
		Met Smart Platinum	117L066V01
		Met Smart One	117L068V01
18	Reliance	Met Easy Super	117L069V01
		Reliance Life Care for You Plan	121N078V01
		Reliance Money Multiplier Plan	121N079V01
		Reliance Life Classic Plan	121L076V01
		Reliance Life Highest NAV Advantage Plan	121L077V01
		Reliance Life Insurance Classic Plan - Limited Premium	121L080V01
Reliance Life Insurance Group Gratuity Plus Plan	121L081V01		
19	Sahara	Reliance Life Insurance Five Pay Plan	121L082V01
		Sahara Shikhar Jeevan Bima	127L021V01
		Sahara Utkarsh Jeevan Bima	127L022V01
		Sahara Sugam Jeevan Bima	127L023V01
20	SBI Life	Sahara Sanchit Jeevan Bima	127L024V01
		SBI Life Hospital Cash	111N065V01
		SBI Life - Saral Shield	111N066V01
		SBI Life - Smart Shield	111N067V01
		SBI Life - Saral Life	111N071V01
		SBI Life - Gaurav Jeevan	111N076V01
		SBI Life - RiNn Raksha	111N078V01
		SBI Life - Smart Performer	111L068V01
		SBI Life - Unit Plus Super	111L069V01
		SBI Life - Saral maha Anand	111L070V01
		SBI Life - Smart Elite	111L072V01
		SBI Life - Smart Scholar	111L073V01
		SBI Life - Smart Horizon	111L074V01
		SBI Life - Smart Pension	111L075V01
SBI Life - Smart Wealth Assure	111L077V01		

LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11

21	Shriram Life	Shriram Credit Guard	128N033V01
		Shriram Ujjwal Life	128L034V01
		Shriram Ujjwal Life (SP)	128L035V01
		Shriram Life Wealth Plus	128L036V01
		Shriram Group Gratuity Protector	128L037V01
		Shriram Extra Cover Rider	128B009V01
		Shriram Critical Illness Cover Rider	128C010V01
22	Star Union Dai-ichi	SUD Life Defined Benefit Endowment Plan	142N023V01
		SUD Life Defined Growth Endowment Insurance Plan	142N027V01
		SUD Life Dhan Suraksha 3	142L024V01
		SUD Life Dhan Suraksha Premium 3	142L025V01
		SUD Life Prabhat Tara 3	142L026V01
		SUD Life Dhan Suraksha Express	142L028V01
23	TATA AIG	Tata AIG Life Group Total Suraksha	110N088V01
		Tata AIG Maha Life Guarantee	110N089V01
		Tata AIG Life Maha Guarantee Flexi	110N093V01
		Tata AIG Life Invest Assure Flexi Supreme	110L090V01
		Tata AIG Life Lakshya Supreme	110L091V01
		Tata AIG Life Invest Assure Plus Supreme	110L092V01
		Tata AIG Life United Ujwal Bhavishya Supreme	110L094V01
		Tata AIG Life Invest Apex Supreme	110L095V01
		Tata AIG Life Insurance Swarna Pratigya	110L096V01
		Tata AIG Life Invest Assure Gold Supreme	110L097V01
		Tata AIG Life Group Disability Rider	110B022V01

Note: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd. started its operations during 2011-12.

**NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED
DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11**

SI.No.	Name of the Insurer	Name of the Product
1	Agriculture Insurance Company	Cardamom plant & yield insurance
2	Apollo Munich Health	Maxima Insurance Optima Plus Easy Health Insurance Easy Health Group Insurance
3	Bajaj Allianz	Commercial Package SIB Health Assist Mausam Hifazat
4	Cholamandalam	Weather Insurance (Index) Chola MS Individual Healthline Insurance Domestic Travel Insurance Chola MS Critical Healthline Insurance
5	Future Generali	Future Event Insurance Future Cine Suraksha Health Suraksha - Revision Travel Suraksha - Standard Plan -Additional Benefits
6	HDFC Ergo	Card Sure Package Policy Weather Insurance Event Cancellation Policy Crop Insurance Policy Information Communication Technology Errors & Omission (Revised International wordings) Janata Personal Accident (JPA) Gramin Arogya Nidhi Marine Cargo Open Policy (Revision of Marine Institute of Cargo Clauses)
7	ICICI Lombard	Crop Insurance Crop Insurance Policy (Revision / add-on covers)
8	IFFCO Tokio	Janta Bima Yojana Policy (MI Product) Fasal Bima Yojna
9	L&T General	Industrial All Risks Policy Advance Loss of Profits Insurance Policy Machinery Loss of Profits insurance policy My:asset Two Wheeler Insurance My:asset Private Motor Insurance My:asset Commercial & Miscellaneous Vehicle Insurance Motor Liability Only Policy Burglary and Housebreaking Insurance My Jeevika

**NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED
DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11**

		Standard Fire & Special Perils Policy Contractors All Risk Policy Erections All Risk Policy Contractors Plant & Machinery Policy Machinery Breakdown Policy Electronic Equipments Insurance Policy Workmens' Compensation Insurance Public Liability (Act) Insurance Fire Loss of Profits Insurance Policy All Risks Insurance Neon Sign Insurance Money Insurance Baggage Insurance Plate Glass Insurance Money Insurance Commercial General Liability Insurance Combined Public & Product Liability Insurance My:Jeevika Personal Accident Micro Insurance Marine Cargo Insurance
10	Max Bupa Health	International Medical Emergency Policy Swasthya Pratham Micro Insurance Product HeartBeat Employee First Health Insurance Plan
11	National Insurance	Package Insurance (Private Cars & Two Wheelers) - Add-on
12	New India Assurance	Jan Suraksha Laghu Bima
13	Raheja QBE	Multimedia Professional Indemnity Professional Indemnity (Medical Malpractice) Transporters Liability Policy D&O Liability Insurance Excess Policy D&O and Company Reimbursement Insurance
14	Royal Sundaram	Motor Add-ons for Commercial Vehicles Health Shield - Gold Health Shield - Normal Health Shield - Premier Family Health Protector Top up insurance - Health XS and Super Health XS Insurance Critical Illness Lumpsum Insurance Family Good Health Family Health Floater
15	SBI General	Long Term Insurance (Fire) Burglary Insurance Motor Add-ons (PC/TW/CV) Plate Glass Insurance Policy Business Package Motor Add-ons (2) Re-filed

**NON-LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED
DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11**

		Advance Loss of Profits Insurance Policy Money Insurance (revised) Machinery Breakdown Policy Contractors Plant & Machinery Policy Boiler & Pressure Plant Policy Erection All Risks Policy Machinery Loss of Profits Policy Aviation Hull Package Industrial All Risks Policy Money Insurance Policy Loss of Profit Group Health Insurance Marine Cargo Insurance
16	Star Health and Allied	Star Shri Individual Care Insurance Star Shri Family Care Insurance Star Unique Health Insurance Star Wedding Gift Insurance Senior Citizen Red Carpet Insurance Health All Care Insurance Policy
17	Shriram General	Industrial All Risk Policy Neon sign/Glow sign/Hoardings Insurance Policy Agriculture Pumpset Insurance Policy Plate Glass Insurance Policy Burglary Insurance (Revision) Baggage Insurance All Risk Insurance Jewellers Block Insurance Policy Business Protector Commercial General Liability Insurance Janata Personal Accident (Group) Sales Turnover Policy
18	TATA AIG General	Pashu Suraksha Bima Add-ons for Two Wheeler Package Policy Rashtriya Swasthya Bima Yojana Wellsurance Marine Cargo Insurance
19	United India	Nil Depreciation (Add-on) Workmen Medicare Policy Individual Health Insurance - Senior Citizen Individual Health Insurance - Platinum Individual Health Insurance - Gold IOB Health Care Plus
20	Universal Sompo	Motor Add-ons (8) Advance Loss of Profits Policy Fine Arts Insurance Policy Individual Health Insurance - Sampurna Swasthya Kavach

ANNEX 6

OBLIGATORY CESSIONS RECEIVED BY GIC

Class	Limit of Cession in Sum Insured (SI)	Reinsurance Commission (%)	Profit Commission (%)
Fire, IAR	₹500 Crore SI (MD+LOP) per risk	15-30	20-25
Large Risks	₹500 crore SI (MD+LOP) per risk	10	20
Marine Cargo	₹25 crore SI per Policy	15-25	10-15
Marine Hull	₹40 crore SI per Vessel	12.5-25	15
War & SRCC	₹40 crore SI per Vessel	10	Nil
Motor, Workmen's Compensation	No Limit	15-25	15-30
General Aviation Liability	No Limit	7.5-12.5	15
Aviation (Airlines)	₹300 crore SI per risk on hull & corresponding percentage share on other insurances	Average Terms	Nil
Oil & Energy	₹37.50 crore SI per risk	5	20
Liability: Casualty and Financial Liability	₹12.5 crore per policy including USA/ ₹25 crore per policy excluding USA	20	15-20
Credit & Guarantee Lines, Mortgage Insurance, Crop/Weather Insurance	₹25 crore SI per event	10	15
Other Miscellaneous	No Limit	15-25	15
Engineering Machinery Breakdown/Boiler Explosion/Loss of Profit	₹100 crore per risk	15-30	25-30
Contractor's All Risk/Erection All Risk/Advance Loss of Profit/Delay in Start Up	₹300 crore per risk (MD+LOP)	15-30	25-30

MD: Material Damage; LOP: Loss of profit; IAR : Industrial All Risks; SI: Sum Insured; SRCC : Strike, Riot and Civil Commotion

STATE-WISE NUMBER OF REGISTERED BROKERS

Sl.No	State	No of Licensed Brokers *
1	Maharashtra	98
2	Delhi	63
3	West Bengal	28
4	Tamil Nadu	28
5	Andhra Pradesh	18
6	Uttar Pradesh	18
7	Gujarat	13
8	Karnataka	12
9	Punjab	11
10	Kerala	8
11	Rajasthan	5
12	Chandigarh	4
13	Madhya Pradesh	3
14	Haryana	2
	Total	311

* As on 30th June, 2011.

CIRCULARS / ORDERS / NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2010*

Sl. No.	Reference Number	Date of Issue	Subject
1	IRDA/F&I/ORD/F&A/061/04/2010	08/04/2010	Standing Committee on Accounting Issues - reconstituted
2	IRDA/CHM/CIR/CIR/063/04/2010	13/04/2010	Circular on ULIP
3	IRDA/TPA/ORD/CAN/065/04/2010	23/04/2010	Cancelling of TPA Licence - Universal Medi Aid Services
4	IRDA/ACT/CIR/ULIP/066/04/2010	27/04/2010	Benefit Illustration - Payment to Distribution Channel
5	IRDA/NL/ORD/MISC/069/04/2010	30/04/2010	Carrying of insurance business by unauthorised entity M/s Radiant Overseas Private Limited
6	IRDA/ACT/CIR/ULIP/071/05/2010	03/05/2010	Guidelines on Unit Linked Products
7	IRDA/F&I/CIR/F&A/075/05/2010	10/05/2010	Quarterly submission of Financial Statements
8	IRDA/NL/CIR/HLTH/077/05/2010	10/05/2010	Information u/s 14(2)H of IRDA Act 1999 - Health Insurance Claims
9	IRDA/F&I/CIR/FA/076/05/2010	10/05/2010	Reporting of Maintenance of Solvency Margin Ratio
10	IRDA/F&I/CIR/AML/080/05/2010	13/05/2010	Maintenance of records and value of transactions, procedure and manner of maintaining for furnishing information and verification of records of the identity of the clients
11	IRDA/ACT/CIR/MISC/081/05/2010	13/05/2010	Financial Condition Report for Non-Life Insurance Companies
12	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/082/05/2010	17/05/2010	Clarification - Agency Portal
13	IRDA/CAS/CIR/EXD/083/05/2010	18/05/2010	Exposure Draft on Standardisation of Terms & Conditions of Unit Linked Insurance Products and measures for Policyholders' Protection Regulations
14	IRDA/ADMN/CIR/GEN/084/05/2010	18/05/2010	Exposure draft on Acquisition of Database
15	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/085/05/2010	25/05/2010	Transfer of Corporate Agency from one insurer to another insurer
16	IRDA/F&I/CIR/DATA/091/06/2010	02/06/2010	Payment of remuneration paid by way of commission or otherwise, Section 31B (2) of the Insurance Act, 1938.
17	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/092/06/2010	07/06/2010	Transfer of Corporate Agency from one insurer to another
18	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/093/06/2010	07/06/2010	Inspection of Corporate Agents by the Insurer
19	IRDA/F&I/CIR/AML/099/06/2010	16/06/2010	Review of AML Guidelines
20	IRDA/F&I/CIR/EHP/100/06/2010	16/06/2010	Details of Equity holding pattern of Insurance Companies
21	IRDA/NL/CIR/MISC/101/06/2010	17/06/2010	Standard Proposal Form for Liability only Insurance Cover
22	IRDA/ACT/CIR/ULIP/102/06/2010	19/06/2010	Elements which shall be incorporated in ULIPs
23	IRDA/CAGTS/GDL/LCE/106/06/2010	28/06/2010	Guidelines on Issue/Renewal of licence to corporate agents
24	IRDA/AGTS/ORD/TRNG/109/07/2010	06/07/2010	Computerisation of Insurance Agents Examination Centres
25	IRDA/LIFE/CIR/MISC/110/07/2010	12/07/2010	Cancellation of Circulars on Referral Arrangement
26	IRDA/IT/NTC/MIS/111/07/2010	14/07/2010	Implementation of ERP systems stage 1 short listing of IT Firms for technical Bid
27	IRDA/BRK/ORD/LC/112/07/2010	16/07/2010	Cancellation of Broker licence
28	IRDA/F&I/ORD/F&A/114/07/2010	19/07/2010	Levy of penalty
29	IRDA/F&I/CIR/INV/115/07/2010	21/07/2010	Reporting of OTC Transaction in Certificate of Deposit (CDs) and Commercial Papers (CPs)
30	IRDA/NL/ORD/RIN/117/07/2010	26/07/2010	Policies issued to M/s Clough Engineering and M/s ONGC- National Insurance Company
31	IRDA/LIFE/ORD/MISC/120/07/2010	26/07/2010	Approval of Referral Companies
32	IRDA/NL/ORD/RIN/118/07/2010	26/07/2010	Airport Liability Insurance Policy- National Insurance Company
33	IRDA/LGL/ORD/ORD/122/07/2010	27/07/2010	Show cause notice to SBI Life Insurance

* Issued upto 30th September, 2011.

CIRCULARS / ORDERS / NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2010*

34	IRDA/LGL/ORD/ORD/123/07/2010	27/07/2010	Penalty of ₹10 lakh on site inspection- SBI Life Insurance
35	IRDA/ACT/CIR/ULIP/124/08/2010	04/08/2010	Clarifications on ULIPs
36	IRDA/LIFE/MISC/CIR/125/08/2010	05/08/2010	IRDA (Insurance Advertisement and Disclosure) Amendment Regulations, 2010
37	IRDA/LIFE/CIR/MISC/126/08/2010	09/08/2010	Referral arrangement - Termination
38	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/127/08/2010	11/08/2010	Transition from referral agreement to Corporate Agency
39	IRDA/LIFE/MISC/CIR/129/08/2010	16/08/2010	Advertisement of Life Insurance Products
40	IRDA/NL/ORD/RIN/130/08/2010	17/08/2010	Order of IRDA against Oriental Insurance Company Ltd. in the matter relating to Airport Liability Insurance
41	IRDA/NL/ORD/RIN/132/08/2010	17/08/2010	Order of IRDA against United India Insurance Company Ltd. in the matter relating to Airport Liability Insurance Policy
42	IRDA/NL/ORD/RIN/131/08/2010	17/08/2010	Order of IRDA against IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. in the matter relating to Airport Liability Insurance Policy
43	IRDA/F&I/ORD/F&A/133/08/2010	20/08/2010	Order of the IRDA against M/s. Bharti AXA Life Insurance Company Ltd.
44	IRDA/F&I/ORD/F&A/134/08/2010	20/08/2010	Order of the IRDA against M/s. Bharti AXA General Insurance Company Ltd.
45	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/135/08/2010	23/08/2010	PAN Card requirement by Corporate Agents
46	IRDA/NL/ORD/RIN/136/08/2010	24/08/2010	Electronic Transaction Administration and Settlement System
47	IRDA/HLT/MISC/CIR/139/08/2010	24/08/2010	Settlement of Health Claim - Cashless basis
48	IRDA/CAD/CIR/AGN/137/08/2010	24/08/2010	Disclosure of Agency details on Policy Document
49	IRDA/CHM/ETASS/CIR/142/08/2010	31/08/2010	Exposure Draft on Electronic Transaction and Settlement System Regulations.
50	IRDA/F&I/ORD/EMT/145/08/2010	31/08/2010	Limit of expenses of management in the first 5 years.
51	IRDA/BRK/ORD/LC/147/09/2010	01/09/2010	Rejection of Application dated 16.2.2010 seeking grant of renewal of composite Broking licence.
52	IRDA/NL/ORD/RTI/148/09/2010	03/09/2010	Warning and Penalties
53	IRDA/IT/ORD/MISC/152/09/2010	03/09/2010	Implementation of IGMS System
54	IRDA/SUR/ORD/LS/153/09/2010	06/09/2010	Suspension of licence of Mr. Sukamal Kumar Choudhury.
55	IRDA/ACT/CIR/MISC/154/09/2010	09/09/2010	Exposure Draft Composite package of Standard Insurance Product for Rural and Social Sector.
56	IRDA/CAGTS/GDL/LCE/155/09/2010	14/09/2010	Legal Framework to sanction Corporate Agency licence to Department of Post.
57	IRDA/F&I/CIR/AML/158/09/2010	24/09/2010	AML/CFT Guidelines for Insurers.
58	IRDA/NL/CIR/CRE/159/09/2010	27/09/2010	Examination of the credit insurance covers being marketed by the General Insurance Companies to Banks.
59	IRDA/CAGTS/CIR/LCE/165/10/2010	14/10/2010	Framework to sanction Corporate Agency License
60	IRDA/NL/ORD/CMT/167/10/2010	18/10/2010	Constituting Committee for Embedding Insurance products for Disaster Management Framework of the Country
61	IRDA/F&I/CIR/EMT/169/10/2010	21/10/2010	Expenses of Management under section 40C of Insurance Act, 1938 read with Rule 17E of Insurance Rules, 1939
62	IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010	04/11/2010	Treatment of the sum pertaining to the Insured
63	IRDA/CAGTS/PNTC/LCE/172/11/2010	04/11/2010	Public Notice about unauthorized calls to general public
64	IRDA/LIFE/CIR/REF/179/11/2010	11/11/2010	Portal for Registration of Referral companies
65	IRDA/F&I/CIR/AML/180/11/2010	12/11/2010	Guidelines on Anti Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism
66	IRDA/F&A/WRN/EMT/185/11/2010	18/11/2010	Contravention of provision of Section 40C of Insurance Act, 1938
67	IRDA/F&A/WRN/EMT/184/11/2010	18/11/2010	Contravention of provision of Section 40B of Insurance Act, 1938 read with Rule 17D of Insurance Rules, 1939 and the directions of the Authority
68	IRDA/F&I/CIR/EMT/183/11/2010	18/11/2010	Interpretation of First ten years of business u/s 40A of Insurance Act, 1938

* Issued upto 30th September, 2011.

CIRCULARS / ORDERS / NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2010*

69	IRDA/ACT/CIR/VIP/187/11/2010	23/11/2010	Variable Insurance Product
70	IRDA/F&I/ORD/EMT/192/11/2010	25/11/2010	Order against M/s TATA AIG Life Insurance Company
71	IRDA/BRK/ORD/LC/194/11/2010	26/11/2010	Cancellation of M/s Willis India Insurance Brokers Private Limited
72	IRDA/BRK/ORD/LC/199/11/2010	30/11/2010	Cancellation of Broker License No. 306
73	IRDA/F&I/CIR/GLD/202/12/2010	08/12/2010	Policy Guidelines for Sharing of Information
74	IRDA/F&A/ORD/EMT/203/12/2010	08/12/2010	Expenses of Management - exemption to M/s Max Bupa & M/s SBI General
75	IRDA/NL/CIR/CRE/205/12/2010	09/12/2010	Guidelines on Credit Insurance
76	IRDA/ADMN/CIR/MISC/206/12/2010	09/12/2010	Stock Trading
77	IRDA/ADMN/ORD/MISC/207/12/2010	09/12/2010	Support to Yugantar for Insurance Study
78	IRDA/NL/PR/CRE/208/12/2010	13/12/2010	Trade Credit Insurance-Guidelines
79	IRDA/NL/NTC/OOO/211/12/2010	17/12/2010	Show Cause Notice to M/s. Oriental Insurance Company Limited for Non compliance of Circulars/ Guidelines.
80	IRDA/NL/ORD/MPL/212/12/2010	17/12/2010	Committee on Commercial Motor Third Party Liability Cover
81	IRDA/NL/ORD/GRV/213/12/2010	21/12/2010	Complaint of M/s Abhinav Traders
82	IRDA/CAGTS/ORD/GRV/214/12/2010	21/12/2010	Complaint of M/s Abhinav Traders-against corporate agents regulations
83	IRDA/BRK/ORD/LC/215/12/2010	22/12/2010	Rejection of Renewal application of M/s Reliable Insurance Brokers Private Limited
84	IRDA/ADMN/ORD/MISC/216/12/2010	24/12/2010	Analysis of Claims Provisions of public sector non-life insurers as on 31 st March, 2010
85	IRDA/F&I/CIR/CIR/217/12/2010	27/12/2010	Recognition of Surplus arising in non-participating funds as profit / loss in the profit & Loss Account
86	IRDA/NL/ORD/OOO/218/12/2010	27/12/2010	Non compliance to Section 64VC of Insurance Act, 1938
87	IRDA/LIFE/CIR/MISC/001/01/2011	04/01/2011	Guidelines on Group Insurance Policies
88	IRDA/ADMN/ORD/MISC/002/01/2011	04/01/2011	Analysis of Claims Provisions of private sector non-life insurers as on 31 st March, 2010
89	IRDA/IT/CIR/MISC/004/01/2011	06/01/2011	Help Desk for User Call Management
90	IRDA/NL/CIR/F&U/003/01/2011	06/01/2011	General Insurance Products - Compliance with File and Use terms and conditions
91	IRDA/TPA/GDL/CIR/008/01/2011	12/01/2011	Changes in network hospitals and TPAs
92	IRDA/F&A/CIR/SOLVN/011/01/2011	27/01/2011	Valuation of Premium receivable from Central & State governments for computation of Solvency
93	IRDA/CAD/WRN/CPR/012/01/2011	31/01/2011	Contravention of the provisions of Regulation 8 of the Policyholder Protection Regulations, 2002
94	IRDA/LIFE/CIR/GLD/013/02/2011	01/02/2011	Guidelines on outsourcing of activities by Insurance Companies
95	IRDA/F&I/CIR/F&A/015/02/2011	02/02/2011	Creation of Reserve for Unexpired Risk (RUR) by the Non-Life Insurance Companies for Health Segment
96	IRDA/CAD/CIR/AGN/017/02/2011	02/02/2011	Guidelines pertaining to individual agents
97	IRDA/CAD/GDL/AGN/016/02/2011	02/02/2011	Guidelines for individual agents for Persistency of Life Insurance Policies
98	IRDA/ADMN/ORD/MISC/019/02/2011	02/02/2011	Committee on guidelines for electronic issuance of insurance policies
99	IRDA/NL/CIR/RIN/027/02/2011	08/02/2011	Reinsurance with Indian Reinsurers - Obligatory Cessions
100	IRDA/HLT/MISC/CIR/030/02/2011	10/02/2011	Portability of Health Insurance Policies
101	IRDA/CHM/MISC/CIR/029/02/2011	10/02/2011	Insurance Schemes Sponsored by various Governments
102	IRDA/CHM/MISC/CIR/032/02/2011	11/02/2011	Addendum to Circular IRDA/CHM/MISC/CIR/29/02/2011 dt 10.02.2011
103	IRDA/AGTS/MISC/GLD/031/02/2011	11/02/2011	Guidelines pertaining to individual agents
104	IRDA/BRK/ORD/LC/035/02/2011	14/02/2011	Cancellation of Broker License No. 204

* Issued upto 30th September, 2011.

CIRCULARS / ORDERS / NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2010*

105	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/034/02/2011	14/02/2011	Order of IRDA against M/s Central Bank of India
106	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/033/02/2011	14/02/2011	Order of IRDA against M/s Cholamandalam General Insurance Company
107	IRDA/BRK/ORD/LC/043/02/2011	25/02/2011	Cancellation of Broker License No.373 of M/s Artha Insurance Broking Services Limited earlier known as M/s Tom Insurance Broking Services Limited
108	IRDA/ACT/CIR/GEN/045/03/2011	07/03/2011	Note for the use of Appointed Actuaries for the preparation of "Actuarial Report and Abstract" for the year ended 31 st March, 2011
109	IRDA/NL/ORD/MPL/046/03/2011	12/03/2011	Motor Third Party Pool Reserves and Accounts Reserves
110	IRDA/ADMN/ORD/MISC/051/03/2011	18/03/2011	Investigation of M/s Reliance General Insurance Company
111	IRDA/CAD/GDL/AGN/052/03/2011	24/03/2011	Guidelines Pertaining to Agents
112	IRDA/F&I/CIR/INV/053/03/2011	29/03/2011	(1) ULIP - Fund Approval Procedure and (2) NAV Process – regarding.
113	IRDA/BRK/ORD/LC/054/03/2011	31/03/2011	Cancellation of Brokers License - M/s SNK Insurance Brokers License No. 322
114	IRDA/ADMN/GDL/MISC/059/04/2011	05/04/2011	Guidelines on Distance Marketing of Insurance Products
115	IRDA/F&A/CIR/SOLP/063/04/2011	13/04/2011	Valuation of Premium Receivable from Central/State Governments for Computation of Solvency Position
116	IRDA/NL/PR/MOTP/067/04/2011	15/04/2011	Motor TP Liability Cover
117	IRDA/NL/NTFN/MOTP/066/04/2011	15/04/2011	Motor Insurance Premium Rates for "TP Liability only Cover"
118	IRDA/BRK/ORD/LC/068/04/2011	18/04/2011	Cancellation of Broker Licence
119	IRDA/F&A/CIR/SOLP/069/04/2011	19/04/2011	Financial impact due to increase in gratuity limit of employees
120	IRDA/ADMN/GDL/GLD/080/04/2011	29/04/2011	Guidelines on Insurance repositories and electronic issuance of insurance policies
121	IRDA/ADMN/ADVT/MISC/079/04/2011	29/04/2011	Request for proposal for analysis & reporting of industry- wide fraud trends
122	IRDA/F&A/CIR/CG/081/05/2011	02/05/2011	Compliance with Corporate Governance Guidelines
123	IRDA/ADMN/PNTC/MISC/086/05/2011	04/05/2011	Insurance Repositories - Calling for Application Forms
124	IRDA/LIFE/ORD/GRV/101/05/2011	16/05/2011	Hearing - M/s Met Life India Insurance Company Limited on matters relating to Consumer Affairs
125	IRDA/LIFE/CIR/MISC/103/05/2011	18/05/2011	Clarification on Guidelines on Outsourcing of Activities by Insurance Companies
126	IRDA/F&I/CIR/PBDIS/105/05/2011	20/05/2011	Public Disclosures by insurance companies
127	IRDA/ACT/CIR/MISC/111/05/2011	26/05/2011	Economic Capital for Non-Life Industry
128	IRDA/BRK/ORD/LS/110/05/2011	26/05/2011	Suspension Order of Licence of M/s Jeevan Suraksha Insurance Broking Services Private Limited
129	IRDA/LIFE/CIR/MISC/113/06/2011	06/06/2011	Constitution of Standing Committee
130	IRDA/AGTS/CIR/BANC/115/06/2011	07/06/2011	Report of the Committee on Bancassurance
131	IRDA/F&I/ORD/RSS/114/06/2011	07/06/2011	Levy of Penalty under Section 105B of the Insurance Act, 1938
132	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/127/06/2011	10/06/2011	M/s National Insurance Company
133	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/126/06/2011	10/06/2011	M/s The New India Assurance Company limited
134	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/125/06/2011	10/06/2011	M/s IFFCO TOKIO General Insurance Company
135	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/124/06/2011	10/06/2011	M/s Bajaj Allianz General Insurance Company
136	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/123/06/2011	10/06/2011	M/s ICICI Lombard General Insurance Company.
137	IRDA/CAGTS/ORD/PNL/122/06/2011	10/06/2011	M/s Royal Sundaram Alliance General Insurance Company.
138	IRDA/ACT/CIR/RIN/119/06/2011	10/06/2011	Submission of Reinsurance Data on a Quarterly Basis
139	IRDA/F&A/ORD/EMT/130/06/2011	20/06/2011	Exemption Order under Rule 17E
140	IRDA/ACT/ORD/MISC/131/06/2011	21/06/2011	Constitution of an Actuarial Standing Committee (ASC)
141	IRDA/F&I/CIR/AML/145/06/2011	30/06/2011	Reporting formats under Clause 3.2 Master Circular 2010 on AML/CFT guidelines
142	IRDA/F&I/CIR/AML/151/07/2011	04/07/2011	Prevention of Money Laundering - Third Amendment Rules, 2010

* Issued upto 30th September, 2011.

CIRCULARS / ORDERS / NOTIFICATIONS ISSUED BY THE AUTHORITY FROM APRIL 2010*

143	IRDA/LIFE/ORD/MISC/158/07/2011	08/07/2011	Personal Hearing with Chairman- SBI Life Insurance-Penalty of ₹70 lakh
144	IRDA/NL/CIR/MISC/159/07/2011	08/07/2011	Submission of Business Information related to policies, claims and offices of Insurers
145	IRDA/NL/CIR/HLTH/160/07/2011	11/07/2011	Exposure Draft – Third Party Administrators
146	IRDA/BRK/ORD/LC/161/07/2011	12/07/2011	Cancellation order of M/s Athena Insurance & Reinsurance Brokers Private Limited
147	IRDA/CAD/ORD/CPR/170/07/2011	26/07/2011	Order against M/s The New India Assurance Company Limited
148	IRDA/F&I/CIR/INV/173/08/2011	01/08/2011	ULIP - Fund approval procedure and NAV process
149	IRDA/ACT/PNTC/GEN/179/08/2011	08/08/2011	Exposure Draft on Asset-Liability management and stress testing
150	IRDA/ACT/PNTC/PRD/181/08/2011	08/08/2011	Exposure Draft on Pension Products
151	IRDA/ACT/PNTC/LIF/180/08/2011	08/08/2011	Exposure Draft on Asset-Liability management and stress testing - Life
152	IRDA/F&A/CIR/TRSH/183/08/2011	11/08/2011	Transfer of Shares
153	IRDA/BRK/ORD/LC/186/08/2011	16/08/2011	Cancellation of Broker License No-333 (M/s Ashika Insurance Broking & Risk Management Private Limited)
154	IRDA/F&I/CIR/INV/187/08/2011	17/08/2011	Fund Approval Procedure and Guidelines on NAV Process
155	IRDA/ADMN/ORD/MISC/194/08/2011	23/08/2011	Authorization of M/s Anandam & Co
156	IRDA/F&A/CIR/SOLP/195/08/2011	24/08/2011	Solvency margin of non-life insurance in respect of Motor Third Party Pool
157	IRDA/LIFE/ORD/MISC/201/08/2011	30/08/2011	Personal Hearing in the matter of M/s Shriram Life Insurance Company Limited
158	IRDA/F&I/ORD/CPM/204/08/2011	30/08/2011	Levy of Penalty under Section 102 of the Insurance Act, 1938
159	IRDA/F&I/CIR/INV/203/08/2011	30/08/2011	Investment in Venture Funds - Clarification
160	IRDA/NL/CIR/HLTH/207/09/2011	06/09/2011	Servicing of Health Insurance Schemes offered by bodies other than Insurance Companies
161	IRDA/HLT/MISC/CIR/209/09/2011	09/09/2011	Portability of Health Insurance Policies
162	IRDA/NL/ORD/CMT/214/09/2011	16/09/2011	Creation of Indian specific ACORD standards for the Indian Insurance Market
163	IRDA/HLT/MISC/CIR/216/09/2011	19/09/2011	Rejection of Claims due to delay in intimation/document submission
164	IRDA/LIFE/GDL/GLD/217/09/2011	20/09/2011	Modification of guidelines for individual agents for persistency of life insurance policies
165	IRDA/NL/GDL/MISC/218/09/2011	20/09/2011	Modification of guidelines pertaining to individual agents
166	IRDA/LIFE/CIR/GLD/219/09/2011	21/09/2011	Clarification on Guidelines on Outsourcing of Activities by Insurance Companies
167	IRDA/BRK/ORD/LC/224/09/2011	22/09/2011	Refusal to grant renewal of license to M/s Heritage Insurance Brokers Private Limited
168	IRDA/NL/CIR/F&U/226/09/2011	27/09/2011	Provision of Nomination in Personal Accident cover provided to owner-driver and Named Persons in Motor Package Policy

* Issued upto 30th September, 2011.

REGULATIONS FRAMED UNDER THE IRDA ACT, 1999

Sl.No.	REGULATIONS
1	IRDA (Member of Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000
2	IRDA (Appointment of Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000
3	IRDA (The Insurance Advisory Committee Meeting) Regulations, 2000
4	IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000
5	IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000
6	IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000
7	IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000
8	IRDA (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000
9	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000
10	IRDA (Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000
11	IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) Regulations, 2000
12	IRDA (Meetings) Regulations, 2000
13	IRDA (Preparation of Financial Statement and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000
14	IRDA (Investment) Regulations, 2000
15	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Regulations, 2000
16	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000
17	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000
18	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001
19	IRDA (Third Party Administrator - Health Services) Regulations, 2001
20	IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations, 2001
21	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2002
22	IRDA (Preparation of Financial Statement and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
23	IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2002
24	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002
25	IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2002
26	IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
27	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendments) Regulations, 2002
28	IRDA (Protection of Policyholders' Interest) (Amendment) Regulations, 2002
29	IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002
30	IRDA (Distribution of Surplus) Regulations, 2002
31	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2003
32	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2004
33	IRDA (Qualification of Actuary) Regulations, 2004
34	IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004
35	IRDA (Insurance Advisory Committee) Regulations, 2005
36	IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2005
37	IRDA (Maternity Leave) Regulations, 2005
38	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2005
39	IRDA (Reinsurance Cessions) Notification
40	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2007
41	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007
42	IRDA (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
43	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations, 2008
44	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
45	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations, 2008
46	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other) (Second Amendment) Regulations, 2008
47	IRDA (Investment) (Fourth Amendment) Regulations, 2008
48	IRDA (Insurance Advisory Committee), 2008
49	IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations, 2010
50	IRDA (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations, 2010
51	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010
52	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2010
53	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011

Notified in the Official Gazette.